राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 2) सप्तम् विधान सभा के द्वितीय सत्र का 35वां दिवस (संख्या 20

1] [2

वृहस्पतिवार

दिनांक 26 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में हुई।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री हंसराज।

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों व कपड़ों का वितरण

450 **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राज्य में कक्षा 1 से 3 तक के अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें तथा कपड़े दिये जाते हैं? यदि हां, तो इस वर्ष मार्च, 1980 से 31 जनवरी, 1981 तक कितने छात्रों को पुस्तकें व कपड़े दिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि गत सरकार ने भी इस प्रकार पुस्तकें एवं कपड़े वितरित किये थे? यदि हां, तो उनके द्वारा एक वर्ष में कितनी पुस्तकें तथा कपड़े अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों को दिये गये तथा उनकी कुल लागत क्या थी?

(3) क्या यह सही है कि इस वर्ष भी बिना कीमत पुस्तकें व कपड़ा देने का बजट में प्रावधान था? यदि हां, तो उसमें से अब तक कितना खर्चा किया गया है और कितना शेष रहा है?

(4) क्या जो कपड़ा व पुस्तकें वितरित की गई हैं वह टेन्डर देकर क्रय की गयी हैं या सीधे ही खरीदी गयी हैं?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। वर्ष 1980-81 में 3.32 लाख छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें व कपड़े दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी हां, वर्ष 1979-80 में कक्षा 1 से 2 के 2 लाख छात्र-छात्राओं को यह सुविधा प्रदान की गई थी एवं इसके लिए 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था।

(3) जी हां, इस वर्ष इस कार्य हेतु 76 लाख 40 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है। वास्तविक व्यय की सूचना संकलित की जा रही है किन्तु सम्भावना यह है कि पूरी राशि का उपयोग कर लिया जावेगा।

(4) पंचायत एवं सामुदायिक विकास विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पोशाकें जिला स्तर पर खादी भण्डारों व पुस्तकें राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल के भण्डारों से पंचायत समितियों की मांग के आधार पर क्रय की जाती हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कक्षा 1 से 3 तक राजस्थान में कुल छात्र शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने हैं और उनमें से कितने लाभान्वित हुए हैं?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया 3 लाख 32 हजार छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें और कपड़े दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। हर विद्यालय में कितने छात्र हैं इसको संकलित करने में लम्बा समय लगेगा। संकलन करने के बाद ही बताया जा सकता है।

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, 3 लाख 32 हजार ……

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक टोटल कितने छात्र हैं और कितने छात्रों को कपड़े और पुस्तकें दी हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं। पहली से तीसरी कक्षा तक यह सुविधा दी जाती है। यह आंकड़ों के आधार पर माना गया है कि 3 लाख 32 हजार छात्र हैं। अगर मालूम पड़ा, इससे ज्यादा छात्र हैं तो ज्यादा कर देते हैं और अगर कम होते हैं तो बच जाती हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के छात्रों को जो पोशाकें और पाठ्य सामग्री दी जाती है जिनका बजट प्रावधान आपने बताया है यह पुस्तकें, पाठ्य सामग्री जुलाई में दी जाती है या अगस्त में दी जाती है? यदि मार्च में दी जाती है तो इसका उपयोग क्या है?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसका वितरण पंचायत एवं सामुदायिक विभाग करता है। उसको यह पैसा ट्रांसफर करते हैं और वह जिला परिषदों को यह पैसा ट्रांसफर करता है। जिला परिषदें उन स्कूलों, जहां यह छात्र होते हैं, को पुस्तकें और पोशाकें देती है। मेरे लिये यह कहना बड़ा मुश्किल है, किस महीने में देते हैं। अगर यह प्रश्न पंचायत एवं सामुदायिक विभाग से पूछा जाता तो ठीक रहता।

श्री महावीरप्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, 3 लाख 32 हजार छात्रों के लिये जो आपने प्रोवीजन रखा है उसमें से कितने छात्रों को यह सुविधा दी गई है और कितनों को नहीं?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया गया है।

अगला प्रश्न।

श्री हंसराज शर्मा : सहकारी भण्डारों और खादी भण्डारों से जो कपड़े खरीदे जाते हैं, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, विद्यार्थियों को कपड़े दिये जाते हैं वह सिले

(श्री हंसराज शर्मा)

हुए दिये जाते हैं या चड्डी बनियान के टुकड़े दिये जाते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सामुदायिक एवं विकास विभाग से पूछें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि सामुदायिक एवं विकास विभाग को यह राशि ट्रांसफर करने के बाद क्या आपका विभाग उससे यह जानकारी करता है कि यह राशि वितरित कर दी गई है या नहीं की है ?

श्री चन्दनमल बैद : इस तरह की बराबर विभाग से बातचीत करते हैं। चूंकि बराबर का विभाग है सन्देह करने की गुंजाइश नहीं है।

प्रश्न संख्या 491

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री भूराराम।

पिंडवाड़ा व आबूरोड तहसीलों में विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता

492 **श्री भूराराम** (पिण्डवाड़ा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला सिरोही की पिंडवाड़ा आबू रोड तहसीलों में कुल कितने विकलांग व्यक्ति हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनों को सरकार आर्थिक सहायता देती है ? कितने लोगों को सहायता नहीं दी जा रही है ? क्या सरकार इन बकाया वेसहारा विकलांगों को राहत देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक इनको सहायता प्रदान की जावेगी ?

समाज-कल्याण मंत्री (श्री हरसहाय मीणा) : (1) विकलांग व्यक्तियों की कोई अलग से जनगणना नहीं हुई है किन्तु प्राप्त जानकारी के अनुसार पिण्डवाड़ा में 58 तथा आबू रोड तहसील में 52 विकलांग व्यक्ति हैं जिनमें से 18 की मृत्यु हो गयी है।

(2) इन सभी विकलांग व्यक्तियों को 40 रु० माहवार पेंशन स्वीकृत की गई थी जिनमें से 18 की मृत्यु होने के कारण तथा 11 व्यक्तियों के सकुनत पर नहीं रहने के कारण अपनी पेंशन नहीं उठा रहे हैं। शेष 81 व्यक्ति अपनी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा।

प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों की सुरक्षा हेतु स्थापित प्रकोष्ठ की उपलब्धि

493 **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जनजातियों

(श्री नन्दलाल मीणा)

की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु उप खण्ड स्तर पर प्रकोष्ठों का गठन किया गया है ? यदि हां, तो जिला चित्तौड़गढ़ के उपखण्ड प्रतापगढ़ में प्रकोष्ठ में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? प्रकोष्ठ के द्वारा किन किन प्रार्थना पत्रों पर मौके पर जाकर निपटारा किया गया ? कृपया माह जुलाई, 1980 से जनवरी, 1981 तक विवरण सहित ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मन्त्री जी।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरसहाय मीणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे यह प्रश्न समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित नहीं है। गृह विभाग से सम्बन्ध रखता है। इसका अलग से प्रकोष्ठ बना हुआ है। इसका उत्तर गृह विभाग को देना चाहिये था। मैं पेश कर देता हूं।

प्रतापगढ़ उपखण्ड स्तर पर रेवेन्यू कम पुलिस प्रकोष्ठ दिनांक 25-4-80 के राज्यादेशों के अनुकरण में स्थापित किया हुआ है। इस प्रकोष्ठ में 8 प्रतिवेदन पत्र प्राप्त हुये। इन सबका निस्तारण किया जा चुका है। मौके पर निस्तारण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री नन्दलाल मीणा : मन्त्री महोदय ने फर्माया कि यह प्रश्न उनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी उत्तर दे दिया है।

श्री नन्दलाल मीणा : बड़ी कृपा है उनकी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है माह जुलाई, 80 से जनवरी, 81 तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। मन्त्री महोदय ने कहा 8 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। क्या मैं जान सकता हूं कि यह 8 प्रार्थना पत्र किन किन के थे शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के थे ?

श्री नन्दलाल मीणा : मुझे ब्यौरा वगैरह कुछ नहीं मिला है।

श्री हरसहाय मीणा : श्रीमन्, यह जानकारी तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं।

(व्यवधान)

इसका उत्तर दूसरे सैक्शन से आना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। सम्बन्धित विभाग इसका उत्तर देगा।

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां।

सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में नलकूप खोदने हेतु रिग मशीन की उपलब्धि।

494 **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या भू-जल विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) वर्ष 1980-81 में राज्य में कितने नलकूप खोदे गये ? कृपया जिलेवार आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में इस समय कुल कितनी रिग मशीन हैं और कहां कहां पर कार्यरत हैं ? कृपया जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रखें। सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर

(श्री अमीन खां)

में वर्ष 1981-82 में कितने नलकूप खुदाने का विचार है ?

(3) सीमावर्ती जिले बाड़मेर व जैसलमेर व उनमें रेगिस्तानी क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार ने इनके लिये विशेष रिग मशीनें उपलब्ध कराने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितनी ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या जिला बाड़मेर की तहसील बाड़मेर के गांव सजन का पार, लोधका पार, लकड़ी याली, झेलन चाड़वा, खडीन और शिव तहसील के गांव जैसी धी स्टेशन मासेदी, खारची मगरा, भीलों की ढाणी, बंधड़ा, विकूसी, रतडेरी गांवों के लिये इस हेतु सर्वेक्षण हुआ या नहीं ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री घासीराम यादव): (1) नवीन औषधालय खोलते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भू-जल विभाग मन्त्री जी।

(व्यवधान)

उत्तर दिया जा रहा है, सुनिये।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय को कुछ पता ही नहीं है, किसका जवाब देना है, किसका नहीं देना है।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, इस पर आपत्ति है, सदन का समय क्यों बरबाद किया जाता है। भविष्य में नोट करें, मन्त्री महोदय। यह दुबारा हुआ है।

(व्यवधान)

मन्त्री, संसदीय कार्य (श्री हीरालाल देवपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं खेद प्रकट करता हूं। यह चीज ठीक नहीं हुई है। माननीय मन्त्री जी आये नहीं है। मैं माफी मांगता हूं-सदन में विलम्ब हुआ है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माफी मांगने से क्या होता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिये पूर्व में निवेदन किया जा चुका है इस सचिवालय को। शायद इसीलिये माननीय मन्त्री जी नहीं आये।

श्री अध्यक्ष: स्थगित किया गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : भविष्य में ऐसी कोई गलती न हो, ऐसी ताड़ना तो दे दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्थगित करने के लिए आपके पास कोई प्रार्थना पत्र आया है या मन्त्री महोदय आये नहीं, इसलिये रास्ता निकाल लिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मन्त्री महोदय आये नहीं इसलिये स्थगन नहीं मांगा

(श्री हीरालाल देवपुरा)

है मैंने। स्थगित करने के लिये पहले दरख्वास्त दे दी गई है सचिवालय को।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा सचिवालय में इसकी सूचना है कि इसका उत्तर तैयार नहीं हुआ है इसलिये इसको स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री: पहले ही आप फर्मा देते तो सदन का वक्त जाया नहीं होता।

एक माननीय सदस्य: पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें तभी तो व्यवस्था दूं वरना व्यवस्था नहीं दे सकता हूं। (व्यवधान) स्थान ग्रहण कीजिये।

प्रश्न सं 494 के बारे में हमारे कार्यालय में इस बात की सूचना सम्बन्धित विभाग ने दी कि इसको पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है इसलिये इसको स्थगित किया जाय। स्थगन के लिये अधिकृत रूप से सम्बन्धित मन्त्री जी अथवा अन्य किसी मंत्री को प्रार्थना करनी चाहिये थी, वह नहीं की गई लेकिन कुछ समय पश्चात् वह बात भी हो गई। ऐसा आम तौर पर नहीं होना चाहिये।

जहां तक प्रश्नों को स्थगित किये जाने का प्रश्न है, मैं समझता हूं इस सत्र में जितने कम प्रश्न स्थगित हुए हैं उतने शायद पूर्व में नहीं हुए। 20–25 साल का मेरा भी अनुभव है, आपका भी अनुभव है। कभी कभी कुछ कारणों से स्थगित करना पड़ता है। अब इस विषय को यहीं समाप्त किया जाय, क्योंकि समय जा रहा है....

(व्यवधान)

मैंने निवेदन कर दिया है।

अगला प्रश्न।

कुम्हेर क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जन जाति बहुल ग्रामों में नवीन औषधालय खोलना

495 **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर): क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

क्या सरकार कुम्हेर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उन ग्रामों में जिनमें कि अनुसूचित जाति अथवा जन जाति के लोग वहां की आबादी में 50 पर्सेन्ट से अधिक है, उनको चिकित्सा सुविधा देने के लिये नवीन औषधालय खोलने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री घासी राम यादव): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफसोस है कि गलती से मैं पहले 494 का जवाब दे चुका।

नवीन औषधालय खोलते समय इस पर विचार किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री हरिसिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है जब अनुसूचित जाति एवं जन जाति के

(श्री हरिसिंह)

लोगों का नौकरियों में आरक्षण होता है, और चीजों में भी आरक्षण होता है तो औषधालय खोलने के लिये क्या नीति है? जहां 50 पर्सेन्ट से अधिक अनुसूचित जाति एवं जन जाति की आबादी है, मैंने पूछा है, उन गांवों में औषधालय खोलेंगे क्या ?

श्री घासीराम यादव : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कम्पोनेन्ट प्लान में समाज कल्याण के तहत हम 9 औषधालय पहले खोल चुके हैं 6 और खोलने का विचार है।

श्री हरिसिंह : मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है, कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के 50 पर्सेन्ट से अधिक लोग है उनमें औषधालय खोलने का इरादा रखते है या नहीं ?

श्री घासीराम यादव : 9 तो हम इस प्लान के तहत खोल चुके हैं, 6 और खोलेंगे। उस समय माननीय सदस्य के क्षेत्र में और विचार कर लिया जायेगा। माननीय सदस्य ने मुझे और क्षेत्र की सूचना दे रखी है, जिसमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोग हैं ही नहीं।

श्री हरिसिंह : 50 पर्सेन्ट से जो अधिक आबादी वाले गांव है उनमें राज्य सरकार की स्पेसिफिक नीति क्या है ?

श्री घासीराम यादव : 16 पर्सेन्ट पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति एवं जन जाति पर रुपया लगाया जायेगा उसमें 9 औषधालय खोल दिये गये हैं बाकी और खोलेंगे। उसमें माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र आयेगा तो उस पर और विचार किया जायगा। अभी जो माननीय सदस्य ने दरख्वास्त दे रखी है डायरेक्टर महोदय को और मुझे, उसमें 50 पर्सेन्ट से कम आबादी है।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : मेरा प्रश्न है जहां 50 पर्सेन्ट से अधिक आबादी है वहां औषधालय खोलने की राज्य सरकार की क्या नीति है ?

श्री घासीराम यादव : अभी नहीं खोले गये हैं लेकिन आइन्दा जब खोलेंगे तो इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं) : मूल प्रश्न यह है कि 50 पर्सेन्ट से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी वाले गांवों के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर औषधालय खोले जायेंगे क्या? अगर हां, तो क्या माननीय सदस्य की कान्सीट्यूएंसी में ऐसा औषधालय खोलने का विचार सरकार रखती है क्या ?

श्री घासीराम यादव : बाकी के जो औषधालय खोलेंगे उस समय माननीय सदस्य का जो विधान सभा क्षेत्र है, उसमें अगर ऐसा होगा तो देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हेमाराम चौधरी।

ग्राम गांधव (बाड़मेर) की डिस्पेंसरी में डाक्टर व कम्पाउन्डर का पद स्थापन

496 **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ामालानी) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री हेमाराम चौधरी)

(1) जिला बाड़मेर के ग्राम गांधव में डिस्पेन्सरी की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम गांधव में डिस्पेन्सरी स्वीकृति के बाद से अभी तक डाक्टर व कम्पाउण्डर का पद स्थापन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) वर्ष 1977–78 में।

(2) जी हां। गांधव में डिस्पेन्सरी के लिये भवन के अभाव में डिस्पेन्सरी चालू नहीं हो सकी। भवन की व्यवस्था जनता द्वारा करनी है। ज्योंही व्यवस्था हो जायेगी डिस्पेन्सरी चालू कर दी जायगी।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि राज्यादेश के द्वारा एक कम्पाउंडर का वहां पर पद स्थापन हुआ है लेकिन सी० एम० एच० ओ० बाड़मेर द्वारा उसकी पालना नहीं की जा रही है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सही है कि कम्पाउन्डर का पद स्थापन डिस्पेन्सरी के नाम पर अवश्य हुआ है लेकिन वहां भवन की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसको बाड़मेर ही रखा हुआ है।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए वहां पर पंचायत भवन बना हुआ है, सराय भी खाली पड़ी है। हम उसके लिए भी व्यवस्था करने को तैयार हैं। अगर हम पंचायत भवन दें तो क्या कम्पाउन्डर भेजने के लिए तैयार हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर मकान की व्यवस्था हो जायेगी तो हम कम्पाउन्डर वहां तत्काल भेज देंगे।

श्री हेमाराम चौधरी : मकान की व्यवस्था कराने का मैं आज ही आश्वासन देता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर आप मकान का आश्वासन देते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, कम्पाउन्डर और डाक्टर को भेजने का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वहां व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, जैसा कि सरकार ने इस तरह से आश्वासन दिया है, जहां पर गांव वाले भवन उपलब्ध करवा देंगे, नये भवन बनवा देंगे उन सभी जगह व्यवस्था करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की समझ में प्रश्न नहीं आया। यहां डिस्पेन्सरी के आर्डर हो चुके थे, डिस्पेन्सरी खोली जा चुकी थी और इस शर्त पर खोली गयी थी कि भवन गांव वालों द्वारा दिया जायेगा। यह आश्वासन कोई देने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार को फाइनेंस को देखना पड़ता है और वित्तीय साधन देखने पड़ते हैं, यह बात सही है····

श्री अध्यक्ष : कोई भवन खाली नहीं पड़ा है क्या ?

श्री महाराम चौधरी : मेरा आपको पूछने का यही मतलब है।

श्री अध्यक्ष : मकान बनाये गये थे वह खाली नहीं हैं क्या ?

श्री हेमाराम चौधरी : मैं कहता हूं, मकान खाली पड़ा है, 5-7 कमरे हैं, पंचायत भवन है, सराय खाली पड़ी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य, वित्तीय साधनों को भी देखना पड़ेगा।

श्री रामधन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जैसा बताया कि इजाजत लेकर भवन बनाया जाता है, यह भवन जब तैयार हो जाता है तो उसमें डाक्टर या डिस्पेन्सरी लगाते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सरकार ने इजाजत दी, मकान बनाने की तो....

श्री महाराम चौधरी : इसमें कोई नहीं खोली गयी, इसके क्या कारण है ? अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर दिलवा दीजिए। जहां भवन तैयार नहीं है, वहां खोली जाती है। यह भ्रष्टाचार का मामला है, यह इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सवाल से परिचित नहीं हैं। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। वह लूणी नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आया हुआ है, मलेरिया का प्रकोप वहां रहता है। उसकी परिस्थिति मालूम नहीं है।

अगला प्रश्न : श्री फतेसिंह।

कुशलगढ़ क्षेत्र में संचालित छात्रावास

497–**श्री फतेसिंह** (कुशलगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कुशलगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास हैं और किस किस छात्रावास में कितने–कितने छात्र आवास कर रहे हैं ?

(2) इस क्षेत्र में कुल कितने छात्रावास राजकीय भवन में एवं कितने छात्रावास किराये के भवनों में चल रहे हैं ?

(3) क्या सरकार इस क्षेत्र में अन्य कोई छात्रावास खोलने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ में बालकों के छात्रावास के निर्माण हेतु कुशलवाड़ा ग्राम पंचायत से भूमि दान में ली गई है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर कब तक छात्रावास निर्माण होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो उक्त दान में ली गई भूमि का क्या उपयोग हो रहा है ?

(5) क्या कुशलगढ़ में ईसाई मिशनरी द्वारा कोई छात्रावास चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसमें कितने छात्र हैं तथा उनकी देख-रेख कौन करता है ?

(6) क्या इन ईसाई छात्रों को भी समाज कल्याण से व शिक्षा विभाग से कोई छात्रवृति दी जा रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

वन मन्त्री (श्री दुलाराम) : इसका उत्तर नहीं आ सका है इसलिए मैं इसे स्थगित करने की प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

(व्यवधान)

प्रश्नों का उत्तर आने दीजिए।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न को स्थगित करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : किस नियम के अन्तर्गत यह सवाल स्थगित हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। वयोवृद्ध सदस्य।

श्री राजबहादुर : किस नियम के तहत स्थगित किया जाता है ? मैंने बहुत देखा, नियम कोई नहीं है, जिसके अन्तर्गत स्थगित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : तो परम्परा हो गयी, बहुत वर्ष हो गये।

श्री राजबहादुर : जो कुछ भी है लेकिन नियम नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : यह जो प्रश्न रखा गया है, आपने कहा कि स्थगित किया जाय। इसमें तो कोई सूचना ही नहीं मांगी गयी है, पता नहीं क्यों स्थगित किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर उत्तर देंगे। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। समाप्त कीजिए इसको।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल को ही समाप्त कीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

एक माननीय सदस्य : बीच में एक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष : कौन सा प्रश्न ?

एक माननीय सदस्य : 498 रह गया बीच में।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे प्रश्न को देख लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं कई बार नाम पुकार देता हूं, उसके बाद माननीय सदस्य बोल देते हैं, बोलते रहते हैं और मैं उसको टिक मार्क कर देता हूं, इसलिए कभी-कभी भूल हो जाती है।

श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री दीपेन्द्रसिंह।

राजस्थान विश्वविद्यालय का मुद्रणालय

498. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का स्वयं का कोई मुद्रणालय है ? यदि हां, तो कहां पर स्थित है व कब से स्थापित है ? इस प्रिन्टिंग प्रेस को किस कार्य में लिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि स्वयं का मुद्रणालय होते हुए भी अधिकतर कार्य बिना टेण्डर आमन्त्रित किये बाहर के मुद्रणालयों से कराया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) प्रिन्टिंग प्रेस की कीमत क्या है ? इतनी बड़ी रकम व्यय करने के पश्चात् भी क्या विश्वविद्यालय स्वावलम्बी नहीं है ? प्रिन्टिंग प्रेस लगाने के पश्चात् आज तक

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
अन्य बाहरी प्रिन्टिंग प्रेसेज को मुद्रण संबंधी कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित साहित्य छपाने के मामलों में काफी अनियमिततायें और पर्याप्त गबन हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय का मुद्रणालय विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। यह 1962 से स्थापित है। इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय का मुद्रण कार्य होता है।

(2) यह सही है कि विश्वविद्यालय का अपना प्रेस होते हुए भी अत्यावश्यक एवं अपरिहार्य स्थितियों में बाहर के प्रेसों से भी कार्य कराया जाता है। इसके लिये टेण्डर आमन्त्रित किये जाते हैं। तथा नियमानुसार ही दूसरी प्रेसों को कार्य दिया जाता है। ऐसा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को समय पर आयोजित करने की बाध्यता के कारण ही किया जाता है। परीक्षा समय अति निकट होने से सन् 1980 की कुल रोल लिस्टें बिना टेण्डर आमन्त्रित किये 1979 की निविदा दरों पर बाहरी प्रेसों को दी गयीं।

(3) वर्ष 1978-79 की बैलेंसशीट के अनुसार विश्वविद्यालय प्रेस की कीमत 6,39,138.80 रुपये है। वर्ष 1978-79 से 1980-81 तक बाहरी प्रिन्टिंग प्रेसेज को मुद्रण कार्य हेतु निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया :—

1978-79	4,53,602.75
1979-80	6,77,059.23
1980-81	7,59,273.10

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि प्रेस है और यह भी बताया कि अधिक काम होने से पेपर बाहर छपवा लिये जाते हैं। मेरी जानकारी जहां तक है, प्रेस का उपयोग नहीं किया जाता और बाहर से बिना टेण्डर आमन्त्रित किये छपायी करायी जाती है। पिछले दिनों, यह भी कहा कि कई गड़बड़ घोटालों की बातें आयी थीं। आपने कहा प्रश्न ही नहीं उठता, किस बात का नहीं उठता; यह तो नहीं बताया। नहीं उठता, जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता। माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट उत्तर दें। जो कहा, चार लाख समथिंग 78-79 में, 6 लाख 79-80 में और 7 लाख 80-81 में, ये कोई परम्परा बन गयी कि बाहर से ही छपवाई जायेगी।

श्री चन्दनमल बैद : आपने पूछा, गबन हुआ है ? मैंने कहा, जी नहीं। आपने कहा इन्क्वायरी करायेंगे तो मैंने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी बात पूछी कि ज्यादातर काम बाहर से ही छपवाया जाता है। इसका उत्तर है, क्योंकि कभी-कभी जल्दी काम कराना पड़ता है, इसलिए वहां के प्रेस में और बाहर भी काम होता है। वह टेण्डर लेकर किया जाता है। एक दफा चूंकि जल्दी थी इसलिए 79 के टेण्डर पर 80 में काम दे दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 80 में तो प्राइसेस बढ़नी चाहिए थी, इसलिए 79 के टेण्डर से अगर 80 में काम कराया गया तो बुरी बात नहीं है। 78-79 में करीब 4

(श्री चन्दनमल बैद)

लाख का प्रेस में हुआ, इतना ही विश्व-विद्यालय की प्रेस में हुआ, 79 में 6 लाख का हुआ और 80 में 7 लाख का हुआ तो इससे करीब-करीब थोड़ा ज्यादा कम 50 पर्सेन्ट काम वहां होता है और 50 पर्सेन्ट काम बाहर होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है। क्या आप यह गलत नहीं मानते कि प्रेस को सक्षम नहीं बनाया जाय? क्या आप प्रेस को सक्षम नहीं बनाना चाहते? साथ ही मैं यह जानना चाहती हूं कि किन-किन प्रेसों में बाहर काम करवाया गया है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अलग से प्रश्न नहीं है। मन्त्री महोदय के पास सूचना है वे उत्तर देना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : आप आदेश दें तो सूचना दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : यदि सूचना उपलब्ध है तो दे दें।

श्री चन्दनमल बैद : जिन बाहर के प्रेसों में छपवाई कराई गई है उसकी मेरे पास 1980 की सूचना है, वह इस प्रकार है :–

मैसर्स राजस्थान प्रिंटिंग वर्क्स	65,451.00
,, बोम्बे प्रिन्टर्स	71,051.40
,, आर० के० प्रिन्टर्स	62,516.00
,, पापूलर प्रिन्टर्स	23,936.40
,, मोती प्रिन्टर्स	91,105.20
,, हरिहर प्रिन्टर्स	70,168.10
,, डायमंड प्रिन्टर्स	94,662.00
,, चन्द्रोदय प्रिन्टर्स	28,381.30
,, मदरलैंड प्रिंटिंग प्रेस	35,618.00
,, गर्ग प्रिन्टर्स	50,642.50
,, गोपाल आर्ट्स प्रिन्टर्स	56,362.00

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मन्त्री महोदय कृपया यह बतायें कि क्या आप यह उचित नहीं समझते कि यूनिवर्सिटी प्रेस को इतना सक्षम बना दिया जावे कि जो नियमों के विपरीत बाहर से छपवाई करानी पड़ती है वह नहीं करानी पड़े। मैं आपको कहना चाहूंगी कि निरन्तर जब बाहर से छपाई कराते हैं तो उससे पेपर आउट होते हैं, प्रिन्टिंग मिस्टेक्स होती हैं। आप पिछले पेपर उठा कर देख लें उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। ऐसी हालत में क्यों नहीं यूनिवर्सिटी प्रेस अपनी जिम्मेदारी वहन करता? आप सक्षम बनाने के लिए क्या इस बात की जांच करेंगे कि उसमें क्या खराबी है, क्यों पूरा काम नहीं कर पाता है? मैं समझती हूं कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। बाहर से छपाई कराई जाती है यह उचित नहीं है मेरी दृष्टि में। क्या आप इसको बन्द करके यूनिवर्सिटी प्रेस को ही सक्षम बनाने का विचार रखते हैं?

श्री चन्दनमल बैद : मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्या को जो हर जगह घोटाला दिखता है वह सही नहीं है। उनको हर जगह घोटाला नहीं देख कर, सही स्थिति देखनी चाहिए।

13

(श्री चन्दनमल बैद)

दूसरी बात उन्होंने कही कि क्या यह अनुचित नहीं है। यह राय उनको रखने का अधिकार है, वे उसको अनुचित कह सकती हैं लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब आवश्यकता होगी तो बाहर से भी काम करवाना पड़ सकता है।

जहां तक सक्षम बनाने की बात है, सक्षम बनाने के लिए धन की जरूरत होती है और धन की उपलब्धि हो तो यूनिवर्सिटी प्रेस को सक्षम बनाया जा सकता है जिससे बाहर काम नहीं कराना पड़े लेकिन सबसे पहले धन की उपलब्धि होना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्रसिंह।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से तीन सवाल पूछना चाहता हूं सप्लीमेंट्री के बतौर। एक तो यह कि जो काम बाहर से करवाया जाता है, क्या वह काम यूनिवर्सिटी प्रेस के ओवर लोडेड होने के कारण करवाया गया है या कभी किसी समय यूनिवर्सिटी प्रेस बंद होने की वजह से करवाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर दें। मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रेस केनेजर मै के लड़के के नाम से उसका घरेलू प्रेस जयपुर शहर में स्थित है, बहुत सा काम यूनिवर्सिटी प्रेस में न करवा कर उस लड़के के घरेलू प्रेस में मैनेजर करवाता है, क्या आप इस बात की इंक्वायरी करवायेंगे?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं बता चुका हूं, यह घरेलू प्रेस की बात मुझे भी कल बताई गई थी, मैंने इसकी जानकारी की है। यह काम 11 प्रेसों में हुआ है, 65 हजार, 71 हजार, 62 हजार, 91 हजार, 70 हजार, 94 हजार, 35 हजार, 50 हजार और 56 हजार के काम हुए हैं। यानि सभी को करीब करीब पचास हजार से एक लाख तक का काम दिया गया है। इस वास्ते यह कहना कि घरेलू प्रेस में काम होता है, उसमें कौन सा घरेलू है और कौन सा बेघरू प्रेस है, मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी प्रेस के मैनेजर के लड़के के प्रेस में काम हुआ है या नहीं हुआ है? काम हुआ है तो कितना हुआ है और किस प्रकार से काम लिया गया है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, मैं वास्तविक बात को जानता हूं कि वहां पर किस तरह से दस प्रेस वाले मिल कर टेंडर देते हैं और सारा काम बांट लेते हैं। घटिया दरों पर टेंडर देते हैं। फिर मैनेजर उनसे लिखवा लेता है कि उनसे काम नहीं हो सकता है। उसके बाद मिल कर बाहर उनके लड़के के प्रेस में काम करवाया जाता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की गड़बड़ियों की क्या आप जांच करवायेंगे?

मेरा दूसरा निवेदन यह है.......

श्री चन्दनमल बैद : पहले एक का जवाब दे दूं।

अध्यक्ष महोदय, आपको जो असंतोष है उसके लिए मुझे दुःख है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि 11 प्रेसों में यह काम करवाया गया है। इनमें से कौनसा घरेलू प्रेस है यह मेरी

(श्री चन्दनमल बैद)

जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य मुझे यह जानकारी देंगे और मुझे मालूम करवायेंगे तो मैं जरूर इसकी जांच करवाऊंगा। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि कुल 11 प्रेसों में काम करवाया गया है। उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 91 हजार का और नीचे में नीचे 65 हजार का है। कुल मिलाकर 6 लाख 49 हजार 893 रुपयों का काम करवाया गया है। ऐसी स्थिति में यह कहना....

श्री देवेन्द्रसिंह : मदरलैंड प्रेस में कितना काम करवाया गया है।

श्री चन्दनमल बैद : मदरलैंड से 366-18) रु. का काम करवाया है। दूसरा पोपुलर प्रिंटिंग प्रेस है जिससे 23936) रु. का काम करवाया गया है।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह विश्वविद्यालय का प्रेस है इसकी कुल क्षमता कितनी है? नम्बर वन। नम्बर-टू, इस क्षमता से कितना कम काम यूनिवर्सिटी प्रेस में छपता है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि यूनिवर्सिटी प्रेस की....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पूछने की इजाजत चाही गई थी वह मैंने अलाऊ कर दिया। आपके प्रश्न को मैं वेग घोषित करता हूं। अगला प्रश्न।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : समय भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको अवसर देता हूं, विषय आपकी पकड़ में नहीं आता तो मेरा दोष नहीं है।

श्री नाथूसिंह : इसमें बहुत बड़ा घोटाला है.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : केवल एक प्रश्न। क्या क्षमता से कम छपवाई होती है और जान बूझ कर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर! आर्डर आर्डर! भाषण नहीं, माननीय सदस्य। समय बर्बाद नहीं करें, माननीय सदस्य....

श्री नाथूसिंह : क्या क्षमता से कम काम होता है? होता है तो क्यों होता है, यह बता दें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि कल जो पर्चा आउट हुआ वह कौन से प्रेस में छपा था?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं देंगे जवाब। अगला प्रश्न....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : प्रेस के मैनेजर के लड़के का प्रेस है और उसमें काम करवाने के लिए..

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : × × ×

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने अवसर दे दिया। विषय आपकी पकड़ में नहीं आता है, यह आसन का दोष नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर–ग्रामीण) : क्या माननीय मन्त्री महोदय जांच करवायेंगे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, मन्त्री महोदय ने ठीक तरह से उत्तर दे दिया है...

(व्यवधान),

आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। या तो पूरक प्रश्न ठीक से नहीं पूछे जा रहे या उत्तर ठीक से नहीं दिया जा रहा है, यह तो सदन के लिए सोचने का विषय है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है इसलिए स्थान ग्रहण करें।

श्री उम्मेदसिंह।

पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर समायोजित पंचायत प्रसार अधिकारियों का वेतन निर्धारण

499 **श्री उम्मेदसिंह राठौड़** (डीडवाना) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (13) (9) जी. ए. सी 61 दिनांक 19–20 मई, 1961 के अन्तर्गत पंचायत-प्रसार अधिकारी का पद समाप्त होने पर, इस पद पर कार्य कर रहे कितने पंचायत प्रसार अधिकारियों का पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर समायोजन किया गया?

कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर समायोजित किये गये कर्मचारियों को वित्त विभाग के आदेश संख्या 2430 (एफ. डी) ई–11–जी. एल। 61 दिनांक 21 जून; 1961 के द्वारा वेतन श्रृंखला रु. 110–225 दिये जाने के आदेश थे ? यदि हां, तो पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर, वेतन निर्धारण वेतन श्रृंखला रु. 80–200 में क्यों किया गया ?

शिक्षा मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) 29 पंचायत प्रसार अधिकारियों का पुस्तकालयाध्यक्ष पद पर समायोजन किया गया। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। परन्तु वित्त विभाग ने पुनः 20 जुलाई, 1961 के आदेश द्वारा पहले आदेश का संशोधन कर 80–200 वेतन श्रृंखला देने का आदेश प्रसारित किया। यह दोनों आदेश वित्त विभाग ने प्रसारित किये हैं। अतः इसका सम्बन्ध वित्त विभाग से है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री वंशीलाल पटवा।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जिला भीलवाड़ा में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की दुकानें

500 **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भीलवाड़ा में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की कितनी दुकानें किन किन स्थानों पर खुली हुई हैं ?

(2) इनमें कितनी दुकानें सहकारी समितियों के पास तथा कितनी निजी व्यक्तियों के पास हैं ?

(3) उपरोक्त वितरण की दुकानें किन किन तिथियों से चालू हैं तथा किन किन स्थानों पर कितनी अवधि से ऐसी दुकानें बन्द पड़ी हैं ? किन किन स्थानों पर कितनी अवधि से चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेंट, डीजल आदि उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ? यदि नहीं, तो रसद विभाग ने कौन से ऐसे आवश्यक कदम उठाये और उनके क्या परिणाम निकले ?

खाद्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) भीलवाड़ा जिले में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की विभिन्न स्थानों पर खुली हुई दुकानों की सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में सहकारी समितियों एवं निजी व्यक्तियों के नाम अंकित कर दिये गये हैं।

(3) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में संलग्न सूची में ही दुकानों के चालू होने की तिथि भी अंकित है। कोई दुकान बन्द नहीं है और सभी दुकानें कार्यरत हैं। उपलब्धि एवं आवश्यकता के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों को सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

मिट्टी का तेल सभी जगह आसानी से उपलब्ध है और इसके वितरण पर 23-3-81 से कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

सीमेंट का वितरण परमिट के आधार पर किया जा रहा है।

डीजल का वितरण आवश्यकतानुसार बिना प्रतिबंध किया जा रहा है एवं कोई समस्या नहीं है।

नियंत्रित चीनी का वितरण भीलवाड़ा जिले की समस्त तहसीलों में उपलब्धि के अनुसार प्रारम्भ कर दिया गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री बंशीलाल पटवा : जो मुझे, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने सूची दी है, उसके अनुसार लगभग पौने तीन सौ दुकानें सार्वजनिक वितरण की है। इस सम्बन्ध में····

श्री चन्दनमल बैद : 396 हैं।

श्री बंशीलाल पटवा : तीन सौ के करीब हैं।

श्री चन्दनमल बैद : तीन सौ के करीब नहीं, 396 है।

श्री बंशीलाल पटवा : मंत्री महोदय बतायें कि कहां कहां दुकानें बन्द पड़ी हैं ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि स्वरूपगंज में कितने महीने से दुकानें बन्द पड़ी हुई हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, 396 दुकानों के बारे में, एक एक दुकान के

(श्री चन्दनमल वैद)

बारे में यहां जयपुर में बैठकर समाचार देना या उसके बारे में सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, पर्टीक्यूलर के लिये पूछ रहा हूं, स्वरूपगंज को दुकान कब से बन्द पड़ी हुई है ?

श्री चन्दनमल बैद : मेरी जानकारी में कोई दुकान बन्द नहीं है।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, कई क्षेत्रों में चीनी वितरण नहीं हो रही है, कैरोसिन नहीं मिल रहा है, मेरे क्षेत्र में ''

श्री अध्यक्ष : आपने स्पेसिफिकली किसी गांव का नाम नहीं दिया है। लम्बी चौड़ी सूची में 396 दुकानों के बारे में आवश्यकतानुसार जानकारी दी है। इतने अल्पकाल में सदन में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

अगला प्रश्न।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अवसर दें। मेरे क्षेत्र का मामला है, बड़ी परेशानी है। आज जो चीनी वितरण के लिये दी जाती है वह कहीं भी वितरित नहीं की जा रही है।

श्री चन्दनमल बैद : जो कन्ट्रोल की चीनी है वह भीलवाड़ा जिले की हर तहसील में वितरित की जा रह है। जनवरी की दी जा रही है. फरवरी की दी जा रही है।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ कई ऐसे गांव हैं, जहां चीनी पहुंच नहीं रही है।

श्री अध्यक्ष : दी जा रही है। बोरियां आ गई हैं। अब वह किसी के नाम से कहीं पड़ी हैं उनके नाम से दी जायेगी।

श्री बंशीलाल पटवा : चार महीने से स्वरूपगंज में चीनी का वितरण नहीं हो रहा है ? चीनी ग्रामीण सेवा सहकारी समिति ने हड़प कर ली। इस ओर ध्यान दिलाया गया है। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं, जिनका तालमेल नहीं बैठता है। नदी, नाला पड़ता है। इस तरह से चीनी के लिये हर किसान परेशान हो रहा है।

श्री चन्दनमल बैद : यह बात स्पेसिफिकली पूछते। सारे जिले की जानकारी पूछी है, 396 दुकानें हैं। कहीं नदी नाला पड़ता है, कहीं पहाड़ पड़ता है, यह जवाब देना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल।

नगरपालिका/नगर परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को भवन ऋण

501. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नगरपालिका एवं नगर परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु ऋण देने की योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या उक्त योजना में नगरपालिका एवं नगर परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्ष 1979 से 1980-81 में अब तक

(श्री गोपाल पचेरवाल)

भवन निर्माण हेतु ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस नगरपालिका एवं नगर परिषद द्वारा कितना कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) जी हां। ऋण देने के नियम 1979 से प्रभावशील हैं।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो प्रथम भाग है, उसमें माननीय मंत्री महोदय ने कहा, जी हां। मैं यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को भवन निर्माण हेतु ऋण दिये जाने का जो बजट प्रावधान है, उसमें हरिजनों, सफाई कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ऋण दिये जाने का प्रावधान है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो नियम बने हुए हैं....

श्री गोपाल पचेरवाल : वही तो जानकारी चाहता हूं, क्या नियम बने हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जो नियम लागू होते हैं वही नियम समान तौर पर लागू किये गये हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : क्या यह सही है कि बजट में जो प्रावधान है उसमें एक निश्चित पर्सेन्ट सफाई कर्मचारियों के लिये सुरक्षित है या आवश्यक है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो कर्जा दिया जाता है उसका 50 पर्सेन्ट सफाई कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये आरक्षित है।

श्री गोपाल पचेरवाल : मन्त्री जी ने जो सूची सदन के पटल पर रखी है, उसमें जो ऋण वितरण किया है वह उच्च पदाधिकारियों को और कमिश्नर को ही दिया गया है ? इसमें सफाई कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों को नहीं दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो सूचना मांगी थी कि किस-किस को दिया गया, वह मैंने दे दी।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने पैसा दिया है, हजारों रुपये का ऋण दिया है। किसको दिये हैं ? कमिश्नर को दिया है ? सफाई कर्मचारियों को दिया है ? इन्सपेक्टर को दिया है, या रेवेन्यू इन्सपेक्टर को दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नियमानुसार कर्मचारियों को दिया गया है। जिनकी दरख्वास्त ली उनको दिया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने उसकी सूचना दी है जो नगरपालिकाओं और नगरपरिषदों का ऋण दिया गया है। क्या यह सही है कि ऋण केवल मात्र वहां के कमिश्नर, वहां के उच्चाधिकारियों को दिया गया है ? आपने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, 50 प्रतिशत सफाई कर्मचारियों के लिये, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये प्रावधान है। तो क्या नियमों की अवहेलना की गई है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री दीपेन्द्रसिंह : इनके पल्ले नहीं पड़ती अपनी बात।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा; मन्त्री महोदय ने बताया कि 50 प्रतिशत ऋण सफ़ाई कर्मचारियों के लिये, या जो सफाई का काम करते हैं उनके लिये भवन बनाने के लिये दिया जाता है। तो क्या उस 50 प्रतिशत का उपयोग हो गया?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से सवाल है।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : बहुत सही कह रहे हैं; अलग से प्रश्न है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अलग प्रश्न कैसे हो गया? मन्त्री महोदय ने बताया कि 50 प्रतिशत सफाई कर्मचारियों के लिये है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें, यह आपने सूचना नहीं चाही है। अलग से प्रश्न है यह।

श्री गोपाल पचेरवाल : सप्लीमेंट्री तो कर सकते हैं।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : इस तरह जद्दोजहद नहीं होगी। जब मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा उस समय कृपया स्थान ग्रहण करेंगे।

श्री दीपेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हरिजनों को जमीन आवण्टन का सवाल है, बड़ा मूल सवाल है।

श्री अध्यक्ष : जमीन का सवाल नहीं है। लोगों का सवाल है।

श्री दीपेन्द्रसिंह : पहली बार मन्त्री महोदय ने बढ़िया जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी और आप आपस में सवाल जवाब के लिये तय कर लें तो भी मैं नहीं पूछने दूंगा।

आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्रसिंह : यह मुन्नाजी का सवाल नहीं है, वह मेडिकल तक सीमित थे।

प्रश्न संख्या–502

श्री अध्यक्ष : श्री भरोसीलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती विद्या पाठक।

मेडिकल कालेज में फारेन्सिक मेडिसन के सेवारत डाक्टर

503. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के मेडिकल कालेज में फोरेन्सिक मेडिसन के कुल कितने पद, कौन-कौन से हैं ?

(2) उनमें कितने डाक्टर कार्यरत हैं ?

(3) उनमें से कितने डाक्टर्स के सेवा सम्बन्धी मामले किन कारणों से न्यायालयों में चल रहे हैं और कितने समय से ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) राजस्थान के मेडिकल कालेजों में फारेन्सिक मेडिसन के कुल पद निम्न हैं :– रीडर–5, लैक्चरार–5, वरिष्ठ प्रदर्शक–14.

(2) कुल 24 पदों के विरुद्ध 19 डाक्टर कार्यरत हैं।

(3) उपरोक्त में से पांच चिकित्सकों के मामले न्यायालय में विचाराधीन है जिनके नाम निम्न है :–1) डा. एम. आर. गोयल, रीडर, 2) डा. बी. एल. असावा, रीडर, 3) डा. एस. के. पाठक, 4) डा. एन. के. कोठारी, 5) डा. डी. के. शर्मा।

1) डा. एम. आर. गोयल का स्वयं की पदावनति के सम्बन्ध में मई 79 से सिविल सेवा अपीलेट अधीकरण के विचाराधीन है।

2) डा. बी. एल. असावा ने उच्चतम न्यायालय में डा. वी. पी. गुप्ता तथा डा. पी. दयाल व्याख्याता के पद पर चयन के सम्बन्ध में आर. पी. एस. सी. के विरुद्ध वर्ष 1975 में किया था जिसमें अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

3) तीसरा मामला डा. बी. एल. असावा का सिविल सेवा अपीलेट अधिकरण में ए. सी. आर. रिपोर्ट वर्ष 1976–77 व 1977–78 के विरुद्ध वर्ष 1979 से पेंडिंग है।

4) डा. एस. के. पाठक तथा एन. एस. कोठारी के विरुद्ध डा. एम. आर. गोयल ने उनके व्याख्याता के पद पर आर. पी. एस. सी. के द्वारा अनियमित चयन के विरुद्ध डिवीजन बैंच राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश की है जो कि 5-11-79 से विचाराधीन है।

5) मई, 1980 में होने वाली डी. पी. सी. में डा. पी. दयाल को रीडर के पद के लिये कन्सीडर किये जाने के सम्बन्ध में डा. एस. के. पाठक ने हाई कोर्ट में रिट की जो कि पहले प्री-मेच्योर होने के कारण रिजेक्ट हुई किन्तु यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है।

6) इसके अलावा डा. डी. के. शर्मा लैक्चरार ने आर. पी. एस. सी. द्वारा स्वयं को लैक्चरार पद के लिये साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाये जाने के कारण आर. पी. एस. सी. तथा राज्य सरकार के खिलाफ 23-2-81 को हाई कोर्ट से स्टे लिया है जो कि 23-3-81 को खारिज हो चुका है किन्तु रिट अभी विचाराधीन है।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगी। मन्त्री महोदय ने जो जानकारी दी है वह समुचित जानकारी नहीं दी है। आपने बताया है कि मेडिकल कालेज में 24 डाक्टरों के पद फोरेन्सिक मेडिसन के हैं। मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहती हूं कि 24 में से 10 ही फोरेंसिक डिपार्टमेंट के आते हैं बाकी 14 डिमान्स्ट्रेटर डाक्टर हैं वे सी. ए. एस. सर्विसेज के हैं। मैं यह प्रश्न करना चाहती हूं, क्या यह सही है कि 1977 में मेडिकल साइंसेज आफ इण्डिया एसोसियेसन ने राजस्थान यूनिवर्सिटी और राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा कि कुछ ऐसी व्यवस्था मेंडेटरी की जानी चाहिये जिसमें एक प्रोफेसर, एक रीडर, और कुछ लेक्चरार और सौ विद्यार्थियों के पीछे एक डिमांस्ट्रेटर हो? क्या इस व्यवस्था को फोलो किया जा रहा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है। मैंने 24 पद बताये जिनमें पांच रीडर, 5 लेक्चरार और 14 मुख्य प्रदर्शक है। उनमें 24 में से 19 पदों पर कार्यरत हैं, पांच पर नहीं हैं। 14 जो सीनियर डिमांस्ट्रेटर के पद हैं उनमें से, अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग सी. ए. एस. वाले हैं जिनको डेपुटेशन पर लिया गया है। फोरेंसिक मेडिसन के लिए वे क्वालिफाइड नहीं है।

तीसरा सवाल जो पूछा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस सवाल से संबन्धित नहीं है। आपने पालिसी की बात पूछी कि मेडिकल साइन्स इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है। यह तो आपने पहले पूछा नहीं था। आपने पूछा कितने पद है, वे पांच पद बता दिये। इसके अलावा पूछा कि कितने-कितने लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं वे बता दिये। अब यह प्रश्न आप अलग से पूछ रही हैं तो अलग से दे दीजिये इसका जरूर जवाब दे दूंगा।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो 14 सीनियर डिमांस्ट्रेटर के पद बताये उनमें से एक भी डिपार्टमेंट आफ फोरेंसिक मेडिसन का नहीं है। सारे सी. ए. एस. हैं। इसलिये जो 60-40 का मेडिकल कराने का जो रेशयो है ये सी.ए.एस. लोग करते हैं। जो गांवों से ही आकर लगे हैं। यह व्यवस्था मेडिकल कालेज में की जा रही है। तो ये जो 14 पद बताये हैं इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो इसी विभाग का हो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, बड़ा पर्टिनेंट प्रश्न चल रहा है वर्षों से। पोस्ट ग्रेजुएट इनमें कोई नहीं। इसके अलावा अदालतों में ये सभी मामले क्वालिफिकेशन सम्बन्धी ही हैं। अब प्रश्न यह आता है कि घोड़ा आगे या गाड़ी आगे। इससे सारा ढांचा सफर करता है। सारे राजस्थान के मेडिकल कालेज में यह व्यवस्था है इससे सारे सफर करते हैं। तो यह ऐसा मामला है जिसका जल्दी ही निराकरण किसी भी माध्यम से होना चाहिये। पोस्ट ग्रेजुएट आप डेवलप करते नहीं। इसलिये नीति सम्बन्धी मामला है, नीति निर्धारित करनी पड़ेगी।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप नीति सम्बन्धी मामले के लिये प्रश्न पूछें, राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। अभी क्या स्थिति है क्या नहीं, इसकी मुझे

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जानकारी नहीं है। आपने जो पूछा वह जानकारी मैंने दी है। 14 डिमांस्ट्रेटर की बात आप कर रही हैं मेरी जानकारी के अनुसार 4 क्वालिफाइड हैं और 10 सी. ए. एस. हैं जिनको डेपुटेशन पर लिया हुआ है क्योंकि काम को चलाना है। अब आप क्वालिफाइड की बात कह रही हैं कि कितने हैं कितने नहीं हैं, यह तो बिल्कुल अलग प्रश्न है। इसके ऊपर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : 24 में से 10 पद आपने बताये रीडर और लेक्चरार के। उनमें भी 6 के मामले कोर्ट में चल रहे हैं जिनके जल्दी निपटने की कोई सम्भावना नहीं है और कोर्ट में इनका क्या कोई निर्णय होने वाला है? हो सकता है आगे फिर अन्य कोर्ट में चले जायं, अगर यह क्रम चलता रहा तो विद्यार्थियों का क्या होगा, इस पर तो विचार करना पड़ेगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न पूछा होता तो मैं जरूर आपसे निवेदन करता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती विद्या पाठक : विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामकिशोर मीणा।

चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों के स्थानांतरण की नीति

504 **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी सरकार की क्या नीति व नियम है? कृपया परिपत्रों अथवा नीति सम्बन्धी पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : सम्बन्धित परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(परिपत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, जो परिपत्रों की सूची संलग्न की गई है वह सिर्फ डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में है। मैंने पूछा था कि कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी क्या नीति है? मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का दूसरा भाग मैंने जो दिया था वह भी नहीं छपा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझसे जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब दे दिया। जो नहीं छपा उसको क्या जवाब दे सकता हूं।

श्री रामकिशोर मीणा : क्या विधायक और सांसदों की सिफारिश की अनुपालना के आदेश विभाग दे सकता है? यदि हां, तो किन किन कर्मचारियों के बाबत ऐसे आदेश दिये गये हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सूची दी है वह ट्रांसफर के बाबत सभी पर लागू होती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर लागू नहीं होती और दूसरे पर होती हो। दूसरा सवाल पूछा है कि क्या एम. एल. ए. और एम. पी. की सिफारिश पर ट्रांसफर के आदेश निकाले गये। ऐसी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय सदस्य बतायेंगे तो मैं विचार करूंगा। जो ट्रांसफर किये जाते हैं उनमें स्थानीय विधायक, सांसद कोई ऐसा कारण बताते हैं तो विचार किया जाता है।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, राधेश्याम नाम के एक कर्मचारी के ट्रांसफर के आदेश निकाले गये हैं उनमें....

(व्यवधान)

डाइरेक्टर ने आदेश निकाले थे कि दौसा के सांसद की सिफारिश पर स्थानांतरण किया जाता है तो क्या उचित है? क्या सभी माननीय सदस्य, चाहे किसी भी दल के हों, की सिफारिशों पर भी विचार किया जायेगा? यदि ऐसा नहीं है तो आप डाइरेक्टर पर क्या एक्शन लेंगे?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सवाल इसमें था ही नहीं। यदि होता तो मैं देखता। जहां तक माननीय सदस्य स्थानान्तरण के बारे में कोई घटना बताते हैं तो स्थानान्तरण के समय में जरूर ध्यान में रखा जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : क्या यह सही है कि ओम प्रकाश कम्पाउण्डर का निलम्बन किसी एम. एल. ए. की सिफारिश पर किया गया है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : निलम्बन के आदेश के बारे में पूछ रही हूं।

श्री अहमद बक्श सिन्धी (जोधपुर) : भेदभाव किया गया है। यह प्रश्न स्थगित किया जाय, प्रश्न संख्या 507....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अहमद बक्श सिन्धी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 507 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भेदभाव किया गया है। इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री रामकिशोर मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह नीति विषयक प्रश्न है...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह फलोदी से सम्बन्धित प्रश्न है। जो सूची दी है प्रश्न संख्या 507 की यह महत्वपूर्ण है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और सबको स्थगित नहीं किया जाता है। जितने प्रश्न आ जाते हैं एक घण्टे में, उनको पुकार लिया जाता है और बाकी का उत्तर माननीय सदस्यों को दे दिया जाता है।

प्रश्न काल समाप्त हुआ। आर्डर प्लीज ..

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या ट्रान्सफर की नीति में यह शामिल कर लिया गया है कि सांसद, विधायकों के कहने पर तबादले किये जायेंगे? ....

(व्यवधान)

लड़का × × × है उसके बाद ट्रान्सफर किये जाते हैं।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आन ए पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन।

अध्यक्ष महोदय, यह बात अखबार में भी आई है और यहां विधान सभा में भी आई है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अखबार में यह खबर आई है और मेरे लड़के पर चार्जेज लगाये गये हैं, उसका चालान सैशन जज, जयपुर की अदालत में पेन्डिग है। किसी के पास चार्जेज हैं तो वे अदालत में आकर पेश हों और इसको साबित करें। मैं पांच साल म्यूनिसिपैलिटी का प्रेसीडेन्ट रहा हूं, सात साल पहले रह चुका हूं और अब भी हूं चार्ज प्रूव हो जाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : आपने तबादला किया है। मैं भी इस्तीफा देने को तैयार हूं....

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री मोहनलाल मोदी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी की हिम्मत हो तो अदालत में आवे....

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। आसन पैरों पर है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चित्तौड़गढ़ में अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु छात्रावास खोलना

491. **श्री सुरेन्द्र व्यास** (मालपुरा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के खटीक परिवारों को कुव्यसनों का त्याग करा उनको अच्छे मार्ग पर लाने व उनके बालकों की शिक्षा हेतु चित्तौड़गढ़ में छात्रावास हेतु भूमि का आवंटन किया गया था?

(2) यदि हां, तो कुल कितनी भूमि आवंटित की गई व छात्रावास कब तक तैयार हुआ व वर्तमान में इस छात्रावास में कितने छात्र हैं?

(3) क्या यह सही है कि "बीरवल समाज" नामक संस्था उक्त छात्रावास की भूमि का स्वामित्व रखती है?

उत्तर

(1) ग्राम सेती जिला चित्तौड़गढ़ में अखिल राजस्थान अहिंसा प्रचारक जैन संघ नाम की संस्था ने जमीन अहिंसानगर परिसर के निर्माण हेतु क्रय कर पट्टा प्राप्त किया है।

(2) कुल क्रय भूमि 37 बीघा 10 बिस्वा है, भवन कब तैयार हुआ यह सूचना

(समाज कल्याण मन्त्री)

राज्य सरकार के पास नहीं है। परिसर में कई भवन है उनमें से एक में वर्ष 1969 से छात्रावास है वर्तमान में 30 छात्र है।

(3) सारे परिसर का स्वामित्व अखिल राजस्थान अहिंसा प्रचारक जैन संघ चित्तौड़-गढ़ के पास है।

हिन्डौन रेफरल हास्पिटल

502. **श्री भरोसी लाल** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन में सरकार ने रेफरल हॉस्पिटल खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है?

(2) रेफरल हॉस्पिटल के लिये सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी? इसके कब तक बनने की संभावना है?

उत्तर

(1) जी नहीं,

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(2) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रधानाध्यापक उच्च-माध्यमिक विद्यालय, सिनसिनी [भरतपुर] के विरुद्ध गम्भीर आरोप

499. **श्री मानसिंह** (भरतपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री जलसिंह, प्रधानाध्यापक, राजकीय हायर सैकण्डरी स्कूल, सिनसिनी (भरतपुर) में कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रधानाध्यापक को बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सुपरवाइजर की हैसियत से कार्य करने हेतु डिबार कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री जलसिंह को सरकार द्वारा सी. सी. ए. रूल्स के तहत चार्जशीट भी दी गई है? यदि हां, तो कृपया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रूल के तहत बगैर पेनल्टी एवार्ड करने की सिफारिश की थी?

(5) उक्त रूल के तहत गम्भीर चार्ज होते हुए भी उक्त प्रधानाध्यापक को अभी तक भी निलम्बित नहीं करने के क्या कारण हैं? अब सरकार कब तक उन्हें निलम्बित करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 24-11-80 से।

(2) जी नहीं। लेकिन वर्ष 1980 की बोर्ड की परीक्षा के समय केन्द्र अधीक्षक का कार्य करने से वंचित रखा गया।

(3) जी हां, आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(शिक्षा मन्त्री)

(4) जी नहीं, विभागीय जांच कार्यवाही चालू है।

(5) निलम्बित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

जिला डूंगरपुर के विद्यालयों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं की कमी

500. **श्री गोविन्द अामलिया** (चौरासी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला डूंगरपुर में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय (बालिका सहित) हैं और वे कब से क्रमोन्नत हुए हैं? क्या जिला डूंगरपुर के उक्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियमानुसार छात्रों की संख्या के अनुसार अध्यापक अध्यापिकाएं हैं? यदि नहीं, तो कौन कौन से विद्यालयों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की कमी है और उसके क्या कारण हैं?

(2) जिला डूंगरपुर के राजकीय महाविद्यालय में छात्राओं की संख्या क्या है? क्या सभी छात्राएं स्थानीय हैं और उनको महाविद्यालय तक लाने व ले जाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण बालिका विद्यालयों में और शहरों के बालिका विद्यालयों में छात्राओं की संख्या के मुताबिक अध्यापिकाओं के अनुपात में अन्तर है?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में 120 उच्च प्राथमिक 39 माध्यमिक तथा 8 उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। शेष सूचना संकलित की जा रही है।

(2) राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर में छात्राओं की संख्या 121 है जिसमें से 106 छात्रायें स्थानीय हैं। विभाग द्वारा वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।

(3) जी हां। साधारण अन्तर है।

पाली जिले को आवंटित गेहूं

501. **श्री असलम खां** (पाली) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पाली जिले में गत तीन माह में कितना गेहूं आवंटित किया गया? उसमें से पंचायत समिति बाली को कितना कोटा दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि गत तीन माह में पंचायत समिति बाली के आदिवासी क्षेत्र में सस्ता अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया? यदि कराया गया है, तो कृपया पंचायतवार सूचना सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले एवं उसमें से बाली पंचायत समित को गत तीन माह में आवं-

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

टित किये गये गेहूं की मात्रा निम्नरूपेण है :–

पाली जिले को आवन्टित मात्रा

	मात्रा टनों में
1– जनवरी	300 टन
2– फरवरी	600 टन
3– मार्च	1000 टन

बाली पंचायत समिति को आवन्टित मात्रा

1– जनवरी	70 मै० टन
2– फरवरी	90 मै० टन
3– मार्च	170 मै० टन

(2) बाली पंचायत समिति के आदिवासी क्षेत्र में उक्त अवधि में निम्नांकित मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया गया :–

जनवरी, 81

गोरिया पंचायत	35 क्वि०
नाना पंचायत	35 क्वि०

फरवरी, 81

दूदली पंचायत	50 क्वि०

मार्च, 81

नाना पंचायत	70 क्वि०
मालनू पंचायत	50 क्वि०

उच्च माध्यमिक विद्यालय गिरवा के प्रधानाध्यापक का रिक्त पद

502. **श्री थानसिंह मीणा** (सलूम्बर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि तहसील गिरवा के उच्च माध्यमिक विद्यालय बम्बोरा में प्रधानाचार्य का पद जुलाई, 1980 से रिक्त है ? क्या सरकार इस सत्र में प्रधानाचार्य की नियुक्ति करने का इरादा रखती है ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । यह पद 1–9–1980 से रिक्त है और निकट भविष्य में भर दिया जावेगा ।

तहसील बसवा एवं पंचायत समिति बांदीकुई के उचित मूल्य की वस्तुओं के अधिकृत विक्रेता

503. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील बसवा एवं पंचायत समिति बांदीकुई में चीनी, सस्ता कपड़ा, तेल, डीजल एवं अन्य आवश्यक चीजों को उपलब्ध कराने हेतु कितने, कौन-कौन डीलर कब से नियुक्त किये गए हैं ? आज कल कौन-कौन हैं ? कृपया नाम व पते सहित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या फरवरी, 1980 के बाद कोई डीलर बदले गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया उनके नाम व पते सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(सूची के लिये परिशिष्ट 7 देखें)

चम्पा बाग उदयपुर का सब डिवीजन

504. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर नगर विकास प्रन्यास के अधीनस्थ 'चम्पा बाग' का सब डिवीजन नहीं हुआ है ? इसे नहीं खरीदे जाने के बारे में किन-किन समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकाले गये ? उन विज्ञापनों पर कुल कितना धन व्यय किया गया और इसके पीछे नगर विकास प्रन्यास का क्या विचार था ?

(2) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा चम्पा बाग की भूमि का सब डिवीजन स्वीकृत नहीं किया गया है, इस भूमि को नगर विकास न्यास, उदयपुर ने न खरीदे जाने के बारे में विज्ञापन निकाले हैं जिनका विवरण संलग्न तालिका में अंकित है और इस पर लगभग कुल व्यय रु० 2435.53 का हुआ है। नगर विकास न्यास द्वारा इस भूमि को अवाप्त करना प्रस्तावित है।

(2) नगर विकास न्यास, उदयपुर ने इस सम्बन्ध में दि० 8–12–80 को इस विषय पर विचार कर अवाप्ति का प्रस्ताव पारित करके राज्य सरकार को प्रेषित किया है, जो अभी विचाराधीन हैं।
(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सीकर में आवासन मण्डल द्वारा कालोनी का निर्माण

505. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सीकर शहर में आवासन मण्डल की कॉलोनी बनाने का विचार सरकार द्वारा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सीकर में आवासन मण्डल की कॉलोनी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। सीकर शहर में भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी बनाने का विचार किया गया था, लेकिन 200 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका।

(2) जी हां। वर्ष 1976, 1977, 1978 व 1979 की सामान्य पंजीकरण योजनाओं में सीकर हेतु पंजीकरण किया गया था। लेकिन क्रमशः 93, 11, 13, तथा 25 कुल 142 आवेदन पत्र ही प्राप्त हुए जब कि नियमानुसार 200 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

गोपालबाड़ी जयपुर में होटल निर्माण को स्वीकृति

506. **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जयपुर में गोपालबाड़ी में कोई होटल निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है ?

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

(2) क्या इस भूमि पर, जिस पर होटल बनाया जाने वाला है, भूमि सीलिंग के तहत मामला चल रहा है ? यदि हां, तो फिर भी होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

(3) उस समय जब सीलिंग का मामला तय किया गया और होटल की स्वीकृति प्रदान की गई स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त कौन थे ?

(4) होटल बनाने वाला मालिक कौन है ? क्या उस समय के स्वायत्त शासन आयुक्त से वर्तमान होटल बनाने वाले मालिक का कोई सम्बन्ध है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त भूमि को सीलिंग से बचाने के लिए इस जमीन के भाग को रिश्वत के रूप में दिया जाकर सौदा किया गया था ?

(6) क्या उक्त होटल की रिहायशी कॉलोनी में नियमानुसार इजाजत दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-5-78 के द्वारा भूमि सीलिंग के प्रावधानों के अन्तर्गत होटल निर्माण हेतु छूट प्रदान करने के पश्चात ही नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा होटल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

(3) दिनांक 1-5-78 को श्री विजयसिंह, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव थे और नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा दिनांक 8-9-78 को होटल निर्माण की अनुमति दी गई इस दिन श्री ओंकार सिंह, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग थे ।

(4) नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा होटल निर्माण की अनुमति श्री ओंकार सिंह के नाम से प्रदान की गई थी । इस दिन श्री ओंकार सिंह स्वायत्त शासन विभाग के सचिव थे ।

(5) जी नहीं । ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(6) राज्य सरकार द्वारा संबंधित भूमि पर होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

जसवन्तपुरा से विद्यालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आबू में स्थानान्तरण

507. **श्री कनकराज मेहता** (सांचोर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विद्यालय की व्यवस्था जिला जालौर के जसवन्तपुरा में थी ? क्या यह भी सही है कि इस हेतु वह स्थान उपयुक्त था ?

(2) एस. टी. सी. को जसवन्तपुरा से आबू स्थानान्तरित करने के क्या कारण हैं ?

(3) इसे पुनः जिला जालौर में चालू करने में क्या दिक्कत है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह व्यवस्था सत्र 1975–76 तक थी।

(2) जसवन्तपुरा विद्यालय को ग्रग्र स्थानान्तरित नहीं किया गया था। कार्यकारी दल की सिफारिशों के ग्राधार यह विद्यालय बन्द किया था।

(3) एस. टी. सी. विद्यालयों की वर्तमान संख्या राज्य में पर्याप्त होने से नये एस. टी. सी. विद्यालय खोले जाने का ग्रभी राज्य सरकार का विचार नहीं है।

रसद ग्रधिकारी, जयपुर के रिक्त पद की पूर्ति

508. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या खाद्य एवं ग्रापूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला रसद ग्रधिकारी, जयपुर का पद गत चार माह से रिक्त पड़ा है ?

(2) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार के पास ग्रधिकारियों का ग्रभाव है ?

उत्तर

(1) जिला रसद ग्रधिकारी, जयपुर के पद का चार्ज ग्रतिरिक्त जिला रसद ग्रधिकारी को दिया गया था। ग्रब श्री के० के० सवीखी ने दिनांक 19–3–81 से जिला रसद ग्रधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया हैं।

(2) जिला रसद ग्रधिकारी, जयपुर के पदस्थापन का मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन रहने के कारण पद रिक्त रहा।

(3) इस प्रश्न का जवाब कार्मिक विभाग ही दे सकता है।

जादूगर मोहल्ला, ग्रजमेर के विकास की योजना

509 **श्री कैलाश मेघवाल** (ग्रजमेर, पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं नगर ग्रायोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, ग्रजमेर द्वारा जादूगर मोहल्ले में सड़कों एवं गलियों के निर्माण हेतु योजना बनाई जाकर उसका तख्मीना एवं नक्शा स्वीकृत हो चुका है ?

(2) इनके ग्राधार पर मोहल्ले में कौन-कौन सी सड़क एवं नालियों का कब-कब निर्माण प्रारम्भ हुग्रा तथा किस-किस के माध्यम से चालू हुग्रा ?

(3) क्या वह कार्य ग्रभी तक पूरा हो चुका है ?

(4) यदि नहीं, तो ग्रब कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जादूगर बस्ती में सड़क व नालियों का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से हुग्रा। वर्ष 76–77 एवं 78–79 में ए, बी, सी, ब्लाक में सड़कों का कार्य हुग्रा। नालियों का

(नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री)

निर्माण कार्य वर्ष 77 एवं 79 में ब्लाक ए व सी में करवाया गया।

(3) जादूगर बस्ती में अभी कार्य प्रगति पर है।

(4) जादूगर बस्ती में पहले सिर्फ वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य करवाये जाने थे, लेकिन 1975 में आई बाढ़ के कारण इस बस्ती की वातावरण सुधार के साथ-साथ पुर्नवास की योजना भी बनाई गई। इस बस्ती के पुनर्वास के नक्शे के अनुसार बस्ती में कुल भू-खण्ड 672 है, जिसमें से 650 का आवन्टन किया जा चुका है किन्तु निवासी अपनी पुरानी झोंपड़ी हटाकर नये आवन्टित भू-खण्ड पर जाना नहीं चाहते। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिन्हें भू-खण्ड पाने का हकदार नहीं माना गया वह भी अपनी झोंपड़ी नहीं हटा रहे हैं। इस कारण मौके पर सड़कों का नक्शे के अनुसार निर्माण करना व भू-खण्डों के कब्जे देना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

नगर विकास न्यास, अजमेर के क्षेत्राधिकार की जमीन पर अनधिकृत कब्जे

510. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास अजमेर के क्षेत्राधिकार में किस-किस के द्वारा कब-कब कितनी-कितनी भूमि के अतिक्रमण के मामले दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक प्रकाश में आ चुके हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, अजमेर के क्षेत्राधिकार में किस-किस के द्वारा कब-कब अवैध निर्माण के मामले नगर विकास न्यास के अधिकारियों की जानकारी में दिनांक 1 फरवरी, 1981 तक आ चुके हैं? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) इनमें से किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास के क्षेत्राधिकार में आने वाले भू-खण्डों पर जिन जिन व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण आदि किये हैं तथा दिनांक 1.2.81 तक जो मामले प्रकाश में आये हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(2) यह भी उक्त सूची में अंकित है।

(3) यह विवरण उक्त तालिका में अंकित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव हेतु आवासीय व्यवस्था

511. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के सचिव की आवासीय व्यवस्था बोर्ड द्वारा किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसा प्रावधान नहीं होने के बावजूद सचिव को

32

(श्री कैलाश मेघवाल)

अनियमित तरीके से लाभ पहुंचाने हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने एक भवन किराये पर लेकर सचिव को आवास सुविधा प्रदान की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। बोर्ड के पूर्व में लिए गये निर्णयानुसार 7.9.71 से ही सचिव के लिए आवास व्यवस्था तथा उसके पास कुछ विशेष गोपनीय रेकार्ड रखने के लिए व्यवस्था की गई है।

(2) बोर्ड नियमानुसार सचिव के वेतन से 10 प्रतिशत मकान किराया वसूल करता है।

निदेशक आयुर्वेद के पद पर पदस्थापन

512. **श्री दीपेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या आयुर्वेद निदेशक के पद पर कार्यरत श्री गोकुलेन्द्र शर्मा को नियमानुसार पदस्थापित किया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(2) क्या यह नियुक्ति विज्ञापन, पदोन्नति, अथवा विशेष योग्यता के आधार पर की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री गोकुलेन्द्र शर्मा उप निदेशक को निदेशक पद का कार्य स्वयं के पद के कार्य के अतिरिक्त करने की आर. एस. आर. के नियम 35 के अन्तर्गत अनुमति दी गई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

देवस्थान विभाग के अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

514. **श्री तेजपाल यादव** (चौमू) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग में पुजारी, जलधारिया, बुहारिया का काम अलग अलग होते हुए भी समान वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो कितना–कितना।

(2) क्या सरकार वेतनमान में वृद्धि करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबन्धित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रथम श्रेणी के मंदिरों में नियुक्त पूर्ण कालिक पुजारी, जलधरिया, बुहारिया तथा रसोईया के कार्य अलग-अलग होते हुए भी उन्हें समान वेतन दिया जाता है। उन सभी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वेतन शृंखला 240–5–270–4–290 में वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है।

(2) वेतनमानों के सम्बन्ध में पदों के कार्य कलापों के अनुरूप संशोधन के मामले आयोग के समक्ष विचाराधीन हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत होने पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

नगर परिषद, अजमेर के क्षेत्राधिकार से ईंट के भट्टे हटाना

516. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर, पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अजमेर के क्षेत्राधिकार में मारोठिया कावेरा, नरसींगपुरा (जोन्सगंज) में ईंटों के भट्टे लगे हुये हैं ?

(2) क्या इन ईंटों के भट्टों को लगाने की स्वीकृति नगर परिषद, अजमेर द्वारा दी गयी थी ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मोहल्ले के नागरिकों ने इन भट्टों को हटाने के लिये शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर परिषद द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई।

(3) जी हां। दिनांक 29.1.80 व 11.4.80 को शिकायतें प्राप्त हुई। इन भट्टों के मालिकों के विरुद्ध न्यायालय में चालान दाखिल किए जा चुके हैं।

भू-जल मण्डल में रिग्स की कमी

517. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या भू-जल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भू-जल मंडल विभाग के पास पर्याप्त रिग्स की कमी है ? यदि नहीं, तो कितनी रिग्स विभाग के पास हैं ? कृपया जिलेवार वितरित की गई रिग्स की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर में प्रतिवर्ष मई व जून महीनों में पीने के पानी की कमी रहती है ? यदि हां, तो अकाल की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए कितने रिग्स इसी माह में बीकानेर में कुओं की खुदाई हेतु प्रदान किये जायेंगे ?

(3) क्या विभाग के पास रिग्स उपलब्ध नहीं होने पर बीकानेर की पीने के पानी की समस्या को हल करने हेतु संकटकालीन व्यवस्था सी. पी. डब्ल्यू. डी. के माध्यम से रिग्स मंगवा कर की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सड़क जगह-जगह टूट-फूट गई है। परन्तु पुलिया का कार्य अधूरा ही पड़ा है, न कि पुलिया टूटी हुई है।

(2) जी हां। रोड को ठीक कराने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा। पुलिया को बनाने का कार्य सीमेंट एवं वित्तीय राशि उपलब्ध होने पर ही पूर्ण किया जा सकेगा।

चुंगी चौकी, जयपुर रोड, से शास्त्री नगर रोड सड़क की मरम्मत

518. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद सीमा में जयपुर रोड चुंगी चौकी से

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

शास्त्रीनगर चुंगी चौकी लिंक रोड जगह-जगह जीर्ण-शीर्ण हो गई है तथा उसकी पुलिया भी टूटी हुई है ?

(2) क्या नगर परिषद् इस रोड व पुलिया को ठीक कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सड़क जगह-जगह टूट फूट गई है परन्तु पुलिया का कार्य अधूरा ही पड़ा है न कि पुलिया टूटी हुई है।

(2) जी हां। रोड को ठीक कराने का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जावेगा। पुलिया को बनाने का कार्य सीमेंट एवं वित्तीय राशि उपलब्ध होने पर ही पूर्ण किया जा सकेगा।

रामगंज मण्डी क्षेत्र में नये स्कूल खोलना

519. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जनता की मांग के बावजूद रामगंज मण्डी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक भी नया स्कूल व विषय नहीं खोला गया ? यदि हाँ, तो क्यों और अब कब तक खोल दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि केवलनगर मोड़क माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा केन्द्र खोलने हेतु लम्बे समय से अधिकारियों एवं जनता द्वारा मांग की जा रही है ? यदि हाँ, तो यह परीक्षा केन्द्र कब तक प्रारम्भ कर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

जी नहीं, रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय एवं विषय खोले गये हैं।

(2) केवलनगर व मोडक के माध्यमिक विद्यालयों से परीक्षा केन्द्र बनाने का कोई प्रार्थना पत्र इस वर्ष बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

हरिजनों को रोजगार देने की योजना

520. **श्री दौरेन्द्रसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हरिजनों को रोजगार देने के लिये सरकार के पास चालू पंचवर्षीय योजना में क्या कोई पृथक से योजना विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या शिक्षित हरिजन बेरोजगार युवकों के लिए ग्रामीण उद्योगों में चालू पंचवर्षीय योजना में विशेष व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या ग्रामीण स्तर पर हरिजनों के काम धन्धों को बढ़ावा देने के लिये तथा उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाने के लिए सुविधाएं देने हेतु किसी बोर्ड या आयोग का सरकार द्वारा गठन किया जायेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जातियों जिनमें हरिजन भी सम्मिलित हैं को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सभी उद्योग व्यवसायों हेतु कुल लागत का 50 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में धन राशि उपलब्ध कराई जाती है तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों द्वारा उद्योग व्यवसाय अथवा स्वयं नियोजन हेतु मार्जिनल मनी राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना की गई है।

(2) जी हां। अनुसूचित जातियों के बेरोजगार युवकों के लिये जिनमें, शिक्षित हरिजन भी सम्मिलित हैं, उद्योग व्यवसाय के मार्ग दर्शन तथा ऋण उपलब्ध कराने के लिये अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की स्थापना की गई।

(3) किसी बोर्ड या आयोग की स्थापना तो नहीं की गई है किन्तु राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम की इस कार्य हेतु स्थापना की गई।

अजमेर नगर के कच्चे नाले को पक्का बनाना

521. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि अजमेर नगर में तालाब लोहाखान श्मशान से भोपों के बाड़े की नाड़ी तक कच्चा नाला जो कि पिछली दो बाढ़ों के प्रकोप को बढ़ाने वाला रहा है, को नगर परिषद् द्वारा पक्का करने का निर्णय लिया जाकर उसका सर्वेक्षण कराया जा चुका है? यदि हां, तो कब और अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

उत्तर

(1) जी हां। प्रश्नांकित भूमि पालिका एवं सड़क की भूमि है जिसे छोटी-छोटी दुकानों के उपयोग में नहीं लाया जा सकता।

(2) जी हां।

अजमेर नगर विकास न्यास द्वारा घूंघरा घाटी अजमेर के गरीब तबके के व्यक्तियों के मकानों को तोड़ना

522. **श्री महावीरप्रसाद** (टौंक) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास अजमेर द्वारा पुलिस की मदद से जनवरी 1981 के प्रथम सप्ताह में घूंघरा घाटी में बने 14–15 गरीबों के मकानों को तुड़वा डाला?

(2) क्या यह भी सही है कि ये मकान 18-18 साल पुराने बने हुए थे और 1967 एवं 1972 के आम चुनावों में इन्हीं मकानों के आवास के आधार पर मतदाता सूची में नाम अंकित हैं?

(3) क्या मकानों को तुड़वाने के पहले कोई कार्यवाही कर किसी तरह का नोटिस दिया गया था? यदि हां, तो कृपया

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

विवरण मय नकल नोटिस सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) यह पूर्णतया सही नहीं है। वास्तविकता यह है कि दिसम्बर, 1980 के अंतिम सप्ताह में नये अवैध निर्माण मात्र 5 पुलिस इमदाद से तोड़े गये थे।

(2) यह सत्य नहीं है।

(3) जी हां नोटिस दिये गये थे। प्रतियां संलग्न हैं।

(नोटिस के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

आवासीय योजना हेतु नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा भूमि की अवाप्ति

523. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा आवासीय योजना हेतु किस-किस भूमि को अवाप्त करने का प्रस्ताव बन चुका है? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) अवाप्ति की कार्यवाही किस-किस भूमि हेतु किस-किस स्तर पर चल रही है?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा आवासीय योजना हेतु संलग्न तालिका के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है।

(2) यह सूचना भी उक्त तालिका में अंकित कर दी गई है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नगर विकास न्यास, अजमेर को विभिन्न क्षेत्रों से आय

524. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर को वित्त वर्ष 1977-78, 1978-79 एवं 1979-80 में सभी स्रोतों (स्वयं के आय के स्रोत तथा अनुदानों आदि) से कुल कितनी राशि उपलब्ध हुई थी? कृपया वर्षवार व स्रोतानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) उपरोक्त उपलब्ध राशि में से किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ? कृपया वर्षवार मदानुसार विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) इस वर्ष दिनांक 1 अप्रेल, 1980 से दिनांक 11 फरवरी, 1981 तक कुल कितनी राशि किन-किन स्रोतों से उपलब्ध हुई है और किस-किस मद पर कितना-कितना खर्च हुआ है?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, अजमेर को पिछले तीन वर्ष में हुई आय के विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(नगर आयोजना एवं नगरीय विकास मंत्री)

(2) यह भी सूची–2 में अंकित कर दिया गया है।

(3) यह सूचना भी सूची संख्या–3 में दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

अजमेर नगर परिषद् सीमा में खाली पड़ी भूमि का उपयोग

525. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर नगर परिषद् सीमा में नगर परिषद् के आधिपत्य की कुल कितनी जमीन खाली पड़ी है ? कृपया नक्शा मय क्षेत्रफल के सदन के पटल पर रखें।

(2) इस खाली पड़ी जमीन के उपयोग के बारे में नगर परिषद् की क्या योजना है ? कृपया योजना का पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद् के आधिपत्य में आई हुई खाली भूमि का विवरण मय नक्शा व क्षेत्रफल सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) अभी इस बारे में नगर परिषद् द्वारा कोई योजना स्वीकृत नहीं कराई गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

(मानचित्र विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

किशनगढ़ कोठी के अन्दर बने मकानों का वर्षा के पानी से बचाव

526. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् सीमा अजमेर में किशनगढ़ कोठी के अन्दर वाले मकानों में वर्षा का पानी भर जाता है ?

(2) यह पानी नहीं भरे और यहां रहने वाले नागरिकों को असुविधाएं एवं असुरक्षा नहीं रहे, इस हेतु नगर परिषद् द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) ये मकान किशनगढ़ कोठी की निजी भूमि में बने हुए हैं। अतः वर्षा के पानी की निकासी की व्यवस्था का उत्तर-दायित्व निजी भूमि मालिक का है।

बिहारीगंज-अजमेर सड़क का निर्माण

527. **श्री महावीरप्रसाद जैन** (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् द्वारा बिहारीगंज में तीसरी गली मकान नं. 714 ए, 714 बी एवं 714 सी व अन्य मकानों के सामने डामर की सड़क

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

बनाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) अब यह सड़क कब तक बना दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। दिनांक 7-11-78 को कार्य की स्वीकृति दी गई।

(2) डामर डालने के अलावा सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। डामर उपलब्ध होने पर सड़क पर डामर करवा दिया जावेगा।

नगर परिषद् अजमेर द्वारा ठेले वालों से किराये की वसूली

528. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि स्टेण्ड ठेला मजदूर संघ, अजमेर की ओर से तीन-तीन बार निवेदन करने पर भी नगर परिषद् अजमेर ठेले वालों से किराया वसूल नहीं कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर परिषद्, अजमेर की ओर से भी ठेले वालों को किराया अदा करने के नोटिस जारी किये गये हैं ?

(3) किराया प्राप्त नहीं करने की अव्यवस्था के लिये कौन उत्तरदायी है और ऐसा क्यों हो रहा है ? कृपया दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम व पद तथा जमा नहीं करने के पूर्ण विवरण की प्रति सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1980 तक का किराया नगर परिषद् द्वारा वसूल किया जा चुका है। पूर्व में परिषद् स्टेण्ड ठेला के नाम से रसीद देती थी लेकिन उप नियमों में प्रावधान न होने के कारण वर्ष 1980-81 से ऐसा करना बन्द कर दिया गया। ठेले वाले स्टेण्ड ठेला की रसीद दिये बिना किराया नहीं दे रहे हैं।

(2) वर्ष 1980–81 के किराये का मामला विवादास्पद हो जाने के कारण इस वर्ष ठेले वालों को नोटिस नहीं दिये गये हैं।

(3) तहबाजारी उप-नियमों में स्टेण्ड ठेलों का प्रावधान नहीं है। अतः स्टेण्ड ठेला के नाम से नगर परिषद् द्वारा रसीद न देने के कारण ठेले वालों ने ही किराया नहीं दिया। अतः किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी का इसमें दोष नहीं है।

अजमेर नगर परिषद् क्षेत्रान्तर्गत उद्यान

529. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद्, अजमेर की सीमा में नगर परिषद्, के क्षेत्राधिकार के कितने उद्यान स्थित हैं ?

(2) इन उद्यानों की देखभाल करने के लिये नगर परिषद्, अजमेर के कौन कर्मचारी प्रभारी हैं ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) उद्यानों के निरीक्षण व देखरेख हेतु प्रभारी कर्मचारी की क्या योग्यताएं हैं? क्या सरकार इन योग्यताओं को उद्यान निरीक्षण हेतु पर्याप्त मानती है या किसी वांछित योग्यता वाले व्यक्ति को इस कार्य हेतु लगायेगी ?

उत्तर

(1) नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार में 6 बड़े उद्यान व 8 छोटी वाटिकाएं हैं।

(2) इन उद्यानों की देखभाल के लिए नगर परिषद् द्वारा श्री पदम कुमार जैन को प्रभारी नियुक्त कर रखा है।

(3) प्रभारी कर्मचारी इन्टरमीडिएट हैं तथा इनकी कार्य क्षमता एवं 13 वर्ष के कार्य अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें तकनीकी योग्यता में शिथिलता प्रदान की हुई है। नगर परिषद् की तरफ से इस पद पर अभी किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 10 मार्च, 1981)

वन खण्ड तहसील प्रतापगढ़ का वन भूमि पर अतिक्रमण

150. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील प्रतापगढ़ के वन खण्ड मेहन्दी खेड़ा, जानागढ़, पाल, विकलाड़ व मेवा में कितनी वन भूमि जो काबिल काश्त है, वह कब से कृषि उपयोग में ली जा रही है ? इस काबिल काश्त वन भूमि पर कौन काबिज है ?

(2) क्या यह सही है कि इन वन खण्डों में वन कर्मचारी बराबर तैनात हैं ? यदि हां, तो कृषकों द्वारा किये गये नाजायज कब्जे की सूचना कब-कब किस-किस को दी गयी ? कृपया प्रत्येक गांववार एवं अतिक्रमीवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) इन वन खण्डों में कुल कितनी-कितनी भूमि है और इसमें से कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था ? अतिक्रमियों में से कितनों के मकान, कुए एवं फलदार वृक्ष विभाग ने उजाड़ दिये हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(4) अतिक्रमियों की फसलें नष्ट कर उन्हें कब-कब वेदखल किया गया ?

उत्तर

(1) भूमि के वर्गीकरण का रेकार्ड विभाग द्वारा नहीं रखा जाता है। तहसील प्रतापगढ़ के वन खण्ड मेहन्दीखेड़ा, जानागढ़, पाल, विकलाड़ व मेवा के वन क्षेत्र नोटिफाइड रक्षित एवं अरक्षित वन क्षेत्र हैं। गत चार-पांच वर्षों में इन वन खण्डों में खड़ी वन सम्पदा को अवैध रूप से काटकर इनमें अतिक्रमण किया जाता रहा है, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है। वर्तमान में उक्त भूमि पर राज्य सरकार (वन विभाग) का आधिपत्य है।

(2) जी हां। वन भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर तैनात कर्मचारी द्वारा अपने

(वन मन्त्री)

नियंत्रण अधिकारी को समय पर सूचना दी जाती है और उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इन पांच वन खण्डों का कुल क्षेत्रफल 1,46,131 बीघा 5 बिस्वा है। इन वन खण्डों में लगभग 5762 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमियों को न्यायालय के आदेश से केवल बेदखल किया गया है। किसी भी अतिक्रमी का कोई भी मकान, कुए अथवा फलदार वृक्ष नहीं उजाड़े गए हैं।

(4) अतिक्रमियों को न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में मौके से बेदखल किया गया है। बेदखली का दिनांक सूची के कालम 9 में दर्ज है। किसी अतिक्रमी की फसल नष्ट नहीं की गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

कृपया आपस में वार्ता न करें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

वे प्रस्ताव जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा :—

(1) **श्री नन्दलाल मीणा** : पुलिस स्टेशन अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र में एक बंधवा आदिवासी की हत्या के मुकदमे में उप पुलिस अधीक्षक निम्बाहेड़ा द्वारा एक गवाह के बयान गायब करने और अन्य अनियमिततायें के विषय में,

(2) **श्री चाव खां** : राज्य में यूनानी तिब्बी की शिक्षा को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमित कार्यवाही करने के विषय में,

(3) **श्री राजबहादुर और श्री रतनलाल ताम्बी** : नाथपा-भाकड़ी परियोजना में राजस्थान को हिस्सेदारी न देकर बिजली खरीदने के समझौते के विषय में,

(4) **श्री बालचन्द्र आर्यवीर व डा० उजला अरोड़ा** : जयपुर रेलवे स्टेशन के पास लगी हुई महात्मा गाँधी की मूर्ति को वहां से हटाने के सम्बन्ध में।

(5) **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** : गत 20 मार्च की रात्रि को समाज कंटकों द्वारा बासरोली-गच्छीपुरा के बीच जोधपुर एक्सप्रेस के यात्रियों को लूटना व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के विषय में।

वे प्रस्ताव जिन्हें राज्य सरकार को सूचनार्थ भेजे जा रहे हैं और जिन्हें स्वीकृति नहीं दी जा रही है :—

(6) **श्री रामकंवार बैरवा व श्री त्रिलोक सिंह** : ग्राम पंचायत चकवाड़ा तहसील फागी जिला जयपुर के उप सरपंच श्री रामदयाल बैरवा को अनुसूचित जाति का होने के कारण सरपंच का चार्ज नहीं देने के विषय में,

(7) **श्री बंशीलाल पटवा** : भीलवाड़ा जिले में मेजा बांध के फेज में अभ्रक की दो खानों का अतिक्रमण,

(श्री अध्यक्ष)

(8) **श्री गोपाल पचेरवाल, श्री यदुनाथ सिंह व श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह** : भरतपुर जिले के कुम्हेर थाने के अन्तर्गत गांधी नगर गांव में रघुनाथ मीणा की हत्या की एफ० आई० आर० दर्ज करने के विषय में,

(9) **श्री हीरालाल आर्य व श्री दाऊदयाल जोशी** : पीपल्दा व सुल्तानपुर क्षेत्र में केचमेन्ट एरिया में खेतों की लेवलिंग व ड्रेनेज आदि का कार्य ठीक ढंग से न होने के विषय में,

(10) **श्री हंसराज शर्मा व श्री भूपाल सिंह** : राज्य में नशाबन्दी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा नई दुकानों के लाइसेन्स अन्धाधुन्ध जारी करने के विषय में,

(11) **श्री महाराम चौधरी** : नागौर तहसील में अकाल राहत कार्यों में सार्वजनिक कुओं की जुताई के लिए पिवाई का अनुदान नहीं देने के विषय में,

(12) **श्री देवीसिंह भाटी** : उपनिवेशन विभाग में एक सवार चौथमल की ड्यूटी देते समय जंगल में अकाल मृत्यु होने के बावजूद उसके परिवार को मुआवजा न देने के विषय में,

(13) **श्री नाथूसिंह** : रणथम्भौर में म्यूजियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से मिली दो लाख रुपयों की राशि लेप्स होने के विषय में।

पूर्व में श्री रतनलाल ताम्बी की ओर से भीलवाड़ा नगर में चोरियां तथा श्रीमती विद्या पाठक की ओर से सांगानेर के सांगा मन्दिर की जमीन पर अवैध कब्जों के विषय में स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी। इन सूचनाओं पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हो गई है तथा इनका अध्ययन किया जा रहा है।

वे प्रस्ताव जिन पर व्यवस्था नहीं दी जा रही है :

श्रीमती उजला अरोड़ा : मोडर्न बेकरी द्वारा उत्पादित डबल रोटी में कांच का एक टुकड़ा निकलने की घटना। माननीय सदस्या द्वारा एक अन्य प्रस्ताव पर सहहस्ताक्षर किये गये हैं, अतः इस प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेज कर अस्वीकार किया जा रहा है।

अब जिन माननीय सदस्य, के स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया है, उनके मैं नाम पुकारूंगा। वे दो-दो मिनट में अपनी बात कहेंगे।

श्री रामकंवार बैरवा।

व्यवस्था का प्रश्न

चिकित्सा मन्त्री, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता पर आरोप

श्री अध्यक्ष : श्री देवीसिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। यही तो देखना है क्या फर्माना चाहते हैं।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : पाइन्ट आफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले सदन में मन्त्री महोदय पर कुछ आरोप लगाये गये किसी माननीय सदस्य द्वारा। उसके पश्चात माननीय मन्त्री महोदय ने उसका प्रतिवाद किया। प्रतिवाद करने के पश्चात माननीय सदस्य ने अपने आरोप साबित करने की सदन में मन्त्री महोदय को चुनौती दी।

(श्री नाथूसिंह)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह मामला बड़ा गम्भीर है और....

श्री अध्यक्ष : गम्भीर होने से कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बन जाता है। नियमों का अथवा संविधान का उल्लंघन हो तो उस समय व्यवस्था का प्रश्न आता है।

श्री नाथूसिंह : चूंकि यह मामला सदन में आ चुका है, चूंकि भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामला सदन में आ चुका है, तो यह सदन की प्रोपर्टी हो गया हूं। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं, सदन जानना चाहता है कि इसमें वास्तविकता क्या है ? हम लोग अन्धेरे में हैं इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आप सदन की एक कमेटी बनाये।

श्री अध्यक्ष : मैं उसको उजाले की तरफ ले जाता हूं।

श्री नाथूसिंह : सदन की जांच कमेटी बनाये। जांच करायें कि वास्तविकता क्या है। राजस्थान की जनता, पूरा सदन इस मामले को जानना चाहता है। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : प्रथम तो माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव उठाया है वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह बन गयी है कि पांच छः दिनों से किन्हीं माननीय सदस्य की नाराजगी किन्हीं मन्त्री महोदय से हो गयी है। उसके कारण से बिना प्रस्ताव, बिना सूचना, बिना कारण, बिना विचारणीय विषय होते हुए जब कभी अवसर मिले, इस सदन में चाहे कोई विषय हो एक मन्त्री महोदय के ऊपर आरोप लगा रहे है। 6 दिन हो गये मैं देख रहा हूं। अपने नियमों में यदि कोई माननीय सदस्य आरोप लगाना चाहे तो स्पष्ट प्रावधान है कि कोई विचारणीय विषय हो और किसी अधिकारी अथवा किसी व्यक्ति के बारे में जनहित में चर्चा करना आवश्यक है तो पूर्व सूचना देकर के इस तरह के विषय जन हित में उठाये जा सकते हैं। लेकिन अकारण इस तरह के मामले उठा लिये गये मान हानि-कारक और मन्त्री महोदय ने उत्तर दे दिया। न तो सदन की ऐसी परम्परा रही हैं न ही डाली जा सकती है कि आरोप-प्रत्यारोप हो जाये और कमेटी बन जाये। कमेटी न आज तक बनी है न बनाने की परिपाटी को हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। प्रथम तो यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। आपने व्यवस्था चाही कि यह सदन की सम्पत्ति है। सदन में जो सुबह से 12 बजे तक चलता है, बातें होती हैं सब सदन की सम्पत्ति हैं। उनको हम सम्भाल कर किताबों के रूप में छपवा कर कुछ तो आपको वितरित कर देते हैं बाकी को हमारी अलमारी में रखते हैं, फिर इन्डेक्सिग करते हैं। फिर कभी कोई मामला आ जाता है तो उसको रेफर किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, उसका उपयोग हो सकता है। माननीय सदस्य, कई महत्वपूर्ण मामले हैं, कृपया सहयोग दें। जो मेहनत करके आयें हैं जिनके पास शिकायतें हैं, जिन्होंने लिख कर दिया है उनको पहले अवसर दूंगा। माननीय सदस्यों को यह प्रवृत्ति छोड़ देनी चाहिये। ठीक है फुटवाल दूसरे की और मैदान दूसरे का, दूसरा मामला चल रहा है इसलिये आप भी इसमें दखल दे दें। यह सवाल नहीं है कि इस तरह के मामले उठाये नहीं जा सकते है कोई विचारणीय विषय हैं तो वह

(श्री अध्यक्ष)

सदन की सम्पत्ति हो जाता है। अगर मूल्यवान सुझाव है तो जरूर राय व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन सदा ही समय को इस तरह लिया जाये, यह उचित नहीं है। कोई सुझाव हो, मामला उठाना हो, प्रस्ताव नहीं भी दिया हो, लेकिन आपका कोई सुझाव उपयोगी हो सकता है तो माननीय सदस्य जानते हैं कि जनहित में मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं कि आपके सुलझे हुए विचार है उनसे सदन को लाभ मिले। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव रखें हैं उनके बारे में जो दो-दो मिनट में अपने विचार व्यक्त करना चाहें उनको मैं अवसर दूंगा।

श्री राजबहादुर : आपकी व्यवस्था के बारे में प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था ठीक है। पहले तो हमारी व्यवस्था हो गयी है वह फाइनल होती है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। हमारी व्यवस्था के अन्दर हम कोई किसी का मकान नहीं लेते हैं, हम किसी का धन नहीं लेते हैं, किसी की सम्पत्ति को इधर-उधर नहीं करते हैं, डिबेट रुक जाये तो उसको चालू करते हैं। अगर आप यह समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो हम दूसरी व्यवस्था दे सकते हैं लेकिन....

श्री राजबहादुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपकी व्यवस्था सब पर समान रूप से लागू होती है ? कल मेरी अनुपस्थिति में मेरे पर आक्षेप हुये, आरोप लगाये गये...

श्री अध्यक्ष : आक्षेप वोह होते हैं....

श्री राजबहादुर : स्पष्टीकरण की इजाजत चाहता हूं। स्पष्टीकरण की इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : जो अपमानजनक होते हैं, मानहानिकारक होते हैं जिनको कहने से किसी माननीय सदस्य पर या किसी नागरिक पर मुकदमा चला सकते हैं वह आरोप आक्षेप माने जाते हैं। इसके लिए स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाता है। सदन के अन्दर अब राजनेता एक-दूसरे की आलोचना करते रहते हैं कि फलां असफल था उसका स्पष्टीकरण, माननीय सदस्य, यहां पर नहीं दिया जाता है। फिर भी आप बोलना चाहें तो आपको जब बोलने का अवसर मिले तो आप भी अपनी बात कह सकते हैं लेकिन स्पष्टीकरण का कोई कारण नहीं है। मैं कल स्वयं सदन में उपस्थित था। इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गयी है जिसका स्पष्टीकरण देने की जरूरत आपके लिये अवश्यम्भावी हो। नहीं तो कुछ निवेदन करने के लिये, स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर दे देता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर विचार

श्री हरिसिंह : माननीय सदस्य को बोलने का टाइम मिले तो आप नहले पर दहला मार दें यही आपका मतलब है ना।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी थी कि पिछले दिनों होटल मानसिंह में मुख्यमन्त्री और मुख्य सचेतक जी को डायमंड प्रजेंट किया गया था...

श्री अध्यक्ष : आप दो दिन से इस डायमण्ड के प्रश्न को उठा रहे हैं। या तो आप कायदे से कोई प्रस्ताव लायें ...

श्री नाथूसिंह : मैं प्रस्ताव लाया हूं।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार करके सूचना मंगायी है....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इस तरह से आप कार्यवाही थोप नहीं सकते हैं....

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : वह 100 रुपये का भी नहीं है....

श्री नाथूसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि खजाने में जमा कराया....

श्री अध्यक्ष : आप कार्यवाही थोप नहीं सकते हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : बैठ जाइये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। भाषण नहीं होगा।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कल उठाया था आज फिर चालू कर दिया, कल फिर चालू कर देंगे....

श्री नाथूसिंह : पांच दिन पहले उठाया था....

श्री अध्यक्ष : उसका कल उपयोग कर चुके हैं।

श्री नाथूसिंह : आपने मुझे परमिशन नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : नहीं दी तो फिर किस्सा ही खतम हो गया।

श्री नाथूसिंह : नहीं अभी पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : पेंडिंग है तो है। सूचना मंगायी है। कायदे से आ जायेगा। बैठ जाइये, माननीय सदस्य। आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : चीफ विह्प ने....

श्री अध्यक्ष : आप।

आर्डर प्लीज। आप व्यवधान डाल रहे हैं। आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : इसमें क्या हुआ ? चार दिन हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपको भेंट कर दूंगा। आप उसको रख लेना।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : तब तक आप ही रखेंगे।

श्री नाथूसिंह : असली देंगे या नहीं भेंट करेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य सदन का समय न लें।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री यदुनाथसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर। मैं निवेदन कर दूं कि यह बड़ा कठिन काम है..

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मैं कभी भी ऐसा वैसा नहीं उठाता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसलिये तो इजाजत दे रहा हूं ...

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन पहले प्रिविलेज का प्रस्ताव दिया था। वह तीन दिन से आपके विचाराधीन है। इसमें डिसीजन नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मैं यहां से उठ जाऊं तब आप मुझसे मिल लें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : आसन द्वारा सूचित किया गया था कि बीकानेर नगर परिषद में जो गंदे पानी का ठेका दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह हमारे पास आया हुआ है लेकिन उस पर यहां पर व्यवस्था नहीं दे सकता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने आज यहां पर व्यवस्था के लिए कहा था।

श्री अध्यक्ष : यहां तो दूंगा नहीं आप वहां मिलेंगे तो बात कर लूंगा। जनहित का विषय है तो चर्चा कर लेंगे।

श्री राम कंवार बैरवा।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र फागी में ग्राम पंचायत जटवाड़ा में सरपंच बजरंगलाल, जिसके खिलाफ गबन के आरोप नहीं है, को केवल राजनैतिक कारणों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है और उसका चार्ज उप सरपंच रामदयाल, जो अनुसूचित जाति का था, को नहीं देकर और किसी अन्य शख्स को दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सदस्यों का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक ओर तो राजस्थान के मुख्य मन्त्री अनुसूचित जाति के हैं और दूसरी ओर जिस किसी का हक बनता है, उसको राजस्थान सरकार और पहाड़ियाजी के मन्त्रिमण्डल में बैठे हुए हैं, प्रभाकर साहब, उनके द्वारा हरिजन सदस्य, जो उप सरपंच था, पढ़ा लिखा था और योग्य और कुशल था, को टाला गया और अन्य पंच है उसको चार्ज दिया गया। अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार के कार्य करने से कांग्रेस की सरकार महात्मा गांधी के स्वप्नों को पूरा कर सकती है? मैंने इसकी जांच के लिए तीन-चार लैटर लिखे लेकिन आज तक कोई सन्तोषजनक मुझे जवाब नहीं मिला। अब, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उप सरपंच को इत्तला मिलनी चाहिये थी या नोटिस मिलना चाहिये था कि उसको चार्ज दिया जायगा लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में इमीजिएटली रात को 12 बजे जाकर के उस पंच को चार्ज दिया गया और यह सारा षड्यन्त्र हुआ। तो मेरा यह निवेदन है कि पंचायत कलेक्टर के यहां से सरपंच को चार्ज देने की परमिशन निकली या नहीं निकली? फिर बाद से उसको किस प्रकार से दबाया गया, किस प्रकार से टाला गया, इस सारे मामले की जांच करवाई जावे और जो कर्मचारी दोषी पाया जावे, कोई भी हो उसको सजा मिलनी चाहिये।

(श्री रामकंवार बैरवा)

दूसरा मेरा निवेदन है कि रामदयाल गंगवाल, जो उप सरपंच हैं, को जल्दी से जल्दी सरपंच का चार्ज दिलवाया जाय। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां कुछ अनुसूचित जाति के लोग एक मीटिंग करके धरणा देने वाले हैं मन्त्री महोदय के बंगले पर। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसकी जांच करके जो कोई भी दोषी हो, उसको सजा दिलवाई जाय, साथ ही जल्दी से जल्दी उप सरपंच को चार्ज दिलवाया जाय। यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा। मेजा बांध के पेटे में अभ्रक की खानों के बारे में–

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय, सभापति महोदय....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव मेजा बांध के पेटे में जो अभ्रक की दो खानें है उसके बारे में दिया है। मेजा बांध बनने से पूर्व चिताड़ा, हमीलिया, होड़ा, भादू गांवों से जुड़ने वाली खानें, जो अभ्रक की थीं, कार्यरत थीं। हमीलिया और चिताड़ा की जो दो, तीन खानें हैं अभ्रक की, उनमें काफी प्रचुर मात्रा में बढ़िया क्वालिटी का अभ्रक भी निकलता है। मेजा बांध बनने के बाद इस पेटे को सरकार ने सुरक्षित कर लिया। इसके बाद जिस किसी ने खनन कार्य करने की दृष्टि से सरकार को अप्लाई किया तो उन लोगों को ये खानें लीज पर नहीं दी गई और पेटा सुरक्षित रखा गया। लेकिन पिछले 6, 7 महीनों से कमला बाई नाम की महिला है, जो एक विधायक की पत्नी है, द्वारा निरन्तर अतिक्रमण करके माल निकाला गया। इर्द गिर्द जब पूछा गया तो पता लगा कि प्रचुर मात्रा में बड़ी तादाद में माल निकाला गया जिसकी कीमत आठ लाख रुपये आंकी जाती है। इस तरह से एक विधायक की पत्नी अतिक्रमण करके खनन कार्य करे और चोरी-छिपे इस तरह से अभ्रक निकाल ले, यह कानूनी अपराध है। इस इस सम्बन्ध में खनिज अभियन्ता ने कार्यवाही की, तब जाकर रोका गया। यह विधायक जो हैं यदि उनकी सदन में जानकारी चाहते हैं तो मैं नाम लेने से भी नहीं चूकूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने अपने स्थगन प्रस्ताव में तो ऐसी कोई–

श्री गोपाल पचेरवाल : ये आरोप लगाते हैं, पूरा नाम बताया जाय ?

श्री बंशीलाल पटवा : विधायक की पत्नी होने के नाते, विधायक का प्रभाव काम में लेकर आठ लाख का माल अतिक्रमण करके निकाला, यह कानूनन अपराध है। इस सम्बन्ध में खनिज अभियन्ता ने कार्यवाही की तब जाकर रोका गया। इस सम्बन्ध में मैं और निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से एक ओर तो कमला पारीक ने इस तरह से अतिक्रमण किया, एन्क्रोचमेंट किया, आठ लाख का अभ्रक निकाला चोरी छिपे, दूसरी ओर उसके विरुद्ध चालान पेश करने के बजाय राज्य सरकार कमला बाई के नाम खान की लीज देने जा रही है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता हैं उनसे नो आब्जेक्शन मांगा गया है।

(श्री बंशीलाल पटवा)

मुझे जानकारी जो मिली हैं उसके अनुसार उन्हें नो आब्जेक्शन दे दिया है ।' मुझे ऐसा लगता है अन्दर ही अन्दर गुलगपाड़ा और षड़यंन्त्र किये जा रहे हैं उनके तहत यह खान उनको कहीं लीज पर नहीं दे दी जाय। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है एक ओर तो कमला बाई ने अपने पति विधायक का प्रभाव उपयोग में लाकर चोरी-छिपे अभ्रक निकाला, दूसरे फिर उसी को पारितोषिक देने के नाम पर इस तरह से षड़यंत्र रचा जाय, इस तरह से अभ्रक की खानें लीज पर दे दी जाय, यह सरासर अनुचित होगा, अन्याय होगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कमला बाई ने जो माल निकाला है और जितना निकाला है, जिसे कि आम तौर से आस-पड़ौस के लोग आठ लाख का बताते हैं, आरोप लगाते हैं, इस सम्बन्ध में निवेदन हैं कि उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाय, साथ ही साथ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री बंशीलाल पटवा : इस तरह से लीज नहीं दी जाय और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो क्योंकि सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता की मिली भगत के आधार पर नो आब्जेक्शन दे दिया है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि तत्काल रोका जाय। यदि इसी तरह से खान दे दी गई और खनन का कार्य करने दिया जायेगा तो राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का नुकसान होगा क्योंकि एमरल्ड की खानें हैं मुख्य प्रचुर मात्रा में और बड़ी साइज का माल वहां पर निकलता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता चाहता हूं कि समुचित रूप से कानूनी कार्यवाही जो बनती है वह कमला बाई के खिलाफ की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाने के अन्तर्गत गांधीनगर गांव में श्री रघुनाथ मीणा की हत्या के बारे में।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : इससे पहले मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य,

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : उन्होंने....

व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना विधायक पर आरोप

श्री अध्यक्ष : मेरी बात सुन लीजिये, इस सभा के अन्दर सभी तरह के प्रश्न उठा सकते हैं वह चाहे किसी को पसन्द हों या नहीं हो। लेकिन किसी प्रश्न को उठाने की प्रक्रिया बनी हुई है। यदि विधायक या विधायक की पत्नी हो, क्योंकि इसमें मानहानिकारक, और अन्य प्रश्न आ जाते हैं इसीलिए पूर्व सूचना इस तरह से दी जानी चाहिये। तत्काल प्रश्न उठे और वह वाद-विवाद का प्रश्न या मामला बने, यह नियम विरुद्ध है। नियमों की पालना करते हुए सभी प्रकार के प्रश्नों पर विचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, सभी तरह के प्रश्न उठाये जा सकते हैं। लेकिन तत्काल बिना किसी पूर्व सूचना के, मानहानिकारक, अपमानजनक, जो दूसरों को आरोपित करने वाले विषय हैं नहीं उठा सकते। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस तरह के गम्भीर प्रश्न जब कभी आये, कृपया नियमों का

(श्री अध्यक्ष)

अध्ययन करके उठावें। उन प्रश्नों को, या उन मसलों को रखना जनहित में यदि आवश्यक माना जायगा तो दूसरे पक्षों को उत्तर देने का अवसर मिलेगा, वह अपना स्पष्टीकरण दे सकेंगे, कह सकेंगे। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है, यही विनती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पत्नी हमारी भी है।

श्री बन्शीलाल पटवा : किसी की भी हो, विधायक तो यहां बैठते हैं, एक एक को सुनावे तो दूसरा दो सुना सकता है। इस देश का सबसे बड़ा व्यक्ति अगर मैं किसी को समझता हूं तो वह इस देश का आम नागरिक है, उसको यहां पर अधिकार नहीं दिया है कि अपने आपको डिफेंड करे इसलिए यदि साधारण नागरिक का कोई मसला है तो उसको उठाने में और भी अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए, यह मेरा नम्र निवेदन है। आप भी इस बात पर विचार कीजिए, हम स्वयं को उस स्थिति में डालें और अपने बारे में बिना किसी का प्रतिवाद किए बिना किसी का उत्तर प्राप्त किए यदि आरोप लगा दिये जायें तो क्या स्थिति बनेगी और साधारण नागरिक के बारे में और भी सचेत होना जरूरी है। इसलिए यदि वास्तव में चाहते हैं कि कहने की ऐसी कोई बात है तो नियमों का पालन करके उन प्रश्नों को सदन के सामने लायें इसमें कोई अड़चन नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्ष पद से दिये गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन के पृष्ठ 255 की ओर आकर्षित करता हूं :–

"पुलिस विभाग से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर बोलते समय श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल, सदस्य विधान सभा ने गृह मन्त्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये तो श्री शंकरलाल (जैतारण) ने व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर कहा कि प्रक्रिया के नियम 273 के अनुसार सदन में आरोप लगाने से पूर्व श्री अध्यक्ष एवं सम्बन्धित मन्त्री को लिखित में पूर्व सूचना देना आवश्यक है।

इस पर उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय है:

मैंने इसको ध्यान में पढ़ा है और जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है वह भी सुना। मैं समझता हूं कि जो माननीय सदस्य सदन के सदस्य हैं और जो उपस्थित हैं या मन्त्री महोदय हैं उन पर इस तरह का आक्षेप लगाया जाय तो कोई पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? अब सवाल यह उठता है कि उनके लिए क्यों आवश्यकता नहीं है? उनके लिए इसलिए नहीं है कि जो विचारों की स्वतन्त्रता सदन में दी गई है और सदन के माननीय सदस्यों को दी गई है उसमें किसी तरह का बन्धन नहीं रखा गया है। बन्धन केवल यह रखा गया है कि या तो असंसदीय हो या गाली-गलोच हो, इस तरह का अंश हो तो उसका एक्सपंज किया जा सकता है लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि मानहानिकारक तो हैं, लेकिन एक्सपंज नहीं हो सकते हैं तो उनके लिए है नियम 273। यह 273 उन केसेज में लागू होता है जहां कि यह व्यक्ति सदन के अन्दर उपस्थित नहीं है।"

श्री अध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष ने जो निर्णय दिया था बिल्कुल ठीक था। गृह

(श्री अध्यक्ष)

की मांग थी और गृह मन्त्री जी उसका उत्तर देने वाले थे या उस डिवेट को संचालित कर रहे थे तो उसके अन्दर उनके प्रशासनिक तौर तरीके, काम करने के तरीके यह तो डिवेट का विषय हमेशा हो सकता है इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन मन्त्री जी क्योंकि आज बैठे हैं और उस पर बिना चर्चा के, बिना वादविवाद के, बिना विचारणीय विषय के अगर इस तरह से प्रश्न उठाये जाते हैं तो उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। स्वास्थ्य मन्त्री हैं या कोई मन्त्री हैं, उनके विभाग के बारे में कह रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसके कार्य करने का तरीका दोषपूर्ण है, माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते हैं तो हमेशा ही कह सकते हैं। उस विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सदन में बैठते है, इसलिए उनकी हमेशा तैयारी रहती है, ऐसा कहना और जवाब देना, मैं समझता हूं मैंने जो व्यवस्था दी है उसमें और इसमें कहीं कोई अन्तर नहीं है, विरोधाभास नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है जो व्यवस्था दी गई है और मैंने आज दी है वह भी सही है।

श्री मोहनलाल मोदी : जब पूर्व सूचना आवश्यक नहीं, मन्त्री के खिलाफ कोई बात है...

श्री अध्यक्ष : उस वक्त क्या परिस्थिति थी, किस तरह का वादविवाद का विषय था। जिन्होंने यह कहा कि मैंने सब सुना है। जिस परिस्थिति में कहा वह ठीक मालूम होता है। किस परिस्थिति में कहा, वह है या नहीं....

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, बद्री प्रसाद गुप्ता ने कहा था जांच कराने के लिए, मैने निवेदन किया जांच करायें या फिर से विधान सभा सदस्यों की कमेटी नियुक्त कर ली जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मोहनलाल मोदी : और उनके लड़के ने जो ट्रांसफर्स में भ्रष्टाचार किया है, पैसे लिए हैं, उनको भी साबित करा सकता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। इसकी इजाजत नहीं दूंगा। आपने जिहाद छेड़ रखी है 5 दिन से, मैं देख रहा हूं...

श्री मोहनलाल मोदी : आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, बद्री प्रसाद गुप्ता....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : आपका काम कर देंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं किसी काम के लिए नहीं जाता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां हमने तो जो सदस्य विधान सभा में उपस्थित हैं उनके खिलाफ ही आरोप लगाये हैं। यहां तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं उसको किसी ने एक्सपंज नहीं किया, न मना किया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने विधायक की पत्नी की चर्चा की है। मैं भी इस सदन का विधायक हूं, मेरे सामने धर्म संकट आकर खड़ा हो गया, मैं व्यक्तिगत रूप से पूछता हूं। इसलिए मैं निवेदन करना

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

चाहूंगा या तो वह कहे कि मैं तो शर्म से कह नहीं रहा हूं वरना ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई है। मैं समझता हूं जैसा दृष्टिकोण मेरा होगा, सदन में बैठने वाले प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने प्रश्न खड़ा होगा कि माननीय सदस्य ने क्या बात कह दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं और श्रीमती चूण्डावत....

श्री अध्यक्ष : यह बात हर नागरिक के लिए भी हो सकती है क्योंकि जो विधायक है वह नागरिक भी हैं

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : यह बात मेरे साथ लागू नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप जानते हैं नाम से सम्बोधन जब ही किया जाता है जब आसन यह समझे कि माननीय सदस्य नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं तो माननीय सदस्य के नाम से ही पुकारा जाता है अथवा उनके चुनाव क्षेत्र से। यदि हम चर्चा करते हैं, माननीय सदस्य....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इसमें थोड़ा संशोधन कर लें, जो पत्नी वाले सदस्य हैं जिनकी पत्नियां हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं पुलिस की मांग पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। श्री दाऊदयाल जोशी। पीपल्दा...

श्रीमती उजला अरोड़ा : व्यवस्था का प्रश्न है 295 के तहत।

श्री अध्यक्ष : 295 में व्यवस्था होती ही नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं अनुमति चाहती हूं। जो कांच के टुकड़े...

श्री अध्यक्ष : बाद में विचार करेंगे, पहले स्थगन प्रस्ताव लें। पहले नियम 50 आता है, 295 बहुत बाद में है। आर्डर प्लीज, आप थोड़ा धैर्य रखें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कांच के टुकड़े निकले थे, किसी के पेट में चले जायें, आंतें छिल जायेंगी, मर जायगा कोई।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में कैचमेंट का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। हम भी यह चाहते हैं कि खेतों को सुधारने के लिए कैचमेंट का कार्य हो। कैचमेंट के अन्तर्गत जिन खेतों में पानी नहीं पहुंचता है उन खेतों में अच्छी तरह से पानी पहुंचे और पानी का अपव्यय न हो। इसलिए कैचमेंट का कार्य हो रहा है। इस कार्य में खेतों में नहरें, आवश्यकतानुसार धोरे, ड्रेनेज, सड़कें और जहां तक लेवलिंग नहीं है वहां भी जमीन की लेवलिंग करने का कार्य किया जाता है। यह जो कैचमेंट का कार्य हो रहा है इसमें बहुत अधिक विसंगतियां, अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है जिससे हमारे यहां के

(श्री हीरालाल आर्य)

किसान बहुत परेशान हैं। उस ओर मैं सिंचाई मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पीपल्दा क्षेत्र में फतेहपुर फर्स्ट एण्ड सैकण्ड तथा सती फर्स्ट एण्ड सैकण्ड रामपुर तथा लुहावत में यह कार्य चले रहे हैं इन कार्यों में जो ड्रेनेज, सड़कें और धोरे बनाए हैं वे इस तरह से बनाए गए हैं कि कैचमेंट का कार्य सम्पूर्ण होने के बाद जब किसान को खेत संभलाए गए तो उन धोरों से पानी नहीं लग रहा है। किसान कमिश्नर के पास गए थे। वहां से कोई व्यक्ति गया था उनके सामने खेतों में पानी छोड़ा, वास्तव में खेतों में पानी नहीं चला था। जब कैचमेंट नहीं हुआ था उससे पहले खेतों में आसानी से पानी चढ़ रहा था लेकिन कैचमेंट होने के बाद होना तो यह चाहिए कि सुविधा से अच्छी तरह से पानी पहुंचे लेकिन खेतों को पानी नहीं पहुंचता। इस तरह से गड़बड़ हुई है, यह दूर की जानी चाहिए।

इस तरह की जो गड़बड़ियां हुई हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ड्रेनेज और नहरें व धोरे बनाये हैं उनके अन्तर्गत टेल स्ट्रक्चर नहीं बनाये गये हैं। टेल स्ट्रक्चर नहीं बनाये जाने के कारण खेत में पानी व्यर्थ चला जाता है इससे खेत खराब हो रहे हैं। वहां जो लेवलिंग का कार्य हो रहा है वह थोड़ा भी ऊंचा होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। मेड भी ठीक तरह से नहीं की गयी है। लेवलिंग के नाम पर मेड को तोड़ दिया गया है। लेवलिंग का कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहां के किसान बिल्कुल परेशान हैं, किसानों का शोषण हो रहा है।

इसके अलावा जो कैचमेंट का काम होता है उसमें किसानों को खेत हांक-जोत कर दिया जाना चाहिये। लेकिन स्थिति ऐसी है कि किसानों को खेत हांक-जोत कर नहीं संभलाया जाता है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि एरिया का कैचमेंट हो जाने के बाद खेतों को हांक-जोत कर किसान को संभलाया जाना चाहिये। हमारे यहां पर सती फर्स्ट और सैकन्ड में और फतेहपुर फर्स्ट और फतेहपुर सैकन्ड में किसानों को बिना हांक-जोत करे खेत सम्भलाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, भूमि बड़ी कठोर है वहां पर। भूमि ऐसी है कि बैलों से खेत हांक-जोत नहीं सकते हैं। वहां से मशीनें हटायी जा रही है। किसान अधिकारियों को कह रहा है कि आपको हमें खेत हांक-जोत कर देना चाहिये लेकिन उनके द्वारा विरोध करने के बावजूद वहां से मशीनें हटायी जा रही हैं। वह यह कहते हैं कि हमारे पास डीजल नहीं है। इससे किसानों में बहुत असन्तोष है और किसान उद्वेलित हो रहे हैं। उसकी शिकायत भी बड़े अधिकारियों को की है इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा कि मशीनें वहां से हटायी जा रही हैं। इस तरह से वहां पर किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी विधान सभा में प्रश्न उठाया था कि वहां पर डीजल का ब्लैक हो रहा है। पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। वहां पर डीजल के ड्रम के ड्रम बड़ी मात्रा में ब्लैक हो रहे हैं। सस्ती रेट पर ब्लैक में डीजल मिल रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर पाबन्दी लगायी जानी चाहिये। इसके अलावा कैचमेंट एरिया में

(श्री हीरालाल आर्य)

जो चार्जेज किसान से लिये जा रहे हैं वे बहुत ज्यादा लिये जा रहे हैं। 400 से लेकर एक हजार रुपये तक पर बीघा पर खर्चा हो रहा है। वह बहुत अधिक है इससे वहां पर बहुत महंगा काम हो रहा है।

इसके साथ-साथ वहां पर एक दूसरा विभाग ड्रेनेज का है। वह भी ड्रेन का काम करता है लेकिन वह खेतों में जो ड्रेन खोदता है उसके पैसे किसानों से नहीं लेता है। लेकिन कैचमेंट में तो ड्रेनेज का काम हो रहा है उसके चार्जेज बहुत ज्यादा किसानों से लिये जा रहे हैं वह बहुत महंगा है। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि यह ड्रेनेज और प्रशासनिक खर्चे किसानों से नहीं लिये जाने चाहिये। यह अन्याय है किसानों के साथ में।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, कैचमेंट का उद्देश्य यह है कि जो किसानों के छोटे-छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके किसानों को संभलाया जाय। लेकिन वैसा नहीं किया जा रहा है। उनको टुकड़ों में ही संभलाया जा रहा है जब कि यह होना चाहिये कि दो बीघा, चार बीघा और पांच बीघा के टुकड़े हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके कैचमेंट करके संभलाया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करिये। संक्षेप में कहें।

श्री हीरालाल आर्य : संक्षेप में ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो मुआवजा किसानों को दिये जाने की बात है बैंक वाले किसानों से कहते हैं कि उनको अगर मुआवजा लेना है तो पहले फिक्स डिपोजिट खाता खुलावें। यह पंजाब नेशनल बैंक है लेकिन किसान ऐसा कहते हैं कि हम पैसा क्यों जमा करें। आपको हमारा चुकारा करना चाहिये क्योंकि हमारा तो कैचमेंट हुआ है, हम पैसे डिपोजिट क्यों करावें ? इसके अलावा कैचमेंट एरिया में भ्रष्टाचार और बहुत प्रकार की अनियमिततायें की जा रही हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि इन सभी बुराइयों को दूर किया जाय और ड्रेनेज और प्रशासनिक खर्चे के पैसे, जो अधिक हैं, किसानों से लिये जा रहे हैं वह नहीं लिये जायें ताकि किसान को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री हीरालाल आर्य : अगर आपने इनको कम नहीं किया तो जो ऋण किसानों पर हो गया है वह इतना अधिक हो जायेगा कि किसान उसको जिन्दगी भर तक नहीं चुका सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें। आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जो मैंने सुझाव दिये हैं इस पर राज्य सरकार के माध्यम से कार्यवाही करायी जाय ताकि किसानों का भला हो।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोंद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जो कैचमेन्ट का भार है वह अनावश्यक रूप से किसानों पर डाला जा रहा है इसको राज्य सरकार को ही उठाना चाहिये। इस कार्य को जिस उद्देश्य से हमने हाथ में लिया था वह उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इससे आने वाले समय में किसान बरबाद हो जायेगा। पहले तो यह कथन था कि सरकार ही जमीन की मालिक है। आज की तारीख में खातेदारी सीरी के रूप में सरकार है, किसान जमीन का मालिक नहीं है, सरकार है। सरकार ही जमीन में सुधार करके किसान को समर्पित कर रही है तो फिर किसान से आप 800 रुपये से लेकर एक हजार रुपये प्रति बीघा क्यों ले रही है ? इसके बारे में हमने वहां के कमिश्नर साहब से बार बार आग्रह किया और कहा, श्रीमन्, आप यह तो बता दो कि आखिर एक बीघा पर कितना रुपया खर्च होगा। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि यह तो हम अभी तक सही सही नहीं बता सकते हैं लेकिन हां 800 से लेकर 1 हजार रुपये तक खर्च आयेगा।

श्री अध्यक्ष : आपके चुनाव क्षेत्र में है क्या प्राब्लम ?

श्री दाऊदयाल जोशी : हां साहब, मेरे चुनाव एरिया में सुलतानपुर, इटावा, और अन्ता में है। आज वहां पर किसान की स्थिति ऐसी है कि किसान पानी की पिलाई की स्थिति में नहीं है। किसान से जोर जबरदस्ती करके एक हजार रुपये वसूल किया जावेगा, पर बीघा के हिसाब से आज कैचमेन्ट के एरिया में क्या हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि वहां डीजल की कमी नहीं है। मैने पहले भी सदन में कहा था कि हमारे यहां पर डीजल की कमी नहीं है। हमने, मैंने, हीरालालजी और रघुवीर सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे यहां पर डीजल की कमी है। हमारे यहां से मजे से जितना चाहो उतना डीजल लो। अध्यक्ष महोदय, डीजल लो और पैट्रोल पम्प पर जो मिल रहा उस भाव से सस्ते में लो। इसका कारण यह है कि वहां पर चम्बल के एरिया में कैचमेन्ट एरिया में मशीनें लगी हुई हैं उसमें ड्रेग-लाइन 330 टाटा की मशीनें है। दस दस मशीनें हैं। एक मशीन के लिये एक घण्टे में आठ लीटर डीजल की आवश्यकता होती है वहां पर वह लोग लेते हैं बारह लीटर डीजल। मैं चैलेंज के साथ मन्त्री महोदय को कह सकता हूं कि आप जांच करवाइये।

आप एक ड्राइवर को यहां से भेज दीजिये। वह वहां जाकर देख सकता है कि एक मशीन में जहां एक घण्टे में आठ लीटर डीजल चाहिये वहां पर 12 लीटर डीजल लिया जा रहा है। इस तरह दस मशीनों के हिसाब से जहां 80 लीटर डीजल आठ घण्टे में चाहिये वहां 240 लीटर डीजल और 260 लीटर रोजाना इन सब मशीनों से चोरी होता है। इस प्रकार आपको सुलतानपुर पंचायत समिति क्षेत्र में सस्ता डीजल मिल सकता है।

इसी प्रकार दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक मशीन और है वहां पर ड्रेग लाइन 255 की मशीन है। वह घण्टे में 18 लीटर डीजल खपत करती है और लिया जाता है एक घन्टे में 24 लीटर प्रति मशीन के हिसाब से। इस प्रकार 6 लीटर डीजल बचता है। वहां पर डीजल की चोरी होती है और खूब ब्लेक

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हो रहा है। इसके अलावा एक मशीन पर आठ आदमी काम करते हैं, एक ड्राइवर, तीन हैल्पर, दो चौकीदार, एक लाइन कीपर। इस प्रकार 8 व्यक्ति कार्य करते हैं लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, श्रीमन्, आठ आदमी की जगह सिर्फ तीन आदमी ही उस मशीन पर काम करते हैं और बाकी पांच आदमी अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं। वहां पर चौकीदारी करते हैं बरतन मांजते हैं। लोगों के घर पर चौकीदारी और काम करने वालों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं दो मिनट और बोलना चाहता हूं। वहां पर जमीन का लेवलिंग किया जाता है उसके बाद में अमीन साहब किसानों से सौदेबाजी करते हैं फिर उनको जमीन देते हैं। अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में तो उनके खिलाफ में अपील सुनने के लिये अपीलेन्ट आथोरिटी है पर कोटा में कोई अपीलेन्ट आथोरिटी नहीं है इसलिये मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में अपीलेन्ट अथोरिटी कोटा में अपाइन्ट की जाय ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री हंसराज। शराब की नई दुकानों के लाइसेन्स देने के संबंध में।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से मेरे स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि दारू पीने वालों के लिये राजस्थान में मद्य निषेध होने के बाद में दारू की दुकानें खोली गयी हैं वह सीमा से बाहर खोली हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सन्दर्भ में कि सरकार ने 15-4-80 को एक आर्डर जारी किया था कि राजस्थान में दारू बन्दी के कारण दारू पीने वाले लोगों की सुविधा की दृष्टि से परमिट दिये जायेंगे, इसके लिये एक नीति निर्धारित कर दी। उसमें तय कर दिया कि एक लाख की आबादी के ऊपर से कम पर एक दुकान और उसके ऊपर की आबादी पर ज्यादा होगी। जहां छोटी दुकानें होंगी उनके लिये एक हजार परमिट जो नशाबन्दी से पूर्व में लाइसेन्स होल्डर्स थे पर एक दुकान दी जावे। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। यह मेरे पास लिस्ट है इसमें सारा निर्धारण कर दिया है कि इस आधार के अलावा किसी भी स्थान पर किसी प्रकार की दुकान नहीं खोली जायेगी। इसी के तहत संबंधित जिला अधिकारियों ने आबकारी से संबंधित जो अधिकारी थे, जो पूर्व में ठेकेदार थे उनके नामों की सारी सूचना तैयार करके राज्य सरकार के आदेशानुसार उन कान्ट्रेक्टर्स को बुलाया गया, उनसे सारी सूचनायें ली गयीं और एक एक हजार रुपया उनसे लाइसेन्स के लेकर सम्पूर्ण सूचना राज्य सरकार को, संबंधित विभाग को 24-4-80 को भेज दी किन्तु दुर्भाग्य इस बात का है कि ज्योंहि यह सूचना भेजी उसके पश्चात हमारे सारे राजस्थान में दिनांक 7-6-80 को इसी विभाग द्वारा सारे राजस्थान में दुकानों का निर्माण कर दिया गया। जो दुकानों

(श्री हंसराज शर्मा)

का निर्माण किया उसकी एक लिस्ट है जिसमें करीब 170 दुकानें खोली गयी हैं। इस प्रकार की लिस्ट भी सारे राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारियों के यहां और जिनका नाम पुकारा उनके पास भेज दी किन्तु इसमें से जिन दुकानों का निर्माण किया, जिनको दुकानें दी गयीं उस समय जो संबंधित कमिश्नर थे उन्होंने बहुत बड़ी मनमानी की। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यद्यपि यह मसला इतना बड़ा है सारे डाकूमेन्ट्स मेरे पास हैं और एक एक डाकूमेन्ट्स को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इजाजत देंगे तो सारे डाकुमेन्ट्स को मैं आपकी सेवा में उपस्थित करूंगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह तो बहुत ही अल्पकालीन माध्यम है। इसको यदि आप इतना ही महत्वपूर्ण समझते थे, तो अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता था। बहुत तरीके हैं अन्य कृपया, पढ़ियेगा। इस पर दो मिनट बोल सकते हैं। इतने कागजों का यहां पर हवाला दें इतना समय है नहीं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, अन्य प्रकार से एक महीना हो गया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हुई और उसके पश्चात बजट पर बहस हुई, अनुदानों की मांगों पर बहस हुई, प्रश्न आये- इतने तो सभी यह अन्य माध्यमों में आते हैं। वह ज्यादा सक्षम माध्यम है। दो मिनट में आप चाहते हैं कि सारा विस्तार से कह दें कि कहां किसने गलती की है इतना समय यहां पर नहीं दिया जा सकता। दो मिनट में यदि ध्यान आकर्षित करना है तो वह बात आप फर्मा दें इस पर कोई विस्तृत चर्चा उदाहरणों के साथ नहीं होगी।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस मामले में दुर्भाग्य रहा कि पार्टी के समय में मेरा नम्बर नहीं आया इसलिए आज मुझे मौका मिला है। दो तीन मिनट में पूरा कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री हंसराज शर्मा : तो जो आपने कह दिया आपके आदेशानुसार करूंगा।

यह जो लिस्ट लगाई है इसमें सवाई-माधोपुर का कोई नाम नहीं है। पूर्व में सवाई माधोपुर में एक ठेकेदार की दुकान थी और एक विदेशी शराब की थी लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां पर इस समय 5 दुकानें खोल दी गयी हैं और तीन व्यक्तियों को जो कि लाइसेन्स होल्डर्स नहीं थे उनको भी परमिट दिया गया। एक हजार रुपया लेने के बजाय अधिकारियों ने 5 हजार रुपया अवैध रूप से लिया जो कभी दारू का ठेकेदार नहीं रहा था उसको भी ठेका दे दिया और पहले के लोग वंचित रह गए। इस प्रकार की आम चर्चा है कि अधिकारियों ने बीस-बीस हजार रुपये खाकर परमिट दिये। उसके बाद में पहले का लाइसेन्स होल्डर हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से उसका परमिट निरस्त हुआ

(श्री हंसराज शर्मा)

और दूसरा फिर आया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पुनः उसी पार्टी के एक व्यक्ति को उचित माध्यम बनाकर एक जाति विशेष का होने के नाते फिर परमिट दे दिया। इस प्रकार सवाई माधोपुर में मौजूदा हालत में 7 दारू की दुकानें चल रही हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसकी जांच करे। इसी प्रकार ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हंसराज शर्मा : एक मिनट में, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। सचमुच एक ही मिनट। इस पर लम्बी चर्चा की इजाजत नहीं दूंगा। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सक्यूंलर में यह भी निकाला गया था कि एक से ज्यादा दो को दुकानें नहीं दी जायेंगी किन्तु इसके जो कमिश्नर थे उन्होंने राजस्थान के बहुत बड़े ठेकेदार चिरंजीलाल से मिलकर राजस्थान में अपने भतीजे के नाम, ओमप्रकाश के नाम कम से कम 20-25 दुकानें अपने नाम करा ली है। वह भी किसी अधिकारी से मिले हुए हैं जो पहले कमिश्नर थे वह अब राजस्थान में किसी न किसी विभाग में वित्त विभाग में या अन्य विभाग में बहुत बड़े पद पर हैं। बल्कि यहां तक देखा गया है कि ग्रान्ट आबू में भी बीस हजार रुपया खाकर नयी दुकान खोल दी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार की सरकार जांच करे।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। श्री भूपाल सिंह

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, शराबबंदी हुई यह तो खुशी है लेकिन उसके बाद जो परिणाम निकले वह बहुत बुरे निकले याने एक ही गंगानगर शुगर मिल को राजस्थान वाइज एजेन्ट बनाकर ऐसी मॉनोपॉली कर दी कि वह इसमें डीनेचर्ड स्प्रिट और दूसरी भी वस्तुओं को बनाकर बेच रहे हैं जिससे लोगों को बड़ी हानि है। पहले कम्पनी की आती थी, दूसरे दुकानदारों को वेचती थी उसमें कोई मिलावट नहीं थी लेकिन अब जो गंगानगर फैक्ट्री लम्बे चौड़े घाटे में चल रही थी और आज भी घाटे में है और आइन्दा भी घाटे में रहेगी क्योंकि यह तो स्वाभाविक है कि ब्लैक का धंधा सेट ही नहीं करते हैं कम्पनी भी करती है। पहले के ठेकेदार और लाइसेन्सी थे उन सबको बेकार बना दिया गया। न उनको कोई धंधा दिया गया। उसके अलावा मेरा तो यही अर्ज करना है कि जितनी भी दुकानें हैं गंगानगर शुगर मिल को न देकर प्राइवेट लोगों को भी दी जायें जिससे वर्षों से और पीढ़ियों से जो लोग काम करते आये हैं, उनका धंधा छिना हुआ है वह उनको मिले।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। नागौर तहसील में अकाल राहत कार्यों में सार्वजनिक कुओं की जुताई के लिए पिवाई का अनुदान नहीं देने के विषय में।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, जो अकाल राहत सुविधाओं के

(श्री महाराम चौधरी)

अनुसार गांवों के अन्दर पिवाई की व्यवस्था की जा रही है…

श्री अध्यक्ष : परसों तो आधी रात तक हमने डिबेट की थी।

श्री महाराम चौधरी : डिबेट की थी लेकिन सरकार के यह चीज समझ में नहीं आ रही है इसलिए मुझे बार बार यह कहना पड़ता है, यह समझ लें और समझ में आ जाये…

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री महाराम चौधरी : संक्षेप में क्या यदि मंत्री महोदय यह सीधे सीधे कह दें कि जो सार्वजनिक कुए जितने भी गांवों के अन्दर चलते हैं उनको पिवाई के लिए 60 रुपये या 80 रुपये जुताई के देने की व्यवस्था कर देंगे तो मैं अभी इसी समय बैठ जाऊं नहीं तो बोलता ही रहूंगा। फिर जैसे भी आप व्यवस्था करें।

तो, प्रभाकर जी आप इस बात को समझ भी गये होंगे। आप इस क्षेत्र से परिचित नहीं हैं इसलिए आपके ध्यान में नहीं बैठता होगा। इससे बड़ा खर्चा आने वाला नहीं है। अकाल राहत के अन्दर लाखों रुपया खर्च हो रहा है और आप यह फर्माते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खर्च आयेगा, क्या खर्चा आयेगा ? किसी गांव में 4 कुए हैं तो किसी गांव में 5 कुए हैं। उनकी आबादी भी बहुत है और उन कुओं का पानी भी गहरा है। मैं तो आपसे सिर्फ यही इतना सा आश्वासन चाहता हूं कि जो सरकार की पिवाई की व्यवस्था की हुई है वह व्यवस्था जितने भी गांवों के सार्वजनिक कुए हैं और 150–200 फीट गहरे हैं उन कुओं को जुताने के लिए आप सरकार की तरफ से पैसा दीजिए। व्यवस्था आपकी यह है कि गांवों के अन्दर एक कुए को आप सिर्फ 60 रुपया देते हैं और उस 60 रुपये का फायदा गांव वालों को, ढाणियों में रहने वाले आदमियों को कतई नहीं मिलता है। गांव के अन्दर सिर्फ आठ दस घरों के अलावा और दूसरा कोई नहीं रहता है और रहता भी है तो या तो एक जागीरदार का घर है या फिर दो तीन महाजनों के घर हैं। सिर्फ उनको यह सुविधा प्राप्त होती है इसलिए आप बात तो करते हैं किसानों की और गांव वालों की लेकिन काम उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अन्दर ही अन्दर तो कुछ बातें हैं या अन्दर पत्थर रखे हैं और मालूम नहीं होता है और आप गले से ऊपर से उनकी सहानुभूति की बात करते हैं। इसलिए मैं तो आपकी मार्फत, अध्यक्ष महोदय, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक कुए हैं, वह चलते हैं और खुद काश्तकार जोतते हैं इसलिए आप उनको पैसा दिलाने की व्यवस्था करें। सिर्फ एक ही कुए को पैसा दिलाने से इस सुविधा का कोई फायदा नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मैने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वैसे तो सरकार से इस बात की जानकारी मांगी जानी चाहिये थी तो थोड़ा स्पष्टीकरण होता। चोयमल कैमल सवार के साथ बड़ा अन्याय हुआ है…

(58)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रापको सूचित कर दूं सरकार को भेज दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : Thank you.

ग्रध्यक्ष महोदय, चोथ मल कैमल सवार कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट की छतरगढ़ तहसील नं. 2 काश्तकारों को नोटिस जारी करता था वहां जंगल के ग्रन्दर, जैसा कि पुलिस की रिपोर्ट है घोषा व करनपुरा के मुख्य रास्ते से 100 कदम दूरी पर उसकी लाश थी। भूखा प्यासा था जैसी कि मेडिकल जूरिस्ट की रिपोर्ट है। एक मिनट में पढ़ कर बता देता हूं ?

Reg. Chauthmal s/o Ramlal Mali Camel sawar of Colonisation Tehsil - Chhattargarh No. 2HQ Bikaner on 7.7.69. I am of the opinion that he died as a result of combined effect of heart and total starvation.

ग्रध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट है। डिपार्टमेंट को भेजी गई है। फिर भी ग्रध्यक्ष महोदय, कालोनाइजेशन कमिश्नर ने एक मुरब्बा फ्री देने की सिफारिश की। कालोनाइजेशन डिपार्टमेंट के विशेष भूमि ग्रावंटन के नियम 24 के तहत नियम बना हुग्रा है कि ड्यूटी देते हुए जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को एक मुरब्बा फ्री दिया जायेगा। ग्रध्यक्ष महोदय, चोथमल सवार के मामले को उठाने का मेरा मूल कारण यह था, कालोनाइजेशन कमिश्नर ने सिफारिश की उसके उपरान्त भी उसको भूमि नहीं दी गई। प्रशासनिक ग्रव्यवस्था के खिलाफ ग्रावाज उठाना चाहता हूं, सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिये। मोहनलाल तहसीलदार····

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : नाम नहीं ले सकते····

श्री ग्रध्यक्ष : यह किस संदर्भ में उठा रहे हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : इसके तथ्य ग्रापके सामने रख रहा हूं किसको दिया, किसको नहीं दिया। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सुनवाई नहीं होती है उसकी हालत क्या है, रोटी रोजी का साधन नहीं। हालांकि यह प्रश्न एक व्यक्ति से सम्बन्धित था, मुझे नहीं उठाना चाहिये था लेकिन जनरल बात करने के लिये मैंने यह प्रश्न उठाया है। ग्रार.ए.एस. ग्रधिकारी को भूमि ग्रावंटन की गई जिसकी बीमारी के कारण पांच साल पहले डैथ हुई ग्रौर बेचारे चौथमल माली की 69 में डैथ हुई है उसको न दें ? उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए सरकार का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। ग्रध्यक्ष महोदय, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके परिवार की तरफ गौर करें। ग्रध्यक्ष महोदय, वे हमारे पास ग्राते हैं, हमको न्याय नहीं मिला है। यह स्थगन प्रस्ताव दिया है यह केवल सरकार से सूचना मंगाने के लिये नहीं है बल्कि इसलिये दिया है कि उसको नियम 24 के तहत विशेष भूमि ग्रलाट की जाये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : ग्रध्यक्ष महोदय, वैसे सरकार ने कई बार ऐसी

(श्री नाथू सिंह)

घोषणायें की हैं जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं उनकी सुरक्षा की जायेगी। रणथम्भोर के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उसकी सुरक्षा के लिये म्यूजियम बनाने का प्रावधान रखा गया उसके तहत केन्द्रीय सरकार ने 2 लाख की राशि आवंटित की थी। यह दो लाख की राशि बड़ौदा स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के हिस्से किया था उसने अपने अजमेर विभाग पर छोड़ दिया···

श्री अध्यक्ष : यह राजस्थान सरकार से संबंधित विभाग का है या भारत सरकार के अन्तर्गत विभाग का ?

श्री नाथूसिंह : राजस्थान सरकार का।

श्री अध्यक्ष : अजमेर का कहां जिक्र है ?

श्री नाथूसिंह : दोनों के मिलकर करने का यह मामला था।

श्री अध्यक्ष : अपने बजट में प्रावधान था क्या ?

श्री नाथूसिंह : कुछ यहां के बजट में प्रावधान था और कुछ वहां के····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पुराने सदस्य हैं। आर्काइव्स, शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आता है। उस मांग पर चर्चा हुई थी, आप कटौती प्रस्ताव दे सकते थे, उस तरीके से विवाद को उठा सकते थे। अब यह भी पता नहीं कि राज्य सरकार से इसका मामला संबधित है या नहीं। रणथम्भोर के लिये कहीं बजट प्रावधान केन्द्र का हो····

श्री नाथूसिंह : पहले मुझे इस विषय में जानकारी नहीं मिली, इसलिये इस विषय को अब लाया हूं, अगर पहले जानकारी मिल जाती तो पहले ले आता।

श्री अध्यक्ष : जानकारी पक्की नहीं है, अब भी कच्ची है ?

श्री नाथूसिंह : राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार में इस तरह के म्यूजियम बनाने की योजना बनी और इस मामले में तय हुआ था कि राजस्थान के अधिकारियों की देख रेख में म्यूजियम बनेगा लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उच्च अधिकारियों की रुचि बिल्कुल नहीं है, इधर ध्यान नहीं दिया गया। ऐतिहासिक चीजें, तलवारें, तोपें, वस्त्र, मूर्तियां जितनी भी थीं लगातार चोरी जा रही है और चोरी हो जाती है तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कर दी जाती हैं उसके बाद कोई देखभाल नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सदन में उठाया है। इस तरह की ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं वे लगातार चोरी हो रही हैं और हमारा विभाग सोता रहे। म्यूजियम बनाने के लिये केन्द्रीय सरकार पैसा दे उसका उपयोग नहीं कर पायें यह दयनीय स्थिति है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस मामले, में कुछ विशेष नहीं कहूंगा। मैं केवल सरकार से इतना निवेदन करूंगा कि विभाग को सतर्क करें और भविष्य में इस तरह की राशि चाहे केन्द्रीय सरकार से चाहे किसी और एजेन्सी से राज्य सरकार को ऐतिहासिक महत्व के मामलों में मिलती है उसका पूरा पूरा उपयोग करवायें और जिन अधिकारियों ने इस मामले में सतर्कता नहीं बरती है, जो सोते रहे, उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करे। मेरा मन्तव्य केवल इतना सा है। धन्यवाद।

सदन पटल पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन एवं लेखा

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र....

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपकी आज्ञा से..

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : होने दीजिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, राजकीय उपक्रम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619ए की उपधारा 3 के भाग (बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 1979–80 सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन
जनलेखा समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री शोभाराम जी।

श्री शोभाराम (सभापति, जनलेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, विनियोग लेखे 1974–75, वित्त लेखे 1974–75 तथा वर्ष 1974–75 के लिये भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) से सम्बन्धित जनलेखा समिति, 1980–81 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा (सभापति, विधान सम्बन्धी समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति, 1980-81 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है माननीय कैलाश जी और मैंने दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिये थे एक आयुर्वेद पर 17 तारीख को दिया था..'

श्री अध्यक्ष : प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय कैलाश जी भी प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं। चेम्बर में मिलिये मैं आपको अवगत करा दूंगा और निवेदन कर दूंगा। मेरे पास सूचना जिन स्थगन प्रस्तावों पर सरकार की ओर से प्राप्त हो गई है उनमें कुछ तो विचाराधीन हैं, कुछ आ गई है उन का अध्ययन करना है।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत जरूरी है, आयुर्वेद का मामला है...

श्री अध्यक्ष : अभी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : बहुत महत्वपूर्ण है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं बाद में चेम्बर में मिल लूंगा।

(61)

नियम 295 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषाहार केन्द्रों पर वितरित मोडर्न बेकरी रोटी में कांच के टुकड़े

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल 295 के तहत....

श्री अध्यक्ष : डबल रोटी वाला मामला है क्या ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो डबल रोटी बांटी जा रही है सरकारी तौर पर।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं, आपने इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन शायद गलती से दो स्थगन प्रस्तावों पर आपने दस्तखत कर दिये। एक पर तो मैंने सरकार से जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखा है दूसरा अस्वीकार कर दिया यह कहकर कि ..

(व्यवधान)

आप रूल 295 के तहत डबल रोटी पर बोलना चाहती हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां।

मान्यवर, पिछले दिनों समाज कल्याण विभाग द्वारा सारे पोषाहार केन्द्रों पर माडर्न बेकरी की यह रोटी बांटी गई थी। पिछले दिनों सारे केन्द्र बन्द कर दिये, क्योंकि इसमें कीड़े निकले थे। बाद में शायद यह समझ कर कि क्वालिटी ठीक हो गई हो, उन्होंने शुरू कर दी और मेरे यहां एक गोदाम बना हुआ है पान के दरीबे में सेवकराम सिन्धी जो है ये रखते है, मान्यवर, एक व्यक्ति मन्नालाल अपने परिवार के बच्चों के लिये ले गये और एकदम बच्चा जब उसे खाने लगा मुंह में तो उसमें एक कांच का टुकड़ा आया। मैं यहां किसी बात को खूब सोच समझकर ही प्रस्तुत करने की बात करती हूं। जब इसमें कांच का इतना बड़ा टुकड़ा निकला तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मान्यवर, अन-समझी में कई बार दूध के साथ बच्चे निगल जाते हैं और दांतों से चबाते नहीं है। अगर ऐसी हालत में उनके पेट में यह कांच का टुकड़ा चला जाता है तो आंतें छील देता है और उस हालत में मृत्यु तक हो सकती है। मैं जानती हूं कि कांच कितना घातक होता है। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सोचें, कांच कितना घातक होता है। इस तरह खाने की चीजों में असावधानी बरती जाय तो यह सरकार के लिये बड़े दुःख की बात है। इस तरह डबल रोटी जो कीड़े से युक्त पाई गई, सरकारी खरीद में भी बन्द कर दी गई, कभी कांच के टुकड़े निकल जायं तो यह जनता के साथ खिलवाड़ है। लोगों के लिये जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते है वे भी इस तरह के रद्दी करते हैं, इससे अधिक शर्म की और क्या बात होगी ? आज बाजार में मिलने वाला आटा, नमक, हल्दी, धनिया आदि में इतनी मिलावट आती है कि उसकी देखभाल के लिये कोई सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं है। मैंने पिछले दिनों भी विधान सभा में एक नमूना रखा था लेकिन आज तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आई फिर भी मैं यह सोच रही हूं कि यह डबल रोटी कई बार बच्चे चबाते नहीं है और एक साथ निगल जाते हैं इसलिये इसको प्रस्तुत करना चाहती हूं ..

श्री अध्यक्ष : आज डबल रोटी तो लाई नहीं हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बची हुई है। अध्यक्ष महोदय, उनके घर से यह रिपोर्ट मिली है और उन्होंने डाक्टरी जांच भी कराई है। हो सकता है कुछ निगल गया हो लेकिन यह बची हुई डबल रोटी है और यह उसी का रेपर है। मैं चाहती हूं कि इसकी जांच कराई जाय और जांच के बाद या तो उन्हें क्वालिटी में सुधार करने के लिये कहें या फिर इसे बन्द करने की व्यवस्था करें। मुझे सारी जानकारी है लेकिन नाम वगैरह नहीं देना चाहती हूं। आप सम्बन्धित विभाग को कहें कि इसकी जांच करा कर इसी हाउस में रिपोर्ट दे कि क्वालिटी ठीक करेगा या नहीं और नहीं करेगा तो बन्द करा दी जाय। अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना सा निवेदन है कि आप जांच के आदेश दे दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री चाव खां (कामां) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था ''

श्री अध्यक्ष : मैंने अर्ज किया, आपने पहला ही स्थगन प्रस्ताव दिया था इसलिये खास तौर से ध्यान में रखा है और उसको राज्य सरकार के पास भेजा है उनकी राय के लिये। जब राय मिल जायेगी तो मैं आपको निवेदन कर दूंगा कि यह हालत

श्री चाव खां : यह वह नहीं है, दूसरा है। एक कब्रिस्तान के सम्बन्ध में था यह यूनानी के सम्बन्ध में है–इसमें और उसमें तो बहुत फर्क है।

श्री अध्यक्ष : जो आज प्रस्तुत नहीं किया गया है, उस स्थगन प्रस्ताव के बारे में तो मुझसे चेम्बर में मिल लीजिये। मैं आपको बता दूंगा।

श्री चाव खां : सिर्फ दो मिनट में जैसा आप कहेंगे वैसा ही निवेदन कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र शर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर रेलवे स्टेशन के पास लगी हुई महात्मा गांधी की मूर्ति को हटाने के संबंध में एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : उस पर मैंने व्यवस्था दे दी है, माननीय सदस्य, जानकारी चाही है मैंने उसमें। कृपया ध्यान रखा करें, माननीय सदस्य।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सीकर में मातृ सदन का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (श्री घनश्याम तिवाड़ी)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे मसले की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कोई राजनैतिक बात नहीं बल्कि एक मानवीय पहलू है। अध्यक्ष महोदय, सीकर नगर में (बी) क्लास का अस्पताल है किन्तु उसमें मातृ सदन नहीं है। 7 साल पहले मातृ सदन का काम एक संस्था कर रही थी किन्तु अब उसकी बिल्डिंग टूट-फूट गई है और इस कारण अस्पताल बन्द हो गया। अभी सीकर में समाज कल्याण की ओर से 5-10 बेड का मातृ सदन अस्पताल चल रहा है। रोज 25-30 औरतें प्रसव के लिए आती हैं और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीकर में सोढ़ाणी

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जी हैं आप उन्हें जानते होंगे। उनके पास जिलाधीश खुद गए, वे उनके पास नहीं गए और यह कहा कि इस प्रकार का अस्पताल सीकर में बहुत आवश्यक है इस लिए आप बनाने में हमारी सहायता करें। राज्य के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधीश सीकर ने 18 सितम्बर, 1980 को एक समभौता किया और बद्री नारायण सोगाणी से कहा सीकर में खाली जगह पड़ी है उसमें सरकार की योजनानुसार पी डब्ल्यू.डी. और मेडिकल डिपार्टमेंट की राय के अनुसार अस्पताल बना कर दें। दूसरी ओर, अध्यक्ष महोदय. . . .

(1.21 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

दूसरा, सभापति महोदया, यह तय हुआ कि, जो पुराना अस्पताल चलता था उसमें एक डायग्नोस्टिक सैन्टर खोला जाए जिसमें 25-30 लाख रुपया लगेगा, वह बनेगा और इसके लिए मशीनें 5-7 लाख की आएगी जिनका आर्डर दे दिया गया है। डायग्नोस्टिक सैन्टर, उसमें चेयरमैन बद्री नारायण सोढ़ाणी होंगे – कलेक्टर और सी.एम.एच.ओ. व डायरेक्टर उसके प्रतिनिधि होंगे और किसी कारण बद्रीनारायण सोढ़ाणी इस्तीफा देते हैं या पोस्ट वेकेन्ट हो जाती है तो कलेक्टर सीकर के हिसाब से उसमें दूसरा चेयरमैन बनाया जाएगा किन्तु इस बिल्डिंग का दूसरे पर्पज के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा और अगर किया जाएगा तो बिना किसी मुआवजे के, वह राजकीय सम्पत्ति हो जाएगी। वहां जो डायग्नोस्टिक सैन्टर बनने वाला था, वह नो प्रोफिट नो लोस पर बनने वाला था। यह 18 दिसम्बर, 80 को समभौता हो गया। उस समभौते का पालन शुरू होने वाला था, उसके बाद उस पर कार्यवाही रोक दी। अब किस कारण से रुकी है या किस कारण से नहीं रुकी है उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मेरा मकसद है कि मैं उन कारणों पर जाऊं। सरकार से मैंने सदन में लिखित प्रश्न किया था, उसके जवाब में कहा था कि जी हां, समभौता हुआ है, प्रति संलग्न है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से रोक लगाई गई है, मामला विचाराधीन है। माननीय मन्त्री महोदय, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। हमें इस बात का कोई आग्रह नहीं कि ये अस्पताल बद्रीप्रसाद सोढ़ाणी के नाम से बनायें, हमारा इतना ही कहना है कि अगर आप समभौते का पालन नहीं करते हैं, मेरा तो आग्रह है कि समभौते का पालन होना चाहिए। अगर आप नहीं मानते तो, अस्पताल सीकर में बना दें, हमको कोई परेशानी नहीं होगी।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि दानदाता इस प्रकार दान से जो काम करना चाहता है, उसके नाम को किन्हीं कारणों से रोकें और दानदाता तय कर ले कि मैं अस्पताल नहीं बनाऊंगा तो उस स्थिति में सीकर की जनता को तकलीफ होने वाली है और आखिर के बोझ सरकार पर पड़ने वाला है। चूंकि सरकार को कुछ न कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, इसलिए, मेरा इतना ही कहना है कि इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। इसमें कोई वित्तीय कठिनाई नहीं है कि वित्त का भार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पड़ रहा है, कोई जमीन पर कब्जा नहीं है। सरकार और जनता के पक्ष में हो रहा है इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से विचार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि आप ध्यान करें, सरकार समझौते का पालन करती है और अगर उस समझौते में कोई गलती है तो उसे बुला कर सरकार ठीक करेगी और उसमें किसी भी कारण को बीच में नहीं आने दिया जावेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (चिकित्सा मंत्री) : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां के आध्या कुमारी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की स्थापना की दृष्टि से ध्यान आकर्षित किया ? सभापति महोदय,जो बताया है, उसमें ज्यादा हेर-फेर नहीं है, केवल एक ही बात का हेर-फेर है। यह सही है कि वहां पर आध्या कुमारी मातृ शिशु कल्याण केन्द्र गांव में चलता था, वह बिल्डिंग इस काबिल नहीं रह पाई कि वह मातृ शिशु कल्याण केन्द्र वहां चल सके, इस लिए उसको वहां से हटा कर सीकर अस्पताल में ट्रांसफर किया गया। यह कहना सही नहीं है, वह अस्पताल के साथ है और चलता है। मैं निवेदन कर रहा हूं। दूसरे कहा कि उसके बाद एक समझौता हुआ, एक ट्रस्ट के बीच में और जिला प्रशासन के बीच में, बद्री प्रसाद सोढ़ाणी का नाम लिया। उन्होंने ये चाहा कि वह मातृ शिशु कल्याण केन्द्र की बिल्डिंग, जो शहर के बीच में है, उनके ट्रस्ट को दे दी जाय। जहां पर जो वह मातृ शिशु कल्याण केन्द्र हो, चाहे वह डायग्नोस्टिक सैन्टर हो या और हो। उस दृष्टि से चलायेंगे और उसके एवज में अस्पताल में जो जगह पड़ी है, वहां पर मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के लिए बिल्डिंग हम बनायेंगे, नक्शे के अनुसार, लेकिन 5 लाख रुपये की लागत आयेगी। यह बात बताई कि 5 लाख रुपये तक की लागत की बिल्डिंग बनाने के लिए, 5 लाख की सीमा निर्धारित की है। अस्पताल में जितना खर्च होगा, वह होगा, उसके आगे काम नहीं करेंगे।

समझौते की शर्त यह है लेकिन यह समझौता, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सही है कि जिला कलेक्टर उसमें शामिल है, लोकल प्रतिनिधि उसमें शामिल हैं और उन्होंने वहां पर मीटिंग करके तय करके कि आज तक मेडिकल डायरेक्टर ने तय किया, लेकिन मेडिकल डायरेक्टर का सवाल है, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया; उसको कान्फीडेंस में नहीं लिया गया था। (अश्रव्य) इसी दरम्यान समझौते की स्वीकृति सैक्रेटेरियट में पहुंच गयी। इसी दरम्यान में वहां से एक दरख्वास्त मिली कि जो बिल्डिंग दी जा रही है इसके अगेन्स्ट में केवल 5 लाख रुपये का मकान बनाया जा रहा है, वह बिल्डिंग अगर आज के दिन सरकार देखना ही चाहती है तो इस पर कम से कम 10 लाख रुपये खर्च होंगे। इसलिये यह समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जब अभी ऐसी कुछ बात है तो मैडिकल डिपार्टमेंट के ध्यान में यह बात आयी तो इस पर विचार की बात आयी। मैं आपको बता दूं कि हम न समझौते को भंग करना चाहते हैं, न चाहते हैं कि समझौते को भंग किया जाय। तो मैं माननीय सदस्य क

(श्री हीरालाल देवपुरा)

विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से, जैसा आपने कहा है उसी दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जायेगा और जो भी जनहित में और राज्य हित में, डिपार्टमेंट के हित की दृष्टि से बात होगी, वह की जायेगी। आप जैसा चाह रहे हैं कि मात्र शिशु कल्याण केन्द्र बने, वहां पर सुचारु रूप से चलना चाहिए तो मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वह चलेगा और यदि इस समझौते के ऊपर हो, तो चाहे राज्य सरकार को अन्य कामों के कारणों से होगा, वहां पर जो बिल्डिंग है, उसकी पूर्ति की जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो बात कही, वह दूसरी कही। इस बात को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले डायरेक्टोरेट से गयी है, 29.5.80 को डायरेक्टोरेट से स्वीकृति गयी है, उसके बाद 18 सितम्बर. 80 को समझौता हुआ है।

श्री हीरालाल देवपुरा : दिनांक 29-5-30 को डायरेक्टोरेट से नहीं गयी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपने दी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : डायरेक्टोरेट से जो गया है, उसे राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। उसके बाद गया है डायरेक्टोरेट को, डायरेक्टर ग्राफ मेडिकल डिपार्टमेंट को कहीं पर भी कान्फिडेंस में नहीं लिया गया है। जो राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है, लोकल लेवल पर मैं बहस में नहीं जाना चाहता कि वह कैसे हुआ है, मैं अपना माइन्ड भी नहीं बनाना चाहता कि अस्पताल नहीं बने, मैं खुले दिमाग से सोचना चाहता हूं। पहला तो सवाल यह है कि बिल्डिंग मेडिकल डिपार्टमेंट की थी, डायरेक्ट थी, बिना मेडिकल डिपार्टमेंट को पूछे कलेक्टर उसमें समझौता कर ले, जैसी मर्जी चाहे स्वीकृति दे दे, यदि कर भी दे तो आखिर मेडिकल डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है। मेरा कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं है जिससे मान लिया जाय कि इस पर विचार नहीं करेंगे। मैंने बिल्कुल खुले दिमाग से बात की है। अभी इस पर फैसला किया नहीं है। ये जो क्वेश्चन किया है सदन में जानकारी दी है, इस सम्बन्ध में विचार करके निर्णय लेना है और जो सही निर्णय होगा, सीकर के हित में होगा, वह निर्णय लिया जायेगा। दूसरा निर्णय नहीं लिया जायेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं पढ़ कर सुनाता हूं, निर्देशानुसार उपरोक्त विषय के अन्तर्गत श्रीमती आध्या कुमारी प्रसूति गृह सीकर के वर्तमान भवन एवं भूमि को श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट सांवली (सीकर) को 99 साल की लीज पर आवंटित करने की राज्यपाल महोदय की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर दी जाती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ये सारी है जो आप कह रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन शर्तों पर 19.5.80 के बाद में 18 सितम्बर 80 को ये फिर भेजा है। राज्यपाल महोदय की स्वीकृति से डायरेक्टर हैल्थ ने भेजा है और उसके बाद हुआ है। उसके सारे कारणों के आधार पर किया है। मेरा निवेदन है कि आप मानें या नहीं मानें, ये आपकी मर्जी की

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बात है. मुझे कोई तकलीफ नहीं है और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सुचारु रूप से कोई प्रसूति गृह नहीं चल रहा। एक कोने का कमरा है जिसमें पांच बैड पड़े हैं कोई वेंटीलेशन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप विचार करते रहेंगे और विचार करते-करते बनाना है या नहीं ? और अगर नहीं बनाते हैं तो हमसे कह दीजिए कि आप बना दीजिए। आप कहते हैं कि एक साल के अन्दर बन जायेगा, एक साल के अन्दर बनाने का समझौता हुआ था, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आपने यह बात विधान सभा में कही है, मेरे लिखित प्रश्न के उत्तर में दी है। 19–5–80 को भेजा और उसके बाद समझौता हुआ तो डायरेक्टर के ध्यान में आने के बाद, गवर्नमेन्ट के ध्यान में आने के बाद, कलेक्टर के ध्यान में आने के बाद समझौता हुआ है। किस कारण से रुका है, किस कारण से नहीं रुका है और किसी भी दृष्टि से रुका है। इस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करें। डायरेक्टर साहब ने भेजा, गवर्नर साहब की स्वीकृति से हुआ है फिर कलेक्टर से प्रस्ताव करके किया है। कौनसा कारण था फिर जिससे रोक दिया गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैंने बिल्कुल साफ कहा है। यह डायरेक्टर के वहां से नहीं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फैसले के बाद किया।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनें तो। इतनी जल्दी में तो न तो कोई आप समझौता कर लेंगे और न मैं कर लूंगा। थोड़ा तो इन्तजार करो। मैंने निवेदन किया कि एक मीटिंग हुई, यह माननीय सदस्य बता रहे थे कि कलेक्टर, सी. एम. एच. ओ. और कुछ वहां के लोकल लोगों ने मीटिंग करके प्रस्ताव को भेजा और सैक्रेटेरियट से फैसला हुआ और नेचुरल है कि उसकी तामील होने के लिए डायरेक्टर मेडिकल को जायेगा लेकिन जो कुछ सैक्रेटेरियट से हुआ था, उन्होंने तामील के लिए भेज दिया और वे शर्तें जब लग गयीं तो उनके आधार पर उन्होंने कह दिया कि एग्रीमेण्ट कर लें। राज्य सरकार का आदेश हुआ है, उसको मैंने कभी ना नहीं किया, उसके बाद एग्रीमेण्ट हुआ है, यह मैं ना नहीं कर रहा हूं और काम चलने वाला था। मैंने तो आपसे कहा कि यह इसलिए रोका गया कि एक रिपोर्ट आ गयी कि ये जो बिल्डिंग बनने जा रही है और जिसको दिया जाकर 5 लाख का भवन बना रहे हैं तो उसका 10 लाख रुपये आगे और खर्चा आयेगा। वह मकान बनाना चाहेंगे तो ज्यादा अच्छा बन पायेगा। That was the question. मैंने यह कहा, बिल्कुल मानवीय दृष्टिकोण से सोचेंगे और जहां तक सीकर का सवाल है, सीकर के हित में और राज्य सरकार के डिपार्टमेंट की हित की दृष्टि से चाहे जन हित की दृष्टि से, चाहे और बात हो, उसको करेंगे। मैंने कहीं नहीं कहा कि मैंने बन्द कर दिया। ऐसी बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मेरा कहना है कि पहले जो किया था, समझौते की शर्तें पढ़ कर सुना रहा हूं जिसमें 5 लाख का कहीं जिक्र नहीं है। इसमें साफ लिखा है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

"The building and area with the consent of P. W. D. and Medical & Health Department as per note approved by them."

इसके अतिरिक्त एक निवेदन और है कि यह तो पहले की बिल्डिग थी वह सोढ़ाणी ट्रस्ट की है और उनके ही नाम का लेबल हॉस्पिटल बिल्डिंग पर लगेगा। पहले वाली भी सरकार की नहीं थी और यह भी सरकार की नहीं है। वह जमीन भी एक व्यक्ति विशेष ने सरकार को दी थी और, वही व्यक्ति उसे बना रहा है और उस पर सारा खर्चा करना चाहता है तो इसमें सरकार को कहां से तकलीफ आ गई। ऐसी कौनसी एप्लीकेशन आ गई कि जिसके कारण सरकार किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकती और इसको बन्द कर दिया है। मैं समझता हूं कि देवपुरा साहब से मुझे बहुत आशायें थीं लेकिन आपने जिस तरह का जवाब दिया है ऐसे जवाब की मुझे आशा नहीं थी। कोई भी सेंसीबल आदमी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि वहां पर काम नहीं होना चाहिए। आज आपको घोषणा करने में क्या तकलीफ है। अगर सरकार बनाना चाहती है तो सरकार बना दे हमको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप नहीं बना सकते तो जो व्यक्ति बनाना चाहता है उसको बनाने देने में क्या आपत्ति है? कौन सा ऐसा कारण है कि आप आज घोषणा नहीं कर सकते? क्या इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से जीत कर आया है इसलिए वहां पर बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए? मुझे आपसे बिल्कुल ऐसी आशा नहीं थी। इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप मातृ शिशु कल्याण केन्द्र बनाने की अनुमति दें, यही मेरा निवेदन है और मुझे यही आपसे आशा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, मैंने बिल्कुल साफ कहा है और माननीय सदस्य ने जो पढ़ा है वह मेरे पास भी है उसमें पांच लाख की बातें साफ लिखी हुई है। इसमें यह शर्त साफ तौर पर लिखी हुई है :

"श्री कल्याण आरोग्य सदन ट्रस्ट द्वारा उपरोक्त भवन एवं भूमि को बदले में श्री कल्याण अस्पताल, सीकर के प्रांगण में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र का भवन लगभग 5 लाख रुपये की लागत से है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की सहमति से जिलाधीश सीकर द्वारा अनुमोदित नक्शे के अनुसार कराया जावेगा जो पांच लाख की कण्डीशन लगाई गई है उसमें झगड़ा इस बात पर है कि जो बिल्डिंग बनने वाली है वह बिल्डिंग सरकार की कैसे नहीं है। श्रीमती आभ्या कुमारी ट्रस्ट ने जो बिल्डिंग डोनेट की है, बिल्डिंग जिस पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए दान में दी है, दान में देने के बाद में स्वामित्व तो सरकार में निहित हो जाता है। एक बार देने के बाद में स्वामित्व तो व्यक्ति का नहीं रहता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जब बिल्डिंग सरकार के पास में आ गई तो निश्चित रूप से वह बिल्डिंग सरकार की है, फिर चाहे वह पी. डब्ल्यू. डी. के पास रहे, कालेज के लिए रहे, हास्पिटल के लिए रहे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, जब डोनेटर ने बिल्डिंग दी होगी तो पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए तो दी होगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : वह बिल्डिंग बिल्कुल पर्टीक्यूलर पर्पज के लिए दी गई थी। मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चलाने के लिए दी है और इसी पर्पज के लिए दी थी लेकिन यह जो नया अस्पताल होगा उसमें वही नाम रखा जाएगा जिससे कि उनके डोनेटर पर किसी तरह का आघात न पहुंचे। यह तो ठीक, लेकिन जो ट्रस्ट है, मुझे नहीं मालूम कि पुराना ट्रस्ट है या नया ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के द्वारा डोनेटेड लैंड नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है उस के अनुसार बिल्डिंग पुरानी है जिसके द्वारा डोनेटेड है। इस समय प्रश्न यह है कि जो यह ट्रस्ट पांच लाख रुपये का मकान बना कर देगा अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस पर अब वे प्राकृतिक सैंटर बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है। प्राकृतिक सैंटर वालेंटियर एजेन्सी चलाना चाहती है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन प्राकृतिक सैंटर बनाने के लिए नियमों के अनुसार जमीन लेने की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारी अपनी जमीन कही जाती है उसकी कीमत ज्यादा है। आप भी कहते हैं कि जमीन की कीमत ज्यादा है लेकिन उसको लेकर हमें दूसरा भवन बनाना है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा। मेरा तो इतना ही कहना है कि इस पर खुले दिमाग से सोचेंगे। जहां तक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का सवाल है यह सरकार की जिम्मेदारी है कि बिल्डिंग की पूर्ति हो। अब बिल्डिंग सरकार अपने साधनों से बनाये या कोई नया डोनेटर मिल जाये। हो सकता है कि उनसे ही यह हो जाय लेकिन इस पर खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, वह जो प्रिमिसेज बदली गई है जनरल हॉस्पिटल है आध्या कुमारी बिल्डिंग से हटा कर उसके पीछे कोई पर्पज तो रहा होगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसके पीछे पर्पज यही था कि वह बिल्डिंग इस स्थिति में नहीं थी, इतनी जीर्ण शीर्ण हो रही है कि उसमें खतरा था पेशेंट को रखने में। खतरा था कि बिल्डिंग कहीं गिर जायेगी इसलिए बदली। इसी वजह से उसको बदलना पड़ा।

श्री सभापति : बहुत अच्छी हालत में मैंने देखी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरी देखी हुई नहीं है। सभापति महोदय, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन यह किस आधार पर दिया जा रहा है....

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा निवेदन यह है कि वह नई बिल्डिंग जब बनेगी तो ज्यादा कीमत की बनेगी। नई बिल्डिंग बनने के बाद में सरकार की हो जायेगी। उस पर भी बनाने वाले का कोई अधिकार नहीं रहेगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह भी होगा तो सोचेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 5 लाख

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

की बात है, 29–5–80 के पत्र में है लेकिन कलेक्टर सीकर ने उसको नहीं माना है और उसके बाद में 18 सितम्बर को जो अनुबन्ध हुआ उसमें पांच लाख की बात हटा दी गई। यह कह दिया गया कि आपके नक्शे के हिसाब से जितना पैसा लगेगा, मातृ और शिशु कल्याण भवन बनाने के लिए उसमें पांच लाख की कोई बात नहीं है। आपका मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट और पी.डब्ल्यू. डी. जिस प्रकार की बिल्डिंग चाहेगा उसमें पांच लाख, सात लाख लगे, दस लाख लगे जो भी लगेगा वह लगायेंगे और जैसी भी बिल्डिंग चाहते हैं वह बिल्डिंग बनायेंगे। कोई पांच लाख की पाबन्दी नहीं है। आप शीघ्रातिशीघ्र घोषणा कर दें। उसकी पालना होगी। सरकार की जिम्मेदारी है, कांट्रेक्ट होने के बाद में सरकार मुकरती है तो यह शोभा की बात नहीं है। सरकार का फर्ज होता है कि उसकी पालना करे। इसके बाद अगर सरकार मुकर जाती है, उसके बाद में सीकर की जनता को खतरे में डाला जाता है, स्वास्थ्य के मामले में खिलवाड किया जाता है और वह भी स्वास्थ्य जैसे मामले में तो मैं समझता हूं कि शोभाजनक बात सरकार के लिए भी नहीं है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय, इतना तो कहा जा सकता है कि महिलाओं के हित में आप निश्चित रूप से इसका ध्यान रखेंगे, बात कर लीजिए।

श्री महेन्द्र सिंह (संगरिया) : माननीय सभापति महोदया, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सीकर से जनता पार्टी का सदस्य जीत करके आया है इसलिए नहीं बनवा रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है सीकर, यदि मन्त्री महोदय इस समय घोषणा कर दें तो हमें एतराज नहीं है, क्योंकि सभी के हित की बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदया, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा सरकार को। माननीय सदस्य ने एक बात कही कि वह जितनी रुपयों की बिल्डिंग होगी, जितना रुपया बिल्डिंग बनाने में लगेगा उतने की बना कर देंगे तो इस तथ्य को भी ध्यान में रख कर विचार करेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं मन्त्री महोदय से एक सामान्य प्रश्न करना चाहूंगा। यह डाकूमेंट जो आपका है इसमें तीन बातें हैं। उसमें जो पुराना भवन है यह पांच लाख रुपया उसकी कीमत बताई है। कहीं इसमें यह नहीं बताया गया है कि हम अपनी तरफ से पांच लाख रुपया लगायेंगे। आप कृपया पढ़िये इसको। मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मन में यह शंका है और जिसका क्लेरीफिकेशन वहां से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है कि अगर आप ज्यादा लगाना चाहेंगे तो वह भी लगायेंगे। जैसा माननीय सदस्य ने कहा और जिस प्रकार से कांट्रेक्ट में लिखवाने को तैयार हैं और उसी नक्शे के अनुसार जैसा पी. डब्ल्यू. डी. का नक्शा है उसके अनुसार मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का भवन बन जाएगा तो क्या मन्त्री महोदय अभी कहने की स्थिति में हैं क्या अब और तो विषय नहीं है? यह दिया जाएगा?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह तो मैंने कह ही दिया है खुला हुआ तो है ही। बन्द

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कहां है ? सवाल बिल्डिंग का है। यह तो मैंने कह ही दिया है कि इस बात को भी ध्यान में रख कर फैसला करेंगे और जरूर विचार करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फैसला कब करेंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जल्दी ही करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जल्दी से मतलब ? आपको तकलीफ क्या हो रही है ? जब फायनेंशियल इम्पलीकेशन कुछ हैं ही नहीं तो क्या फैसला करेंगे ?

श्रीमती कमला : जल्दी से मतलब है प्रति शीघ्र।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कौन सा इम्पलीकेशन देखना चाहते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह सब बात हो जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि पांच लाख रुपयों की पुरानी बिल्डिंग की लागत है, यह कहीं नहीं कहा गया है कि नया बनने वाला ट्रस्ट वह पांच लाख की बनायेगा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी नक्शा पी. डब्ल्यू. डी. ने पास किया है उसके अनुसार नया भवन बनेगा, कांट्रेक्ट में यह है। यह पांच लाख और लगायेंगे कहीं नहीं है इसमें। इसके बाद भी माननीय सदस्य कह रहे हैं, अगर लिखित में उनसे लेना चाहें तो वे लिखित में देने को तैयार हैं तो क्या मन्त्री महोदय अभी यह कहने की स्थिति में हैं कि जितना भवन नक्शे में है, वह भवन बना दिया जाएगा तो उनको इजाजत दे दी जाएगी ? क्योंकि पुराना कांट्रेक्ट तो हो ही चुका है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सब ठीक है। मैंने जो कहा है और आपने कहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही कहा है कि इस पर भी निश्चित रूप से विचार करेंगे। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय मंत्री महोदय, जिस ऑब्जेक्शन के कारण यह रुका हुआ था वह ऑब्जेक्शन तो हट गया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, हमारे मित्र हैं मैंने उनसे बात कर ली है, वे भी एग्री हो गए हैं ...

श्री हीरालाल देवपुरा : आपकी और मेरी बात में विरोध कहां है। मैं भी यही कह रहा हूं कि मुझे फैसला करना है और फैसले के लिए मुझे डिक्टेट नहीं किया जा सकता है। जो आपने कहा और मैंने कहा उसमें मतभेद की बात कहां है ?

शासकीय वक्तव्य

मुंसिफ मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

श्री सभापति : माननीय मुख्य मन्त्री, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, बांसवाड़ा के मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वक्तव्य पढ़ रहा हूं।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

माननीय सभापति महोदया, दिनांक 23-2-81 को सायंकाल 5:20 बजे गुरपाल सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा जब अपनी अदालत समाप्ति के पश्चात् घर लौट रहे थे तो एक व्यक्ति ने जिलाधीश कार्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के पीछे पक्की रोड पर धक्का देकर गिरा दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे पकड़ने की कोशिश की परन्तु वह भाग गया नीचे गिरने से उनके शरीर पर कुछ घसीट के कारण चोटें भी आईं ?

इस घटना के सम्बन्ध में श्री गुरपालसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ने दिनांक 24-2-81 को एक लिखित पत्र न्यायाधीश बांसवाड़ा को उक्त घटना का विवरण करते हुए भेजा जिसमें आक्रमण पूर्ण योजनाबद्ध कार्यवाही पुलिस द्वारा करना अथवा करवाना अंकित किया, जिसका कारण उन्होंने यह बताया कि दिनांक 21-1-81 को मुकदमा संख्या 1064/78 में व एक दूसरे केस में उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की जमानत की दरख्वास्त अस्वीकृत की थी क्योंकि वह उनके क्षेत्राधिकार में नहीं था। इसी कारण से पुलिस वालों ने उन पर यह आक्रमण करवाया है।

जिला न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने श्री गुरपालसिंह के इस पत्र को अपने पत्र दिनांक 25-2-81 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा को आवश्यक जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने हेतु भेजा। इस पत्र में उन्होंने इस घटना को पुलिस कर्मचारियों अथवा पुलिस के उकसाने पर किसी गुण्डे द्वारा कराना अंकित किया।

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने इस पत्र की प्राप्ति पर जिला न्यायाधीश को दिनांक 27-2-81 को पत्र लिखते हुए अंकित किया कि चूंकि श्री गुरपालसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एवं जिला न्यायाधीश द्वारा बिना जांच के इस घटना का आरोप पुलिस कर्मचारियों पर लगाया गया है अतः इसकी जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा करना न्यायसंगत नहीं होगा। वह इस समस्त प्रकरण को जांच हेतु रजिस्ट्रार विजीलेंस उच्च न्यायालय को भेज रहे हैं। पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा ने उसी रोज अपने पत्र दिनांक 27-2-81 के द्वारा श्री गुरपालसिंह एवं जिला न्यायाधीश द्वारा भेजे गये पत्रों को रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय जोधपुर को भेजते हुए इस समस्त प्रकरण की जांच उनके विजीलेंस अधिकारी के द्वारा कराने का निवेदन किया।

पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा के उपरोक्त पत्र के प्राप्त होने पर जिला न्यायाधीश ने अपने अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 37 दिनांक 5-3-81 के द्वारा महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान को इस प्रकरण से अवगत कराते हुए मामले में महानिरीक्षक पुलिस स्वयं द्वारा अथवा सी. आई. डी. द्वारा जांच करवाने को लिखा और जांच से पूर्व पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं थानाधिकारी का जिले से स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव भी किया।

इसी बीच दिनांक 6-3-81 को श्री गुरपालसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा ने इस प्रकरण की एक रिपोर्ट वास्ते दर्ज करने एफ. आई. आर. थाना प्रबन्धक, बांसवाड़ा जरिये पत्र क्रमांक 320 : 81 भेजी

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

जिसके साथ उन्होंने अपना नोट प्रतिवेदन भी भेजा। उसके तत्काल बाद दिनांक 8-3-81 को श्री गुरपालसिंह ने एक पत्र पुनः थाना प्रबन्धक, बांसवाड़ा को लिखा जिसमें उन्होंने हमला करने वाले व्यक्ति का नाम तुराब खां, निवासी माहिडेम अंकित किया तथा दीगर सह अभियुक्त का नाम सक्षम अधिकारी के समक्ष बयान करना लिखा। इसी पत्र में उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष अनुसंधान की कोई उम्मीद न होने एवं उसके अनुसंधान को सी. बी. आई. के माध्यम से करवाने की इच्छा प्रकट करते हुए अनुसंधान को उसी स्टेज पर रोक देने को लिखा।

दिनांक 5-3-81 को महानिरीक्षक, पुलिस महोदय को भेजा गया उपरोक्त पत्र दिनांक 10-3-81 को प्राप्त होने पर महानिरीक्षक, पुलिस महोदय ने उप महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज को टेलीफोन पर दिनांक 12-3-81 को सम्पर्क कर उन्हें तत्काल बांसवाड़ा पहुंच कर इस समस्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिया जिस पर उप महानिरीक्षक दिनांक 13-3-81 को बांसवाड़ा पहुंचे और उन्होंने जिला न्यायाधीश एवं श्री गुरपालसिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा से मुलाकात की एवं उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बांसवाड़ा पर अभियोग पंजीबद्ध करने के निर्देश दिये गये जिस पर थाना बांसवाड़ा में अभियोग संख्या 89/81 अन्तर्गत धारा 332 ता० हि० पंजीबद्ध किया जाकर अनुसन्धान वृत्त अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़, श्री जी० सी० गुप्ता, उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। यह अन्वेषण उप महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज की देखरेख में सम्पन्न हो रहा है।

जिला न्यायाधीश, बांसवाड़ा ने उप महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज द्वारा की गई कार्यवाही से अपना संतोष प्रकट किया है, लेकिन श्री गुरपालसिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच अधिकारी को सहयोग नहीं करने के कारण इस मामले को अब सी. आई. डी. में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदया, जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने तथ्य बतायें, उससे निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि पुलिस ने जान बूझकर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जहां उनकी पिटाई हुई, सभापति महोदया, कलेक्टर ऑफिस के बीच में ठीक एस. पी. ऑफिस है, जहां पर सशस्त्र प्रहरी रहता है, उन प्रहरियों की मौजूदगी में शाम को 5.30 पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट जब घर लौट रहे थे, उनकी पिटाई हुई और पुलिस को कुछ पता नहीं लगा। आपने फर्माया कि घसीट के निशान हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको पीटा, मुल्जिम ने उनको घसीटा। इसमें वक्त लगा होगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की यह तो दूसरी बात है। सभापति महोदया, मजबूरन मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट जज को खत लिखना पड़ा। जिसमें उन्होंने सारे वाकयात लिखे, उसकी तफतीश करने को कहा। उसके फलस्वरूप डिस्ट्रिक्ट जज ने एस. पी. को उनके खत के सहित अपना एक खत भेजा। क्यों नहीं एस. पी. ने उसको रिपोर्ट मान कर रिपोर्ट दर्ज करके उस पर तफतीश की ? क्या हक है एस. पी.

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

को कि उनकी रिपोर्ट को न लिखते हुए उन्होंने रजिस्ट्रार विजिलेंस को लिखा ? किस प्रोविजन के तहत लिखा, मन्त्री महोदय, मैं यह जानना चाहूंगी। दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगी कि विजिलेंस रजिस्ट्रार को क्या ऐसे मैटर्स में कोई इनक्वायरी करने का हक है ? कोई क्रिमिनल आफेंस हो जाये, क्या विजिलेंस रजिस्ट्रार उनकी इन्क्वायरी करेंगे, आपने इसको सही मान लिया, अगर यह दोनों बातें सही नहीं हैं तो क्यों नहीं आपने उस एस. पी. के खिलाफ कार्यवाही की ? पहले इसका जवाब दे दें, बाकी दूसरे सवाल मैं बाद में पूंछ लूंगी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप एक साथ पूछ लीजिये जितने भी सवाल हैं, मैं सब का उत्तर दे दूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : आप एक साथ नहीं बतायेंगे, मन्त्री महोदय, आप गोल कर जायेंगे। मैं जानती हूं आपकी आदत। एक-एक सवाल का जवाब दीजिये।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मन्त्री) : आप इनको कब से जानती हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : जब से मैं एम. एल. ए. बनी हूं तब से।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, आमेर से आनी वाली माननीय सदस्या ने दो तीन सवाल पूछे। खास तौर से यह कहा कि उनके साथ मारपीट की। उस बारे में मेरा निवेदन यह है कि जो उन्होंने रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज को दी, जे. एम. जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसमें यह लिखा है कि जब मैं जा रहा था, जो सिचुएशन उसकी है, एक आदमी आया, उसका हुलिया उन्होंने बताया पजामा कमीज पहने हुआ था, उम्र 35 बरस की, मुझको धक्का दे कर उसने गिरा दिया जिससे कुछ चोटें आयीं और भाग गए धक्का देकर के। तो यह कहना कि वहां हाथापाई हुई, उसमें समय लगा, वहां संतरी खड़ा हुआ था, उसने उसको पकड़ा नहीं, यह बातें तो तथ्यों से साबित नहीं होतीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि एस.पी. ने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई थी कानून के तहत। यह बात सही है क्योंकि फर्स्ट इन्सटांस यह वकुवा हुआ होगा, इस मामले की रिपोर्ट मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने थाने के अन्दर नहीं कराई, इसलिए उन्होंने सूचना अपने डिस्ट्रिक्ट जज को दी और डिस्ट्रिक्ट जज ने 25 तारीख को एक पत्र एस.पी. को लिखा, जिस पत्र के अन्दर उन्होंने यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यह जो कुछ हुआ है, यह पुलिस की मिलीभगत से हुआ है और पुलिस की शह पर हुआ है। तो एस.पी. ने इस पत्र पर, जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज से प्राप्त हुआ था, कहा कि जब गोपालसिंह, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज इस निर्णय पर पहुंच चुके हैं कि यह पुलिस ने ही ऐसा करवाया है तो नेचरल जस्टिस की खातिर अगर उनके मन के अन्दर कोई दुर्भावना रही होती तो पुलिस के अन्दर ऐसा केस रजिस्टर करवा कर, पुलिस के तो बहुत लम्बे हाथ हैं, सभापति महोदया,

(व्यवधान)

लेकिन मैं जानता हूं, मैं फौजदारी का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

वकील रहा हूं लेकिन, सभापति महोदया, उनके मन के अन्दर एस.पी के मन के अन्दर कोई दुर्भावना नहीं थी, और उन्होंने रजिस्ट्रार विजिलेन्स को लिखा, हाई कोर्ट के अन्दर कि आप स्वयं इस मामले की, क्योंकि पुलिस के ऊपर तो दोषारोपण कर दिया गया, और यह बात उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया, इसलिए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुलिस ने ऐसा करवाया है, इसलिए उन्होंने लिखा कि आप ही स्वयं इसकी जांच करवा लें और जो तथ्य सामने आयेंगे उसके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। तो अगर उनकी कोई मेलाफाइडी रही होती एस.पी. की इस मामले के अन्दर तो वे स्वयं जांच करवाते और जांच कराके केस रजिस्टर करा देते और कह देते कि अदम पता अदम सबूत वकुआ जैसे रोज लिखते हैं, वैसे हो जाता। लेकिन नहीं उनकी मैलफाइडी नहीं थी। हो सकता है कि आप टेक्निकल ग्राउन्ड पर यह कहे कि रजिस्ट्रार, विजिलेन्स को जांच करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसमें एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन्वाल्व थे इसलिए एस.पी बांसवाड़ा ने उनको पत्र लिखा कि उनके विभाग के कर्मचारी से जांच करवा ली जाए, जो निर्णय होगा उस पर फिर आगे कार्यवाही करेंगे। जो माननीय सदस्या ने प्रश्न पूछे उनका मेरा जवाब यह है।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं, मन्त्री महोदय कानून को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, मैं तहेदिल से कह सकती हूं कि वे खुद उससे संतुष्ट नहीं हैं। एक एस.पी. को क्या अधिकार है, किस प्रोविजन के तहत उसने रजिस्ट्रार विजिलेन्स को भेजा? मैंने यह पूछा था किन प्रोविजन के तहत?

श्री प्रद्युम्नसिंह : नेचरल जस्टिस के आधार पर। मैंने साफ कहा है कि कोई अधिकार नहीं था, कोई कानून नहीं है, प्रोविजन नहीं है, सी.आर.पी.सी. में कोई प्रावधान नहीं है लेकिन आरोप लगा दिया, जब डी.जे. ने भी इस बात की ताईद की है कि पुलिस की शह से ऐसा हुआ है, मिली भगत से ऐसा हुआ है, यह उन्होंने कह दिया उसके बाद स्टेटमेंट दिया। आप एक मुद्दे को पकड़ कर बैठ गयीं माननीय सदस्या, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उसके बाद यहां सिंघवी साहब, हमारे आई.जी. के पास चिट्ठी आई तो उन्होंने डी. आई. जी. को कहा। डी. आई. जी. ने केस रजिस्टर करवाया। 6 तारीख को एफ. आई आर. भेज दी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पुलिस में 6 तारीख को केस रजिस्टर हुआ है फिर 8 तारीख को उन्होंने फिर लैटर लिखा कि हमें कुछ भरोसा नहीं है इस मामले में। मैं इसकी जांच नहीं करवाना चाहता। सी. बी. आई. से जांच करवायें। आई. जी. ने डी- आई. जी. को लिखा कि आप जाइए, मौके पर पर पहुंचिए। डी. आई. जी. मौके पर पहुंचे। उन्होंने जज से बात की, और भी अधिकारियों से बात की और बांसवाड़ा जिले के बाहर के अधिकारी श्री गुप्ता, जो डिप्टी एस. पी. प्रतापगढ़ हैं, को इसका इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर अपाइन्ट किया तब उन्होंने कहा कि यह तो एस.पी. के माध्यम से आए हैं हम इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। उन्होंने कहा, कभी ये इनके मात-

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

हत नहीं रहे, कभी इनके नीचे काम नहीं किया। फिर भी जब आई.जी. के नोटिस में यह बात आई तो उन्होंने कहा कि सी.बी. आई. (क्राइम) को जांच सौंपी गई है। मैं तो चाहूंगा, इस मामले में मेरी और खुद सरकार की मंशा है कि जुडिशियरी और पुलिस में कार्डियल रिलेशन होने चाहिये, मधुर रिलेशन हों। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस मामले में ज्यादा कहने से कटुता बढ़ेगी। सरकार यह नहीं चाहती की जुडिशियरी और पुलिस में किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन हो। दोनों के रिलेशन बहुत कार्डियल रहे हैं। हमारी यह भावना है, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला सबजुडिस है सही तथ्यों को छिपाना चाहते हैं और तफतीश नहीं करवाना चाहते, यह मेरा इल्जाम है। सबजुडिस नहीं, मामले की अभी तफतीश ही नहीं हुई है। मामला पुलिस में ही सबजुडिस हो गया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने जेर तफतीश कहा है।

सुश्री पुष्पा जैन : तो जेर तफतीश है तो क्या सदन में जिक्र नहीं होगा? यह कौन से प्रोवीजन में लिखा है कि मामला जेर-तफतीश है इसलिए सदन में कोई वार्तालाप नहीं होगा उसका?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने तो एक बात कही थी कि इससे कटुता बढ़ेगी ज्यादा डिस्कशन करेंगे तो....

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : कटुता आप बढ़ा रहे हैं यह बात कह कर कि इसका ज्यादा जिक्र नहीं किया जाय। यह कह कर खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मामले को दबाना चाहते हैं, जिक्र सदन में नहीं करके सही तथ्यों को दबाना चाहते हैं। आपने अपने बयान में खुद कहा है कि एस.पी. की दुर्भावना नहीं थी। मैं कहना चाहती हूं कि एस.पी. की दुर्भावना थी। अगर नहीं होती तो डी.जे. यकीन करते। बावजूद इसके उन्होंने रिपोर्ट लाज नहीं की, उन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और बावजूद इसके कि अपने आब्जर्वेशन दिए डिस्ट्रिक्ट जज ने निर्णय नहीं दिया कि आप इसके दोषी है, अपने खत में, वह खत नहीं, नहीं तो मैं बता देती, सही लेंग्वेज मेरे पास खत होता तो मैं बता देती कि उन्होंने क्या कहा। अगर वह खत सदन की टेबल पर आ जाय तो मैं बताती आपको। मुझे क्या मालूम, आप किस खत का हवाला देकर कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा यह आब्जर्वेशन देकर कि पुलिस वालों का इसमें हाथ लगता है लिहाजा आप इस मामले की सही तफतीश करके एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट पेश करें। एस.पी. पर उन्होंने सीधा चार्ज नहीं लगाया था, एस.पी. का इन्वोल्वमेंट नहीं बताया था लेकिन डिले करने के लिये, जानबूझ कर मेटर को डिले करने के लिए, तफतीश नहीं हो, पुलिस में रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास चला जाय, जिसका कोई हक नहीं, आप खुद जानते हैं कि रजिस्ट्रार विजिलेंस को हक नहीं है लिहाजा मामला यहां से वहां घूमता रहेगा और उसमें डिले होगी, यह दुर्भावना थी डिले करने की। आप कहते हैं

(सुश्री पुष्पा जैन)

एस.पी. की दुर्भावना नहीं थी, साफ जाहिर होता है कि एस.पी. की दुर्भावना थी। जहां एक एस.पी., जिसे कानून की बहुत समझ होनी चाहिये ने मामला रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास भेज दिया, क्यों नहीं वापस डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा गया ? दुर्भावना नहीं थी तो बताते कि मुझे लेटर लिखा है तफतीश के लिये लेकिन उन्होंने पुलिस को इन्वाल्व किया है, मैं तफतीश करूंगा, तो क्या आप न्यायसंगत समझेंगे या क्यों नहीं दूसरा उपचार करते ? इसके लिये, यह करते तो मैं निश्चित रूप से कहती कि दुर्भावना नहीं थी लेकिन उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। डी.जे. कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वह आप और हम दोनों से ऊपर है उन्होंने आदेश दिया था कि आप तफतीश करें एक हफ्ते में और हमें लिखें। बजाय इसके कि तफतीश करते और उनको कोई सेटिस्फेक्ट्री जवाब देते उन्होंने सीधा कानून अपने हाथ में लेकर रजिस्ट्रार विजिलेंस को भेज दिया और आप कहते हैं कि कोई प्रावधान नहीं है फिर भी दे दिया तो कोई जुर्म नहीं किया। आपने एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, पुलिस के खिलाफ कार्यवाही नहीं की इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस को पालिटिकल प्रोटेक्शन देकर इस राजस्थान में जुल्मों को बढ़ावा देना चाहते हैं। भरी अदालत में वकील पिट जाते हैं, जजों के ऊपर मुलजिमों की तरह पत्थर फेंके जाते हैं यह न्याय की हालत आपके यहां है और आप कहते हैं कि पुलिस ने कुछ नहीं किया है। मैं चार्ज लगाते हुए कहना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय कि क्यों नहीं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट सारी पोस्टें विथड्रा कर लें तत्काल जब तक गवर्नमेंट यह नहीं कह देती कि मुंसिफ मजिस्ट्रेट्स, जुडिशियल आफिसर्स को प्रोटेक्शन देने में आप समर्थ नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सभापति महोदय,

श्री सभापति : कोई पाइन्टेड प्रश्न हो तो पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (किशनपोल) : सभापति महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय, एक तो यह बताइये कि उस व्यक्ति को अर्थात मजिस्ट्रेट साहब को कितनी चोटें आई और कहां कहां और उनकी नेचर क्या है ? दूसरे क्या इस घटना के कुछ दिन पहले उसकी अदालत में कुछ पुलिस कर्मचारियों के जमानत के केसेज थे और उसने उनकी जमानत नामंजूर की थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो मैंने स्टेटमेंट में एडमिट किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है, फिर जो डी.जे. ने लेटर लिखा है एस.पी. को, वह आप पढ़ दीजिये, जिसको माननीय सदस्या ने एफ.आई.आर. कहा है वह आप पढ़ दीजिये। और मान लीजिये किसी पुलिस अधिकारी की कोई एफ.आई.आर. लिखाई जाती है और वह एफ.आई.आर. लिखे, उसमें कोई कार्यवाही न करे तो यह उसने अपनी ड्यूटी पर फार्म नहीं की यह इल्जाम आप मानेंगे या नहीं ? और अन्तिम प्रश्न यह बताइये कि जो केस है यह किस दफा में रजिस्टर किया है ? अगर इनमें से कोई प्रश्न आपके ध्यान में नहीं आये हों तो मैं दुबारा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

रिपोर्ट कर सकता हूं। इनका उत्तर दे दीजिये आप। एक और बता दें कि रजिस्ट्रार विजिलेंस को ऐसे क्रिमिनल केसेज में इन्वेस्टीगेशन के क्या अधिकार हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, जो चोटों के बारे में जानकारी चाही गई है यह....

"abrason on the right knee join, abrason on the left knee & left hand ..."

यह तीन अब्रेजन है। और मैं आपको वह चिट्ठी पढ़ कर सुनाये देता हूं जिसकी आपने चर्चा की यह मैंने आपके सामने पढ़ दिया है।

"Copy of letter no....from Jt. Distt. & Sessions Judge Banswara to S. P. Banswara.

I am sending herewith a copy of letter no. 8/Secret/81 dated 24-2-81 from Judicial Magistrate Banswara. It is a very serious matter and you are expected to enquire into it impartially. Background narrated in the letter clearly shows that the attack on the Magistrate was perhaps made by the police or by Gunda at the instance of the Police. It is also made clear that you and your staff is expected not to restore to such illegal and shameful act. It is also made clear to you that this department is in a position to maintain not only its dignity but also its authority. I hope that you will enquire into it and let me know within a week as to who were the persons of your department who have done this act. If nothing is heard from you back on or before 7th March, the matter will be referred to the highest authorities. The background fully justifies the apprehension of the Judcl. Magistrate that the attack on him was made by police men or by gunda at the instance of the Police Officers."

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इन्डियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत कोई कोग्निजेबल आफेंस कमिट हो गया है तो क्या इस हिन्दुस्तान के अन्दर कोई दूसरी शक्ति या कानून है तो वह सब इन्सपेक्टर पुलिस के पास है। वही क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अन्तर्गत अपने आप कार्यवाही करता है। इसके अलावा न तो प्रभारी मन्त्री महोदय के पास कोई पावर है और हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार है। जब मजिस्ट्रेट को मिस हेन्डल किया गया, उसने रिपोर्ट की है और पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की है, इसका मतलब यही है कि पुलिस ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की है। इस बात की शिकायत हिन्दुस्तान में बराबर रही है कि पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करती है। इसलिये पहला प्रश्न तो यह है कि एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नही की गई है?

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरा यह निवेदन करूंगा कि आपकी कौन्सिल की मीटिंग हो रही थी। पुलिस के सम्बन्ध में यह आपको देखना होगा कि पुलिस का व्यवहार कैसा है। यह मेरा निजी अनुभव है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन साल के अन्दर रेगुलर पुलिस के इतने ज्यादा केसेज स्पेशल ब्रान्च को क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे साफ आभास मिलता है आपका पुलिस में विश्वास नहीं रहा है और इन्वेस्टीगेशन में किसी न किसी तरह से इसके अन्दर दूसरे प्रकार के एलीमेंट को आप इजेक्ट कर रहे हैं इससे पुलिस की छाप, उसकी साख, उसकी तस्वीर में फर्क आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है, सभापति महोदया, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की कोई गहरी चाल है और मुझे यह इन्फ्योरेबल लगता है। मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस मसले को इस तरह से देखिये कि इतने केसेज क्रिमिनल ब्रांच को क्यों दे रहे हैं? यह क्या माहौल है, क्यों दिये जा रहे हैं? कहीं पर गड़बड़ी है। पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है और पुलिस के केसेज ट्रान्सफर हो रहे हैं। यह ट्रान्सफर केसेज के एक के बाद एक पुलिस स्टेशन से हो रहे हैं और स्पेशल ब्रांच क्राइम को दिये जा रहे हैं। सरकार को इस मामले में क्या तथ्य है इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिये। कन्फ्रन्टेशन का कोई प्रश्न नहीं है। कोई बीमारी गहरी है उसका इलाज होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाये हैं वे एक जनरल नेचर के प्रश्न उठाये हैं.......

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : बड़े गंभीर प्रश्न हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सुनने की तो कृपा करें।

श्री राज बहादुर : मैंने इतना ही कहा है कि ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो यह आम बात कही है कि क्राइम ब्रांच में केसेज ट्रांसफर हो रहे हैं। उनके बारे में तो इस समय कहने में असमर्थ हूं। इनकी संख्या कितनी है, क्या है, इसका फिगर्स तो नहीं है। कितने केसेज पहले हुए हैं इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। इसलिये मैं कहने में असमर्थ हूं। इस मामले के अन्दर खुद उन्होंने मांग की थी और यह स्वाभाविक था। डिस्ट्रिक्ट जज ने सी. बी. आई. से जांच की मांग की पहले इन्स्टान्स में, जिले से बाहर तफतीश का किया गया तो उसके बाद वे सन्तुष्ट नहीं हुए और यह सी.आई.डी. ब्रान्च को केस दे दिया गया है

श्री सभापति : पाइन्टेड प्रश्न तो यह है कि एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की गई?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इसका जवाब दे रहा हूं। एफ.आई.आर. तो उन्होंने की नहीं। डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा और डिस्ट्रिक्ट जज ने रिपोर्ट भेजने को कहा ...

सुश्री पद्मा जैन : मैं बीच में एक बात कहना चाहती हूं ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप पहले सुन तो लें....

सुश्री पुष्पा जैन : आपको जवाब में आसानी रहेगी। मन्त्री महोदय एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई। हम यह पूछना चाहते हैं कि एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की गई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप चिल्ला कर बोलती है। मैं जो भी कहता हूं सुन लीजिये। एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई गई, नहीं कराई गई, नहीं कराई गई। आप क्या सुनना चाहते हैं।....

श्री दाऊदयाल जोशी : यह लज्जास्पद है ...

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप उत्तर सुनिये।

श्री सभापति । माननीय सदस्य, आप जवाब सुनें। आपको कोई शंका हो तो बाद में पूछें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस तरह मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे तो जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। It will lead to confusion.

आप बैठें। स्थान ग्रहण करें।

सभापति महोदय, इस बारे में एक स्पेसिफिक प्रश्न तो यह किया गया कि पुलिस ने एफ. आई. आर. दर्ज क्यों नहीं की ? मेरा यह स्पेसिफिक जवाब है कि एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज कराई गई। दूसरा यह है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज को पत्र लिखा और डिस्ट्रिक्ट जज ने सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को पत्र लिखा। डिस्ट्रिक्ट जज ने जो पत्र लिखा है वह पढ़ कर सुना रहा हूं उन्होंने लिखा है "You enquire into the matter and let me know." उसके बारे में जांच करेंगे और उन्होंने बैक ग्राउन्ड दिया है। मुझे विश्वास है यह पुलिस के इन्सपेक्टर ने करके किसी गुण्डे ने ने किया है। पुलिस ने किया है तो आप इन्क्वायरी करें और 7 तारीख तक इसकी आप रिपोर्ट भेजें। उन्होंने खुद आब्जर्वेशन किया है कि इस मामले में पुलिस का हाथ है, जो पत्र मैंने पढ़कर सुनाया है। इस मामले में एस. पी. की कोई बदनीयती नहीं थी, आपने एलीगेशन लगाया है कि पुलिस के द्वारा, इन्सपेक्टर के द्वारा या किसी गुण्डे के द्वारा ऐसा कराया है। एस. पी. ने यह कहा है कि आप ही इसकी जांच करा लें और जो निष्कर्ष निकलें वह हमें बता दें हम कार्यवाही करेंगे। जब सी. आई. डी. ब्रांच को मामला दिया है इसमें एस. पी. के यहां पर कोई डिले नहीं हुई है, उसकी कोई गफलत मेरी समझ में नहीं है। एस. पी. की कोई मेलाफाइड इन्टेन्शन, गफलत और डिले नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदया, मन्त्री महोदय यह समझ बैठे हैं कि एफ. आई. आर. लिखित में दी जाती है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में यह गारन्टी नहीं है कि एफ. आई. आर. दर्ज हो। यह कोई रजिस्ट्रार का आफिस नहीं है। आप सुनिये..

(व्यवधान)

दूसरे मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पर कोई हमला करता है, चाहे कोई गुण्डा हो, पुलिस का आदमी हो और मैं मारा जाता हूं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराता है तो क्या यह पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि जिस आदमी का कत्ल हुआ है, वहां पर

(श्री परसराम मदेरणा)

पुलिस पहुंचे और कार्यवाही करे। इस मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट हुई है। एक छोटे से कस्बे के अन्दर तो पुलिस को मालूम हो जाये कि मारपीट हुयी है तो यह पुलिस का दायित्व नहीं है कि उनसे पूछे जिनके साथ मारपीट हुयी है? उसके बाद में एफ. आई. आर. दर्ज करते। नहीं तो जो इन्फोर्मेशन मिली थी उनके स्रोतों से कांस्टेबल से या हैड कांस्टेबल के माध्यम से इमीजियेटली उस पर कार्यवाही करनी चाहिये थी।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : एक प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप एक एक करके पूछ लें।

श्री सभापति : इससे सम्बन्धित एक-दो प्रश्न पूछना चाहते हैं। इसके बाद आप जवाब दे दें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, इनके बाद आप पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो पत्र डी. जे. साहब ने एस. पी. को लिखा उसके साथ कम्पलेंट भी मजिस्ट्रेट साहब की भेजी, उसको एफ. आई. आर. नहीं मानेंगे क्या? उसको सूचना नहीं मानेंगे?

श्री परसराम मदेरणा : लैटर आपने पढ़ा है। मजिस्ट्रेट ने यह चिट्ठी लिखी एस. पी. को कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह बात कही कि इस तरह की मारपीट हुयी है मेरे साथ में और इसका केस रजिस्टर नहीं हुआ है।

श्री सभापति : माननीय अनंग कुमार जी। and that is the last man. उसके बाद में मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरा पाटन) : मन्त्री महोदय ने अभी अभी अपने जवाब में यह बताया कि फर्स्ट इन्सटांस में कोई एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गयी। मन्त्री महोदय की बात को सही मान लिया जाये तो एक बात है कि जो गवर्नमेंट आफिसर होते हैं, अक्सर उस आफिसर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाये तो वह अक्सर जो इमीजिएट आफिसर होता है उसको रिपोर्ट भेजते हैं। उसके माध्यम से पुलिस स्टेशन भिजवाई जाती है। This is also procedure. यह रूल्स में है। सभापति महोदय, जब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने अपने इमीजियेट आफिसर डी. जे. को नोट लिखकर भिजवाया और डी. जे. ने उस पर अपनी तरफ से यह लिखा एस. पी. को कि आप इसमें इन्क्वायरी करें और जब डी. जे. ने एस. पी. को लिख दिया तो एफ. आई. आर. का यही मतलब नहीं होता है कि वह लिख कर भेजे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय आपकी बात समझ गये हैं, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री अनंगकुमार जैन : यही बात है कि

(व्यवधान)

(श्री अनंगकुमार जैन)

यह जरूरी नहीं है कि एफ० ग्राई० ग्रार० सिर्फ पुलिस स्टेशन पर जाकर ही दर्ज करायें।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय समझ गये हैं। वे ग्रब जवाब देना चाहते हैं। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव इस समय इस सदन के समक्ष विचाराधीन है जिस पर चर्चा हो रही है उसमें हमें एक बात की ग्रोर ध्यान देना पड़ेगा कि जो घटना हुयी ग्रौर जो सबोर्डिनेट मजिस्ट्रेट जाटव ने ग्रपने सीनियर ग्राफिसर को उक्त घटना की रिपोर्ट दी, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इमीजियेट ग्राफिसर जिसको रिपोर्ट दी गई कोई एक्जीक्यूटिव ग्राफिसर नहीं था, वह एक डी० जे० की हैसियत वाला जज था जो निश्चित रूप से इस बात को समझता था कि वह एस० पी० को जो पत्र भेज रहा है या ग्रादेश जो जज की हैसियत से भेज रहा है, उसमें जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन शब्दों का वही मतलब होता है जो कानून ने उनको ग्रर्थ दिया है। यह लिखा है कि ग्राप इस मामले को इन्क्वायरी कीजिये, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ग्रौर मुझे इसकी रिपोर्ट दीजिये। तो इसका सीधा ग्रर्थ यह है कि डी० जे० साहब क्या चाहते हैं? वे इसकी इन्क्वायरी रिपोर्ट चाहते हैं। इसका ग्रर्थ है इन्वेस्टिगेशन नहीं। इसलिये इस प्रश्न पर विचार करते वक्त हमें इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उन्होंने इन्क्वायरी कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इसलिए जो मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं ग्रौर जिस बात के बारे में वे बार-बार फियर इम्फेसिस कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा कि एस० पी० से उन्होंने ग्रपने स्तर पर इन्क्वायरी करके रिपोर्ट देने को कहा इसके ग्रलावा ग्रौर कुछ नहीं, यह बात है।

श्री सभापति : मन्त्री महोदय, एक बात तो स्पष्ट है कि जो लैटर जज साहब ने भेजा तो जो ग्राफिसर है उसकी ग्राटोमेटिकली ग्राब्लीमेटरी ड्यूटी हो जाती है कन्सर्निज एस. पी. की कि वह एफ. ग्राई. ग्रार. ही दर्ज करे। मेरी समझ में माननीय सदस्यों की चिन्ता भी यही है। ग्रगर ग्राप इसका जवाब दे सकें, तो ठीक है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, भोपालगढ़ से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने बड़ा उपयुक्त सवाल किया कि ग्रपने ग्राप एफ. ग्राई. ग्रार, क्यों नहीं दर्ज होती है। बांसवाड़ा एक छोटा सा कस्बा है, यह बात सही है कि बड़े शहर के ग्रन्दर एक घटना घट जाय जैसा ग्रापने कहा, भगवान न करे ग्रापके साथ ऐसा हो, ग्रापने ग्रपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहा, कई दफा ऐसा हो जाता है कि बहुत सी घटनाग्रों की सूचना नहीं मिल पाती है। उस स्थिति के ग्रन्दर स्वतः केस रजिस्टर करना संभव नहीं है। हो सकता है कि सूचना नहीं मिली हो। यह एक काल्पनिक प्रश्न है कि सूचना मिली हो। एक दूसरी बात जो बराबर कह रहे हैं कि एस. पी. साहब ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई। मैं ग्रापसे निवेदन कर दूं कि इस मामले के ग्रन्दर. . .

(82)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(2.15 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन) अध्यक्ष महोदय, जज साहब ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने इस बात के लिए कहा कि आप इन्क्वायरी करें, आप इसकी जांच करें और जांच करके, उन्होंने तारीख दी पत्र के अन्दर, 7-3-81 तक मुझको सूचित करें कि कौन आदमी थे, किसने ऐसा किया। मैंने आपसे निवेदन किया, पुनः माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से वह डी.जे.साहब के हाथों में आ गई थी, इस मामले के अन्दर जहां तक मैंने तथ्यों को पढ़ा है पूरी पत्रावली को पढ़ा है एस. पी. की कोई मैलाफाइडी नहीं था।

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय। sorry.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सारी चर्चा में मन्त्री महोदय स्वयं भी सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं कि एफ. आई. आर. दर्ज कराने की कोशिश जे.एम. साहब ने की। आप कहते हैं कि नहीं की। मना कर दिया एस. पी. साहब के पास रिपोर्ट करने गए तो उनको यह प्रत्युत्तर मिला, आपने जो कहना है लिखकर दे दो मेरे पास या पुलिस थाने में. . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे निवेदन कर दूं।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आप मुझे क्षमा करेंगे जैसे (व्यवधान) कम्पलीट करने दें. . .

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको करेक्ट कर दूं, बात ही खतम हो जायेगी। मैं उस पत्र को पूरा पढ़ना नहीं चाहता यहां पर जो डी. जे. ने एस. पी. को लिखा। अगर इस प्रकार की बात होती तो वे इस प्रकार का जिक्र करते कि मैं थाने में गया और मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे बात पूरी कर लेने दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस बात को जज लिख सकते थे कि रिपोर्ट को लिखने से इन्कार कर दिया जब कि रिपोर्ट दर्ज कराने गया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : जिस तरह का पुलिस विभाग उत्तर दे रहा है, उसका प्रतिनिधि प्रत्युत्तर दे रहा है, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। न्याय प्रशासन का मौजूदा प्रशासन परिहास कर रहा है और जैसा कोटा में किया कि दफ्तर में लगा दिया और दूसरी यह घटना हुई। मैं आपसे विनम्र शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि वे इतने डिमोरेलाइज हो गए कि उनको यह लगा कि मैं कहां खड़ा हूं, किस जगह पर खड़ा हूं। इसके कारण यह स्थिति

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

निर्माण हुई, डी. जे. ने इस प्रकार का पत्र लिखा। जिस पुलिस अधिकारी ने इस प्रकार का व्यवहार किया उस एस. पी. को एस. पी. साहब को इमीजिएट ट्रांसफर किए जाने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगेगा सारी स्टोरी से। मान लिया कि इसकी रिपोर्ट लिख कर नहीं दी। फिर रिपोर्ट दी उसके बाद उसको भेज देने का मतलब है कि मन में चोर छिपा हुआ था कि किस तरह से इसको टाला जाए। इसलिये मंत्री महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. दर्ज करने के सम्बन्ध में एस. पी. की स्टेज पर बहुत बड़ी नेग्ली-जेन्सी हुई है, डिले करने के लिये हुई है। हम पुलिस वाले हैं। हमारे पास शक्ति होती है, हम कुछ भी कर सकते हैं—इस प्रकार की भावना होती है। जिस प्रकार का प्रत्युत्तर आप दे रहे हैं उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसमें ऐसी स्थिति खड़ी कर देंगे जैसी स्थिति पुलिस के बारे में लगातार बनती जा रही है। मेरी आपसे अपील है कि इस सारी घटना को सामान्य रूप से मत लीजिये और उस अधिकारी को हटाइये और हटाने के बाद एफ. आई. आर. दर्ज करके इन्क्वायरी कराइये।

सुश्री पुष्पा जैन : अभी जैसा कि माननीय परसराम जी ने कहा कि इतनी छोटी सी जगह पर यह घटना हुई। अव्वल तो पुलिस को एस. पी. को स्वयं को रिपोर्ट दर्ज करके उसकी तफतीश करनी चाहिये थी। उन्होंने कहा नहीं की गई को क्यों नहीं की गई? यह तो मन्त्री महोदय बता-येंगे। दूसरी बात जो कही गई कि डी. जे. ने जो इन्क्वायरी चाही थी उस पर उन्होंने तफतीश नहीं की। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं और पूछना चाहूंगी कि डी. जे. ने तो मजिस्ट्रेट का लैटर भी साथ में भेजा। क्या वह मजिस्ट्रेट का लैटर अपने आप में रिपोर्ट नहीं थी? क्या एस. पी. साहब एक रिपोर्ट भी अपने रोजनामचे में दर्ज नहीं कर सकते थे? नम्बर तीन, उन्होंने उस पर तफतीश नहीं की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, इससे क्या उनकी मंशा जाहिर नहीं थी? उन्होंने किस विवेक के तहत यह कहानी लिखवाई कि उन्होंने रजिस्ट्रार आफ विजिलेन्स जिसका कोई लेना नहीं देना नहीं, को इस मामले में लिखा जुडिशियल आफिसर के मामले होते हैं रजिस्ट्रार विजिलेन्स उनको निपटाते हैं। और उनकी कोई शिकायत हो, उनको निपटाते हैं जुडिशियल आफिसर की पिटाई हुई है और रजिस्ट्रार विजिलेन्स को एस.पी. कहते हैं, एस. पी. साहब को लिखा है। इस पर भी उनकी कोई दुर्भावना नहीं, अध्यक्ष महोदय, दुर्भावना तो साफ ही जाहिर होती है, दूसरे उन्होंने क्यों नहीं वापस डी. जे. को लिखा। रिपोर्ट दर्ज करते, कोई एफ. आई. आर. लगा देते, कोई केस नहीं बनता—यहां तक तो सब सही था। तफ़तीश कर रहे हैं लेकिन विजिलेन्स रजिस्ट्रार को लिखने के बारे में उनकी दुर्भावना थी। अध्यक्ष महोदय मैं नहीं कहना चाहूंगी मंत्री महोदय से; साधारण नागरिक के लिए भी हम यह कहते हैं—Ignorance of Law is no excuse. यह एस. पी. का मामला है। इग्नोरेन्स आफ लॉ है वहां पर, और कहते हैं कि दुर्भावना नहीं थी—इसका क्या जवाब है। यह बता दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप यहां विराजमान नहीं थे।

सुश्री पुष्पा जैन : सब सुन रहे थे, अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पुनः पढ़ दूं "I am sending herewith a copy of the letter ..."

आप अध्यक्ष महोदय, a copy of the letter which the District Judge received from the Judicial Magistrate. उसके ऊपर इन्क्वायरी करके रिपोर्ट दीजिये–

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, वैसे मुझे वकालत छोड़े काफी अर्सा हो गया लेकिन एक निवेदन कर दूं कि

श्री प्रद्युम्न सिंह : इनको छोड़े भी काफी अर्सा हो गया है।

श्री अध्यक्ष : किसी भी अपराध की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा अथवा उड़ती खबर से भी एस.एच.ओ. को प्राप्त हो जाय, उड़ती खबर से भी, तो उसका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उस घटना को डायरी करे। अब कितनी डायरियां रहती हैं और पहले कितनी डायरियां रहती थीं, यह मुझे जानकारी नहीं, लेकिन उसको वह दर्ज करे। दर्ज करके या तो वह यह लिख दे कि इसके अन्दर कागनिजेबल केस नहीं बनता है। अपनी चाराजोई करे और यदि केस बनता है तो जैसी भी हो कार्यवाही करे। अब इस केस में मुन्सिफ साहब से हाथापाई कर ली तो शायद कागनिजेबल केस बनता भी नहीं है, पब्लिक सर्वेन्ट यदि इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी अगर नैग्लीजेंस करते हैं तो 353 या उससे भी संगीन केस बन सकता है। लेकिन पुलिस के लिये यह लाजिमी है कि इस तरह के अपराध की सूचना हो उसको दर्ज करे, केस को रजिस्टर करके इनवेस्टीगेशन करे उसमें जो नतीजा निकले वह लिखे, उसमें कागनिजेन्स केस हुआ, आफेन्स नहीं हुआ, मुलजिम नहीं मिला, कई बातें कही जा सकती हैं। विषय इतना महत्वपूर्ण बन गया कि यहां पर भी आ गया, अखबारों में उसकी चर्चा हो गई, विजिलेन्स रजिस्ट्रार के पास चला गया, डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया, इन सब कोशिश के बाद भी जुर्म पुलिस की चाहे जनरल डायरी हो चाहे एफ.आई.आर. की कौन सी डायरी कहते हैं, वह एन्टर नहीं हो, उसके अन्दर चढ़े नहीं, तो आम नागरिक की क्या स्थिति बनती है? इसमें कानूनी स्थिति क्या है? यह देखें कि जुर्म कमिट हुआ है, यदि हुआ है तो उसकी रिपोर्ट होती है क्या? यह आप पूछ लीजिये, सलाह कर लीजिये होम डिपार्टमेंट से। और अगर होती है तो ऐसा क्यों नहीं किया गया? दूसरा प्रश्न उठता है क्यों पुलिस ने नहीं चाहा? उसके लिए लॉ का प्रोविजन होता है, प्रोविजन होते हुए अगर इम्प्लीमेन्ट नहीं करती है तो फिर क्या होता है, न्याय और व्यवस्था की क्या स्थिति है।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, आप मौका दें, मैं 154 (2) की तरफ आपकी अनुमति हो तो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 154(1) इनफर्मेशन के बारे में है और सेकिण्ड क्लाज ऐसे केसेज के बारे में है। आपका कहना है यह इन्फर्मेशन लाज की ही नहीं गई। मैं इससे बिलकुल एग्री करता हूं, और बहुत ही रेस्पेक्टफुल्ली अर्ज करता

(श्री राजबहादुर)

हूं, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, पुलिस ने चाहे कुछ भी किया हो–

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लीजिये।

श्री राजबहादुर : "Any person aggrieved by a refusal on the part of an officer in charge of a police station to record the information referred to in sub-section (1) may send the substance of such information in writing and by post to the Superintendent of Police concerned .. ...."

Which was done in this case.

"who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct the investigation to be made by any police officer subordinate to him in the manner provided by this Code, and such officer shall have all the powers of an officer in charge of the police station in relation to that offence."

श्री अध्यक्ष : यह 154 (1) है ?

श्री राजबहादुर : 154 (2) पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : 154 (1) पढ़िये।

श्री राजबहादुर : "Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced in writing by him or under his direction and be read over to the informant; and every such information, whether given in writing or reduced in writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the State Government may prescribe in this behalf."

"A copy of the information as recorded in sub-section (1) shall be given forthwith, free of cost, to the informant."

इस केस में जब डी.जे. ने टेलीफोन पर कह दिया तो एस.पी. को थाना इन्चार्ज को कहना चाहिये था और यही एफ.आई.आर. मानी जाती। इसलिए यह कहना कि एफ. आई.आर. नहीं मानी गई, यह क्यों नहीं मानी गई ? एस.पी. साहब को इन्क्वायरी करने के लिए कहा गया था, यह बिलकुल इर्रेलेवेन्ट है, उनको जैसा डी.जे. के द्वारा कहा गया, लेकिन he should have acted under section 154(3).

श्री अध्यक्ष : अब यह प्रश्न उठता है कि आपके थाने के जनरल डायरी में अथवा एफ.आई.आर. जो बनती है, उसमें इस विषय का कहीं जिक्र है, या आप यों ही कर रहे हैं, इसको तय होना चाहिये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : केस दायर हो चुका है। सिर्फ रजिस्ट्रार के यहां डिबेट चल रही

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

है। जिस दिन एस.पी. को पत्र मिला, माननीय सदस्य कह रहे थे कि उसी दिन केस दायर हो जाना चाहिये था और केस कायम नहीं करके डिले की-यह पिन पाइन्ट किया जा रहा है।

(व्यवधान)

डी.आई.जी. को वहां भेजा गया। इसमें यह कहना कि मेलाफ़ाइडी था, उनसे पुलिस का सम्बंध रहा, सरकार की मन्शा किसी को प्रोटेक्शन देने की नहीं है।

(व्यवधान)

सवाल यही उठ सकता है कि ये कहते हैं कि पुलिस की मेलाफाइड थी....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डी.एस.पी. को ट्रान्सफर करने का लैटर लिखा-

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर केस दायर हो चुका है; फर्स्ट इन्स्टान्स में केस को ट्रान्सफर किया गया जिले के बाहर के एस.पी. प्रतापगढ़ के एस.पी. को, उससे भी सन्तुष्ट नहीं हुए तो सैकिण्ड इन्स्टान्स में डी.आई.जी. क्राइम को दिया गया।

(व्यवस्था)

अध्यक्ष महोदय, यह खेदजनक है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कितने दिन बाद रजिस्टर हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : श्रीमन्, केस दायर हो गया तारीख 6 को, एफ.आई.आर. भेजी इन्होंने 6 तारीख में एफ.आई.आर., श्री गोपालसिंह जी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं

श्री अध्यक्ष : केस किस दिन हुआ ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह केस 23/2 को हुआ, श्रीमन्, इस बीच में झगड़ा चलता रहा, उन्होंने कहा रिपोर्ट भेजो जांच करके, 7/3 तक तफतीश करके उसकी रिपोर्ट भेजिये, कम्पलेन्ट प्राप्त हुई जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, यह कौन आदमी था, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रार विजिलेन्स को लिख दिया। उनकी राय में पुलिस इसके लिए दोषी थी कि पुलिस की इन्स्टान्स पर ऐसा होना मैं महसूस करता हूं, तो एस.पी. ने विजिलेन्स कमीशन को लिख दिया, उनसे जांच करा लीजिये, उसका जो निष्कर्ष होगा वह उनको मन्जूर होगा। केस कायम कर दिया। ये कहते हैं कि पुलिस की नेग्लीजेन्स थी, उन्होंने केस कायम नहीं किया। उसके अन्दर नामजदगी नहीं थी, किस आदमी को नामजद किया है।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : पहले इन्स्टांस में उन्होंने नामजद नहीं किया किसी को, बाद में 6 तारीख को जो रिपोर्ट दी है उसके बाद

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नामजद किया है। एक माही का रहने वाला है जिसका नाम मैंने पढ़ कर बताया। जनरल पुलिस पर आरोप था कि पुलिस ने ऐसा करवाया, पुलिस की शह पर ऐसा हुआ है, किसी के खिलाफ नामजद नहीं था।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर मुल्जिम का नाम नहीं है तो क्या एफ. आई. आर. नहीं लिखी जाएगी?

(व्यवधान)

श्री सूर्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं साफ कर दूं जहां तक इस पर्टीकूलर केस का प्रश्न है उस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, जो कुछ घटना हुई है दुखद घटना हुई है। कानूनी बात है, आप अपने को ज्यादा समझते हैं, माननीय वयोवृद्ध सदस्य श्री राजबहादुर ने सदन के समक्ष धारा 154 पढ़कर सुनाई तो उसमें एक शब्द, श्रीमन् आपने सुना हो और माननीय सदस्यों ने भी सुना है "Incharge police station", just a minute. S. P. is not incharge of a police station, just a minute.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कानून में स्थिति साफ है जितने भी सुपीरियर पुलिस अधिकारी हैं उनको उनके मातहतों के सब अख्तियारात हैं आई.जी. तक एस.एच.ओ. हैं।

श्री सूर्य कुमार : मुझे कन्कलूड करने दिया जाय, ये जितने सदस्य हल्ला मचा रहे हैं उनकी जो भी सूचना है गलत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें।

श्री सूर्य कुमार : एस.पी. के पास में न तो रपट रोजनामचा आम होता है न एफ. आई.आर. रजिस्टर रहता है। अगर एस. पी. चाहे कि कोई केस रजिस्टर हो तो वह जो भी सम्बन्धित पुलिस स्टेशन होता है वहां के एस.एच.ओ. को आर्डर देते हैं कि वह केस रजिस्टर करे और उसका इन्वेस्टीगेशन करे और इन्क्वायरी करे। उनके पास न रपट रोजनामचा होता है और न कोई एफ.आई.आर. रजिस्टर होता है। इस केस में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : संबंधित अधिकारी को भेज सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सूर्य कुमार : आप सुनना ही नहीं चाहते। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर कोई मौखिक सूचना पुलिस के पास में चली जाय एस.एच.ओ. के पास चली जाय तो एस.एच.ओ. की ड्यूटी है उनके पास में रोजनामचा आम रहता है उसमें दर्ज करे और यदि कोगनीजेबल ओफेंस बनता है तो एफ.आई.आर. दर्ज करें और केस रजिस्टर करें लेकिन यह एस.एच.ओ. के लिए है। यहां प्रश्न यह है कि मजिस्ट्रेट साहब ने जिसके साथ यह वाका हुआ उस व्यक्ति की

(88)

(श्री सूर्य कुमार)

रिपोर्ट अपने जिला जज को दी, इमीजिएट अधिकारी को दी और जिला जज ने जो उनकी दस्तखत वाली रिपोर्ट थी वह नहीं भेजी एस.पी. के पास । एस.पी. के पास उन्होंने उसकी कापी भेजी जिसमें दस्तखत नहीं थे और दस्तखत नहीं होने से, जस्ट ए मिनट....

श्री अध्यक्ष : जिला जज के यहां गई हुई वह कापी है क्या उसके बाद वह ओरिजिनल नहीं मानी जायगी ?

श्री सूर्य कुमार : मैं यही कह रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्ट्रिक्ट जज का लैटर इसका उल्लेख करते हुए, कापी भी छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जज का टलर सेज

it is a very serious matter and the police should have taken cognizance on the letter of the District Judge.

श्री सूर्य कुमार : I respectfully differ from it, because एफ.आई.आर. को डिफाइन किया है सी.आर.पी.सी. में । एफ.आई.आर. वह होती है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य हम समझ गए । ऐसा है आप डिस्टिंक्शन यह करने जा रहे है कि एस.पी. के पास चले गए, एस.एच.ओ. है वह सब इन्वेस्टीगेशन कर सकता है । आपका कहना यूं तो सही है लेकिन साथ ही साथ यह बात भी है कि जितने सुपीरियर अधिकारी हैं आई.जी. तक सबको सबआर्डिनेट अधिकारियों की पावर्स हैं, क्योंकि प्राइमरी पावर केवल एस.एच.ओ. को है इण्डियन पेनल कोड में न एस.पी. लिखा है न आई.जी. लिखा है सिर्फ एस.एच.ओ. है लेकिन सुपीरियर पुलिस अधिकारी सबको उनके मातहतों के पावर्स हैं, पुराना सैक्शन 552 था अब कोई नया सैक्शन होगा इसलिए ऐसी कोई खास बात नहीं है ।

सुश्री पुष्पा जैन : मंत्री महोदय ने आखिर मान लिया कि एस.पी. महोदय की इतनी सी गलती थी नग्लीजेंस थी कि उन्होंने रिपोर्ट लॉज नहीं की लिहाजा मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं अपने आप में यह छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है । जिले का एस.पी. किसी मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जैसे कोई साधारण आदमी भी हो उसकी रिपोर्ट दर्ज न करे तो उन्होंने मान लिया कि लापरवाही है । इसके लिए आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इसको लापरवाही नहीं माना है ।

सुश्री पुष्पा जैन : आपने कहा है आप रिकार्ड देखें ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : यह लापरवाही नहीं है बहुत सीरियस डेलीबरेट लेप्स है इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा । एक जिला जज के लैटर को एफ.आई.आर. नहीं माना जा सकता तो आपका और हमारा भविष्य क्या होने वाला है, इसके प्रति भी सोचें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, चर्चा समाप्त हुई।

सुश्री पुष्पा जैन : बहुत बड़ी बात कर रहे है, एस.पी. रिपोर्ट लॉज न करे और मंत्री महोदय कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात के क्या अंजाम होंगे, बहुत सीरियस मैटर है, मंत्री लाइटली ले रहे हैं कि एस.पी. की कोई लापरवाही नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

सुश्री पुष्पा जैन : कोई रिपोर्ट लॉज न हो मंत्री महोदय कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : तथ्य विधान सभा के समक्ष सभी आ गए अब इस पर चर्चा समाप्त की जाती है।

सुश्री पुष्पा जैन : फायदा क्या है विधान सभा में बैठने का ?

श्री अध्यक्ष : कौन से तथ्य रह गए ?

सुश्री पुष्पा जैन : सरकार आश्वासन न दे कोई आफेंस कमिट हो गया उसके लिए। कोई उत्तरदायी व्यक्ति हो उसके बावजूद सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहे यह कह कर कि लापरवाही नहीं है तो यह कोई छोटी बात नहीं है आखिर सदन में आकर हम क्या करते हैं इसलिए आते हैं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

सुश्री पुष्पा जैन : कि सरकार अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक रहे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब तो रजिस्टर कर दिया। पुलिस इन्वेस्टीगेशन करेगी कि मजिस्ट्रेट के साथ मारपीट हुई या नहीं अभी तो पुलिस के हाथ में यह एक और है उसके बाद ...आर्डर प्लीज। अभी तो पहला मजिस्ट्रेट का कहना था कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की वह दर्ज हुई है उसमें देरी हुई है वह अपने सामने आ गया अब केस बना है या नहीं बना है, इसकी तफतीश होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बिलकुल सही बात है केस मैरिट पर जायेगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मेरिट पर जो केस जाने वाला है जो सर्कमस्टांसेज बांसवाड़ा में बनीं जो आज अधिकारी वहां बैठे हैं क्लियरकट एस.पी. सब प्रकार से इन्वाल्व्ड हो गया उनका वहां लगातार बने रहने के बाद में फिर कहना चाहता हूं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : सी.आई.डी. जयपुर को दिया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस घटना के सभी तथ्य सबके समक्ष आ गए, इसमें कुछ बाकी चर्चा करना रहा नहीं है। इसलिए अब मैं निवेदन करता हूं इस पर चर्चा समाप्त की जाय।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, केवल तथ्य सदन में आ जाने से, अगर सरकार और प्रभारी मंत्री, जैसे जस्टिस मुल्ला ने पुलिस के बारे में कहा उसका प्रदर्शन करने के लिए उसको डिफेंड करने वाली बात है, उन्हीं बातों को बार बार दोहराना चाहेंगे, आसन से कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री अब इस बात से कन्विन्स

(९०)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

हुए कि एस.पी. डाक में उखड़े हैं एस.पी. ने लगातार....

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी स्थिति है कौन डाक में खड़ा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कुछ नहीं होगा, आप एस. पी. को तुरन्त वहां से निकालें, फौरन ट्रांसफर कर दें जिन्होंने उनके साथ किया है उन दोनों के सस्पेन्शन की आवश्यकता है उसके बिना कुछ भी करना, देर होती चला जायगी, मामला पीछे रह जायगा, साधारण व्यक्ति के साथ पता नहीं क्या होता होगा, आज मजिस्ट्रेट के साथ हुआ और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इस बात के लिए कम्पेल हो गया उसको, अध्यक्ष महोदय, कम्पेल किया गया। लिख कर दे दो तब दिया गया। वह डी. जे. के पास से आया तब पत्र लिखा है। पत्र के बारे में कोई रेफरेन्स नहीं है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, वहां पर एस० पी० को अप्रोच किया गया था पर उसके बाद में भी आप पुलिस के अधिकारियों को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय कर रहे हैं। पुलिस की आप टांग ऊपर रख रहे हैं। यह प्रवृत्ति बनी हुई है कि पुलिस की टांग ऊंची रहे। आज प्रदेश में जो पुलिस है वह इसी प्रकार की कार्यवाही कर रही है। आपने जो कहा है उसको हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं हैं। आपको इमीजियेटली एस. पी. को ट्रांसफर करना चाहिये। S. P. should be removed from there. आप उसे हटाने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उस एस. पी. का ट्रांसफर किया जावे और दो कांस्टेबल्स को तुरन्त सस्पेन्ड किया जाना चाहिये। यह आप करेंगे तब तो कुछ बात बनेगी अन्यथा बात बनने वाली नहीं है। इतना कहने के बाद भी पता नहीं आपको पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से क्या मोह जाग्रत हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इन्होंने तो सही स्थिति बताई है कि क्या गलत है क्या सही है यह अलग बात है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह केस जांच करने के लिये सी० आई० डी० क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है। इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। अब इसमें एस० पी० को ट्रांसफर करने की बात से कोई पर्पज हल होने वाला नहीं है। जब केस सी० आई० डी० क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप देखिये पुलिस की हिमायत कर रहे हैं। पुलिस की हिमाकत आप देखें और मन्त्री महोदय उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आप उस एस. पी. का ट्रांसफर करने की हिम्मत नहीं करते वहां के एस. पी. को आप हटाने की आव-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

श्यकता नहीं समझते, यह मैं जानता हूं कि आप मन्त्री स्तर के नहीं है, आप मन्त्री होते तो अलग बात है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, अगर मन्त्री महोदय का इस प्रकार का रवैया रहा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वाक आउट करेंगे। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल इसके विरोध में यह कहते हुए कि राज्य सरकार यह ठीक नहीं कर रही है वाक आउट करते हैं।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : हम जा रहे हैं डूब मरो।

(व्यवधान)

(बहिर्गम)

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चूंकि मन्त्री महोदय राज्य मन्त्री हैं मन्त्री स्तर के नहीं है इसलिये यहां पर सिर्फ जवाब दे सकते हैं पर कोई कमिटमेन्ट नहीं कर सकते हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय की विधि विभाग की हाल ही में आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की रद्दी के रूप में बिक्री

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। शिक्षा मन्त्री जी का वक्तव्य।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय की विधि की पूरक परीक्षा सेठ जी. एल. बियाणी एस. डी. कालेज, श्री गंगानगर में दिनांक 11 से 13 मार्च, 1981 तक हुई थीं। कालेज में परीक्षा उत्तर पुस्तिकाएं रेलवे रसीद संख्या 841416 दिनांक 13-3-81 के द्वारा बुक करवा कर रेल द्वारा विश्वविद्यालय को भेजी थीं। विश्वविद्यालय द्वारा रेलवे कार्यालय से पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि उत्तर पुस्तिकाओं का पैकेट जयपुर रेलवे स्टेशन पर दिनांक 14.3.81 को पहुंच गया था लेकिन यह पैकेट मिल नहीं रहा है।

दिनांक 14.3.81 को दोपहर को दो बजे श्री ललित नामक किसी व्यक्ति ने पुलिस थाना आदर्श नगर को टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि जांगिड भवन, मिर्जा इस्माइल रोड जयपुर के सामने एक व्यक्ति परीक्षा की कॉपियां लिये हुए है तथा वह कॉपियों के पेज फाड़ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल तुरन्त घटनास्थल पर गया तथा अहिंसा सर्किल के पास सुभाष मार्ग की ओर जाते हुए संदिग्द व्यक्ति को पकड़ा। इस व्यक्ति ने अपना नाम फकीरचंद हरिजन, निवासी गौरा बाजार सदर दरवाजे के पास, जबलपुर, (मध्यप्रदेश) बताया। इस व्यक्ति के कब्जे से 71 उत्तर पुस्तिकायें मिलीं तथा उनके ऊपर के पेज फटे हुए अलग से मिले तथा दो पत्र जिनके साथ परीक्षा पेपर लगे हुए हैं, जिसमें कोड नम्बर –258 लिखा हुआ है मिले। घटना के आधार पर अभियोग संख्या 66/81, दिनांक 14.3.81 को धारा 379/411 ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर अन्वेषण आरम्भ किया गया। अभियुक्त

(श्री चन्दनमल बैद)

फकीरचन्द को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ की गई। जिसके दौरान कोई आधारभूत सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई। जांच से यह पता चलता है कि वह उत्तर पुस्तिकायें सेठ जी. एल. एस. डी. कालेज गंगानगर की है। यह संख्या में 71 थीं। ऐसा प्रतीत होता है मुख्य उत्तर पुस्तिकायें तथा पूरक पुस्तिकायें अलग कर दी थीं क्योंकि इन तीन दिनों की कुल उत्तर पुस्तिकायें कालेज के रिकार्ड के अनुसार केवल 43 होती हैं। अभियुक्त वर्तमान में न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया गया है तथा मामले की आगे जांच जारी है।

इस मामले में विश्वविद्यालय स्तर पर कोई लापरवाही मालूम नहीं देती क्योंकि उत्तर पुस्तिकायें रेलवे विभाग के कब्जे से गायब होने का मामला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया वह तो ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस मन्त्री जी के नाते वक्तव्य दिया हो। शिक्षा मन्त्री जी ने यूनिवर्सिटी से संबंधित और उसकी गोपनीयता के संबंध में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं माना और न ही उस पर कुछ कहा। इस वक्तव्य में कहीं भी इसके बारे में प्रकाश नहीं डाला गया। यह, अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त खेद का विषय है, यह अत्यन्त कष्ट का विषय है। शिक्षा मन्त्री जी ने जो बात कही यह उनके लिये कोई शोभा की बात नहीं है इसलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थियों की परीक्षा की कॉपियां हैं, विद्यार्थियों की सप्लीमेन्ट्री परीक्षा की कॉपियां हैं एक नहीं, अध्यक्ष महोदय, तीन दिन की हैं। एक कॉपी दिनांक 11-3-81 की है एलएल.बी. के थर्ड पेपर की सिविल प्रोसिजर कोड आर्बीट्रेशन की, यह 11 तारीख की है। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार यह होना चाहिये कि जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन युनिवर्सिटी की कॉपियां डिस्पेच होनी चाहिये। उसी दिन की शाम को होनी चाहिये थीं। अगर पोस्ट आफिस बन्द हो गया हो या रेलवे का टाइम बन्द हो गया हो तो दूसरे दिन सुबह भेजी जानी चाहिये। पर वह दूसरे दिन सुबह भी नहीं भेजी गयीं। इसके बाद दो तारीख को फिर परीक्षा हुई, यह प्रातः काल में हुई, एलएल. बी. सैकण्ड पेपर लॉ रिलेटिंग टू ट्रान्सफर प्रापर्टी एक्ट। तो, अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11 को तो 19 विद्यार्थी थे और दिनांक 12 को 12 ने परीक्षा दी। शिक्षा मन्त्री को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा अत्याचार विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, किन्तु उन्होंने तो एक सिम्पल थेफ्ट का मामला पुलिस का बता कर बात समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 13/3 को प्रातः काल और परीक्षा हुई वह भी एलएल.बी. की लॉ आफ टोर्ट्स की थी उसमें 21 विद्यार्थियों में से 18 ने परीक्षा दी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर कोई उत्तर में इम्प्रूवमेन्ट करके सजेशन देना चाहें तो कहें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर आ रहा हूं। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में कोई घपला नहीं हुआ। तीन दिन की परीक्षा

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

की कॉपियां पड़ी रहीं, डिस्पेच नहीं हुई। वह 13 तारीख की शाम को डिस्पेच की गयीं। मैं पूछना चाहूंगा कि वहां के परीक्षा के सुपरिन्टेन्डेन्ट या इन्विजिलेटर या इन्चार्ज मिल कर दो तीन दिनों में अगर कॉपियां बदल देते और उन कॉपियों को हैम्पर कर देते या डेमेज कर देते या कुछ और कार्यवाही कर देते तो उसमें क्या होता? यह एक बहुत बड़ी गलती की गयीं, इसकी चिन्ता माननीय शिक्षा मन्त्री जी को करनी चाहिये। आप यहां कह रहे हैं कि 13 तारीख को कॉपियां डिस्पेच कीं, उसकी रसीद आ गयी और 14 तारीख को प्रातः 11 बजे फकीरचन्द नामक युवक के पास वह कॉपियां पकड़ी गयीं। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह हो रहा है, इस तरह विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कॉपियां चोरी हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जैसा कि अखबार में छपा, 65 लड़कियों ने परीक्षा दी। उनमें 65 लड़कियां जो कि कम्पलसरी पेपर इंगलिश में फर्स्ट क्लास थीं, वह सभी की सभी इंगलिश जनरल पेपर में फेल हो गयीं। अध्यक्ष महोदय, 65 में से 65 ही जो कि फर्स्ट क्लास थीं सभी फेल हो गयीं। एक भी पास नहीं हुई और वह भी जनरल इंगलिश में, कहीं ऐसा तो नहीं कि रेलवे स्टेशन से 65 की 65 ही कॉपियां गायब हो गयी हों और आपने उन सभी को फेल कर दिया? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक उत्तर पुस्तिका है, देरी तो होगी पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसका ऊपर का कवर फाड़ कर अगर दूसरी कॉपी का कवर चढ़ा दिया जाय और एक कमजोर लड़के की कॉपी के ऊपर से रोल नम्बर वाला कवर फाड़ दिया जाय और दूसरे किसी अच्छे लड़के की कॉपी का कवर इस के ऊपर चढ़ा दिया जाय तो वह अच्छा लड़का फेल हो जायगा और ऐसा हुआ है, एक लड़के के मामले में, अच्छे लड़के के तो चार नम्बर आये और जो कमजोर लड़का था उसके डिस्टिंक्शन के नम्बर आये। तो इसमें हमें विचार करने की आवश्यकता है कि आज इस प्रकार की अनियमिततायें हो रही हैं। आपने तो एक सिम्पल थेफ्ट की बात कह दी लेकिन इस मामले को इसी बात पर समाप्त नहीं किया जाना चाहिये अगर यही हाल रहेगा तो विश्वविद्यालय का गोपनीयता विभाग कैसे चलेगा, कैसे परीक्षा की कॉपियां पहुंचे, कैसे उनकी गोपनीयता रखी जाय, यह ऐसी बातें हैं जो कि शिक्षा मन्त्री जी को ध्यान रखने की जरूरत है। आपने तो ऐसा जवाब दिया जैसे आप कोई पुलिस के मन्त्री हैं और थेफ्ट हो गयी। इस प्रकार हजारों विद्यार्थियों की जिन्दगी के साथ आज खिलवाड़ हो रहा है वह बहुत ही अनुचित है। यह विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या वहां से उत्तर पुस्तिकायें इनश्योर्ड करा कर नहीं भेजी जा सकती थीं? क्या वह रजिस्टर्ड पार्सल करा कर डिस्पेच नहीं की जा सकती थीं? यह इश्यू है चर्चा का, इस बात की आवश्यकता है कि यूनिवर्सिटी स्तर पर यह बात की जाय वहां की एकेडेमिक कौन्सिल को वहां के सिन्डीकेट को इन विषयों पर विचार करने की आवश्यकता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह आंख खोलने वाली छोटी सी घटना, चोरी की घटना आंखें खोलने वाली है।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

शिक्षा मंत्री जी की आंख खुलनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मन्त्री मेरी बात सुनने के बाद पुलिस मन्त्री के नाते नहीं बल्कि शिक्षा मन्त्री के नाते से इस आंख खोलने वाली घटना से कुछ हो सकेगा और अपनी कुछ बात कहने की कोशिश करेंगे।

श्री भगवानदास शास्त्री : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है....

श्री चन्दनमल बैद : भाषण नहीं आये जैसा आपके उप नेता जी ने दिया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पुस्तिकायें, संबंधित लेक्चरर जिस क्लास में हैं वह उनको डिस्पेच करके अपने अधिकारी को कॉलेज के प्रिंसिपल को देकर, और सील करके देता है, उसी दिन उनको पार्सल किया जाता है....

श्री अध्यक्ष : यह बात आ गयी पहले।

श्री भगवानदास शास्त्री : नहीं आई।

श्री अध्यक्ष : चतुर्वेदी जी ने कह दिया उसी दिन होनी चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : अगर वह कॉपी मिले, उसके सील बिलकुल लगी हुई नहीं थी। जिसको हम लाख की सील कहते हैं। यहां जो सूचना मुझे मिली है यह व्यक्ति वहां से रवाना हुआ है। गंगानगर में हमेशा यह होता ही रहता है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : मैं विरोध में नहीं हूं लेकिन ऐसी एजेन्सीज हैं और हमारे राजस्थान में चारों तरफ फैली हुई हैं चाहे मध्य पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो चारों तरफ ऐसी एजेन्सीज फैली हुई हैं। वह मौके का फायदा उठाती हैं और उस मौके के फायदे के कारण से ही शिक्षा विभाग को कलंकित किया जाता है। सील लाख की नहीं थी और उत्तर पुस्तिकायें लिफाफे में नहीं थीं और वह बिलकुल खुली हुई थीं जैसे वह दसवीं कक्षा की नहीं हो छठी, आठवीं क्लास की हों।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने सदन में हमारे उप नेता पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भाषण दिया मैं समझती हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : आप विषय पर आइये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो तथ्य उन्होंने यहां तोड़ मरोड़ कर रखे हैं यह कहा गया है कि उसको भागते हुए पकड़ा। यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी, अलवर में काम करता था। उसने फकीरचन्द के पास कॉपियों को देखा। यहां पर कहा गया कि फकीरचन्द को रास्ते में पकड़ा गया....

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कम्पनी के दफ्तर में श्री डालचन्द गुप्ता आये और फिर उसको गिरफ्तार किया गया। यहां मन्त्री महोदय ने कहा कि उसको भागते हुए

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पकड़ा। इस तरह से स्टोरी बनाने से कोई लाभ नहीं ..

श्री अध्यक्ष : किसी तथ्य के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हों तो कृपया वह सुझाव दीजिए। कैसे घटना घटी, कौन भाग रहा था, किस का मुंह किधर था, कौन सा टाइम था इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना है कि एग्जामिनेशन की कॉपियां गायब हो गयीं और आइन्दा नहीं हों। गोपनीयता बनी रहे जिस विद्यार्थी ने परीक्षा दी है उसकी कॉपी उसके नाम से ही जंचें इसके बारे में यदि आपके पास कुछ हो तो बता दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा यह सुझाव है कि जैसे ही परीक्षा दी जाती है तमाम कॉपियां इकट्ठी होकर जाती हैं और जहां जांची जाती है वहां चली जाती हैं। एक इन्होंने कहा कि 71 कॉपियां प्राप्त हुई। गायब तो 43 हुई तो यह 71 कैसे हो गयीं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी जिम्मेदार हैं और शिक्षा विभाग में जिस तरह की अनियमितायें चल रही हैं, मैं उसमें कोई बात नहीं जोड़ना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि जिन लोगों की गलती से काम हुआ है, एक तो भविष्य में ऐसी गलती नहीं हो और जिन्होंने गड़बड़ी की उनको तत्काल सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने इस तरह का काम किया है यह बच्चों के भविष्य का मामला है और मंत्री महोदय तत्काल बतायें कि परीक्षा की कॉपियां गायब हुई उनका क्या होगा? क्या परीक्षा दुबारा दिलायेंगे?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका स्पष्ट उत्तर माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्या। सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन : पहला प्रश्न यह है कि जब रेलवे पार्सल लेने गये और कापियां नहीं मिलीं तो उन्होंने क्या किया? दूसरा सवाल यह है कि आपके ध्यान में यह मामला कब आया? स्थगन प्रस्ताव उठाये जाने के बाद या उससे पहले? और जब आपकी जानकारी में आ गया तो उसके लिए आपने क्या कदम उठाये और भविष्य में ऐसे वाकये दुबारा नहीं दोहराये जायें उसके लिए आपने क्या सोचा है?

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहूंगा कि किसकी कस्टडी में यह कॉपियां पहुंची थीं जहां से गायब हुई? कोई नियम, प्रिन्सिपल या रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि कॉपियां किस तरह से डिस्पेच होंगी और ट्रांजिट कैसे होंगी? उनकी पालना हो रही हैं या नहीं? किसके दस्तखत कहां मौजूद हैं?

(श्री राजबहादुर)

श्रौर जो काबू करके किया जाये जिससे कि इनवेस्टिगेशन हो जाय। जो नियम हैं उनका उल्लंघन कैसे हुआ है? निकल कैसे गयीं यहां से। यह बड़े श्राश्चर्य की बात है।

श्री ग्रध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से श्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसकी कस्टडी से कापियां चली गयीं। मैंने जो वक्तव्य दिया है उसमें साफ बताया है कि रेलवे के द्वारा कापियां गंगानगर से भेजी गयीं श्रौर रेलवे में से ही गायब हो गयीं। 14 तारीख को यूनिवर्सिटी के अधिकारी लोग उसको लेने के लिए गए तो कहा गया कि पहुंच तो गयीं लेकिन मिल नहीं रही हैं। इतनी ही देर में सुबह लेने गये श्रौर दोपहर को जो श्रादमी कापियां बेच रहा था वह पकड़ा गया। श्रब बीच में श्रामेर से श्राने वाली माननीय सदस्या पूछ रही हैं कि श्रापको मालूम हुश्रा तो श्रापने क्या किया। 14 तारीख को लेने गये तो रेल से कोई चीज उसी दिन पहुंच जाये ऐसा जरूरी नहीं है, 14 तारीख के बजाय 15 को भी पहुंच सकती है। श्रगर नहीं मिलीं तो क्या वहीं 14 तारीख को हायतोबा मचाना शुरू कर देते। यह मालूम हो गया कि रेल द्वारा किसी ने गायब कर दी थीं। यह पहली घटना तो है नहीं। रेल से कोई चीज श्राती है वह गायब भी हो सकती है। श्रब गायब हो गयीं श्रौर गायब होने के बाद पुस्तिकायें पकड़ ली गयीं। श्रब एक माननीय सदस्या का यह कहना कि जो सांगानेर से श्राने वाली माननीय सदस्या हैं उन्होंने कहा कि 43 बताई हैं तो यह 71 कैसे पकड़ी गयीं ...

श्रीमती उजला श्ररोड़ा : सांगानेर से नहीं जयपुर ग्रामीण से।

श्री चन्दनमल बैद : माफी चाहता हूं, जयपुर ग्रामीण से। तो एक-एक विद्यार्थी एक तो मैन उत्तर पुस्तिका श्रौर एक सप्लीमेन्ट्री भी काम में ले सकता है, दो भी सप्लीमेन्ट्री काम में ले सकता है। माननीय सदस्या तो स्वयं इम्तिहान दे रही हैं वह भी दो-दो श्रौर तीन-तीन सप्लीमेन्ट्री कापियां ले रही होंगी ...

श्रीमती उजला श्ररोड़ा : श्रगर मुझे मार्क करके कोई बात कही जायेगी, सवाल दीगर श्रौर उत्तर दीगर, श्राप इस तरह से ...

श्री ग्रध्यक्ष : श्रार्डर, श्रार्डर। माननीय सदस्या।

श्री चन्दनमल बैद : मैं कोशिश कर रहा हूं उनकी शिकायत का निराकरण करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर पुस्तिकायें वहां से भेजी गयीं। यहां रेलवे स्टेशन पर लेने गये तो कहा कि पहुंच गयीं लेकिन मिल नहीं रही हैं। उसके बाद वह पुस्तिकायें एम० श्राई० रोड पर बेचते हुए कोई पकड़ा गया श्रौर उसके बाद चोर भी पकड़ा गया श्रौर वह श्राज हिरासत में है....

श्रीमती उजला श्ररोड़ा : चोर कहां है? वह तो कहीं से खरीद कर लाया है। असली चोर तो पकड़ा ही नहीं। उससे तो जानकारी लेनी चाहिए थी।

श्री चन्दनमल बैद : असली चोर या नकली चोर को तो पकड़ने की जिम्मेदारी

(श्री चन्दनमल वैद)

पुलिस विभाग की है। शिक्षा विभाग तो मानता है कि उत्तर पुस्तिकायें रेलवे से गायब हो गयीं। जो आदमी पकड़ा गया वह असली चोर है या नहीं, यह पुलिस विभाग पता लगायेगा और असली चोर को सजा दिलायेगी, यह हम आशा करते हैं।

अब एक प्रश्न मैं सही आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मैं इसलिए कह रहा था कि जो बात सही है उसको मैं मानने के लिए तैयार हूं लेकिन उसमें कोई चीज है नहीं, तिल का ताड़ बनाकर सरकार गलत बात मान ले, मानने वाली नहीं है। 11 तारीख की शाम को इम्तिहान हुए, 11 तारीख को रवाना नहीं हो सकती थीं। 12 को रवाना होनी चाहिये थीं। 13 तारीख को किसने रोकीं इस बारे में जवाब तलब कर रहे हैं और माकूल जवाब नहीं मिला तो कार्यवाही की जायेगी। इतना ही कहना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है। ऐसी चीजें रेलवे में होती रहती हैं। अच्छी-अच्छी कीमती चीजें भी चोरी हो सकती हैं सीक्रेसी का सिद्धांत है, ललितकिशोरजी बैठे हैं, वे भी शिक्षा मन्त्री रहे हैं और दूसरे भी शिक्षा मन्त्री रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी शिक्षा मन्त्री रहे हैं, ऐसी चोरियों के लिये जितने उपाय कर लीजिये ...

श्री अध्यक्ष : हमारे टाइम में ऐसी चोरियां तो नहीं हुई थीं।

श्री चन्दनमल बैद : आप बड़े फार्चुनेट रहे हैं। मैं भी शिक्षा मन्त्री था, मैं भी फार्चुनेट रहा हूं। खैर, अब जो हुआ है उसको देख लें, ऐसी चोरियां न हों उसका इन्तजाम करें। तिल का ताड़ मत बनाइये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जो गोपनीयता की बात है, अनुभाग की कन्डीशन्स हैं तौर तरीके हैं उनका एनेलेसिस करें। मैंने उदाहरण दे दिये। स्टेट गर्ल्स महाविद्यालय का उदाहरण दिया है। अभी आज ही अखबार में आया है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उनके साथ थोड़ा बैठें, उनकी कौंसिल उनकी सीनेट, उनकी सिंडीकेट और प्रोपर अथारिटीज को चर्चा करने दें, चर्चा करके कुछ रिकमन्डेशन्स दें विभाग को, स्वतः ठीक करने की कोशिश करें। यह बड़ा इम्पार्टेंट फैक्टर है, माननीय शिक्षा मन्त्री जी को मानना चाहिये।

श्री चन्दनमल बैद : आज जो प्रकरण का जिक्र किया है वह मेरे सामने नहीं है, मेरी जानकारी भी नहीं है। आपने कहा है, पता लगाऊंगा। अगर कहीं अनियमितता हुई है, कोई गलती हुई है तो इस बात को माना है हम यहां गलतियों को ठीक करने के लिये विधान सभा में बैठे हैं, गलतियों को छिपाने के लिये नहीं बैठे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे परीक्षाओं का क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, अलग विषय है। आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : कौंसिल इस पर विचार करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन बच्चों का एक साल बचेगा या खराब करेंगे ? यदि यह परीक्षायें अगस्त में लेंगे तो 81-82 की कब होंगी....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनकी व्यवस्था शीघ्र करें। क्या करेंगे, इसका उत्तर दिलायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

पाठ्य पुस्तकों में अशुद्धियां

शिक्षा मन्त्री जी व्यक्तव्य देंगे। पाठ्य पुस्तकों में अशुद्धियों के विषय में।

श्री चन्दनमल बैद (शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह वक्तव्य तो शिक्षा मन्त्री के नाते आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री के टाइम में छपी हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पहले भी शिक्षा मन्त्री के नाते दिया था, अब भी शिक्षा मंत्री के नाते दे रहा हूं....

एक माननीय सदस्य : वे परीक्षा मन्त्री थे।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, श्री दाऊदयाल जोशी ने पुस्तकों में अशुद्धियों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल की कक्षा 5 की सामान्य ज्ञान की पुस्तक एवं सैकेण्डरी कक्षाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्वीकृत एच्छिक संस्कृत की पुस्तक में त्रुटियां बतलाई हैं।

यह सही है कि कक्षा 5 की पुस्तक के 1974, 75, 76, 77 व 78 के संस्करण में प्रथम महायुद्ध की अवधि 1914 से 1919 तक की अंकित हुई थी। किन्तु 1979 के संस्करण में यह अवधि 1914 से 1918 मुद्रित हो गई, किन्तु 1980 के संस्करण में यह अवधि पुनः 1914 से 1919 ही बतलाई गयी, क्योंकि इस वर्ष हुई विषय विशेषज्ञों की संगोष्ठी द्वारा 1919 वर्ष ही सही बतलाया गया था।

कक्षा 5 की पुस्तक में हिमालय की लम्बाई-चौड़ाई, भारत की जन संख्या, समुद्र तट की लम्बाई की सूचना प्रारम्भिक संस्करणों में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था से प्राप्त पाण्डुलिपियों के आधार पर दी गई थी। वर्ष 1979 के संस्करण में 'इण्डिया ईयर बुक 1973' की सूचना के आधार पर संशोधित सूचना दी गई है।

1975 के संस्करण में पाठ संख्या 30 में हिमालय की लम्बाई 2500 कि० मी० और चौड़ाई 150 से 400 कि० मी० दी गई थी। 'भारत 1973' के अनुसार हिमालय की लम्बाई 1979 के संस्करण में

(श्री चन्दनमल बैद)

2400 कि० मी० और चौड़ाई 240 से 320 कि० मी० बतलाई गई।

1975-76 के संस्करण में पाठ 38 में समुद्रतट की लम्बाई 5640 कि० मी० बतलाई गयी थी। 'भारत 1973' के संदर्भ में 1979 एवं 1980 के संस्करण में इसे सही कर 6083 कि० मी० कर दिया गया।

पुस्तक के 1975 एवं 1976 के संस्करणों में पाठ 37 में भारत की जनसंख्या 547367926 बतलाई गई थी इसे भी 'भारत 1973' के संदर्भ में संशोधित कर 1979 एवं 1980 के संस्करणों में 547949809 कर दिया गया।

सैकण्डरी कक्षा की संस्कृत विषय की पुस्तक में अधिकतर त्रुटियां प्रिंटिंग एवं प्रूफ की हैं। वर्ष 1981 के संस्करण में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। 1981 की सभी पुस्तकों में इस प्रकार की कमियों को दूर करने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल विशेषज्ञों से अवश्य सम्मति प्राप्त कर रहा है। जिन पुस्तकों में मुद्रण आदि की अधिक त्रुटियां पाई जाती हैं, उनके प्रकाशकों से कोर्ट द्वारा पैनल्टी भी प्राप्त की जाती है।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक यह जानकारी दी गई, मैंने जो जानकारी दी है, जब मैं चौमहला गया यह दोनों प्रकार की पुस्तकें आज भी स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं उनमें पाठ हैं। दोनों किताबों में अलग अलग जानकारी हैं। आज की तारीख में भी पढ़ाई जा रही हैं। आज मैं दूसरी किताब लेने के लिए बाजार गया, किताब उपलब्ध नहीं है। चौड़ा रास्ता से लेकर त्रिपोलिया बाजार तक आ गया, कक्षा 5 की सामान्य ज्ञान की किताब कहीं नहीं मिली। पांच सात दिन में सारी किताबें उठा ली, क्या हुआ। मेरा निवेदन करना यह है कि डबल डबल जानकारी है जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हिमालय की लम्बाई 2500 किलोमीटर चौड़ाई 150 से 400 कि० मी० बताई और दूसरी किताब में 2400 कि०मी० लम्बाई और 240 से 320 कि० मी० चौड़ाई बताई। स्कूलों के अन्दर मास्टर पढ़ायें तो क्या बच्चे किताब ले कर पढ़ते हैं। मास्टर जानकारी देने लगता है तो दूसरे बच्चे खड़े हो कर कहते हैं, मास्टर साहब गलत है, हिमालय की लम्बाई तो इतनी है। मास्टर माथा पकड़ कर बैठ जाता है। यह पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा छापी गई हैं या किसी बाजारू फुटपाथिया आदमी द्वारा छापी गयी हैं। यह किताबें आज भी मिल रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। मेरा निवेदन है कि हिमालय की जानकारी है, जनसंख्या की जानकारी है डबल-डबल जानकारी इन किताबों में दी गयी है। माननीय मंत्री महोदय, जो यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा कक्षा 9 और 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तकें हैं इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थ का अनर्थ है। लिखना है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि। लिखा है जननी यम भूमिस्य। यम की भूमि। जननी से श्रेष्ठ जन्म भूमि नहीं रही। लिखा है,

(श्री दाऊदयाल जोशी)

ऊष्मा दहति पावकः। गर्मी के कारण शरीर जलता है उसके बजाय लिखा है, ऊषा दहति पावकः। ठंड के कारण आदमी का शरीर जलता है। यह कितना अपभ्रंश है। एक ओर भयंकर अशुद्धि है, पंडित जी जो सामने बैठे हैं उनसे अभी पूछ कर आया हूं, शायद इसका अर्थ वे बता दें। शिष्य के बजाय जो शब्द लिखा वह मैं यहां प्रयोग नहीं कर सकता। भगवान जाने क्या लिखा है, वे ही बतला दें, शिष्य के बजाय जो लिखा है, पंडित जी, जो कांग्रेस के पक्ष में बैठे हैं, ही बतला दें। विवाद क्या है इसमें ?

(व्यवधान)

शिस्ने, शिस्ने....यह क्या लिखा है ? अर्थ वे मा० जयदेवजी बता देंगे, पंडितजी। मेरा निवेदन है जहां ऐसी गलतियां हैं, वहां क्या होगा। यह पुस्तक कुसुमांजलि है मेरे पास। दो दिन तक मैंने इसे पढ़ा है। 958 गलतियां इसमें निकली हैं। आखिरकार यह क्या है? हर पाठ में गलती पहले पाठ में चार गलती, दूसरे पाठ में आठ गलती, तीसरे पाठ में 15 गलती

श्री जयदेवप्रसाद इन्दोरिया : माननीय जोशी जी, इसका अर्थ समझ में नहीं आया है। इसका बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण कर सकता हूं लेकिन दुःख यह है कि इस सदन में माननीय सदस्या विराजमान हैं इसलिए इसका यहां स्पष्ट अर्थ बताना उचित नहीं होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : स्कूल में संस्कृत का मास्टर ही बतायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपके कहने का अभिप्राय तो यही है कि पाठ्य पुस्तकों में काफी गलतियां हैं। मंत्री महोदय ने कहा है इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है जब आप ध्यान में लाये हैं तो निश्चित है, इस ओर कदम उठाए जायेंगे।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन करना यह था कि...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : इसमें सिर्फ प्रिन्टिंग में थोड़ी गलती हुई है। मैं समझता हूं शिक्षा विभाग की ऐसी मंशा नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वहीं के प्रूफ रीडर बठते हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय सुधार लायें, यही आपकी भी इच्छा है...

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : दुकान है या पाठ्य पुस्तक मण्डल है, क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए, आर्डर प्लीज।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन गलतियों की वजह से जिन बच्चों के रिजल्ट्स में फर्क पड़ेगा, उसका क्या होगा ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व मन्त्री जी श्री कैलाश जी फर्मा रहे थे, बड़ा अनर्थ हो गया। भई, यह तो अनर्थ आपके राज्य में हुआ है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी . नहीं हुआ, बिलकुल गलत है।

मेरी एक बात सुन लीजिये ...

(व्यवधान)

अजमेर में छपी है....

(व्यवधान)

श्री हंसराज शर्मा : हमारे टाइम में जो प्रकाशन हुआ है, वह आज भी सही है। आपके टाइम में जो कागज का कोटा देकर स्पेशल तैयार करवाई गई है, वह आपके शिक्षा मन्त्री जी का अक्ल का नमूना है।

(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : जो गलतियां हैं, उनको ठीक किया जा रहा है। पहले जो गलतियां थीं, 1973 की भारत सरकार की जो पुस्तक छपी है उसको देखकर ठीक कर दिया। मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं। उन्होंने मेरी मदद की। हम उस गलती को सुधारेंगे। मैं इस बारे में जिद्दी नहीं हूं, बल्कि मैं बताना चाहता हूं, मैंने तो आज सुबह ही अपने अधिकारियों को कहा है जिसने संस्कृत की पुस्तक में इतनी गलतियां छापी हैं, उसको ब्लेक लिस्ट कर दो। मेरा प्रेस वालों से कोई वास्ता, रिश्ता या सम्बन्ध नहीं है जो बचाने की कोशिश हो। बल्कि मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो गलतियां आप ध्यान में लाये हैं, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आगे भी गलतियों के लिए चाहे सदन के मार्फत या सीधे मुझे बतायेंगे तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ..

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई जाने वाली पुस्तक में भीखाभाई का नाम भीखा नाई छपा है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का छठा प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन एवं उपस्थापन और उस पर विचार। श्री हीरालाल देवपुरा, संसदीय कार्य मन्त्री।

श्री हीरालाल देवपुरा (मन्त्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का छठे प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

(102)

[समिति का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25 मार्च, 1981 को मध्याह्नोत्तर 3.00 बजे हुई। समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 30 मार्च, 1981 से 3 अप्रेल, 1981 तक सदन में लिए जाने वाले कार्य के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय :—

सोमवार, दिनांक 30 मार्च, 1981 मंगलवार, दिनांक 31 मार्च, 1981	वर्ष 1981-82 के बजट के सम्बन्ध में विनियोग विधेयक पर विचार एवं दिनांक 31-3-81 को उसका पारण।
बुधवार, दिनांक 1 अप्रेल, 1981	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 1980-81 के बजट पर अग्रेतर विचार।
गुरुवार, दिनांक 2 अप्रेल, 1981 शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1981	(1) **शासकीय कार्य** 1. राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980 2. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981 3. राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 1981 तथा 4. राजस्थान शरीर विधेयक, 1981 पर विचार एवं उनका पारण।
शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रेल, 1981 के अन्तिम ढाई घण्टे	(2) **गैर सरकारी कार्य** गैर सरकारी संकल्प।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य सलाहकार समिति के छठे प्रतिवेदन पर सदन अपनी सहमति प्रकट करें।

श्री रामबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत हृदय से और बहुत नम्रतापूर्वक आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं वे प्रगति की मूलभूत आधार हैं और उसमें इस सदन के सदस्यों और इस सदन के सदस्यों द्वारा जनता का इन्वोल्वमेंट बहुत आवश्यक है। हमारे राज्यपाल जी ने भी, मुख्य मन्त्री जी ने भी अपने भाषणों में बहुत बार दोहराया है कि हम सब इस काप्रर की चीजों में भागीदार बनें। भागीदार बनें, ऐसे प्रयास में, ऐसी चीज में जिसका हमें ज्ञान ही नहीं हैं।

(श्री राजबहादुर)

आज की तारीख में केवल मात्र मोटे मोटे आंकड़े दिये हैं। सिक्स्थ प्लान के बारे में कोई वक्तव्य नहीं है, क्या उसके पीछे कोई कठिनाई है, क्या दृष्टिकोण है, क्या लक्ष्य है, क्या आकांक्षाएं हैं। क्या स्वप्न हैं। तो वह स्वप्न हमारा कैसे पूरा हो जायगा। इसके बारे में बहुत आवश्यक है कम से कम इस पर बहस के लिये एक दिन तो मिलता। हम जानकारी करते, अध्ययन करते। राजस्थान सरकार की जानकारी में होगा कि प्रदेश के प्लानिंग का बाकायदा अध्ययन कराया गया था- Perspective planning in Rajasthan by National Counal of Applied Ecconomic Reseach सदन यह जानना चाहेगा कि उसके बारे में कहां तक उन उद्देश्यों की पूर्ति की, कहां तक अध्ययन किया है, कितनों को नोटिस में लिया है। कुछ चर्चा नहीं है इसलिये मैं आपसे अब भी अनुरोध करता हूं कि सदन के इसी सत्र में एक मौका दिया जाय-एक दिन या डेढ़ दिन इसके लिये रखा जाय जिसमें राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी जाय और उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकें, अपने विचार रख सकें। यह कहा जाता है कि पार्लियामेंट में भी चर्चा नहीं होती है। मैं विश्वास के साथ कहता हुं पार्लियामेंट में प्लेन डाक्यूमेंट पर बहस होती है, विचार करते है तब स्वीकृत होता है। वह प्रक्रिया होनी बाकी है लोक सभा में। हमें भी यही करना चाहिये। फिर कोई ऐसा भी नहीं है कि यह कोई ब्रह्मा के वाक्य हो गये हैं या कोई पत्थर की लकीर हो गई कि चेन्ज ही नहीं हो सकता है। अगर सदन के सम्माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इसमें संशोधन, परिवर्द्धन की आवश्यकता है तो मैं आपसे पुनः अनुरोध और आग्रह करूंगा कि राज्य सरकार इसके लिये समय निकाले। बहुत धन्यवाद। यह बात मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से, जनता पार्टी की ओर से, लोक दल की ओर से और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूं इस प्रतिवेदन पर सभी दलों के प्रतिनिधियों को, माननीय सदस्यों को बुला करके और सर्व सम्मत निर्णय लिया गया है। उसके बाद में आपने कोई एतराज किया हो, उसके बारे में मैं नहीं कहूंगा। आप वैसे आमन्त्रित सदस्य हैं। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर आपने कह दिया है अतः इसको विवाद का विषय न बनावें।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, जो कार्य सलाहकार समिति बैठती है उसमें मुख्य मन्त्री जी शिड्यूल्ड कास्ट के हैं एक और माननीय विधायक हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट के हैं। ऐसी स्थिति में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आयुक्त की रिपोर्ट, पर इस सत्र में, इस विधान सभा में, वाद विवाद होना आवश्यक है और इसलिये आवश्यक है कि अगर आयुक्त की रिपोर्ट पर वाद-विवाद नहीं हुआ तो कई माननीय सदस्य जो बातें कहना चाहते है कि क्या होना चाहिये, क्या नहीं होना चाहिये, आज देश में जो वातावरण है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबकी भावना यह है, सबकी सहानुभूति यह है कि शिड्यूल्डकास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का किस

(श्री कैलाश मेघवाल)

प्रकार भला हो, किस प्रकार तरक्की हो। उनका भला करते हैं, उनकी तरक्की करते हैं लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल विषय है और जिस पर चर्चा होकर किसी विषय पर जाया जा सकता है वह मूल विषय यही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आयुक्त की रिपोर्ट इस सदन में आप चर्चा के लिये रखें। यह मेरा सुझाव है सुझाव इसलिये कि चाहे उस पक्ष के माननीय सदस्य अनुसूचित जाति एवं जन जाति के हों और चाहे इस पक्ष के अनुसूचित जाति व जन जाति के हों सबकी इच्छा है कि आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस हो। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारे टाइम में भी वाद विवाद में विलम्ब हुआ है। तो मैं चाहता हूं और मार्मिक अपील करना चाहता हूं, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी से बड़े पुरजोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि इस सत्र में इस मांग को स्वीकार करें। तीन को सत्रावसान होने वाला है इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं और यह सुझाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा देना चाहता हूं, क्योंकि आप कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं और इस सदन को आप प्रभावित कर सकते हैं. एक दिन और कार्यवाही को बढ़ाना पड़े तो बढ़ायें। यह आज एक ज्वलंत विषय है और इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, आयुक्त की कई रिपोर्ट आपके पास एकत्रित हो चुकी है और उसके बाद जब कभी उनको रखोगे तो उस पर सम्पूर्ण वाद विवाद नहीं हो सकेगा और न सरकार को दिशा निर्देश हो सकेगा, न यहां के अनुसूचित जाति और जनजाति के माननीय सदस्यों के विचार के आधार पर कोई डिसीजन ले सकेंगे। इसमें मेरा निवेदन यही है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी छठी पंचवर्षीय योजना पर कार्य सलाहकार समिति की चर्चा की। उसको कार्य सलाहकार समिति में विचार करने के लिये रखा जाना चाहिए। इस बारे में कार्य सलाहकार समिति की बैठक में विचार हुआ और आम तौर पर अब तक राजस्थान विधान सभा में पंचवर्षीय योजना को कभी भी डिस्कस करने की परम्परा नहीं थी। हर साल जो प्लान आता है, जब बजट पर डिस्कशन होता है तभी उस पर भी होता है। इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए नहीं रखा गया। दूसरे माननीय सदस्य ने उनकी एक बात कही कि एस. सी. एस. टी. की रिपोर्ट पर विचार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको ख्याल होगा सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव किया गया कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए लेकिन कार्य सलाहकार समिति की इच्छा यह रही कि इसको इस वक्त नहीं किया जाना चाहिए, आगे किया जा सकता है। इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट डिस्कस करना जरूरी है. इसलिए उसको रख लिया जाय और इसीलिए यह रख दिया गया।

एक माननीय सदस्य : इस सत्र में इसके लिए एक दिन बढ़ाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाय।

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

मांग संख्या 16, पुलिस, मांग संख्या 3-सचिवालय, मांग संख्या 4-जिला प्रशासन, मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन

अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। मांग संख्या 16, 3, 4, 6 प्रस्तुत की जायें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राज्य मन्त्री गृह) अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। With your permission.

श्री अध्यक्ष : आज्ञा प्रदान की गयी।

श्री प्रद्युम्नसिंह ; अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 29,76,07 हजार रुपये (उनतीस करोड़ छयत्तर लाख सात हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3–सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3, 65, 19, 000 रुपये (तीन करोड़ पैंसठ लाख उन्नीस हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4–जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,04,06,000 रुपये (सात करोड़ चार लाख छः हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं मांग संख्या 6–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,74,20,000 रुपये (चार करोड़, चौहत्तर लाख 20 हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस भी हमारे समाज का एक अंग है। जितनी भी कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है–

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया एक मिनट रुक जायें। छोटी गलती रह गयी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुनः मैं पुलिस के सम्बंध में डिमांड पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,76,07,000 रुपये (उन्तालीस करोड़ छिहत्तर लाख सात हजार रुपये) तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग सं 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 16-मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण)

1. डाकेजनी, बलात्कार, चोरी, नकबजनी आदि घटनाओं को रोके जाने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. गंधेर ग्राम में मच्छी मारने गये कानपुर के चोखला मीणा की हत्या पर अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने बाबत चर्चा के लिये।

3. प्रतापगढ़ तहसील के ग्राम कनाड़ के भगवाना मीणा के हत्यारों को पुलिस द्वारा अब तक गिरफ्तार न करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

4. तहसील प्रतापगढ़ में वर्ष 80–81 में हुई चोरियां, डकैतियां, बलात्कार, तस्करी आदि घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से जनता में व्याप्त असंतोष के बारे में चर्चा के लिये।

5. धमोतर ग्राम पंचायत के अन्तर्गत ग्राम रानी तलाई में कृषक के खेत में गड़े सोने के सिक्कों की बरामदगी को पुलिस द्वारा रफादफा करने बाबत चर्चा के लिये।

6. पुलिस द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में तस्करी की रोकथाम के लिये अब तक उचित कदम नहीं उठाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. तहसील प्रतापगढ़ के ग्राम गन्धेर, अरनोर, कोलवी, पंचेवा एवं अन्य ग्रामों में हुई डकैतियों में अब तक कोई गिरफ्तार न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

8. पुलिस द्वारा प्रतापगढ़ तहसील में काला बाजारी न रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)

9. तफतीस हेतु प्रत्येक थाने पर जीप उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

10. राज्य में पुलिस व्यवस्था को सुधारने तथा राज्य में चार आई. जी. के पद निर्माण करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

11. पुलिस की घटती हुई साख से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

12–बीकानेर शहर के मुख्य चौराहों व गंगाशहर एवं भीनाशहर आदि स्थानों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. जिला बीकानेर के मलेरिया विभाग की दुर्घटना में हुई क्षतिग्रस्त जीप का अब

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

तक पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (वादीकुई)

श्री दाऊदयाल जोशी (दांगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टौंक)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

14. पुलिस की अकर्मण्यता के कारण राजस्थान में कानून व्यवस्था दिन व दिन खराब होती जा रही है उसमें सुधार हेतु अल्प वेतन भोगी का वेतन एवं अन्य सुविधायें बढ़ाई जायें तथा उनके काम के घण्टे निश्चित किये जायं, इस पर चर्चा के लिये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

15. पुलिस विभाग का वैज्ञानिक आधार पर चार श्रेणियों में पुनर्गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

16. पुलिस सेवा को जनसाधारण की सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण देकर पुलिस के व्यवहार में तब्दीली लाने हेतु चर्चा के लिये ।

17. पुलिस कांस्टेबल्स की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

18. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री मोहनलाल शर्मा (चूरू)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

19. राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये ।

20. राज्य में बढ़ती हुई अराजकता को देखते हुये नये थानों की स्थापना तथा थानों में आधुनिक साधन उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये ।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

21. सवाई माधोपुर जिले की चोरियों व डकैतियों की बरामदगी में पुलिस की असफलता से जन असंतोष पर चर्चा के लिये ।

22. वोलवा थाना में टेलीफोन की व्यवस्था करने के संवंध में चर्चा के लिये ।

(श्री हंसराज शर्मा)

23. मानपुर थाने में पुलिस कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. जिला सवाई माधोपुर में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

25. पुलिस कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. सिकराय क्षेत्र में पड़ी डकैतियों का भेद अभी तक न खुलने से जनता में व्याप्त असंतोष व भय पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

27. सरकार पुलिस के आचरण में भावात्मक परिवर्तन लाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)

28. जैसलमेर नगर में सितंबर 1980 में हुये बलात्कार के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों का पक्ष लेने के कारण हुये जन आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परेशान व आतंकित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

29. ग्रामों में प्रत्येक थानों पर जीप उपलब्ध कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

30. पुलिस कर्मचारियों को हार्डड्यूटी अलाउन्स दिलाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

31. राज्य में कानून व व्यवस्था की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही स्थिति में सुधार लाने हेतु पुलिस प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

32. ग्राम करवर जिला बूंदी में पुलिस स्टेशन एवं ग्राम समोधी जिला बूंदी में पुलिस चौकी स्थापित नहीं किये जाने से जनता को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

33. चोरी गये माल की बरामदगी करने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री जीतमल जैन (अलवर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

34, डाकेजनी, चोरियां, राहजनी आदि घटनाओं को रोके जाने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।

35. पुलिस को जन सहयोगी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. पुलिस विभाग को क्रियाशील एवं गतिमान बनाने हेतु आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

37, पुलिस कर्मचारियों को वेतनवृद्धि एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

38. राज्य में कानून व व्यवस्था की स्थिति ठीक करने में पुलिस अक्षम रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (वस्सी)

39. पुलिस अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये अपने कार्य व व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाये तथा वह गरीबों के हितों की रक्षा करे। ईमानदारी व विशिष्ट सेवाओं के लिये पुरस्कृत किया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

40, पुलिस कर्मियों को उनकी ड्यूटी के हिसाब से अधिक सुविधाऐं दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

41. पुलिस विभाग में सामान्यतया आठ घण्टे तक ही सेवा लिये जाने पर एवं अनायास ड्यूटी के लिये सदैव कटिबद्धता तथा पुलिस कर्मियों के बच्चों को दसवीं तक फ्री शिक्षा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. पुलिस प्रशासन में योग्यता के आधार पर प्रमोशन देने एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की सेवा समाप्त करने पर चर्चा के लिये।

43. पुलिस की अकर्मण्यता से जन-जीवन असुरक्षित होता जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये।

44. पुलिस कर्मियों को महाराष्ट्र, बम्बई के समान आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा उनकी पे सीधी परिवार को चेक से भेजी जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव)

45. सीमावर्ती जिलों में पुलिस अधिकारियों के पदों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी)

46. पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध की गयी शिकायत की जांच अन्य विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा कराने की चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा)

47. पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील बनाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

48. पुलिस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाने तथा पुलिस कर्मचारियों का दृष्टिकोण जनता के प्रति सहयोगात्मक बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग)

49. झालावाड़ जिले के पुलिस प्रशासन को सुधारकर सक्रिय करने हेतु चर्चा के लिये।

50. पुलिस विभाग को पुनर्गठित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

51. राज्य में बिगड़ी हुई कानून व व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

52. पुलिस कर्मियों के आचरण में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्री माधोपुर)

53. पुलिस की लापरवाही से कानून व व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के संबंध में चर्चा के लिये।

54. पुलिस विभाग चोरियों व डकैतियों को रोकने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

55. पुलिस के सिपाहियों की वेतन शृंखला महंगाई के अनुपात में बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

56. पुलिस विभाग में सी.आई.डी. व ए.सी.डी. के कर्मचारियों को भी वाहन भत्ता दिलाये जाने बाबत चर्चा के लिये।

57. पुलिस के छोटे कर्मचारियों को अधिक सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. पुलिस कर्मियों को पुलिस थानों व पुलिस लाइनों के निकट आवास सुविधायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. श्रीमाधोपुर (सीकर) में पुलिस थाने के भवन के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

60. सुकेत जिला कोटा में थानों की अनिवार्यता तथा रामगंज मंडी तहसील में कंजरों द्वारा हत्याएं, डकैतियां, चोरी तथा ग्राम हत्याएं, लूटखोरी पर पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

61. निम्न वेतन भोगी पुलिस कर्मियों की सेवा शर्तों में आवश्यक सुधार हेतु चर्चा के लिये।

62. नये संदर्भ में पुलिस के मानवीयकरण तथा जनहितकारी स्वरूप के अनुकूल प्रशिक्षण देने हेतु चर्चा के लिये।

63. पुलिस प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. पुलिस विभाग में पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को विशेष आरक्षण देने हेतु चर्चा के लिये।

65. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत)

66. पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के शपथ-पत्र सहित शिकायत करने पर संबंधित कर्मचारी को निलम्बित कर जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. पुलिस थानों में अन्वेषण सुविधा व मौके पर तुरन्त पहुंचने हेतु वाहन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री देवीसिंह भाटी)

68. पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने व आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक)

69. टौंक में एडीशनल एस.पी. के सृजित पद को भरा जावे तथा फोर्स बढ़ाई जावें इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

70. कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने से आम अवाम का जीवन दूभर हो जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

71. राजस्थान में चोरी, डकैती, नकबजनी, बलात्कार के उत्तरोत्तर बढ़ने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदसिंह (डीडवाना)

72. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)

73. ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की कमी के कारण बढ़ते हुये अपराधों को रोकने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

74. पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

75. प्रत्येक पुलिस थानों पर तफतीश हेतु जीप उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गूर्जर (नसीराबाद)

76. नसीराबाद में पुलिस द्वारा सट्टा, जुआ व नाजायज शराब की बिक्री को रोकने में असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा)

77. उदयपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के झगड़ों से उत्पन्न कानून अव्यवस्था को सुधारने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

78. पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

79. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह एवं देवली में पुलिस की अकर्मण्यता से कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गूर्जर (खारची)

80. हैड कान्स्टेबल को मैस भत्ता देने से सहायक उपनिरीक्षक से भी ज्यादा वेतन मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

81. पुलिस के प्रति जनता का विश्वास जगाया जाय व पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाया जाय। पुलिस को सक्रिय बनाने के लिये प्रत्येक पुलिस थाने पर गाड़ी उपलब्ध करवायी जाय जिससे अपराधों को कम करने में सहायता मिलेगी इस पर चर्चा के लिये।

श्री नानूराम कुमावत (ग्रासीन्द)

82. पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं)

83. चौमूं विधान सभा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर एवं ग्राम चीथवाड़ी में पुलिस चौकी कायम करने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. चौमूं व गोविन्दगढ़ थानों में वाहन उपलब्ध कराने एवं ग्राम बावड़ी गोपीनाथ तहसील ग्रामेर थाना रेनवाल तह. सांभर से हटा कर गोविन्दगढ़ या चौमूं थाने के ग्रन्तर्गत लगाने तथा चौमूं व गोविन्दगढ़ थाने में हुई चोरियों व नकबजनियों के माल बरामद न होने पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

85. पुलिस की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के कारण ग्रपराधों की रोकथाम में ग्रसफलता तथा पुलिस के छोटे कर्मचारियों को उनके द्वारा की गई सेवाकाल के ग्रनुपात में कम वेतन एवं भत्ता मिलता है पर चर्चा के लिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना)

86. पुलिस की लापरवाही के कारण लॉ एण्ड ग्रार्डर की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है इस पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर)

87. भीलवाड़ा में पुलिस की निष्क्रियता के कारण जनजीवन सुरक्षित नहीं है इस पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र ग्रार्य वीर (डग)

88. टूटती हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं नयी पुलिस चौकियां व थाने स्थापित करने एवं उनमें टेलीफोन का प्रबंध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

89. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द ग्रामलिया (चौरासी)

90. डूंगरपुर जिले में पुलिस ग्रधीक्षक द्वारा दिनांक 16–1–81 को पुलिस सिपाहियों को भत्ता हेतु तथा दि. 15-2-81 को एम.बी.सी. में भत्ता हेतु साक्षात्कार किया गया जिसमें हुई ग्रनियमितता पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

91. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

92. प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नरायणसिंह (दांतारामगढ़)

93. ग्राम पलसाना में पुलिस स्टेशन बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरोसीराम (हिण्डौन)

94. जिला सवाई माधोपुर में पुलिस व्यवस्था करने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)

95. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा)

96. राजस्थान में पुलिस व्यवस्था रखने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

(1) **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर)

(2) **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार)

97. सवाई माधोपुर जिले में पुलिस थानों की संख्या बढ़ाने एवं उनमें जीप उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

98. पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को पदोन्नति नहीं दी जाकर सीधी भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर)

99. रेवदर तहसील हैड क्वार्टर पर पुलिस थाने के अभाव के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

100. बांसवाड़ा जिले के थाना कलिंजरा के थानेदार द्वारा लोगों को परेशान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

101. बांसवाड़ा जिला में पुलिस को मनमानी करने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. राज्य सरकार प्रदेश में पुलिस व्यवस्था बनाये रखने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़)

103. राज्य सरकार कुशलगढ़ पुलिस स्टेशन व चौकियों के भवन निर्माण कराने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

104. राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

105. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले में पुलिस व्यवस्था बनाये रखने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)

106. सरकार पुलिस विभाग में छोटे कर्मचारियों को आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रही है इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

107. पुलिसकर्मियों के पदोन्नति के पदों को सीनियारिटी कम मेरिट से भरे जावें इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. पुलिसकर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जावे इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. पुलिस विभाग में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा)

110. खैरवाड़ा छावनी में पुलिस ट्रेनिंग केन्द्र को सेन्टर बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रामधन चौधरी (लाडनूं)

111. पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

112. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

113. मांगरोल में थाना भवन बनाने में सरकार की विफलता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. पुलिसकर्मियों के वेतन एवं भत्ते बढ़ाये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. पुलिस के भय एवं आतंक समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

116. अयाना में पुलिस थाना तथा ढीपरी, पीपल्दा व कमलेश्वर में पुलिस चौकियां स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

117. पुलिस को अधिक तत्पर बनाने हेतु थानों पर जीप देने तथा सिपाहियों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

वैद्य भरूलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

118. पुलिस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर उसे प्रजातांत्रिक पद्धति के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. सिपाही, हैड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर व इंस्पेक्टर के वेतनमान बढ़ाने तथा उनकी पर्याप्त संख्या वृद्धि कर पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने व उनको एक-एक जीप अलाट किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

120. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कानून व्यवस्था की बिगड़ी हुयी स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार)

121. पुलिस प्रशासन में सुधार लाकर प्रदेश की बिगड़ी हुयी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. ग्राम चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में चौथमाता के जेवर की चोरी अब तक बरामद नहीं होने पर चर्चा के लिये।

123. पुलिस द्वारा तहसील खण्डार के ग्राम रेड़ावद, खिदापुर तथा कालाखाण्डा में

(श्री चुन्नीलाल)

हुई डकैती की कार्यवाही नहीं किये जाने तथा तहसील खण्डार के ग्राम पीपल्दा में माह नवम्बर, 1980 में किये गये नर बलि कांड में पकड़े गये लोगों को रिश्वत खाकर छोड़ देने के विषय में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मणार बैरवा (फागी)

124. फागी विधान सभा क्षेत्र में आये दिन चोरियां व डकैतियां होने के कारण सामाजिक सुरक्षा में काफी कमी आई है इस पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञान सिंह चौधरी (मांदरा)

125. पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)

126. राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशनों पर जीपें उपलब्ध कराने बाबत चर्चा के लिये।

श्री कनकराज मेहता (सांचोर)

127. लम्बे अर्से तक चालान न होने से जनता को होने वाली परेशानी व भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी होती है इस पर चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण)

128. टीबी में पुलिस थाना अतिआवश्यक है तथा 40 किलोमीटर तक कोई पुलिस थाना नहीं होने के कारण स्थानीय नागरिकों को इस सम्बन्ध में परेशानी उठानी पड़ती है, के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भेरूलाल (मनोहर थाना)

129. झालावाड़ जिला क्षेत्रान्तर्गत थाना अकलेरा—मनोहर थाना जावर और भालता में थाना प्रभारीगणों की उदासीनता वश हो रही अपराधों की वृद्धि पर चर्चा के लिये।

130. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार में झालावाड़ जिले की जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल मेघवाल (सुजानगढ़)

131. पुलिस विभाग की निष्क्रियता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सच्चूराम (मण्डावा)

132. थानों में जीप अलाट करने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

133. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

134. पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं न देने से उनमें व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

135. पुलिस की निष्क्रियता से राज्य में बिगड़ती हुई कानून व व्यवस्था की स्थिति से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

136. राज्य में पुलिस स्टेशनों पर जीप व अन्य तफतीश सम्बन्धी आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं होने पर चर्चा के लिये।

(श्री नाथूसिंह)

137. पुलिस को आधुनिक साधन उपलब्ध न कराये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

138. सरकार द्वारा भ्रष्टाचार विभाग पर भारी व्यय करने के उपरांत भी भ्रष्टाचार विभाग राज्य में भ्रष्टाचार समाप्त करने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

139. पुलिस के बढ़ते हुये शोषण एवं जनता के विश्वास में कमी को दूर करने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा (पुष्कर)

140. पुलिस द्वारा जनता की उपेक्षा कर मनमानी तरीके से कार्य करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर)

141. शहर जयपुर में बढ़ते एक्सीडेण्ट्स को रोकने हेतु पुलिस ट्रैफिक की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विभिन्न हाइवे पर बसें लूटने व डकैतियों को रोकने में पुलिस असफल रही इस पर चर्चा के लिये।

143. अनुसंधान एजेन्सी का आधुनिकीरण कर जांच की समयावधि घटाने व केसों को शीघ्र निपटाने के विषय में चर्चा के लिये।

144. पुलिस के प्रति जनता की गिरती हुयी शाख को उबारने के लिये उसमें सुधार लाने के विषय पर चर्चा के लिये।

145. थानों में असंतोषजनक व्यवस्था को दूर करने के आवश्यक कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

146. पुलिस ट्रेनिंग पर पुनः विचार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. बड़े अस्पतालों के पास पुलिस चौकी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को पुलिस द्वारा आतंकित कराने पर चर्चा के लिये।

149. सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु पुलिस अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

150. पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये ईमानदार अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिये समय-समय पर सम्मानित व पुरस्कृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

151. अपराधों को रोकने के लिये भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से पुलिस थाना चाकसू से पुलिस चौकी, कोटखावदा क्षेत्र व बस्सी तहसील के ग्राम जो पुलिस थाना चाकसू में हैं, को मिलाकर पुलिस चौकी कोटखावदा को पुलिस थाने में परिवर्तित किये जाने के संदर्भ में चर्चा के लिये।

(श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी)

152. गरीबों के जान माल की रक्षा करने, पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने, पुलिस सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण करने तथा पुलिस को सक्रिय बनाने हेतु पुलिस थाना स्तर पर उच्च अधिकारी, जन प्रतिनिधि तथा उस क्षेत्र के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधियों की सतर्कता समिति पृथक से बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

153. पुलिस विभाग में प्रशासनिक सुधार हेतु एक संयुक्त समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. राजस्थान पुलिस विभाग में नियुक्ति में शिक्षित स्नातकों की उपेक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

155. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के सम्बन्ध में ठोस सुझाव देने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन करने की आवश्यकता है, इस पर चर्चा के लिये।

156. पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा अपना अपराधों की जांच करने समय मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हेतु चर्चा के लिये।

श्री सुरजाराम (नोखा)

157. बढ़ती आबादी के साथ पुलिस बल बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

158. पुलिस को कर्त्तव्यनिष्ठ व जनहितकारी बनाने पर चर्चा के लिये।

159. असामाजिक तत्वों से नियन्त्रण पाने में पुलिस की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर)

160. राज्य में शांति एवं सुरक्षा की घोर असंतोषजनक अवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

161. बीकानेर शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने हेतु पुलिस स्टाफ की कमी एवं नये पुलिस थाने खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

162. पुलिस कर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउन्स न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

163. आर० ए० सी० का मुख्यालय बीकानेर से हटाये जाने एवं पिछले तीन वर्षों से आर० ए० सी० की एक कम्पनी को आसाम भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

164. मुख्य बाजारों में ट्रैफिक समस्या के निदान हेतु कारगर कदम उठाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

165. पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

166. उदयपुर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में आदिवासी व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गैर कानूनी परेशान करना तथा झूठे मुकदमे बना कर धमकियां देने पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज ताड़

167. उदयपुर जिले को निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में थानों एवं पुलिस चौकी और खोलने बाबत चर्चा के लिये।

168. पुलिस विभाग में एस० सी० एण्ड एस० टी० के लोगों को नियमानुसार पदोन्नति न देने बाबत।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

169. पुलिस कर्मियों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रशिक्षण देने तथा उन्हें सक्षम करने की आवश्यता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

170. पुलिस व सी० आई० डी० के सम्बन्ध में गत वर्ष आये सुझाव के अनुसार कर्मियों को वेतन, मंहगाई भत्ता व अन्य सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

171. सरे आम जुआ खेले जाने पर भी पुलिस द्वारा उन पर एक्शन न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

172. यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा ट्रक वालों से चौथ वसूली के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. पुलिस को सक्षम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. पुलिस लाइन्स को नई पुलिस लाइन में शिफ्ट न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. पुलिस कर्मचारियों व सी० आई० डी० के कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।

176. ग्रामीण थानों पर व्हिकल उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

177. सी० आई० डी० के सिपाही व इन्स्पेक्टर को साइकिल भत्ता एवं मोटर साइकिल भत्ता न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. सी० आई० डी० में कार्यरत कर्मचारियों की पुलिस के अनुसार स्पेशल-पे की बढ़ोतरी न किये पर चर्चा के लिये।

179. सी० आई० डी० में पुलिस सब इन्स्पेक्टर व इन्स्पेक्टर के स्थानांतरण होने व सी० आई० डी० के कार्यरत कर्मचारियों का पुलिस में ट्रांसफर न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

180. सी० आई० डी० को पुलिस से अलग न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. उप निरीक्षकों को मैस अलाउंस न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. बढ़ती हुई मंहगाई के अनुपात में वर्दी धुलाई का पैसा न बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. पुलिस व सी० आई० डी० से ओवर टाइम काम लेने पर भी काम के घण्टों के अनुसार अलाउंस न दिये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

184. सी० आई० डी० में नियम के विपरीत सीधी भर्ती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. सी० आई० डी० व पुलिस में शिक्षित व्यक्तियों को मेरिट के हिसाब से पदोन्नति न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. नई पुलिस लाइन में कर्मचारियों के क्वाटर्स में पानी, बिजली, सफाई आदि की समुचित व्यवस्था करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

187. थानों में रिपोर्ट दर्ज करने वाला महिला एवं पुरुष स्टाफ अलग-अलग न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

188. जमवारामगढ़ थाने में दूरभाष न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

189. सी० आई० डी० व पुलिस कर्मचारियों को मकान बनाने व व्हिकल खरीदने के लिये लोन की सही व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

190. थानों में पीने के पानी के व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

191. सी० आई० डी० अपराध शाखा ने विगत पांच वर्षों में सहायक उपनिरीक्षक व मुख्य आरक्षी की परीक्षा न लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. सी० आई० डी० जोन यूनिट जिला कार्यालयों में दूरभाष की सुविधा न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 3 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 3 मुख्य शीर्षक सचिवालय के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. शासन सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

2. शासन सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही को रोक पाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

3. सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही से आम जनता को हो रही कठिनाई से राहत दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

4. शासन सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही को समाप्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पंचपदरा)

5. सचिवालय में प्राप्त होने वाले पत्रों का शीघ्र निपटारा नहीं किये जाने से व्याप्त जन-असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

6. सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

(123)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर)

7. राजस्व विभाग (सचिवालय) में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

8. शासन सचिवालय में व्याप्त लाल फीताशाही पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

9. राजस्व विभाग (सचिवालय) में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

10. राजस्थान शासन सचिवालय में ग्राई० ए० एस० सचिवों को राजकाज में मोनोपोली के बारे में चर्चा के लिये।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची)

11. सचिवालय में विधायकों के साथ ग्राने वालों को रोकने व जन प्रतिनिधि को पास बनवाने में समय खराब करने का ग्रौचित्य न हो, पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

12. शासन सचिवालय में व्यवस्था में सुधार कर जनोपयोगी बनाया जाय इस पर चर्चा के लिये।

श्री महाराम चौधरी (नागौर)

13. राजस्व विभाग (सचिवालय) में भयंकर भ्रष्टाचार एवं ग्रनियमितताग्रों पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा

श्री बालचन्द्र ग्रार्य वीर (डग)

14. शासन सचिवालय का पुनर्गठन कर जनोपयोगी बनाने की ग्रावश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ग्रमीन खां (शिव)

15. सचिवालय में जरूरत से ज्यादा खर्च पर चर्चा के लिये।

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा)

16. सचिवालय में चल रहे भ्रष्टाचार व निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

17. राजस्व (सचिवालय) विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

18. सचिवालय में वर्तमान पदसोपान प्रणाली को खतम कर ग्रमेरिकन सैल सिस्टम प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरजाराम (नौखा)

19. सचिवालय में काम की गति तीव्र करने पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

20. सचिवालय में फिजूल खर्चे को रोकने हेतु स्टेशनरी, टेलीफोन, पैट्रोल, सजावट, बिजली वातानुकूलित व्यवस्था कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

21. सचिवालय की विलम्बकारी कार्यवाही एवं उलझाने वाली कार्य प्रणाली को सरल एवं चुस्त बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 4 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 4 मुख्य शीर्षक जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय —

श्रीमती उजला अरोड़ा(जयपुर ग्रामीण)

1. जिलाधीश कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

2. जिलाधीशों के पास कार्यभार अधिक होने से राजस्व मामलों में न्याय में देरी के कारण जनता को होने वाली कठिनाई व विकास कार्यों में शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

3. जिलाधीश कार्यालयों में कार्यों को निपटाने में होने वाली देरी के कारण व्याप्त जन-आक्रोश पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

4. जिलाधीश कार्यालयों में अधिक कार्य होने के कारण विकास में होने वाली बाधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

5. जिलों में न्याय व्यवस्था बनाए रखने में जिलाधीशों की विफलता पर चर्चा के लिए।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

6. दौसा, धौलपुर, बारां, एवं हनुमानगढ़ पर जिला केन्द्र स्थापित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

7. प्रशासन को अधिक चुस्त एवं जनोपयोगी बनाने हेतु नये जिले बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

8. दौसा में अतिरिक्त जिलाधीश का कार्यालय न होने से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई)

9. नदबई जिला भरतपुर में खुले ग्राम डीजल के ब्लेक को रोकने में जिलाधीश असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

10. जिलाधीशों की व्यस्तता के कारण प्रशासनिक कार्य में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिये जिला आयुक्त का पद सृजित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

11. जिलाधीश कार्यालय एवं तहसील कार्यालयों में राजस्व सम्बन्धी विवादों को देरी से तय किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

12. जिला प्रशासन के राजनैतिक दवाव से मुक्त होने पर ही जनता को स्वच्छ प्रशासन प्राप्त होगा इस पर चर्चा के लिये।

श्री अहमद बक्श सिंधी (जोधपुर)

13. कलेक्टर को हिन्दी में जिलाधीश न कहकर जिला सेवक कहा जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

14. झालावाड़ जिले के जिलाधीश को चुस्त किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

15. जिलाधीश कार्यालय से राजस्व के मामलों का समय पर निपटारा नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा)

16. जिला प्रशासन में सुधार लाने हेतु सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

17. श्री माधोपुर में तहसील एवं ए. सी. एम. कोर्ट के भवन का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. जिलाधीशों पर कार्यभार अत्यधिक होने से राजस्व मामलों के निपटारों में विलम्ब के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी)

19. जिलाधीश, एस. डी. ओ., तहसीलदार आदि कार्यालयों में व्याप्त रिश्वत खोरी से परेशान जनता को राहत पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

20. जन समस्याओं के निराकरण हेतु

(श्री गोपाल पचेरवाल)
जिले के अधिकारियों के शिविर हर पंचायत समिति में हर सप्ताह लगाने हेतु चर्चा के लिए।

21. जिला अधिकारियों द्वारा शिविर आयोजित कर जनता के अभाव अभियोगों का निपटारा उसी समय किए जाने पर चर्चा के लिए।

22. जिलाधीश एस० डी० ओ० एवं तहसीलदार के कार्यालयों को सक्रिय कर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तीव्र करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल)

23. कार्यभार को देखते हुए राजस्व के मामलों के लिए अतिरिक्त जिलाधीश का पद सृजन करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री **चतुर्भुज** (टोडारायसिंह)

24. टौंक जिले के जिलाधीश, एस० डी० ओ० एवं तहसीलदार के कार्यालयों को सक्रिय किये जाने के बारे में चर्चा के लिए।

श्री **भैरूंसिंह गुर्जर** (खारची)

25. जिला जनप्रतिनिधियों के पत्रों का जवाब जिलाधीश नहीं देते व विधान सभा क्षेत्र के दौरे के लिए जिला पूल की जीप आवन्टन करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री **रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर)
26. भीलवाड़ा जिलाधीश द्वारा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री **तेजपाल यादव** (चौमूं)

27. चौमूं में राजस्व मुकदमों की संख्या को देखते हुए ए०डी०एम० कोर्ट नं० 1 व 3 को चौमूं में स्थानान्तरित करने पर चर्चा के लिए।

28. जयपुर जिलाधीश द्वारा समय समय पर अभाव अभियोग तथा डी० पी० सी० की मीटिंग नहीं बुलाने पर चर्चा के लिए।

श्री **महाराम चौधरी** (नागौर)

29. जिलाधीश जनता की भावनाओं के अनुरूप तत्परता से कार्य करने में असफल रहे हैं इस पर चर्चा के लिए।

श्री **बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा)

श्री **बालचन्द्र अहारी** (डग)

30. जिलाधीश के जुम्मे जो कार्य हैं उनके अतिरिक्त अन्य जिम्मेदारी के कार्य नहीं दिए जायें इस पर चर्चा के लिए।

श्री **अमीन खां** (शिव)

31. बाड़मेर सीमावर्ती जिला होने के कारण लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पर काबू रखने हेतु जिलाधीश कार्यालय को सक्रिय करने पर चर्चा के लिए।

श्री **गोविन्द आमलिया** (चौरासी)

32. डूंगरपुर जिलाधीश कार्यालय में कुछ व्यक्तियों को लगातार उसी सैक्शन में पद पर स्थापित किए जाने से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिए।

(124)

श्री **बहादुरसिंह** (डूंगरपुर)

33. बांसवाड़ा जिलाधीश कार्यालय में ढिलाई होने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिए।

34. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिलाधीश एवं एस० डी० एम० तथा तहसीलदार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिए।

श्री **फतेसिंह** (कुशलगढ़)

35. राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिए।

श्री **रामधन चौधरी** (लाडनूं)

36. जिला प्रशासन में सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा)

37. इटावा में राजस्व न्याय प्राप्त करने हेतु ए. सी. एम. कोर्ट स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।

38. इटावा में राजस्व की समस्याओं को दूर करने हेतु ए. सी. एम. कोर्ट स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **भैरूंलाल भारद्वाज** (जमवा रामगढ़)

39. जिला सलाहकार मण्डल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. जिलाधीश के स्थान पर जिला सेवक नाम रखे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **शिवराम शर्मा** (वनीपार्क)

41. बढ़ते हुए कार्य को देखते हुए एक अतिरिक्त जिलाधीश और नियुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री **मेघराज तावड़** (गोगुन्दा)

42. जिलाधीश कार्यालय की निष्क्रियता से जनता की होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार)

43. तहसील खण्डार में राजस्व अभियान के दौरान कोई कार्य नहीं किया है तथा जिससे रिश्वत ली गई है उसी काश्तकार का कार्य किया है इस सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री **रामकंवार बैरवा** (फागी)

44. जिलाधीशों के निष्क्रिय होने से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण की कोई व्यवस्था नहीं होने से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

श्री **भैरूंलाल** (मनोहरथाना)

45. मनोहरथाना नायब तहसील कार्यालय में स्टाफ बढ़ाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

46. मनोहरथाना नायब तहसीलदार को रजिस्ट्री करने की पावर दिये जाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

47. जयपुर जिले में बांसखोह एवं कोटखावदा में नायब तहसीलदार मुख्यालय स्थापित कर कृषकों को सस्ता न्याय सुलभ कराने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला मीणा (सागवाड़ा)

48. सागवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में एस. डी. ओ. आफिस की स्थापना के बारे में चर्चा के लिये।

49. जिलाधीश आवश्यक वस्तुओं का वितरण कराने में असफल रहे इस पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (उदयपुर ग्रामीण)

50. जिलाधीश, एम. डी. ओ. एवं तहसीलदार कार्यालयों में पिछड़े वर्ग के लोगों को नियुक्ति देने में भेदभाव बरतने पर चर्चा के लिये।

श्री लच्छू राम (मण्डावा)

51. जिला जिलाधीश, एस. डी. ओ., तहसीलदार व नायब तहसीलदार कार्यालयों में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला मीणा (सागवाड़ा)

52. सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में उप जिलाधीश मुख्यालय स्थापित हो, इस पर चर्चा के लिये।

श्री समर्थलाल (राजगढ़)

53. राजगढ़ (अलवर) एस. डी. ओ. का मुख्यालय राजगढ़ में न होकर अलवर में होने से व्याप्त असंतोष के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल (मनोहरथाना)

54. झालावाड़ जिला, में प्रशासनिक अधिकारी जैसे अतिरिक्त जिलाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के अभाव से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

55. बारां, धौलपुर, दौसा एवं हनुमानगढ़ को जिला बनाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

56. बस्सी तहसील के विचाराधीन मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये बस्सी में सहायक जिलाधीश न्यायालय स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

57. जिले में वर्तमान प्रशासन में सुधार हेतु अतिरिक्त जिलाधीश, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि के नये पद सृजित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

58. उदयपुर जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र गोगुन्दा में तहसील कार्यालयों में आदिवासियों के विचाराधीन कैसेज आदि के तुरन्त फैसले कर राहत पहुंचाने बाबत चर्चा के लिये।

(श्री मेघराज तावड़)

59. उदयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र में जिलाधीश कार्यालय द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

मांग संख्या 6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय–

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

1. विचाराधीन पड़े हुये मुकदमों को निबटाने के लिये और अधिक न्यायालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

2. राज्य के पिछड़े वर्गों के लिए पृथक से न्यायालय स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत)

3. हाई कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि कराने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

4. जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने में सरकार की असफलताओं पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर)

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा)

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू)

श्री जीतमल जैन (अलवर)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर)

श्री अनंगकुमार जैन (झालरापाटन)

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

5. सस्ता एवं सुलभ न्याय आज भी प्राप्त नहीं हो रहा है इस पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

6. दातांरामगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय के औचित्य पर चर्चा के लिये।

7. जनहित को ध्यान में रखते हुए न्याय प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर)

8. सवाई माधोपुर में अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

श्री मोहनलाल शर्मा (सरदार शहर)

9. ग्राम जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर)

10. न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

11. हरिजनों व आदिवासियों के मुकदमों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की और व्यवस्था किए जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)

12. सिकराय तहसील में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री यदुनाथ सिंह (नदवई)

13. सरकार गरीब तबकों को सस्ता न्याय दिलाने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद)

14. ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय सुलभ करवाने हेतु गांवों में न्याय पालिकाएं खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)

15. न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर सस्ता न्याय दिलाया जाये, इस पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

16. जनता को सस्ता एवं जल्दी न्याय सुलभ कराये जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री रेवतराम चौधरी (श्री डूंगरगढ़)

श्री भालू खां (चूरू)

17. जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. डूंगरगढ़ क्षेत्र की जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)

19. न्याय प्रशासन सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निबटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अहमदबक्श सिंधी (जोधपुर)

20. हाई कोर्ट में अल्पसंख्यकों में से जज की नियुक्ति की जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

21. न्याय सुलभ तथा सस्ता होना चाहिए, गरीबों को कानूनी राय राज्य की ओर से मुफ्त दी जावे, इस पर चर्चा के लिये।

श्री बालचन्द आर्य वीर (डग)

22. सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर)

23. सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. प्रदेश में वकीलों की सुविधा के के लिए बार रूम्स और चैम्बर्स का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. श्री माधोपुर (सीकर) में न्यायालय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा)

26. नैनवा (बूंदी) में मुकदमात की संख्या अत्यधिक होने के कारण अतिरिक्त एम०जे०एम० न्यायालय की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी)

27. निर्धनों व अनपढ़ नागरिकों के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)

28. केशोराय पाटन क्षेत्र में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।

29. सस्ता एवं सुलभ न्याय व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये।

30. ग्रामीण जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. पिछड़े वर्गों के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. छुआछूत एवं बलात्कार जैसे मुकदमों को विशेष अदालतों के द्वारा कम समय से फैसला करवाने हेतु चर्चा के लिये।

33. न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति के योग्य व्यक्तियों को नौकरियां देने हेतु चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)

34. जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु जिला जजों की कोर्ट बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह)

35. मालपुरा की जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय सुलभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची)

36. गरीबों को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु चर्चा के लिये।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा)

37. लोगों को सस्ता न्याय दिलवाने के लिये जल्दी मुकदमे निवटाये जाय और मुकदमों के निवटाने के लिये समय निर्धारित किया जाय, इस पर चर्चा के लिये।

श्री तेजपाल यादव (चौमू)

38. चौमू में फौजदारी मुकदमे निबटाने हेतु न्यायालय खोलने पर चर्चा के लिये।

श्री चेतराम मीणा (टोडाभीम)

39. उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के खर्चीले मुकदमों में गरीबों को राहत पहुंचाने हेतु निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)

40. उदयपुर वाटी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)

41. पुराने मुकदमों को शीघ्र निबटाने तथा नये न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द आ·लिया (चौरासी)

42. लॉ–कोर्ट्स डूंगरपुर में अदालतों के सामने मुलजिमान, गवाहों आदि के बैठने की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में बढ़ते हुये असन्तोष से उत्पन्न हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

43. राज्य सरकार सस्ता न्याय दिलाने में असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्या)

44. इटावा में मुन्सिफ न्यायालय हेतु भवन निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

45. विशेष न्यायालय समाप्त कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के मामलों को शीघ्र निवटाने के आदेश स्थानीय न्यायालयों को ही देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़)

46. वर्तमान में मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या और महंगे न्याय की वर्तमान व्यवस्था में आमूल–चूल परिवर्तन कर, जन अदालतें स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क)

47. अपराधों की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में न्यायालयों की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा)

48. न्यायालयों में व्याप्त शिथिलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी)

49. फागी विधान सभा क्षेत्र में न्यायालय खोलने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भेरूंलाल (उदयपुर ग्रामीण)

50. न्यायालयों की उचित संख्या होने पर भी समय पर न्याय नहीं मिलने से

(135)

(श्री भैरू ंलाल)

आदिवासियों को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।

श्री पृथ्वीसिंह (खानपुर)

51. न्याय प्रक्रिया का सरलीकरण कर जनता को शीघ्र एवं सस्ता न्याय दिलाने हेतु चर्चा के लिये।

श्रीमती सू ज देवी मल्हं.त्रा (पुष्कर)

52. तलाक व दहेज के विषय पर न्यायालय द्वारा देरी से फैसला देने से दाम्पत्य जीवन को होने वाली कठिनाई के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

53. जयपुर जिले के पुलिस थाना दौसा, चाकसू क्षेत्र के मुकदमों को शीघ्र निपटारे एवं जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये बस्सी में मुंसिफ न्यायालय स्थापित किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

54. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निर्धन लोगों को न्याय सुलभ कराने के लिये विधि सहायता परामर्शदात्री समिति जिला व तहसील स्तर पर गठित किये जाने एवं इन समितियों में गरीबों के प्रति हमदर्दी रखने वाले वकालत व्यवसाय से बाहर के व्यक्तियों को मनोनीत किये जाने तथा इन समितियों को व्यापक एवं सुदृढ़ बनाये जाने के बारे में चर्चा के लिये।

55. सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय की व्यवस्था किये जाने एवं न्यायालयों को पक्षपात एवं भ्रष्टाचार से मुक्त रखे जाने के लिये विशेष प्रयास किये जाने, ईमानदार न्यायाधीशों को सम्मानित व पुरस्कृत किये जाने पर चर्चा के लिये।

56. केन्द्रीय नोटरी एक्ट व नियम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में सभी तहसील स्तर पर जनसुविधा की दृष्टि से नोटरी पब्लिक नियुक्त किये जाने के क्रम में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी (बस्सी)

57. आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्ति जो आर्थिक कारणों से न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है, ऐसे सभी व्यक्तियों को विधि सहायता सुलभ कराये जाने का प्रावधान किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री माणकमल मेहता (पाली)

58. मौजूदा न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर जनता को सस्ता एवं शीघ्र न्याय प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरज राम (नोखा)

59. न्याय को सस्ता व सुलभ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. नोखा क्षेत्र में न्यायालयों को अव्यवस्था होने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर)

61. दीवानी मामलों के निपटारे हेतु अलग से लोक अभियोजकों की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

62. सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने में विभाग को असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवराज तावड़ (गोगुन्दा)

63. उदयपुर जिले की पंचायत समिति गोगुन्दा में आदिवासियों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता दिलवाये जाने हेतु चर्चा के लिये।

64. राज्य के कमजोर वर्ग पर जो मुकदमे चल रहे हैं उनकी पैरवी करने हेतु सरकारी वकीलों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करने बावत चर्चा के लिये।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व)

65. न्यायिक एवं उच्च न्यायिक सेवाओं के वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं में सुधार पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)

66. राजस्थान हायर जुडिशियल अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 16, 3, 4, व 6 पर विचार

श्री अध्यक्ष : सबसे बड़ी कटौती तो आपने ही कर दी। सबसे बड़ा कटौती प्रस्ताव आपने ही पेश कर दिया। श्री नाथू सिंह।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आज प्रदेश की कानून और व्यवस्था की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है और इसके लिए आये दिन सदन में भी और बाहर भी पुलिस को दोषी ठहराया जाता है। मेरा विचार है कि पुलिस भी समाज का एक अंग है और समाज का प्रभाव पुलिस पर भी पड़ता है। यदि कानून और व्यवस्था बिगड़ती है, समाज में चोरियां बढ़ती हैं, डकैतियां बढ़ती हैं तो इसके लिए जितनी पुलिस जिम्मेदार है, उतना ही समाज और सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि समाज का प्रभाव, समाज के ढांचे का प्रभाव पुलिस चरित्र पर अवश्य पड़ता है। उदाहरण के रूप में, सभापति महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, मुझे खुशी है कि पुलिस में भी कुछ कर्तव्यपरायण अधिकारी और सिपाही ऐसे हैं जो अपने कर्तव्य के लिए बड़े बड़े रिस्क उठा जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी कभी सरकार गलत दबाव डालकर

(3.25 म. प.)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

उनसे गलत काम करवाती है उनको विवश करती है और तभी से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है और उसके कारण जो पुलिस अधिकारी, जो गलत तत्व पुलिस में हैं, वे सरकार का संरक्षण प्राप्त करके सही तत्वों पर हावी होने का प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, उदाहरण के रूप में 23 नवम्बर की याद दिलाना चाहता हूं, पर्यना में पत्रकारों पर हमला हुआ, उनकी पिटाई हुई, पत्रकारों ने एफ.आई.आर. दर्ज करवायी, डिप्टी एस.पी. ने मदद की, लिहाजा यह हुआ कि उसका वहां से तबादला कर दिया गया। उसको इनाम में फटकार मिली और जो पत्रकारों

(श्री नाथूसिंह)

के खिलाफ काउन्टर एफ.आई.आर. दर्ज करवायी गयी कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं द्वारा, पिटाई भी उन्होंने की और काउन्टर एफ.आई.आर. भी उन्होंने दर्ज की और उसके पश्चात् बार बार सदन में यह विषय उठाने के पश्चात् भी कोई नतीजा सामने नहीं आया। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई उस विषय में। पत्रकारों को पीटा गया, अधिकारियों को डांट फटकार दी, कार्यवाही कुछ नहीं की। यही नहीं कई स्थानों पर पत्रकारों को हथकड़ी डाल डाल कर घुमाया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ना चाहूंगा। जब से सरकार आयी है तब से ही पुलिस विभाग, माननीय मंत्री महोदय चले गये उठ कर, इनके बीच में और मुख्य मंत्री जी के बीच में अधर भूल में लटक रहा है। कोई संभालने वाला नहीं है और इसकी परिणति यह है कि चोरियां बढ़ रही हैं, चोरियों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, लूटपाट बढ़ रही है और स्थान स्थान पर आज यह स्थिति हो रही है। कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि पुलिस थानों में अपराध होते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती। यहां पर 24, 25 की रात्रि को जयपुर में पौने चार बजे चोरी हुई और चोरी के पश्चात् 4 लुटेरे एक एम्बेसेडर कार में बैठ कर आये, चोरी कर ले गये। 4 बजे पुलिस थाने में वहां के लोग पहुँच गये और पहुँचने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। 15 मिनट का अन्तर, 15 मिनट के अन्तर से पुलिस उन चोरों को नहीं पकड़ सकती। यह हालत है। इन डकैतियों के आंकड़े में कुछ नहीं कहना चाहिए, वह बढ़ रहे हैं, वह इसलिए, सभापति महोदय, पुलिस सुसज्जित नहीं है, ट्रेन्ड नहीं है, कुछ गलत तत्व उसमें फंसे हुए हैं, जो गलत तत्वों को संरक्षण देते हैं। सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, टौंक में कुछ दिनों पहले एस.पी. थे वहां के अरुण कुमार, वहां पर चोरियां हुईं, वहां चोर पकड़े गये, उसके बाद एक लाख, डेढ़ लाख रुपया उनसे लिया गया, एस.पी. के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी, छोड़ दिये गये। उसके पश्चात् उनकी जांच हुई, दोषी पाये गये और विजिलेन्स की जांच हुई, डी.आई.जी. ने जांच की, एस.पी. को दोषी पाया गया। केवल उनका तबादला सवाई माधोपुर कर दिया गया है, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। सवाई माधोपुर में जब उनका पदार्पण हुआ तो उनके आने के बाद में वहां पर पांच सौ चोरियां हुईं, 24 बलात्कार हुए, 14 मर्डर हुए और 36 डकैतियां हुई हैं। यह परिणाम उनके यहां पर पदार्पण के बाद हुआ है लेकिन, सभापति महोदय, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। मैं आपको और उदाहरण देना चाहता हूं। अब एस.पी. से ऊपर चलिये। एक हैं श्री भागीरथ सिंह विश्नोई, एडीशनल आई.जी. पहले डी.आई. जी., आर.ए.सी. थे, उनकी पुलिस में क्या स्थिति है यह बताना चाहता हूं। एक ड्राइवर का ट्रांसफर धौलपुर से जयपुर होना था उसमें अन्दरुनी में तय हुआ एक हजार देना। पांच सौ रुपया दे दिया और पांच सौ रुपया नहीं दिया तो उसको बुलाया गया, उसको धमकाया गया। उसने प्रधान मंत्री जी को शिकायत की। प्रधान मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए।

(श्री नाथूसिंह)

जगमाल सिंह जी को दोषी पाया गया। दूसरे डी.आई.जी. साहब ने उनको आदेश दिये, उनको नोटिस दिया ...

श्री सुनील कुमार विश्नोई : माननीय सभापति महोदय, यह व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जावे।

श्री अमीन खां : व्यक्तिगत नाम लेकर यहां नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिना पूर्व सूचना के आरोप लगाना यह गलत परम्परा है, इसलिए कार्यवाही से ये शब्द निकाले जावें।

श्री सभापति : कृपया बगैर पूर्व सूचना के इस तरीके से आरोप न लगायें।

(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नही है उसका नाम लेकर आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। सदन की कार्यवाही से ये जो आरोप लगाये गये हैं उनको निकाला जावे।

श्री नाथूसिंह : मैं तो केवल घटना का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : नहीं, सभापति महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री सभापति : नाम लेकर के इस किस्म के आरोप सदन के अन्दर लगाए जाते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही से इसको निकाला जावे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार के आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं, आज कोई नई बात नहीं हो रही है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज के एडीशनल आई.जी. विजिलेंस, उनका ड्राइवर लक्ष्मण सिंह उनका नाम है....

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : ये नाम लेने की परम्परा बार बार डाल रहे हैं।

श्री सभापति : आप नाम लेकर आक्षेप नहीं लगायें।

श्री नाथूसिंह : आप चाहते हैं कि कोई घपला हो रहा हो डिपार्टमेंट में और हम उसके बारे में आरोप नहीं लगावें....

(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रोपर नोटिस दीजिए और तब इस तरीके से कह सकते हैं। आप कोई नाम नहीं लेंगे।

श्री नाथूसिंह : रुटिन में कह रहा हूं, सभापति महोदय।

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार बिश्नोई : अगर घपलों की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके बाद में मुझे बोलने का मौका दिया जावे, तब मैं बताता हूं।

श्री सभापति : आपको भी अवसर दिया जाएगा।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, इसके पश्चात् उन श्रीमान जी के विरुद्ध प्रधान मंत्री जी ने लिख कर दिया, जांच हुई और दोषी पाये गये हैं। उनको लिखा गया कि तीन साल के लिए क्यों नहीं हैड कांस्टेबल बना दिया जावे। उसके पश्चात् एडीशनल आई.जी. साहब विजिलेंस के पास फाइल गई। उसके ऊपर आदेश दे दिया। उनके पास बचाव पक्ष के साक्षी भी हैं और डिसिप्लीनरी अथोरिटी भी है और जब प्रमोशन हो गया ऊपर पहुँचे। उनके पास फाइल पहुँची तो उन्होंने 16-8-80 को आदेश क्रम संख्या एफ 3/3/होम/76 के तहत लिख दिया कि इसमें कोई दोषी नहीं है, मुक्त किया जाता है। कोई आरोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनको वापस ले लिया। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज पुलिस डीमोरेलाइज हो रही है। आज किसी को पकड़ने में नेता से डरती है। अगर हम कोई सख्त कदम उठायेंगे तो वह नेता हमारे खिलाफ कार्यवाही करेगा, सरकार हमारे विरुद्ध कार्यवाही करेगी। यह डीमोरेलाइजेशन जो पुलिस में आ रहा है इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं""

श्री अमीन खां : आपके जमाने में पुलिस क्या करती थी ?

श्री नाथूसिंह : और इसलिए, सभापति महोदय, जब मैं भ्रष्टाचार के मामलों को सदन में उठाता हूं तो विपक्ष के सदस्य उछलते हैं, कूदते हैं अपनी सीटों पर, वे आक्रोश में आते हैं इसलिए मैं समाप्त करता हूं। मै नहीं उठाना चाहता हूं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार निष्पक्ष रहे और इस तरीके के जो मामले आते हैं उनकी जांच कराये। सदन में वे फाइल मंगायें, सदन की कमेटी बनायें, माननीय सदस्यों की और इन तथ्यों में जाकर जांच करें और दोषी अधिकारियों को दण्ड दें। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं उस कमेटी में नहीं आऊंगा। माननीय सदस्य उस तरफ वाले, सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों की कमेटी बनावें और एक नेता इधर से ले लें। इस तरह के करप्शन के चार्जेज, इस तरह के भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मामले मैंने उठाये हैं उनकी जांच करावें, फाईल मंगावें। मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन, सभापति महोदय, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि पुलिस की आज जो स्थिति है, संगठन जो आपने बना रखा है पुलिस का उसकी क्या स्थिति है। चार-चार आई. जी. बना दिये हैं। वह आदेश देता है तो वह नहीं मानता और वह आदेश देता है तो वह नहीं मानता। वह आई. जी. उसका आदेश नहीं मानता और वह उसका आदेश नहीं मानता। ऐसी स्थिति राजस्थान के इतिहास में पहले कभी नहीं थी, सभापति महोदय। आज""

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मेरे पास आदेशों के नम्बर हैं, आदेशों की संख्या है । एक आई. जी. दूसरे को आदेश देता है तो दूसरा आई. जी. कहता है कि मैं आपसे कम नहीं हूं, मैं इस आदेश की कोई परवाह नहीं करता, मैं आपको यह आदेश देता हूं । यह स्थिति पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही है । इसलिए मेरा निवेदन है और सरकार को सुझाव है, सरकार को सजेशन है कि जिस तरह से दूसरी स्टेटों के अन्दर डाइरेक्टर जनरल की पोस्ट है, अगर आपको चार आई. जी. रखने हैं, पांच दस आई. जी. और बना दें, उनके प्रमोशन करिये लेकिन डाइरेक्टर जनरल की पोस्ट आप और बनाइये । सभापति महोदय, इतना ही नहीं, आज आपकी पुलिस के होते हुए चोरियां क्यों बढ़ती हैं, डकैतियां क्यों बढ़ रही हैं ? क्योंकि डाकुओं के पास आधुनिक हथियार होते हैं वे डरते नहीं हैं पुलिस से । पुलिस के पास आज भी वही खुरचे, छुरियां, छर्रे और राईफलें हैं पुरानी । आज स्थिति यह है कि थानों के अन्दर जीप नहीं है किसी थाने के अन्दर । आप बयान देते हैं सदन में, बजट के अन्दर कहा जाता है कि हम पुलिस को सुसज्जित कर रहे हैं आधुनिक हथियारों से । पुलिस को आधुनिक ट्रेनिंग दे रहे हैं । सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह आधुनिक ट्रेनिंग, यह आधुनिक सुसज्जा, आधुनिक सामान केवल ऊपर-ऊपर ही होता है, नीचे कुछ नहीं पहुंचता । किसी पुलिस स्टेशन पर चले जाइये वहां पर जीप नहीं है । वहां पर टेलीफोन नहीं है, वहां बैठने को कुर्सी नहीं है, लिखने को कागज नहीं है, स्टेशनरी का सामान नहीं है । सभापति महोदय, इतना ही नहीं पुलिस के एस. एच. ओ. के पास फण्ड नहीं है । ऐसी स्थिति है । उनके पास वर्दी ठीक से नहीं है । इसलिए, सभापति महोदय, आज की आवश्यकता यह है कि पुलिस को नीचे तक सुसज्जित करने के लिए उनको जीपें दें, उनको मोटर साइकिल अलाउंस दें, उनको ठीक से वर्दी दें और उनको वहां पर सुविधाएं दें ताकि पुलिस की कार्य क्षमता बढ़े । और अधिक पुलिस वाले नियुक्त करें ।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, यह स्थिति पुलिस के बारे में जो है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी सुविधायें आप पुलिस को दे रहे हैं, वह उनको आज तक नहीं दे पाये । यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी आज पुलिस स्टेशन, जो थाने हैं, उनमें कइयों के पास बिजली नहीं है । माणकचौक थाना, जयपुर की नाक के नीचे, विधान सभा की नाक के नीचे है, वह ढाई सौ वर्ष पुरानी बिल्डिंग में है । देवस्थान की बिल्डिंग है । पता नहीं कब उसकी दीवारें गिर जायं और पुलिस वाले दब कर मर जावें । कोई सोचने वाला नहीं है । यह स्थिति है पुलिस स्टेशन की । इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वालों को सुविधा दें । आज सिपाहियों को जो तनख्वाह मिलती है, आप कहते हैं कि पुलिस वाले चोर हैं, रिश्वत लेते हैं । वह रिश्वत नहीं लेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे ? आप क्या देते हैं ? ढाई सौ रुपया, तीन सौ रुपया, साढे तीन सौ रुपया । कैसे वह अपना पेट पालेगा ? आज सिपाहियों की सभापति, महोदय, इसलिए आवश्यकता है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जावे, सैलेरीज बढ़ाई जावे । उनको

(136)

(श्री नाथूसिंह)

और फैसेलिटीज दी जायं ताकि उनकी कार्य क्षमता बढ़े। इसी तरह से, सभापति महोदय, उनके आवास की व्यवस्था नहीं है। आज स्थिति यह है कि सिटीज के अन्दर, केपिटल के अन्दर पुलिस वाले रहते हैं लेकिन उनके रहने के लिए मकान नहीं हैं। यह पुलिस वालों की स्थिति है। इसलिए पुलिस में यदि आप चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक से हो तो, माननीय सभापति महोदय, आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, एक दो दिन पहले आया था कि मन्त्री महोदयों पर टेलीफोन का खर्चा, कार का खर्चा, आवास का खर्चा, और सुविधाओं का खर्चा कितना है और पुलिस वालों की क्या स्थिति है। एक बटा दस भी खर्चा नहीं करते हैं। इसलिए अगर आपको कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करनी है, डाकुओं का सफाया करना है, चोरियां बन्द करवानी हैं, तो आप पुलिस को सुसज्जित करिये, पुलिस को सुविधायें दीजिए।

सभापति महोदय, बजट मैंने पढ़ा है, बजट में पुलिस विभाग को सुविधायें देने के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह पहाड़ियाजी, कर्मठ फौलादी मुख्य मन्त्री जी की कर्मठता का नतीजा है। माननीय मन्त्री महोदय चले गये, पुलिस के बारे में दोनों में लड़ाई होती रहती है, पुलिस मन्त्री और सिंचाई राज्य मन्त्री में।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं ज्यादा समय नहीं लेता। सभापति महोदय, मैं पुलिस के बारे में नहीं कह करके अब एक निवेदन जी. ए. डी. के बारे में और करना चाहूंगा। सभापति महोदय, कुछ एस. डी. एम हैं, जगह-जगह पर वह भूमि का अलाटमेंट कर रहे हैं जिनके पास भूमि नहीं है। मेरे पास एक फाइल है। निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के राजस्थान में बहुत से मामले हैं, वहां 26-11-80 को सांभर में भूमि का अलाटमेंट किया गया। एस. डी. एम. साहब और तहसीलदार साहब दोनों उस कमेटी में थे। कमेटी में दोनों के अलावा, गुप्त रूप से मीटिंग बुलाई गई, कोई पहुंचा नहीं। उसमें अपने ही ड्राइवर गोपाललाल की पत्नी पांची को छोगाला और नारायणा में खसरा नम्बर 4532 में भूमि का आवंटन कर दिया, जिसके पास भूमि है, सांभर का रहने वाला नहीं, मालपुरा का रहने वाला है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, दूसरे कई लोग नन्दलाल, सुआलाल, धन्नालाल, इनको भी भूमि दी गई, इनके पास आलरेडी जमीन थी। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, 23-10-80 को तहसील दूदू में सांभर पंचायत समिति के ड्राइवर धर्नसिंह पुत्र नन्दसिंह को खसरा नं. 1520 में अस्थायी भूमि का आवंटन किया गया, जिसके पास आलरेडी भूमि है, रहने वाला सांभर का मूल निवासी है। मालपुरा के अन्दर उसको जमीन दी गई है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं तहसीलदार ने गीली लकड़ियों का ट्रक पकड़ा, ट्रक नं. 2929, 16-12-80 को पकड़ा और 20-12-30 को ड्राइवर की एप्लीकेशन पर एस. डी. ओ. ने तहसीलदार के विरोध के बावजूद कह दिया कि ट्रक इनको वापस दे दिया जाए। आज तक वह गीली लकड़ियां कहां गई, उस ट्रक का क्या हुआ, भगवान को भी पता नहीं है, क्या हुआ। इसलिये, सभापति महोदय, मैं

(श्री नाथूसिंह)

चाहता हूं, इसकी जांच करवाइये। इन्क्वायरी करवाइये। मेरे क्षेत्र का मामला बताना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के अन्दर बांदीकुई में बसंत्रा के पास में एक सिवाय चक की जमीन है, वन विभाग को दे दी गई। लेकिन वहां के तहसीलदार और कुछ आफिसरों ने मिल कर 1529 बीघा जमीन को रख लिया। रख कर कुछ लोगों को जबर्दस्ती कब्जा करवा दिया। आज राजस्थान में सिवाय चक के जंगल वन विभाग को नहीं दिये गये। उस मामले में मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करवाइये।

सभापति महोदय, मैं पुलिस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने पहले ही बता दिया। जी. ए. डी. के मामले में किस तरह क्या होता है, और पुलिस में यह लोग क्या कर रहे है। लेकिन थोड़ा सा एक विषय है जो जुडिशियरी का है, उसको टच करना चाहूंगा। इस मामले में अधिक कुछ लोग नहीं बोलते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालूं। सभापति महोदय, कुछ ग्रेड्स होती हैं। स्केल्स, जैसे, आर. ए. एस. आफिसर होते हैं आर. पी. एस. आफिसर होते हैं, इसी तरह के जुडिशियरी के भी आफिसर होते है। आज अगर उनकी हालत देखें तो आपको पता लगेगा कि उनकी क्या स्थिति हो रही है। यहां पर जयपुर में 48 जुडिशियरी के आफिसर हैं। उनमें से केवल दो के पास मकान हैं बाकी 46 के पास रहने को मकान नहीं हैं। सरकार की तरफ से उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। सभापति महोदय, आप जानते हैं न्याय के बारे में, कानून के बारे में, जुडिशियरी के बारे में स्वयं बहुत परिचित हैं। एक व्यक्ति किसी के मकान में रहता है मान लीजिये। जुडिशियरी आफिसर एक मकान में रहता है, उस मकान मालिक से मिलता है, उसके रिश्तेदार आते हैं उनसे मिलता है, आस-पास के मोहल्लों में मिलता है। वहां का केस उसी कोर्ट में जाता है तो क्या वह फैसला निष्पक्ष हो सकता है? एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है न्याय के सामने। क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं है, साधन नहीं हैं। उनके पास बैठने के साधन नहीं हैं। वहां से वहां पहुंचने के लिये गाड़ी नहीं है। आर. ए. एस. आफिसर, आर. पी. एस. आफिसरों को सुविधा दे रखी है बैठने की। उनके पास व्हिकल नहीं है। वह पैदल आये वहां से पैदल जाय स्वयं का व्हिकल करे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा जुडिशियरी में। इसलिये रहने को आवास की व्यवस्था नहीं व्हिकल आने जाने को नहीं, क्या आप यह सोचते हैं कि एक जुडिशियरी आफिसर पैदल जाय और सही ईमानदारी से फैसला करे। पढ़ने के लिए नहीं तो वह फैसला क्या करे।

आज से पांच साल पहले अगर वह पढ़ करके आया है, आज मजिस्ट्रेट हो गया, आज जुडिशियरी आफिसर हो गया। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, पढ़ने के लिये लाइब्रेरी नहीं, कोई सुविधा है नहीं। अब आज के लेटेस्ट कानून हैं, उससे जानकार कैसे रहे। कैसे वह फैसले में लेटेस्ट कानून की पोजिशन क्या है, उसकी जानकारी के लिये क्या उनकी सुविधा है। इसलिये मेरी मांग है....

श्री हरिसिंह : वह तो वकील बताते हैं!

श्री नाथूसिंह : वकील तो बताते हैं लेकिन उनको प्राइवेट जानकारी होनी

(श्री नाथूसिंह)

चाहिये। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं उनको लाइब्रेरी की सुविधा दी जाय, घर पर उनके पास लाइब्रेरी होनी चाहिए।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इनको कितना समय दिया गया है। दूसरे सदस्य भी बैठे हैं, या यह ही बोलते रहेंगे?

श्री सभापति : आज चार डिमाण्ड्स हैं। अलग अलग विभागों की।

श्री नाथूसिंह : आधा समय तो इन्होंने खराब कर दिया।

श्री सभापति : Pleses conclude.

श्री नाथूसिंह : इसलिये सभापति महोदय, मैं सोचता हूं, इन लोगों को सुविधा मिले। रहने को मकान मिले, आने जाने की सुविधा मिले। इसके अलावा लाइब्रेरी की सुविधा मिले। इसके अलावा एक निवेदन और करना चाहूंगा। प्रमोशन के चांसेज।

(3.47 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन) सभापति महोदया, प्रमोशन के चांसेज, बिलकुल जुडिशियरी में नहीं हैं। वहां यह स्थिति है, सभापति महोदया, मैं कुछ आंकड़े देकर आपको बताना चाहता हूं। 291 कुल आर. ए. एस. आफिसर होते हैं उनमें कुल 510 इस तरह की पोस्ट हैं। उनमें 125 सीनियर स्केल के 1150 से 1650, 150 सलेक्शन ग्रेड के 1500 से 1900। इस तरह 25 पर्सेन्ट उनकी सीनियर स्केल है आर. ए. एस. की और 30 पर्सेन्ट सलेक्शन स्केल है। इस तरह से 55 पर्सेन्ट प्रमोशन पोस्ट हैं आर. ए. एस. में कुल मिला कर। लेकिन जो जुडिशियरी है, आर. जे. एस. हैं, उनमें केवल 291 पोस्ट हैं। उनमें से 10 सीटें एडीशनल सिविल जज की हैं और 30 सीटें डी. जे. एस. की। कुल मिला करके, सभापति महोदया, यह 13.3 पर्सेन्ट बैठती है, इतना अन्तर है। इसका कैडर बराबर है, लेकिन इनमें इतना बड़ा अन्तर है। पे स्केल में अन्तर है और प्रमोशन जो होता है उसमें भी अन्तर है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो पे स्केल में अन्तर है उसको आप समाप्त करिये और प्रमोशन के चांसेज मिलते नहीं हैं, बोल नहीं सकते हैं।

(समय-समाप्ति – सूचक घंटी)

अगर आप सही न्याय व्यवस्था चाहते हैं, तो जो उनकी पे स्केल का मामला है, प्रमोशन का मामला है, इसको ठीक करिये। इसके लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं। आज सी.जे.एम. की पोस्ट है, एडीशनल सी.जे.एम. की पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट है, इनमें से अ.प सलेक्शन स्केल में लेकर के इनकी एडीशनल सिविल जज कम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पोस्ट को आप प्रमोट कीजिये तो इस तरह कुल मिलाकर 100 पद नये सृजित हो जायेंगे। इस तरह 83 सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर आप इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। 100 प्रमोशन के चांसेज इनको मिल जायेंगे और इनकी स्थिति ठीक हो जाएगी। इसलिए जो सीरियस नेचर के केसेज हैं वह आप इनको दे सकते हैं ताकि न्याय मिलने में विलम्ब नहीं होगा, अच्छी तरह से न्याय मिलेगा।

(श्री नाथूसिंह)

मेरा निवेदन है कि इस सर्विस में जितने भी लोग हैं, उनको आप सुविधाएं दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब चूंकि वैलफेयर स्टेट में हर वर्ग का भला होना चाहिये, और वह वर्ग जिसको आज तक हमने किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने कोई सुविधा नहीं दी, इसलिए उचित न्याय, पब्लिक को और जल्दी न्याय दिलाना चाहते हैं तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप यह व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री महादेव।

श्री महादेव सिंह : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पुलिस की डिमांड पर कटौती प्रस्ताव हैं, उस बारे में सुझाव देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदया, जिस प्रकार मनुष्य को अपने जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान आवश्यक है, उसी प्रकार सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। इसलिए सुरक्षा हमको पुलिस के द्वारा ही सबसे ज्यादा मिलती है। इसलिये मेरा कहना है कि पुलिस हमको ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सके इसलिए पुलिस को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि पुलिस थानों के ऊपर शीघ्र ही और जल्दी से जल्दी वायरलैस, टैलीफोन का विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जिससे बाहर से कोई भी खतरा हो, उसकी जल्दी से जल्दी उनको सूचना मिल जाय। और व्हीकल होना भी जरूरी है क्योंकि पुलिस के पास व्हिकल नहीं होते हैं, तो थाना इन्चार्ज आने वाले आदमी को कहता है कि हमारे लिए कोई गाड़ी लाओ। गाड़ी-गाड़ी लेने को कोई गरीब आदमी पहले तो उसके पास पैसा नहीं होता है, यदि किसी तरह से जाता है तो इन्तजाम नहीं कर सकता है और उसको देरी हो जाती है। इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे जो मन्त्री महोदय हैं, उनको भी सैद्धांतिक रूप से नहीं व्यवहारिक रूप से पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जब कभी भी समय मिले अचानक पुलिस थानों पर जाकर चैक करें, जिससे पुलिस अधिकारियों के दिमाग में यह बात बैठी रहे कि कभी भी जाकर हमको चैक किया जा सकता है। जिससे वह सतर्क रहें और साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पुलिस सुपरिण्टेन्डेंट होते हैं उनको भी अपने अधीन जितने भी थाने हैं उनको भी टाइम टाइम पर जाकर चैक करना चाहिए। इसके साथ-साथ मेरा सुझाव है कि आर. ए. सी., ए. पी. आर., ए. पी. सी. पी. इन चारों में अलग अलग भर्ती होती है लेकिन इनके साथ क्या होता है। आर. ए. सी. की जो परीक्षा होती है उसके बाद आदमी बनता है प्लाटून कमाण्डर उसके बाद कम्पनी कमाण्डर बनता है लेकिन उसके बाद दो परीक्षाएं जल्दी ही होती हैं और उसके बाद डी. एस. पी. बनता है उसके बाद ए. पी., आर. ए. पी., आई. पी. और सी. पी. चारों की भर्ती अलग अलग होती है लेकिन उसके बावजूद डी. एस. पी. की पोस्ट पर आने के बाद दूसरी जगह कहीं भी ले सकते हैं। इसमें मेरा सुझाव यह है कि जो आदमी आर. ए. सी. में भर्ती होता है वह मान लें 66 में भर्ती हुआ और ए. पी में 72 में भर्ती हुआ तो 66 में भर्ती होने वाला आदमी 70 में कंपनी

(श्री महादेवसिंह)

कमाण्डर बन जाता है जबकि ए. पी. में भर्ती होने वाले आदमी को 70-71 में सी. आई. बनने की अनुमति नहीं मिलती। मेरा इसमें सुझाव है कि ये हालात हैं तो अलग अलग भर्ती नहीं होनी चाहिए और अलग अलग भर्ती होती है तो बराबर सहूलियत देनी चाहिए इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भालू खां।

श्री भालू खां : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पुलिस के अन्दर जिस ढंग से लोगों के साथ ज्यादती होती है उसका सही ढंग से हल करना चाहिए क्योंकि लोग बाग झूठी शिकायतें करते हैं जैसा कि पिछले महीने हमारे चूरू में एक अपहरण का केस बनाया गया और उसमें विधिवत जांच कराई गई तो झूठी पाई गई। इस मामले में जनता पार्टी के माननीय विधायक मोहनलाल जी ने विधान सभा में भी मामला उठाया था और वह केस झूठा पाया गया। इज्जतदार लोगों की बेइज्जती करी गई, गिरफ्तारियां की गयीं इसलिए पुलिस प्रशासन में सुधार होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि पुलिस कर्मचारी और उच्च अधिकारी अपने आप ही इस बात का फैसला करें वहां के इलाके की बात उनसे छिपी नहीं रहती कि यह झूठ है या सच।

दूसरा, मेरा सुझाव है कि सचिवालय में जो कर्मचारी सचिव का कार्य कर रहे हैं उनको हमारे मन्त्री महोदय आदेश दे देते हैं और वे क्रियान्वित नहीं करते और विधायक अपने इलाके में जाकर यह एलान करता है कि हमारे मन्त्री महोदय द्वारा यह काम किया गया है और वह काम होता नहीं तो इससे हमारी सरकार की छवि बिगड़ती है और लोगों का विश्वास कम होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी आदेश मन्त्री महोदय करें वह क्रियान्वित होना चाहिए और सम्बन्धित विधायक को इसकी सूचना मिलनी चाहिए कि आपने जो कार्य बताया है वह पूरा हो गया है। मैं यह सुझाव भी पेश करता हूं कि जो पुलिस कर्मचारी सिपाही रात और दिन सीमावर्ती इलाकों में काम करते हैं उनको भत्ता वगैरह नहीं मिलता है इसलिए उनको भत्ता दीजिए क्योंकि बड़े अफसर तो हुक्म चलाते हैं, छोटे सिपाहियों की बहुत ही कम तनख्वाह है इस पर विचार करना चाहिए और उनके भत्ते व वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यह भी मेरा सुझाव है, सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं यह भी सरकार को जानकारी दिलाना चाहता हूं कि जो पुलिस विभाग में गड़बड़ियां होती हैं उनके लिए हमारे उच्चाधिकारियों और मन्त्रीगण को बैठ कर उनका सही ढंग से निपटारा करना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिले। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि लोग बाग आपस में लड़ कर सच्चाई और झूठ छिपाने के लिए गांवों में जो कदम उठाते हैं उनसे इज्जतदार आदमी की बेइज्जती की जाती है और सच्चाई हाथ नहीं आती। यह जान बूझकर होता है कि यह आदमी शक्तिशाली है इसकी बात न मानें तो तबादला हो जाएगा यहां रहना मुश्किल हो जाएगा इसलिए उसका काम नहीं होना चाहिए और जो गरीब होता है उसका काम नहीं होता। मैं आपके माध्यम से निवेदन

(श्री भालू खां)

करता हूं कि कि ऐसे काम होने से रोके जायें। यही मेरा निवेदन है। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री सुरजाराम।

(अनुपस्थित)

श्री शिवदानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नानूराम

श्री नानूराम : सभापति महोदया, मैं मांग संख्या 16 पर दो एक बातें निवेदन करना चाहता हूं, हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य ने जो बात कहीं मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। विरोधी दल के माननीय सदस्य कह रहे थे, बोलना तो उनको पुलिस पर था लेकिन बीच में ही एग्रीकल्चर, राजस्व, प्रशासन पर आ गए लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिन आपसी में पार्टी में मेल नहीं और सरकार चलाना खेल नहीं। विरोध करना तो बहुत आसान है।

श्री सभापति : आप अपने विषय पर, डिमाण्ड पर बोलिए। पार्टियों पर मत बोलिए।

श्री नानूराम : मैं उनको याद दिला रहा हूं कि पुलिस के आचरण के बारे में जिस प्रकार उन्होंने इल्जाम लगाए वे सरासर निराधार हैं दूसरी चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस विभाग में पुलिस कर्मियों का आचरण है वह बिलकुल शुद्ध है, सही है।

एक माननीय सदस्य : वेरी गुड, वेरी गुड।

श्री नानूराम : लेकिन थोड़ा सा जहां गलत है उसमें सुधार करना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जुग जुग जीओ।

श्री नानूराम : सभापति महोदया, अधिकारियों की पदोन्नति का जहां प्रश्न है उसमें भेदभाव बरता जाता है, वह सुनीति के आधार पर होना चाहिए इसके अलावा 78-79 में, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्य को फिर याद दिलाना चाहता हूं कि 78-79 में जो पुलिस की पदोन्नति की जिसमें 90 आदमी लेने थे उन्होंने 80 आदमी एक ही कम्युनिटी के लेकर भाई भतीजावाद फैलाया, इस प्रकार की सभापति महोदया, पदोन्नति नहीं होनी चाहिए एक बात और निवेदन करना चाहता हूं यहां पर पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उनको कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि....

एक माननीय सदस्य : सदन को संबोधित करिए।

श्री नानूराम : पुलिस को चैकिंग का पावर दे रखा है मोटरों और ट्रकों का, वह नहीं होना चाहिए। जगह जगह पुलिस वाले उनको परेशान करते हैं इसलिए चैकिंग का पावर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गांवों में छोटे छोटे किसानों में लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें किसानों के साथ पुलिस चौकियों पर रिपोर्ट दर्ज करने में पक्षपात किया जाता है वह नहीं होना चाहिए। अगर उनके ऊपर पक्षपात हो तो कमेटी नियुक्त की जानी चाहिए वह जहां पर पक्षपात हो तो बराबर देखें और नियंत्रित करे। दूसरा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस से आशा तो करते हैं लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं हैं। आज आई. जी. साहब, डी.आई.

(श्री नानूराम)

जी. साहब, एस.पी. साहब डिप्टी साहब इन सब के पास तो साधन हैं परन्तु जहां पुलिस की चौकियां हैं, थाने हैं, वहां पर कोई साधन नहीं है जब कि सारा काम नीचे ही है। सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर काम करते हैं। इनका काम ऊपर देखने का है। इनके पास गाड़ियां हैं और नीचे काम करने वाली जो पुलिस चौकियां हैं, उनके पास कोई साधन नहीं हैं। इसलिए उनके पास साधन होना बहुत जरूरी हैं ताकि जहां जहां पर चोरियां हो जायं, डकैती हो जाय या किसी मर्डर की समस्या आ जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाय, तो पुलिस इमीजिएटली वहां पहुंच कर कार्यवाही करे। यह मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में जहां विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के मामलों के बारे में कहा, यह तो हमारी समझ में नहीं बैठी लेकिन एक बात जरूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट में यह नियम लागू होना चाहिये कि कोई भी पुलिस कर्मी शराब पीकर के पुलिस स्टेशन पर या मार्केट में कहीं न जाय। अगर इस प्रकार का कोई आदमी है पुलिस डिपार्टमेंट में जो आदमी शराब पीकर जाता है तो उनके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाय और नौकरी से, मैं सोचता हूं, अलग भी करना चाहिये।

इसके अलावा सभापति महोदया, ज्यादा नहीं कहते हुए न्याय के बारे में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार पुराने मुकदमे हैं, जितने भी चल रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ पाबन्दी होनी चाहिये। जो हजारों मुकदमे न्यायालयों में पेन्डिंग हैं, यह नियम लागू होना चाहियें, सभापति महोदया, कि एक न्यायालय में 100-200 से ज्यादा मुकदमे पेन्डिंग नहीं रहें और जितने मुकदमे पेन्डिंग हैं उनका निपटारा किया जाना चाहियें क्योंकि हमारे छोटे-छोटे गांवों में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं वे गरीब हैं और छोटी-छोटी लड़ाइयां होती हैं और न्यायालय में चले जाते हैं। एक-एक मुकदमा 8-10 साल तक चलता है और वे बहुत परेशान होते हैं। इसलिये जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं उनको तत्काल निपटाया जाना चाहिये।

दूसरी चीज, मैं कानून मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि हर तहसील हैड क्वार्टर पर एम. एम. कोर्ट की स्थापना की जानी चाहिये। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र आसीन्द में जो एम. एम. कोर्ट है वह गुलाबपुरा में लगती है जबकि 80 प्रतिशत मुकदमे आसीन्द के हैं और 20 प्रतिशत गुलाबपुरा के हैं। और वहां पर कोर्ट चल रही है जहां पर कि 20 प्रतिशत कोर्ट में केसेज चल रहे हैं और 80 प्रतिशत मुकदमे जहां के हैं वहां पर कोर्ट नहीं है। इसलिए सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह कोर्ट जो गुलाबपुरा में है उसका 15 दिन का टाइम आसीन्द में किया जाय और 15 दिन तक गुलाबपुरा में रहे ताकि गरीब काश्तकारों, मजदूरों को आने जाने में जो खर्चा होता है, उसमें बचत होगी। यह बात खास तौर से निवेदन करता हूं।

(श्री नानूराम)

सभापति महोदया, आपने टाइम दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों को मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि विरोध करना तो आसान है लेकिन सरकार चलाना मुश्किल है। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री फतेसिंह।

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़) : सभापति महोदया, मैं आज पुलिस विभाग की डिमांड पर अपने सुझाव प्रस्तुत करता हूं।

आज प्रदेश में पुलिस व्यवस्था सारी बिगड़ी हुई है। हमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर बताया है कि राजस्थान में पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। मैं अपनी तरफ से यह कहूं कि अगर देश में पुलिस प्रशासन ही कमजोर रहे तो फिर देश का क्या होगा, यह तो सदन को भी इस बात पर सोचना होगा। अभी आपने देखा है, सुना है, सदन में यह बात सामने आई थी कि जयपुर में जहां पर राजधानी है वहां पर एक पुलिस इन्स्पेक्टर को गोली मार दी। मैं समझता हूं कि हमारे राजस्थान की सरकार प्रशासन में बहुत पीछे है और यही स्थिति रही तो पता नहीं इस देश की जनता का क्या होगा? मैं सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगर प्रशासन को मजबूत करना है तो पुलिस पर कन्ट्रोल करना होगा और जनता को जाग्रत करना होगा। और आगे मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई तरह की बुराइयां होती हैं और यह भ्रष्ट महकमा है, मैं यह कहता हूं लेकिन इसके साथ-साथ यह कह देना चाहता हूं कि पुलिस विभाग के कर्मचारी भ्रष्ट तब होते हैं जबकि उच्च लोगों का उनके साथ में सहयोग होता है और वह सहयोग किसका होता है, जो सत्ताधारी होते हैं, जिनकी सरकार होती है, उन्हीं नेताओं का इनके साथ में सहयोग होता है। तो इस सदन,को सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी देना चाहता हूं कि अगर यही स्थिति रही तो पुलिस अपने कर्त्तव्य से हट जायगी और इस देश के लिए यह हानिकारक बात होगी। पुलिस में जो कमियां हैं वह तो सारा सदन जानता है, एम. एल. ए. जानते हैं, प्रदेश की जनता जानती है। मैं अपने क्षेत्र की बात को दोहराना चाहता हूं मैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के कुशलगढ़ थाने के बारे में कुछ बातें कहूंगा। पिछली बार एक सब इन्स्पेक्टर, पुलिस थानेदार, जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं नाम भी लेता हूं, वह बहादुरसिंह था और उसने पुलिस थाना कुशलगढ़ के अन्दर इतना भ्रष्टाचार फैलाया है, इतना पैसा लोगों से लिया है, इसकी शिकायतें हुई, नामजद शिकायत हुई, आई. जी., डी. आई. जी., कलेक्टर, एस. पी. को शिकायत की गई फिर भी उसके खिलाफ इन्क्वायरी नहीं हुई, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो मैं हमारे राजधानी के पुलिस अधिकारियों से इस सदन के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में आपने क्या किया? इसके बाद डूंगला क्षेत्र का एक हैड कांस्टेबल था, उसने 15 दिन के अन्दर चार हजार रुपये की रिश्वत ली और उसके बारे में भी सारी शिकायतें पार्टी ने की और उनकी इन्क्वायरी भी हुई और उसको लाइन हाजिर किया गया, जिसने मर्डर किया और कोर्ट से जिसको सजा हो

(श्री फतेसिंह)

गई है; उस सजायाफ्ता अधिकारी को भी ड्यूटी पर रख रखा है जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो गरीब जनता को परेशान करता रहा है। मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप कार्यवाही करें और उनको निलम्बित करें और जो सजा का अधिकारी है उसको नौकरी से अलग करें। हमारा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, जो मजदूर वर्ग के हैं और पुलिस अधिकारी उनके साथ इस तरह का वर्ताव करेंगे तो मैं समझता हूं कि उस इलाके में जो डाकू, बदमाश अन्याय करेंगे उनसे पुलिस उनकी क्या रक्षा करेगी? पुलिस के बारे में यह कह रहा था कि जो भी अधिकारी हो, अगर उसके खिलाफ शिकायत हो तो आप किसी राजनीतिज्ञ के दबाव में न आकर, उसके खिलाफ कार्यवाही करें ताकि वह गरीबों को परेशान न करे।

यह हमारे क्षेत्र में या पूरे देश में हुआ कि राजनैतिक द्वेषता के कारण कई मुकदमे दर्ज होते हैं। अधिकारियों पर दबाव डाला जाता है और अधिकारी गलत तरीके से दबाव में आकर गरीबों के साथ अन्याय करते हैं, चोरी होती है लेकिन उनके साथ इतनी मारपीट होती है जो हद से ज्यादा होती है। यह कानून में तो नहीं है कि डंडे के जोर से किसी मुल्जिम को अपना जुर्म कबूल कराया जाय। ऐसा नियम में नहीं है कि मुल्जिम के साथ मारपीट की जाय, करंट चढ़ावें, यह नहीं होना चाहिये। यह तो ठीक है किसी व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी उसके बाद कोर्ट में चालान होगा, गिरफ्तारी होगी, सबूत पेश होंगे उसके बाद सजा होगी लेकिन उसको पुलिस पहले ही सजा दे देती है। मारपीट के कारण पहले भी ऐसा देखा गया है कि महीने दो महीने में आदमी मर गया लेकिन उसको सरकार ने और आफिसरों ने साबित नहीं होने दिया होगा। मैं सरकार से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों में सरकार भी सतर्क रहे और अधिकारी भी अपनी ईमानदारी के साथ जनता के साथ में अहिंसा से काम करें तो अच्छा ही होगा। इसके अलावा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्रशासनिक ढांचा है उस ढांचे में सरकार सुधार लाये यही स्थिति रही तो मुझे कहना पड़ेगा कि झालावाड़ जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र है, जो गुजरात और एम. पी. से लगा हुआ है उस इलाके में डकैती भी कई तरह की होती है। यही स्थिति सरकार की और अधिकारियों की रही तो हमारे क्षेत्र में लोगों का रहना मुश्किल हो जायगा। आज भी यह स्थिति है कि वहां पर अकाल पड़ा हुआ है हालांकि अकाल का विषय था वो तो चला गया है लेकिन मैं इस बारे में भी कह देना चाहता हूं कि अकाल को लेकर वहां पर स्थिति बड़ी भयानक है लोग इधर-उधर जा रहे हैं भूख के मारे चोरी, डकैती होती है। मैं उदाहरण के रूप में सदन के समक्ष बताना चाहता हूं कि हमारे यहां पर आठ दस दिन पहले एक शादी होने जा रही थी बरात तैयार होकर सुबह 4 बजे जा रही थी कि सामने से वह गाजे बाजे के साथ गाते बजाते हुये मध्य प्रदेश, गुजरात सड़क पर वह गांव पड़ता है वहां पर डकैत आये और ढोल बाजे तो बन्द कर दिये और उन्होंने सबको जो शादी में आये थे उनको बन्द कर दिया और बन्द करने के बाद लोगों के पास जो भारी गहने

(श्री फतेहसिंह)

थे, जो सम्पत्ति थी वह सबको बांध कर चले गये और भाग कर चले गये तो यह स्थिति आज सरकार की है। मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति में अगर सरकार कन्ट्रोल नहीं करेगी तो मैं सोचता हूं कि यह पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। मैं यह अपने दिल में सोच रहा हूं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे मामले में सरकार सतर्क रहे और अधिकारियों पर कन्ट्रोल करे और देश की बिगड़ती हुई स्थिति को काबू में करे। बस इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे दल के और नेता भी बोलेंगे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : सुनील कुमार विश्नोई।

श्री सुनील कुमार विश्नोई (सूरतगढ़) : माननीय सभापति महोदया, मैं पुलिस प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। कई व्यक्तिगत आक्षेपों के बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं हांलाकि मेरे पास सबूत हैं, पक्के सबूत हे।

एक माननीय सदस्य : फिर तो बोलना चाहिये।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : बोलने से पहले मैं सरकार से यह आश्वासन चाहूंगा कि क्योंकि हम जो सुझाव देते हैं जो कुछ हम बोलते हैं सरकार की तरफ से कोई नतीजा नहीं निकलता है कोई जवाब नहीं आता है ···

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। माननीय सभापति महोदया, कोई नोट नहीं कर रहा है।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नये मंत्री बनने वाले हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : हरिसिंह जी नोट कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : चैम्बर में नोट कर रहे हैं।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : आप बोल लें।

मैं बताना चाहूंगा कि जो कुछ मैं बोलता हूं उसको नोट करें उस पर एक्शन लें और कार्यवाही करें। पहले मैं पुलिस के बारे में कहूंगा। यह जो पुलिस व्यवस्था है यह सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज की व्यवस्था और कानून की रक्षा इस पर ही सरकार निर्भर है। समाज की व्यवस्था और कानून की सुरक्षा से ही सरकार की सफलता आंकी जा सकती है पुलिस प्रशासन अच्छा होता है तो इसके कारण सरकार भी अच्छी मानी जाती है यह सरकार की सफलता मानी जाती है राजस्थान की पुलिस इसमें काफी हद तक सफल रही है। मैं मौके पर एक और चीज सरकार से कहना चाहूंगा कि पावर और सत्ता ये दो चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप सेपरेट, अलग

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

नहीं कर सकते हैं। आये दिन देखा जाता है कि पुलिस को कोई भी गलती के लिये दोष दिया जाता है और उन्हें स्वतंत्रता से कार्य नहीं करने दिया जाता है और छोटी छोटी चीजों पर राजनेताओं का पॉलिटिकल दबाव आता है ऐसी स्थिति में पुलिस ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती है।

इसमें हाल ही में जो केसेज हुये हैं जिसमें बड़े बड़े केसेज पकड़े होते हैं बड़े बड़े घोटाले पकड़े जाते हैं उस पर राजनैतिक दबाव डाल कर उन्हें मजबूर किया जाता है कि आफिसर्स को बदला जाय और नहीं बदला जाता है तो राजनैतिक दबाव डाला जाता है। ऐसे कई मामले आये हैं मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, उनको छोड़कर सुझाव देना चाहूंगा।

पुलिस के सिपाही या पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जो दूसरे डिपार्टमेंट से भिन्न है दूसरी सेवाओं में एक निश्चित समय, 10 से 5 तक की सेवा होती है या ड्यूटी आवर होते हैं लेकिन यह डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो 24 घंटे ही ड्यूटी पर होता है डिपार्टमेंट ने इसके लिए हार्ड ड्यूटी अलाउन्स के रूप में एक महीने की एक्सट्रा छुट्टी देने का प्रावधान किया है लेकिन वह अपर्याप्त है। इसके अलावा बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट है जहां कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउन्स मिलता है लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी दे जैसे कि पुलिस का एस.पी. अगर होम गार्ड का कार्य भी देखे तो उसको कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता है जबकि जो दूसरी सेवायें हैं आई.ए.एस. आदि या दूसरे बोर्ड के अन्दर जो हैं वे अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा अलाउन्स दिया जाता है। पुलिस सिपाही या अधिकारी एक्सट्रा ड्यूटी दे तो उसको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिले या फिर स्पेशल पे मिले यह होना चाहिये। मैं इस मौके पर पहाड़िया साहब को धन्यवाद दूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत समय से जो चेन्ज आने चाहिये थे बड़े से बड़े अधिकारी के जो प्रमोशन रुके हुये थे तीन चार पोस्टें एक साथ क्रियेट करके प्रमोशन चान्सेज को बढ़ाया है जिससे कि नीचे वालों को भी प्रमोशन मिलेगा।

इस मौके पर एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार यह किस्सा उठा था कि जयपुर में एक पुलिस कमिश्नर होना चाहिये इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और सरकार ने कहा कि जो वक्तव्य दिया गया था और कहा था कि पुलिस कमिश्नर के लिये 10 लाख की आबादी होनी चाहिये तो यह जो नयी जनगणना हुयी है उसमें जयपुर की आबादी 10 लाख से ज्यादा हो गयी है, इस मौके पर आप पुलिस कमिश्नर की नयी पोस्ट क्रियेट करें जिससे कि पुलिस व्यवस्था सुधर सके।

ऐसा देखा गया है कि जो अच्छे काम करते हैं उनके क्रेडिट मिलना चाहिये परन्तु देखा यह गया है कि उनको क्रेडिट मिलने के स्थान पर पनिशमेंट मिलता है बिकाज ऑफ पालिटिकली रीजन एण्ड अदर रीजन। मैं दो तीन उदाहरण दे सकता हूं टौंक क्षेत्र में एक एस०एच०ओ० था उसने कई केस पकड़े उसका ट्रान्सफर कर दिया गया और अभी एक एस०पी० ने 20-25 लाख

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

का केस पकड़ा भूमि का लेकिन उसके ऊपर भी काफी दवाव पड़ रहा है और यह मांग हो रही है कि उसे बदला जाय, ऐसे,मामलों में राजनेता काम करते हैं उसको हटा दिया जाय अगर ऐसा किया जाता है तो वे डिमोरेलाइज होते हैं और वे काम करना छोड़ देते हैं और ऐसे काम नहीं करते हैं। राजस्थान पुलिस एक बहुत बड़े क्षेत्र में 34,274 किलोमीटर क्षेत्र में कार्य कर रही है इसके लिए 48 लाख जवान हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह संख्या बहुत ही कम है, कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए यह संख्या नगण्य है। हमारे यहां पर 540 पुलिस स्टेशन और 710 पुलिस की चौकियां हैं। मेरे क्षेत्र, जो सूरतगढ़ है के आगे अनूपगढ़ तहसील है, उसके आगे कई अच्छी मण्डियां हैं जहां काफी नाजायज काम होते हैं क्योंकि बार्डर एरिया है। इस मौके पर मैं यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि ऐसे एरिया में चौकियां खोली जावें और अधिक थाने खोले जावें और बार्डर एरिया में जो थाने हैं उनमें प्रायोरिटी के हिसाब से कन्वेयेन्स की जीप की व्यवस्था की जाय जिससे वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति कायम की जा सके।

इस मौके पर मैं यह भी दरख्वास्त करना चाहूंगाकि पॉलिटिकल दवाव डाल कर बहुत से काम कराये जाते हैं, सौभाग्य से हमारे नये जो आई.जी.पी. साहब बने हैं वे बहुत ही कुशल आदमी हैं उन्होंने कई लेख लिखे है, भारत में ऐसे कम ही आदमी होंगे जिनको अवार्ड मिले होंगे, उनको सेन्टर से और स्टेट से कई अवार्ड मिल चुके हैं। बिना पॉलिटिकल इन्टरफियरेन्स के राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सकती है। उन्हें पता है कि कौन आदमी कहां ज्यादा उपयुक्त रहेगा। यदि पुलिस को सुधारना है तो पुलिस पर हमको भरोसा करना पड़ेगा उनको फ्रीडम ऑफ एक्शन देना पड़ेगा अगर यह देते हैं तो हमको अच्छी पुलिस फोर्स मिल सकती है।

इस मौके पर मैं पुलिस के जवानों के लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर विधान सभा चल रही है, और यहां पर डेढ़ सौ आदमी ड्यूटी दे रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। रात को दस, ग्यारह बजे तक जब तक विधान सभा चलती है, ये लोग ठहरते हैं, इनको कोई स्पेशल अलाउन्स नहीं मिलता है, इनके लिये खाने और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है, रात को 11 बजे भटकते-भटकते इधर-उधर जाते हैं। मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि जो पुलिस के ये जवान बाहर से आते हैं, कोई कोटा से, कोई जोधपुर से, कोई बीकानेर से, इनके ठहरने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिए इनको अलाउन्स भी दिया जाना चाहिये। ठहरने के लिए अलग बैरक्स की व्यवस्था भी होनी चाहिये। जयपुर राजधानी होने से यहां पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था पड़ती रहती है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिए उचित व्यवस्था करे।

हमारे राजस्थान के आस पास हरियाणा देहली, पंजाब नोर्थ जोन वाले पड़ोसी राज्यों में जो पे स्केल हैं राजस्थान में उनसे बहुत कम हैं। जबकि काम सब जगह एक सा ही है। फिर दूसरों राज्यों में कम मिलता है। ठीक है इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं उतना नहीं दे पायें लेकिन

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

कम से कम हमारी यह कोशिश तो होनी चाहिये कि जो दूसरे राज्यों में मिलता है उसके ग्रास पास तो हम आ सकें। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। जो पड़ोसी राज्यों में मिलता है उसके बराबर तो कम से कम दे सकें ऐसी हमारी व्यवस्था और कोशिश होनी चाहिये। उदाहरण के तौर पर मैं अर्ज करूं कि हरियाणा में डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट का ग्रेड 940-1450 है, सलेक्शन ग्रेड वालों को 2000 रु० मिलते हैं। जबकि राजस्थान में सलेक्शन ग्रेड आई.पी.एस. को 1800रु. मिलता है। हरियाणा और पंजाब में Even upto D. I. G. उनको रेन्ट फ्री अकमोडेशन मिलती है। लेकिन हमारे यहां बहुत कम लोगों को मिलती है। एस.एच.ओ. को थाने में ही कोई क्वार्टर हो तो मिल जाता है। इस मौके पर मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि हमारे यहां भी रेन्ट फ्री अकमोडेशन ज्यादा से ज्यादा मिले, इसकी कोशिश की जानी चाहिये। हरियाणा में हाउसिंग स्कीम के तहत कुछ रिजर्वेशन भी कर रखा है पुलिस जवानों के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि राजस्थान में भी ऐसा किया जाय। यहां पी.डब्ल्यू.डी. वाले ध्यान नहीं देते और बजट लैप्स हो जाता है, इसके अलावा उनके आवासीय व्यवस्था के लिए बिहार, कलकत्ता ऐसी कई जगहों पर हाउसिंग बोर्ड, और हुडको वालों से फाइनेन्स मिलता है, हमको भी इस बारे में कोशिश करनी चाहिये जिससे कि उनके लिए क्वार्टर्स का निर्माण कराया जा सके।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिस तरह की पुलिस की ड्यूटी है, आर्मी वाले तो लड़ाई के दिनों में ही लड़ते हैं लेकिन पुलिस के जवान रात दिन सड़कों पर चलते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, गुण्डागर्दी और छुरेबाजी की घटनायें आये दिन होती हैं, कोई भी रास्ते चलते डाकू मार सकता है, इसलिए उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जिस समय वह डाकूओं को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनकी जान हथेली पर रहती है, इस मौके पर मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि उनको जो हजार रुपये या पांच सौ रुपया दिया जाता है वह बहुत ही कम हैं जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में दस हजार और पन्द्रह हजार दिया जाता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस राशि को कम से कम पांच हजार किया जाना चाहिये। उसके बाद जो उनके मांइनर बच्चे हैं उनको 150रु० माहवार दिया जाना चाहिये जिससे वे पढ़ लिख कर योग्य बन सकें और नौकरी में लगें। इससे उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। उनको यह संतोष होगा कि उनके बाद उनके घरवालों की देख रेख हो सकेगी। इससे वे अच्छी तरह से कार्य कर सकेंगे।

एक चीज और जो मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं वह यह हैकि पुलिसवैलफेयर फण्ड होता है। उसमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। पुलिस वाले अपने ही सोर्सेज से और बिजनेसमैन से और दूसरी जगहों से चन्दा इकट्ठा करके उसको चलाते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा कि सरकार भी

(श्री सुनीलकुमार विश्नोई)

इसमें कुछ योगदान करे। जिससे उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ें।

पहले जूडिशियरी और पुलिस में ताल मेल होता था। मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन आजकल उनमें गैप बढ़ता जा रहा है। अभी इस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी उठा था कि पुलिस जूडिशियरी को कॉपरेट नहीं कर रही है और जूडिशियरी पुलिस को कॉपरेट नहीं कर रही है, दोनों में कॉग्राप-रेशन होना चाहिये जिससे कि पुलिस इफेक्टिव हो सके जूडिशियरी भी इफेक्टिव हो सके। उनकी पीरियोडिकली मीटिंग, मन्थली या जैसी भी चाहें, जैसी भी सरकार उचित समझे, की जा सकती हैं जिससे उनके बीच में तालमेल बढ़े और कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर सके।

पुलिस वालों के कई बार ट्रान्सफर हो जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में कुछ मिलता नहीं, और उनको नाजायज तरीके से हैरेस किया जाता है। इस मौके पर दरख्वास्त करूंगा कि पुलिस का मनोबल ऊंचा करने के लिये गवर्नमेन्ट की तरफ से एस.पी. को पावर दी जाय जिससे वे अपने आपको डिफेन्ड कर सकें। एक दरखास्त और करना चाहूंगा इस मौके पर। पुलिस नागरिक और सरकार के बीच में एक कड़ी है सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है परन्तु देखा जाता है कि पुलिस थाने में अगर जायें तो बैठने के लिए कुर्सी या बेंच नहीं मिल पाती है। जितने राजस्थान में थाने हैं सब अंडर फनिशड हैं। अगर सिर्फ 10 लाख रुपये भी एक साथ खर्च कर दें तो सभी थानों में कम से कम 5–6 कुर्सियां हो सकें जिससे कोई थाने में जाय तो बैठने की जगह तो मिले। आप या मैं थाने में जाऊं, मैं चाहूंगा कुर्सी बैठने के लिए दी जाय परन्तु उनके पास कुर्सी नहीं होगी तो बिठायेंगे कहां से? दूसरा, मैं चाहूंगा स्टेशनरी की बहुत कमी है। गवर्नमेंट की तरफ से अलग फंड होना चाहिए जिससे स्टेशनरी खरीद सकें। जब उनको पूरा फंड नहीं देते हैं और आप चाहते हैं कि तत्काल स्टेशनरी खरीदें उसी से काम चलायें तो अपने फंड से खरीदें, तो यह नामुमकिन चीज है। अगर आप स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं तो जो पुलिस सेवा है उसको फेसिलिटी देनी पड़ेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके और कानून व्यवस्था बनाने में बिना कोई भेदभाव या बिना लालच के कार्य कर सकें।

एक और दरख्वास्त है कि कोई लाश थाने में आती है उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से खाली 50) क्रियाकर्म के लिए दिये जाते हैं। इस महंगाई के जमाने में आप सोचें 50) से कफन नहीं आता है इसलिए प्रैक्टिकल सुझाव है आप पुलिस वालों को जो 50) देते हैं आपचाहते हैं कि वे लाश का दाह संस्कार करें, तो कम से कम सरकार 300) रुपये की राशि मंजूर करे जिससे कम से कम इज्जत से उसको दफनाया जा सके।

पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसमें यूनियन बाजी होतीहै, हड़तालें करते हैं, जनता पार्टी के समय में हड़ताल शुरू हो गई। उन्होंने पुलिस की स्थिति इतनी बुरी कर दी, कई जगह गड़बड़ हुई लेकिन आज तक कांग्रेस

150

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

राज में नहीं हुई। तो आप ऐसी स्थिति पैदा न करें कि पुलिस वालों को मजबूर होना पड़े कि अपनी मांगों के लिए आगे आकर डिमांस्ट्रेशन करें, सरकार को नीचा देखना पड़े, उससे अच्छा होगा कि हम आगे होकर देखें जो उनकी उचित मांगें हैं, वाजिब चीजें हैं उनको वे सरकार के समक्ष रखें और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करें।

पुलिस न सिविल सर्विस है न मिलिट्री सर्विस है। वह एक पुलिस सर्विस है जो लॉ एण्ड आर्डर रखती है। उसको हमको चाहिए कि उसी रूप में रखें और उसकी इमेज को खराब न करें। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो पुलिस की वाजिब मांगें हैं उनको सुनें, उन्हें मजबूर न करें कि वे डिसिप्लिन को छोड़कर डिमांस्ट्रेशन में आयें।

इसी के साथ, सभापति महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने कोई चार्जेज लगाये..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप काफी समय ले रहे हैं।

श्री सुनीलकुमार विश्नोई . मैं एक मिनट बोलूंगा। मैं व्यक्तिगत चार्जेज नहीं लगा रहा हूं, वह तो अलग हैं उन्होंने कहा उसके लिए मैं नहीं बोलूंगा, सरकार चाहती है तो कदम उठाये। कुछ केसेज का रेफरेंस देता हूं अगर सरकार चाहे तो उसकी इंक्वायरी कराये तो मैं दावा करता हूं उसमें सब सुनते हैं मेडिकल बिल या दूसरी बातों में छोटे बाबुओं को सजा मिलती है लेकिन आज बड़े अधिकारियों के साथ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इस मौके पर मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने पुलिस का मनोबल गिराया है उनके साथ कोई एक्शन नहीं होता बल्कि मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाय जैसा कि एक चित्तौड़गढ़ से बीकानेर के एस०पी० का ट्रांसफर हुआ उसमें आपने बिल सबमिट किया। उन्होंने बिल का हवाला दिया।

उसके बाद में इन्क्वायरी हुई तो साबित हो गया कि रास्ते में पैट्रोल लिया। पैट्रोल पम्प की रसीद पकड़ी गयी, फुल प्रूफ केस था। यह तो होता नहीं कि अपनी कार को ट्रक से ले जाय और पैट्रोल ले रहा हो, यह नामुमकिन चीज है। जहां से रवाना हुआ वहां के भी आदमी गवाह मौजूद हैं। लोगों को पता है कि कौनसी कार से गये। सरकार अगर इन्क्वायरी करे तो मैं दावा करता हूं कि इसमें सजा न हो तो मैं स्तीफा देने को तैयार हो जाऊंगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन्क्वायरी की जाय। अगर इतना नहीं कर पायेंगे। अगर एक आई. पी. एस. कैडर के अधिकारी को सजा दे पायें तो इसका इफैक्ट हो जायगा छोटे मोटे आदमी ऐसी बातों का नाम नहीं लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसकी इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं ? इन्क्वायरी किस बात की की जायगी ?

श्री सुनीलकुमार विश्नोई : अप्रेल, 1974 में चित्तौड़गढ़ से बीकानेर ट्रांसफर हुआ था, एस. पी. का।

कई माननीय सदस्य : नाम ?

(व्यवधान)

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मैं दावा करता हूं कि इन्क्वायरी की जाय, यह इन्क्वायरी हुई जनता पार्टी के टाइम में।

(व्यवधान)

आपके टाइम में कल्याण सिंह कालवी के गुड आफिसेज के भ्र. केस को दबाया गया।

कई माननीय सदस्य : नाम बतायें।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मैं दरख्वास्त करूंगा कि इन्कवायरी करें तो विपक्ष....

श्री नन्दलाल मीणा : किसकी बात कर रहे हैं ?

श्री सुनील कुमार विश्नोई : अप्रेल, 1974 में। इन्क्वायरी हो तो पता चल जायगा।

कई माननीय सदस्य : 1974 में जनता पार्टी का राज नहीं था।

श्री सभापति : श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : सभापति महोदय, जो दो तीन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और वे इस तरह से विचार व्यक्त कर रहे थे जैसे मरे हुए दिल से बोल रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, सुभाव है :

यहां कोई असर होता नहीं, पेट भर गालियां दो। आहें भर कर बद दुआयें।

मेरे दोस्तों, माननीय सदस्यों

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। चौपड़ पर आप बोल नहीं सकते। जो सत्ता पक्ष में नौजवान साथी हैं जो अपने आपको जिंदादिल महसूस करते हैं और वे चाहते हैं कि इस देश में या प्रदेश में उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ें या उनके लिए कुछ कर सकें तो माननीय सदस्य पुलिस के छोटे कर्मचारियों के बारे में कह रहे थे, अपना दर्द जाहिर कर रहे थे लेकिन दर्द जाहिर करने से कोई भला नहीं होने वाला है। यह सही है कि सहानुभूति ले सकते हैं यह अलग चीज है, हम उनके प्रति अपना मन या लगाव जाहिर कर दें, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप मन से जमीर से उनके प्रति लगाव रखते हैं, वास्तव में आप भला चाहते हैं तो फिर आप लोगों को जोरदार कदम उठाने पड़ेंगे नौजवानों को जिन्दा दिल लोगों से मेरी गुजारिश है आप मुर्दा दिल हो, थक गए आज से बातें होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर नहीं। दोस्तों ...

(व्यवधान)

मेरे साथियों, यहां पर मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि शायद आप लोगों का जमीर जागे।

(व्यवधान)

इसलिये मैं यहां पर कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मैं पुलिस विभाग की मांगों पर अपनी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

बात करने के पूर्व जयपुर जिला प्रशासन के बारे में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। मैं जिला प्रशासन की बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी जो हरिजनों के बहुत हिमायती बनते हैं, वह जब सेन्टर में संचार मन्त्री थे तब से लेकर आज तक, जब तक कि मुख्य मंत्री बने हैं तबसे और आज तक हांलाकि मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से और दूसरे जो यहां पर मन्त्री जी बैठे हैं उनके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनको यह बात मेरी पहुंचा दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप मुख्य मुद्दे पर आ जायें। भूमिका नहीं बनायें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, जिला जयपुर में ग्राम पंचायत रूपवास जमुवा रामगढ़ में एक गोपाल नाम के व्यक्ति को जमीन अलाट हुई थी उस संबंध में जब उसको जमीन का कब्जा उसको नहीं मिला तो उसने सोचा कि हमारे हरिजन नेता पहाड़िया जी है जो कि केन्द्र में संचार मंत्री हैं उनको मैं पत्र लिखूं तो शायद वह मुझे जमीन दिला दें। सभापति महोदय, जब यह उसके मन में भावना जागी तो उसने श्री पहाड़िया जी को, जो कि अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं और अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व भी केन्द्र में करते थे, इसलिये उसको इमदाद करेंगे, सोच कर एक पत्र लिखा। सभापति महोदय, संचार मन्त्री जी ने भी वापस उसको एक पत्र उसके लिए लिखा। यह पत्र, सभापति महोदय, पहाड़िया जी ने दिनांक 7-6-76 को लिखा उन्होंने बड़ी हमदर्दी दिखायी और एक पत्र जयपुर जिलाधीश को लिखा जो मैं आपको पूरा नहीं थोड़ा सा पढ़ कर सुनाता हूं। यह पत्र श्री जगन्नाथ पहाड़िया, डिप्टी मिनिस्टर, संचार विभाग, भारत सरकार, पटेल भवन नई दिल्ली से लिखा इसमें श्री गोपाल, ग्राम जमुआरामगढ़ ग्राम पंचायत रूपवास तहसील जमुआ रामगढ़ विषय भूमि के सम्बन्ध में। पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्यवाही यहां पर नहीं की गयी। मैं ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता हूं और न ही जो सारी पत्रावलियां मेरे पास हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि आपने मेरे ऊपर समय की पाबन्दी लगा दी है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर उसकी कोई मदद नहीं की गयी है तो फिर आप किस तरह की मदद राजस्थान में हरिजनों के साथ करना चाहते हैं? जब जनता पार्टी का राज था तब भी उस वक्त भी कोई कार्यवाही इसके लिये नहीं की गयी अब राजस्थान में जबकि हरिजन मुख्य मन्त्री है और जो हमेशा हरिजनों के बड़े नेता बनते हैं और यह हरिजनों के बारे में काफी भला करने की बात कहते हैं तो अब अगर वह वास्तविक रूप से गरीबों का भला करना चाहते हैं और अब जब कि वह मुख्य मंत्री है तो क्या उस गरीब गोपाल मेघवाल को वह जमीन दिला देंगे। आज जो मामला सन् 76 में हुआ और उसके बाद 77, 78 और 79 हो गया और उसके बाद 80 गया और 81 चल रहा है जबकि वह मुख्य मंत्री जी हैं। सभापति महोदय, जब उन्होंने पत्र लिखा जिलाधीश को तो जिलाधीश ने वह पत्र तहसीलदार को कार्यवाही करने के लिए भेजा तो उसके जवाब में तहसीलदार ने कलेक्टर को लिखा कि भूमि-धारियों ने कब्जा कर

(श्री गोपाल पचेरवाल)

रखा है और कब्जा दिलाने के लिये पुलिस की कार्यवाही की जरूरत है फिर एस. डी. ओ. आमेर को लिखा, एस.डी.ओ. आमेर ने एस.पी. को लिखा और एस.पी. ने थानेदार को लिखा कि इस मामले में जमीन का कब्जा दिलाने में गोपाल की इमदाद की जावे। सभापति महोदया, सारे पत्र पढ़ कर आपको सुनाना नहीं चाहता यह मेरे पास हैं पर अगर अब भी मुख्यमंत्रीजी उस गरीब की इमदाद करना चाहते हैं तो उसको भूमि दिला दें। हांलाकि एस.पी. ने एस.एच.ओ. को भी लिखा पर अन्त में वह पत्र जाकर वापस कलेक्टर साहब के यहां पर फाइल हो गया। तो मुख्य मंत्री जी जो हरिजनों के बड़े नेता बनते हैं जो बात सन् 71 में हुई और आज 81 हो गया पर हरिजनों को आज तक कब्जा जमीन का मिल नहीं रहा है। और अगर ऐसे मामले में जिसमें स्वयं मुख्य मन्त्री जी ने पैरवी 6 साल पहले की थी और अब अगर उनके कार्यकाल में ही वह उस गोपाल मेघवाल को जमीन नहीं दिला सकते तो इसके आगे मेरे कहने को कुछ भी नहीं है।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है उसी गांव में उस गांव के उप सरपंच एक भोरीलाल ने।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : वह तो जनता पार्टी का फेमस नेता है, अभी भी है और जनता पार्टी के शासन काल में पूरे तीन साल तक था।

श्री गोपाल पचेरवाल : चलो मैं मान लेता हूं जनता पार्टी का है तो।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने तो आपकी गलती सुधारी है।

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में क्या फर्क है।

श्री गोपाल पचेरवाल : इसके लिये दिमाग चाहिये, विवेक चाहिये, और यह आपके समझने की बात नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : राजीव गांधी की कांग्रेस और संजय गांधी की कांग्रेस में फर्क है वह है।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, उस उप सरपंच के पास में 47 बीघा जमीन है।

श्री सभापति : आप डिमाण्ड पर बोलेंगे। यहां पर और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। नाम पर नाम बोलने वालों के और हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, मैं दो मिनट बोलूंगा। तो सभापति महोदया, उसने अपनी जमात के नाम जमीन अलग ले रखी है। उसकी बहिन के नाम पर उसने जमीन अलग ले रखी है और सभापति महोदया, उसकी बहिन शादी होकर ससुराल चली जाने के बाद भी वहां पर ससुराल वालों ने वहां भी जमीन और ले रखी है। और वह जमीन आज भी है उनके पास इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह जनता पार्टी का सदस्य है और दूसरे उसने कोई गलत काम किया है तो आप अपने मंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को तथा मुख्य मंत्री जी को कह कर उसके खिलाफ

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कार्यवाही करावें अन्यथा मैं समझूंगा कि वह कांग्रेसी सदस्य है और आप लोग उसको चाहते हो अगर आप इस वक्त जमीन गरीब लोगों को दिला सकें तब तो आपका कहना सार्थक होगा अन्यथा तो आप उसकी मदद ही करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, अब थोड़ा मैं पुलिस विभाग की मांगों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज स्थिति ऐसी है कि हमारे अनुसूचित जाति का कोई भी आदमी आज अपने आपको सुरक्षित नहीं मान रहा है। वह अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री जो जो कि हरिजनों के बड़े नेता बनते हैं और जहां-जहां जाते हैं वहां पर हरिजनों को कहते हैं कि मैं तुम्हें यह सुविधा दूंगा आपके लिए यह करूंगा पर, सभापति महोदया, मैं सभी मामलों में न जाकर हरिजनों के बारे में न कह कर, मेहतरों के बारे में सभी बातें न कह कर केवल मेहतरों के बारे में ही निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिला में भदाल गांव में छुआछूत का आंदोलन हुआ इसमें एक हरिजन की मृत्यु हो गयी पर आज तक किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसी तरह कोटा में, पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी होगी, इन्द्रगढ़ गांव में मोहनपुर में एक मेहतर की सवर्णों ने मिल कर हत्या कर दी पर आज तक कोई मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो आप किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं ? अभी सरदारशहर में एक हरिजन लड़की को मार कर सड़क पर डाल दिया पर कोई भी पुलिस तफतीश नहीं की गयी कोई छान-बीन नहीं की गयी और न ही कोई आज तक अपराधी पकड़ा ही गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदया, अभी अन्त में राजस्थान विधान सभा में अनशन सभी बैठे हुए हैं चार छः दिन पहले का ही जिक्र है एक 13 वर्ष के हरिजन लड़के को जो फोर्थ क्लास में पढ़ता था, मार कर कुएं में डाल दिया पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो मेरा निवेदन है, श्रीमन् कि सरकार आखिर चाहती क्या है, कैसी सुरक्षा हरिजन को दे रही है, कौनसी राहत दे रही है ? आज आप बलात्कार को ही ले लीजिये; मैं अब तक के आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन अगस्त के बाद से जबसे मुख्य मंत्री बने हैं तब से लेकर बलात्कार के भय से आज कोई मां-बहिन और नौजवान औरत या लड़की अपने घर से आठ बजे बाद बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती है। इसके अलावा गांवों में यह स्थिति है कि कोई भी जवान लड़की अपने बाप को रोटी देने खेत में जाने की हिम्मत नहीं करती है आप किस प्रकार की सुरक्षा करना चाहते हैं ? इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं अगर इसी प्रकार की घटनायें आप रोक नहीं सके तो कैसे काम चलेगा ? आप आखिर किस तरह का काम चलाना चाहते हैं, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : मुझे क्षमा करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभानेत्री महोदया, दो तीन डिमाण्ड हैं।

श्री सभापति : मुझे क्षमा करें। तीन चार पार्टी के लोगों को बोलने का मौका अभी तक नहीं मिला है।

श्री गोपाल पचेरवाल : सचिवालय के बारे में बोल रहा हूं। आपकी विशेष कृपा होगी। माननीय सभापति महोदया, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित मामला है....

श्री सभापति : आप आखिर कितना समय लेना चाहते हैं ? 2 मिनट। यह एक और दो दो मिनट करके तो काम नहीं चलेगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदया, एक सी. एल. जैन का मामला है बड़ा गम्भीर मामला है। पुलिस के भ्रष्टाचार के इतने मामले हैं ...

श्री सभापति : आखिर आपको कितना समय लेना है ...

श्री गोपाल पचेरवाल : 5 मिनट।

श्री सभापति : 5 मिनट असम्भव है।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदया, मैं सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आपको रोजाना बोलने का अवसर मिलता है। जो नहीं बोले हैं उनको मौका दीजिए।

श्री गोपाल पचेरवाल : केवल एक मिनट। जब आप कहेंगे बैठ जाऊंगा। माननीय सभापति महोदया, पंचायत समिति जैतारण जिला पाली में एक सी. एल. जैन, पंचायत समिति के भूतपूर्व विकास अधिकारी हैं। इनके खिलाफ इतने आरोप हैं, इन्होंने इतने नेक काम किये हैं साहब, कि जो आदमी मर गया उसको अनुदान दिला दिया। जिस आदमी का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, पाली जिले का रहने वाला नहीं है. और बूंदी जिले का है वहां जाकर उसने कह दिया कि मुझे एक हजार रुपये का लोन दिला दो, 200 रुपये आप ले लेना और उसको लोन दिया। जो आदमी मर गया, वोटर लिस्ट में उसका नाम है नहीं, नाम तो उसका लिख दिया और लोन दे दिया। श्रीमन्, हुआ क्या ? इसके लिए सारी स्थिति की जांच हुई। सब मामलों की जांच होने के बाद उसके खिलाफ आरोप गम्भीर पाये गये और उनको सच्चा माना गया और पंचायत मन्त्री जी हमारे यहां विराजमान हैं उसको उन्होंने निलम्बित किया और निलम्बित करने के बाद में, माननीय सभापति महोदया, मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि मैं ऐसी आशा नहीं करता था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो पिछड़े वर्ग के आदमी हैं वह भी उसमें लिप्त हो जाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनको बहाल कर दिया। उसकी पत्रावलियों को दबाने के लिए सारे आरोपों को दबाने के लिए मुख्य मंत्री जी ने यहां से जांच अधिकारी भेजा उप-निदेशक सामुदायिक विकास को ...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री बी. डी. कल्ला।

श्री बी. डी. कल्ला : सभानेत्री महोदया, मैं मांग संख्या 16, 3 और 4 के विषय में..

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, हमारा भी ध्यान रखिये।

श्री सभापति : इसके बाद आप। क्या कहना चाहते हैं आप?

श्री मोहनलाल मोदी : हमको भी समय मिलना चाहिये। विरोधी दल में भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारा सबसे बड़ा दल है। आज औरों को समय मिल रहा है इसलिए हमको भी समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको अवश्य समय मिलेगा। आपको दिया जा रहा था उस समय आप यहां उपस्थित नहीं थे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो यहां पर बराबर उपस्थित हूं। जब आपने दूसरे का नाम पुकार लिया उसके बाद यहां से उठकर गया हूं। मैं बराबर इस बात में निगाह से निगाह मिलाये बैठा हूं कि कहीं आपकी कृपा हो जाय मेरे ऊपर।

श्री सभापति : मैं भी बराबर आपका नाम पुकार रही थी। आप नहीं थे।

श्री कल्ला।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदया, सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : सदन की अनुमति से 8 बजे तक का समय बढ़ाया जाता है।

श्री कल्ला, बोलिये।

मांग संख्या 16, 3, 4 व 6 पर विचार

श्री बी. डी. कल्ला : सभानेत्री महोदया, जी, प्रत्येक कल्याणकारी राज्य का कर्त्तव्य होता है कि राज्य में रहने वाले लोगों को रोजगार, आवासीय सुविधा जैसे प्रदान करे उसी प्रकार से उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था भी सरकार करे। लेकिन देखा यह गया है कि पिछली जनता सरकार ने इस देश में अपराधियों को, तस्करियों को, लस्करियों को निर्भय कर दिया। खुले आम अपराध इस देश में होने लगे और ये लोग इस प्रकार से काम करने लगे कि :

'एक मयखाना था एक सनमखाना था।
रिंद और शेखजी में बड़ा फर्क था।।

क्या मामला था दोनों की बनती नहीं।
एक इधर जायगा और एक उधर जायगा।।

आपसी लड़ाई और आपसी झगड़े में यह मशगूल रहे और मोरारजी देसाई ने जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थे अपराधियों को निर्भय कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में गरीब लोगों को, भूमिहीन लोगों को, हरिजनों को जिंदा जलाया गया। भूमि से बेदखल किया गया, सोना बेचा गया और इस देश में अपराधियों को अपराध करने के अच्छे अवसर मिले लेकिन जब से कांग्रेस (आई) की सरकार इस राजस्थान और इस पूरे देश में बनी तब से अपराधों की रोकथाम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाये गये और यह आंकड़ों के आधार

(श्री बी. डी. कल्ला)

पर देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इन 8 महीनों में अपराध निश्चित रूप से कम हुए हैं और निरन्तर पुलिस को आधुनिक सामग्री से, आधुनिक वायरलैस से जोड़ कर उनको मजबूत किया जा रहा है और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कार्यवाही का जा रही है। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि यह अपराध होते क्यों हैं। अपराध तीन प्रकार के हैं–सामान्य अपराध, गुप्तचरी, जासूसी और तस्करी अपराध और तीसरे प्रकार के अपराध होते हैं जो मनोवैज्ञानिक कारणों से होते हैं।

सभानेत्री महोदया ....

श्री सभापति : आप डिमांड पर बोलेंगे या भूमिका ही लगायेंगे। 10 मिनट का टाइम भूमिका में ही लगा देंगे और फिर कहेंगे कि कुछ बोला ही नहीं। आपका भूमिका में ही समय चला जायगा।

श्री बी.डी. कल्ला : जो अपराध होते हैं उसके पीछे बहुत कारण हैं। मनोहर कहानियां, सच्चे किस्से और अश्लील सिनेमा इन कारणों से अपराध अधिक मात्रा में हो रहे हैं। इन मामलों में तो पर्याप्त कानून बने हुए हैं। या तो इनमें सुधार किया जाय और कानून का उल्लंघन होता है तो इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कठोर सजा दी जाय।

सभानेत्री महोदया जी, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर सीमावर्ती इलाके हैं। यहां पर गुप्तचरी, जासूसी और तस्करी बहुतायत मात्रा में होती है। इसके ऊपर प्रभावी लोग लगाने के लिए पुलिस को कस्टम एक्ट की धारा 110 के अन्तर्गत पावर्स दी गयी हैं लेकिन यह अपराधियों को पकड़ कर केवल कस्टम के अधिकारियों को सौंप देते हैं। कस्टम अधिकारियों को सौंपने के बाद में उनसे बराबर पूछताछ नहीं की जाती और लिंक के अभाव के कारण से वह अपराधी छूट जाते हैं। कस्टम एक्ट की धारा 110 के अन्तर्गत पुलिस को यह पावर्स नहीं है कि जो तस्करियों से माल लेते हैं उस माल को लेने वाले और बेचने वाले के ऊपर यह प्रभावी कार्यवाही नहीं कर सकते इसलिए धारा 110 जो कस्टम एक्ट की है इसमें पुलिस को पर्याप्त अधिकार दिये जाने चाहिए कि जो तस्करी का माल दे और बेचे उनके ऊपर भी यह कार्यवाही करके गिरफ्तार कर सकें और कस्टम अधिकारियों के पास यह मामला नहीं रहकर इनके चालान और प्रोसीक्यूशन के जो पावर्स हैं वह पुलिस को दिये जाने चाहिए। सामान्यतया इनवेस्टीगेशन, चालान और प्रोसीक्यूशन यह अलग-अलग चीजें हैं और यही कारण है कि पिछले वर्षों में लगातार प्रोसीक्यूशन ढंग से नहीं हो पाते हैं और मामले एक्वीटल के ज्यादा होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस को ही प्रोसीक्यूशन के लिए पर्याप्त मामले दिये जाने चाहिए और प्रोसीक्यूशन को इनवेस्टीगेशन के साथ ही जोड़ दिया जाना चाहिए।

पाकिस्तान से सामान्यतया ज तस्करी होती है बार्डर के इलाकों में इसको रोकने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। भारतीय व्यक्ति जो बार्डर के ऊपर गिरफ्तार

(श्री वी. डी. कल्ला)

होते हैं वह सामान्यतया अपनी जमानत करा लेते है। इसको वेलेबल आफेन्स माना जाता है जब कि इसको नान वेलेबल आफेन्स के रूप में माना जाना चाहिए। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो पोस्टें बनी हुई हैं जैसे सानी भिवानी और अनूपगढ़ के आसपास के इलाकों में जहां सामान्यतया पाकिस्तान से तस्करी होती है इन इलाकों में चौकसी के लिए विशेष दस्ते बिठाये जाने चाहिए। वहां पर जो पशुधन हमारा चला जाता है पाकिस्तान को उसको रोकने के लिए एक ऐसा सैल स्थापित किया जाना चाहिए जिसका काम गुप्तचरी, जासूसी और तस्करी का सामान इधर उधर होता है इसको रोकना हो। यह सैल काम करे, इसके अलावा और कोई काम नहीं रहे। लेकिन दूसरी ओर यह भी विभाग को सोचना चाहिए कि जो पुलिस के कर्मी वहां पर तैनात हैं उनके पास में संचार साधनों की कमी है, उनके पास यातायात के साधनों की कमी हैं, आवासीय स्थान वहां पर नहीं है इनकी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। आज रणजीतपुरा और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में रहने के लिए झोंपड़े तक नहीं हैं। कैसे पुलिस कर्मी रहकर सीमा की चौकसी करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि उनको रहने के लिए कम से कम एक कमरा उपलब्ध करायें, उनको संचार साधन उपलब्ध करायें, यातायात के साधन उपलब्ध करायें। तस्करियों के पास अच्छे अच्छे साधन हैं, शस्त्र हैं लेकिन हमारे पुलिस के जवानों के पास साधनों की कमी है। उस कमी को पूरा करके उनकी सुविधाओं को बढ़ायें।

इसके साथ ही जो व्यक्ति इन्टेलीजेन्स में हैं गुप्तचरी का काम राज्य के हित में कर रहे हैं और विधान सभा सचिवालय में सुरक्षा प्रहरी हैं ऐसे लोगों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस निश्चित रूप से मिलना चाहिये। गुप्तचरी के मामले जो हमारे देश के खिलाफ में होते हैं ऐसे मामले पिछले कुछ दिनों में पकड़े गये हैं। कौन आदमी इन्वाल्व है बड़ा गम्भीर मसला है। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन मामलों में जो एक्ट बना हुआ है आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसमें बर्डन आफ प्रूफ का मामला पुलिस के ऊपर रहता है। बर्डन आफ प्रूफ अपराधी के ऊपर रहना चाहिये और यह भी नान वेलेबल आफेन्स होना चाहिये। विदेशों को जानकारी देते हैं ऐसे अपराधियों को कानून की गिरफ्त में लेकर उचित सजा दे सकते हैं। इसके अलावा पासपोर्ट एक्ट के अन्दर जो अपराधी होते हैं नान वेलेबल आफेंस के अन्दर लेने चाहिये। पुलिस कर्मचारियों के पे स्केल्स रिवाइज किये जाने चाहिये। स्टाफ की बढ़ोतरी की जाये, डी वाई. एस. पी. को एक टाइप राइटर दिया जाना चाहिये क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं। नकलें या अन्य चीजें दी जाती हैं, इनके लिये टाइप राइटर दिया जाना चाहिये। हमारे बीकानेर के पास राम देवरा काण्ड हुआ था। उस काण्ड के अन्तर्गत लगभग 37 आदमियों को, जिन्होंने अपराध में किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लिया था उन निर्दोष आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनका चालान पेश किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले में 3 व्यक्ति ड्यूटी पर थे और बाकी 34 व्यक्ति तो खाकी वर्दी से डरने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों पर यदि आप मुकदमा चलायेंगे तो निश्चित रूप से

(श्री बी. डी. कल्ला)

सामान्य जनता के रक्षक भक्षक बन जायेंगे। यदि पुलिस कर्मी राजनैतिक आधार पर लोगों को गिरफ्तार करते हैं ऐसी स्थिति नहीं रहनी चाहिये और रामदेवरा काण्ड के 37 निहत्थे व्यक्तियों के चालान पेश करने जा रहे हैं उन मुकदमों को आपको वापस लेना चाहिये।

इसी प्रकार से जनता पार्टी के शासन में चूरू में अकाल राहत की मांग करने के लिये चार आदमियों ने गिरफ्तारियां दीं, 27 दिन तक भूख हड़ताल की जिलाधीश ने स्वयं ने रस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त की। आज भी उन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं। विभाग को चाहिये कि ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने जन हित में काम किया हो, के मुकदमे तुरन्त वापस लिये जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त बीकानेर में ट्रैफिक की समस्या वर्षों से चली आ रही है। इसके लिये मैं क्वेश्चन के माध्यम से और अन्य प्रकार से सदन का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं लेकिन फिर भी बीकानेर में जो आटोमैटिक ट्रैफिक सिग्नल बने हुए हैं आज भी बन्द है। मुख्य चौराहे गंगाशहर, कोट गेट, रानी बाजार, जसूसर गेट, नथूसर गेट इन स्थानों के ऊपर आज भी ट्रैफिक की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहां ट्रैफिक सिग्नल लगाये जाने चाहिये और मुख्य बाजारों में जो गाड़ी वाले, ठेले वाले खड़े हैं उनको आसपास जगह देकर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये। रेलवे फाटक जो बीच में आ गये हैं उनके लिये भी विभाग अन्य विभागों की सहायता से ट्रैफिक की समस्या का समाधान करें।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बीकानेर में जनसंख्या के साथ साथ थानों में विस्तार किया जाना चाहिये, पुलिस चौकियों का विस्तार किया जाना चाहिये और पुलिस को अधिक जागरूक और सुदृढ़ बनाने के लिये रिफ्रेशर कोर्स, विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। विशेष उड़न दस्तों की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां कहीं भी कोई दुर्घटना होती है या अपराध होता है वहां पुलिस तुरन्त पहुंच सके। अपराधों के निराकरण के लिये व्यापक कदम उठाये जाने चाहिये। जो आर. ए. सी. आसाम में 3 वर्षों से गई हुई है मेहरबानी करके राजस्थान में बुलायें, राजस्थान को आर. ए. सी. की जरूरत है। इसी प्रकार से अभी हमारे विपक्षी साथी ने एक ट्रांसफर का रामलाल का मामला उठाया। यह म्यूचुअल ट्रांसफर का केस था और वर्तमान राज्य मन्त्री श्री प्रद्युम्नसिंह जी इस बात को जानते हैं कि म्यूचुअल ट्रांसफर के आधार पर इनका ट्रांसफर किया गया था। विभाग में किसी अधिकारी ने किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। फिर रामलाल जो जोधपुर के हैं उन्होंने यह कहा कि मैंने म्यूचुअल एप्लीकेशन नहीं दी है, उनका ट्रांसफर पुनः उसकी प्रार्थना के आधार पर कैन्सिल कर दिया गया। इस सम्बन्ध में हमीर सिंह जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हैं इन्होंने इंक्वायरी की और यह पाया कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में स्वयं लक्ष्मणदान ने इस प्रकार का कोई

(श्री बी. डी. कल्ला)

बयान नहीं दिया कि अधिकारियों ने किसी प्रकार की रिश्वत ली है। फिर किस प्रकार के बेबुनियाद आरोप बिना किसी सूचना के विपक्ष के लोग लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से एस. पी. सीकर और नागौर जो वर्तमान में कम्प्यूटर एस. पी. हैं उनके रिकार्ड लाल है, रिश्वत खोरी के मामले इनके ऊपर हैं। दो बार जिलों से बदला गया है। इन्होंने एक मजिस्ट्रेट के खिलाफ झूठे रिकार्ड कायम किये थे तो राष्ट्रपति की तरफ से चेतावनी दी गई थी। इनके कहने से जगमालसिंह जो प्लाटून कमिश्नर हैं वे इस मामले में सम्मिलित थे, झूठे आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूं वे बुनियाद हैं....

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं समाप्त कर रहा हूं।

शेड्यूल आफ पावर के अन्तर्गत सरकार ने जो अधिकार एडीशनल एस. पी. को दे रखा है इसके अन्तर्गत डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का फैसला एडीशनल आई. जी. देखकर करें। मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने पुलिस विभाग के माध्यम से राज्य के लोगों को राहत पहुंचाई, लोक कल्याण राज्य में शांति और व्यवस्था का योगदान किया है, उनके ऊपर वे बुनियाद आरोप लगाये जाते हैं जिनको उनको नहीं लगाना चाहिये। मैंने इसका खुलासा पूरी तरह से कर दिया है। इसके अलावा न्याय प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूं ...

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

दो मिनट में सारी बात कह दूंगा।

सभापति महोदया, हमारे यहां आर. जे. एस., आर. ए. एस को अलग अलग मानते हैं। यह सिस्टर सर्विसेज हैं, इनको एक माना जाना चाहिये। आई. ए. एस. और आर. एच. जे. एस. को एक समान माना चाहिये और इनके वेतनमानों में जा असंगतियां हैं, विषमतायें हैं उनको दूर किया जाना चाहिये। इनके प्रमोशन के अवसर भी आर. जे. एस. की सर्विस में 13.3 प्रतिशत हैं जब कि आर. ए. एस. आफिसर्स को प्रमोशन में 55 प्रतिशत अवसर हैं। उनको इनके समकक्ष किया जाना चाहिए। एडीशनल सिविल जजेज, एडीशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, डिप्टी रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, सी. डी. मजिस्ट्रेट के पद बढ़ाकर प्रमोशन के अवसर बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इन लोगों की आवासीय समस्यायें हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को स्टेनोग्राफर भी मिलना चाहिए। यूनिफार्म अलाउंस, कन्वेयंस अलाउंस और लाइब्रेरी अलाउंस भी मिलना चाहिए। ए. आई. आर., आर.एल.डब्ल्यू. सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू जितने पर्याप्त मात्रा में कर सकें स्वयं की लाइब्रेरी बनाकर अच्छे तैयार होकर अच्छा न्याय दे सकें। हमारे राजस्थान में सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिये विभाग ने प्रयास किये हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिये जो कदम उठाये हैं स्वागत करने योग्य हैं. इसके लिये अर व्यवस्था करें, अधिक अभियोजकों की नियुक्ति करें, और गरीबों को इस महगाई में अधिक से अधिक अनुदान देकर न्याय दिलाया जाना चाहिये। आज हमारे सचिवालय में जो लाल फीताशाही चल रही है ज

(श्री बी. डी. कल्ला)

प्रक्रिया चल रही है उससे सचिवालय के काम धीरे होते है। सचिवालय में सरलीकरण की पद्धति अपनाई जानी चाहिये। सचिवालयों में जो फिजूल खर्च होता है उसको रोकने के लिये स्टेशनरी के खर्चों में, टेलीफोन के खर्चे में, पेट्रोल और सजावट के खर्चों में तथा बिजली के खर्च में कटौती की जानी चाहिये। इसी प्रकार वातानुकूलित और हीटरों के खर्चों में भी कमी की जानी चाहिये तो निश्चित रूप से 10 करोड़ की बचत करके राजस्थान के विकास के कार्यों में लगाया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : 10 करोड़ ?

श्री बी. डी. कल्ला : आने वाले समय में हो जायगा। इसकी बचत करके अगर राज्य के विकास में यह पैसा लगाया जाय तो ठीक रहेगा। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, आज जो डिमान्ड पेश हो रही है उस पर मैं पुलिस और न्याय प्रशासन पर निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस और न्याय प्रदेश के लिए, प्रदेश की हिफाजत के लिए बहुत महत्व रखते हैं। सबसे बड़ी जो लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति है उनको मैंटेन करने की पुलिस विभाग पर सारी जिम्मेदारी है। आज जो राजस्थान में लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ रही है, अपने राजस्थान के बाद में देश की भी हालत है लेकिन राजस्थान की जो हालत है वह, सभापति महोदया, आपसे छिपी हुई नहीं है। बहुत से कारण है लॉ एण्ड आर्डर क्यों बिगड़ रहा है। बहुत से लोग पुलिस को ही दोष देते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी मान्यता यह है कि पुलिस का भी दोष है तो कुछ और अधिकारियों का भी इसमें दोष है। किस तरह से ? अगर कोई पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का थानेदार किसी केस का चालान लेकर जाता है तो उसकी गवाही ऐसे ढंग से पेश करते हैं कि वह आगे जाकर कामयाब नहीं हो पाता है। एक मुजरिम का छूट जाना 100 मुजरिमों को पैदा करता है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 10 आदमी चोरी करें और एक को सजा मिल जाय तो दूसरे लोगों को नसीहत मिल जाती है लेकिन चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, लूट मार करने वाला न पकड़ा जाय और अगर पकड़ा भी जाय, वह छूट जाय, सजा नहीं मिले, तो दूसरों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि आप इस पुलिस की व्यवस्था में थोड़ा चेन्ज करिये। आज आपके यहां पुलिस थाने में कहीं 10 सिपाही हैं तो कहीं 8 सिपाही है। वह सम्मन तामील अलग करते हैं। दूसरे कहीं कोई जुलूस निकल रहा है तो उसका अलग इन्तजाम करते हैं–सारी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जिससे चोरी, डकैती, मर्डर जैसे मामलों में समय नहीं मिलता है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हरियाणा में, हरियाणा मेरे यहां से बहुत नजदीक है, ऐसी व्यवस्था है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर ऐसी पोस्टें बना रखी है जहां 15-20 आदमी रहते हैं। वहां उनके आफिसर हैं। वह सारे

(श्री मोहनलाल मोदी)

इन्वेस्टीगेशन के मामले हैं–चोरी के, डकैती के उन छोटे मामलों को छोड़कर वे उनको देखते हैं ताकि उनमें सही ढंग से व्यवस्था हो। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां भी इस प्रकार की डिस्ट्रिक्ट वार व्यवस्था करें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह स्थिति कहां जाकर पहुंचेगी कि आज कोई आदमी अपने आपको सेफ नहीं मानता है। रात को आप घर से अगर निकलेंगे तो आप यह सोचेंगे कि सही सलामत घर पहुंचेंगे या नहीं। यह भावना क्यों हो रही है? इसलिए कि पुलिस ने आम जनता का विश्वास खो दिया। वह विश्वास प्राप्त करने के लिए पुलिस के कुछ अधिकारियों को चाहिए कि थानों में और दूसरी जगहों पर भी लोगों में एक ऐसी भावना पैदा करें। वह भावना किस तरह पैदा होगी? चोरियों के, डकैतियों के ज्यादा से ज्यादा मुल्जिमों को अधिक से अधिक मेहनत करके पकड़ें और उनको बरामद करें।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मुहाला गांव में पिछले दिनों डकैती हुई एक काश्तकार के यहां। रात को सोये हुए काश्तकार को बांध कर उसकी औरत की कड़ी, गले की गलकड़ी ऐसी चीजें ले गये। उससे क्या होता है कि सारे के सारे इलाके में लोगों का विश्वास खो गया। आज तक पकड़ा नहीं गया। मुलजिम वहां आधा पौन घण्टे रहे और आराम से और सामान भी ले गये। इस तरह की वारदातें आम जनता में बढ़ती जा रही हैं जिससे लोगों के मन में यह भ्रम हो गया है कि पुलिस का प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। तो मैं कहता हूं कि पहले जनता में विश्वास पैदा करिये ताकि जो भ्रान्तियां उनके मन में हैं वे दूर हो सके।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं अभी आपके यहां कोतवाली में एक एस. एच. ओ. का मर्डर हुआ। विधान सभा में भी डिस्कस हुआ, कितना लम्बा चौड़ा मामला था। हमारे राज्य मन्त्री जी ने कहा पुलिस को सतर्क कर दिया गया है, उसको पकड़ने के लिए। क्या कार्यवाही हुई, उसको पकड़ने के लिए वह सब आप सबके सामने है। वह आदमी आमेर गया, माताजी के दर्शन किये और आमेर से कोर्ट में सरेन्डर होने आ गया–दो-दो कोर्टों में गया। **विधान सभा में** जिसकी इतनी चर्चा हुई, इतना डिस्कस हुआ। उस आदमी की इतनी हिम्मत कि वह आमेर भी चला जाय, वहां से आकर कोर्ट में भी चला जाय और सरेन्डर होने के लिए कोर्ट में आ जाय तब जाकर वहां उसको गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी शर्म की बात है ऐसे मामलों में राजस्थान की एक मिसाल हो गई। वह पुलिस द्वारा पकड़ा नहीं गया, खुद सरेन्डर हुआ तब जाकर उसको बन्द किया गया। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी कमजोरी की बात है। राज्य को चलाने के लिए पुलिस को बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाथ में लेनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नहीं चलेंगे तो जगह जगह झगड़े ज्यादा बढ़ेंगे, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो उसकी आंच आपको और हमको सबको आयेगी। इसका कोई न कोई स्वरूप बदलिये।

आज थाने में कोई आदमी रिपोर्ट करने जाता है तो मन में तसल्ली नहीं है कि उसकी

(श्री मोहनलाल मोदी)

रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही होगी, पहले तो यह है कि उसकी रिपोर्ट लिखी ही नहीं जायेगी, फिर मामला आता है कि इस केस की सी. आई. बी. से जांच करायें। विधान सभा में कई माननीय सदस्य कहते हैं, बहुत सारे केसेज आते हैं, यह आखिर क्या वजह है, इसको आप देखिये और चैक करिये। जहां भ्रष्टाचार है उसको सख्ती से दूर करिये।

राजस्थान में प्रोहिबिशन लगा हुआ है, शराब बन्दी है, लेकिन किसी भी थाने में मन्त्री महोदय आप चले जाइये–सारे के सारे अधिकारी, सारे कान्सटेबल सब आपको शराब पिये हुए मिलेंगे। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस प्रोहिबिशन के अन्दर जो भी कानून का उल्लंघन करे, कानून की खिलाफत करे, उसको तुरन्त सर्विस से हटा दें और उसको बड़े से बड़ा दण्ड दें। यदि आपके कर्मचारी और अधिकारी ही इस प्रकार चलें तो फिर जनता में कैसे विश्वास होगा, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूं, आप आंकड़े उठाकर देख लें। आंकड़ों से तो ऐसा लगता है, जो वार्षिक प्रतिवेदन आपने दिया है उससे ऐसा महसूस होता है, कई केसेज में, बहुत सारे केसेज का जिक्र है–अपराध कम भी हुये हैं, ज्यादा भी हुये हैं। मर्डर केसेज में बढ़ोत्तरी हुई है, डकैती के केसेज बढ़े हैं, लूट के कुछ केसेज कम हुए हैं। आंकड़ों से तो ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान में तो कुछ शान्ति है लेकिन जनरल जो स्थिति है वह बहुत खराब है। मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि ...

श्री अमीन खां : बलात्कार के नहीं बतायें.... ।

श्री मोहनलाल मोदी : बलात्कार के मामले गत साल ज्यादा थे, इस साल कम हुए हैं।

मैं निवेदन करूं मेरे नीमकाथाना क्षेत्र में आज किसी की भैंस खोल ले गये, पुलिस में रिपोर्ट की वह भैंस नहीं आई। पूंछी का रुपया देकर ले आये। इस तरह से तो वह भैंस आ जाती है लेकिन रिपोर्ट कराने से नहीं आती है। किसी की भैंस चली गई, किसी का ऊंट चला गया, पुलिस में रिपोर्ट करने से नहीं आयेगी और उनके जो दलाल फिरते हैं वे चार हजार की कीमत के जानवर के दो हजार देकर ले आते हैं। आज इतनी बड़ी लोगों में बदहजमी हो गई है पुलिस के नाम पर कि कोई ठिकाना नहीं रहा। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुलिस प्रशासन को मजबूत करना चाहिये। जिससे आम आदमी, एक गरीब आदमी को सबसे बड़ी पुलिस की जरूरत होती है लेकिन आज उसको जरासा भी पुलिस का संरक्षण नहीं है, उसकी पूछ नहीं है, कोई भी अपनी बात लेकर जाता है तो कोई सही ढंग से सुनता भी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके जो सी. आई. डी. में ये केसेज जाते हैं सी. आई. डी में भी आपके ऐसे अधिकारी आप बिठाते हैं कि मेरे ख्याल से जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता है, वह अक्सर सी. आई. डी. में आते हैं। तो आप व्यवस्था करिये कि सी. आई. डी. में कम से कम आप रोटेशन से इनको भेजें

(श्री मोहनलाल मोदी)

ताकि आपका सी.आई.डी. का भी अच्छी तरह से वर्क हो। आज सी.आई.डी. के अन्दर उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिनकी कहीं सिफारिश न हो, जिनके पीछे कोई राजनीतिक हाथ नहीं हो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए 2–2,3–3 साल का इसके अन्दर, डिपार्टमेन्ट में कि दो साल इसमें रहेगा, दो साल इसमें रहेगा। इस तरह की कोई व्यवस्था करिये कि जिससे कुछ सही हो। अब मैं आपको निवेदन ये करूं कि पुलिस काम करती है, उसको दूसरे लोग किस तरह बिगाड़ते हैं। मैं आपको उसका एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने इस बारे में स्थगन प्रस्ताव भी दिया था। 30 नवम्बर, 80 को सीकर के पास कटराथल जगह है, थाना रघुनाथगढ़ के नीचे, वहां एक गोविन्द राम का कत्ल हुआ। 30 तारीख को कत्ल होता है, पुलिस जांच कर रही है और वह आदमी, जिस पर पुलिस शक करती है, 30 तारीख के अगले दिन जाकर पिछली 30 तारीख को कपिल होस्पिटल, नीमकाथाना में कैलाश चन्द गुप्ता डाक्टर से सांठ गांठ करके पिछली डेट से अपना एडमिशन करा लेता है। अब मुलजिम जिसके खिलाफ पुलिस में केस चला रही है, जिसका पुलिस वारण्ट जारी कर रही है, जिसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, इस आदमीका डाक्टर की मिली भगत से वहां होस्पिटल में पिछली तारीखों में एडमिट हो जाय, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस अगर चालान पेश करती है तो कभी कामयाब नहीं होगी और वह मुलजिम बरी हो जायेगा। तो मैं ऐसे लोगों के लिए आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, चिकित्सा मन्त्री विराज रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही करके उस डाक्टर को सस्पेण्ड करके उस पर पुलिस केस चलायें, तब इससे दूसरे लोगों को नसीहत होगी। मैं चिकित्सा मन्त्री का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। थोड़ा वह बातों में व्यस्त हैं।

एक माननीय सदस्य : डिमाण्ड पुलिस के बारे में है।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं मांग के बारे में कह रहा हूं, मैं आपसे सम्बन्धित बात निवेदन कर रहा हूं कि जिसने ऐसी कार्यवाही की है, उसको सस्पेण्ड करिये और सस्पेण्ड करके विभागीय जांच कीजिए। एक बात और निवेदन कर रहा हूं कि उस डाक्टर का हमारे भूतपूर्व चिकित्सा मन्त्री जी ने ट्रान्सफर भी कर दिया था, लोगों की शिकायत हुई, ट्रान्सफर हुआ और इसके बाद वह मन्त्री महोदय के पास आकर अपना हिसाब किताब बैठाकर ट्रान्सफर कैन्सिल करा ले गया। मैं इसकी बात बता रहा हूं। 30 नवम्बर के बाद 1–1–81 को ट्रान्सफर हुआ जो वापस कैन्सिल हुआ है, ये आपकी व्यवस्था है। आप ऐसे भ्रष्ट लोगों को शरण देते हैं। मेरी मन्शा है कि जो आदमी जब इस तरह से मेनीपुलेशन करके एक मुजरिम को बचाने की कोशिश करे और उसको फिर आपके भूतपूर्व मन्त्री जी या····

एक माननीय सदस्य : यहां हैं नहीं।

श्री मोहन लाल मोदी : हैं नहीं तो क्या हुआ? अगर इस तरह की कार्यवाही

(श्री मोहनलाल मोदी)

होगी तो आप बताइये कि ये जुर्म बढ़ेंगे या नहीं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि जुर्मों में रुकावट तभी आयेगी जब आप सख्ती से कदम उठायेंगे। सारे विभागों में जहां गड़बड़ी होती है, वहां सख्त कदम उठायेंगे, तब ये जुर्म कम होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

दो मिनट में। मैं अब आपको न्याय प्रशासन के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय मन्त्री महोदय नीमकाथाना से सीकर 60–70 मील की दूरी पर है। एडीशनल कोर्ट सीकर में है जहां जाना पड़ता है। तीन वहां पर कोर्ट हैं, एस.डी.ओ., दो मुन्सिफ कोर्ट हैं, उनकी अपीलों में सीकर जाना पड़ता है। हमको सस्ता न्याय जनता को देना है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि नीमका थाना तीनों अदालतों के 60 पर्सेन्ट केसेज सीकर में पेंडिंग हैं। दोनों दण्डनायक उनके एस.डी.ओ. के और एस.डी.एम. के, इन सारे केसेज की अपील सीकर में, दीवानी मुकदमों की अपील 10 हजार से अधिक मालियत के दावे, मोटर दुर्घटना के क्लेम, हिन्दु उत्तराधिकारिता के मामले, तलाक आदि के मामले इतनी संख्या में विचाराधीन हैं सीकर में। वहां सिवाय तारीखों के बदलने के कुछ नहीं मिलता। तो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप ए.डी.जे. कोर्ट नीमका थाना में कायम करें। वहां रहने के लिए मकान है, आफिस के लिए भी जगह है, आपको इसके लिए विशेष खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप जांच करा लीजिए, 60 पर्सेन्ट केस नीमका थाना के हैं। बाकी 40 पर्सेन्ट सीकर के दो सब डिवीजनों के हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप इन पर पूर्ण ध्यान देकर, ए.डी.जे. कोर्ट नीमका थाना में कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इससे पहले 3 साल आपके लॉ मिनिस्टर रह लिये।

श्री सभापति : माणक मल मेहता।

श्री मोहन लाल मोदी : कुछ नहीं किया तो तभी जमानत जब्त हो गयी। उनको तो जनता ने सबक सिखा दिया। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान का हित करने के लिए इस पुलिस प्रशासन को मजबूत करिये। कुछ साथियों ने पुलिस कर्मचारियों के लिए कुछ थोथी रियायतों की बात की है, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि ईमानदार व्यक्ति पैदा करना चाहते हैं, ईमानदार व्यक्ति इस तरह से पैदा नहीं होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। ईमानदार व्यक्तियों के लिये आप कम से कम कोई पुरस्कार रखिये, कोई इज्जत दीजिये। कोई ईमानदारी से काम करने वाले अफसर की आप तारीफ करें जिससे सारे राजस्थान के अन्दर उसको इज्जत मिले। इस तरह के काम करिये तो कम से कम जो आदमी अगर पैसा नहीं लेता है उसे इज्जत मिलेगी तो उसका पेट उससे भरेगा। वह खुश हो जायेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री माणक मल मेहता : सभापति महोदय, मैं आज जो कटौती प्रस्ताव हैं, पुलिस प्रशासन के विषय में, उसके ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। सभापति महोदया, इस देश के नागरिक हम इस प्रदेश के रहने के कारण हैं। जिस प्रदेश की परम्परायें, जिस प्रदेश का शौर्य, जिस प्रदेश का स्वर्णिम इतिहास आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। तो जिस प्रदेश की ऐसी परम्परायें रहीं हों आज ये बड़े खेद का विषय है कि हमारे यहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हैं, जितनी होनी चाहिए। उसके कारण यदि हम केवल प्रशासन, पुलिस विभाग को ही दोष दें तो ये पूर्णतया उपयुक्त मैं नहीं मानता। उसके लिए समाज की संरचना जो आज की है, उसमें भी हमें परिवर्तन करना चाहिए और उसके लिए सुझाव देना चाहिए। मैंने शिक्षा की मांगों के ऊपर जब अपने विचार इस सदन में प्रगट किये थे तो, माननीय सभापति महोदया, उस समय मैंने निवेदन किया था कि चरित्र निर्माण हमारे विद्यालयों में आरम्भ होना चाहिए। आज चरित्र का ह्रास होने के कारण, चरित्र के गिर जाने के कारण इतनी अवनति और चरित्र के कारण ही गिर जावे इतनी अधोगति पर पहुंचे हैं कि हमारे समाज में आपाधापी और

(5.31 म०प०)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

कुकृत्य या आफेंसेज जिन्हें हम कहते हैं, वे हो रहे हैं। इसके लिए पुलिस विभाग जो पुराने समय में अंग्रेजों के राज्य में जब पेरेनियल हुकुमत थी उस वक्त उन्हें केवल राज्य करना था, किसी अपराधी को पकड़ना था और उसे सुधारना नहीं था। उसी तरह से आज भी यह राज्य चल रहा है और पुलिस विभाग में कोई सुधार या रिफार्म्स नहीं हैं तो उसमें सुधार नहीं हो सकता। मैं विशेष रूप से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में सुधार होने के लिए हमें पुलिस के परसोनल का जो आचरण है उसको बदलने के लिए और उनका दृष्टिकोण बदलने के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। हम एक कांस्टेबल को भर्ती करते हैं जिसकी बहुत कम तनख्वाह होती है, उसके अन्दर वह अपने घर का, अपने बाल बच्चों का गुजर नहीं कर सकता है। उसकी तनख्वाह मिनिमम फाइव हण्ड्रेड रुपीज होनी चाहिए। उसके लिए शिक्षित लोगों को जो कम से कम ग्रेजुएट हों उसके अन्दर भर्ती किया जाना चाहिए। क्योंकि यह देश की व्यवस्था का प्रश्न है, प्रदेश की व्यवस्था का प्रश्न है और लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न है जिसमें आज तक समाज के लोग हमेशा पुलिस के आदमी को बहुत ही आक्रोश की निगाह से देखते हैं। जिसका कारण है कि वे एलेनियन लोग मानते हैं हमारे नागरिकों को और यह समझते हैं कि पुलिस का विभाग एक विदेशी विभाग है और नागरिक बिल्कुल दूसरे देश के लोग हैं। इसलिए गांवों में रूरल एरियाज में आप जा कर देखें, आपको खुद इस बात का अनुभव है और आप जानते हैं कि एक थानेदार का रोब कितना ज्यादा होता है। कलेक्टर और सब डिविजनल आफिसर या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इतना रोब नहीं होता जितना कि एक पुलिस के

167

(श्री माणक मल मेहता)

थानेदार का होता है। उसका कारण यही है कि पुराने जमाने के जो हालात थे उन हालात में ही वे लोग चलते हैं। उनको यह नहीं मालूम कि देश स्वतंत्र है। वह तो एक वोट देने के लिए है। जिस दिन आपका चयन होता है, एम. एल. ए. और एम.पी. का उस दिन केवल वोट देकर के अपने घर चले जाते हैं और अपने व्यवसाय में लग जाते हैं। फिर उनका थानेदार और पटवारी जो रेवेन्यू का होता है, इन दो लोगों से ही काम पड़ता है। वे लोग इनको आतंकित करने की कोशिश करते हैं, इनका एक्सप्लोयटेशन करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग गांवों में रहने वाले होते हैं जिनका थोड़ा बहुत गांवों में नाम होता है या जो गुण्डा प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे उनके दलाल बन करके उनको रिश्वत दिलाने का, पैसा दिलाने का कार्य किया करते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए यदि हम पढ़े लिखे जैसे जुडिशियेरी में सलेक्शन होते हैं, ठीक उसी तरह से अगर पुलिस में थानेदारों के सलेक्शन करने लगें, हैड कांस्टेबल का सलेक्शन करने लगें, उनका आर्थिक ढांचा ठीक करें, उनके आवास की व्यवस्था हो। आज हम शहरों और गांवों में सभी जगह देखते हैं कि पुलिस कांस्टेबल के रहने के लिए कोई आवास की सुविधा नहीं है। वे अकेले रहते हैं और अकेला रहने वाला व्यक्ति है यह हम मानते हैं कि जब आदमी घर से दूर रहेंगे, चौबीसों घण्टे ड्यूटी पर रहेंगे तो उनको घर की याद आयेगी। मानसिक संतुलन या मनोवैज्ञानिक रूप से अगर हम विश्लेषण करेंगे तो हमको पता लगेगा कि घर से दूर रहने के बाद मानसिक संतुलन नहीं रहता। तो वे लोग जो कांस्टेबल हैं, हैड कांस्टेबल हैं, सब इन्स्पैक्टर हैं, उन लोगों को भी आवास की सुविधा होनी चाहिये। उस सुविधा के कारण थोड़ी बहुत शांति मिलेगी और उसके बाद जिस प्रकार जुडिशियल आफिसर्स सलैक्ट करते हैं. क्या वजह है कि जुडिशियल आफिसर्स जो होते हैं उनमें सच्चरित्रता और नैतिकता, ईमानदारी ज्यादा होती है, पुलिस आफिसर्स में नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहां चर्चा हो रही थी इसी हाउस में आप सभी के सामने, पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट की बात कही जा रही थी और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के लिए यह भी कहा जा रहा था कि उन्होंने उस एफ० आई० आर० को सब इन्स्पैक्टर के पास नहीं भेजा। तो मैं समझता हूं कि जब पुलिस के अधिकारी दूसरे अधिकारियों को, जो उनके समान हों और जो भी न्याय करने वाले लोग हैं, मजिस्ट्रेटस हों, या मुन्सिफ हों, सब जजेज हों या सैशन जजेज हों, भी इतना ही गरिमामय माने जैसे कि वे हैं। यह तो वे समझ सकते हैं कि जिस तरह से पुलिस के हालचाल हैं या पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरह से काम कर रहा है उससे कम इज्जत वाले या कम अपने समाज में इज्जत रखने वाले मजिस्ट्रेट कम नहीं हैं या जुडिशियरी के लोग कम नहीं हैं जो न्याय देते हैं।

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि पुलिस विभाग में किसी प्रकार के ट्रेनिंग स्कूल्स खोले जाने चाहिये जिसमें रिक्रूटमेंट के बाद ही उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जावे कि समाज में तुम्हें किस तरह से रहना है? असामाजिक लोग और जो अपराध करने

(श्री माणकमल मेहता)

वाले लोग हैं उनको किस तरह से पकड़ना है या जो निरपराध लोग हैं उनको भी पकड़ करके किस तरह से ह्यूमिलियेट करने की कोशिश की जाती है। कई बार देखा गया है, जो बातें यहां सदन में भी गूंजने लगती हैं, इसका कारण यही है कि पुलिस विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरहसे नहीं निभा सकते। हम सीनियर पुलिस आफिसर्स को देखते हैं। उनमें जो शालीनता है, उनमें जो डिसिप्लीन है, उनमें बात करने का तरीका या डिसिप्लीन नहीं है। इसका कारण यह है कि जितने सीनियर आफिसर्स होंगे वह ज्यादा एजूकेटेड, क्वालीफाइड, एकेडेमिक क्वालीफिकेशन एक्वायर किए हुये होते हैं। इसलिये उनका मानस उन लोगों से ज्यादा अच्छा होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से यह पुलिस की संरचना में परिवर्तन होना चाहिये और जो लोग सब इन्स्पेक्टर स्टेटस पर पहुंचते हैं विशेष रूप से उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आई.पी.सी., या दूसरे जितने भी कानून हैं उसकें अन्दर सब इन्स्पेक्टर्स को बहुत पावर्स दे रखी हैं। उन पावर्स के बारे में जब लॉ कमीशन को या किसी को रिकमण्ड करें तो हमारे यहां से हमारी स्टेट से यह रिकमण्डेशन की जानी चाहिये कि जब लॉ कमीशन बैठे तो सब इन्स्पेक्टर को पावर्स इतनी नहीं दी जानी चाहिये क्योंकि उनका वह निरंकुशता पूर्वक संचालन करते हैं। उनका जिस तरह से उपयोग किया जाता है वह दुरुपयोग हो जाता है। एक आदमी जिसने अपराध नहीं किया हो उसको भी पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। एक साधारण सी बात मैं आपको बताता हूं कि 323 का आफेंस जो मारपीट का आफेंस होता है उसको अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 में लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि 323 की जमानत उसी समय हो सकती है, पुलिस भी ले सकती है और अगर कहीं काग्नीजेबल 324 का आफेंस हो तो भी जमानत हो सकती है लेकिन 307 में जब आदमी को एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है, वह इज्जतदार आदमी होता है और किसी प्रकार का अटेम्प्ट नहीं होता है फिर भी उसके गले पर खरोंच हो जाती है तो भी उसको अटेम्प्ट टू मर्डर मान कर 307 का केस बना दिया जाता है। ऐसे केसेज को स्क्रूटिनाइज करने के लिए पुलिस की ऐसी मशीनरी होनी चाहिये कि जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस स्क्रूटिनाइज करता है। जिन केसेज को स्क्रूटनाईज करने के लिए जिन चालान्स को स्क्रूटिनाइज करने के लिए एक सीनियर आफिसर होना चाहिये वह एस. पी. के स्टेटस का हो और उसके बाद इमीजियेटली एफ०आई०आर० के पेश होते ही ऐसे हीनियस आफेंसेज की अगर एफ०आई०आर० है तो उनके डायरेक्शन के बिना इन्वेस्टीगेशन प्रारम्भ भी नहीं होनी चाहिये। मैं यह नहीं कह सकता कि मर्डर केसेज में या दूसरे केसेज में वे यून्वेस्टीगेशन नहीं करें। लेकिन ऐसे केसेज में जहां ह्यूमीलियेशन इस तरह का हो उसके अन्दर सीनियर आफिसर्स के अप्रोच के बिना या उनके सुपरविजन के बिना उन्हें इन्वेस्टीगेशन का आदेश नहीं होना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पुलिस स्टेशन्स में किसी प्रकार के व्हिकल्स की व्यवस्था नहीं

(श्री माणकमल मेहता)

है। राजस्थान के जो थाने हैं, जिन पुलिस स्टेशन्स में, रूरल एरियाज में स्पेशली, मैं निवेदन करूंगा कि सब इन्स्पेक्टर को मोटर साइकिल हर हालत में प्रोवाइड की जानी चाहिये ताकि वह इमीजियेटली किसी क्षेत्र में क्राइम का पता लगते ही वहां पहुंच सके वरना जितने ऊंबड़ खाबड़ रास्ते हैं वहां पर व्हिकल नहीं होने की वजह से एक थाना जो 15, 20, 30, 40 और पचास माइल के बीच में जब पड़ता हो तो वहां के आदमी, एक थानेदार पचास माइल तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। जब तक उसके पास व्हिकल नहीं होती है वहां इस तरह की बात होती है कि किसी के यहां चोरी हुई, डकैती हुई तो वे नहीं पहुंच पाते और पहुंचते भी हैं तो जो आदमी फरियाद करने, पहुंचता है उसी से कहते हैं कि आप गाड़ी ले कर आओ तब हम चलेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने वाले सदस्यों की संख्या अत्यधिक है, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री माणकमल मेहता : मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें यह प्रोवाइड होना चाहिये, आवास की सुविधा होनी चाहिये दूसरी बात यह है कि हम कई स्थानों पर देखते हैं और कई प्रोविंसेज में देखा है कि जो हथकड़ी लगाई जाती है वह नोर्मली हर एक एक्यूज्ड या हर एक क्रिमिनल के नहीं लगाई जानी चाहिये। उसको अरेस्ट करने का मतलब यही है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ भी लगा दिया जाये तो वह अरेस्ट माना जाता है। इसलिये यह पुलिस को आदेश दिये जाने चाहिये और मैं जो पुलिस विभाग के मन्त्री महोदय हैं उनसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह के रूल्स बनने चाहिये कि नार्मली एक आदमी फैटर्ज में या हैंडकप नहीं किया जाये। जब तक वह हैजर्डस टू सोसायटी नहीं हो या सोसायटी के लिये खतरनाक नहीं हो तब तक उसको फैटर्ज में या हैंडकप नहीं किया जाना चाहिये। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा, पुलिस की जो दूसरी बातें हैं उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके सोसायटी में या समाज में हर थाने के ऊपर एक ऐसी कमेटी का निर्माण होना चाहिये जो महीने में एक बार मिले। उस थानेदार को या उस जगह के पुलिस स्टेशन अधिकारी को, जो एस. एच. ओ. हैं उनको इस बात की सम्मति दें कि इस गांव में कौन से ऐसे एलीमेंट हैं जिन एलीमेंट्स के ऊपर उनको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये। कई बार बिल्कुल साधारणतया ..

श्री अध्यक्ष : ऐसे निष्पक्ष आदमी बहुत कम मिलते हैं।

श्री माणकलाल मेहता : लेकिन जितने भी मिलें, छोटी कमेटी बन सकती है साहब।

अगर इस तरह की प्रवृति होगी, इस तरह के आदेश होंगे, तो उससे उन लोगों को समन्वय करना पड़ेगा और समन्वय के बाद जिस निरंकुशता से वह काम करते हैं उस निरंकुशता में कमी तो अवश्य आयेगी। यह भी मैं आपसे निवेदन करूंगा, लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन यह है कि पुलिस में सेवों तालाब में एक मर्डर हुआ था, जिसमें

(श्री माणकमल मेहता)

मैं आपको यह बताऊं, 14-15 आदमी एक्यूज्ड थे। आज तक उस बात को 6 महीने हो गये। 6 महीने में आज तक उन सब आदमियों को नहीं पकड़ा जा सका। तो पुलिस की मशीनरी का यह फर्ज है। जो आदमी इन्फोर्मेंट होता है, या जो एप्लीकेंट होता है, कम्प्लेमेंट होता है वह जब आकर निवेदन करता है तो उसके बाद पूरी तरह से सक्रिय हो जाना चाहिये और सी० आई० डी० को उनकी सूचना देकर उन आदमियों को पकड़ने की व्यवस्था करनी चाहिये। बींजवा में एक मर्डर केस हुआ था, जिसमें एक घर में 6-7 प्राणियों को समाप्त कर दिया था, उन मिसक्रियेट का आज तक पता नहीं लगा है। इस बात को करीब दो साल होने को आये। आज तक उसमें से दो आदमियों को पकड़ा गया है। बाकी आदमियों को नहीं पकड़ा गया है। यह पाली डिस्ट्रिक्ट के रानी पुलिस स्टेशन का हाल है। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह के मिसक्रियेंट्स हैं, उनके लिये स्पेशल मशीनरी का इन्तजाम किया जाना चाहिये। पुलिस विभाग को सक्रिय करना चाहिये। जब तक हमारे पुलिस विभाग में इस तरह की बात नहीं होगी, वह इस देश के नागरिक हैं और दूसरे नागरिकों की रक्षा करने के लिये उनको लगाया है, भक्षक बनने के लिये नहीं लगाया गया है. जब तक दिमाग में यह परिवर्तन नहीं आयेगा उस वक्त तक मैं समझता हूं हमारी व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने जो समय दिया उसके लिये धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री यदुनाथसिंह।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से अभी तक एक भी नहीं बोला है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए ही एक एक दल को दे रहा हूं। फिर दुबारा यह क्रम शुरू हो जायेगा।

(व्यवधान)

सबको एक साथ तो मैं इजाजत दे नहीं सकता। पांच पांच माननीय सदस्य एक साथ बोलें। एक टाइम में एक को बोलना पड़ता है। यह मेरे पर छोड़ दीजिये पूरा डिबेट करवा कर बाद में जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : इनको 20 मिनट दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल उपयुक्त कारणों के कारण दिये गये हैं।

श्री यदुनाथसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पोलाइट, ओबिडियेंट, लायल, इन्टेलीजेंन्स करेजियस, एण्ड एफीशियेंट को मिला कर बनाया गया जो पुलिस शब्द है वास्तव में इसमें काम करने वालों में यह सब जो शब्द है इनका समन्वय होना चाहिये। लेकिन आज, और आज क्या बहुत दिनों से आजादी के पहले से और आजादी के बाद भी पुलिस खादी धारी नेताओं के बाद दूसरे नम्बर पर बदनाम रही है।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथसिंह)

यह मैं सही कह रहा हूं, जनता जो कहती है, वही कह रहा हूं। जरा आप सीरियसली सुनिये, फालतू मेरे पास समय नहीं है। अध्यक्ष महोदय की घंटी बज जायगी इसलिये मैं निवेदन करता हूं मेरी बात ध्यान से सुनें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। बातें नहीं, माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथसिंह : आज देश में चारों तरफ क्राइम बढ़ रहे हैं, डकैती बढ़ रही है, चोरी बढ़ रही है और यहां तक कि पुलिस भागलपुर और बागपत जैसे कांडों में इनवाल्व है, पुलिस बहुत बदनाम है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी ध्यान देना होगा कि खतरनाक से खतरनाक क्रिमिनल, चोरों, डकैतों का सामना करते हुए बलिदान देने वाले भी यही पुलिस वाले हैं। इसलिये उनका तिरस्कार करने के साथ-साथ हमें यह भी सुझाव रखना पड़ेगा सरकार के सामने और सरकार को बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि पुलिस की ट्रेनिंग में एटीट्यूडल ट्रांसफार्मेशन किस प्रकार से लाया जाये। पुलिस की ट्रेनिंग उसी अंग्रेजों के जमाने के 1861 वाले एक्ट पर आज तक बनी हुई है। मूंछ देखो डंडा देखो वाली। हिन्दुस्तान की जनता को दबा देने वालों। इसलिये पुलिस जिन शब्दों से बना है, इन शब्दों का समन्वय पुलिस के व्यवहार में आये। इसके लिये कुछ महत्वपूर्ण कदम हमको उठाने पड़ेंगे। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस अधिकारी अंग्रेज हुआ करता था। या बहुत कम छोटी पोस्ट पर अधिकारी हिन्दुस्तानी हुआ करते थे। इसलिये पुलिस का जो नीचे का कैडर है, सिपाही वाला तबका है, वह उसी प्रकार छोटी दृष्टि से जब भी बनाया गया था आज भी उसकी वही स्थिति चल रही है। इसलिये हम किसी भी संस्था का या किसी समाज का वर्गीकरण करते हैं, अच्छाई बुराई का विश्लेषण करते हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि नीचे से नीचे तबके में जो रहे हैं उसमें आया संतोषपूर्ण फूटिंग है या नहीं। दुर्भाग्य से राजस्थान की पुलिस से और हिन्दुस्तान की पुलिस में नीचे के तबके में भयंकर असंतोष है। कमांडर और फोर्स का गैप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों के टाइम से ज्यादा बढ़ चुका है। आज कमांडर, सिपाही से बात करने में एस. पी. अपना छोटापन समझता है और सिपाही एस. पी. से बात करने में घबराहट महसूस करता है। इसलिये कमांडर और फोर्स का समन्वय जब तक नहीं होगा तब तक पुलिस में एफिशियेंसी जो आनी चाहिये वह एफिशियेंसी नहीं आ पायेगी। इसलिये मैं एक महत्वपूर्ण कारण पुलिस में खराबी होने का महसूस करता हूं वह है पुलिस में आई. पी. एस. फोर्स का, आई. ए. एस. कैडर का। पुलिस सर्विस की अलग ट्रेनिंग होती है। अलग इसका सब कुछ निर्धारण होता है। अलग इसकी ड्यूटी होती है। अलग इस प्रकार से ड्यूटी की ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसके ऊपर जो सुपर फोर्स कमांड करने वाले होम सैक्रेटरी हैं वह आई. ए. एस. होते हैं। तो हिन्दुस्तान में आई. ए. एस. और आई. पी. एस. की बड़ी लड़ाई है। एक दूसरे पर हावी होने की दोनों कोशिश करते हैं। इसलिये जिस आदमी को ट्रेनिंग नहीं दी गई है इस पुलिस के बारे में, उस आदमी को सैक्रेटरी बनाया जाना उचित नहीं है। मेरा

172

(श्री यदुनाथसिंह)

इस बारे में सुझाव यह है कि जिस प्रकार मद्रास में अलग डायरेक्टोरेट है, डाइरेक्टर जनरल है, पुलिस का, उसी प्रकार यहां पर डाइरेक्टर जनरल बनाया जाये। आई. जी. को सैक्रेटरी की पावर दी जाये। जिससे उसको पूरे अधिकार खुद को हों, किस चीज को किस तरह से चलाना चाहते हैं, उसमें जो आई. जी. चाहता है मान लीजिये आज तो तालमेल है सैक्रेटरी और आई. जी. का कल को किसी वजह से तालमेल उनका बिगड़ता है आई. जी. कुछ करना चाहेगा, पुलिस डिपार्टमैंट जो कुछ करना चाहेगा वह सैक्रेटरी उसको कभी पूरा नहीं होने देगा। इसलिये पुलिस में सुधार के लिये, सबसे पहले जरूरत यह है कि पुलिस को उसकी जिम्मेदारी खुद डिसाइड करने के लिये पालिसी डिसाइड करने का उसके पास अधिकार होना चाहिये। दूसरा पुलिस में यहां भी और हिन्दुस्तान के हर कोने में पालिटिकल इन्टरफियरेंस ज्यादा है। नेतागिरी पुलिस में बहुत ज्यादा घुसा दी गई है। पिछली बार जो यहां पर आंदोलन शुरू हुआ था पुलिस का, उसका मुख्य कारण एक था और भी कई कारण रहे थे, पंजाब में शराब पीकर एक पुलिस सिपाही को पीट दिया गया। इस आक्रोश की वजह से आंदोलन फैला और दूसरे भागों में और कारण लेते हुए फैला। इसलिये पुलिस में पालिटिकल इन्टरफियरेंस बिलकुल नहीं रहना चाहिये। पालिटिकल इन्टरफियरेंस ट्रांसफर के मामले में, पोस्टिंग के मामले में, और प्रमोशन के मामले में चलता है। यह आई. जी. के डिस्क्रिशन पर होना चाहिये कौन अधिकारी कहां पर एफिशियेंट हो सकता है, कौन अधिकारी कहां काम कर सकता है। मेरी सरकारी बैंचों से अपील करने के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों से निवेदन है, अपील है कि आखिर बदनामी उनके सर पर आती है, सरकार आती जाती रहती है, आज यह बैठे हैं, कल वह बैठे हैं तो उनको इसमें कड़ाई का रुख अख्तियार करना चाहिये। सरकार के दबाव में नहीं आना चाहिये और पोस्टिंग और प्रमोशन के हिसाब से अपने विवेक से काम करना चाहिये।

मैं छोटे कर्मचारियों की बात कर रहा था। आज एक चपरासी से भी कम हैसियत पुलिस के सिपाही की रह गई है। फिर आप उससे ईमानदारी से काम करने की, अच्छी तरह से काम करने की किस तरह से उम्मीद करते हैं? उसके काम करने के घंटे तय नहीं है। बम्बई में पुलिस में काम करने के आठ घंटे तय है। इसलिये किसी भी आदमी पर ओवर बर्डन अगर आप डाल दें, उसके ऊपर ज्यादा वजन डाल दें, और आज पुलिस की स्ट्रेंथ वहीं की वहीं पर है, एक थाने में एक एस. एच. ओ., दो हैड कांस्टेबल या एक एस. आई, 12 सिपाही इस तरह 17-18 की एवरेज स्ट्रेंथ है। आज क्राइम, वैज्ञानिक युग के साथ-साथ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हवाई जहाज, जीप से, कार से क्रिमिनल भाग रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे न तो थानों में सिपाही के लिये रहने के लिये बैरक है. न कोई सिपाही के लिये लंगर की कोई व्यवस्था है। 24 घंटे वह ड्यूटी देता है। 17-18 आदमी पुलिस फोर्स में है एक थाने पर 24 घंटे ड्यूटी देता है

(श्री यदुनाथसिंह)

एवरेजन दो सिपाही छुट्टी पर रहते हैं। एक इत्तिला करने जाता है, एक तहसील में काम करता है, आजकल तहसील के भी काम कराने लगे, चार पहरे पर जाते हैं बाकी दो-तीन बचते हैं लेकिन ड्यूटी पूरी रोज 24 घंटे की लगा दी। क्राइम रोज बढ़ रहे हैं ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, क्राइम भी बढ़ेंगे तो फोर्स भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। आर. ए. सी. को पुलिस के साथ लगाया जा रहा है इससे साबित है कि पुलिस फोर्स की निश्चित रूप से कमी है। आर. ए. सी. का काम स्पेशल ड्यूटीज के लिए लगाया हुआ है लेकिन आज आम पुलिस का काम आर ए. सी. कर रही है इसलिए हमें पुलिस फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। 38 करोड़ का लगभग बजट रखा है इसमें ज्यादातर बजट सरकारी खर्च पर खर्च हो जाता है लेकिन पुलिस को जीप की जरूरत है या नहीं, टेलीप्रिंटर लाइन से जोड़ने की जरूरत है या नहीं, पुलिस को आज सड़कों से जोड़ना है या नहीं। जैसे मैं धौलपुर के एरिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। आर्मी को जहां बोर्डर में जरूरत होती है, बोर्डर लाइन रोज बनाते हैं इसी तरह से धौलपुर, भरतपुर जिलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो डकैती के एरिया हैं, पलक झपकने के बाद वहां पर आदमी का पता नहीं लगता कि वह आदमी कहां चला गया इसलिए वहां पर जो थाने हैं, जहां 14-15 मील पैदल जाते हैं वहां उन थानों से सम्पर्क किस प्रकार करेंगे। जीप नहीं, टेलीफोन नहीं, पैदल जाना पड़ता है डकैती होती है तो आदमी का पता नहीं लगता इसलिए ऐसी जगहों पर स्पेशल रोड्स पुलिस फण्ड में से रखी जायं। इसलिये मेरा निवेदन है कि क्राइम को कन्ट्रोल करना है तो जैसे हमारे यहां पहले चौकीदार प्रथा हुआ करती थी आजादी के पहले उसको खतम कर दिया गया। आज जो फोर्स का काम है, गांवों में कौन बदमाश है, कौन क्रिमिनल है, कैसा आदमी है, यह काम चौकीदार किया करता था लेकिन आज जो रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब की बात चल रही थी बड़े आदमी का मामला था इसलिये सदन में तहलका मचा लेकिन गांवों में कितने गरीब आदमी मार दिये जाते हैं, अत्याचार हो जाता है न तो वे थाने में रिपोर्ट करने जा सकते हैं न कोई सुनवाई होती है। इसलिये चौकीदारी प्रथा फिर से शुरू की जाय तो मेरा पूरा विश्वास है कि गांव से पुलिस का हमेशा के लिये लिंक बनेगा। यह तो पुलिस के छोटे सिपाही की बात हुई। इसके बाद कुछ बोर्डर एरिया जो हैं जैसे धौलपुर एरिया जहां बोर्डर से लगता है जहां सिपाही हार्ड ड्यूटी देते हैं वहां हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाना चाहिए। धौलपुर डकैती एरिया में रहने वाली पुलिस फोर्स को तो निश्चित रूप से हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाना चाहिए जहां पुलिस का कार्य बहुत कठिन है। इसके अलावा एक फेमिली वेलफेयर बेनेवोलेंट फंड पुलिस में होता है उसमें पुलिस वाले खुद ही राशि इकट्ठा करते हैं, पांच लाख दर्शाया गया था, उतना ही करीब-करीब सरकार देती है लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। किसान रैली में कितने बस उलटा कर मार दिये उनको तो पांच-पांच हजार बख्शीश दी। अपनी गलती से एक तरह से मर्डर किया था लेकिन जो सिपाही डकैतों, बदमाशों का सामना करते मारे जाते हैं उनको केवल डेढ़

(श्री यदुनाथ सिंह)

हजार देते हैं इसलिये इस प्रकार के फण्ड में, जो ड्यूटी करते हुए, कर्त्तव्य करते हुए, मारे जाते हैं उनके लिये अलग से प्रबन्ध करना चाहिये। एक यहां पर राजस्थान में प्रमोशन में हिन्दुस्तान में भी एक अजीब स्थिति मौजूद है। प्रमोशन के नाम पर····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी से बहुत टाइम बचा हुआ है। कहां बोल रहा था, छुड़वा दिया। राजस्थान में आर.पी.एस. अफसरों को जो प्रमोशन है उनमें ज्यादातर 20–20, 25–25 साल से प्रमोशन के इंतजार में अफसर बैठे हुए हैं। कानून के हिसाब से 8 वर्ष में प्रमोशन करना चाहिये। देश में कहीं भी ऐसा नहीं है कि 12 साल से ज्यादा होने पर भी आई.पी.एस. आफिसर का प्रमोशन नहीं हुआ हो लेकिन ये आई.पी.एस. आफिसर नहीं हैं। आज आई.पी.एस. अधिकारी को 4–4 आई.जी. की पोस्टें क्रियेट कर सकते हैं लेकिन जो नीचे का तबका है, फिर डिस्क्रिशन पैदा हो गया है, जो आर.पी.एस. राजस्थान पुलिस के अधिकारी हैं उनके प्रमोशन का कोई ठिकाना नहीं। बहुत से अधिकारी बेचारे प्रमोशन का इंतजार करते करते रिटायर भी हो गये इसलिये प्रमोशन की वजह से असंतोष फैला हुआ है आर.पी.एस. में। आई.पी.एस. अधिकारियों को तो इसका पता नहीं लगेगा जैसा मैंने अर्ज किया कमाण्डर और फोर्स में, छोटे और बड़े अधिकारियों में बहुत बड़ा अन्तर आ चुका है। कल एक स्टाफ कौंसिल की मीटिंग हुई। अखबारों में आज चर्चा थी। उसमें इंस्ट्रक्शन थे कि वर्दी पहन कर आना है। उसमें कांस्टेबल भी होते हैं डी.एस.पी. भी होते हैं लेकिन स्टाफ कौंसिल की मीटिंग में वर्दी पहन कर बुलाते हैं तो उसमें सजेशन किस तरह से इन्वाइट करेंगे उनको आप बाकायदा सिविल ड्रेस में बुलाइये, आई.जी. साहब के सामने वर्दी पहन कर तो बिलकुल घबराया हुआ खड़ा रहेगा। इसलिये जब तक उसको बराबर बैठा कर नहीं सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं।

पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से जैसे धौलपुर, भरतपुर जिले अलग अलग होने की बात हो रही है। यह तो माननीय प्रद्युम्नसिंह जी जानते होंगे कि वह अलग अलग कर पायेंगे या नहीं लेकिन कम से कम पुलिस प्रशासन के हिसाब से धौलपुर जिला अलग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यहां आफिसर गैलरी में भरतपुर में रहे हुए अधिकारी मौजूद हैं, उनको क्राइम की खबर लगाने पर भरतपुर से आगरा होकर धौलपुर जाना पड़ता था इसलिये उन्हें कठिनाई का पता है इसलिये धौलपुर को पुलिस का अलग जिला बनाना चाहिये और भी हनुमानगढ़, गंगानगर हैं. जैसे जयपुर भी है। जयपुर में क्राइम रेट बढ़ रही है क्योंकि आबादी 10 लाख से ऊपर हो गई इसलिये जयपुर के लिये अलग होना चाहिये, जयपुर रूरल के लिये अलग होना चाहिए इसी प्रकार जोधपुर का भी होगा, मैं कह नहीं सकता। मेरा सुझाव है कि प्रशासन के लिहाज से पुलिस का जिला अलग होना चाहिये इसके साथ ए.डी.एफ. के लिये निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान में बड़ी भारी डकैतों की समस्या, मंत्री महोदय आपको पता होगा, आपका तो रोज पाला

(श्री यदुनाथसिंह)

पड़ता है। इसलिये डकैती एरिया के लिये अलग से व्यवस्था होनी चाहिये। वही फोर्स ए.डी.एफ. का काम करती है और वही फोर्स अपनी ड्यूटी भी देती है। ए.डी.एफ. के लिये भरतपुर और यू.पी. को मिला कर अलग से एक समिति होनी चाहिये और मेरा सुझाव है धौलपुर एरिया में डकैती खतम करने के लिये एक अलग डी.आई.जी. रखिये। डी.आई.जी. की पोस्ट भरतपुर में की गई लेकिन मुख्य मंत्री जी डी.आई.जी. लगा नहीं पा रहे हैं। डी.आई.जी. रैंक के बहुत से अधिकारी फालतू हैड क्वार्टर पर बैठे हुये हैं उनको कोई काम नहीं दिया जा रहा है लेकिन भरतपुर में अलग से डी.आई.जी. बैठाया जा रहा है वह पोस्ट क्रियेट करने का क्या अर्थ है। भरतपुर ट्रबल्ड एरिया है। तीन प्रदेश मिलते हैं हर तरफ बॉर्डर्स हैं, स्मलिंग होती है, डकैती होती है, बदमाश भी राजस्थान में भरतपुर एरिया, यू.पी. भरतपुर से आते हैं ज्यादातर।

एक माननीय सदस्य : भरतपुर के ज्यादा बदमाश हैं।

श्री यदुनाथसिंह : आपने मुख्य मन्त्री जी को देख कर पहचान लिया होगा।

एक माननीय सदस्य : यह अपनी बात बता रहे हैं।

श्री यदुनाथसिंह : राजस्थान में आर.ए.सी. की 6 बटालियन काम कर रही हैं। दो सेंटर के अण्डर में हैं एक बटालियन एन.डी.सी. की और आधी है वह पूरी करने की पिछले सत्र में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी अभी पता नहीं पूरी हुई या नहीं। तो उनके लिये अलग से आई.जी. होने चाहिये और इसके लिये ब्रिगेड से ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ है इसलिये मेरा सुझाव है कि अगर इसको गति देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, तो आपको इसके लिये अलग से प्रबन्ध करना पड़ेगा। डायरेक्टोरेट आर.ए.सी. का अलग से बनाइये, पुलिस की स्ट्रेन्थ बढ़ाइये। आर.ए.सी. को लगा रखा है इसी से जाहिर होता है कि आपके पास पुलिस स्ट्रेन्थ कम है।

अब मैं यहां पर प्रहरियों को रोज देखता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसका सम्बन्ध विधान सभा की व्यवस्था से है। इसलिये प्रहरियों पर कुछ नहीं कह सकते।

श्री यदुनाथसिंह : विधान सभा के अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूंगा। यह पुलिस का भाग है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यहां हमारी ड्यूटी है।

श्री यदुनाथसिंह : उनके ठहरने की खाने की व्यवस्था क्यों नहीं करवाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये चैम्बर में बात करें आप।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन रात देर तक चलता है। जिस तरह मुख्य सचेतक महोदय अपने दल के सदस्यों के लिये भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह आपकी ओर से भी इनके भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने कह दिया, इसके लिये आप चैम्बर में बात करें। अब माननीय सदस्य शीघ्र समाप्त करें। दो मिनट।

श्री यदुनाथसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से दुबारा पढ़ता ही रहता हूं। यहां पर माननीय भैरूंसिंह जी के मुख्य मन्त्री के टाइम में एक फोरेन्सिक डिपार्टमेन्ट का उद्घाटन हुआ था। यह पुलिस के लिये, बढ़ते हुए वैज्ञानिक जमाने में बहुत ही आवश्यक है। कोई भी इनवेस्टीगेशन जल्दी से जल्दी हो जाय तो लाभ होगा। परन्तु इस डिपार्टमेन्ट में साधनों की कमी होने की वजह से यह निष्क्रिय पड़ा है। कोई भी जांच केमिकल के बिना नहीं होती है। फिंगर प्रिन्ट आता है तो उसमें कोई दो-तीन साल लग जाते हैं। इसलिये इस डिपार्टमेन्ट को सक्रिय किया जाना चाहिये क्योंकि यह क्राइम रोकने के लिये आवश्यक है। जब तक इस डिपार्टमेन्ट को फण्ड्स नहीं देंगे यह निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसलिये इसके लिये आवश्यक फण्ड्स दिये जाय।

अब मैं अकेडमी के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। इसके लिये जो फण्ड्स हैं वह 20 लाख के लगभग हैं। परन्तु 19 लाख रुपया तो इसके सैलरी पर ही खर्च हो जाता है। बाकी एक लाख रुपया बचता है उसमें क्या तो इक्विपमेन्ट लेंगे और क्या ट्रेनिंग का सामान आयेगा। इसलिये ज्यादा से ज्यादा पैसा ट्रेनिंग के लिये बढ़ाने की व्यवस्था करेंगे। ट्रेनिंग अच्छी नहीं पायेगा तो सिपाही को कैसे खड़ा करेंगे कैसे त्याग की भावना उसमें भरेंगे। इसलिये सिपाही को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दीजिये उनकी ड्यूटीज तय कीजिये। अच्छी सैलरीज दीजिये। उनके बच्चों को पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था कीजिये। इंगलैण्ड में पुलिस के सिपाही ने थप्पड़ मार दिया तो कमीशन बिठाया गया था कि क्या कारण है कि पुलिस के सिपाही में असन्तोष है। इसलिये फेमिली वैलफेयर के मसले को भी तय कीजिये। उसके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कीजिये ताकि वह निश्चिन्त होकर काम में लग और इससे रिश्वत और भ्रष्टाचार में कमी होगी।

एक और निवेदन करना चाहता हूं। हर चीज में अकेडेमिक क्वालिफिकेशन बढ़नी चाहिये। एजुकेशन बढ़ रहा है इसलिये पुलिस में, सिपाहियों में पढ़े लिखे लोगों को लेना जरूरी हो गया है। इसलिये कम से कम मैट्रिकुलेट, इन्टरमीडियेट जो हजारों पढ़े लिखे युवक हैं, ऐसे पढ़े हुए लोगों को लेने के लिये मेरा निवेदन है। हम पुलिस के सिपाही से लॉ एण्ड आर्डर डील कराना चाहते हैं तो मेरा यह सुझाव है और आशा करता हूं कि पुलिस में पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लिया जायगा वरना आज जो पुलिस का ढांचा है उसकी हालत और ज्यादा खराब होगी। इसमें यह जो आंकड़े दिये गये हैं. ये आंकड़े न तो कल सही थे और न आज सही हैं। जो क्राइम होता है वह रजिस्टर्ड नहीं होता है। जो क्राइम नहीं होता है वह रजिस्टर हो जाता है। इसलिए जो आंकड़े दिये गये हैं कि क्राइम कम हुआ है. मेरे ख्याल से न तो क्राइम आज कम हुआ है और न पहले कम हुआ था। इसलिए पुलिस में ट्रेनिंग के जरिये एटीट्यूड ट्रान्सफार्मेशन, भावनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे तो पुलिस का जिस

(श्री यदुनाथसिंह)

तरह का व्यवहार है, वह इसी तरह से व्यहार करती रहेगी, वह चोरी करवाती रहेगी, करती रहेगी, बलात्कार को खड़े हुए देखती रहेगी, डकैती में खुद शामिल होती रहेगी और डकैतों को इग्नोर भी करती रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि पुलिस में पुरानी तरीकों की जगह एक भावनात्मक परिवर्तन के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाय यह अच्छी ट्रेनिंग आप तभी दे सकते हैं, जब इसका जो छोटा तबका है। जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनके पास तो कोठी, कार हैं उनके ऐशो आराम पर खर्च होता है। उनके लिए तो अनापशनाप बजट होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि छोटे सिपाही को आप सेटिसफाइ नहीं कर पाये तो वह आप से अटैचमेन्ट नहीं कर पायेगा, वह दिल से कभी काम नहीं करेगा। इसलिये छोटे अधिकारी, सिपाही पर ध्यान देना है। आप योजना में परिवर्तन करें और जब हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वह हमारी जान माल का रक्षक नहीं रहेगा तब आप और विकास की क्या कल्पना करेंगे। इसलिए सबसे पहले कानून और व्यवस्था में सुधार के लिये आपके इस बजट में अलग से प्रावधान करें, इक्वीपमेन्ट के लिये, आज की वैज्ञानिक तकनीक के लिये और आपको करना पड़े तो करें और टेलेक्स के लिये जरूर कीजिये। जहां तक संभव हो टेलीफोन और जीप कम से कम हर थाने में होनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में एक डकैती का केस हुआ। आधे घंटे में पुलिस को इत्तला हो गई। पुलिस को जीप ढूंढने में एक घंटा लग गया और तब तक डकैत निकल गये। अगर पुलिस के पास टेलीफोन होता, तहसील में टेलीफोन था, थानेदार को वहां पर बुलाया गया, फिर जीप देखने को गये और इतने में डकैत भाग गये। इसलिये जीप, मोटर साइकिल या जो भी सीमित साधन दे सकें वह देना बहुत जरूरी है। टेलीफोन और वायरलैस तो हर थाने में होना जरूरी है। हर पुलिस हैडक्वार्टर को टेलेक्स से अटैच करें इतना ही निवेदन करता हुआ जो आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूं। आज तक पुलिस निष्क्रिय रही है और मेरे जो कटौती प्रस्ताव है मैं निवेदन करूंगा कि उनको मन्जूर किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस के कटौती प्रस्तावों पर बोलते हुए, पुलिस की बजट डिमाण्ड पर बोलते हुए मैं अपनी बात ट्रैफिक पुलिस से शुरू करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में रहती हूं। यहां के बाजारों में अक्सर मेरा जाना होता है और सबसे ज्यादा कठिनाई मैंने महसूस की है, रोज विधान सभा जल्दी आना होता है, जल्दी घर से चलती हूं फिर भी यहां तक आने में बहुत देर हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक को रेगूलेराइज करना है, कन्ट्रोल करना है वहीं अगर वायलेशन होता है तो उसको पनिश करना भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में यदि सांगानेरी गेट, सारी चौपड़े, चांदपोल बाजार, आदर्श नगर की सड़कें, फल मण्डी, सिनेमा, घाट दरवाजा इनमें से गुजरते हैं तो आसानी से निकलना

178

(श्रीमती विद्या पाठक)

मुश्किल है बल्कि खड़े खड़े यह देख कर इर्रीटेशन होता है कि यह कैसी व्यवस्था चल रही है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में बहुत चिन्ता से विचार करना पड़ेगा। जहां 1941 में जयपुर शहर की आबादी 1 लाख 41 हजार थी 1981 में 10 लाख से ऊपर हो गई है। यहां दुर्घटनाएं 12 औसत रोज की होती हैं जयपुर शहर में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं, यहां हफ्ते में एक एवरेज शायद मृत्यु का इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक्सीडेंट के लिये पुलिस को ब्लेम किया जाता है, ट्रेफिक अरेन्जमेन्ट को ब्लेम किया जाता है, उसके विषय में पुलिस को बड़ी चिन्ता से विचार करना पड़ेगा। बाजारों में ट्रेफिक जहां स्लो ट्रेफिक पहले ही बहुत था फास्ट ट्रेफिक भी बहुत ज्यादा है। जहां स्लो ट्रेफिक बहुत ज्यादा था और आज और भी ज्यादा है। आश्चर्य की बात है कि बाजार और आबादी बढ़ी है, ट्रेफिक भी बहुत बढ़ा है। व्यवस्था को देखें तो ट्रेफिक सिस्टम वहीं का वहीं है। जहां गाड़ियां तेज दौड़ती हैं, वहीं साथ के साथ बड़े बड़े नल के पाइप लिये ठेले भी वहीं उसी सड़क पर रेंगते हैं और इससे ट्रेफिक में बड़ी बाधा पड़ती है। यह नेचरल है कि इस तरह जो ट्रेफिक व्यवस्था है उसमें वैसे ही ट्रेफिक स्लो होता है। इस के लिये भी कोई लाइसेन्स की बात जरूर हो। जहां तक फास्ट व्हिकल्स का सवाल है, यहां फास्ट व्हिकल्स के एक्सीडेण्ट इतने होते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण लाइसेन्स प्रणाली का बनता है। केवल कुछ देर गाड़ी चलवा करके दिया जाता है। यहां तक देखने में आया है कि घर बैठे ही लाइसेन्स ड्राइविंग के मिल जाते हैं। कुछ प्रभाव से और कुछ पैसा देकर, ऐसा लोगों का अनुमान है। फिर भी प्रभाव निश्चित रूप से वर्क करता है। इसके लिये आवश्यक है कि सैन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टीट्यूट का जो प्रोफार्मा है जिसमें एटीट्यूड टैस्ट प्रावधान है, जिसके अनुसार सिगनल रिफलेक्सेज हैं, हैबिट्स हैं, ब्रेक्स, पानी और हवा के टैस्ट आदि की आदतें हैं, और ब्लाइन्डनेस का, ट्रेफिक सेन्स हैं, इन सबका प्लान्ड बरेन्डम चैकिंग अक्सर होता रहे, पर एक बार चैक हुआ, 5–10 मिनट गाड़ी चलवा कर लाइसेन्स दे दिया जाता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेन्ट होते हैं चालान करना यह दूसरा काम है ट्रेफिक पुलिस का। चालान में इन्फ्लूएंसल लोग काइम से बच जाते हैं मगर जिनका प्रभाव नहीं होता है वे सिर्फ एप्रिहेन्सन व शक में भी पकड़े जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : इनको कोटा भी तो पूरा करना पड़ता है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां बिजी सड़क पर साइकिल चलाते हुए लड़के एक्रोबेट्स दिखाते हुए चलते हैं, वहीं पर बड़े आदमी एक्सीडेन्ट करके भी पुलिस उनको कहती है आप जाइये, आपकी गलती नहीं है। अध्यक्ष महोदय यह मेरा स्वयं का अनुभव है जोधपुर में रहते हुए। मगर, अध्यक्ष महोदय, इस चालान प्रथा के बारे में भी एक बार फिर से सोचना पड़ेगा मोबाइल ट्रेफिक पुलिस यूनिट्स हो, मोबाइल मजिस्ट्रेट हो और उनके यूनिफार्मली और स्ट्रिक्ट एक्शन हों। इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो रोड कन्डीसन है यह अपने आप में एक बहुत इम्पार्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्सीडेंट में। कोआर्डिनेशन आफ डिपार्ट-

(श्रीमती विद्या पाठक)

मेंट नहीं होने की वजह से जैसा पहले भी कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए पी०डब्ल्यू०डी० कहीं सड़क बनाती है तो वहीं एल०एस०जी०डी० चालू हो जाता है वहां गटर लाइन खोदने में इन सबके कारण रोड खराब हो जाती है और इस तरह के लेक आफ कोआर्डिनेशन के कारण सड़क व्यवस्था से भी रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। कहीं सभायें होती हैं तो खम्भे बनाने से जो खड्ढे हो गए हैं, वे भरे ही नहीं जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : खराब रोड पर तो एक्सीडेंट कम होते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से रोड प्लान करते वक्त बाई पास और रिंग रोड का विचार नहीं किया जाता है, ब्लाइण्ड कार्नर कहां है, सिग्नल्स कहां है। कुछ आटोमेटिक सिग्नल मशीन हैं लेकिन वे अधिकांश खराब पड़ी हैं। और फिर उनको मेन करने वाला आदमी है और जो ट्रैफिक पुलिस का आदमी खड़ा रहता है वह आपस में बातचीत करते रहते हैं किसी पथिक को परेशान करते हुये नजर आते हैं जिससे कि दोनों तरफ भीड़ इकट्ठी हो जाती है। मेरे विधान सभा कई बार देरी से पहुंच पाने का यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इस तरह ट्रैफिक में भी पुलिस की विशेष व्यवस्था होनी चाहिये, यह आवश्यक है। पुलिस ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो उन्हें बाहर ट्रैफिक ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है जैसे ट्रेनिंग दिल्ली में होती है और जरूरत हो तो यहां पर भी कैम्प लगाये जा सकते हैं, उनको आर्गनाइज किया जा सकता है। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को भी इन्वाल्व किया जाय। रोड्स वैल प्लानड हों, ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था निश्चित रूप से की जाय सिग्नल्स ठीक करें व रखें। ट्रैफिक पुलिस बढ़ाई जाये और भारी वाहनों के आवागमन का निश्चित रूट होना चाहिये, विज्ञापन व होर्डिंग्स इम्पार्टेंट क्रोसिंग पर अवाइड किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट नहीं हो और एक्सीडेंट में भी कमी हो यह एक बहुत बड़ा कारण एक्सीडेंट का है रोड एन्क्रोचमेंट और पूअर पार्किंग साइट ये भी एक्सीडेंट में अपना पार्ट प्ले करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझती हूं रेलवे पुलिस पर काफी कुछ राजस्थान पुलिस का कन्ट्रोल होता है क्योंकि जहां पहले उसके लिये 90 प्रतिशत एक्सपेण्डीचर केन्द्रीय सरकार दिया करती थी अब जो 50 प्रतिशत दिया जाता है। लेकिन रेलवे पुलिस के लिये मेरा खुद का अनुभव है कि रेलवे पुलिस जहां ट्रेनों में अत्याचार हो रहे हैं हर रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, रेलवे पुलिस के बारे में कुछ विचार करना होगा। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं चोरी डकैती और हाइवे रोबरी छोटे मोटे थैफ्ट। इसी तरह पत्रकारों पर अत्याचार, बच्चों और बड़ों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं बूट लेगिंग पुलिस के संरक्षण में बढ़ रहा है पुलिस कार्य प्रणाली का इससे ऐसा अन्दाजा लगाया जा सकता है। जैसे घटनायें होती हैं उसे जनरलाइज किया जा सकता है। पुलिस संरक्षण में थैफ्ट, रेप और हत्यायें हो रही हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान भी इससे अछूता

(श्रीमती विद्या पाठक)

नहीं है। इसी तरह से डाकू बढ़ रहे हैं परन्तु पुलिस रोज पकड़ रही है पुलिस को पुलिस मार रही है जैसा कि बी.डी. तिवारी का केस पिछले हफ्ते ही हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और खबर मैंने सुनी है कि महावीर स्कूल में जो बच्चे जाते हैं आजकल उनको टाफी दिखा कर कुछ लोग उनका अपहरण करके ले जाना चाहते हैं और पुलिस को इस विषय में जानकारी है या नहीं पर इसके लिए अधिक सचेत हो जाना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि पुलिस की डायरियों को देखते हैं तो पुलिस का स्वरूप और वास्तविक स्थिति क्या है यह उससे ही प्रतिबिम्बित होता है। सांगानेर में बिजली की चोरी का मामला पिछले दिनों पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया। विधान सभा में भी इसकी चर्चा हुयी पर आज तक पुलिस ने क्या किया यह पता नहीं पुलिस अगर अखबारों में देती कि उस पर पुलिस क्या एक्शन ले रही है तो इस तरह के थैफ्ट क्राइम घटेंगे, ऐसी मेरी निश्चित मान्यता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया औरत रहती है 75 साल की मंगली वहां पर आदर्श नगर थाना लगता है उसको पिछले दो सालों से पड़ौसी लोग परेशान कर रहे हैं बराबर पुलिस आती है और जिन सिपाही लोगों के ट्रांसफर हो गए हैं उस पुलिस थाने से वह भी आकर के जिन लोगों की शिकायत है उस महिला के विरुद्ध उसके घर पर प्रायः जाकर खाना खाते रहते हैं यह शिकायत करने वालों के लिए डेफिनेटली डिमोरलाइजेशन का और लोगों को आतंकित करने की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस चोरी करवाती है जैसा कि अभी मोदी साहब ने कहा। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ है पुलिस चोरी करवाती है उनकी जानकारी में है कि चोर कौन है अगर उनकी जानकारी में नहीं है तो वह कैसे कह सकते हैं कि कम्प्रोमाइज करलो और हम सारा का सारा माल वापस दिला देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पब्लिक की पुलिस संरक्षक होती है परन्तु पुलिस के पब्लिक रिलेशन कैसे हों यह आज के दिन हम सबको केवल महसूस करने का विषय है। विधान सभा में सब सदस्य लोग, यहां तक कि सरकार भी सी.आई.डी. और सी.बी.आई., जो अपने केसेज हैंड ओवर करना चाहती है और करने में और अधिक प्रवृत्त होती जा रही है। इसी तरह की जो पुलिस के बारे में ओपिनियन बन गयी है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती हैं और अगर कर सकती है तो अत्याचार ही कर सकती हैं, आतंकित ही कर सकती है। इस पुलिस को भी शिकायत है कि जनता कोआपरेट नहीं करती है, कोआपरेट कैसे करे पुलिस उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है प्रोटेक्शन देने में सक्षम भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। जो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है तो रोज कोर्ट में हैरसमेंट के लिए कौन जाएगा? इसलिये पब्लिक इन्वाल्वमेंट होना चाहिये और नहीं होता है उसके लिए भी पुलिस स्वयं ही डेफिनेटली इन्स्ट्रूमेंटल है कि लोग इसको कोआपरेट नहीं करते हैं। जहां तक पुलिस के व्यवहार का प्रश्न है कुछ शब्दों में कहा जाए तो क्रूड है और अन हैल्पिंग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी जसा माननीय ए.एल. मुल्ला साहब ने कहा कि पुलिस अपराधियों का एक संग-

(श्रीमती विद्या पाठक)

ठित गिरोह है आज के दिन यह बिलकुल फैक्चुअल स्टेटमेंट है प्रश्न है यह क्यों होता है ?

श्री अध्यक्ष : इसको तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह तो विचारक थे उनका अपना अनुभव था और आज अपना भी यही अनुभव है माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों होता है। इसमें पैसा और हैरेसमेंट अपना पार्ट प्ले करता है पुलिस की यह प्रवृत्ति है कि लोगों को पकड़ कर छोड़ देना, गलत लोगों को पकड़ कर छोड़ देना और जिसको चाहा उसको पकड़ना फिर तफतीश करना यह बहुत बड़ा हैरेसमेंट है। और इस संबंध में निजी स्वार्थ बहुत बड़ा पार्ट अनरिटन है। जहां तक पुलिस रूल्स का सवाल है अधिकतर पुलिस रूल्स अनरिटन हैं लिखित कम हैं इसलिये डिसक्रिमिनेशन की गुंजाइश है और व्यक्तिगत प्रवृत्ति और जो आफिसर उनको आर्डर देता है उसकी प्रवृत्ति वह स्वयं में एक बहुत बड़ा इम्पार्टेन्ट पार्ट प्ले करती है। पुलिस लोगों को रुचि लेकर जानकारी नहीं देती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरों में रहते हुये खुद सफर करते हैं लेकिन जहां तक ग्रामीण लोगों का सवाल है वे क्या करते हैं उनकी क्या हालत होती होगी रोते बिलखते जाते हैं पुलिस स्टेशन में कि मेरा लड़का कहां है पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी होते हुए भी वह समुचित सूचना नहीं देता है इसमें भी उसका अपना इन्ट्रेस्ट होता है कुछ पैसे का होता है। पॉलिटिकली इन्ट्रप्शन पुलिस में बहुत है इसलिए भी पुलिस के पब्लिक रिलेशन बहुत खराब है। लेक आफ पब्लिक एजूकेशन है, लोगों को पुलिस व्यवस्था, प्रणाली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्लोज निट डोर है जिसमें हम बाहर के लोगों को कोई पेनीट्रेट नहीं कर सकते हैं पुलिस के रूल्स अनरिटन हैं और अनसेड हैं।...ग्रामीण की तो बात ही छोड़िये। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पुलिस से जो जानकारी चाहते हैं नहीं दी जाती है। पुलिस के पब्लिक रिलेशन्स अच्छे हों बहुत जरूरी है। जो घबराये हुए लोग पुलिस में जाते हैं उनको कुछ जानकारी दें गाइडेंस दें यह भी बहुत जरूरी है, पुलिस सर्विस के लिए गाइड करें मदद दें, उचित सूचना दें ताकि घरवालों को उससे राहत मिले। कम्युनिकेशन पुलिस और जनता में जो है वह सबसे बड़ा कारण है, मिस अण्डरस्टेंडिंग का और इन कोआर्डिनेशन एक्शन का पुलिस अपनी इमेज को सुधारे और आप इसके बिहेवियर के बारे में एक सैल बनाए जो इस पर रिसर्च करे, सलाह दे, समय समय से....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप कृपया अपनी बारी में ही बोलेंगे मैं सोचती हूं कि माननीय अध्यक्ष, भी यही कहेंगे। एक रिसर्च शैल बनाया जाये जो कि पुलिस का व्यवहार और ह्यूमन बिहेवियर जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है उस पर विचार करके पुलिस को समय-समय पर सलाह दे जिससे कि पुलिस के पब्लिक रिलेशन समय-समय पर सही रह सकें। यह आइटम उनकी ए. सी. आर. से जुड़ा हुआ होना चाहिये

(श्रीमती विद्या पाठक)

ताकि प्रमोशन से जुड़ा हुआ हो। इसके लिए एक सिटीजन्स कमेटी बनाई जाये जिसमें पोलिटिकल, नोनपालिटिकल और जाने-माने लोग हों उससे कि पुलिस को भी मदद मिलेगी। पोलिटिकली इन्टरव्शन को समाप्त होना चाहिये। पुलिस मामलों में पब्लिक एजूकेशन का होना भी बहुत जरूरी है। पुलिस का जो केजुअल एटीट्यूड है वह उचित नहीं है। अकाउंटेबिलिटी है इसको बढ़ाना चाहिये और रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स होने के लिये नियम बनाने चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में एक वाकया हुआ इहमी कला पंचायत में किसी आदमी ने दूसरे आदमी की चोरी से जमीन बेच दी। वह पुलिस में गया कि यह फोर्जरी का केस है इसकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उसकी रिपोर्ट एक सप्ताह तक दर्ज ही नहीं की गई। जब मैंने उच्च अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यह फोर्जरी का मामला है, पुलिस का मामला नहीं है। पुलिस का काम नहीं है, अध्यक्ष महोदय, तो फिर किसका है? क्यों नहीं उनको शिकायत एन्टर करनी चाहिये? जब मेरे को यह बात कही गयी तो आम ग्रामीण जनता के साथ क्या होता होगा, यह एक विचारणीय विषय है। इसी तरह से जमीनों और दुकानों के एन्क्रोचमेंट के मामले भी सिर्फ कमाई के लिए उठाये जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हरेसमेंट होता है। जहां तक एफ.आई.आर. का प्रश्न है, जैसी कि आज बहुत चर्चा हुई, घबराया हुआ व्यक्ति थाने में जाता है तो पुलिस थाने में कांस्टेबल के पास, वहां का वातावरण देख कर वह और घबरा जाता है। पुलिस एफ. आई. आर. रजिस्टर नहीं करना चाहती। अगर कोई डेमेज हुआ है तो उसके पूरे फैक्ट्स लिखना नहीं चाहती। क्यों? रिकवरी न होना भी पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्चर है, इसलिए नुकसान की एफ. आई. आर. लिखते ही नहीं। लिखने वाले अधिकारी अनएजुकेटेड होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, उनको नियमों की और फैक्ट्स की पूरी जानकारी नहीं होती इसलिए भी पूरी कम्प्रेहेंसिव एफ. आई. आर. लिखते नहीं। उसकी वजह से आगे समुचित तथ्यों के अभाव में अदालत में केसेज वीक हो जाते हैं और कोर्ट में हारने के चांसेज रहते हैं। यह भी होता है, माननीय अध्यक्ष, बहुत समय के बाद एफ. आई. आर. लिखी जाती है, इसलिए कुकिंग का मार्जिन भी पूरा रहता है। एफ. आई. आर. अपने प्रभाव के अनुसार दर्ज करे इसकी गुंजाइश मिल जाती है। एफ. आई. आर. की नकल दी जानी चाहिये, जो अवसर नही दी जाती और पूरे फैक्ट्स जो दिये जाने चाहिए वह भी नहीं दिये जाते।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, तफतीश एक बहुत बड़ी प्रोब्लम है। व्हिकल्स की कमी की वजह से, जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा, व्हिकल्स की व्यवस्था की जाय। यह उन्हीं ग्रामीणों से कहा जाता है, कि मौके पर जायेंगे, व्हिकल अरेन्ज करिये, जांच के लिए व्हिकल्स अरेंज करिये, इसके बाद खाना और एण्टरटेनमेंट का पैसा दो और वह भी दे दिया जाता है तो उसके बाद भी मौके पर समय से नहीं पहुंचते।

श्री अध्यक्ष : इससे झगड़े कम होते हैं, पुलिस का खर्चा भी इतना है। पार्टी यह सोचती है कि झगड़ना ...

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर इससे उनके अन्दर फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मौके का मुआयना समय पर नहीं कर पाने के कारण जो एक्चुअल एविडेंस होती है उनको गांव वाले मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए proper presention of facts भी नहीं हो सकता है। गांव में जाते हैं सही गवाहों की बजाय दूसरों के बयान लेकर आ जाते हैं और अपने अनुसार केसेज को कर लेते हैं, केसेज को डिले करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केसेज कोर्ट में देर से पुट अप होते हैं, जिससे बहुत हरेसमेंट व अन्याय होता है। यह बात सही है कि पुलिस वालों की अपनी कुछ कमियां हैं तो उनकी अपनी कुछ डिफिकल्टीज भी हैं। उनमें सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो ग्रामीणों से मांगी जाती है."

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है, माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, पौन घंटे, आधा घंटे और 15 मिनट में डिफ्रेन्शियेट तो करना पड़ेगा। मैं तो इसलिए बहुत कम बोलती हूं। आप मुझे कुछ समय और देने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां गांव वालों से जीपें वगैरह मांगी जाती हैं। आपने दिल्ली के पानी वाला केस अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस की असली तस्वीर। किस तरह से गवाह बनाये जाते हैं। उससे मना करने पर उस रेकेट से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। पानी वाला केस जिस किसी ने पढ़ा है उससे इस बात को जाना जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में 75 वर्ष के एक बूढ़े जयनारायण पर रेप का चार्ज लगाया गया और लोगों ने, गांव वालों ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया तो 200 लोगों पर एक साथ ब्लेंकेट एफ. आई. आर. दर्ज कर दी गई। Not by name. इस तरह से पुलिस जब भी जिन लोगों को हरेश या कमाई करना चाहती है, बुला लेती है। यह एक गलत प्रवृत्ति है। पुलिस में नियम ओब्सोलीट हैं। Uncomprehensive rules है केसेज दर्ज करते हैं तो धारायें बदल देते हैं। कभी-कभी किसी अधिकारी को नियमों की जानकारी भी पूरी नहीं होती है। दूसरों को भी ठीक से नहीं देते हैं। इसी तरह से क्लोज फालो अप, और डायरीज का रेगुलरली चैक अप By Senior Police Officer प्रीवेन्टली होना चाहिये।

इसी प्रकार से माननीय सदस्यों ने भी जैसा कि कहा वैज्ञानिक युग में विज्ञान के साथ-साथ चोरी की टेक्निक बदल गई है। फास्ट गाड़ियों में चोर भागते हैं आगे-आगे लेकिन आज भी पुलिस को ऊंटों से चेज करने जाना पड़ता है उन चोरों के। यह कैसे होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर सरकार को बहुत सोबरली सीरियसली विचार करना पड़ेगा। उनको थानों में व्हिकल्स प्रोवोइड किये जाने चाहिए। इसी तरह से अपराधी अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं उनमें से बहुत से बचाये भी जा सकते हैं। जब एफ. आई. आर. दर्ज की जाय, बेहतर होगा उसी वक्त मेडिकल करवा लिया जाय, ताकि यह तो न हो कि "यह कभी टी. बी. का पेशन्ट रहा है"। "उसको हार्ट अटेक भी हो सकता है" और उसको इन बहानों

184

(श्रीमती विद्या पाठक)

से बचाया जा सकता है। इसी तरह से प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को ट्रेण्ड एवं स्ट्रेन्दन करने की जरूरत है। जहां तक इन्वेस्टीगेशन का सवाल है, इसकी टाइम लिमिट प्रेस्काइब्ड होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिये। कोर्ट में पेश करने की भी अवधि निश्चित होनी चाहिए। जमानत हर एक अपराधी की हो जाती है। इस बात पर नियमों के सन्दर्भ में सरकार को पुनः विचार करना चाहिये। जमानत के नियम कुछ स्ट्रिक्ट किये जायं। थाने में रात रात भर बिठाये रखते हैं, जिनके केसेज एक एक महीने पुराने हैं, गवाह के नाम पर बुलाकर सारी रात उनको थाने में बैठाये रखते हैं। इस तरह से उनको बिना सजा के ही सजा मिल जाती है। यह अपने आप में इनह्यूमन बात है जिसको हाइएस्ट सजा भुगतनी चाहिये। उनका हाइएस्ट एक्विटल होता है, यह पुलिस की इनएफिशियेन्सी का द्योतक है। इस पर पुलिस अधिकारी और सरकार विचार करेगी, मुझे पूरी आशा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन्टेलिजेन्स, सी. आई.डी., फारेन्सिक लेबोरेटरी, ये इन्वेस्टीगेशन के जो मेथड है यह सब क्वालिफाइड पर्सन्स के द्वारा ही किये जाने चाहिए। किसी रेस्पान्सिबल पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए। पापुलेशन बढ़ गई है, गुण्डे कौन हैं इसका आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें लोगों की मदद ली जा सकती है सिटीजन कमेटी की मदद ली जा सकती है। महिला पुलिस को स्ट्रेंदन किया जाना चाहिये। पुलिस वालों को फ्रीक्वेन्टली आने जाने के लिए जीप गाड़ियां दी जानी चाहिए, उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होने पाये, उनको उचित ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनके पास पूरे इन्स्ट्रूमेंट होने चाहिये। उनसे बेगार लेना बन्द किया जाय। रिक्रूटमेंट के लिए आवश्यक व उचित एजूकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्काइब होनी चाहिये जिससे वह जो कुछ करें, इम्पलीमेंटेशन सोच समझ कर करें, यह बहुत जरूरी है। जरूरत हो तो बाहर भी ट्रेनिंग के लिये उनको भेजा जाय। उनका एटीट्यूट टेस्ट होना चाहिए, इन्टेलिजेन्स टेस्ट हो, आई. क्यू. टेस्ट आदि फ्रीक्वेन्टली टेस्ट कराये जायं। प्रोसीक्यूटिंग एजेन्सी को अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये। उनमें सूटेबल मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस होनी चाहिये। मेथोडोलाजी पर जोर देना चाहिये। पुलिस अधिकारी को माइन्यूटली सोच विचार कर काम करना चाहिए। उनको सुविधायें उचित व आवश्यक दी ही जानी चाहिए, उनको कुण्ठायें न रहें, जिससे उनको घर वालों की नितांत आवश्यकताओं की चिन्ता न रहे। उनके लिए रिक्रिएशन व प्ले गाउंड आदि की व्यवस्था होनी चाहिए तभी पुलिस वाले नार्मल रह सकते हैं वरना एब्नार्मल ही रहेंगे। इसी तरह से उनके प्रमोशन एवेन्यूज बढ़ाये जाने चाहिए नहीं तो उनमें फ्रस्ट्रेशन होता है। पुलिस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है एक पार्लियामेंट में रखी गई है उस पर अमल होना चाहिए। यद्यपि यह विषय यहां पर नहीं उठाया जा सकता है लेकिन मन्त्री महोदय, निश्चित रूप से केन्द्र को अपनी राय भेजेंगे क्योंकि इस पर बहुत से विचार पुलिस अकाउन्टेबिलिटी पर मिल सकेंगे। वर्बल आर्डर देना बन्द होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक इन्टरफियरेंस बन्द होना चाहिए। हास्पिटल के पास पुलिस स्टेशन होने चाहिए

(श्रीमती विद्या पाठक)

ताकि रात-रात ग्रामीण मुर्दे पड़े रहते हैं उनको रिलीज किया जा सके।

पुलिस वालों की काउन्टेब्लिटी और आन्सरेब्लिटी कोर्ट के प्रति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा बार बार पुलिस और आर्मी का कन्फ्रंटेशन करवाना यह अच्छी बात नहीं इस विषय में विचार किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस की सबसे बड़ी शिकायत है। यहां तक कि पुलिस विभाग वाले खुद भी शिकायत करते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत है, क्या सरकार इस बात पर विचार नहीं कर सकती कि जिस तरह जापान में एक इंडपेंडेंट नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है जिसमें वहां के एकडेमीशन्स इम्पार्टेंट योग्य नागरिक पालिटिकली ऑफ कोर्स मगर इस तरह के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वे इस कमीशन में होते हैं, पालिसी गाइडेंस स्टेट द्वारा दिया जाता है मगर डे–टु–डे ट्रांसफर, वर्किंग एण्ड प्रमोशन्स में इंटरफियरेंस नहीं होता, इस विषय पर सरकार विचार करे तो मैं समझती हूं यह अच्छा ही होगा।

एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। मुझे भी कुछ आर०जे०एस० के लोगों ने अपनी शिकायत की और असंतोष व्यक्त किया था। उनका कहना था उनकी पे स्केल्स उनके सिस्टर सर्विसेज के बराबर नहीं, न प्रमोशन्स हैं न पे स्केल्स हैं। इसी तरह न स्टेनो, कन्वेयंस, लाइब्रेरी और हाउसिंग की भी व्यवस्था नहीं है जिसका होना जरूरी है इसलिए मैं सोचती हूं कि अगर हमको एफिशियेंसी चाहिए तो एक मानवीय दृष्टिकोण से बहुत सीरियसली इस बारे में विचार करना पड़ेगा व आवश्यक सुविधा देनी होगी सरकार को ज्यादा रेसपांसिव होना पड़ेगा। यह अच्छा है, अधिकारी अलग अलग विभागों के यहां होते हैं। काम भी उन्हीं को करना है। मगर मंत्री महोदय भी यहां हो तो वास्तव में पूरे राजस्थान की जनता क्या चाहती है, क्या विचार है उसका यह विचार भी उनको मिल सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सूर्यकुमार।

श्री सूर्य कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिन विभागों से संबंधित मांगों···

श्री अध्यक्ष : आज समय कागजों की तैयारी के हिसाब से दिया जा रहा है। सिर्फ माननीय सदस्य के पास पत्रावलियां कितनी हैं उसी हिसाब से टाइम दूंगा। उनके पास काफी तैयारी थी इसलिए ज्यादा समय दिया। थोड़े में कोई बाधा नहीं, ज्यादा में बाधा है, ज्यादा से ज्यादा कागज होने चाहिए उनके पास।

श्री सूर्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज जिन विभागों से संबंधित मांगों के कटौती प्रस्तावों पर यह सदन विचार कर रहा है, मेरी नजर में····

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस विभाग को कांग्रेचुलेट करना चाहती हूं। यही एक विभाग है जिसने कहा है कि 1980–81 में जो सेंटर से पैसा मिला है पुलिस के हाउसेज और व्हिकिल्स के लिए वह पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाएगा,

(श्रीमती विद्या पाठक)

हो सकता है लैप्स हो। सिर्फ इसी विभाग ने इस तरह से स्वीकार किया है बाकी ने तो कहा है कि लैप्स नहीं, यूटिलाइज कर डालो व लास्ट मिनट क्रेश खरीददारी कर लेते हैं।

श्री सूर्य कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि मेरी नजर में आज जिन विभागों से संबंधित मांगों के कटौती प्रस्तावों पर विचार हो रहा है उन विभागों की गतिविधियां अन्य सभी विभागों से ज्यादा हैं। जब मैं यह निवेदन करता हूं कि सबसे ज्यादा हैं तो जैसे सचिवालय और जिला प्रशासन, ये वे विभाग हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि जिस बजट पर आज हम विचार कर रहे हैं उसका आधार तैयार करने वाले ये विभाग हैं। जिन नीतियों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है उन नीतियों के निर्धारण के आधार तैयार करने वाले सचिवालय और जिला प्रशासन हैं अगर मैं यह कहूं कि जिस नीति का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है और जिस पार्टी की सरकार अपने घोषणा पत्र के आधार पर सत्ता में आती है उसकी क्रियान्विति का अगर जिम्मा किसी पर है तो वह भी मुख्य रूप से सचिवालय और जिला प्रशासन पर है। यह भी निर्विवाद है कि इन दोनों ही विभागों पर बजट का काफी बड़ा हिस्सा खर्च किया जाता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात पर है कि जिस मौलिक प्रश्न पर देश और राजस्थान के प्रशासन और मंत्रिमंडल को सोचना चाहिए था उस बात को हम बारंबार टालते रहते हैं और पता नहीं हम कब तक उसको टालते रहेंगे। प्रश्न यह है कि जब सारी नीतियों के निर्धारण के आधार यह तैयार करते हैं, सारी नीतियों की क्रियान्विति की सफलता और असफलता, सरकार की सफलता और असफलता केवल इन्हीं पर निर्भर करती है तो फिर क्या कारण है कि हम कमिटेड सर्विसेज की बात को क्यों नहीं मंजूर करना चाहते हैं और सर्विसेज कमिटेड होनी चाहिए, इस बात की व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहते? अगर नहीं करते हैं तो जितने भी दुविधायें हैं, जितनी भी आलोचनायें और जितनी भी जटिलतायें हैं चाहे समाज की हम जटिलतायें लें चाहे कानून की जटिलतायें लें किसी भी प्रकार की जटिलतायें लें तो उनका मूल कारण यह है कि हम सर्विसेज को कमिटेड करने की बात मूल रूप से नहीं सोच रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमने अब तक नहीं सोचा है तो अब हम इस बात को सोचें कि जिन सर्विसेज पर यह सारा सरकारी प्रशासन निर्भर करता है, उसको हम कमिटेड करने की बात करें। अगर कमिटेड करने की बात मैं करता हूं तो मेरा मतलब यह नहीं है कि जिस पार्टी की सरकार है उसकी पार्टी की जो पॉलिटिकल आइडोलॉजी है उसके प्रति ये सर्विसेज कमिटेड हों। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे डेमोक्रेसी, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, जैसे सेक्यूलेरिज्म है इस पर कोई विवाद नहीं हो सकता, जैसे प्लान्ड डवलपमेंट इसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता जैसे, लॉ एण्ड आर्डर का मेन्टेनन्स है इसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता, तो क्या कोई हम ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते कि हमारी सर्विसेज इन सब प्रिन्सिपल्स के लिए,

(श्री सूर्य कुमार)

इन सब उद्देश्यों के लिए कमिटेड हो? तो मेरा निवेदन करना यह है सबसे पहले तो सर्विसेज को कमिटेड करने की दिशा में महत्वपूर्ण बात सोचें।

पुलिस का जहां तक प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बातें की जाती हैं, भ्रष्टाचार समाज के कौन से अंग में व्याप्त नहीं है? भ्रष्टाचार समाज के हर अंग में व्याप्त है। और अगर हम सोचते हैं तो मुझे दुष्यंत की दो पंक्तियां याद आती हैं:

"सर में सीने में कभी पेट से, पावों में कभी।
कोई एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है।"

समाज के सारे अंग आज करप्शन के इस दर्द से, इस बीमारी से पीड़ित हैं इसलिए जब पुलिस पर इस बात को कहें तो वह मैं समझता हूं एक अतिशयोक्ति होगी और पुलिस प्रशासन के साथ में न्याय नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस विभाग, पुलिस प्रशासन वह सड़क है जिससे हम कानून और व्यवस्था की मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर बिछा है कीचड़ इतना कि हर पांव घुटनों तक सना है। पुलिस के प्रशासन के बारे में सोचते वक्त हमें तीन बातों का ओर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, भागलपुर में जो कुछ हुआ उसने एक प्रश्न चिन्ह आधुनिक इतिहास के सामने खड़ा किया है, वह हमारे सामने होनी चाहिए। दूसरी, जो आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों में हिंसा एकदम से कैसे भड़क जाती है और किस प्रकार से पुलिस की जिम्मेदारी उस समय पैदा हो जाती है इस संबंध में भी हमें सोचना पड़ेगा। तीसरी बात, जिस पर हमें बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा और जो न्याय प्रशासन से भी संबंधित है वह यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति अपराधियों के साथ में किसी प्रकार का रहम करना नहीं जानती है. मुझे याद है और आप सब को याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वह जिसके बारे में कहा जाता है कि जो चोरी करता था उसका हाथ काट दिया जाता था। जो कोई और दूसरा जबर्दस्त अपराध करता था तो उसे दरवाजे पर लटका दिया जाता था। यह एक प्रकार की विचारधारा, जब तक इस प्रकार का एक खयाल हिंदुस्तान के जनमत में कायम है। तो तीनों बातों को मिला जुला कर हम सोचेंगे नहीं, उनका समन्वय नहीं करेंगे, उनका सम्मिश्रण ठीक ढंग से नहीं करेंगे तब तक हम पुलिस प्रशासन के बारे में चाहे कितने ही सुझाव देते रहें, चाहे भ्रष्टाचार के बारे में बातें करते रहें इसका नतीजा निकलने वाला नहीं है।

आप देखेंगे, अध्यक्ष महोदय, जिस पुलिस के लिए इतनी आलोचना की जाती है, जनता में किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं होती है भागलपुर में पुलिस के समर्थन में वहां की सारी जनता उमड़ आई। क्या कारण था? कारण यही था कि चंद्रगुप्त मौर्य की एक छाप, प्रशासन की एक छाप जनमत पर जमी हुई है अपराधियों को जिस प्रकार से चाहती है जनता उस प्रकार की सजा मिले, अपराधी बिना सजा के नहीं निकल जाय, वह एक भावना उनके पीछे काम करती है। तो इन सारी बातों को सोचने के बाद में हम पुलिस प्रशासन को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं. उनके एटीट्यूड को किस प्रकार से ठीक कर सकते

(188)

(श्री सूर्य कुमार)

हैं इसके साथ साथ जनता का एटीट्यूड है, पुलिस प्रशासन के प्रति इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, किस प्रकार से हम आंदोलनों को प्रजातांत्रिक ढंग से अहिंसक बनाये रख सकते हैं इन बातों पर मिला जुला हमें विचार करना पड़ेगा।

जहां तक न्याय प्रशासन की बात है, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर मूल रूप से एक बात श्रीमन् के सामने खड़ी करना चाहूंगा और वह यह कि न्याय प्रशासन जो हम कर रहे हैं, जो हमारे हिन्दुस्तान में चल रहा है वह हमें अंग्रेजों का दिया हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों की संस्कृति और हमारी संस्कृति में एक मौलिक अन्तर है और वह मौलिक अन्तर यह है कि अंग्रेजों ने जिस न्याय प्रशासन को हमें दिया उसमें यह कहा कि अपराधी बेकसूर है और जो हमारी संस्कृति ने दिया उसमें है कि अपराधी अपराधी है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि जो पुरानी प्रणाली है, पंचायतों में फैसला देना, पंचायतों से सजा देना हाथों हाथ उसकी सुनवाई करना, हाथों हाथ गवाही लेना, वहीं के वहीं उसको सजा देना, जो सजा हो जाय उसकी क्रियान्विति हाथों हाथ हो जाना। यह हमारी भारतीय परम्परा है. लेकिन उस भारतीय परम्परा को अब तक हम पकड़ नहीं पा रहे हैं पता नहीं कौनसी विवशता हम लोगों के सामने, है कि आजादी के इतने साल बाद भी हम भारतीय परम्परा को पकड़ नहीं पा रहे हैं इसको छू नहीं पा रहे हैं और हम बदस्तूर उसको टालते आ रहे हैं ऐसा एडल्टरेशन, ऐसे उन परम्पराओं और मान्यताओं के एडल्टरेशन के शिकार होते जा रहे हैं कि हम न लोगों को सस्ता न्याय दे रहे हैं न हम लोगों की भावनाओं के साथ न्याय कर पा रहे हैं न हमारी संस्कृति के साथ न्याय कर पा रहे हैं मैं इस सम्बन्ध में हमारे न्याय मंत्री महोदय जी का इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिसका प्रयोग इमरजैंसी के वक्त किया था, कैम्प कोर्ट का जो प्रयोग किया गया था, अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को ध्यान होगा कोटा के पास गोपालपुरा में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय आये थे उन्होंने वहां पर एक कैम्प कोर्ट होल्ड किया था कैम्प होल्ड करने के बाद में जो उसके नतीजे उनके सामने आये थे उनके आधार पर उन्होंने कहा था कि कैम्प कोर्ट निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में जो लिटिगेशन बढ़ रहा है उसको भी कम करेंगे और पेंडिंग जो लिटिगेशन हैं उनको भी जल्दी से जल्दी डिस्पोज आफ करने में भी हम को मदद करेंगे। कैम्प कोर्ट को जितना जल्दी हम शुरू कर सकें उतना जल्दी हमें शुरू करना चाहिये। लोग झूठी शहादत देते हैं वह झूठी शहादत गांव के सामने देना नहीं चाहेंगे और इस प्रकार जो अदालतों में लोग बन्द कमरे में शहादतें दे देते हैं मगर ओपन में नहीं दे सकेंगे। काफी केसेज जो शहादतों के अभाव में पेंडिंग हो जाते हैं वह पेंडिंग नहीं होंगे और कई केसेज के फैसले हो जायेंगे। हमारी काफी समस्या का समाधान हो जायेगा। आज कई बार पुलिस यह कह कर बात खतम कर देती है कि हमारे पास ज्यादा स्टाफ नहीं है और इससे दो बातें होंगी-एक तो जो झूठी शहादत देने के आदी होते हैं लोग झूठी शहादत नहीं दे पायेंगे क्योंकि एक तो अदालत के बन्द कमरे में शहादत देना और एक पूरे गांव के सामने उस घटना के बारे में शहादत देना, जो उस

(श्री सूर्य कुमार)

गांव में हुई है या उस क्षेत्र में हुई है उसके सामने शहादत देना, इसमें निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। तो झूठ बोलने की आदत खतम होगी, शहादत वहां के वहां होगी, शहादत नहीं आने के आधार पर मुकदमे न जाने कितने अर्से तक पेंडिंग रहते हैं उनका फैसला नहीं हो पाता है, तारीख पर तारीख पलटती रहती है उस समस्या का भी समाधान हो जायगा, पुलिस जो एक शिकायत करती है, उनके पास में स्टाफ नहीं होता है, किस प्रकार से गवाहों को सम्मन की तामील करायें किस प्रकार से गवाहों को बुलायें, एक बार उनके सम्मन की तामील हो जाती है, नहीं आते हैं तो वारण्ट जारी किये जाते हैं। वह सारी दुविधाओं से हम बच जायेंगे अगर हम कैम्प कोर्ट की व्यवस्था जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं उतनी जल्दी से जल्दी शुरू कर दें।

इसी के साथ मैंने जो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं इन विभागों से सम्बन्धित, मैं उन पर भी अपनी बात, श्रीमन्, निवेदन कर देना चाहता हूं। मैंने पुलिस विभाग के सम्बन्ध में यह निवेदन किया है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक करवर नामक स्थान है वहां पुलिस चौकी है। जो करवर स्थान है वह एक तरफ कोटा जिले से मिलता है, एक तरफ टौंक जिले से मिलता है. एक तरफ सवाई माधोपुर जिले से मिलता है, उसके बारे में विचारधीन है प्रस्ताव, उस पुलिस आउट पोस्ट को रेज करके वहां पर पुलिस स्टेशन बना दिया जाय, यह पिछले दो साल से विचारधीन है। मैं निवेदन करूंगा कि उस विचार को एक निर्णय कि शक्ल दी जाय और पुलिस आउट पोस्ट को रेज करके एक पुलिस स्टेशन के रूप में क्रमोन्नत किया जाय ताकि नये पुलिस स्टेशन के पास में बूंदी जिले के सबसे ज्यादा गांव हैं उन गांवों की संख्या कम हो सके और पुलिस प्रशासन अधिक संख्या इफेक्टिव ढंग से वहां पर लॉ एण्ड आर्डर को मेन्टेन कर सके। जो करवर पुलिस चौकी है उसको समीधी में स्थापित किया जाय। ठीक इसी प्रकार से पुलिस प्रशासन चोरियों को बरामद करने में असफल रहा है। अब तक उसके बारे में भी कोई ऐसा इफेक्टिव तरीका इवाल्व किया जाय कि जिससे चोरियों की बरामदगी और अपराधियों को पकड़ने के बारे में जल्दी से कार्यवाही हो सके।

न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में मैं अर्ज करूंगा कि चार तहसीलें बूंदी जिले में है। ज्यादातर जो कन्सन्ट्रेशन कोर्ट्स का हो रहा है वह केवल बूंदी ही में हो रहा हैं। हिण्डौली तहसील में एम.जे.एम. कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से से केशोरायपाटन क्षेत्र में एम.जे.एम. कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए नैनवा में काफी केसेज पेंडिंग हैं उन पेंडिंग केसेज की संख्या को देखते हुए एक एडीशनल एम.जे.एम. की कोर्ट की स्थापना नैनवा में होनी चाहिए–यह मेरी न्याय मंत्री जी से मांग है, ।

इन शब्दों के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 16 में पुलिस विभाग के बारे में

(श्री अमीन खां)

चर्चा करना चाहूंगा पुलिस समाज का महत्वपूर्ण रक्षा का और जान माल का विभाग है। इस विभाग के लिये जनता में कहीं-कहीं पर एक दूसरे से नफरत से देखने की बात करते हैं। लेकिन मेरे खयाल में पुलिस महकमा ही क्योंकि आज जितने भी महकमे हैं उन सभी को ईमानदार कहना किसी के वश की बात नहीं है। आज के युग में किसी इन्सान को ईमानदार कहना मुश्किल है। आजकल इन्सान अपनी करतूतों से बाहर चले जाते हैं और इसलिये मैं पुलिस विभाग में सुधार लाने हेतु कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

आज, अध्यक्ष महोदय, जो थानेदार का अपाइन्टमेंट होता है वह आर. पी. एस. सी. से होता है। और मेरे खयाल में गांव में चोरी डकैतियों वगैरह को कन्ट्रोल करना लोगों की जान माल की हिफाजत करना यह इन्तजाम करना सिपाही और हैड कान्स्टेबल का काम है देहात के अन्दर। जो भी काम करता है वह अधिकारी के द्वारा नहीं होता है बल्कि सिपाही के कारण होता है और वह वहां पर देहात में बड़ी मुसीबतों से गुजरता है और सारी व्यवस्था करने की कोशिश करता है देश में जनता की सेवा करता है और वह भी यह उम्मीद करता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं भी कभी अफसर बनूंगा। जब आप थानेदार का अपाइन्टमेंट ही पब्लिक सर्विस कमीशन से कर देते हैं तो बेचारे सिपाही और हैड कान्स्टेबल क्या सोचें, वह तो बेचारे आगे प्रमोशन के लिये महरूम हो जाते हैं इसलिये मेरा सरकार से और विशेष तौर से पुलिस के उच्च अधिकारियों से यह निवेदन है सुझाव के रूप में कि जो आई. पी. एस. और आर. पी. एस. के नीचे से अधिकारी हैं उनका अपाइन्टमेंट सब पब्लिक सर्विस कमीशन के दायरे से बाहर रहना चाहिये और इन लोगों को प्रमोशन देना चाहिये। इसके अन्दर जो देश की अच्छी सेवा करे, कोई रिमार्केबल काम करे ईमानदारी से और कड़ी मेहनत से अपनी ड्यूटी दे उनको मेरिट के बेसिस पर सिपाही और हैड कान्स्टेबल से ऊंचे ओहदे पर प्रमोशन करना चाहिये। इसलिये थानेदार स्तर के व्यक्ति को आप पब्लिक सर्विस कमीशन से ले रहे हैं वह भर्ती बन्द की जानी चाहिये नहीं तो सिपाही और हैड कान्स्टेबल में मायूसी फैलती है, इसलिए उन लोगों को बुलन्द रखने के लिये पुलिस विभाग में आप यह प्रणाली लागू करें। दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि मेरा चुनाव क्षेत्र एक ऐसी जगह है जो कि बार्डर एरिया है वहां पर हमने देखा है कि ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो कि बिलकुल ही नाकाबिल है। इस बात को पुलिस के बड़े से बड़े अधिकारी और मिनिस्टर साहब भी जानते हैं कि जो पुलिस के अन्दर कहीं पर भी काबिल नहीं हों उनको सी. आई. डी. में रखा जाता है और वह लोग बार्डर सी. आई. डी. में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से सी.आई. डी. जो है वह बहुत कीमती विभाग है जो कि सरकार को और बड़े अधिकारियों को हैड क्वाटर्स पर आई. जी. पी. को सही सूचना बार्डर की देते हैं और वहां जो भी एन्टी नेशनल एक्टीविटीज होती है उसकी इत्तला देते हैं और अपने महकमे की सबसे बड़ी खिदमत करता है। मैंने देखा है कि जब भी इसके बारे में कुछ कहा जाता है तो यह कहा जाता है कि वहां पर फलां आदमी

(श्री अमीन खां)

को सी. आई. डी. में इसलिये रखा गया है कि वह अधिकारी पुलिस थाने में काम करने के काबिल नहीं है वह तो पुलिस थाने में एफ. आई. आर. लिखने के काबिल नहीं और अगर लिखता है तो उलटा कभी मुल्जिम बन सकता है। तो जब आप यह जानते हैं कि ऐसा आदमी है जो कि थाने में रखने के काबिल नहीं और एफ. आई. आर. लिखना नहीं जानता है और अगर आपको यह भय है कि वह एफ. आई. आर. लिखने में भी मुल्जिम बन सकता है तो आप ऐसे निकम्मे और बेवकूफ आदमी को बार्डर इन्टेलीजेन्स में क्यों लगाते हैं उससे क्या फायदा देश का होने वाला है? बार्डर इन्टेलीजेंस देश का एक महत्वपूर्ण अंग है देश की रक्षा का सवाल है। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि कहते हैं कि सबूत पेश करो अभी कुछ समय पहले बाड़मेर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं अगर आप जांच करेंगे तो पता लग जायगा, ने एक थानेदार के हाथ में कार में से बायतू के पास स्मगलिंग का सामान ले जाते हुए देखा। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी कार वापस लौटायी और उस थानेदार को पकड़वाया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और सब इंस्पेक्टर को सस्पेन्ड भी करवाया इसके बाद उस कलेक्टर ने उसके खिलाफ शहादत भी दी थी पर बाद में वह एस. आई. बहाल कर दिया गया। उस कलेक्टर ने तो उसको अपने जिले से बाहर लगवाया था पर उस कलेक्टर का नाक नीचा करने के लिये वापस उस थानेदार को उसी जिले में लगाया गया।

एक माननीय सदस्य : शेम।

श्री अमीन खां : यह भी आपके जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वही थानेदार जोधपुर में कोतवाली थाने में पाकिस्तानी माल के बरामदगी में पकड़ा गया था, पर चूंकि वह एक एडीशनल एस. पी. का सगा साला है इसलिये उस सगे बहनोई ने अपने रिश्तेदार को कोतवाली के थाने से छुड़वाया और एफ. आई. आर. दूसरी नाम की दर्ज करायी गयी और उसको वहां से छुड़वाया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक केस है हमारे बाड़मेर निवासी का जो कि पुलिस महकमे में ऐसा सुना है कि बहुत बड़े ईमानदार आदमी हैं। मैं इसके बारे में बताऊं कि पुलिस महकमे में बाड़मेर का निवासी है जिसकी जोधपुर तहसील ओसियां में 524 बीघा जमीन है और बाड़मेर जिले की तहसील शिव में 631 बीघा जमीन है। उसकी जमीन सीलिंग में नहीं आई है। तीन भाइयों के हिस्से में है और जब सन् 78 में गिराव गांव में भूमि अलाटमेन्ट की तो उसके भतीजे को अलाट हुई, उसका सगा बेटा जो पुलिस में थानेदार है उसके नाम से भी जमीन सीलिंग की अलाट हुई और उसके सगे भाई के नाम से भी अलाट हुई। उसका एक और सगा बेटा वकील है उसके नाम से भी जमीन अलाट हुई और वहां के भूमिहीनों को और गरीबों को नहीं हुई। इसलिए पुलिस में जो इस तरह के आफिसर्स सीलिंग की जमीन बचा सकते हैं अपने हक में और जो तस्करी करते हैं उनको उसी जगह पर वापस लाया जा सकता है और हमें तो कहा जाता है कि तुम सिद्ध करो-हम तो मायूस हैं। होम डिपार्टमेंट से कहते हैं कि

(श्री अमीन खां)

जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शहादत पर सब इन्स्पेक्टर को सजा नहीं हो सकती है तो हम हमारी रिपोर्ट को दिल से कह सकते हैं कि कोई उसको नहीं मानेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि इस तरह से काम करने वाले को बार्डर एरिया में काम करने के लिए लगाते हैं तो वह बार्डर की झूठी खबरें देते हैं। वह तस्करी में लिप्त हैं। हमारी बात तो झूठी मान लेते हैं लेकिन कलेक्टर जैसा आदमी शहादत देता है और एफ. आई. आर. खुद करता है, जीप से माल बरामद करके देता है और फिर भी पुलिस का सब-इन्स्पेक्टर विभाग के अधिकारियों से मिल कर बच जाता है तो बड़े अफसोस की बात है।

इसी के मुतल्लिक मैं कहता हूं कि पुलिस में एक आई. पी. एस. आफिसर का 23-4-74 को जोधपुर से बीकानेर पोस्टिंग हुआ। उसने फर्जी ट्रक का किराया का 800 रुपये का बिल बना दिया और दरअसल वह अपनी कार से गया है और 30.4.74 को गया है, जिसने बीकानेर के बीच में मेड़ता के पैट्रोल पम्प पर पैट्रोल भराया। उसकी जांच हुई और ड्राइवर ने खुद ने गवाही दे दी, शहादत दे दी मगर उस पुलिस आफिसर का फर्जी बिल का भी भुगतान हो गया। जब आई. पी. एस. आफिसर्स की यह हालत है तो बेचारे थानेदार का, सिपाही का और सी. आई. का तो शिकायत करना ही बेकार है। सरकार को चाहिए कि यह जो मैं तथ्य कहता हूं यह सच हैं तो उस अफिसर को डिसमिस करके अदालत में चालान करा देना चाहिए जो कि फर्जी डाकूमेंट्स तैयार उसने करवाये। गरीब आदमी शिकायत करता है तो कुछ नहीं होता। वही की वही बात मैंने कही। तस्कर जो इन्टेलीजेन्स में रखे जाते हैं आपके यहां, दूसरे आने के लिए तैयार नहीं हैं। फौज को आप कैसे हुक्म देते हैं बेचारे मरने के लिए तैयार रहते हैं। यह राजस्थान पुलिस का जिस तरह से इन्तजाम है वह बार्डर एरिया में सन्तोषजनक नहीं है।

दूसरी, मेरी अर्ज है कि हिन्दुस्तान एक सेकूलर देश है और हकीकत में है और हिन्दुस्तान में सदा राजनीति नेहरू परिवार के हाथों में रही है। नेहरू परिवार के लिए हिन्दुस्तान में कोई नहीं कह सकता कि वह मजहबी खयाल रखने वाला है। हकीकत में सेकूलेरिज्म की सबसे बड़ी हिमायती हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी हैं और उनकी हिदायत भी है कि हम सब बराबर हैं। सुना है सर्कुलर भी निकला है लेकिन पुलिस विभाग में जहां तक समझता हूं जोधपुर डिवीजन में मैंने देखा है कि सिपाही तक भी अल्पसंख्यकों के भर्ती नहीं हुए हैं। इक्का दुक्का पुलिस आफिसर ऐसे भी आते हैं जो भर्ती कर लेते हैं तो वह कहते हैं कि इनको मत लो। अध्यक्ष महोदय, यह चीज और सोची जाय तो कुछ नहीं है। सिपाही में भर्ती नहीं किया तो कोई बात नहीं है लेकिन गहराई में और सोचा जाय तो यह मामला बहुत गम्भीर है। अभी जैसे एक भूतपूर्व एस. पी. बाड़मेर में थे उन्होंने दो सिपाही अल्पसंख्यक के भर्ती किये। यहां हैड क्वार्टर से टेलीफोन आया कि यह आप जुल्म कर रहे हो। उस एस. पी. ने जवाब दिया कि मैं कर रहा हूं वह कानून के अनुसार कर रहा हूं। जब भारत का राष्ट्रपति अल्पसंख्यक का हो सकता है तो सिपाही लेना कोई

(श्री अमीन खां)

गुनाह नहीं है। इस तरह के हमारे यहां आदमी हैं। इसलिए मैं माननीय गृह मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि पुलिस विभाग जो एक परिवार की तरह रहना चाहिये वह नहीं रहेगा। पुलिस पुलिस होनी चाहिए। पुलिस हर तबके का, हर गरीब से गरीब जातियों का, हर इलाके का, हर डिस्ट्रिक्ट का सामूहिक रूप हो तो पुलिस सेवा अच्छी दे सकती है और जनता के साथ मुहब्बत पैदा कर सकती है और एक ही परिवार के अधिकारी रहें, एक ही खानदान का स्टाफ रहे तो यह मुहब्बत जनता के साथ जो ताल्लुकात रखने वाले हैं यह और भी ज्यादा गहराई की खाई में जायगी।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे डिस्ट्रिक्ट बार्डर जैसलमेर और बाड़मेर हैं यहां तस्करियां भी होती हैं और यहां डकैत एरिया भी है। वहां हर तरह की गतिविधियां गरीब गांवों के किसानों के साथ, हरिजनों के साथ चोरियां भी होती रहती हैं। आजकल के जमाने में कुछ कम हैं। थाने का स्टाफ वही है जो मेरे खयाल में स्टेट के टाइम में था। उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कम से कम स्टाफ थानों में तो बढ़ाया जाय और हर थाने पर पुलिस को एक टेलीफोन देना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी पब्लिकमैन हो, जन प्रतिनिधि हो, चाहे गांव का साधारण आदमी हो, कम से कम पुलिस थाने को या पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट जो कि जिले में है उसको टेलीफोन द्वारा इत्तला कर सके ताकि चोरों का पीछा किया जा सके और चोर या तस्कर पकड़े जा सकें। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमारे उधर पुलिस स्टाफ को बढ़ाया जाना चाहिये। मेरे कटौती प्रस्ताव में भी मैंने यही कहा है कि बार्डर पर तो कम से कम से कम स्पेशल पुलिस की भर्ती की जाए और डकैतों के मामलों में रिटायर फौजी भी दिए जायं और हर जाति के आदमी को उसमें शुमार किया जाय तो पुलिस का ढांचा ज्यादा सन्तोषजनक रहेगा और समाज में अच्छी तरह अन्जाम दे सकेगा। इतना ही कह कर मेरी तरफ से पुलिस विभाग के बारे में तो इतना ही अर्ज करूंगा।

अब मैं विधि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बाड़मेर जिले का डिस्ट्रिक्ट जज का हैडक्वार्टर बालोतरा में है। दरअसल वह जोधपुर स्टेट के टाइम का हैडक्वार्टर है और जिस समय जालौर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट एरिया में मारवाड़ स्टेट ने हैडक्वार्टर बालोतरा रखा था, वह उस समय को देखते हुए ठीक रखा था, बेजा नहीं था। लेकिन आज जालौर में जिला अदालत का अलग इन्तजाम हो गया है। बालोतरा सब डिवीजन में 3 मजिस्ट्रेट हैं और बाड़मेर डिवीजन में 6 मजिस्ट्रेट हैं और बार्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के नाते से फारेनर्स एक्ट के मुकदमे 50 पर्सेन्ट दर्ज होते हैं पुलिस में ज्यादातर मुकदमें याने 80 पर्सेन्ट मुकदमे बाड़मेर सब डिवीजन में आते हैं और 20 पर्सेन्ट मुकदमे 20 पर्सेन्ट सब डिवीजन में आते हैं इसलिए इस जमाने में जिला हैडक्वार्टर होना लाजिमी है और हर तरह से न्याय के हक में है।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि जिला प्रशासन के बारे में हमारे जिले में भी तहसीलें

(श्री ग्रमीन खां)

वही हैं जो कि जोधपुर स्टेट के टाइम में हुकूमत कहलाती थीं। उस हुकूमत का एरिया ग्रौर ग्राज की तहसील का एरिया जिला प्रशासन का वही है जो कि ग्राजकल के जमाने में जिला प्रशासन के लिए भारी कठिनाई है । बाड़मेर तहसील ऐसी है कि जिसमें 3 विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र ग्राते हैं जिसमें पटवारी गिरदावरी करते हैं, फेमिन में कलेक्टर या एस. डी. ग्रो. चैकिंग करते हैं तो मजबूरन फर्जी ग्रांकड़े तैयार करने पड़ते हैं। इसलिए बाड़मेर तहसील में जिला प्रशासन का खर्चा बढ़ाया जाकर एक तहसील ग्रौर बढ़ा दो ग्रौर शिव तहसील जो बहुत बड़ी है इसमें खर्चे की व्यवस्था करके ग्राज दो तीन तहसीलें कायम करो। कम से कम एक गुढा–मालानी तहसील कायम करो ताकि वहां उस जिले का सुचारू रूप से कार्य चल सके।

सचिवालय में हमने तो यहां तक देखा है कि कितने बड़े फर्स्ट क्लास भूखे प्रान्त में एयरकन्डीशन का इन्तजाम ग्रौर कारों वगैरह का इन्तजाम किया है, मेरे खयाल से इतना इन्तजाम जिला प्रशासन में करो ग्रौर दूसरे किसी तरीके से करो तो ग्रच्छा है लेकिन हमें तो यह बहुत ग्रच्छा नहीं लगता है। इतना ही कह कर मैं मेरी बात खतम करता हूं।

धन्यवाद।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर: ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज के विषय में मेरे कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में निवेदन है कि पुलिस का जो प्रशासन है उस प्रशासन में दिन प्रतिदिन इतनी गिरावट ग्राती जा रही है कि हो सकता है कि एक दिन हम ग्राराजकता की स्थिति में ग्रा जायें। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज हालत यह है कि वगैर पैसे लिये हुए कोई एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज नहीं करी जाती, हालात इतने खराब है कि वगैर पैसे लिये हुए कोई तफतीश सही ढंग से नहीं की जाती है, हालात इतने खराब हैं कि पैसा लेकर विपक्षी पार्टियों से मिल कर उस तफतीश को बिलकुल बिगाड़ दिया जाता है जो गुनहगार हैं उनको बरी करने के लिये पूरी भूमिका तैयार की जाती है। ग्रध्यक्ष महोदय,नतीजा यह है जो लोग ग्राज पुलिस के सम्पर्क में हैं उन लोगों का इतना दुस्साहस हो गया है कि वे ग्राज पुलिस के द्वारा कुछ भी करने को सक्षम हैं **ग्रौर दुर्भाग्य से जो जिले** के एस. पी. महोदय हैं **ग्रौर** उच्च पदों पर डी. ग्राई. जी. ग्रौर ग्राई. जी. हैं वे भी वहां जो मौके के हालात हैं उनसे इतने गुमराह है जो कुछ उनके पास केस डायरी जिस ढंग से बनी बनाई ग्राती है उसी के ऊपर ग्रपनी राय कायम करते हैं ग्रौर नतीजा यह होता है कि ग्राज ग्राप देखेंगे कि पूरा पुलिस प्रशासन उन लोगों के चुंगल में है जो कि एक तरह से ग्रपराधी हैं। ऐसी हालात से हम ग्राज गुजर रहे हैं ग्रौर उस हालात में मैं ग्रापका ध्यान मेरे क्षेत्र में घटित कुछ घटनाग्रों की ग्रोर ले जाना चाहता हूं। ग्रभी ग्रभी कुछ दिन पहले का वाक्या है कि एक कतल के केस में मुल्जिमों की जमानत केवल इसलिये हो गई कि पुलिस ने सैशन जज के समक्ष केस डायरी प्रस्तुत नहीं की ग्रौर जो विपक्ष के वकील थे यह 323 का केस, ग्रध्यक्ष महोदय, 302 के केस को 323 का कह कर क्योंकि पब्लिक

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

प्रासीक्यूटर की केस डायरी नहीं, उनकी जमानत हो गई आज उस क्षेत्र में मूंछों पर ताव देकर घूम रहे हैं. मार भी दिया, कुछ नहीं बिगड़ा। इसी तरह से, अध्यक्ष महोदय, अभी तबीजी गांव में एक मर्डर हुआ। उस मर्डर में कछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, उस केस में पुलिस ने कोई इत्तला पेश नहीं की रिमाण्ड चाहिये, जुडिशियल चाहिये, पुलिस कस्टडी चाहिये. क्या चाहिये या हम तफतीश करना चाहते हैं, टाइम दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, नतीजा यह हुआ जब पुलिस ने वहां सूचना पेश नहीं करी जो कन्सर्निंग मजिस्ट्रेट साहब थे आर्डर पास नहीं किया और इस बिना पर सैशन जज में जमानत हो गई। 302 के अपराधी इस तरह पुलिस की लापरवाही से उनकी जमानत हो गई। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, उस इलाके का क्या हाल होगा इसका आप स्वयं अन्दाजा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, करीब 6 माह हुए हमारे यहां बहुत बड़ा दहेज के मामले में विमला काण्ड हुआ। विमला काण्ड में, अध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि पुलिस ने बगैर इस बात की जांच किए कि लड़की की आया मौत हो गई या जिन्दा है या फरार है, कहां है, मुल्जिम को बचाने के लिए कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं वकील रहे हैं, आप सोच सकते हैं जब कि जुर्म के लिए कोई साक्षी नहीं है ऐसी हालत में विमला काण्ड में अभियुक्त है जिन्होंने घिनौना काण्ड किया है जिन्होंने अपराध किया है नसीराबाद, ब्यावर और अजमेर, सभी क्षेत्रों में यहां तक कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है लेकिन पुलिस ने उन अपराधियों से मिल कर, आप ताज्जुब करेंगे, अध्यक्ष महोदय, जो थानेदार साहब इस आरोप की जांच करने के लिए हरिद्वार गए थे उन्होंने मुल्जिमों को जयपुर में छोड़ दिया और एक कांस्टेबल के साथ अजमेर भेज दिया आप वहां पेश कर देना। दो तीन दिन बड़े आराम से तफरी करते रहे समय व्यतीत कर दिया। नतीजा यह हुआ कि समय के ऊपर जब केस डायरी नही पहुंची, एक आदमी की जमानत हो गई। इस तरह की घोर लापरवाही के बहुत उदाहरण हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे खुद के क्षेत्र में जब मैं यह महसूस करता हूं और मुझे बड़ा दुख होता है कि पूरे राजस्थान में इस तरह के जो काण्ड हुए हैं उनमें किस तरह की तफतीश की जाती है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं पुलिस ने यहां यह दिया कि एक आदमी जो जीवित है उसको यह बताकर यह मर गया हजारों रुपया, यह दिखाकर इस आदमी का कतल कर दिया गया, वसूल कर लिया। वह आदमी आज भी जिन्दा है। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, हजारों किस्से है आज हम रोज पढ़ते हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, असामाजिक तत्वों का हाल यह है कि इस नसीराबाद क्षेत्र में आज शराब बन्दी है, पूरे प्रदेश में शराब बन्दी है लेकिन आप नसीराबाद में जितनी चाहें उतनी शराब और जिस जगह चाहें जब चाहें तब प्राप्त कर सकते हैं। पूरा पुलिस का पैसा बंधा हुआ है। महीने के महीने माहवारी मिलता है। इसी तरह से सट्टा, इसी तरह जुआं खेलने वाले हैं यह लोग पूरा अपना पैसा पुलिस को देकर अपना धन्धा आराम से कर रहे हैं और इन कामों के कारण अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं ताज्जुब करेंगे कहते हुए मुझे दुख होता है, औरतें

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

भी जुआं और सट्टा लगा रही हैं। अभी इस व्यसन का इतना प्रचार हो गया, बड़ा खेद होता है कि हमारी पुलिस आज कहां जा रही है। किस राह पर जा रही है। मैंने प्रगति विवरण पढ़ा करोड़ों रुपया अनुसंधान के लिये, वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तरीके से अपराधों का पता लगाने के लिये जुर्म इकबाल कराने के लिये रखा है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, सारे का सारा वैसे का वैसा दकियानूसी तरीका है जो 50,100 साल पहले था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। आज भी मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था उसमें एक किसी थानेदार का समाचार था। थानेदार साहब कह रहे थे आप चोर को ले आओ, माल बरामद करवा दूंगा। इस तरह की पुलिस आज हमारे प्रदेश में काम कर रही है और इस पुलिस के जरिये हम क्या उम्मीद कर सकते हैं हमारी सुरक्षा का क्या हाल होगा। आप खुद सोच सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं न्याय के लिये अपनी मांगों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि अजमेर में दो एडीशनल सैशन जज के लिये पूर्ण जस्टीफिकेशन है और वहां जो आंकड़े आये हैं उसमें उच्च न्यायलय भी सहमत है वहां एडीशनल सैशन जज की अदालत खोली जाय। इसी तरह एक अदालत ब्यावर में भी खोलने का पूरा जस्टीफिकेशन है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा जो पूर्व में आश्वासन दिया गया है वे न्यायालय खोलने की व्यवस्था करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ न्याय को सुलभ और सस्ता कराने के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आर्बीट्रेशन कम्पलसरी कर दिया जाय और कुछ सीमा तक बड़ी निराशा की बात कहूंगा जो पंचायतों को अधिकार दिये गये थे फौजदारी और दीवानी मुकदमों के दुर्भाग्य से वे इसमें विफल रहे हैं लेकिन हो सकता है दूसरे तरीके से आर्बीट्रेशन करके करना चाहे तो मौके पर साक्षी प्रस्तुत होती है और मौके पर सुनवाई होती है और जो राज्य का काम करने वाले होते हैं वे पूरे वाकिफ भी होते हैं इसलिये कुछ सीमा तक न्याय उनके जिम्मे डाल दिया जाय तो मैं कहता हूं जो सस्ते न्याय का आपका कार्यक्रम है उसमें भी हम उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ता न्याय देने के लिये राज्य के द्वारा कुछ अनुदान दिया जाता है, मैं विधि मंत्री जी से निवेदन करूंगा यह जो सहायता देने की प्रणाली है, इसकी जो प्रक्रिया है वह इतनी जटिल है आम आदमी इस सहायता का लाभ नहीं उठा पाता है। इसमें सबसे बड़ा दोष है वह है कि जो उच्च कोटि के वकील हैं और हर आदमी जो मुकदमे में फंसा हुआ है वह चाहता है कि अच्छा से अच्छा वकील प्राप्त करूं, वह राशि कम देने के कारण इस तरह का जो उद्देश्य है वह प्राप्त नहीं होता है। 20 सूत्री कार्यक्रम का भी हमारा लक्ष्य है वह भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं विधि मंत्री जी से निवेदन करूंगा वे इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करके इस कमी को दूर करने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपेन्द्र सिंह !

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री सूरज पाल सिंह !
(अनुपस्थित)

श्री भैरूलाल (मनोहरथाना)
(अनुपस्थित)

श्री रामधन

श्री रामधन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 पर कटौती प्रस्तावों के जरिये आज हम पुलिस की चाहे जितनी बुराइयां कर रहे हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। एक तरफ हमारी सेना है और एक तरफ पुलिस है। सेना पर देश की रक्षा का भार जिसके ऊपर हमारे देश की जान व माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है साथ ही साथ रक्षा की भी जिम्मेदारी है। इतनी बड़ा जिम्मेदारी वाले डिपार्टमेंट को इस तरह से लांछित कर रहे हैं, कर नहीं रहे हैं करते ही आये हैं और इसके बावजूद इस में जरा भी सुधार नहीं हुआ। सवाल सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी का ही नहीं जन प्रतिनिधियों की भी कुछ जिम्मेदारी है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हम इस विभाग में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक इसमें कुछ सुधार होने वाला नहीं है क्योंकि पुलिस विभाग का एक बतीरा हो गया है कि वह इस तरह काम कर रहा है। बतौर उदाहरण कहता हूं दो भाई हैं एक सेना में जाता है और एक पुलिस जाता है। सेना का आदमी जब हमारे पास से निकलता है तो सलाम देते हैं और पुलिस वाला किधर से भी जाय कहते हैं कुत्ता जा रहा है। कितना फर्क है दोनों भाइयों में। दोनों भाई हैं फिर भी फर्क है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। पुलिस में इतना क्या है, इस पर सरकार ने विचार नहीं किया, अधिकारियों ने विचार नहीं किया। यह नहीं करने का उदाहरण मैं इसलिये दे रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : उसमें अवसर कम है।

श्री रामधन : मैंने एक राज्य सरकार के उच्च अधिकारी से शिकायत की कि अपंग विकलांग वर्ष जो मना रहे हैं और हमारे साथ ऐसी घटना घटी कि एक विकलांग को डी. वाई. एस.पी. ने लाकर बन्द कर दिया तीन दिन तक उसकी पिटाई की। मेरे एडीशनल आई०जी०, आई०जी०, एस०पी० सबको लिखने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं लेकिन मैं अभी उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं आज पुलिस की हालत देखें एक कान्स्टेबल है, और एक छोटा कर्मचारी है कहीं भी उसको ड्यूटी पर लगा देते है लेकिन उसको फेमिली क्वार्टर नहीं मिलता है। वह अपनी फेमिली के साथ नहीं रह सकता है। दूसरी बात पुलिस स्टेशन पर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो कितना ही दोष दे दें, जांच करवा दें उसके बिना कुछ होता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं अभी लाडनू में एक वाकिया हुआ, वह पुलिस स्टेशन से केवल दो किलोमीटर था लेकिन वे चोर आज तक नहीं पकड़े गये। अभी अभी बादशा के अन्दर एक औरत को मार दिया गया, बच्चे को मार दिया गया और सर्परिया थाना केवल दो किलोमीटर था। वे कहते हैं जायें तो जायें कैसे। आज हालत यह है कि पुलिस से तफतीश करवानी है तो जीप लेकर खड़ी करो और

(श्री रामधन)

कहो यह मुल्जिम है तुम पकड़ सकते हो। इसलिये मैं कुछ आशावादी हूं। नये आई०जी० साहब आये हैं, वे अच्छा काम करने वाले हैं लेकिन अकेले आई०जी० कुछ नहीं कर सकते हैं। पुलिस और जनता का भाई चारे का व्यवहार जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा।

दूसरी तरफ एक कान्स्टेबल की तनख्वाह क्या है वैसे तो बतौर एक एम०एल०ए० के मिल जाती है लेकिन वास्तव में बहुत कम है। पुलिस का एक छोटा आदमी एक हजार किसी से ले भी लेता है तो वह बड़े आफिसरों को देता है मुश्किल से उसको 10–20 रुपये मिलते है। मैंने एक थाने में देखा एक थानेदार सादे कागज पर अपनी एक डायरी लिख रहा था। मैंने जब उससे पूछा कि सादे कागज पर डायरी क्यों लिखी जा रही है तब उसने बताया हमें स्टेशनरी तक नहीं मिलती है। राजस्थान जैसे राज्य में पुलिस के पास स्टेशनरी तक नहीं हो तो हम फिर पुलिस से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि वह हमारी भलाई। करेगी तो मेरा निवेदन है कि पुलिस को काम करने के लिये पूरी स्टेशनरी दें ताकि उनका भी उत्साह बढ़े। पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़नी चाहिये। उसके साथ साथ जितना मैटीरियल थाने में होना चाहिये वह होता नहीं है, अब या तो वह डी०वाई०एस०पी० के आफिस में होना चाहिये या फिर बड़े अधिकारी उनको भेजते नहीं है। जब स्टेशनरी नहीं तो लिखेंगे कैसे? ऐसे ऐसे मर्डर केसेज हो जाते हैं और मुल्जिम का पता नहीं चलता, क्यों नहीं चलता क्योंकि उनके पास पूरे साधन नहीं हैं। उनके पास जीप नहीं है तो जब तक हम इस स्थिति को टालते जायगे तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है। पुलिस वाले जहां कहीं हड़ताल होती है वहां जाते हैं और वहां पर उन पर पत्थर फेंके जाते हैं और उसके बाद प्रमोशन होता है आई.जी. का, एडीशनल आई.जी.

(व्यवधान)

का मार खाते हैं छोटे कर्मचारी और सुविधा की दृष्टि से सबसे कम सुविधा छोटे कर्मचारी को दी जाती है। मैं निवेदन यह कर रहा हूं पुलिस विभाग को हमेशा साधन-सम्पन्न बनाना चाहिये और आर्थिक मामलों में भी जो इनकी तनख्वाह हैं वह बढ़ानी चाहिये ताकि वह भी अपने बच्चों को ठीक तरह पड़ा सकें। पिछली बार भी ये बातें चली थी और मैं सोचता हूं कि जब हमने दो हाउस अटेण्ड किये, इसमें चल रहा है तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। तो पिछली वाला सरकारों ने क्यों नहीं चलाया, हम लोग जो बात कह देते हैं, उस बात का मूल्य नहीं समझते हैं या तो जो हम सुझाव देते हैं, उनमें कोई कीमत नहीं है, हमें देने नहीं चाहिए या हमारी सरकार चौधरी वाली बात है कि गूंगी बनकर बैठी है। हम कह देते हैं और यह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। जब तक जनता राज के बाद में यह रोज रोड़ा चल रहा है, हम आज भी कह सकते हैं कि कोई भी लॉ एण्ड आर्डर में सुधार नहीं हुआ है। तो इस हालत में जनता राज में भी हुआ, उससे पहले भी कुछ ठीक था और उसके बाद हम आये, यह रोड़ा हमने चुनाव में भी किया कि लॉ एण्ड आर्डर ठीक नहीं है और आज भी वैसा ही है। और ये सुनवायी किसकी है ये कब सुधरेगी? जब तक हम अपने आपको जिम्मेदार महसूस नहीं करेंगे और पुलिस वालों को गालियां देते

(श्री रामधन)

जायेंगे, गोलचे कर जायेंगे। इनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर यह ये समझते हैं कि ये नाजायज हुआ है तो उस अधिकारी के साथ ये रहम नहीं बरतें, पैसे के लालच में नहीं आयें। मैं कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सुधार हो सकता है। तो पुलिस और जनता में जो सम्पर्क होना चाहिए, एक भाईचारे का। जो लोग वहां पर रहते हैं, पुलिस स्टेशन पर वे अच्छी तरह से जानते हैं कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है। पैसे वाले को इसलिए धमकाते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उससे कुछ ले लें और गरीब को इसलिए पीटते हैं कि उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर किसी आदमी के घर में पेट भर कर खाने को भोजन है तो वह नहीं चाहेगा कि किसी का झूठा खावे। ये कोई अमेरिका से नहीं आते हैं, पाकिस्तान से नहीं आते हैं, हमारे ही भाई-बन्द हैं। हम इनको चाहे जितना मानें पर उसका मतलब यह है कि इनकी दुविधा हम समझें और जनता की दुविधा को ये समझें तो सुधार हो सकता है।

अब रही कानून वाली बात। दो लाइन कह देता हूं। कोर्टों में लोगों की सिर्फ तारीखें डाल डालकर परेशान किया जाता है। मैं कानून मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कम से कम इस मुद्दे पर तो ध्यान रखें कि मर्डर केस के मुल्जिम 3 साल तक जूडिशियरी में पड़ा रहे और उनका कोई निर्णय नहीं हो। ये मेहरबानी करके इस कानून में या इस कानून के पालन करने वाले या बनाने वालों को हिदायत दें कि जितनी जल्दी हो सके मुकदमों के निपटारे हों। 8–8 साल तक आज पेशियों में ही फिरते रहते हैं, 10–10 दिन से जो किसान और गरीब लोग हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। शहर वालों को तो कचहरी शहर में है, पढ़े लिखे भी होते हैं, जब जी चाहे आगे पीछे कर लेते हैं। लेकिन उनको यह भी जानकारी नहीं है, वह तो सीधे जाकर हमारे जैसे किसान वकील कराके देता है, तब जाकर तो कचहरी का रास्ता मालूम होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी केसेज को सुलटा सकें, सुलटाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री रतनाराम !

(अनुपस्थित)

श्री रामरघुनाथ चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) !

श्री चाव खां : अध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दे दें। मुझे बुखार है। मेरी तबियत बिलकुल खराब है, साहब।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : श्रीमन्, पुलिस विभाग किसी भी प्रदेश विशेष की सरकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता है। कारण स्पष्ट है कि इस विभाग के कन्धों पर उस प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का भार होता है। ऐसी परिस्थितियों में यह अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि यह विभाग अपनी कार्यकुशलता में, कार्यक्षमता में जितना मजबूत हो सके, उतना इसको मजबूत किया जाय। श्रीमन्, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगीकरण बढ़ रहा है, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, व्यापार और व्यवसाय के

200

(श्री हरिसिंह)

तरीके में अपन तीव्र गति ला रहे हैं। उन परिस्थितियों में पुलिस से भी अपेक्षा उतनी ही अधिक बढ़ती जा रही है। यदि हम राजस्थान में देखें, आज पुलिस फोर्स का इतना सक्षम है, मेरा मतलब इतनी उसकी संख्या है कि वह राजस्थान के साढ़े तीन करोड़ जनता के लिए पर्याप्त है? दूसरी बात क्या पुलिस इतनी सुसज्जित है, इसके पास इतने साधन हैं, जितने होने चाहिए। तीसरी बात कि क्या पुलिस फोर्स का मनोबल ऐसा अच्छा है कि वह आज की परिस्थितियों का मुकाबला कर सके और चौथी बात यह है कि पुलिस का दृष्टिकोण जो आज के समाज में होना चाहिए, उस प्रकार का दृष्टिकोण है या नहीं। यदि हम जनसंख्या को देखें, श्रीमन्, तो राजस्थान में पुलिस फोर्स की गिनती केवल 48 हजार है और साढ़े तीन करोड़ की जनसंख्या है। इस प्रकार से सात सौ आदमियों के ऊपर एक पुलिस कान्स्टेबल आकर पड़ता है। यह अत्यधिक कम संख्या है। जहां तक सवाल है, इसके थानों का, साधनों का। मैं आपको निवेदन करूं कि आज पुलिस के थाने, चौकियां पुलिस के अपने स्वयं निर्मित भवनों में नहीं बल्कि धर्मशालाओं में चल रहे हैं। पुलिस में थानेदार, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह एफ. आई. आर. मिलते ही साइट पर पहुंचेगा, के पास जीप की क्या, सरकार की ओर से समझता हूं, मोटर साइकिल, साइकिल भी उपलब्ध नहीं है और इस बात की चर्चा हो चुकी है कि उनके पास स्टेशनरी, फर्नीचर, कागज इत्यादि पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। तो मैं आपसे, श्रीमन्, और आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस के न केवल थानों के भवन बनाये जायं, बल्कि पुलिस के कर्मचारियों के लिए आवास की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। राज्य के नियम के अनुसार 42,881 कर्मचारियों को आवास की निःशुल्क सुविधा मिलनी चाहिए लेकिन आज राजस्थान में केवल 22947 कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त है। आधे कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें कि आवास की सुविधा नहीं है। एक तरफ तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस का व्यक्ति थाने पर 24 घण्टे रहेगा और चौबीसों घंटे ही इस स्थिति में रहेगा कि कभी उसके पास खबर आयें तो अपना काम अंजाम दे सके और दूसरी तरफ हम उनकी रिहाइश का प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं। इस साल सरकार ने 80–81 के मुकाबले में, 80–81 में 40 लाख 80 हजार के व्यय का आवास पर प्रावधान किया गया था, इस बजट में 76 लाख 10 हजार का व्यय का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कुछ राशि प्रायोजित की है, किन्तु दुर्भाग्यवश उसमें से अभी दो करोड़ की राशि ही राज्य सरकार को मिल पायी है। श्रीमन्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आज की स्थिति दिन पर दिन बदलती जाती है। अब से पहले जब पुलिस से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह सिर्फ जुर्म का इन्वेस्टीगेशन करेगी, उनका प्रिवेन्ट करेगी। आज यह स्थिति है कि हड़ताल अगर होती है तो वहां पुलिस की व्यवस्था की आवश्यकता होती है, यदि जुलूस निकाला जाता है तो पुलिस की आवश्यकता होती है, यदि प्रदर्शन जहां होता है तो पुलिस की आवश्यकता होती है। वी. आई. पी., वी. वी. आई. पी., आई. पीज

(श्री हरिसिंह)

जहां आते हैं तो उनकी अटेन्डेन्स में उन्हें जाना पड़ता है तो अधिकांश में थाने का आधे से अधिक स्टाफ इन ड्यूटीज में लग जाता है और यही वजह है कि आज पुलिस एफ. आई. आर. मिलते ही, मैं समझता हूं, साइट पर नहीं पहुंच पाती। तो आवश्यकता इस बात की है, जिस प्रकार से पुलिस का डिवीजन किया है, ए. सी. डी. पुलिस का डिवीजन किया है, स्पेशल क्राइम ब्रान्च के लिए उसी प्रकार दो प्रकार की पुलिस होनी चाहिए। एक तो ये, जिसका जिम्मा इस बात का हो कि वह इन प्रदर्शनों को देखे और लॉ एण्ड आर्डर को देखे और दूसरी पुलिस इस बात के लिए होनी चाहिए, जो जुर्मों का इन्वेस्टीगेशन करे। उस अधिकारी को जो इस बात पर तैनात है, थाने में, वह क्राइम का इन्वेस्टीगेशन करेगा। उसे प्रदर्शन या वी. आई. पी. की ड्यूटी में नहीं लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, एक और विडम्बना है कि पुलिस से हम अपेक्षा करते हैं कि वह पूर्ण रूपेण अपराधों को रोके,

(मध्यान्ह पश्चात् 7.29)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति, पदासीन)

अपराधों को रोकने के लिए, श्रीमन्, पुलिस के पास केवल दो ही अधिकार हैं। वह मुल्जिमान को पकड़े और पकड़ कर उनको, मुल्जिमों को अदालत में पेश कर दे। प्रासीक्यूटिंग एजेंसी आज अपने आप में स्वतन्त्र है। एक सिद्धान्त की बात यह कही जाती है कि आज प्रासीक्यूटिंग एजेंसी पुलिस के मातहत नहीं हो लेकिन पुलिस का और प्रासीक्यूशन एजेंसी का बहुत ही नजदीक का तालमेल होना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस जिन अपराधियों को अदालत में पेश करती है उनको सजा कराने में दिक्कत आ सकती है और जब मुल्जिम सजायाफ्ता नहीं होंगे तो अपराधों पर रोक लगाना भी मुश्किल हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस थानों में जो जीप प्रोवाइड करने का बजट रखा है, प्रतिवर्ष 10 थानों को जीप प्रोवाइड करना है। यह बहुत ही कम बजट का प्रावधान है जिस प्रकार से हम थानों को जीप्स प्रोवाइड करेंगे उसमें बीसों साल लग जायेंगे। वह समय लम्बा समय हो जाएगा।

पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता साथी ने कहा कि अलग से हाउसिंग बोर्ड या हाउसिंग कोरपोरेशन राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान सरकार बजट में प्रावधान पुलिस की आवास व्यवस्था के लिए रखती है लेकिन वह पैसा लैप्स हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि पी. डब्ल्यू. डी. इस काम में सम्पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती। या तो उनके पास समय नहीं होता या अन्य कारण हो सकते हैं जिनके कारण उनके मकानों को बनाने में प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसलिए पुलिस हाउसिंग कोरपोरेशन राजस्थान में निर्माण किया जावे।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मार्गों की सुरक्षा की स्थिति आज ऐसी है कि हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो गई है। कभी-कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रीय मार्ग

(श्री हरिसिंह)

पर चलते हुए रात में ही नहीं बल्कि दिन में ही डकैतियां, लूट खसोट हो जाती है और उससे ऐसा वातावरण बनता है कि पूरे प्रदेश में लोग यह समझने लगते हैं कि अब तो सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं रहा है और लोगों की सरकार के प्रति आस्था कम होती जाती है। इसलिए जितने राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें पैट्रोलिंग का पाबन्द में सुधार करना आवश्यक है और उनके लिए अधिक पैट्रोलिंग पार्टीज लगाई जावें, यह विभाग के लिए एश्योर करना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, एक और निवेदन है कि पुलिस को जो ट्रेनिंग आजकल चल रही है उसमें भी यह दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा कि पुलिस और जनता के बीच किस प्रकार से अधिक से अधिक तालमेल बढ़े। अभी तक पुलिस वाले अपने आपको सुपर समझते हैं और जनता को पुलिस थाने जाने में बहुत ही संकोच होता है। पुलिस थाने जाने से पूर्व चाहे जुर्म की रिपोर्ट ही करानी हो, मन में भयभीत होता है। यदि पुलिस के कर्मचारियों के बर्ताव में इस प्रकार का सुधार हो जावे कि पुलिस के आदमी की हर व्यक्ति सहायता ले सके तो कोई भी आदमी निसंकोच उनके पास जा सकेगा और उनसे काफी मदद मिलेगी।

एक बात और, श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा। होम गार्ड्स के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि जितने भी आर्मी से इमरजेंसी कमीशन के बाद आए हुए कर्मचारी थे, कमीशण्ड आफिसर्स थे उनको सरकार ने विभिन्न सेवाओं में एब्जॉर्ब किया। कुछेक को ट्रेजरी सेवाओं में, कुछ को एडमिनिस्ट्रेटिव सेवाओं में लिया और कुछ को अन्य प्रकार की सेवाओं में लिया। उनको सेवाओं में लेते हुए उनकी आर्मी की इमरजेंसी कमीशन की सेवाओं का, जो उनकी सर्विसेज थी फायदा मिला। उनकी अवधि सेवा काल में जुड़ी। लेकिन श्रीमन्, होम गार्ड्स के अन्दर जो इमरजेंसी कमीशन आफिसर एब्जॉर्ब किये गये हैं उनके लिए यह सुविधा नहीं मिली। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से अन्य सेवाओं में आर्मी आफिसर के आर्मी सेवा अवधि का लाभ मिला है वह इसमें भी मिलना चाहिए।

कभी कभी, श्रीमन्, इन्वेस्टीगेशन आफिसर की ओर से लापरवाही होती है और उस लापरवाही से केसेज के अन्दर मुल्जिम को सजा नहीं हो पाती और उसमें प्रासीक्यूशन एजेंसी इस बात की रिपोर्ट भी करती है कि इसमें पुलिस इन्वेस्टीगेशन आफिसर की गलती है, लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं होता है। मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। आज से तीन वर्ष पूर्व भरतपुर में राकेश नाम के एक बच्चे पर जो 12-13 वर्ष का बच्चा था, जवाहरपुर जैसे स्थान पर उस पर प्राणघातक हमला हुआ। बच्चे को अस्पताल में दाखिल किया गया और वह कई दिनों तक अस्पताल में, छः सात दिन तक जीवित रहा लेकिन वहां का जो इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर जो तत्कालीन कोतवाल था, श्री भान सिंह जी, उसने उस लड़के का डाईंग डिक्लेरेशन तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने नहीं करवाया और उसका नतीजा यह हुआ कि जो भी मुल्जिमान के चालान हुए वे बरी हो गए। ऐसा एक घातक उस पर हमला हुआ और जघण्य अपराध हुआ वह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की लाप-

(श्री हरिसिंह)

रवाही की वजह से या मेलाफाइड इंटेंशन के कारण मुल्जिमों को सजा नहीं मिली। इस केस में पुलिस के प्रासीक्यूटर ने स्पष्ट रूप से उस फैसले के साथ में एस. पी. भरतपुर को लिखा है कि इन्वेस्टिगेटिंग अफसर की इसमें लापरवाही है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि ऐसे मामले में, न केवल इस मामले में बल्कि ऐसे जितने भी मामले हों, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर की लापरवाही की वजह से जिनमें मुल्जिम को सजा नहीं हुई है उसमें इन्वेस्टिगेटिंग आफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष में पुलिस ने अधिक सतर्कता से काम किया है और रिकार्ड इस बात को बताता है कि पुलिस अधिक सतर्क रही है। वर्ष 77 में जितने केसेज हुए थे उनके मुकाबले वर्ष 80 में तीन चौथाई पर्सेन्ट की कमी हुई है और पुलिस ने जितने भी जुर्म रजिस्टर किये उसमें से 72 पर्सेन्ट का चालान कर दिया। दोनों इस बात के द्योतक हैं कि पुलिस गत वर्ष के मुकाबले अधिक सतर्क है। इन शब्दों के साथ मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं कि पुलिस को अधिक सक्षम बनाया जाय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री तेजपाल यादव : सभापति महोदय, हमारा नाम ही नहीं बोला गया है, काफी देर हो गई है।

श्री सभापति : आप इत्मीनान रखें।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, आपने बहुत सदस्यों के विचार वर्तमान पुलिस की व्यवस्था और उसके प्रति जन आक्रोश ...

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों को आखिर में बोलने का मौका दिया जाता है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, हमने फर्स्ट में नाम दिया था लेकिन अभी तक मौका नहीं दिया गया है, यह क्या ठीक है ? मेरी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मुझे कहनी हैं ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऐसा है माननीय सदस्य, कि पहले उनका नाम पुकार लिया है आप धीरज रखिये।

श्री चतुर्भुज : सभापति महोदय, बात यह है कि हमारा कब नम्बर आयेगा ? इस तरह से नम्बर आता है तो हमारा डिमाण्ड देना या नहीं देना बराबर हो जाता है।....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नम्बर आएगा तो आपको भी अवसर दूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : आप नाम बता देंगे तो बोलने वाले रहेंगे बाकी सब यहां से चले जायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर आर्डर।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जनता के विचार और प्रतिनिधियों के विचार पुलिस की वर्तमान व्यवस्था और जन आक्रोश पर अलग अलग ढंग से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। उससे यह स्पष्ट है कि जिस पुलिस पर कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है उस में यदि प्रदेश की जनता की आस्था में कमी है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इस पुलिस की वर्तमान प्रणाली में किस तरह से परिवर्तन किया जावे जिससे जनता में इसके प्रति आस्था बढ़े और उन सामन्ती तौर तरीकों के आधार पर पुलिस आज भी डण्डे जूते, करण्ट और पता नहीं क्या क्या यातनाओं के साथ में जो कुछ करती है उससे निश्चय ही पुलिस की एक तरह से छवि गिरती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पुलिस में अधिक से अधिक आधुनिकीकरण लाया जावे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के इस युग में उसको और सक्षम और दक्ष बनाने की प्रक्रिया अपनाई जावे, यह बहुत आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस का वर्तमान ढांचा मेरे खयाल से आजादी के पहले जिस प्रकार का ढांचा था, पुलिस स्टेशन बहुत कम बढ़े हैं उसके बाद और जिस प्रकार की व्यवस्था चलती आ रही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इन सब वर्तमान परिप्रेक्ष में और जो अपराधों की बढ़ती हुई स्थितियां, अपराधों के तरीकों में बदलाव, इन सब आधारों पर पुलिस में बहुत बड़ा परिवर्तन, क्रांतिकारी तौर तरीके से लाया जावे जिससे इसमें सारा काम ठीक हो सके, जनता की आस्था बढ़ सके, जनता का इन्वाल्वमेंट अधिक से अधिक हो सके, यह मैं आपको सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन चाहूंगा जिस प्रदेश की जनसंख्या आज लगभग साढ़े तीन करोड़ हो गई और उस प्रदेश में पुलिस चौकियां वही हैं और थाने भी वही हैं। इसलिये जनसंख्या के आधार पर थानों का बढ़ावा होना चाहिये और इसी प्रकार पुलिस चौकियां भी गठित होनी चाहिये। इसके लिये मेरे क्षेत्र में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक बारोली बहुत बड़ा कस्बा है और कोटड़ी तहसील में एक कोटड़ी थाना है। जिस तहसील की जनसंख्या एक लाख है, वहां पर एक थाना है। इसलिये पुलिस स्टेशन एक बारोली में और एक आमरवासी में नया गठित किया जाय। इसके साथ साथ रोपा और खजेरी में पुलिस चौकियां स्थापित की जायें ताकि बहुत बड़ा हमारा इलाका है, उस इलाके में पुलिस की इस तरह से व्यवस्था होने से मेरे खयाल से थोड़ा बहुत कार्य ठीक बैठ जायगा। ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा हर सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर एडीशनल एस.पी. रहना चाहिये और एस.डी.ओ. हैड क्वार्टर पर उप पुलिस अधीक्षक रहना चाहिये। तब जाकर मामला ठीक बैठेगा। मेरे जिले में एक एस.डी.ओ. के अन्तर्गत पांच पांच तहसीलें हैं और पांच तहसीलों के लिये एक डीवाई.एस.पी. कैसे किस तरह से देख सके, यह भी व्यवस्था ठीक नहीं है। हर एस.डी.ओ. हैडक्वार्टर पर एक अपर पुलिस अधीक्षक और तहसील में डीवाई.एस.पी. का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ थाने और चौकियां बढ़ेंगी तो मैं समझता हूं थोड़ा बहुत काम ठीक होगा।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

वर्तमान में पुलिस के बारे में बहुत हालात खराब हैं। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है? भ्रष्टाचार की बात मैं समझता हूं दोनों पक्षों के सामने आयी। भ्रष्टाचार विभाग में क्या है, इसके पीछे बहुत कारण हैं। इसके लिए मैं समझता हूं सरकार कोई अनुसंधान और इस तरह की व्यवस्था करेगी जिससे कारणों का पता लग सके। एक कारण मैं मानकर चलता हूं, पुलिस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है और हर मामले में पुलिस कहीं भी होगी, वहां आवश्यकता महसूस हो जायगी। इनके काम के समय निर्धारित नहीं हुए हैं। 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे काम ले लें, और तनख्वाह की बात करेंगे तो शायद मैं समझता हूं बहुत कम तनख्वाह है। अब आप स्वयं देखें, कभी असेम्बली डेढ़ बजे तक चलती है, कभी 12 बजे तक चलती है, जो विभाग के प्रहरी हैं वह एक बजे तक काम करते रहेंगे और तनख्वाह वही की वही रहेगी। उनको कोई ओवर टाइम की बात नहीं, उनकी तनख्वाह की हालत बड़ी खराब हैं। मैं चाहूंगा ऐसे मामलों में गंभीरता से विचार करें। यह आवश्यक है। जैसा मैंने निवेदन किया पुलिस के बारे में मुझे दो एक मामलों की बात कहनी है। एक तो मेरे पूर्व वक्ता नसीराबाद से आने वाले सदस्य महोदय ने बताया, विमला हत्याकांड को मैंने असेम्बली में रखा था। मुझे आश्चर्य है कि मुख्य मंत्री जी के सामने सभी तथ्य मौजूद हैं, वहां ब्यावर के विधायक महोदय ने सारे तथ्य उनको दिये, पर आज तक कोई उस मामले में कार्यवाही नहीं हुई है। सभापति महोदय, आश्चर्य इस बात पर होगा चालान पेश कर दिया गया है, मुल्जिमों का, यह बरामद लड़की जिन्दा है या मर गई, इस का आज तक कोई पता नहीं। मेरी मान्यता है कि वह लड़की मरी नहीं उसको बेच दी गई है, कहीं गायब कर दी गई है। विमला हत्या कांड हमारे इलाके में बहुचर्चित हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा आप सी.आई.डी. से इसकी जांच करवायें। इसका पता नहीं लगा लाश का जिन्दा मरी का, उसका चालान देकर के पुलिस मिली हुई है और सारे अपराध को दबाना चाहती है। नसीराबाद पुलिस के थाने के जो इंचार्ज हैं वह इस मामले में अपराधियों को बचाना चाहते हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि जयपुर उनके साथ आये, उनके घर ठहरे और सारी बातें इस प्रकार से हुईं। इसलिये आप सी.आई.डी. से इस मामले की जांच कराके, एक दहेज के नाम पर बहुत बड़ा कलंक हुआ है इस प्रदेश में उसके बारे में ध्यान देंगे। ऐसी आशा करके मैं चलता हूं।

मेरे इलाके में डेढ़ दो साल पहले एक भूतपूर्व सरपंच थे उनके यहां डेढ़ लाख की चोरी हुई। उस चोरी बरामद के पीछे अब तक उनके 18–20 हजार रुपये खर्च हो गये। बार बार 20 बार जयपुर आये होंगे, 20 बार उदयपुर गये होंगे। वहां के एस.एच.ओ. छोल भरते हैं इनक्वायरी में कहीं किसी प्रकार से अपराधी से मिल कर उसको बचा लेते हैं। माल बरामद होते होते नहीं हो पा रहा है। इसलिये ऐसे मामलों में जो सामने आते हैं, उन पर खास तौर से ध्यान दें। जैसा कि सी.आई.डी. में थोड़ा बहुत विश्वास करके आम तौर पर लोग चलते हैं। लोग यह कहते हैं कि यदि इस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

मामले की जांच ठीक नहीं होगी तो सी. आई.डी. को दिया जायगा । सी. आई.डी. की कोई आंच जिले में राज्य स्तर पर इन्वेस्टीगेशन के तौर पर शुरू करने की व्यवस्था कर दें ।

(म.प. 7.44 बजे)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तो रोजमर्रा की समस्याएं आती हैं, पुलिस की बदनामी की, और इन्वेस्टीगेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, वह ठीक प्रकार से होगा । आश्चर्य यह है कि आज थानों में रिपोर्ट दर्ज कराने गरीब जाता है, सबसे पहले कागज कार्बन पेन्सिल के दस बीस रुपये देने पड़ेंगे । उसके बाद सब स्टाफ की चाय वगैरह मंगानी पड़ेगी । मैं सारी बातें इसलिये कह रहा हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूं, यह बातें बहुत गंभीर हैं । जो प्रशासन गरीबों को न्याय दिलाने की बात कर, वह कागज पेन्सिल भी उनसे लिया जाय और कागज पेन्सिल जो मंगाते हैं, चार आने, आठ आने के आते हैं, उनके 20 रुपये लिये जाते हैं । फिर उसके बाद सदारी की व्यवस्था होनी चाहिये । जाने के बाद मैं इस बात को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं उस मामले में गरीब की कोई कार्यवाही नहीं होगी । उसको राहत नहीं मिलेगी । बल्कि उससे भी पैसे ले लिये जाते हैं और अपराधी से भी पैसे ले लिये जाते हैं । चोर और साहूकार सब पुलिस के यहां एक हाथ उतरते हैं । इसलिये इस व्यवस्था को ठीक किया जाय । यह मेरी आपसे मांग है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल ताम्बी : दो एक मिनट बात करूंगा राजस्व प्रशासन की, उसके बाद बात समाप्त करूंगा ।

तहसील स्तर पर कोई सतर्कता समिति उसमें एस.डी.ओ., डीवाई.एस.पी., तहसीलदार विधायक यह इस तरह के लोग हों, महीने में एक बार मिल लें, और छोटी मोटी पुलिस की समस्या होती है, लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उससे बात कर लेंगे, उससे राहत मिलेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्व प्रशासन के बारे में । मेवाड़ राज्य के समय जहाजपुर जिला था और वहां दीवानी और फौजदारी हाकिम रहते थे । आज दुर्भाग्य है कि वहां एस.डी.ओ. शाहपुरा है । रेवेन्यू के सारे मामले उनके पास हैं । 800 मुकदमे जहाजपुर एस.डी.ओ. के पेंडिंग हैं, तीन साल से पेंडिंग हैं । हर बार पेशी बदली जाती है, लोग आते हैं, चले जाते हैं । आप इस बात को देखलें अगर मेरी बात उचित है तो जहाजपुर में सहायक जिलाधीश राजस्व अधिकारियों को मुकदमे देखने होते हैं, वह वहां स्थापित करें । भीलवाड़ा एस.डी.ओ. के अन्तर्गत पांच तहसीलें हैं । सराड़ा, रायपुर, गंगापुर तहसीलें हैं । उसका रेवेन्यू एस.डी.ओ., गंगापुर में बिलकुल अलग हो जाय और शाहपुरा में बनेड़ा लगा दिया जाय, जहाजपुर में कोटड़ी लगा दी जाय और बिजोलिया में तत्कालीन जनता सरकार ने एक आर्डर दिया था पता नहीं वह कहां है, मुझे मालूम नहीं है, एक अलग तहसील कायम की गई थी, वह माडलगढ़ के साथ बिजोलिया भेजी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जाये, इससे दो–दो, तीन–तीन तहसील में एक एस.डी.ग्रो. होने से बहुत बड़ी सुविधा हो सकती है। यह मेरा सुझाव है। हमारे जिले में, कई वर्षों से समस्या खड़ी है, इस पर मुख्य मन्त्री जी ग्रौर जो राजस्व विभाग को देखती हैं मंत्री महोदया, वह इस बारे में विशेष ध्यान देंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा पटवारी ग्रौर गिरदावरों के सर्कल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। काफी खसरा नम्बर हैं, बड़े बड़े सर्कल हैं। बहुत पुराने समय से गठित हैं, जन संख्या बढ गई है, नये नये खसरा नम्बर ग्रलाट मेंट होते-होते बढे हैं। एक पटवारी पूरा देख नहीं पाता है। ग्रभी दो पंचायतों में एक पटवारी है, इसलिए हर पंचायत में एक पटवारी हो जाये ग्रौर सात पटवारियों पर गिरदावर हो, उसके बाद करीब करीब 15 पटवारी सर्कल पर एक नायब तहसीलदार की व्यवस्था हो, एक तहसीलदार के पास दुनियांभर के काम रहते हैं। समय पर काम नहीं होता है, इस तरह व्यवस्था ठीक करें तो ग्राप कहेंगे प्रशासनिक खर्चा बढता है, जब प्रशासनिक दक्षता ग्रायेगी, मुकदमों का निपटारा जल्दी होगा, तो कुछ ग्रापकी ग्राय भी बढ़ेगी ग्रौर लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक ग्राधा मिनट भी नहीं दोगे।

श्री ग्रध्यक्ष : एक मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : बस इतना ही।

मैंने जो ग्रापसे निवेदन किया उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा रेवेन्यू ग्रपीलेंट ग्रथारिटी उदयपुर डिवीजन में एक है। बहुत दूर दूर तक जिले है। इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम दो तीन जिलों में एक बैंच हो भीलवाड़ा ग्रौर चित्तौड़गढ़ जिले की ग्रलग स्थापित कर दी जाये तो काफी सुविधा होगी। कई बार कैम्प कोर्ट देते हैं, तारीखों पर ग्राते नहीं है, कई दिक्कत होती है, ग्राप यह व्यवस्था कर दें तो लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा ग्रौर सुविधा होगी। बस मैं यही सुझाव देते हुए ग्रपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री चाव खां।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, मांगे पारित हों तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। कितने माननीय सदस्य ग्रौर बोलना चाहेंगे। पांच माननीय सदस्यों का कांग्रेस की तरफ से मैं नाम पुकारुंगा। दो विपक्ष से ग्रौर पांच पांच मिनट का समय होगा। जनता पार्टी ने लगभग एक घंटे का समय ले लिया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ग्रध्यक्ष महोदय, केवल दो सदस्य बोले हैं।

(208)

श्री ग्रध्यक्ष : बहुत लम्बा बोले हैं। साढ़े ग्राठ बजे सरकार की ग्रोर से उत्तर देना प्रारम्भ हो जायगा। पहले मुख्य मन्त्री जी जवाब दे देंगे उसके बाद पारित ग्रपन कर लेंगे।

श्री चाव खां

श्री चांव खां : ग्रध्यक्ष महोदय ...

श्री हीरालाल देवपुरा : ग्रध्यक्ष महोदय, समय तो बढ़ा दें मांगें पारित होने तक के लिये।

श्री ग्रध्यक्ष : भूल ही गये मुद्दे की बात तो। सदन की ग्रनुमति से बैठक का समय मांगों के पारण तक लिये बढ़ाया गया।

मांग संख्या 16,3,4 व 6 पर विचार

श्री चाव खां : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए पांच मिनट में ही शायद ग्रपनी बात खतम कर दूं। ग्रभी जो पुलिस का मामला यहां पर चल रहा है जो माननीय सदस्यों ने बताया इसमें जो है...

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रसलियत जितनी ग्रापको मालूम है, माननीय सदस्यों को भी उतनी ही है।

श्री चाव खां : ग्रापको जो बातें बताई गई हैं, मैं ग्रापको वही बात बताऊंगा जो सही है, सुनी हुई नहीं ग्रांखों देखी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस के ग्रन्दर कमियां है। वे क्यों है, इसका कारण एक तो यह है कि उनकी तनख्वाह बहुत कम है, दूसरे छुट्टियां दी नहीं जातीं, 24 घंटे काम करते हैं ग्रौर उसके बावजूद तनख्वाह कम। पुलिस में सिपाही भर्ती होता है तो 250 रुपये में भर्ती किया जाता है ग्रौर मेरे खयाल में ग्राज 250–300 रुपये इस महंगाई में देते हैं तो इतनी 2–3 सौ की तनख्वाह में उसकी बीवी के कपड़े भी नहीं ग्रा सकते। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाय। जबतक यह नहीं होगा तब तक छोटे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार खतम नहीं किया जा सकता।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि राण्ड रण्डापो काटे लेकिन रण्डुवा काटने नहीं दे, इसका मतलब यह है कि हम जैसे हैं जिनका काम सिवाय इस बात के दूसरा नहीं रह गया है, न वह नहर चाहते हैं, न बिजली चाहते हैं, न पानी चाहते हैं परन्तु इस थानेदार को वहां भेजो, इसको वहां भेजो, इस प्रकार की तोड़ फोड़ में लगे रहते हैं। पहले उनसे पैसा लिया जाता है ग्रौर पैसा लेकर थाने में लाया जाता है। ग्रब पैसा लेकर के करें, हाजी जी ने दस हजार रुपया ले लिया, ग्रब वह जाकर मेरे थाने में पहुंच गया, मैं ले गया ग्रब न मालूम पैसा उसने कहां से लिया। ग्रब जो कुछ मैं कहूंगा, वही काम करेगा यानि यहां तक होता है कि जो सही होता है उसको दण्ड दिया जाता है ग्रौर 326 का केस बना देते हैं। उनको कह देते हैं कि हाजी जी कहते हैं कि मेरी इज्जत का सवाल है। 326 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 325 में चालान करके सौदेबाजी कर लेते हैं। चोरियां होती हैं, 10–10, 20–20 हजार की मेरे क्षेत्र में चोरियां हुई। ग्राज तक नहीं पकड़ी गईं। चोरी करने वाले घूम रहे हैं। 10–10 हजार रुपये लेकर उन चोरों को छुड़वा दिया जाता है। तफतीश नहीं होने दी जाती। इस तरह से पुलिस को भ्रष्ट किया

(श्री चाव खां)

जाता है। भ्रष्ट हैं हम। हकीकत यह है। अगर हम ईमानदारी से काम नहीं करें और सही रास्ते पर नहीं आयें और जो काम हमारा, विधायकों का है उसके ऊपर न चलें। सरकार के काम में इंटरफीयर करें। यह तो सरकार का काम है, विधायकों का नहीं। एक बात जरूर कहूंगा कि अगर कोई छोटा कर्मचारी है, और उसका तबादला हमारी सरकार ने 5-6 सौ किलोमीटर दूर कर रखा है जहां से आने जाने के लिये ही एक आदमी के सौ रुपये लगते हैं तो वह कैसे गुजर कर सकता है। ऐसे छोटे कर्मचारियों के लिये सरकार को चाहिये कि उन्हें नजदीकी क्षेत्र और जिले में रखा जावे, इसके ऊपर तो मैं सहमत हूं लेकिन हर मामले में दखल देना, यह विधायकों का काम नहीं है।

अब हमें चाहिये कि पुलिस जो वहां पर काम करती हैं, यह सारे साथियों ने बताया और हकीकत है कि थानों में बहुत कम पुलिस रहती है। जैसा कि अमीन खां साहब ने बताया कि बोर्डर पर जो चोरियां होती हैं, जहां पाकिस्तान का बोर्डर है वहां पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस का इंतजाम होना चाहिये लेकिन अपने इलाके में जैसे कामां है वहां चोरियां, डकैतियां हुई है। वहां पर थाना पुलिस का इंचार्ज इंस्पेक्टर हो जिन इलाकों में जाय जहां वारदातें होती हों वहां पर एस.एच.ओ. के बजाय इंस्पेक्टर को तैनात किया जाय। वहां पर पुलिस की तादाद बढ़ाई जाय। वहां आने जाने के लिये गाड़ियां या दूसरे साधन उपलब्ध कराये जायें ताकि पुलिस ऐसे मामलों के बारे में जल्दी खबर मिलते ही मौके पर पहुच सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि पुलिस को बदनाम न करें, पहले हम खुद ईमानदार बने, जैसे मैं अनपढ़ हूं जिसको कोई चपरासी नहीं रख सकता। आज अन्दाजा लगायें तो डेढ़-दो हजार रुपये महीना मिलता है सभी साधनों को मिला कर। इसके बावजूद भी हम सब्र नहीं करें और गलत रास्ते पर चलें, यह हमारी कमी है और इन कमियों को हम को निकालना होगा, तब तक दूसरों को कहना बेकार है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो काम हकीकत में सही हो उनको मानें, गलत कामों को न मानें चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो उनको लिफ्ट न दें वरना भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुर्भुज।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 16 के बारे में बोलने के पहले तो मैं इस बात का निवेदन करना चाहता हूं हमारा पूरे सत्र में देख लीजिये, हमें, टोंक जिले को 20 मिनट तो दीजिये। हम रोज मांग देते हैं ...

श्री अध्यक्ष : आपको हमेशा अवसर दिया जाता है।

श्री चतुर्भुज : नहीं साहब, बोलने का हमको मौका ही नहीं मिलता है। हम यहां आये हैं पहली बार। हम बात कैसे कहें। हम को वोट देने वाले भी आशा करते हैं। बोलना और न बोलना बराबर है। जब मौका ही नहीं मिलता तो क्या करें। आये दिन होता है यह हमारे साथ में।

(श्री चतुर्भुज)

तो मैं सुझाव देना चाहता हूं पुलिस के बारे में कि तहसील मुख्यालय में प्रत्येक तहसील हैड क्वार्टर पर थानेदार होना चाहिए। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक-एक तहसील में 4-4 पंचायतें हैं, चार पंचायतें लाम्बा हरिसिंहपुरा में हैं, तीन पंचायतें मालपुरा में है एक-एक थाने के नीचे। तहसील एरिया में 40-40 किलोमीटर एरिया में पहुंचना होता है गरीब को, और 40 किलोमीटर एरिया के अन्दर रिपोर्ट करानी है तो न तो तहसील में कागज पहुंच सकते हैं, न थाने में पहुंचा सकते हैं और न गरीब को न्याय मिलता है। इसलिए तहसील और थाने के बीच गरीब फिरता रहता है और पैसे वाले, दिमाग वाले नाजायज फायदा उठाते हैं। कई बातें इस तरह की हैं। अनर्थ हो रहा है गरीब के साथ। जिस तहसील हैड क्वार्टर का सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र हो, उसके थाने का पूरा कन्ट्रोल तहसील का होना चाहिए। मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जिस तहसील का सम्पूर्ण हैड क्वार्टर तहसील का है उसी थाने के अन्तर्गत तहसील होनी चाहिए, दूसरी तहसील के थाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे न्याय मिलने में भारी संकट है। वह दूर होना चाहिए।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे निर्वाचन क्षेत्र में चार कत्ल हुए थे जिनमें तीन की तो सी. आई. डी. ने डेढ़ दो साल में बरामदगी हो गई। एक रुद्रा पटेल का कत्ल हुआ था उसकी अभी सी. आई. डी. में तफतीश हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह भी बरामद होना चाहिए। आज हमारे सामने है हमको खुद नहीं जनता को मालूम है कि कत्ल करने वाले कौन है? चुनौती देता हूं, थोड़ी सी सी. आई. डी. लापरवाही बरत रही है इसलिए मैं आपके द्वारा अर्ज करना चाहता हूं कि बीसलीपुर में जो रुद्रा पटेल की हत्या की गई, बड़ा जबरदस्त आदमी था, आज हमारी दोनों तहसीलों का बड़ा भारी आरोप है, बड़ी भारी मांग है, उस कत्ल की बरामदगी की जाय और कार्यवाही कर सजा दी जाय। यह आपके द्वारा गृह मन्त्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सी. आई. डी. में यह केस है इसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए और वह कत्ल बरामद होना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा है देवली में मुन्सिफ कोर्ट के लिए 1972 से आवाज उठायी गई थी, मांग की गई थी। देवली में यह मुन्सिफ कोर्ट लगी भी लेकिन बाद में इस मुन्सिफ कोर्ट को वहां से हटाया गया और उणियारा में लगाया गया। यह हमारे साथ में अन्याय हुआ है। देवली 80 किलोमीटर है और टौंक 83 किलोमीटर है। उणियारा कहां लोग जायेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील देवली के अन्दर ही एक ऐसा कस्बा है जहां पर सी. आर. पी. है, चार डिस्ट्रिक्ट बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर और टौंक इसके बीच में, बोर्डर पर देवली है। हम इस देवली के दो एम. एल. ए. हैं परन्तु उणियारा में कोर्ट है। यह एक कोने में जाकर है। वहां मुन्सिफ कोर्ट को पटक दिया है। हमारी मांग को राज्य सरकार ने मन्जूर किया परन्तु इस मुन्सिफ कोर्ट को उणियारा में लगा दिया है। यह हमारे साथ में अन्याय हुआ है। मुन्सिफ कोर्ट को वापस देवली में लाया जाय। यह हमारी मांग है जो वाजिब

(श्री चतुर्भुज)

है और इससे जनता के साथ भी न्याय होगा। यही बात कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री देवेन्द्र कुमार (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो पुलिस विभाग की मांग है उसमें भाग लेते हुए मैं खैरवाड़ा के बारे में निवेदन करूंगा। जिस तरह हमारे देश में गांव का किसान अपने खेतों की रखवाली करता है, उसको चिन्ता रहती है, उसी तरह से हमारी रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत है। मेरे पहले कई माननीय सदस्यों ने इसकी कमी के बारे में चर्चा की है। पुलिस मार खाने में तैयार रहती है, भगाने में तैयार रहती है, सारी बातें होती हैं, तो उनके काम के बारे में भी सरकार को सोचना होगा। मुझे आशा है कि हमारे गृह मन्त्री, जो मुख्य मन्त्री हैं, इसके बारे में जरूर विचार करेंगे और जो हमारे सिपाही हैं उनके बारे में कोई न कोई रास्ता निकालेंगे तभी हमारे जान माल की रक्षा कर सकते हैं।

मै इसके साथ-साथ खैरवाड़ा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। खैरवाड़ा अंग्रेजों के समय से छावनी नाम से मशहूर रहा है। वहां के लोग आर्मी में भर्ती हुए हैं। वहां पर उनके काम की प्रशंसा होती है। वे काम करके आते हैं। ढंग का काम करके आते हैं। इसके साथ हमारे मुख्य मन्त्री जी 12 अक्टूबर, 1980 को जब उदयपुर पधारे थे, हम लोगों ने निवेदन किया था कि हमारे आदिवासियों के लिए यह छावनी है, यहां पर हम लोग भर्ती होकर काफी शिक्षित हुए हैं, बाहर जाने से पता लगता है कि हम इन लोगों के साथ रह कर शिक्षित हुए हैं। साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लोग आर्मी में, आर. ए. सी. में और पुलिस में अधिक भर्ती हैं और वफादारी से अपने काम को निभाते हैं। ये लोग मरना जानते हैं, पीछे हटना नहीं चाहते हैं। मैंने इसी के आधार पर आपके नेतृत्व में इस बात की सौगन्ध ली है और उसी बात को दोहराना चाहता हूं कि झूठ कभी नहीं बोलूंगा और आज भी कहता हूं। हमारे मुख्य मन्त्री महोदय ने उस दिन उदयपुर में यह घोषणा की थी 10 फरवरी, 1981 को। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सच्ची बात याद है, इसमें कोई शंका नहीं है, यह माननीय मुख्य मन्त्री जी ने 10 फरवरी, 1981 को कहा था कि खैरवाड़ा में भर्ती होगी और उसी के अनुसार नौजवान लड़के थे वे 3300 के करीब भर्ती के लिए पेश हुए और उनमें से 350 लेने थे लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वहां पर बोर्ड बना भर्ती के लिए, वह इसलिए बना था कि वह निष्पक्ष रूप से गरीबों की भर्ती करेगा। आदिवासी नौजवानों के लिए यह रोजी रोटी का सवाल था। तो मैं इसके बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम भर्ती कराने के लिए लड़कों से डेढ़ हजार रुपये लिये गये और उनको भर्ती किया गया....

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : यह पहाड़ियाजी के राज्य में हुआ है?

(212)

श्री देवेन्द्र कुमार : पहाड़ियाजी ने कोई बुरा नहीं किया है। मैं सही बात कह रहा हूं। यह आपके बूते का नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, गरीब आदमियों ने अपने बच्चों को भर्ती कराने के लिए अपने खेत गिरवी रखे हैं। इसलिए गरीबों के साथ न्याय होना चाहिये। हमारे मुख्य मन्त्री ने गरीबों की रोजी रोटी के लिए भर्ती खुलवाई थी परन्तु भर्ती में इस तरह की बेइमानी हुई है। इस गलती को सही करें। यह मैंने सदन के सामने कहा है। कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : इस कमेटी, बोर्ड के कौन-कौन मेम्बर थे ?

श्री देवेन्द्र कुमार : यह तो पता लग जायेगा। परन्तु मेरा निवेदन करना यह है कि इस बात की सही जांच होनी चाहिए। सिपाहियों के साथ न्याय होना चाहिये। वे रात भर कमर बांध कर गांवों में, शहरों में जिस तरह चलते हैं, तो उनकी वेतन वृद्धि होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। समय पांच मिनिट।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, हम लोग काफी समय से इन्तजार कर रहे हैं। 8-8 घंटे बैठकर इन्तजार कर रहे हैं और केवल पांच मिनट दिये जा रहे हैं जब कि पहले बोलने वालों को अधिक समय दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आम तौर से नाम जो पुकारे जाते हैं, उस क्रम के अन्दर, जो आपके सचेतक महोदय नाम देते हैं। उसके बाद में विषय को सदन के सामने प्रस्तुत करते हैं। शुरू-शुरू में बोलने वाले प्रत्येक दल के वक्ता को हम कुछ अधिक अवसर देते हैं। उसके बाद में समय की सीमा पाबन्द करते हैं। उसके बाद में 7 मिनट देते हैं, और फिर पांच मिनट देते हैं। दुर्भाग्य से आपका समय आवे तब तक दो-तीन मिनट का समय भी दे सकते हैं। इसलिए आपके सचेतक महोदय, कभी नाम ऊपर देते हैं तो आपको अधिक समय मिल जाता है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। यह मैंने आपको नम्र निवेदन कर दिया।

श्री नन्दलाल मीणा। समय पांच मिनट।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़ जिले की प्रतापगढ़ तहसील में वर्तमान में जो वहां की जनता में आतंक और भय का वातावरण बना है, वहां पर चोरी, डकैती, नकबजनी, हत्याएं जिस ढंग से हो रही हैं, उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाये हैं। जो घोषणा की गई थी उस घोषणा की पालना अभी तक नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ तहसील में आदिवासी बाहुल्य है। यहां के व्यक्ति शान्त प्रकृति के व्यक्ति हैं उन्हें रोजी रोटी से जूझा रहना पड़ता है परन्तु एक वर्ष से वहां पर चोरी डकैती, हत्याएं, बलात्कार इतनी ज्यादा हो रही हैं कि सरकार के जयपुर के आई. जी. साहब को मजबूर होकर

(श्री नन्दलाल मीणा)

दौरा करना पड़ा और दौरा करके उन्होंने इस बात की घोषणा की थी प्रतापगढ़ में कि चूंकि यह इलाका भी भरतपुर और धौलपुर की तरह बढ़ता जा रहा है, इस इलाके में और सीमा पर मध्य प्रदेश है, उससे सीमा मिलती है इसलिये उस सीमा पर कुछ चौकियां कायम की जायें। पुलिस अधीक्षक ने भी प्रतापगढ़ में अपने प्रवास के दौरान इस बात की घोषणा की थी कि तत्काल व्यवस्था की जाये परन्तु अब तक जब उसके बाद में 2-3 हत्यायें और हो गयी हैं, फरवरी के महीने में तो भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। इसके अलावा यह अफीम का उत्पादन इलाका है और वहां से अफीम की काफी तस्करी भी होती है उसको रोकने के लिये भी वहां पर कुछ व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही आये हुए पुलिस अधिकारियों ने यह भी व्यवस्था की थी कि चूंकि चोरी डकैती ज्यादा होती है, इसलिये स्थानीय लोग भी सहयोग करें। इसके लिये जो भी हथियार का लाइसेंस चाहता है उसको सरकार लाइसेंस देगी, व्यवस्था करेगी किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है, अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में एक बसांड के सरपंच श्री लालजी आजणा है जो कि एक काफी समृद्ध व्यक्ति हैं और कांग्रेस के सरपंच हैं, उनके हथियार सिर्फ एक वर्ष में नवीनीकरण नहीं करने के कारण जब्त कर लिये गये और आज दिन तक वह आपके चक्कर लगा रहा है लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने इस प्रकार की हरकतों के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही की यह विशेष है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रतापगढ़ में वर्ष में 10-20 हत्यायें होती हैं और 81 चोरी, डकैती, नकबजनी जिसको पुलिस डकैती मान लेती है इस प्रकार की घटनायें हुयीं। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण जिससे कि आप निष्कर्ष पर पहुंच जायें कि पुलिस किस प्रकार कार्यवाही कर रही है देना चाहता हूं। एक 1.6.80 को भगवाना पिता कचरू मीणा माल्याडिगाव किणा मन्दोसर जिले के गांव के श्री गणपत, श्री शंकरलाल, श्री लाल ने मिलकर भगवाना मजदूर जो कि गणपत के यहां पर बंधुआ मजदूर, के रूप में कार्य कर रहा था, की हत्या कर दी। वह बंधुआ मजदूर 700 रुपये में काम करता था उसके ऊपर दोनों तरफ लोहे की शम्बल डालकर श्री गणपतसिंह ने उसके ऊपर शटल घुमायी जिससे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गयी। वह वहां से भागा और भागकर 21 मई, '80 तारीख को भर्ती हुआ और 1 जून को उसकी हत्या हुयी, हत्या के होने के बाद में डी वाई. एस. पी. प्रतापगढ़ द्वारा इसकी तफतीश शुरू करने के बाद में जो मुख्य गवाह था; चश्मदीदी गवाह था खचरू मीणा, उसके बयान कलम बन्द करवाये। हत्या होते ही उसके बयान ताजीरात हिन्द धारा 164 के अन्तर्गत बयान लिये गये, सेशन जज प्रतापगढ़ के सामने और कलम बन्द किये गये, जिससे कि बाद में गवाह बदल नहीं जाये। परन्तु होता क्या है, जब चालान पेश करने की स्थिति आ चुकी थी तो उसमें हस्तक्षेप हुआ और मैंने यह प्रश्न, सातवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में भी उठाया था। तत्कालीन मन्त्री रामपाल उपाध्याय, जो उस समय गृह उप मन्त्री थे और गृह मन्त्री का काम देखते थे, उनसे कुछ लोग मिले और इसके साथ ही उसकी बेवा पत्नि भी मिली और वे इस

(श्री नन्दलाल मीणा)

बात की मांग कर रहे थे कि मेरे पति के हत्यारे को पकड़ा जाये और जो डी वाई. एस. पी. प्रतापगढ़ के बजाय निम्बाहेडा के डी वाई. एस. पी. को लगा दिया गया है उसको हटाकर वापस प्रतापगढ़ के डी वाई. एस. पी. को लगाया जाये या इस केस की जांच सी. आई. डी. से करवायी जाये लेकिन उसकी बात को नहीं माना गया। इसके बाद जो मुख्य बातें हुयीं वे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उसके बाद में जो निम्बाहैडा के डी वाई. एस. पी. को दिया गया था तो उस डी वाई. एस. पी. ने क्या किया कि ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। भाषण समाप्त हुआ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो कहना चाहता हूं उसके लिये एक मिनट का समय दें। मुलजिमों ने एन्टीसिपेटरी बेल के लिये मन्दोसर न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की। वह वहां पर खारिज कर दी गयी क्योंकि उन्होंने वहां पर अपने सही पते दिये थे। इसको खारिज करने के बाद उन्होंने सेशन जज नीमच के यहां पर गलत पते देकर के अर्जी लगायी परन्तु वहां का पैरोकार जो था उसको यह मालूम था कि ये मुलजिम वहीं हैं और उन्होंने गलत पते दिये हैं इसलिये उस पर जो जांच अधिकारी था निम्बाहेडा का उसको साक्षी देने के लिये बुलाया और निम्बाहेड़ा के डी वाई. एस. ने एक रिपोर्ट बतायी कि अभी जांच रिपोर्ट में कचरू मीणा भी मुख्य अभियुक्त...

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ। आर्डर आर्डर आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : एक मिनट और दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री नन्दलाल मीणा : अच्छा आधा मिनट दें।

श्री अध्यक्ष : एक बात का माननीय सदस्य ध्यान रखें, पांच मिनट का समय होता है हम नहीं चाहते हैं कि आपके भाषण में घण्टी बजाकर बाधा डालें लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पांच मिनट समाप्त होते ही अपनी बात समाप्त कर दें या फिर मैं पुकारू तब बैठ जायें।

श्री नन्दलाल मीणा : एक मिनट दे दें।

श्री अध्यक्ष : नहीं आपने आधा मिनट के लिये कहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : इस प्रकार, अध्यक्ष महोदय, उस हत्या पर पर्दा डालने की बात चल रही है। जो हत्यारा है उसके पास में 200 बीघा खेत है 32 कुए हैं और इसकी सारी चर्चा चित्तोडगढ़ जिले में है कि हत्यारों ने, मुल्जिमों ने पुलिस अधिकारी को हजारों रुपये दिये। इस प्रकार केस रफा दफा करने की कार्यवाही की जा रही है और मुझे तो यहां तक जानकारी है कि पुलिस अधिकारियों ने ही आई. जी. को पत्र लिखा है कि इसकी जांच जो हो रही है वह निष्पक्ष नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री नन्दलाल मीणा : जिस पुलिस अधिकारी ने गलत ढंग से मुल्जिमों को बचाने

(श्री नन्दलाल मीणा)

की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्यवाही करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल। समय का ध्यान रखें।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस और जिला प्रशासन के बारे में कुछ सुझाव दूंगा। अध्यक्ष महोदय जो यहां माननीय सदस्यों ने स्थिति भ्रष्टाचार के बारे में बतायी तो मुख्य रूप से उसके सबसे बड़ा जिम्मेदार तो यह सदन है, हम हैं क्योंकि हम आज की मौजूदा शासन प्रणाली की व्यवस्था को बदलते तो हैं नहीं और हम में बदलने की हिम्मत भी नहीं है। जो अंग्रेजों के जमाने में व्यवस्था थी वैसा ही यह हमारे यहां का ढांचा चल रहा है। आज आजादी के बाद में जो विधान-सभाओं में इस सम्बन्ध में मुद्दे रखे जाते हैं, रखे गये हैं कोई समय रहा हो, कोई भी शासन रहा हो ऐसा नहीं हुआ है कि ये बातें नहीं रखी गयी हो और फिर भी यह इस प्रकार से बातें रखते हैं जितनी रखते हैं ये उतनी ही बढ़ती चली जा रही है तो क्यों? क्योंकि ये अधिकारी सब जानते हैं, सब लोग सब जानते हुए भी, जन प्रतिनिधि जानते हुये भी जानकारी रखते हुये भी कुछ करते नहीं है। तो वे निर्भय हो गये हैं। यह जनता शासन आने के बाद, शासन बदलने के बाद तो उन्होंने यह मान लिया है कि हम तो राज करते ही रहेंगे और ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो कम से कम एक उदाहरण पेश करूं कि सपूत बाप का अगर कपूत बेटा है और वह गलत आदतें उसकी देखकर नहीं देखे तो उसको डर लगा रहता है कि बाप को पता न चले। अगर बाप देख ले और फिर भी बाप कुछ न करे तो वह दुगनी करेगा। इसलिये चर्चा नहीं करें यह सोचें की जन-प्रतिनिधि, जो हम पर शासन करते हैं, को अगर हमारी कार्यवाही मालूम हो जायेगी तो क्या पता वे क्या करेंगे। लेकिन हम रखते हैं और खुले रूप से रखते हैं और लम्बी चौड़ी बातें होती हैं और उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है तो वे निर्भय हो जाते हैं।

यह स्थिति है इस बात की। दूसरा मैंने जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पढ़ी तो इसमें जो आंकड़े मैंने देखे कि इसमें आदमी तो 483 काम कर रहे हैं जिसमें आफिसर्स भी हैं और छोटे कर्मचारी भी हैं और केस पकड़े हैं 38 इन 38 आदमी में भी पुलिस डिपार्टमेंट का एक भी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट का एक भी अधिकारी नहीं है तो क्या यह मान लिया जाये कि पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वत खतम हो गयी है। मेरा निवेदन यह है कि विशेषकर के आई. जी. साहब से जो मैंने सुना है कि बड़े ईमानदार आदमी हैं और दूसरी हमारे विश्नोई साहब जो ए. सी. डी. को सम्भाले हुये हैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को कम से कम यह सुझाव दें ताकि रिश्वतखोरी खतम हो, भ्रष्टाचार खतम हो, आज आप चाहें कि हम प्रूफ करें जो रिश्वत देता है तो वह कैसे साबित करेंगे। सर्व करने को ही लें कोई रजिस्ट्री कराता है, नामान्तरकरण करताहै तो कोई एफ. आई. आर. तो आवे मुकदमे तो दर्ज ही नहीं होते हैं। रिश्वत लेते हैं सब जानते है कि यह दिन दुनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। हम बहस करते हैं तो उससे ज्यादा

२१६

(श्री तेजपाल यादव)

बढ़ रही है तो इससे गरीब आदमी का भला नहीं हो सकता है आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर के नाम पर खुदा के नाम पर यहां पर बहस न करें। जहां जितनी चर्चा करते हैं उतनी ही बढ़ती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। पांच मिनट हो चुके हैं।

श्री तेजपाल यादव : मैंने दो मिनट लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, अगर हमें रिश्वतखोरी खतम करनी है, भ्रष्टाचार मिटाना है, तो कम से कम, जैसे रामायण में पण्डितों से सुनते हैं कि सीताजी पर लांछन लगाया था, और सीताजी ने साबित किया था कि मैं सतवन्ती हूं तो आज कोई भी कर्मचारी, कोई भी ग्रामीण यह लगाता है कि फला अधिकारी भ्रष्ट है तो वह साबित करे कि मैं भ्रष्ट नहीं हूं। मैंने कितनी एफ. आई. आर. दर्ज की हैं, इतने मेरे केसेज हैं, सबमें जाकर जांच कर लीजिए, मैं बयान करवा सकता हूं कि मैंने रिश्वत नहीं ली, अगर यह व्यवस्था कर सकते हैं तो रिश्वत बन्द होगी, नहीं तो कभी रिश्वत बन्द नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य

श्री तेजपाल यादव : दो मिनट

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज

श्री तेजपाल यादव : दो मिनट

श्री अध्यक्ष : आर्डर, भाषण समाप्त हुआ।

श्री तेजपाल यादव : एक मिनट

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य जद्दोजहद नहीं होगी। पांच मिनट में निवेदन कर दिया, पांच मिनट बैठाने में और लग जाते हैं। श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : अध्यक्ष महोदय, बोलने के लिए तो बहुत कुछ हैं लेकिन विशेष कुछ नहीं बोलूंगा। पांच मिनट जितना मसाला है मेरे पास। पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी यहां बैठे हैं। इन आई. जी. साहब से पहले जो आई. जी. साहब थे उन्होंने कुछ अच्छे अधिकारियों के रिमार्क्स लगाकर उनके प्रमोशन में धक्का लगा दिया है, उनके नाम मैं बताता हूं। एक है जगदीश नरूका डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट रिमार्क्स लगा दिया। मैं समझता हूं उसकी जांच करेंगे। एक एफ. सी. सैनी हैं। इनके पास कई केन्द्रीय मन्त्रियों के, न्यायाधीशों के कई प्रसंशा पत्र हैं, लेकिन इनके भी रिमार्क्स लगा दिया. इनके बारे में यह भी है कि इन्होंने ए. सी. डी. में कई केसेज पकड़े, लेकिन उनकी ए. सी. आर. में रिमार्क्स लगा दिये और उनका प्रमोशन रुक गया। एक श्री आर. के. सरोलिया हैं जिनके बारे में भूतपूर्व आई. जी. साहब ने रिमार्क्स लगा दिये उनके पास 126 प्रसंशापत्र हैं। इनके रिमार्क्स लगाने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन

करूंगा मन्त्री महोदय से कि इसके बारे में जांच कराई जावे।

एक भूतपूर्व आई. जी. साहब ने क्या किया, 1962 के महिला एस. आई. का प्रमोशन रोक दिया। इनका प्रमोशन शुरू करवाया जाय जिससे इनको पूरा लाभ मिले। अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बात है। प्रशासन सम्बन्धी कि लोग आठ घण्टे से ज्यादा ड्यूटी करते हैं तो उनको ओवरटाइम मिलता है। पुलिस विभाग के कर्मचारी की 24 घंटे ड्यूटी होती है उनको वैसे ही वेतन कम मिलता है, जब कि पदोन्नतियां बड़ी मुश्किल से होती है, उनका काम वैसे ही कठिन होता है। मुझे समय बहुत कम मिला है, पांच मिनट का। ये विधान सभा में जो लोग ड्यूटी लगाते हैं, उनको ओवर टाइम नहीं मिलता। कृपया इसकी जांच कराई जावे, उनको 24 घण्टे ड्यूटी देनी पड़ती है। इसकी जांच कराई जावे और पूरी सुविधायें इनको मिलनी चाहिए

श्री अध्यक्ष : जो लड़ाई में जाते हैं उनको ओवर टाइम मिलता है क्या ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वे तो जब लड़ाई होती है तब लड़ते है इनको तो 24 घण्टे लड़ाई लड़नी पड़ती है, अन्दरूनी तत्वों से लड़ाई लड़नी पड़ती है। इनको सारी सुविधायें दी जानी चाहिए, इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जितनी माननीय सदस्यों ने मांगें उठाई हैं उनको पूरा किया जाय, धन्यवाद।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमको भी समय मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अभी दे दूंगा समय आपको। श्री जी. सी. कटारिया। पांच मिनट। समय का ध्यान रखें कृपया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : जो कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है उसमें बहुत बड़ा हाथ जन प्रतिनिधियों का है जो पुलिस के हर काम में इन्टरफियर करने की कोशिश करते हैं। श्रीमान, अगर हम केवल अपनी एक आदत को सुधार लें कि हम कम से कम दखलन्दाजी करें और उन्हें काम करने का अवसर दें और उसमें आपको गलती लगे, आपको लगे कि कहीं रास्ता भटक कर गलत निर्णय कर रहे हैं तब अगर हम इस शक्ति का उपयोग करें तो कानून और व्यवस्था सुधारने में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि पुलिस बहुत अच्छी है, इनमें भी बहुत कमियां हैं। मैं उसमें सुधार यह चाहूंगा, हजार कमियां होते हुए भी सबसे नीचे की श्रेणी में जो कांस्टेबल खड़ा है उसकी तरफ भी हमारी निगाह जरूर जानी चाहिए। जो अपने बाल बच्चों को कहीं रखते हैं, स्वयं कहीं रहते हैं, और 18-18 घण्टे अपना बेज लगाए खड़ा रहता है अर्दली में और जब चाहे कहीं भी उसको दौड़ा दिया गया, अपने परिवार के साथ वह रह नहीं सकता, अपने बच्चों को वह पढ़ा नहीं सकता तो कम से कम मैं इतना सरकार से जरूर चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो तो उस कांस्टेबल के कम से कम बच्चों की अच्छी तरह की शिक्षा की कोई व्यवस्था कर दें, उनके लिए बजीफा तय कर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दें, कि वह हाइ स्कूल तक पढ़ेगा तो हम 15, 20 रुपया महीना देंगे। या फिर उनको कोई एक्स्ट्रा अलाउन्स देंगे तो उनके मन में निश्चित रूप से यह आयेगा कि मैं सरकार के जिस काम के लिए तैनात हूं, उसने मेरे बाल बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। इससे निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरेगी। पिछले वर्ष के आंकड़े आपने दिए हैं, इन आंकड़ों से तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था हर साल सुधरती चली जा रही है, 1975 से लगातार देखते आवें, डकैतियों में लगातार कमी आई है जब कि अखबारों में हम रोज पढ़ते हैं कि इतनी डकैतियां बढ़ती जा रही हैं और इस साल तो पराकाष्ठा हो गई। उसके बाद आंकड़े दिए हैं 1977 में 141, 1978 में 127, 1979 में 111 और अभी आकर 1980 में 116, लगातार कम हो रहे हैं इससे तो लगता है कि कानून-व्यवस्था सुधर रही है। क्या हम सब लोग इस बात को मानने को तैयार हैं? आंकड़ों पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये। कोई भी समझदार नागरिक क्या इस बात को मानने के लिए तैयार होगा इन आंकड़ों के आधार पर, आज कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी है? गांवों में जाकर आप पूछेंगे तो यही पायेंगे कि आज की परिस्थितियों में कानून-व्यवस्था बिगड़ती चली जा रही है।

श्रीमान, इस कानून-व्यवस्था बिगड़ने के पीछे मैं आपका ध्यान उदयपुर में जो अभी घटना हुई है और जिस ढंग से उदयपुर आज भी अशान्त पड़ा है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मैं किसी पर विशेषतया लांछन नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूं हम किस सीमा तक जाय जिस कारण से कि कानून-व्यवस्था सुधर सके। श्रीमान, यह दो विद्यार्थियों के ग्रुप का झगड़ा है यह बहुत लम्बे अर्से से चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है, कभी ये इनको मारते हैं, कभी ये भी इनको मारते हैं, दोषी दोनों हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता चाहता। जो भी दोषी हो उसको सजा दी जाय और कठोरता से सजा दी जाय, मैं इसके लिए बिलकुल तैयार हूं क्योंकि अगर बदमाशों को संरक्षण देंगे तो वातावरण अशान्त हो जायेगा। 19 जनवरी को बी.एन. कालेज के प्रेसिडेंट को एक दूसरे ग्रुप ने चाकू मारा और फिर इस चाकू के बाद, जब उनको मौका मिला तो बी. एन. कालेज के विद्यार्थियों ने उनको पीटा। विद्यार्थियों पर केस बनाए गए, इस तरह से झगड़ा चलता रहा। श्रीमान, यह झगड़ा जैसे ही चल रहा था, मैंने 4 तारीख को कलेक्टर साहब, एस.पी. और सिटी मजिस्ट्रेट से एक साथ एक जगह बुलाकर निवेदन किया कि ये जो ट्रकों में बैठ कर हथियार लेकर कभी इधर घूमते हैं कभी उधर घूमते हैं, कभी किसी न किसी की जान जायगी, आप इसको सतर्कता से निपटाने का प्रयत्न करें। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस बारे में वे सचेत हैं। मैंने कहा स्थिति बिगड़ती जा रही है और कंट्रोल नहीं होगी। वी.सी. साहब से मेरी बात हुई। श्रीमान, कलेक्टर की नेगलिजेंसी के कारण इतना बड़ा काण्ड हुआ, यह सब वाकया उनकी जानकारी में था। 13 तारीख को झगड़ा हुआ. जिस तरह से रिपोर्ट अजीतसिंह ने लिखाई थी कि मेरी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कक्षा के दो लड़के श्री मदनलाल सांसी और रामेवश्रलाल सांसी ने मिलकर बिना किसी कारण के मेरा हाथ पकड़ कर खींच लिया व मुझे मारा जिससे बुरी तरह खून बहने लगा, यह रिपोर्ट 14 तारीख को दर्ज कराई। उसी के आधार पर वहां जो बी. बी.शर्मा हैं, जो वहां के डीन थे, उन्होंने भी पुलिस में जाकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि यह झगड़ा हुआ है। यह 13 तारीख की शाम की बात है। इसके बाद भी पुलिस सतर्क नहीं हुई और उसके कारण 14 की घटना है, आपने समय बहुत कम दिया है, इसलिए मैं इसको जल्दी कहता जा रहा हूं।

3 तारीख की घटना के बाद 14 तारीख प्रातःकाल लगभग 11 बजे कुछ विद्यार्थी जे.सी. छात्रावास में एकत्रित हुए। एकत्रित होकर हाल में मीटिंग की। मीटिंग की जानकारी पुलिस को हो चुकी थी कि मीटिंग हो रही है। उसके बाद उनको उकसाया गया कि आज हमें बदला लेना है। बदला लेने के बाद हमारा जो बस स्टेण्ड लगभग तीन फर्लांग आगे है, बस स्टेण्ड पर हथियार लेकर, बिलकुल सड़क पर दौड़ कर आए और आकर टेम्पो वालों को मजबूर किया, टेम्पोज में बैठे। सूरजपोल चौराहे पर जहां मुख्य थाना है, कन्ट्रोल रूम है, उसके सामने हथियार ले कर गए। आज जहां जनजाति आयुक्त का आफिस है, वहां फाटक से घुसे हैं और कालेज में गए हैं और फायरिंग करके कहा है, कौन है। गाली देकर कहा, आ जाओ। उसके बाद जब आगे लड़के नहीं मिले, भगदड़ मची, दूसरे गुट के लड़के होस्टल में चले गए और दूसरे गुट के लड़के के होस्टल में जाकर मैदान में गए, फायरिंग किया और गाली देकर कहा आओ मुकाबला करना है, बुजदिल कहां छिप गए हो। यह चलता रहा जब तक गोलियां थीं, फायरिंग होती रही जब तक दूसरे गुट की तैयारी थी। उदयपुर का बच्चा-बच्चा जानता था कि झगड़ा बढ़ेगा। वी. सी. ने 6 तारीख को पत्र लिखा लेकिन हमारी पुलिस ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया।

"Whatever be the reason for the past incident, I am now more worried about the future I am afraid that the situation may take more serious turn and students may get involved in fighting and quarrel which may prove dangerous and may result in loss of limb and life."

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : केवल इसी घटना के आधार पर अपनी आगे की सारी बातें छोड़ दूंगा, कोई चिन्ता नहीं। श्रीमन्, आपसे निवेदन करूं, इस घटना के बाद जब कालेज में उन लोगों की फायरिंग खतम हो गई तो दूसरे गुट ने आकर उन पर अटेक किया। अटेक करने पर कुछ भागने में सफल हो गए, कुछ लड़के रह गए जिन पर तीखी धार से वार किया और उसके कारण से उसका भेजा अलग हो गया और वहां पर गिर पड़ा। इस तरह जिन्होंने जुर्म किया है उन लोगों को सजा दें, कोई एतराज नहीं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन जिस किसी ने नाम अपना लिखा दिया जो होस्टल में मिल गए उसको बन्द करके 302 का मुल्जिम बना दिया। जो आक्रमण करने के लिए आए थे, मारने के लिए आये थे, आप निर्दोष साबित करके उनको छोड़ देंगे तो झगड़ा शांत नहीं होगा। अगर झगड़े को शांत करना चाहते हैं तो जो लोग हथियार लेकर आक्रमण करने के लिए आए उनके साथ सख्ती से निपटना पड़ेगा लेकिन अफसोस इस बात का है कि उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज नहीं हुई क्योंकि जो हमारे मन्त्री हैं ग्रुप विशेष को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी आप सारे केस को स्वयं मंगा कर देखें, आप अगर मंगायेंगे सारी घटना की बात तो आपका मन स्वयं कहेगा कि इकतरफा कार्यवाही हो रही है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ...

श्री गुलाबचन्द कटारिया : महेन्द्रसिंह डी वाई. एस. पी. को बदलकर एक ऐसे आदमी को लगाया जो मन चाहे अपने ढंग से लोगों को....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अगर इस मनोवृत्ति से कार्यवाही की गई तो शायद लॉ एण्ड आर्डर मेंटेन नहीं कर पायेंगे। जो भी यहां अधिकारी हैं, एस. पी., डी वाई. एस. पी. उनको कांफिडेंस में लेकर जो भी मुलजिम हैं जिन्होंने भी गलती की है, सख्ती से निपटा जाय, निश्चित रूप से उनको सजा दी जाय ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं फिर से गुजारिश करता हूं और मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप स्वयं इसमें ...

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : XXX

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रूपलाल परमार (खैरवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री महोदय को आज पुलिस कर्मचारियों के बारे में हमारे सब साथियों ने सभी तरह के विचार दिए। मैं भी आपकी सेवा में एक-दो बातें जरूर पेश करूंगा। देश के नेता लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। देश के नेताओं ने इस नारे के पीछे सोचा था, इशारा था, देश में कोई भी रक्षा करने वाला है तो जवान है या किसान है। खलिहान में किसान लड़ता है उसी तरह से हमारा यह राजस्थान के जवान या भारत के जवान देश के लिए छोटी-छोटी खड्डियों में पड़े रहते हैं, उनका जीवन वही जान सकता है। उसके साथ आपसे यही निवेदन करूं कि खैरवाड़ा तहसील में वहां एक भील कौर थी, वह उस समय से आ रही है। आज मुख्य मन्त्री ने मेहरबानी की वहां बटालियन का आदेश हुआ, हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां पर भर्ती भी हुई फिर भी हमारी किस्मत। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आदिवासियों के

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रूपलाल)

भले के लिए ही आपसे निवेदन करूंगा। आदिवासियों का भला कांग्रेस पार्टी के लिए ही हुआ है और उनके द्वारा ही होगा, हमारे राजस्थान के नेता जगन्नाथ पहाड़ियाजी के द्वारा ही हमारा भला होगा, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। आज हमको आशा है और प्रसन्नता है कि हमारे राजस्थान के गरीब वर्गों का, आदिवासियों का उत्थान पहाड़ियाजी के हाथों से ही होगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्री रूपलाल : एक मिनट और लूंगा। हमारे सामने विरोधी दल के नेता भाषण बहुत देते हैं। आप इस बात को भूल गए हो। जो राजा होता है वह देश की और मानव की रक्षा करता है और वह न्याय देता है, उस का कर्त्तव्य है वह राजा होता है। मनुष्य कभी-कभी मनुष्य के गले पर छुरी लगाता है और मनुष्य का खून चूसता है, यह मानव का कर्त्तव्य नहीं है। मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि खैरवाड़ा तहसील में एम. बी. सी. है, वहां पूरे बटालियन की भर्ती की जावे और पुलिस ट्रेनिंग सैन्टर खैरवाड़ा में रखा जावे तब आदिवासियों का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मन्त्री से बार-बार निवेदन करूंगा कि हमारे आदिवासी की भलाई एम. बी. सी. से होगी। एम. बी. सी. के जवान डाकू को पकड़ने गए तब कई सिपाहियों ने देश के लिए गोलियां खाई हैं और यही आज काम कर रही है। एम. बी. सी. के जवान ईमानदार हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री रूपलाल : दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया सहयोग दें....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। 5 मिनट से कम समय देता हूं तो आप उस विषय के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं भाषण नहीं करना चाहती, मैं केवल आपसे ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

व्यवस्था का प्रश्न

कटौती प्रस्तावों के लिखित उत्तर

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

222

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल व्यवस्था चाहती हूं, मैं भाषण देना नहीं चाहूंगी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं केवल एक आश्वासन चाहती हूं कि जो मेरा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा। कृपया स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भाषण नहीं दूंगी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आर्डर, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आपका कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता अभी। माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनका लिखित में उत्तर आ जाय। आप उनका लिखित में उत्तर दिलाने की व्यवस्था करावें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके उत्तर लिखित में आपके पास पहुंच जायेंगे। ऐसी व्यवस्था है। यह पूर्व में व्यवस्था दी गई है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके लिखित में उत्तर दे दिये जाते हैं। जो कटौती प्रस्ताव यहां प्रस्तुत होते हैं उन्हें सभी को मान लिया जाता है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी कहा गया था पर वह पूरे नहीं आते हैं। आप इसमें तब्दीली कराने की व्यवस्था करावें।

एक माननीय सदस्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, इस तरह आप समय नहीं खराब करें। आर्डर आर्डर। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। आपके दल की तरफ से एक भी नाम नहीं दिया गया। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, हमने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं, ईमान-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दारी से मेरे बोलने का हक पहले बनता है। मैंने सबसे पहले कटौती के प्रस्ताव दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्या। आप सदन की कार्यवाही में बहुत बाधा डाल रही हैं। आर्डर आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव देते हैं और यहां पर तैयारी करके आते हैं और माननीय सदस्यों का बोलने का अधिकार है उन्हें समय नहीं दिया जाकर यह उनके अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या. आप बहुत समय ले रही हैं, आप स्थान ग्रहण करें। मेरी मजबूरी है। आप स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोर्डर एरिया के लोगों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं। वहां पर बोर्डर एरिया के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री देवीसिंह भाटी : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज। श्री मुख्य मन्त्री जी।

मांग संख्या 16,3,4 व 6 पर विचार

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष जी, आज लगातार कई घण्टों तक माननीय सदस्यों ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट किये। मैंने लगभग सभी माननीय सदस्यों के विचार बहुत गौर से सुना। जहां बहस के प्रारम्भ में कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें कही जो कि संगत असंगत दोनों थीं मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि प्रथम बार न केवल हमारी कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बल्कि विरोधी दल के कई सदस्यों द्वारा अच्छे अच्छे सुझाव प्रस्तुत यहां किये गये। श्रीमन्, प्रारम्भ की बहस को सुनकर हम अन्दाज लगा लेते और अन्तिम वक्ताओं की बात नहीं सुनते तो शायद हमारी बहस अधूरी होती। इसलिये मैं माननीय सदस्य चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष

(व्यवधान)

के हों, जो उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं उनको धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे चलकर भी वे इस प्रकार का रचनात्मक रुख अपनायेंगे तो माननीय सदस्य की ओर से निश्चित रूप से राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिये सहायता हमको प्राप्त होगी। राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक तरह से बनी रहे,

---

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

अनावश्यक तौर पर यहां पर गलत अफवाहें नहीं फैलायी जायें। पुलिस के ऑफिसर कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन करते रहें बिना भय के और संकोच के करें। इससे बहुत बड़ा लाभ माननीय सदस्यों को देखने का मौका होगा। श्रीमन्, जहां और बातों की चर्चा की गयी, मैं कम से कम पहला मौका देख रहा हूं जब कि माननीय सदस्यों ने जहां जिम्मेदारी पुलिस की या और सरकारी कर्मचारियों की मानी, वहां अपने आपके दायित्व का आभास उनको हुआ। उन्होंने पहली बार सदन के अन्दर कम से कम मेरे सामने तो इस बात को कबूल किया। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब की है कि ठीक प्रकार से पुलिस के और दूसरे कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन करें। इसके लिये आवश्यक है कि हम जितना कम हो सके, अगर बिलकुल न हो सके तो खुशी की बात है, दखल दें तो सभी स्तरों पर काम करने में बहुत आसानी हो जायगी। मैं बहुत अधिक विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। मैंने उनको धन्यवाद दिया और आशा करके चल रहा हूं इस प्रकार के रचनात्मक सुझाव उनके आते रहेंगे, जिस प्रकार के सुझाव उन्होंने दिये हैं न केवल स्वयं बल्कि अपने दलों से उन विचारों का पालन कराते रहेंगे क्योंकि, श्रीमन्, जब काम में दखल देना शुरू हो और वह भी माननीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा, तो बड़ी कठिनाई कर्मचारियों के सामने आ जाती है। कठिनाई उनसे भी ज्यादा जो प्रतिनिधि सरकार होती है उसके सामने और अधिक आ जाती है, एक तरफ तो सरकारी अधिकारियों के कुछ विचार जो कि तथ्यों पर आधारित होते हैं, मैं नहीं कहता कि पूरी तरह से होता हो, तथ्यों पर आधारित कम हो सकता है और दूसरी तरफ माननीय जन प्रतिनिधियों का सुझाव और विचार आ जाय और दोनों में कहीं अंतर हो, सरकार को निर्णय करने में बड़ी कठिनाई आ जाती है कि कौनसी बात सही है कौनसी गलत है। लेकिन पहली मर्तबा सदन ने या कम से कम कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात को महसूस किया कि कम से कम दखल दें और यदि सम्भव हो सके तो बिलकुल दखल न दें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपनी ओर से राजनैतिक दखल नहीं देना चाहती। सरकार की कोशिश बराबर यह रहती है कि ईमानदार, अच्छे मेहनती, लगनशील जो कर्मचारी हैं चाहे वह किसी स्तर के हों उनको बढ़ावा दें। उनका उत्साह हम बढ़ाना चाहते हैं अब केवल उत्साह कहने मात्र से नहीं बढ़ेगा। मैं जानता हूं कि बहुत कठिन परिस्थितियों में हमारे पुलिस के भाई छोटी श्रेणी से लेकर बड़ी श्रेणी तक के जो कार्य करते हैं, उनको जितनी ज्यादा सुविधा हम दे सकेंगे उतना उत्साहवर्द्धन होगा, उनको सुविधायें मिलेंगी। जिस प्रकार की आशा हम करके चल रहे हैं कि राज्य में कानून व्यवस्था कायम रहे तो ज्यादा से ज्यादा अपने कर्त्तव्य का पालन कर सकें, श्रीमन्, इन विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो फैसले किये हैं उनको मैं बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं इसलिए विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचनाओं को ज्यादा उल्लेख के साथ नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनमें से ही कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे विचार प्रकट किये हैं। मैं ऐसी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

आशा करके चलता हूं उनके विचारों का असर विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों पर हो जायगा।

सुश्री पुष्पा जैन : आप पर भी तो हमारे विचारों का असर होना चाहिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मुझ पर तो आपका बहुत असर होता है अच्छा सुझाव है। लेकिन यह होता तभी है जब अच्छी बात करते हैं या अच्छा सुझाव देती हैं वरना कई बार आधारहीन बात हो जाती है तो वह बात नहीं होती। तो इसलिये मैं आज के समय में क्या हो रहा है कितने अपराध बढ रहे हैं चोरी, डकैतियां, हत्यायें, नकबजनी। पिछली सरकार के सामने क्या हुआ था आज की सरकार के विचार आज के कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों के विचार के सामने अगर आप चाहें तो आप लोगों ने अपनी सरकार के बारे में क्या कहा था यह सब रिकार्ड की बातें हैं आप कहें तो मैं पढ़ कर उनको सुना दूं।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा में तो भाषण होता ही है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : वरना इस बात की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, श्रीमन्, उस समय विरोधी दल के सदस्य आज यहां पर सत्ता पक्ष में विराजते थे तब उनके ही माननीय सदस्यों ने कुछ कहा था। मैं आशा करके चलता हूं कि वे याद कर लेंगे तो पर्याप्त हो जायगा। हमको उन बातों को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

श्रीमन्, मैं इसलिए क्या क्या उपाय किये गये, दो तरह के उपाय हमारे थे। एक तो ऐसे जिसको कि हम सामूहिक, कलेक्टिव कहते हैं जिसका असर सारे समाज पर पड़ता है, सारे प्रांत पर पड़ता है, और कुछ ऐसे हैं जिनका असर व्यक्तियों पर पड़ता है। इसलिए श्रीमन्, अक्टूबर से लेकर दिसम्बर के महीने में एक अभियान चलाया गया जिसमें इस बात की तलाश की गयी कि कितने प्रकार के सामाजिक अपराध होते हैं और असामाजिक तत्व होते हैं उन सभी असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और जिनको पाया गया कि वाकई ऐसे अपराधी हैं जो लगातार अपराध करते ही रहते हैं उनके खिलाफ केस भी दर्ज किये गये और उनके सम्बन्ध में हिदायत दी गई। श्रीमन्, कुछ अपराधी ऐसे थे जो कि साधारण अपराधी की संज्ञा से भी आगे बढ़ गये हैं और वह अपराधी लगातार अपराध करते ही रहते हैं, उनका हौंसला बढ़ता ही जाता था क्योंकि यह बहुत सक्षम हैं, किसी प्रकार से चाहे साधन के हिसाब से कहें, कला निपुण हैं अपने काम में, उनका पकड़ में आना बहुत कठिन हो रहा था। इसलिए ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए श्रीमन्, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का सहारा भी लिया गया लेकिन मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस अधिनियम के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि वाकई अपराधी नहीं है, हम नहीं पकड़ना चाहते हैं और जिस प्रकार से पिछली सरकार ने बेतहाशा राजनीति से प्रेरित होकर हमारी पार्टी के लोगों को तंग किया था, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि केवल अपराधी ही पकड़े जायें और कोई नहीं।

सुश्री पुष्पा जैन : पथैना काण्ड याद है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हां, वह बता दूंगा केवल उनको ही पकड़े जो वाकई अपराधी हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आपने तो सारा हिन्दुस्तान ही बन्द कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य, बातें नहीं करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : और इसलिये पूरी जांच पड़ताल इस बात की, की जाती है नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपराधी नहीं है वह निरपराध नहीं पकड़ा जाय। राजनीति की बू उसमें नहीं आनी चाहिए। केवल वह व्यक्ति जो अराष्ट्रीय काम करता है, असामाजिक काम करते हैं उनको ही इसमें बन्द किया जाता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले भी किया था। गोकुलभाई भट्ट को किया था। बैड एलीमेंट कह कर किया था।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कोई व्यक्ति गलत काम किसी समय कर सकता है, कोई भी काम समय के हिसाब से तय किया जाता है और इसीलिए हमने इस बात के आदेश भी दिये कि जो भी व्यक्ति, भाई और बहिन अपनी तकलीफ लेकर थाने पर आये उसका केस रजिस्टर होना चाहिए, चाहे वह माइनर नेचर का ही हो। हम जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से कि बहुत सारे लोग जो पुलिस के थाने में जाते हैं अपना केस रजिस्टर नहीं करा पाते होंगे लेकिन इस बात से भी हम बेखबर नहीं हैं कि कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं जिनके खिलाफ कोई अपराध नहीं हुआ है, जिनको तंग नहीं किया गया है लेकिन पुलिस कर्मियों को, या दूसरे अपने अड़ोसी पड़ोसियों या दुश्मनी निकालने की वजह से केस दर्ज कराये जाते हैं। इसलिये सरकार ने इस बात के आदेश दिये हैं कि केस कैसा भी हो उसको दर्ज करें। इससे निश्चित रूप से केसों की संख्या बढ़ेगी, बढ़ी है लेकिन इस बात का ध्यान रख कर हम चल रहे हैं कि कोई तकलीफ पब्लिक को है। वह केवल यह सोचकर कि हम पुलिस में जायेंगे तो हमारी सुनवाई होगी, घर पर नहीं बैठना चाहिए जहां इस बात का ध्यान रखकर चल रहे हैं ..

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं हो रहे हैं पहाड़िया जी आपके कुम्हेर में ही।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : वहां हमें इस बात का भी ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि इसकी तुरन्त जांच पड़ताल करने के बाद ऐसे मामलों की छांट की जाती है और पुलिस वालों को तो हमने इस बात से आवस्त कर दिया है कि उनके सर्किल में उनके क्षेत्रों में अपराधों की संख्या बढ़ी है रजिस्ट्रेशन की तो उसको रोकें नहीं। वह गलत है तो गलत होने पर गलत साबित हो जायगी और मानो सही है तो सही साबित हो जायगी। गलत तरीके से कोई रजिस्टर हो गया है तो पुलिस वाले ऐसा मानकर नहीं चलें कि उनके क्षेत्र के अन्दर अपराध बढ़ रहे हैं और उनको किसी प्रकार का नुकसान होगा। सरकार इस बात को जानती है हमने छूट इस बात की दी है

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

सबको पुलिस थाने में आना चाहिए। पुलिस थाना वास्तव में राहत का केन्द्र बनना चाहिए जहां सद्व्यवहार उनके साथ में हो उनकी बात की सुनवाई हो और जो राहत तत्काल मिल सकती है वह तत्काल मिले और तत्काल नहीं मिल सकती है उसकी कायदे कानून के तहत कार्यवाही हो।

श्रीमन्, इसीलिए चूंकि यहां पर अपराध और तरह के होने के साथ साथ राष्ट्रीय मार्गों पर भी अपराधों की चर्चा काफी इस सदन में हो चुकी है, हो सकता है कुछ बढ़े हैं इसीलिए हमने पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है और आगे के लिए इस बात की हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय मार्गों पर जहां पुलिस पेट्रोलिंग और बढ़ाई जाय उसके साथ साथ अन्य मार्गों पर भी इस प्रकार का पेट्रोलिंग हो जो हमारे सीमित साधनों में जितना सम्भव हो सकेगा हम करेंगे।

श्रीमन्, साम्प्रदायिक सद्भावना बनाये रखने में हम सभी का सहयोग है, यह मैं मानता हूं। किसी एक व्यक्ति को या पार्टी को श्रेय नहीं देना चाहता। मैं सारे राजस्थान की जनता को बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि राजस्थान में कुल मिलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बना रहे। जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर और सम्प्रदाय के आधार पर इस प्रकार के तनाव चाहे हुए हों, हो सकता है कहीं गड़बड़ी भी हुई हो लेकिन कुल मिलाकर देश के अन्य राज्यों के मुकाबले हमारे राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी रही है। मैं आशा करके चलता हूं कि राजस्थान की जनता जिस प्रकार से शांति प्रिय है इसी प्रकार का साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखेगी। हम सभी, इस दल के चाहे उस दल के सदन के सारे के सारे सदस्यों से मेरी यह अपील है कि जिस प्रकार अब तक योगदान दिया है उसी तरह से न केवल अपने आपको संयम में रखें बल्कि स्थानीय लोगों को इस बात की प्रेरणा दें कि जिस प्रकार का संयम अब तक हमने रखा है कुल मिलाकर सारे राजस्थान में वह संयम कायम रहे और सारे हिन्दुस्तान के लिये राजस्थान साम्प्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल बन जाय।

श्रीमन्, इन दिनों के अन्दर काफी डकैतियों की चर्चा होती रही। अपराध बढ़ते हैं निश्चित रूप से अनेक कारण उसके होते हैं। एक कारण उसका आबादी का बढ़ना भी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाती है अपराधों का अनुपात भी बढ़ता रहता है। यह केवल राजस्थान के ही नहीं सारे देश को, सारे देश के ही नहीं दुनिया के तथ्य हैं लेकिन सबसे बड़ा अपराध जो माना जाता है, उसमें जो और अपराध हैं डकैती काफी बड़े पैमाने पर लोगों को तंग करती है, उससे भय का वातावरण पैदा हो जाता है। इसीलिए हमने इस बात की कोशिश की है कुछ विशेष दस्ते इस बात के लिए तैनात किये हैं और उनको प्रशिक्षित किये जिससे कि इस काम में वह दक्ष हों। मुझे इस बात को कहते हुए बहुत खुशी है कि पुलिस ने काफी मामले इस प्रकार के दर्ज ही नहीं किये बल्कि कई मामलों में पुलिस की मुठभेड़ भी हुई।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

(8.57 सायं)

(श्री तकीउद्दीन, सभापति पदासीन)

मुठभेड़ हुए, मामले लगभग 38 हैं। न तो यह सन्तोष की बात है और न खुशी की बात है लेकिन जो असलियत है वह आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि पिछले दिनों में 25 डकैत मारे गये पुलिस की मुठभेड़ में। यह बड़ा बहादुरी का काम है पुलिस का। हम सब पुलिस को जितनी इस बात के लिए बधाई दें उतना ही कम है क्योंकि 38 मुठभेड़ों में 25 डाकुओं का मारा जाना और 5 डकैतों का आत्म समर्पण कर देना इस बात का प्रतीक है। न केवल 25 डकैत मारे और 5 डकैतों ने आत्म समर्पण किया बल्कि 25 डकैत गिरफ्तार किये गये। यह इस बात का प्रतीक है कि मुस्तैदी के साथ इन डकैतों का सामना करने की हमारी पुलिस कोशिश कर रही है....

श्री नन्दलाल मीणा : डकैतियां कितनी हुई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, कुछ डकैतियां ऐसी हैं कि जो अन्तर्राज्यीय हैं। केवल हमारे राज्य में नहीं दूसरे राज्यों में या दूसरे राज्यों के लोग हमारे राज्य में आकर डकैती करते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमावर्ती इलाके और हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र काफी चर्चा के विषय रहे हैं। इसलिए श्रीमन्, इन तीनों राज्यों की चर्चा लगातार हो रही है, चौथे राज्य की चर्चा हुई नहीं। एक जोइन्ट कमान पुलिस का बनाने का प्रयास चल रहा है जिससे सीमावर्ती इलाकों में होने वाली डकैतियों के केसेज में मुस्तैदी के साथ डीलविथ किया जा सके।

श्रीमन्, इसी प्रकार से कुछ अवैध हथियार काफी चर्चा का विषय रहे हैं वह सही बात हो सकती है कुछ पकड़े भी गये हैं। इस मामले के अन्दर तेज गति लायी जायगी जिस प्रकार के भी अवैध हथियार हों उनको न केवल डिसअपाइन्ट किया जाय बल्कि बरामद किया जाय तो बहुत लाभ होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं एक बात पूछना चाहूंगी....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। इंट्रप्शन मत करिये। बाद में आप स्पष्टीकरण करें, बीच में नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय,....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। यह परम्परा ठीक नहीं है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : जब काम का दायरा ज्यादा होता है, तो काम करने में कठिनाई होती है। दो पुलिस रेंज नये बनाये अजमेर और भरतपुर में। भरतपुर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने रेंज तो बना दी लेकिन डी.आई.जी. की अलग से पोस्टिंग नहीं हुई। श्रीमन्, यह हमने जान बूझकर नहीं किया।

श्री यदुनाथ सिंह : पोस्ट काहे के लिये बनाई ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तसल्ली से सुनें तो बताऊं । श्रीमन्, हम देखना चाहते हैं कि किस प्रकार के अपराध वहां पर होते थे । क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे किसी अधिकारी की नियुक्ति कर देने तो उन्हीं माननीय सदस्य ने जो विचार यहां पर रखे उनमें एक विचार यह भी आया कि डकैतियां इस इलाके के अन्दर बहुत होती हैं । इसलिए ऐसे व्यक्ति जो डकैती में एक्स-पर्ट हों, डकैती विरोधी अभियान में एक्सपर्ट हों उसको भी ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा । श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं ...

श्री यदुनाथ सिंह : पिलानिया साहब एक्सपर्ट हैं उनको भेज दो ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसलिये मैंने निवेदन किया बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि नये डिवीजन का गठन करें, इस ढंग से करें कि वह कारगर साबित हों और इस प्रकार के अधिकारी को नियुक्त करें जो जाते ही मुस्तैदी के साथ काम करें । कुछ लोगों को हमने कहा है कि इसको ध्यान में रखकर चलें कि आपकी पोस्टिंग इस स्थान पर भी हो सकती है इसलिए कुछ अधिकारियों को अलग से प्रशिक्षित करने की बात भी तय की है ।

श्रीमन्, जयपुर शहर के बारे में काफी चर्चा हुई है । मैं आंकड़े नहीं देना चाहता था । लेकिन कई माननीय सदस्यों ने मजबूर किया है मैं उनको निवेदन करना चाहूंगा कि 1–7–79 से 31–12–79 का जो अर्सा है 6 महीने का उसके मुकाबले 1–7–80 से लेकर 31–12–1980 तक 6 महीने का, पिछले साल डकैती की तीन घटनायें जयपुर शहर के अन्दर हुई थीं जबकि हमारे आने के बाद 3 डकैतियां हुई ।

(रात्रि 9.01 बजे)

(श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

इसी प्रकार, श्रीमन्, पिछली साल जयपुर शहर में 16 कतल हुए और इस साल केवल 3 हुए । इसी तरह से गत साल उनके जमाने के अन्दर 68 लूट की घटनायें हुई थीं जब कि इस 6 महीने के हमारे अर्से के अन्दर 49 इस प्रकार की घटनायें हुईं । तो चाहे डकैती हो, चाहे कतल हो, चाहे लूट हो, आप देखेंगे लगातार गिरावट आई है । चाहे सारे राजस्थान का सवाल हो चाहे जयपुर शहर का सवाल हो, मैं आशा करके चलता हूं आप इस बात का ध्यान करके चलते हैं पुलिस विभाग की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत की जाती है उसको पढ़ लिया करें तो थोड़ी कठिनाई उनको नहीं होगी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोलें ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, बड़े दुख का विषय है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी है, की कोतवाली में एक पुलिस कर्मचारी ने अपने ही एक अफसर के गोली मार दी । बड़े दुर्भाग्य की बात है, श्रीमन्, इस घटना का जितना क्षोभ हमको है हम बयान नहीं कर सकते लेकिन एक नया पाइंट इसमें से निकाला । हमारे एक पुलिस भाई की जान तो गई उसके परिवार को कठिनाई हुई उसके प्रति हमारी पूरी सहानु-भूति है हमारी पूरी संवेदना है लेकिन अब तक इस प्रकार से ड्यूटी पर मारे जाने वाले पुलिस सिपाहियों को इनके कल्याण कोष

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

से केवल डेढ़ हजार रुपया दिया जाता था, श्रीमन्, इस घटना के बाद हमने यह फैसला किया कि ड्यूटी पर मरने वाले व्यक्ति को डेढ़ हजार की बजाय 10 हजार रुपये अनुदान दिया जाय।

श्रीमन्, आपस में बातचीत करके पुलिस के विभिन्न स्तर के अधिकारी अपनी कठिनाइयों का विचार कर लिया करें, सरकार के सामने भेज दिया करें इस बात के लिये हमनें जिला स्तर पर, रेंज स्तर पर, राज्य स्तर पर स्टाफ कौंसिल की स्थापना की है। इसी प्रकार से उनके हाउसिंग का जिक्र मैंने पिछली बार किया था लगातार उनमें वृद्धि हो रही है, नये क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं, आधुनिकीरण की चर्चा भी हमने पिछली बार की थी, केवल चर्चा मात्र थी, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीमन्, ट्रेनिंग जो पुराने जमाने से चली आ रही थी उसमें कुछ हमने संशोधन किया है। ट्रेनिंग इस प्रकार की साथ की साथ हो जाय कि पब्लिक के साथ व्यवहार कैसा रहे, जिससे कोई जाने वाला व्यक्ति राहत की सांस ले सके, ऐसा नहीं हो कि वहां जाने में कठिनाई हो। यह भी ट्रेनिंग में शामिल किया है। और क्या सुधार किये जा सकते हैं इसके लिये एक कमेटी का निर्माण किया है जिससे विभिन्न स्तरों पर होने वाली कठिनाइयों की चर्चा करके कमेटी हमारे सामने रिपोर्ट रखेगी और पुलिस भाइयों की जो कठिनाई आज हो तो उनको दूर करने में जो कुछ हम कर सकते हैं पूरी मदद करेंगे, इसके लिए समिति का निर्माण किया है। श्रीमन्, यह बात सही है जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है अपराध भी बढ़ते चले जा रहे हैं इसीलिये इस साल के अन्दर जब से हमने सरकार को संभाला जब से लेकर अब तक 3।। हजार नई भर्ती और पुलिस के अन्दर की, यानि लगभग 8 प्रतिशत और हमारी पोस्टों में बढ़ोतरी हो गई। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि यथासम्भव इसमें शीघ्र और वृद्धि की जाय। लेकिन श्रीमन्, जैसा आप जानते हैं सरकार के पास साधन बहुत सीमित हैं इसलिये हम इस बात की धीरे धीरे कोशिश करते चले जा रहे हैं, न केवल पोस्टों में वृद्धि हो बल्कि सुविधाओं में वृद्धि होनी चाहिए, काम करने के अच्छे मौके मिलने चाहिये।

श्रीमन्, मैं नहीं चाहता कि विभिन्न वर्गों पर होने वाले अत्याचारों की चर्चा विस्तार के साथ करूं। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया धर्म सम्प्रदाय जाति पर आधारित कुल मिलाकर यहां मामले इतने कम हुए जिनकी चर्चा नहीं करना ज्यादा ठीक रहेगा। इसके लिए मैंने सारे राजस्थान की जनता को, पुलिस कर्मियों को सबको धन्यवाद दिया और सारे सदन को भी अच्छा वातावरण बनाये रखा। मैं इसलिए उन आंकड़ों की परिधि में जाना नहीं चाहता जिससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं आशा करके चलता हूं इसी प्रकार के ही वातावरण में हम राजस्थान को आगे बढ़ाते रहेंगे। श्रीमन्, चूंकि एक बात यहां उठाई गई कि पुलिस वाले ज्यादातियां कर डालते हैं, अपने अधिकार की सीमा पार कर जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं, इन मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इस विषय में विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहूंगा यह

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बात सही नहीं है, श्रीमन्, कोई कार्यवाही की जाती है अगर पुलिस वाले अपने अधिकार अपनी सीमा को पार करते हैं, जनता को तंग करते हैं....

श्री देवी सिंह भाटी : आप अपनी आत्मा पर हाथ रख कर कह दीजिये।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उन मामलों में भी हम कार्यवाही करते हैं। श्रीमन्, सन् 80 का आंकड़ा आपके सामने पेश कर रहा हूं जून से लेकर दिसम्बर तक का। कुल मिलाकर 24 व्यक्तियों को विभिन्न स्तरों पर डिसमिस किया गया, 26 को डिसचार्ज किया गया। 13 को रिडक्शन इन रेंक किया गया, 107 का ग्रेड रोका गया, 55 को सैन्सर किया गया और 13 को रिकार्ड सी.आर. वार्निंग दी गई और इसी प्रकार से 7 मामलों के अन्दर थोड़ा फ्रेक्शन किया गया। यह आंकड़े हैं जो मैंने आपको जनवरी, 80 से लेकर दिसम्बर, 80 तक के प्रस्तुत किये।

एक माननीय सदस्य : शिकायतें कितनी हुई हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैं इसके साथ पिछले साल के आंकड़े प्रस्तुत करना नहीं चाहता क्योंकि पिछले दिनों के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण देश के अन्दर था वह हम और आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आशा करके चलता हूं कि पुलिस वाले भाई इस बात का ध्यान करके चलेंगे उनके खिलाफ शिकायतें आयी हैं वे आगे नहीं जानी चाहियें। ऐसी बातें कहना मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि नाहक पुलिस के बारे में जिससे वह अपना कर्त्तव्य निर्वाह करने में झिझकते हों, वह ठीक नहीं होगा। हम उनके अच्छे कामों की तारीफ करें, बुरे कामों की भर्त्सना करें, सब प्रकार की सुविधा दें यही काम बार बार सरकार करती रहेगी और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिसमें उनको काम करने के अच्छे मौके मिलें हमने कुछ सुविधाएं सोची हैं। सबसे पहले एक सुविधा, जिसकी चर्चा विभिन्न प्रकार से की गई और जिसकी आलोचना भी की गई, एक के बजाय चार एडीशनल आई.जी. हमने बढ़ाये हैं। श्रीमन्, ये कोई नई पोस्टें क्रियेट नहीं की हैं। पहले एडीशनल आई.जी. थे हमने उनकी पदोन्नति की है – एक के बजाय चार कर दिये हैं, इसलिए कि काम करने में उनको सहूलियत रहे। उनको अपने काम के अन्दर फैसला लेने का पूरा अधिकार रहे और आवश्यक हो तो बैठकर ताल-मेल भी आपस में कर सकें....

(व्यवधान)

अपनी आदत सुधार लें तो अच्छा रहेगा यह कथन है....

(व्यवधान)

कोई एसी बात नहीं

इससे श्रीमन्, जहां एक तरफ तो ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठे बैठे आपस में बातें न करें।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कुछ लोगों को उन्नति के ज्यादा मौके मिलेंगे क्योंकि एक माननीय सदस्य ने इस बात की चर्चा की

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

थी कि पुलिस वालों को मौके कम मिलते हैं। मैं समझता हूं दोनों बातें तो एक साथ नहीं कहेंगे। हमने उनकी बात मानी, अच्छा वह मान लें। हमने मौके दिये हैं, ज्यादा लोगों को तरक्की के मौके और मिल जायें।

एक दूसरी सुविधा जो हम देने जा रहे हैं वह यह है कि अभी थानों में कोई चला जाय तो थानों पर बैठने के लिये कोई फर्नीचर का इन्तज़ाम नहीं है और है भी तो टूटा फूटा, पुराना नगण्य के बराबर है इसलिये हमने ऐसा फैसला किया है कि थोड़ा सा न्यूनतम फर्नीचर पुलिस के थानों में उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कि अगर सबके लिये नहीं तो जो माननीय सदस्य वहां पहुंचे तो उनके बैठने की व्यवस्था हो सके। श्रीमन्, यह सुविधा तो पब्लिक के लिये हुई, माननीय सदस्य सोच सकते हैं हमने पुलिस फोर्स के लिये और क्या किया। हमने इस बात का भी फैसला किया है, श्रीमन्, उनके मैस के भत्ते में 10 रुपय तक की राहत दी जाय। हांलाकि, श्रीमन्, हमारी आर्थिक व्यवस्था के हालात आपसे छिपे नहीं हैं लगभग 50 लाख का खर्चा हर साल का बढ़ेगा। लेकिन मैं ऐसा आवश्यक मानता हूं जहां अन्य क्षेत्रों में हम सुविधा दे रहे हैं उनको भोजन की सुविधा देना बहुत आवश्यक है ताकि अन्य बातों के साथ भोजन की चिन्ता से उनको मुक्ति मिल सके। हमने इस बात के लिये फैसला किया है कि उनके कल्याण कोष में पांच लाख रुपया अनुदान के तौर पर और दिये जायं। इसी प्रकार से जिसकी चर्चा अभी मैंने की थी डेढ़ हजार से लेकर हम 10 हजार तक का अनुदान दे रहे हैं उन भाइयों के लिये जो ड्यूटी पर अपनी जान गंवाते हैं। 10 हजार रुपये डेढ़ हजार से कर दिये जाने के बाद में उसमें काफी बढ़ोतरी हो जायगी लेकिन, श्रीमन्, मैं कोई सीमा निश्चित नहीं कर रहा हूं और सदन को सूचित कर रहा हूं कि जितने धन की आवश्यकता होगी उसमें हम कोई कमी नहीं रखेंगे आवश्यक होगा तो 10 हजार तक सीमित नहीं रखा जायगा। जिस प्रकार का जैसा ओहदा होगा, पुलिस विभाग पर छोड़ रहे हैं, इस बात का वह फैसला करे।

श्रीमन्, एक बात जो हमारे नोटिस में लाई गई कि अन्य बातों के साथ साथ पुलिस वाले भाई अपने घर से बाहर रहते हैं जान जोखिम में डाल कर काम करते हैं, इसलिए उनके सेक्रियशन का कोई साधन होना चाहिये उनके खेलकूद होते रहते हैं, लेकिन खेलकूद के लिए ये कई बार विशेष रूप से टिकट बेच करके खेलकूद किया करते थे और इसमें काफी शिकायतें इस बात की आती रही हैं कि कई बार पुलिस वाले नाजायज तौर पर तंग करके लोगों से पैसे ले लेते हैं। मैं नहीं चाहता हूं ये सहायक जो सहायता हमको करते हैं मुरौवत में किसी प्रकार से बदनाम हों इसलिए मैंने इस बात का फैसला किया है कि जिससे खेलकूद की व्यवस्था के लिए उनको कोई टिकट नहीं बेचने पड़ें और कोई शो नहीं करना पड़े जिससे कि पब्लिक के दबाव में या पब्लिक के ऐसे सम्पर्क में आये जिससे उनको करना पड़े मौके पर। इसलिए ढाई लाख रुपये का अनुदान इस वर्ष खेलकूद के लिए दिया जा रहा है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

श्रीमन्, कई बार हमारे पुलिस के कर्मचारी हार्ड ड्यूटी पर लगा दिये जाते है और कई बार तो एक–एक, दो–दो वक्त हो सकता है इससे ज्यादा उनको खाने का मौका ही नहीं मिलता है। ऐसे मौके पर न तो वह अपनी ड्यूटी छोड़ सकते हैं, न खाना ही खा सकते हैं इसलिये यह भी हमने फैसला किया है हार्ड ड्यूटी अलाउन्स भी हम देंगे। अब यह हमने पुलिस विभाग पर छोड़ा है कि वे अन्य स्तरों पर देख कर उसको कर दें....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : विधान सभा प्रहरियों की ड्यूटी हार्ड ड्यूटी नहीं होती है क्या ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : विधान सभा के प्रहरियों के बारे में, श्रीमन्, माननीय सदस्या, पहले भी सदस्य थीं इनकी पार्टी की सरकार ने उसे बन्द कर दिया था मैं उसको रिवाइव कर रहा हूं। मैं आशा करके चल रहा हूं, श्रीमन्, ऐसी बात कहा करें जो कि आवश्यक हो। श्रीमन्, जहां मैंने ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें न करें, माननीय सदस्यगण।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : हार्ड ड्यूटी अलाउन्स अन्य पुलिस कर्मियों और हमारे विधान सभा के प्रहरियों को जो भत्ता पहले मिला करता था जनता पार्टी की सरकार ने बन्द कर दिया था उसको पुनः रिवाइव करने का फैसला हमने किया है। बहुत सारे मामले तो नहीं लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हमारे सामने आये हैं जबकि नागरिकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर न केवल अपने आप की बलिक गांव की अपने अड़ोस पड़ोस की सुरक्षा की है। ऐसे कई मामले पिछले महीने के अन्दर हुए। जयपुर शहर में भी बैंक के लूटे जाने की घटना होते होते बची इस प्रकार के बहादुरी के काम बहुत कम नोटिस में आते हैं। इसी प्रकार भरतपुर जिले में दो घटनायें अलग अलग हुई। एक घटना के अन्दर एक गांव वालों ने डकैतों को मारा। अब ऐसे नागरिकों का उत्साहवर्द्धन हो सके, अपनी रक्षा स्वयं कर सकें और दूसरों की सुरक्षा कर सकें उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमने इस बात का फैसला किया है उनका नाम हम जब राष्ट्रीय पदक प्राप्त करने के लिये भेजेंगे उसके साथ साथ राजस्थान सरकार भी यथा समय उनको सम्मान देकर पुरस्कृत भी करेगी।

श्रीमन्, ऐसे मामले बहुत कम होते हैं जैसा मैंने आपको निवेदन किया इसलिए आवश्यक है कि उनको पुरस्कृत किया जाय, उनको सम्मानित किया जाय। मैं आशा करके चलता हूं कि इसमें उन नागरिकों का जो खुद अपनी रक्षा करते हैं दूसरों की रक्षा करते हैं, हौसला बढ़ेगा लेकिन मैं पुलिस वाले कर्मचारियों से भी कह रहा हूं कि ऐसे नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान उनको रख कर चलना पड़ेगा क्योंकि वे नागरिक, जिन्होंने डकैतों को मारा या और किसी मुसीबत में दूसरों की रक्षा की तो कई बार उनकी जान के दुश्मन भी हो जाते हैं। इस-

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

लिए यह राज्य सरकार की ड्यूटी हो गई है कि उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध किया जाय। मैंने इसलिए इस बात को कहा है कि पुरस्कार देते समय इस बात का ध्यान रख कर चलें कि न केवल उनको सम्मान और पुरस्कार मिले बल्कि उनकी सुरक्षा भी ठीक प्रकार होती रहे।

श्रीमन्, ये कुछ बातें बहुत छोटी हो सकती हैं लेकिन इसके फार रीचिंग कान्सीक्वेन्सेज होते हैं, पब्लिक पर असर करने वाले होते हैं। मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं। मैंने पहले भी निवेदन किया यह पहला मौका है जब कि न केवल कांग्रेस पार्टी के बल्कि विरोधी दल के सदस्यों ने भी सुझाव दिये ···

(व्यवधान)

अब मैं आशा करके चलता हूं कि इस प्रकार की शान्ति बराबर बनी रहेगी। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के अन्दर विकास की गति तेज हो उसके लिए हमारी तरफ से शान्ति कायम रहे। श्रीमन्, कुछ पुलिस थाने बढ़ाने की और कुछ अन्य बातों की चर्चा हुई। मैं विस्तार के साथ उनमें नहीं जाना चाहता क्योंकि रिपोर्ट के अन्दर हमने सारी बातों को लिख दिया है। चाहे पुलिस थानों को नये टेलीफोन देने की बात हो चाहे जीप प्रोवाइड करने की बात हो विस्तार से हम दे चुके हैं।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सदन का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पुलिस विभाग की कार्यवाहियों पर जहां आपने चर्चा की, वहां पुलिस वाले भाइयों का हौसला बुलन्द किया। मैं पुलिस वाले भाइयों को फिर अपनी ओर से, सदन की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत मुस्तैदी के साथ अपने कर्त्तव्य का पालन किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य

(व्यवधान)

1600 मील बोर्डर की चिन्ता होती तो आप कटौती प्रस्ताव दे देते ···

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आर्डर प्लीज। मैं अवसर नहीं दूंगा। माननीय सदस्य एक दल की तरफ से एक माननीय सदस्य को ··

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें ···

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये....आसन पैरों पर है।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथसिंह : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पर बोलते समय, अध्यक्ष महोदय, कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थीं, उसमें से कुछ का जवाब मुझे नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : मैं एक निवेदन कर दूं कि जितनी चर्चा होती है, उस सबका जवाब नहीं दिया नहीं जाता है, न दिया जाना सम्भव है। मुख्य मंत्री के भाषण में कोई आपको शंका हो, आशंका हो तो क्लेरीफिकेशन मांगना हो, वह बतायें।

श्री यदुनाथ सिंह : आशंका है। मैंने एक चौकीदारी प्रथा के बारे में निवेदन किया था, वह आज की परिस्थितियों में बहुत आवश्यक है। आज गांव से पुलिस का लिंक बिलकुल टूटा हुआ है, क्या चौकीदारी प्रथा के स्थापित करने के बारे में सरकार कोई विचार रखती है? उन बदमाशों को कौन क्या है, गांव का चौकीदार कौन क्या नहीं है, यह बहुत आवश्यक है। दूसरा मेरा प्रश्न है, हमारे यहां डकैती इलाका है। वहां पर जैसा मुख्य मंत्री महोदय ने कहा, गांव वालों ने डकैतों को बड़ी बहादुरी से मारा है तो क्या गांव वालों को, पुलिस और सरकार लाइसेंस देने में लिबरल होना चाहती है। तीसरी, हमारे यहां पर मैंने और भरतपुर के एस. पी. साहब ने....

श्री अध्यक्ष : इतनी लम्बी चर्चा नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : एक दो बातों का जवाब आ जायगा। ग्राम रक्षा दलों का गठन किया गया था। यह समाज का भी फर्ज है कि वह अपनी रक्षा में सहयोग करें तो वहां पर एस. पी. ने वायदा किया था कि जो लोग ग्राम रक्षा दल के रात में पहरा देंगे तो उनको भर्ती के टाइम पर प्रायोरिटी देने की व्यवस्था करेंगे। क्या सरकार इस बारे में निश्चित विचार रखती है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सुरक्षा के बारे में तो जिक्र कर दिया, माननीय सदस्य ने समझा नहीं। माननीय सदस्य, कई को सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनकी सुरक्षा भी हो। सुरक्षा में ही लाइसेंस भी शामिल है।

श्री यदुनाथ सिंह : आप समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष : लम्बी चर्चा नहीं होगी, माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। श्री देवीसिंह भाटी। भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य, स्पष्टीकरण कोई मांग लीजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्री जी से थोड़ा बी.एस.एफ. के बारे में कहना चाहता हूं, जो पाकिस्तान बार्डर के पास मुसलमान भाई बसे रहते हैं, उन बेचारों की बुरी हालत है। क्योंकि वे पशुधन पर वैसे ही आधारित रहते हैं तो उनका जबर्दस्ती आकर जो 30 रुपये किलो घी मिलता है, उनसे वह 15 रुपये किलो घी ले जाते हैं, अगर नहीं दें तो उनका पशुधन चराना मुश्किल होता है। बकरे और भेड़ें हैं, उनकी

(श्री देवीसिंह भाटी)

कीमत बाजार में दो सौ रुपया है। कृपया आप अधिकारियों को निर्देश दें, उनसे जबर्दस्ती 50–100 रुपये में ले जाते हैं, उनको किसी प्रकार प्रोटेक्ट करें, क्यों बार्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऊपर थोड़ी सी भी शिकायत कर दी जाती है, वह बार्डर पर बैठे रहते हैं और उनकी हालत बड़ी खराब है और पशुधन भी बार्डर पर रहता है क्योंकि वहां घास है, इसलिए कृपया ऐसी व्यवस्था करें जिससे बार्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले रक्षा करें। ये सैन्ट्रल से ही कुछ दबाव पड़ने पर होगा, हालांकि पुलिस का तो सहयोग रहता है लेकिन सैन्ट्रल से ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं होंगे, तब तक मुसलमान भाइयों का रक्षक कोई नहीं होगा, वह बेचारे सिर दबाये हुए पड़े हैं। ऐसी हालत है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला उरोड़ा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव यह है मुख्यमंत्री महोदय को, चाकू पर हमारा प्रतिबन्ध है लेकिन आजकल चाकू के बजाय लड़कों ने या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने जेब में रखने शुरू कर दिये हैं, नाई के उस्तरे। अमूमन जितनी घटनायें देखने में आयी हैं, काफी दिनों से, उन उस्तरों की बदौलत आयी हैं। मैं चाहती हूं कि नाई के यहां उस्तरे रखने पड़े तो उसकी व्यवस्था आप कर लें। लेकिन आम लड़कों की जेब में अगर चाकू नहीं होगा, जो नाई वाला उस्तरा है तो अपराधों में कमी आयेगी, तो एक सुझाव तो यह है। दूसरा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीपों की व्यवस्था नहीं होने से अपराधों में वृद्धि हुई है और अगर जीप वहां थाने पर हुई और दूरभाष हुआ, जीप और दूरभाष गांव के थानों पर उपलब्ध करायी तो....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। भाषण नहीं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : जो बात डिबेट में आ चुकी है, उस पर दोबारा चर्चा नहीं होगी। आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, इस बारे में। पुलिस में और सी. आई. डी. दोनों में कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करके, जैसा कि दोनों में ट्रान्सफर्स हो जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए। अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अब भाषण नहीं होंगे। मुख्य मंत्री जी यदि कुछ कहना चाहें।

श्री देवीसिंह भाटी : मुख्य मंत्री जी अगर बार्डर निवासियों को आश्वस्त करें तो....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : श्रीमन्, चाकू के साथ उस्तरा भी इस्तेमाल होने लगा है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : चलती हुई बात की बात नहीं है ...

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि तेज धार की परिभाषा में जब चाकू आता है तो उस्तरा भी आना चाहिए - हम इस बात की व्यवस्था करेंगे। तेज धार वाले जितने भी औजार हैं, हथियार हैं, उनकी परिभाषा को बढ़ा दिया जाय। जिससे वह भी शामिल हो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री देवपुरा

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : आप मुझसे पूछ लेना। आपने एक पार्टी का एक सदस्य कहा, अध्यक्ष महोदय ने····

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना नहीं चाहती थी परन्तु चूंकि अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने ऐसा इंतजाम कर दिया कि साधारण से साधारण आदमी भी यदि थाने पर जाय तो उसकी रिपोर्ट लॉज की जाय और उस पर कार्यवाही की जाय। लिहाजा इसी कनेक्शन में पूछना चाहूंगी कि 23 नवम्बर, 80 को वैर उप-चुनाव के समय कुछ पत्रकारों द्वारा भुसावर थाने में एक रिपोर्ट लॉज की गयी थी, कृपया बताने का कष्ट करें कि उस रिपोर्ट पर तफतीश किस स्टेज पर है ?

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है, आगे इन्वेस्टीगेशन में क्या होगा, यह समस्या सारे राजस्थान में है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह आपने तय कर लिया कि आगे और भी ऐसा हो जाय।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसके मायने यह हुए कि मुख्य मंत्री इकबाल कर रहे हैं कि सिर्फ रिपोर्ट होगी, कार्यवाही नहीं होगी। यह कह दें।

श्री अध्यक्ष : इसकी आप पूर्व सूचना देती तो इसके बारे में कहा जा सकता था, यह एक केस है।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : वह अब सम्बन्धित विषय है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस सदन में इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि उस पर आगे चर्चा न हो तो ज्यादा ठीक है।

सुश्री पुष्पा जैन : यह क्या जवाब है। ताली बजा कर इसको दबाया नहीं जा सकता आप ताली बजा रहे हैं। ये ऐसा इम्पार्टेंट मसला है जो समाज और जनता के और सरकार के बीच में कड़ी जोड़ने का काम करता है। वहां रिपोर्ट दर्ज की कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। न्याय प्रशासन मन्त्री जी।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, इसके मायने यह हुए कि हम यह मान लेते हैं कि आज सदन में मुख्य मन्त्री जी ने इकबाल कर लिया है साधारण जनता जिसको कोई तकलीफ हो

(सुश्री पुष्पा जैन)

जिस पर ज्यादती हो, उनको रिपोर्ट तो दर्ज करोगे लेकिन उसके आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी और सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी, इसके मायने यह हुए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या। स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ताली बजाने की भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में आज सदन में चर्चा हुई। सदन के माननीय सदस्य और सदस्याओं ने इस पर अपने कट मोशन्स दिये और 9 सदस्यों ने डिबेट में अपने विचार व्यक्त किये। अच्छे सुझाव दिये। मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत–बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। 9 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये, अन्य सदस्यों ने भी कट मोशन्स दिये थे, अध्यक्ष महोदय, लेकिन बोलना उचित नहीं समझा, उन्होंने। इसके साफ मायने है कि राजस्थान में ...

श्री अध्यक्ष : मूड समझें, सब सदन के समक्ष हैं, बोले हुए माने गये।

श्री हीरालाल देवपुरा : परन्तु, अध्यक्ष महोदय, बिलकुल है लेकिन जो बातें दिखाई गयीं और जो सुझाव आये हैं और जो कट मोशन्स हैं, उनके आधार पर भी मैं ये समझा हूं कि माननीय सदस्य ये बात स्वीकार करते हैं कि न्याय प्रशासन की दृष्टि से व्यवस्था काफी ठीक है। मैं यह कह कर नहीं चलता कि पूरी ठीक है, मुख्यत: इसमें दो मुख्य बातों की ओर ध्यान खींचा सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दृष्टि से एक बात और दूसरी, माननीय सदस्य जो हमारे नसीराबाद से आते हैं, असहाय लोगों को कानूनी सहायता दिलाने की दृष्टि से, ये दो मुख्य बातें आज की चर्चा में आई हैं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में हमारे न्यायालय हैं उनके माध्यम से यहां न्याय की व्यवस्था की हुई है। यह सही है कि आज न्यायालयों में काफी संख्या में मुकदमे हैं। हमने कोशिश यह की कि इन न्यायालयों के द्वारा जल्दी लोगों को न्याय सुलभ हो जावे उस दृष्टि से कई न्यायालयों के जो हैड क्वार्टर्स हैं, इन हैड क्वार्टर्स के अतिरिक्त अपने क्षेत्र में हमने कोर्ट्स की व्यवस्था की हुई है, वहां पर महीने में कहीं सात दिन, कहीं पन्द्रह दिन और कहीं पर दस दिन जाकर कोर्ट्स लगायें ताकि लोगों को ज्यादा दूर तक नहीं आना पड़े और उनको न्याय मिल सके।

दूसरी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, यह भी है कि अभी तक इन न्यायालयों के अन्दर स्टेनोग्राफर दिए हुए नहीं थे। न्यायालयों के अन्दर एक निश्चित उनका मापदण्ड था, हाइ कोर्ट ने बना रखा था कि एक न्यायालय को महीने में कितने केसेज फैसले के करने हैं, उस आधार पर वे फैसले करते जा रहे हैं लेकिन स्टेनोग्राफर हमने दिए हैं, हम यह देखना चाहते थे कि स्टेनो प्रोवाइड करने से इस व्यवस्था में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है क्या? ज्यादा मुकदमे फैसले हो सकते हैं क्या? इसका परिणाम यह आया कि जहां-जहां पर स्टेनो प्रोवाइड किये हैं वहां पर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सौ की जगह डेढ़ सौ केसेज फैसले हो गये हैं। पचास प्रतिशत उसमें बढ़ोतरी पाई है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इन न्यायालयों में हम स्टेनो प्रोवाइड करें जिससे ज्यादा केसेज के फैसले हो सकें और सीरियस केसेज में जो लम्बा समय, लम्बा पीरियड लगता है उसमें कमी लाई जा सके।

अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कोर्ट्स की मांग की, वह इसी दृष्टि से की कि जिससे बहुत ज्यादा दूरी पर जाना पड़ता है, वह कोर्ट्स स्थापित करने से नहीं जाना पड़े। अध्यक्ष महोदय, इस बात के लिए राजस्थान हाइ कोर्ट की सलाह से, एक कमेटी मैं ऐसी बनाऊंगा, जो कमेटी सारे राजस्थान के बारे में विचार करके कोई नया तरीका हमें बताये कि जिससे हम इन मुकदमों का जल्दी फैसला करा सकें, लोगों को न्याय ठीक ढंग से और जल्दी मिल सके, उसके बारे में राय दे और उस राय के आधार पर राज्य सरकार फैसला करने की कोशिश करेगी।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, यहां पर कही गई, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, असहाय लोगों को सहायता दिलाने के सम्बन्ध में, कानूनी सहायता दिलाने के सम्बन्ध में। यह सही है कि हमारा यह जो बीस सूत्री प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम का एक इम्पार्टेंट, मुख्य प्रोग्राम यह भी रहा है। इस सम्बन्ध में राजस्थान के अन्दर हमने स्टेट लेवल के ऊपर चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप में एक बोर्ड का गठन किया हुआ है। हाइ कोर्ट के अन्दर हमारे अप्रूवल से कमेटी बना रखी है जिसके हाइ कोर्ट के जस्टिस मिस्टर कुदाल चेयरमैन हैं। इसी प्रकार से रेवेन्यू बोर्ड की एक कमेटी है जिसके चेयरमैन वहां के मिस्टर लोढ़ा हैं। इसी प्रकार हमने राजस्थान के अन्दर विभिन्न स्थानों पर सभी जगह जहां-जहां कोर्ट्स हैं वहां पर इस प्रकार की कमेटियां गठित कर दी हैं। आम तौर पर सीनियर मोस्ट प्रिसाइडिंग आफिसर उस कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके माध्यम से हम यह चाहते हैं कि लोगों को जो इस प्रकार के लोग हैं जिनको कि कानूनी सलाह पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इन कमेटीज के माध्यम से उनको कानूनी सलाह दी जाय। कुछ जगह हमें हमारे वकील साहबान ने आफर किया है कि हम लोग उनकी पैरवी करने को तैयार हैं। उस कमेटी के माध्यम से, उनकी सलाह से पैरवी कराने की बात की जाती है। उसमें गवाहों का खर्चा, प्रोसेस की फीस और कोर्ट फीस की भी अगर आवश्यकता होती है तो वह भी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। यह व्यवस्था आज की हुई है। इस व्यवस्था में भी और सुधार करने की दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं। और सदन में जो माननीय सदस्य हैं जो इस लीगल प्रोफेशन से सम्बन्ध रखते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे स्वयं भी और अपने असर से, अपनी स्थानीय बार से, अपने ऐसे साथियों को प्रोत्साहित करें जो अपने आप में तैयार हों और इन असहाय लोगों को सहायता दिलाने में आगे आवें।

इसके साथ-साथ इस वर्ष इस काम के लिए दो लाख रुपयों का प्रावधान किया हुआ है

श्री देवीसिंह भाटी : ये हैंडसम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : हम इस सिस्टम पर और ज्यादा अच्छी तरह से अमल कर सकें इस सम्बन्ध में और भी कोई सुझाव माननीय सदस्यों के होंगे तो मैं उन पर विचार करूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करूंगा।

इसके अतिरिक्त कोर्ट्स के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया कि अलग-अलग जगहों के लिए माननीय सदस्यों ने मांग की कि फलां-फलां जगह पर कोर्ट्स होनी चाहिए। उसके लिए हमने वही बात आपसे निवेदन की कि वह कमेटी बना करके उसके आधार पर जो भी निर्णय करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि इस व्यवस्था में कैसे सुधार करें, कितनी कोर्ट्स और हों। राजस्थान के लिए सेवन्थ फाइनेंस कमीशन ने इस बारे में कहा था कि राजस्थान स्टेट के अन्दर 48 कोर्ट्स और कायम करने का फैसला किया था कि 48 कोर्ट्स राजस्थान में और होनी चाहिए। उनमें से वह तो कोर्ट्स खोल दी गई हैं। वे तो खुली हुई हैं लेकिन आज भी स्थिति वही है। यही स्थिति, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान हाइ कोर्ट की आज भी है। आज राजस्थान हाइ कोर्ट में काफी केसेज पड़े हुए हैं। आज 16 जजेज की पोस्ट हाइ कोर्ट में हैं जिनमें से 13 जजेज आज काम कर रहे हैं और 3 जजेज के अपाइन्टमेंट के लिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है। लेकिन हमने साथ-साथ में यह भी रिक्वेस्ट की है कि यहां के काम को देखते हुए हमें हाइ कोर्ट के लिए और जजेज की आवश्यकता है जिसके आधार पर हम हायर लेवल पर केसेज को डिस्पोज्ड आफ करा सकें, प्रोपर न्याय दिला सकें। इस सम्बन्ध में जो चर्चा के अन्दर विषय आये और जो कटौती प्रस्ताव आए जिनका मुख्य मुद्दा यही था उस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है।

मैं पुनः माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं और जो अपने विचार रखे हैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से सदन से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन की जो मांग मैंने आज प्रातःकाल प्रस्तुत की थी, उसको पारित किया जावे।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहूंगी।

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय, मैं जूडिशियल आफिसर्स के कुछ प्रमोशन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। हमारे यहां जितने जूडिशियल आफिसर हैं, उनके प्रमोशन बहुत कम होते हैं और दूसरी ओर अपने यहां जितने आर्थिक अपराध होते हैं पहले तो बेलेबल होते थे, उनमें सजा का प्रोविजन भी कम था और अब जितने आर्थिक अपराध होते हैं वे नॉन-बेलेबल हैं और सजा का प्रोविजन भी ज्यादा है लेकिन उनकी ट्रायल अभी भी वे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ही करते हैं। क्योंकि हमें जूडिशियल मजिस्ट्रेट्स के प्रमोशन की ओर ध्यान देना है, उनके वेतनमानों की ओर ध्यान देना है, लिहाजा मेरा सुझाव है कि यदि आप ध्यान दें तो एक एडीशनल सिविल जज-कम-स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट की नई पोस्ट क्रियेट करा दी जाय तो यहां पर राजस्थान में 83 कोर्ट्स हो जाती हैं।

(सुश्री पुष्पा जैन)

इससे क्या होगा कि उनका प्रमोशन भी हो जाएगा, उनके वेतन-मानों में फर्क पड़ जाएगा और दूसरा जो हमारे लॉ का एक प्रोविजन है कि जितना सीवियर आफेंस हो, उतने ही सीनियर आफिसर द्वारा ट्रायल होनी चाहिए। क्योंकि जब आर्थिक अपराध सीवियर हो चुके हैं, नॉन-वेलेबल हो चुके हैं उनकी ट्रायल मजिस्ट्रेट से करवाई जावेगी तो दोनों ही सबब पूरे हो जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्या।

सुश्री पुष्पा जैन : क्या आप इस ओर ध्यान देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर....बैठे बैठे नहीं बोलें माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया है कि इसी दृष्टि से एक कमेटी बना रहे हैं जो सारे पहलू पर सोच कर अपनी राय देगी। अध्यक्ष महोदय, हमने एक एक्सपेरीमेंट पहले भी किया था। हमारे हरिजन भाइयों पर होने वाले एट्रोसिटीज के बारे में एक प्रस्ताव आया था और उसके आधार पर हमने स्पेशल कोर्ट्स कायम की थीं। आज सारा सदन अनुभव करता है और मैं भी अनुभव करता हूं कि वह तीन कोर्ट्स कायम की हैं उनसे पूरा नहीं पड़ता है, उलटी परेशानी हुई है। उसके बारे में दुवारा सोच रहे हैं कि क्यों नहीं उन्हीं लोकल जूडिशियल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स के जूरीस्डिक्शन में दे दिया जावे पुनः और उनको प्रायोरिटी दें ...

श्री अध्यक्ष : पुरानी व्यवस्था में नई जमती नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : वह व्यवस्था पुरानी है और हम सुविधा देना चाहते हैं। उसमें अध्यक्ष महोदय, उनको हाइ कोर्ट के माध्यम से महीने में सात दिन जहां जहां जितने केसेज हैं, जितनी कोर्ट्स जहां पर हैं उन हिस्सों में दिन मुकर्रर हों, उन्हीं दिनों में उन्हीं केसेज का फैसला किया जावे, इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : विमला काण्ड के बारे में कुछ नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

(व्यवधान)

श्री विष्णु प्रकाश बजारी।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : मैं आपके माध्यम से कानून मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिन ढाई अदालतों के लिए हाइ कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है उनके लिए भी क्या समिति की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, हाइ कोर्ट की स्वीकृति नहीं होती। हाइ कोर्ट तो सिफारिश करती है राज्य सरकार को और उसके बाद सोचना पड़ता है कि कहां खोली जा सकती है, कहां नहीं खोली जा सकती। इसलिए हाइ कोर्ट की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

स्वीकृति नहीं होती, हाइ कोर्ट की सिफारिश होती है।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि गृह मन्त्री महोदय ने बहुचर्चित विमला काण्ड के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज....

मांगों पर मतदान।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मन्त्री) : शायद मैंने उत्तर देते समय पुलिस के कर्मचारियों की जहां सुविधाओं की चर्चा की वैसे मैंने बहुत क्लीयर कर दिया, उस मौके पर जब कि उनको ऐसे समय पर जो बहुत कठिन परिस्थिति में काम करते हैं, कुछ अलग से भत्ता दिया जायगा। इस बात की भी चर्चा की कि कई मौके ऐसे आते हैं, जब एक समय बल्कि दो-दो समय उन लोगों को खाना नहीं मिलता है। उसको नाम जो दिया गया है, वह हार्ड ड्यूटी अलाउन्स उसका नाम बताया। वह स्वल्पाहार है भत्ता कहा है, वह अंग्रेजी में क्या होगा, उसको करेक्ट कर लें।

श्री अध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

श्री सुनील कुमार विश्नोई : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। गवर्नमेंट को सुझाव दिया था जो अपनी ड्यूटी के अन्दर सिपाही, अफसर जिसकी दुर्घटना हो जाती है, तो उनके माइनर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, जब तक 18 साल की उम्र नहीं होती, क्या सरकार उनको डेढ़ सौ, दो सौ रुपया कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए जब तक अपने पांवों पर खड़े हो सकें, देने का विचार रखती है?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : पुलिस कल्याण कोष भी बना हुआ है, उसमें से जितनी आवश्यकता होती है, उनको दिया जाता है।

मांग सख्या 16,3,4 व 6 का पारण

मांग संख्या–16

श्री अध्यक्ष : मांगों पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 39,76,07-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3, सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,65,19-000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4, जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,04,06,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,74,20,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 27 मार्च, 1981 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 9.43 बजे, शुक्रवार दिनांक 27 मार्च, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 499 की सूची

APPENDIX "B"

Details of Incumbents.

Staff rendered surplus in the following Deptt.	Staff absorbed in the following Deptt.
Joint Deovelopment Commissioner (Physicayat Wing)	
Panchayat Extention Officer Gr. II	Director. Primary Secondary Education
1. Shri Bheem Singh, B.A., PEO II	Librarian
2. Shri Karan Singh, B.A., PEO II	–do–
3. Shri Ramesh Chand, M.A.,LL.B., PEO II	–do–
4. Shri Laxman Singh, B.A., PEO II	–do–
5. Shri Ved Pal Krishna, M.A,,LL.B,, PEO II	–do–
6. Shri Suraj Narayan Yadab, M.A., PEO II	–do–
7. Shri Labh Chand, B.A., PEO II	–do–
8, Shri Satya Pal, B.A., PEO II	–do–
9. Shri Ganpat Singh, B.A., PEO II	–do–
10. Shri Panne Singh, B.A., PEO II	–do–
11. Shri Gopi Lal, B.A.LL.B., PEO II	–do–
12. Shri Dalpat Singh, B.A., Sahitya Ratna, PEO II	–do–
13. Shri Hot Ram, B A., PEO II	–do–
14. Shri Satendra, B.A., PEO II	–do–
15. Shri Mohan Lal Purohit, B.A.. PEO II	–do–
16. Shri Nathi Mal, B.A., PEO II	–do–
17. Shri Basant Raj, B.A., PEO II	–do–
18. Shri Balwat Singh, B.A., PEO II	–do–
19. Shri Ramdeo Singh, B A., PEO II	–do–
20. Shri Som Deo, B.A., (LSGD) PEO II	–do–
21. Shri Bhika Ram, B.A , PEO II	–do–

ZUS

22. Shri Ramboo, B A., PEO II	Librarian
23. Shri Kunj Behari Lal, B.A.. PEO II	-do-
24. Shri Hari Mohan, B.A., PEO II	-do-
25. Shri A.R. Qureshi, B.A., PEO II	-do-
26. Shri Umaid Singh, B.A., PEO II	-do-
27. Shri Prabhu Dayal, B.A., PEO II	-do-
28. Shri Brija Mohan, B.A., PEO II	-do-
29. Shri Brijendra Kumar, B.A., PEO II	-do-

—

246

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न सं. 200 की सूची

उचित मूल्य के दुकानदारों की सूची, भीलवाड़ा शहर

क्र.सं.	नगर या पंचायत	उचित मूल्य की दुकान का नाम	वितरण स्थान	दुकान खुलने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा सह०उप०होल० भण्डार लि०	वार्ड नं. 1 सांगानेर	1-11-79
2.	वार्ड नं. 2ए	जमनालाल काल्या	वार्ड नं.2ए धानमंडी	1-11-80
3.	,, 2बी	भीलवाड़ा सह.उप.होल. भण्डार लि.	,, 2बी ,,	1-11-79
3.	,, 3बी	जनता सहकारी समिति लि. भीलवाड़ा	,, 3बी नागौरी मोहल्ला	,,
5.	,, 3ए	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार वार्ड 3–4	,, 3ए माणिक्यनगर	,, ,,
6.	,, 4	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार वार्ड 3–4	वार्ड 4 अमजियों की बारी, माणिक्य-नगर	,, ,,
7.	,, 5	भीलवाड़ा सह.उप.होल. भण्डार लि०	वार्ड नं.5 धानमंडी	,,
8.	,, 6	श्री रघुनाथसिंह	वार्ड नं.6 जूनावास बाहला	,,
9.	,, 7	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार लि०	वार्ड नं. 7 जूनावास बाहला	,,
10.	,, 8	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार लि०	वार्ड नं. 8 जूनावास बाहला	,,
11.	,, 9	जनता सहकारी समिति लि०	वार्ड नं. 9 बाहेती धर्मशाला	,,
12.	,, 10	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार वार्ड 11–12	वार्ड नं. 10 तोतला भवन के नीचे	,,
13.	,, 11	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार वार्ड 11–12	वार्ड नं. 11 ,,	,,

1	2	3	4	5
14.	वार्ड नं12	तेजपाल कावरा	वार्ड नं. 12 सुभाष-नगर	1-11-79
15.	,, 13	लक्ष्मीणदास सिंधी	वार्ड नं. 13 स्टेशन के पास	,,
16.	,, 14	म्यूनिसिपल कर्मचारी सह. स. लि. वार्ड 14	वार्ड नं. 14 प्रताप टाकीज के पास	,,
17.	,, 15	राज्य कर्मचारी स.स.लि.	वार्ड नं. 15 जल-मन्दिर के पास	,,
18.	,, 16	राज्य कर्मचारी स.स.लि.	वार्ड नं 16 ,,	,,
19.	,, 17	राज्य कर्मचारी स.स.लि.	,, 17 ,,	,,
20.	,, 17ए	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार	वार्ड नं. 17 ए काशीपुरी	,,
21.	,, 18	भंवरसिंह राठौड़	वार्ड नं.18 गांधीनगर	,,
22.	,, 19	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार	वार्ड नं.19 लेबर कोलोनी	,,
23.	,, 20(12)	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार	वार्ड नं. 20 जवाहर नगर 12	,,
24.	,, 20	भीलवाड़ा सह.उप. भण्डार	वार्ड नं. 20 पुर	,,
25.	,, 21	नथमल चौरड़िया	,, 21 पुर	,,
26.	,, 22	आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति पुर	,, 22 पुर	,,

उचित मूल्य के दुकानदारों की सूची, भीलवाड़ा तहसील

1.	सांगवा	ग्राम सेवा स.स. सांगवा	सांगवा	1-11-79
2.	गूंदली	ग्राम सेवा स.स. सांगवा	गूंदली	,,
3.	रामपुरिया	ग्राम सेवा स.स. गुरलां	गुरलां	,,
4.	कोचरिया	ग्राम सेवा स.स. मण्डी पिया शक्तावतान	मण्डी पिया शक्तावतान	,,
5.	गुरलां	ग्राम सेवा स.स. गुरलां	गुरलां	,,
6.	कारोई कलां	रामेश्वर लाल कावरा	कारोइ कलां	,,
7.	सेतुरिया	ग्राम सेवा स.स. सेतुरिया	सेतुरिया	,,
8.	भोपालगढ़	ग्राम सेवा स.स. सेतुरिया	भोपालगढ़	,,
9.	दुडिया	ग्राम सेवा स.स. देवली	दुडिया	,,

1	2	3	4	5
10.	दरीबा	गोरधन लाल शर्मा	दरीबा	1-11-79
11.	पांसल	ग्राम सेवा सह. समिति पांसल	पांसल	,,
12.	मालोला	राधाकिशन	मालोला	,,
13.	(धूलखेड़ा)	उदयलाल जाट	धूलखेड़ा	,,
14.	आरजिया	ग्राम सेवा सह. समिति आरजिया	आरजिया	,,
15.	रीछड़ा	गोरूलाल गूजर	रीछड़ा	,,
16.	बड़ा महुआ	केशरीमल खारीवाल	बड़ा महुआ	,,
17.	सीदडीयास	ग्राम सेवा सह. समिति सीदडियास	सीदडियास	,,
18.	कोदूकोटा	ग्राम सेवा सह. समिति कोदूकोटा	कोदूकोटा	,,
19,	रूपाहेली	ग्राम सेवा सह. समिति दांथल	रूपाहेली	,,
20.	कान्दा	ग्राम सेवा सह. समिति कान्दा	कान्दा	,,
21.	पीपली	ग्राम सेवा सह. समिति पीपली	पीपली	,,
22.	आमली	ग्राम सेवा सह. समिति गंगरोप	आमली	,,
23.	गंगरोप	ग्राम सेवा सह. समिति गंगरोप	गंगरोप	,,
24.	दांथल	ग्राम सेवा सह. समिति दांथल	दांथल	,,
25.	भोली	ग्राम सेवा सह. समिति स्वरूप गंज	भोली	,,
26.	मंडपिया	ग्राम सेवा सह. समिति स्वरूप गंग	मंडपिया	,,
27.	हलेड़	ग्राम सेवा सह. समिति सुवानहड़ेल		,,
28.	सुवाना	ग्राम सेवा सह. समिति सुवाना	सुवाना	,,
29.	आटूण	ग्राम सेवा सह. समिति आटूण	आटूण	,,
30.	देवली	ग्राम सेवा सह. समिति देवली	देवली	,,
31.	खोराबाद	ग्राम सेवा सह. समिति खोराबाद	खोराबाद	,,
32.	स्वरूपगंज	ग्राम सेवा सह. समिति स्वरूपगंज	स्वरूपगंज	,,
33.	हमीरगढ़	आदर्श ग्राम से. स. स. हमीरगढ़	हमीरगढ़	,,
34.	ओज्याड़ा	ग्रास सेवा सह. समिति तखतपुरा	तखतपुरा	,,
35.	वरडोद	ग्राम सेवा सह. समिति तखतपुरा	वरडोद	,,

उचित मूल्य की दूकानों की सूची तहसील सहाड़ा मु. गंगापुर

1.	गंगापुर	क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. गंगापुर	गंगापुर	1-11-79
2.	गणेशपुरा	भंवरसिंह पुत्र लालसिंह	गणेशपुरा	,,
3.	लाखोला	क्रय विक्रय सह. समिति गंगापुर	लाखोला	,,
4.	नांदशा	क्रय विक्रय सह. समिति गंगापुर	नांदशा	,,

249

1	2	3	4	5	
5.	कांगणी	जीवराज महाजन		कांगणी	1-11-79
6.	उल्लाई	मांगीलाल तेली		उल्लाई	,,
7.	सालेरा	अभयसिंह राजपूत		सालेरा	,,
8.	सोनि–याणा	भैरूंलाल वद्रीलाल शर्मा		सोनियाणा	,,
9.	डेलाणा	ग्राम सेवा सह. समिति डेलाणा		डेलाणा	,,
10.	सहाड़ा	ग्राम सेवा सह. समिति सहाड़ा		सहाड़ा	,,
11.	अरनिया	ग्राम सेवा सह. समिति अरनिया		अरनिया	,,
12.	खांखला	ग्राम सेवा सह. समिति खांखला		खांखला	,,
13.	नेगडिया-खेड़ा	ग्राम सेवा सह. समिति खांखला		नेगडिया	,,
14.	सरगांव	ग्राम सेवा सह. समिति सरगांव		सरगांव	,,
15.	भरक	ग्राम सेवा सह. समिति सरगांव		भरक	,,
16.	भूणास	ग्राय सेवा सह. समिति भूणास		भूणास	,,
17.	ढोसर	ग्राम सेवा सह. समिति भूणास		ढोसर	1–11–79
18.	महेन्द्रगढ़	,, ,,	महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़	,,
19.	शिवरति	,, ,,	शिवरति	शिवरति	,,
20.	आमली	,, ,,	आमली	आमली	,,
21.	चीडखेड़ा	,, ,,	आमली	चीडखेड़ा	,,
22.	माभावास	,, ,,	माभावास	माभावास	,,
23.	सूरावास	,, ,,	माभावास	सूरावास	,,
24.	कोशीथल	,, ,,	कोशीथल	कोशीथल	,,
25.	चांवड़िया	,, ,,	कोशीथल	चांवड़िया	,,
26.	पोटला	,, ,,	पोटला	पोटला	,,
27.	सातलियास	,, ,,	पोटला	पोटला	,,

उचित मूल्य के दुकानों की सूची तहसील कोटड़ी

1.	आमा	प्रबन्ध संचालक कोटड़ी क्र. से. स. स.		आमा	1-11-79
2.	आकोला	,, ,,		आकोला	,,
3.	बणकाखेड़ा	,, ,,		बणकाखेड़ा	,,
4.	सवाइपुर	,, ,,		सवाइपुर	,,
5.	बडीलियास	,, ,,		बडलियास	,,
6.	बंडला	नानूराम जाट बंडला		बंडला	,,

(250)

1 2	3	4	5
7. सुठेपा	श्री रामकरण शर्मा	सुठेपा	1-11-79
8. जीवाखेड़ा	छीतर सोनी बडलियास	जीवाखेड़ा	,,
9. गेगाकाखेड़ा	लियाकतअली बोरखेड़ा	गेंगाकाखेड़ा	,,
10. गेंदलिया	मांगीलाल जेतलिया	रेणवास	,,
11. बोरधोल	ग्राम सेवा सह. समिति संगतपुरिया	बोरधोल	,,
12, सांखड़ा	,, ,, संगतपुरिया	सांखड़ा	,,
13. गहुली	,, ,, गहुली	गहुली	,,
14. मंशा	,, ,, गहुली	मंशा	,,
15. किशनगढ़	,, ,, माताजी का खेड़ा	किशनगढ़	,,
16. बोरड़ा	,, ,, बोरड़ा	बोरड़ा	,,
17. पारोली	सत्यनारायण चेचाणी	पारोली	,,
18. रासेड़	ग्राम सेवा सह. समिति रासेड़	रासेड़	,,
19. उदलियास	देवीलाल नाई उदलियास	उदलियास	,,
20. कोठाज	ग्राम सेवा सह. समिति कोठाज	कोठाज	,,
21. छापडेल	,, ,, छापडेल	छापडेल	,,
22. जावल	,, ,, अखेपुर	जावल	,,
23. नंदराय	,, ,, नन्दराय	नन्दराय	,,
24. कंकरोलिया-घाटी	,, ,, भंवरलाल पटवारी	कंकरोलियाघाटी	,,
25. कोटडी	किसान वृहत कृ. ऋ. स. स. कोटडी	कोटडी	,,
26. रीठ	,, ,,	रीठ	,,
27. रेडवास	लादूलाल जाट	रेडवास	,,
28. विशनिया	मदनलाल फोजमल जैन	विशनिया	,,
29. दांतड़ा	हरीसिंह सुवालाल बम्ब	दांतड़ा	,,
30. लसाड़िया	ग्राम सेवा सह. समिति लसाड़िया	लसाड़िया	,,
31. सातोलाका-खेड़ा	,, ,, सातोलाकाखेड़ा	सातोलाकाखेड़ा	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची तहसील बनेड़ा

1. बनेड़ा	बनेड़ा सह. समिति बनेड़ा	बनेड़ा	1-11-79
2. रायला	सहकारी समिति ब्रांच रायला	रायला	,,
3. उपरेड़ा	ग्राम सेवा सह. समिति उपरेड़ा	उपरेड़ा	,,
4. मूसी	ग्राम सेवा सह. समिति उपरेड़ा	मूसी	,,

(251)

1 2		3	4	5
5.	बबराना	ग्राम सेवा सह. समिति बबराना	बबराना	1-11-79
6.	बरण	ग्राम सेवा सह. समिति बरण	बरण	,,
7	सरदारनगर	ग्राम सेवा सह. समिति सरदारनगर	सरदारनगर	,,
8.	बामनिया	ग्राम सेवा सह. समिति सरदारनगर	सरदारनगर	25-10-80
9.	कंकोलिया	दीवसिंह शम्भूसिंह कंकोलिया	बबराना	1-11-79
10.	डोडवानियों का खेड़ा (रूपाहेलीखुर्द)	ग्राम सेवा सह. समिति डोडवानियों का खेड़ा	डोडवानियों का खेड़ा	,,
11.	जसवंतपुरा (बेंरा)	ग्राम सेवा सह. ससिति जसवंतपुरा	जसवंतपुरा	,,
12.	सालरिया–कलां	ग्राम सेवा सह. समिति सालरियाकलां	सालरियाकलां	,,
13.	राक्षी	ग्राम सेवा सह. समिति सालरियाकलां	राक्षी	,,
14.	मेंगरास	ग्राम सेवा सह. समिति सालरियाकलां	सालरियाकलां	,,
15.	बलदरखा	ग्राम सेवा सह. समिति बलदरखा	भांतल	,,
16.	कुडियाकलां	,, ,, बलदरखा	कुडियाकलां	,,
17.	निबाहेड़ा–कलां	श्री बाबूखां वशीरखां पठान	निबाहेड़ाकलां	,,
18.	महुग्राखुर्द (ग्रामदानी)	श्री रामकुमार उपाध्याय	महुग्राखुर्द	,,
19.	लाबियाखुर्द	सूरजमल/बख्तावर जाट	लाबियाखुर्द	,,
20.	खेडलिया	भंवरलाल/मांगीलाल जाट	खेडलिया	,,
21.	बालेसरिया	देवा बख्तावर गुजर	बालेसरिया	,,
22.	चमनपुरा	बंशीभूरा खटीक	चमनपुरा	,,
23.	कजलोदिया (बरन)	भैरू/छीतर गुजर	कजलोदिया	,,
24.	डाबला	ग्राम सेवा सह. समिति डाबला	डाबला	,,
25.	धरटा	ग्राम सेवा सह. समिति डाबला	डाबला	,,
26.	कासोनिया	ग्राम सेवा सह. समिति डाबला	कासोरिया	,,
27.	लांबीयाकलां	ग्राम सेवा सह. समिति लांबीयाकलां	लांबीयाकलां	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची तहसील रायपुर

1.	रायपुर	सहकारी समिति रायपुर	रायपुर	1-11-79
2.	सगरेवे	सहकारी समिति रायपुर	रायपुर	,,

1 2	3	4	5
3. बोराणा	सहकारी समिति बोराणा	बोराणा	1-11-79
4. थला	सोहनसिंह थला	थला	,,
5. बागोलिया	श्री नाथूलाल	बागोलिया	,,
6. बागोलिया	श्री नाथूलाल	सुरास	,,
7. भीटा	श्री सुखलाल जैन	भीटा	,,
8. सरवेडी	सोहनलाल जोशी	सरवेडी	,,
9. पीथाकाखेड़ा	सहकारी समिति कोट	पीथाकाखेड़ा	,,
10. कोट	सहकारी समिति कोट	कोट	,,
11. पालरां	सहकारी समिति खाखरमाला	पालरां	,,
12. खाखरमाला	,, खाखरमाला	खाखरमाला	,,
13. आशाहोली	,, आशाहोली	आशाहोली	,,
14. बोरियापुरा	,, आशाहोली	बोरियापुरा	,,
15. नाहरी	,, नाहरी	नाहरी	,,
16. नपथडियास	,, नाहरी	नाथडियास	,,
17. नांदशा	नाथूलाल कालूराम नांदशा	नांदशा	,,
18. माखुंदा	चर्मकार उद्योग सह. समिति मोखुंदा	मोखुंदा	,,
19. खोमाणा	,, ,, ,,	खोमाणा	,,
20. भंडोल	सहकारी समिति भंडोल	भंडोल	,,
21. देवरीया	,, ,, देवरीया	देवरीया	,,
22. गलवा	,, ,, देवरीया	देवरीया	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा

1. माण्डल	क्र. वि. सह. समिति लि. माण्डल	माण्डल	1-11-79
2. माण्डल	,, ,,	माण्डल	,,
3. सूरास	ग्राम सेवा सहकारी समिति सूरास	सूरास	,,
4. बागोर	,, ,, बागोर	बागोर I	,,
5. बागोर	,, ,,	बागोर II	,,
6. बागोर	श्री रामपाल शिवकुमार बागोर	बागोर II	,,
7. बावलास	श्री नारायण सिंह सरदारसिंह	बावलास	,,
8. टहुंका	श्री अंबालाल सुवालाल जैन बागोर	टहुंका	,,
9. बेमाली	ग्राम सेवा सहकारी समिति बेमाली	बेमाली	,,
10. रामपुरिया	,, ,,	रामपुरिया	,,
11. दहीमथा	,, ,,	दहीमथा	,,

1 2	3	4	5
12. लुहारिया	ग्राम सेवा सह. समिति लुहारिया	लुहारिया	1-11-79
13. भादू	क्रय विक्रय सहकारी समिति मांडल	भादू	,,
14. कबराडिया	ग्राम सेवा सहकारी समिति कबराडिया	कबराडिया	,,
15. केरिया	,, ,,	केरिया	,,
16. केरिया	,, ,,	छाजों का खेड़ा	,,
17. लेसवा	,, ,, लेसवा	लेसवा	,,
18. जोरावरपुरा	धर्मचन्द हीरालाल बाबलास	जोरावरपुरा	,,
19. करेड़ा	ग्राम सेवा समिति करेड़ा	करेड़ा	,,
20. गोरख्या	,, ,, गोरख्या	गोरख्या	,,
21. धुवाला (क)	,, ,, धुवाला (क)	धुवाला (क)	,,
22. बावड़ी	ग्राम सेवा सह. समिति लिरडिया	बावड़ी	,,
23. पोथास	,, ,, पोथास	पोथास	,,
24. धोडास	,, ,, धोडास	धोडास	,,
25. चिलेश्वर	,, ,, चिलेश्वर	चिलेश्वर	,,
26. निम्बाहेड़ा	,, ,, ,,	निम्बाहेड़ा	,,
27. उमरी	ग्राम सेवा सहकारी समिति उमरी	उमरी	,,
28. कोडीमाल	ग्राम सेवा सह. समिति धोंराकावाडिया	कोडिमाल	,,
29. भभाणा	,, ,, भभाणा	भभाणा	,,
30. चिताम्बा	,, ,, चिताम्बा	चिताम्बा	,,
31. लादूवास	,, ,, लादूवास	लादूवास	,,
32. शिवपुर	,, ,, शिवपुर	शिवपुर	,,
33. थाना	,, ,, ,,	शिवपुर	,,
34. आलमास	श्रीमती सुगनी देवी आलमास	आलमास	,,
35. भगवानपुरा	क्रय विक्रय सहकारी समिति माण्डज	भगवानपुरा	,,
36. धुवाला (मा)	पन्नालाल जाट धुवाला	धुवाला (मा)	,,
37. सिडियास	,, ,,	सिडियास	,,
38. चांदरास	ग्राम सेवा सहकारी समिति चांदरास	चांदरास	,,
39. आमदला	,, ,, करेडा	आमदला	,,
40. ज्ञानगढ़	,, ,, ज्ञानगढ़	ज्ञानगढ़	,,
41. मेजा	प्रहलादराय कावरा	मेजा	,,
42. जोरावरपुरा	धर्मचन्द हीरालाल	करायावास	,,

उचित मूल्य के दुकानदारों की सूची, तहसील आसीन्द

1. अंटाली	ग्राम सेवा सहकारी समिति अंटाली	अंटाली	1-11-79

1	2	3	4	5
2.	पालड़ी	ग्राम सेवा सह. समिति पालडी	पालडी	1-11-79
3.	दांतडा	,, ,, दांतडा	दांतडा	,,
4.	बाजूंदा	,, ,, बाजूंदा	बाजूंदा	,,
5.	बोरेला	,, ,, प्रतापपुरा	आसींद	,,
6.	रतनपुरा	,, ,, रतनपुरा	रतनपुरा लाछुडा-वाला	,,
7.	करजालिया	,, ,, करजालिया	करजालिया	,,
8.	कांवलास	,, ,, कांवलास	कांवलास	,,
9.	रामपुरा	,, ,, सापोला	सापोला	,,
10.	जगपुरा	,, ,, जगपुरा	जगपुरा	,,
11.	गांगलास	,, ,, गांगलास	गांगलास	,,
12.	गटार	,, ,, दांतड़ा	कटार	,,
13.	संग्रामगढ़	,, ,, मोटरास	संग्रामगढ़	,,
14.	मोटरास	,, ,, मोटरास	मोटरास	,,
15.	ओजियाना	,, ,, करमाका बाडिया	ओजियाना	,,
16.	जालरिया	श्री विशन सिंह	कांडरू	,,
17.	रतनपुरा लाछुडावाला	श्री लहरूलाल गुजर	जींदरास	,,
18.	रघुनाथपुरा	श्री गोपीलाल गुजर	रघुनाथपुरा	,,
19.	दडावत	श्री लादूराम वैष्णव	दडावत	,,
20.	रूपपुरा	श्री कालूराम	रूपपुरा	,,
21.	चतरपुरा	श्री लादूराम जैन	चतरपुरा	,,
22.	मादसी	श्री विजयलाल कलाल मादसी	मादसी	,,
23.	इरास	मांगीलाल जाट	इरांस	,,
24.	भोजपुरा	हगामीलाल खत्री	भोजपुरा	,,
25.	मोगर	उदयराम शर्मा	मोगर	,,
26.	गांगलास (जीवलियां)	हीरालाल जाट	जीवलियां	,,
27.	चेनपुरा	शंकरलाल जैन	चेनपुरा	,,
28.	बराणा	ग्राम सेवा सह. समिति कांवलास	बराणा	,,
29.	मोतीपुर	मांगीलाल जैन	मोतीपुर	,,
30.	रतनपुरा (मादसी)	भंवरलाल	रतनपुरा	,,

1	2	3	4	5
31.	नगड़िया	बंशीलाल लुहार	नेगडिया	1-11-79
32.	पाटन	ग्राम सेवा सह. समिति पाटन	पाटन	,,
33.	बदनोर	बदनोर सह. उप. भण्डार बदनोर	बदनोर	,,
34.	पारसोली	ग्राम सेवा सह. समिति पारसोली	पारसोली	,,
35.	परा	,, ,, परा	परा	,,
36.	आंकड़सादा	,, ,, आंकडसादा	आकडसादा	,,
37,	शंभूगढ़	,, ,, शंभूगढ़	शंभूगढ़	,,
38.	बरसनी	श्री उदयराम	सांगनी	,,
39.	आमेसर	श्री भूरालाल	आगेसर	,,
40.	कालिदास	ग्राम सेवा सह. समिति कालियास	कालियास	,,
41.	दोलतगढ़	,, ,, दोलतगढ़	दोलतगढ़	,,
42.	तिलोली	,, ,, तिलोली	तिलोली	,,
43.	लाछूड़ा	श्री शिवसिंह	लाछूडा	,,
44.	सरेरी	ग्राम सेवा सह. समिति, सरेरी	सरेरी	,,
45.	निम्बाहेड़ा	,, ,, निम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा	,,
46.	आसींद	,, क्रय विक्रय सह. समिति आसींद	आसींद	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची क्षेत्र गुलाबपुरा (हुरड़ा)

1.	गुलाबपुरा	गुलाबपुरा क्रय विक्रय सह० समिति	गुलाबपुरा	1-11-79
2.	गुलाबपुरा	,, ,,	,,	,,
3.	हुरड़ा	ग्राम सेवा सह. समिति, हुरड़ा	हुरड़ा	,,
4.	कोटडी	,, ,, कोटडी	कोटडी	,,
5.	बागूंचा	,, ,, आगूंचा	आगूंचा	,,
6.	बराटिया	,, ,, बराटिया	बराटिया	,,
7.	भोजरास	,, ,, बराटिया	भोजरास	,,
8.	रूपाहेली	,, ,, रूपाहेली	रूपाहेली	,,
9.	बड़ला	सज्जनसिंह/हगामीलाल	बड़ला	,,
10.	तसवारिया	ग्राम सेवा सह. समिति तसवारिया	तसवारिया	,,
11.	कंवलियास	,, ,, कंवलियास	कंवलियास	,,
12.	गढ़जालों का खेड़ा	हरदेव धन्ना कुम्हार बोरखेड़ा	बोरखेड़ा	,,
13.	सरेरी	ग्राम सेवा सह. समिति सरेरी	सरेरी	,,
14.	सोड़ार	,, ,, फलामादा	सोडार	,,

256

1 2	3	4	5
15. टोंकरवाड़ा	सांवतराम धनसीराम	टोंकरवाड़ा	1-11-79
16. लाम्बा	मनोहरसिंह मालचंद	लाम्बा	,,
17. ज़ालमपुरा	गजमल/धूलचन्द	ज़ालमपुरा	,,
18. गागेडा	ग्राम सेवा सह. समिति गागेड़ा	गागेड़ा	,,
19. दांतड़ा	,, ,, दांतड़ा	दांतड़ा	,,
20. खेजडी	,, ,, खेजड़ी	खेजड़ी	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची तहसील क्षेत्र जहाजपुर

1 2	3	4	5
1. जहाजपुर	क्रय विक्रय सह. समिति जहाजपुर	जहाजपुर	1-11-79
2. रावतखेड़ा	,, ,, ,,	जहाजपुर	,,
3. रोपा	श्री रामस्वरूप जाट	रोपा	,,
4. पंडेर	ग्राम सेवा सह. समिति पंडेर	पंडेर	,,
5. गांगीथला	गोकलचन्द राधे प्रसाद	गांगीथला	,,
6. टीटोडी	रतनलाल पुत्र मिश्रीलाल	टीटोडी	,,
7. टीकड़	ग्राम सेवा सह. समिति, टीकड़	टीकड़	,,
8. कुराडिया	रामलाल मांगीलाल	कुराडिया	,,
9. अमरगढ़	ग्राम सेवा सह. समिति अमरगढ़	अमरगढ़	,,
10. भगुनगर	भूरालाल पुत्र हरलाल धाकड़ भगुनगर	अमरगढ़	,,
11. धुवाला	जगदीश प्रसाद भूरालाल मालू	धुवाला	,,
12. बावड़ी	ग्राम सेवा सह. समिति तसवारिया	तसवारिया	,,
13. मनोहरपुरा	छीतरमल भूरालाल	मनोहरपुरा	,,
14. आमलदा	नन्दलाल पुत्र पांचू खटीक	आमलदा	,,
15. सरसिया	शांतिलाल कस्तूरचन्द	सरसिया	,,
16. पीपलूद	श्री भगवान स्वरूप लक्ष्मीनारायण	पीपलूद	,,
17. उलेला	ग्राम सेवा सह. समिति उलेला	उलेला	,,
18. गुढ़ा	,, ,, ,,	,,	,,
19. विलेठा	,, ,, विलेठा	बिलेठा	,,
20. गाडोली	त्रिलोकचन्द कन्हैयालाल	गाडोली	,,
21. शक्करगढ़	ग्राम सेवा सह. समिति शक्करगढ़	शक्करगढ़	,,
22. बरोदा	,, ,, ,,	बरोदा	,,
23. लुहारीकलां	रामकुंवार	लुहारीकलां	,,
24. ऊंचा	ग्राम सेवा सह. समिति कुचलवाड़ा	कुचलवाड़ा	,,
25. धोड़	जमनालाल मालू	धोड़	,,

1	2	3	4	5
26.	इटूँदा	ग्राम सेवा सह. समिति इटूँदा	इटूँदा	1-11-79
27.	खजूरी	,, ,, खजूरी	खजूरी	,,
28.	जामोली	,, ,, जामोली	जामोली	,,
29.	गंघेर'	धनालाल	गंघेर	,,
30.	टीटोडा	ग्राम सेवा सह. समिति खेरूणा	खेरूणा	,,
31.	वेई	उदयलाल/कन्हैयालाल	वेई	,,
32.	साकरां	,, ,,	वेई	,,
33.	प[illegible]सी	भूपेश कुमार बंशीलाल	अमरवासी	,,
34.	बिहाड़ा	त्रिलोकचन्द वालूराम	बिहाड़ा	,,
35.	भरणी कलां	कृष्णगोपाल पुत्र श्री गोवर्धनलाल	भरणीकलां	,,

तहसील शाहपुरा के उचित मूल्य के दुकानदारों की सूची

1.	शाहपुरा	श्री हरकचन्द सारदा वार्ड 3, 4,5, 6	शाहपुरा	1-11-79
2.	शाहपुरा	सह. उप. होल. भण्डार शाहपुरा 11, 12. 13	शाहपुरा	,,
3.	शाहपुरा	क्रय विक्रय सह. समिति लि. शाहपुरा 15, 16 14,	शाहपुरा	,,
4.	शाहपुरा	हीरालाल/मोतीराम 7, 8, 9,	शाहपुरा	,,
5.	शाहपुरा	विमलकुमार/रतनलाल भंवरा	शाहपुरा	,,
6.	रहड़	पुरूषोतमदास सोनी	माताजी का खेड़ा	,,
7.	खामोर	रोडलाल दरोगा	खामोर	1-11-79
8.	भोजपुर	विक्रमसिंह राजपूत	भोजपुर	,,
9.	हुकमपुरा	क्रय विक्रय सह० समिति हुकुमपुरा	हुकुमपुरा	,,
10.	मिण्डोलिया	रामपाल लुहार	मिण्डोलिया	,,
11.	डोहरिया	ग्राम सेवा सह० समिति, डोहरिया	डोहरिया	,,
12.	तसवारिया–वासा	,, ,, ,,	तसवारियावासा	,,
13.	अरनियारासा	रामेश्वर प्रसाद पारीक	अरनियारासा	,,
14.	इंटडिया	ग्राम सेवा सह० समिति इंटडिया	इंटडिया	,,
15.	अरवड़	मिलापचन्द जैन इंटडिया	अरवड़	,,
16.	कादीसाणा	रामगोपाल अचारज	कादीसाणा	,,
17.	धनोप	चन्द्र प्रकाश शर्मा	धनोप	,,

258

1	2	3	4	5
18.	लसाडिया	रतनगिरी लसाडिया	लसाडिया	1-11-79
19.	लूलास	ग्राम सेवा सह० समिति लूलास	लूलास	,,
20.	डाबलाचांदा	दाडमचन्द जैन बलाण्ड	डाबलाचांदा	,,
21.	कनेछनकलां	कृष्णगोपाल गगरानी	कनेछनकलां	,,
22.	कनेछन खुर्द	ओमप्रकाश गगरानी	कनेछन खुर्द	,,
23.	कोठिया	ग्राम सेवा सह० समिति कोठिया	कोठिया	,,
24.	देवरिया	सूरजकरण पुरोहित	देवरिया	,,
25.	फूलियाकलां	ग्राम सेवा सह० समिति फूलियाकलां	फूलियाकलां	,,
26.	सांगरिया	महावीर प्रसाद	सांगरिया	,,
27.	बोरडा	सरदार खां	बोरडा	,,
28.	तहनाल	कन्हैयालाल शर्मा	तहनाल	,,
29.	आमलीकलां	क्रय विक्रय सह० समिति शाहपुरा	शाहपुरा	,,
30.	बचखेड़ा	ग्राम सेवा सह० समिति बचखेड़ा	बचखेड़ा	,,
31.	बांसेड़ा	,, ,, ,,	बांसेड़ा	,,
32.	ढीकोला	रामनिवास सोमानी	ढीकोला	,,
33,	खोडाहेतम	ग्राम सेवा सह० समिति सणगारी	खेडाहेतम	,,
34.	अरनियागोड़ा	जयकुमार जैन	अरनियागोड़ा	,,
35.	फूलियाखुर्द	भंवरदास वैष्णव	फूलियाखुर्द	,,
36.	दोलतपुरा	क्रय विक्रय सह० समिति शाहपुरा	दोलतपुरा	,,
37.	इटमारिया	सरदारसिंह	इटमारिया	,,
38.	सारास	ग्राम सेवा सह० समित सारांस	सारांस	,,
39.	बोलिया	नाराण पिता ऊंकार जाट	बोलिया	,,

उचित मूल्य की दुकानों की सूची तहसील माण्डल

1.	माण्डलगढ़ पुरानी आबादी	ग्राम सेवा सह० समिति माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	1-11-79
2.	,, नई आबादी	,, ,, ,,	,,	,,
3.	बलदरखा	,, ,, ,,	,,	,,
4.	खाचरोल	श्री बालूराम पुत्र मदनलाल खाचरोल	खाचरोल	,,
5.	लाडपुरा	ग्राम सेवा सह० समिति लाडपुरा	लाडपुरा	,,
6.	काछोला	ग्राम सेवा सह० समिति काछोला	काछोला	,,
7.	सिगोलीचार भुजा	कृषि सेवा सह० समिति सिगोलीचार–भुजा	सिगोलीचारभुजा	,,

(259)

1 2	3			4	5
8. जोजवा	कृषि सेवा सह. समिति सिंगोलीचारभुजा			जोजवा	1.11-79
9. बरंदनी	,,	,,		बरंदनी	,,
10. धाकड़खेडी	,,	,,		धाकडखेड़ी	,,
11. सराणा	,,	,,		सराणा	,,
12. मोहनपुरा	ग्राम सेवा सह० समिति नीमकाखेड़ा			नीमकाखेड़ा	,,
13. बोगोद	किसान ब० स० स० बोगोद			बोगोद	,,
14. बिजोलिया	भंवरलाल पुत्र प्रभूलाल बिजोलिया			बिजोलिया	,,
15. भोपतपुरा	किसान ब० स० स० बिजोलिया			भोपतपुरा	,,
16. चांदजी की खेडी	,,	,,	चांदजी की खेड़ी	चांदजी की खेड़ी	,,
17. महुआ	,,	,,	महुआ	महुआ	,,
18. तिलस्वा	,,	,,	तिलस्वा	तिलस्वा	,,
19. मकरेड़	,,	,,	तिलस्वा	सूरजविलास	,,
20. छोटी बिजोलिया	,,	,,	छोटी बिजोलिया	छोटी बिजोलिया	,,
21. राजगड़	,,	,,	कोछोला	राजगढ़	,,
22. श्यामपुरा	जगदीश चन्द्र पुत्र नानूलाल श्यामपुरा			श्यामपुरा	,,
23. माल का खेड़ा	किसान ब० स० स० माल का खेड़ा			माल का खेड़ा	,,
24. जलीन्द्री	शंकरलाल रामनारायण			जलीन्द्र/श्यामपुरा	,,
25. कल्याणपुरा	लादूलाल रामचन्द्र सुथार			कल्याणपुरा	,,
26. सरथला	ग्राम सेवा सह. समिति जसूजी का खेड़ा			जसूजी का खेड़ा	,,
27. जालिया	,,	,,	जालिया	जालिया	,,
28. थलोदा	,,	,,	छोटी बिजोलिया	थलोदा	,,
29. सूरास	,,	,,	सूरास	सूरास	,,
30. आरोली पंचायत सूलावाटिया	रूपलाल हीरालाल धाकड़			आरोली	,,
31. सलावटिया	,,	,,		सलावटिया	,,
32. झंभोला	राधेश्याम पुत्र हीरालाल			झंभोला	,,
33. विक्रमपुरा	ग्राम सेवा सह. समिति सदारामजीकाखेड़ा			विक्रमपुरा	,,
34. ओमाजी का खेड़ा	,,	,,	,,	ओमाजी का खेड़ा	,,
35. गोपालपुरा	पन्नालाल/वेणीचन्द लक्ष्मीनिवास			लक्ष्मीनिवास	,,
36. धामणिया	मोहनसिंह रामसिंह राजपूत			धामणिया	,,

1	2	3	4	5
37.	थल कला	राधेश्याम/मोहनलाल	थलकला	1-11-79
38.	गेणोली	ग्राम सेवा सह. समिति गेणोली	गेणोली	,,
39.	खटवाड़ा	,, ,, खटवाड़ा	खटवाड़ा	,,
40.	श्री नगर	,, ,, महुआ	श्री नगर	,,
41.	मानपुरा	,, ,, मानपुरा	मानपुरा	,,
42.	बीकरण	दामोदरलाल पुत्र भैरूलाल	बीकरण	,,
43.	हेमनिवास	ग्राम सभा हेमनिवास	हेमनिवास	,,

260

परिशिष्ट—3

तारांकित प्रश्न संख्या 501 की सूची

नगर परिषदों/पालिकाओं के कर्मचारियों को वर्ष 1979 से 80–81 तक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण

क्रमांक	स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक	परिषद/पालिका का नाम	स्वीकृत राशि
1.	बजट एफ15/7/स्वा.नि/79-80/1182-83 दिनांक 13-2-80	अलवर	25,000/-
2. ,,	1842-43 दिनांक 14-3-80	अलवर	12,000/-
3. ,,	3141-42 दिनांक 28-3-80	चितौड़गढ़	10,000/-
4 ,,	7681-82 दिनांक 28-6-80	जयपुर	23,100/-
5. ,,	7683-84 दिनांक 28-6-80	कोटा	2,49,540/-
6. ,,	17485-86 दिनांक 5-8-80	अजमेर	33,000/-
7. ,,	12263-64 दिनांक 25-8-80	हनुमानगढ़	60,000/-
8. ,,	15121-22 दिनांक17-11-80	अलवर	20,000/-
9. ,,	15827-28 दिनांक27-11-80	हनुमानगढ़	20,000/-
10. ,,	17953-54 दिनांक 31-1-81	जयपुर	76,200/-
11. ,,	10666-57 दिनांक 22-8-80 17327-28 दिनांक 15-1-81	चित्तौड़गढ़	70,000/-
12. ,,	20159-60 दिनांक 17-3-81	जोधपुर	2,64,360/-
13. ,,	20161-62 दिनांक 17-3-81	जोधपुर	61,420/-
14. ,,	28163-64 दिनांक 17-3-81	उदयपुर	2,33,100/-
		कुल योग	11,57,820/-

परिशिष्ट—4

तारांकित प्रश्न 504 का परिपत्र

Copy of circular No. F. I (272) MPH/77/Gr. II dated 31-7-78 received from Dy. Secretary to Government Medical & Public Health Department, Govt. of Rajasthan, addressed to Director, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

CIRCULAR

In supersession of all previous orders regarding placement policy of officers of Medical Department the following guide lines are laid down for placement of personnel of the Medical Department :—

1. The Medical Institutions in the State, for the purpose of placement policy, could be categorised in the following major groups :—

   (i) **Group 'A' :**

   Teaching Hospitals District and other Hospital having more than 150 beds excluding Mobile Surgical Unit.

   (ii) **Group 'B' :**

   District and other Hospitals having bed strength of more than 150 but not less than 50, Mobile Surgical Unit, all Institutions in Urban areas and upgraded Referral Hospitals.

   (iii) **Group 'C' :**

   Hospitals having a bed strength of less than 50 beds, all institutions in semi-urban areas located at places having a population of 10,000 or more.

   (iv) **Group 'D' :**

Non-beded institutions in semi-urban and rural areas and all Primary Health Centres.

2. The policy will have to take into account the problem of Specialists, non-specialists, new entrants, old employees, couples in service, handicapped persons, unmarried lady doctors etc., separately.

3. (A) **Specialists :-**

Posts of Senior and Junior Specialists in various branches have been provided mainly in district and other hospitals having a bed strength of not less than 100 beds. No such Hospitals is located below with sub-divisional level in Rajasthan.

4. Senior Specialists are provided in Mobile Surgical Unit, E. S. I. Hospital and District Hospitals having a bed strength of 150 beds or more. The first two are located at Jaipur and the others, in order of the bed strength, are at Kota (400), Alwar (300), Bhilwara (150), Bharatpur (300), Banswara (200), Ganganagar (200), Beawar (300), Dholpur (150), Dungarpur (150), Pali (150) and Sikar (150). The subject-wise distribution of the posts of Senior and Junior Specialists in various Hospitals is shown at Appendix-I. There is very limited choice of placement of Senior Specialists in Anaesthesia, Pathology, Gynaecology and Opthalmology as only 2, 3, 4 and 5 posts are sanctioned respectively for these specialities. However, it could be decided that, unless indicated otherwise on administrative grounds, Senior persons may be posted at Hospitals having comparatively larger number of beds in the speciality. There are 13 posts of senior Specialists each in Medicine and Surgery and the postings should be decided in relation to the seniority of the persons and number of beds in the speciality.

5. The same principle could be made applicable in case of Junior Specialists in various subjects.

6. The General considerations as mentioned to the last para of this note shall, however, be applicable to the cadre of Specialists also.

7. (B) **Post-graduate C. A. S. :—**

A large number of post-graduate qualified doctors in Medicine, Surgery and Gynaecology are available with the Department. In due course they will be promoted to the post of Junior Specialists as and when the vacancies fall in. These doctors should, on priority, basis, be posted to such beded institutions only where the post of Specialists are not provided. Each one of them, particularly the new entrants at the time of their first posting should in rotation be posted at least for period of 2 years in the upgraded Referral Hospitals and Primary Health Centres having more than 10 beds. Except for the purpose of rotation the post graduate doctors as far as possible should not be posted in non-beded institutions but if they have to be posted the posting period should not exceed more than two years in any circumstances.

8. (C) **C. A. S. without post-graduate qualifications :–**

This, being the largest category in the Department, merits special consideration in the placement policy.

9. All new entrants in this category should have their postings as under :—

(i) First year in a district or other hospital having bed strength of not less than 50, where more than 2-3 posts of doctors are provided (Group A and B).

(ii) The next 3 years in Primary Health Centre (Group D).

(iii) Subsequent 3 years in a rural dispensary. A placement in rural dispensary and Primary Health Centre having a bed strength of less than 10 beds may be considered at par (Group D).

(iv) After a total service of 7 years as above, they may be considered for posting in urban and semi-urban dispensaries for a period of maximum 3 years.

265

(v) After a total service of 10 years a doctor in this category may be posted in district and other hospitals but the total stay in a particular hospital should not exceed a period of 5 years (Group A and B).

10. The general considerations of the placement policy shall be applicable to this category as well.

11. In case of old employees the posting should be governed by the general considerations, provided the incumbent, has already put in 10 years of service, of which at least 4 years or in rural areas, Otherwise, rural posting for a period of 3-4 years should be ensured in case of all doctors below the age of 50 years.

12. **General considerations for placement of doctors :-**

(i) Except on administrative grounds no doctor should be transferred before completion of 2 years stay at a particular place.

(ii) No doctor should be allowed to continue at the same place of posting for more than 7 years in case of non-beded institutions and 5 years in case of beded institutions located in urban and semi-urban areas.

(iii) As far as possible, doctor couples may be posted in the same station. The choice of the station may have to involve one of them secrifycing a more popular station in favour of a less popular only. Lady doctors who are unmarried and staying with their parents in Government service may be posted at the place of posting of their parents.

(iv) Doctors who are suffering from diseases for which treatment is available only at Medical Colleges Headquarters should be posted at the Headquarter

of Medical Colleges Hospital on submission of positive evidence by a Board of doctors.

(v) Considerations of Home districts will weigh in placement in favour of doctors about to retire within a period of 3 years.

(vi) In case of unmarried or single lady-doctors, factors like availability of residential accommodation at the place of posting should be kept in view.

(vii) Except on special grounds transfers may be ordered an mass once during the course of 2 years possibly in the month of May.

This shall take effect from 1st August, 1978.

267

Copy of letter No. F. P A./DS/MPH/Gr. II/81 Jaipur, dated 6-2-81 from Dy. Secretary to Govt. Medical & Public Health Deptt., Rajasthan, Jaipur to Director, Medical & Health Services, Rajasthan, Jaipur.

ORDER

Transfers in the Medical and Ayurved Department were banned vide this Department endorsement No. 3040–41/HS/80 dated 23rd Sept., 1980. It appears that this order has not been enforced strictly so far. It is, therefore, ordered that the order referred to above be strictly enforced in future.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES,
RAJASTHAN, JAIPUR.

No. EG/Circular/81/225 Dated 10-2-1981

Copy forwarded to All Officers of this Directorate for strict compliance.

Sd/-
Director,
Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 5

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

नगरपालिका लाडनू में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का पदस्थापन

505. **श्री रामधन** (लाडनू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लाडनू नगरपालिका में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के अभाव में लाडनू नगरपालिका का निर्माण सम्बन्धी कार्य गत एक वर्ष से रुका पड़ा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इसके लिए कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका लाडनू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण गत 4 वर्षों से बजट में कनिष्ठ अभियन्ता के पद का प्रावधान नहीं रखा गया है।

(2) जी हां। अब नगरपालिका कुचामनसिटी के कनिष्ठ अभियन्ता को इस नगरपालिका में कार्यों की देख रेख के लिए पाबन्द कर दिया गया है। जिन्होंने कार्य का नाप ले लिया है एवं तखमीना बनाए जा रहे हैं। तखमीना प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ हो जावेगा।

अजमेर नगर परिषद् में समाविष्ट पुष्कर क्षेत्र के कुछ गांवों में विकास कार्य

506. **श्रीमती सूरज देवी** (पुष्कर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या पुष्कर क्षेत्र के करीबन 28 गांव अजमेर नगरपालिका के अधीन आये हुए हैं? यदि हां, तो किस आधार पर नगरपालिका में लिये गये हैं?

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका अजमेर के पास अर्थाभाव के कारण संबंधित गांवों में विकास कार्य नहीं हो सके? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गांवों को वापस पंचायत के अधीन करने के बारे में विचार किया है?

(3) गत वर्ष इन ग्रामों में क्या क्या विकास कार्य नगरपालिका अजमेर द्वारा कराये गये हैं और भविष्य में क्या कार्य कराने का प्रस्ताव है?

उत्तर

(1) पुष्कर क्षेत्र के 23 गांव नगर परिषद, अजमेर के अधीन आये है। यह राज्य सरकार के नोटिफिकेशन नं० एफ1(1) एल.एस.जी./74/69380–87 दि. 11-9-75 द्वारा नगर परिषद् अजमेर के क्षेत्र में शामिल किये गये हैं जो कि अजमेर नगर के मास्टर प्लान पर आधारित हैं।

(2) यह सही है। इस क्षेत्र के 21 गांवों को परिषद् सीमा से वापस पंचायत क्षेत्र में शामिल करने की कार्यवाही चल रही है।

(3) गत वर्ष इन गांवों में सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि से किये गये विकास कार्यों की सूची संलग्न है। भविष्य में जो कार्य कराये जाने का प्रस्ताव है, उनकी सूची संलग्न है। उक्त कार्यों का निष्पादन परिषद् की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है।

List of works executed during the past three years in the villages against Grant-in-aid sanction.

S. No.	Name of work	Amount of expenditure
1.	Providing of drain at Tabiji village, Ajmer	61104.91
2.	Laying of 25 MM thick carpet at Tabiji from Main Road to Raghunath Ka Mandir, Ajmer	85146.57
3.	Laying of 25 MM thick carpet at Tabiji from Aushdhalaya to Raghunath Ka Mandir	88243.39
4.	Providing of drain at Kotra village, Ajmer	42125.91
5.	Laying of 25 MM thick carpet at Kotra village near Well to Panchayat Ghar	39532.14
6.	Laying of 25 MM thick carpet at Kotra village from Pushkar Road to School side, Ajmer	82636.41
7.	Laying of 25 MM thick carpet at Kotra village Near well	27301.05
8.	Providing of drain at Subhash Nagar Colony Beawar Road, Ajmer	35528.31
9.	Const. of road at Subhash Nagar Colony Beawar Road (Part A) & Const. of culvert near Subhash Nagar Colony.	119565.62
10.	Providing of drain at Hatundi village, Ajmer	79360.10
11.	Const. of road from Rly. Crossing at Hatundi village (Part A).	65956.08
12.	Const. of road from Rly. Crossing at Hatundi village (Part B).	67985.57
	Cost of Bituven	100200.00
		8,94,696.00

Executive Engineer
Municipal Council, Ajmer

पुष्कर क्षेत्र के गांवों में प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची :–

नाम ग्राम	कार्य विवरण सड़क नाली पुलियों पर अनुमानित खर्चा	अनुमानित लागत
1 खडेसरी	–	12 लाख
2 बोराज कांजीपुरा	–	8 ,,
3 माकरवाली	–	15 ,,
4 सोमलपुर	–	8 ,,
5 खानपुरा	–	3 ,,
6 घुंघरा	–	5 ,,
7 रसुलपुरा	–	3 ,,
8 मदारपुरा	–	2 ,,
9 सेंदरिया	–	2 ,,
10 परबतपुरा	–	3 ,,
11 अजयसर	–	3 ,,
12 हाथी खेड़ा	–	3 ,,
13 नोसर	–	2 ,,
14 गुवाड़ी	–	2 ,,
15 दोराई	–	3 ,,
		74 लाख

सभी जिलों में आवश्यक वस्तुओं के वितरण की एक समान व्यवस्था करना

507. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा) : क्या रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर के लिये प्रतिमाह, माह अप्रेल, 80 से कितनी सीमेंट, चीनी, गेहूं, केरोसिन आवंटित किया जा रहा है ? प्रदेश के अन्य नगरों, तथा जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, आदि को कितनी मात्रा में सीमेंट, चीनी, गेहूं व केरोसिन आवंटित किया जा रहा है ? कृपया आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था प्रदेश के हर नगर में अलग अलग तरीके से लागू की हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समान वितरण व्यवस्था करने के लिये कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) उपलब्धि एवं आवश्यकता के आधार पर आवन्टित मात्रा भिन्न-भिन्न रही है।

876

तारांकित प्रश्न संख्या 507 की सूची

आवश्यक वस्तुओं की वितरण की तालिका

क्र.सं. 1	नाम माह 2	जोधपुर 3	जयपुर 4	अजमेर 5	उदयपुर 6	कोटा 7
सीमेन्ट				(मात्रा टनों में)		
1.	अप्रेल, 80 से जून, 80 तक	1350	3000	1900	1200	1188
2.	जुलाई, 80 से सितम्बर, 80 तक	136	3000	1900	261	1188
3.	अक्टूबर, 80 से दिसम्बर, 80 तक	1350	3000	1900	1200	1188
4.	जनवरी, 81 से मार्च, 81 तक	1350	3000	2500	—	1188
चीनी:—				(मात्रा टनों में)		
1.	अप्रेल, 80	176	430	579	110	
2.	मई, 80	120	568	560	110	
3.	जून, 80	133	361	576	110	153.4
4.	जुलाई, 80	174.7	427	562.5	110	172.6
5.	अगस्त, 80	173.5	349	800	110	173.5
6.	सितम्बर, 80	120	289	570+357	110	133.3
7.	अक्टूबर, 80	96	238	575+460	110	133.6
8.	नवम्बर, 80	120	317.7	575+233	110	163.5
9.	दिसम्बर, 80	148	266.1	572	110	184.2
10.	जनवरी, 81	148	271	574	110	168.9
गेहूं:—				(मात्रा टनों में)		
1.	अप्रेल, 80	2100	3000	3000	1000	—
2.	मई, 80	1500	3000	2000	400	—
3.	जून, 80	120	3000	2000	620	132
4.	जुलाई, 80	1230	3000	1200	1170	715

1	2	3	4	5	6	7
5.	अगस्त, 80	120	500	800	480	165
6.	सितम्बर, 80	1200	925	900	370	91.5
7.	अक्टूबर, 80	350	275	100	579.5	66.5
8.	नवम्बर, 80	450	250	450	634.5	84
9.	दिसम्बर, 80	450	375	300	732	30
10.	जनवरी, 81	400	200	400	635	–

केरोसिन :– (मात्रा किलो लीटर में)

1.	अप्रेल, 80	625	1805	1225	293	390
2.	मई, 80	719	1040	1173	296	350
3.	जून, 80	297	990	753	397	335
4.	जुलाई, 80	730	1093	787	408	380
5.	अगस्त, 80	706	1337	1106	468	410
6.	सितम्बर, 80	723	1286	1004	443	450
7.	अक्टूबर, 80	811	1138	783	425	412
8.	नवम्बर, 80	677	1700	918	458	491
9.	दिसम्बर, 80	885	1885	939	548	371
10.	जनवरी, 81	263	1762	960	608	530

नोट:– बीकानेर की सूचना प्राप्त नहीं होने से अंकित नहीं की जा सकी।

उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय

508. **श्री भैरूलाल** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कितने विद्यालय भवन अधूरे निर्मित हैं ? सरकार इन्हें कब तक पूर्ण करा देगी ? कृपया अधूरे भवनों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में नये खोले गये विद्यालयों में अभी तक अध्यापक पदस्थापित नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो अब कब तक अध्यापक पदस्थापित कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) अधूरे विद्यालय भवनों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। जन सहयोग से धन उपलब्ध होने पर अधूरे भवन पूर्ण कराये जायेंगे।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न संख्या 508 की सूची

उदयपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अधूरे विद्यालय भवनों की सूची

क्र.स.	नाम विद्यालय	पंचायत समिति	विद्यालय का स्तर
1	2	3	4
1.	भलो का गुडा	गिर्वा	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2.	उमरडा	,,	,,
3.	डोडावली	,,	,,
4.	बरोठ ब्राम्हणान	खैरवाडा	,,
5.	वलीचा	,,	,,
6.	कोजावाडा	,,	,,
7.	भूधर	,,	,,
8.	भाटिया कागदर	,,	,,
9.	समोडा	सलूम्बर	,,
10.	पोरीपाल	सराड़ा	,,
11.	मगवास	भाडोल	,,
12.	गरणवास	,,	,,
13.	थोबावाडा	,,	,,
14.	लिम्बरवाडा	धरियावद	,,
15.	झेड	कोटडा	,,
16.	महाडी	,,	,,
17.	नेडच	बडगांव	,,
18.	धोडच	,,	,,
19.	इसवाल	,,	,,
20.	भुताला	,,	,,
21.	कडिया	,,	,,
22.	करोली	खमनोर	,,
23.	मचीन्द	,,	,,
24.	फतहपुर	,,	,,
25.	सलोदा	,,	,,
26.	बागोल	,,	,,
27.	पाखण्ड	,,	,,
28.	वामनहेडा	,,	,,
29.	कराई	,,	,,
30.	बिनोल	राजसमंद	,,

1	2	3	4
31.	शेखावास	भीम	उच्च प्राथमिक विद्यालय
32.	कांकरवा	कुम्भलगढ	,,
33.	बामनटूकडा	राजसमंद	,,
34.	निमडी	भीण्डर	,,
35.	कुन्दई	भीण्डर	,,
36.	माल की टूस	,,	,,
37.	रावलीया कला	गोगुन्दा	,,
38.	मानकावास	मावली	,,
39.	भानखोल	,,	,,
40.	जावड	,,	,,
41.	लसाडिया	थरियावद	माध्यमिक विद्यालय
42.	कल्याणपुर	खैरवाडा	,,
43.	बावलवाडा	,,	,,
44.	धोइन्दा	राजसमंद	,,
45.	केलवा	,,	,,
46.	पछमता	रेलमगरा	,,
47.	सेमली	मावली	,,
48.	कुथंवास	भ ण्डर	,,
49.	मजेरा	कुम्भलगढ़	,,
50.	कोल्यारी	भाडोल	,,
51.	गांवगुडा	खमनोर	,,
52.	बडाबाजार नाथद्वारा	खमनोर	,,
53.	रेलमगरा	रेलमगरा	उच्च माध्यमिक विद्यालक

ग्राम बड़ा खेड़ा [ब्यावर] में डाक्टर्स का पदस्थापन तथा टाटगढ़ में प्रसूति गृह खोलना

509. **श्री विष्णु प्रकाश बजारी** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ब्यावर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम बड़ा खेड़ा में कितने समय से अस्पताल में डाक्टर्स नहीं हैं ? इसके लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(2) टाटगढ़ ग्राम में ग्रामवासियों द्वारा बनाया गया प्रसूति गृह कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

(3) राज्य में जनता के सहयोग से बनाये गये अस्पताल के वार्डों के लिये मुख्य मन्त्री कोष से सहायता देने का क्या प्रावधान है ?

उत्तर

(1) बड़ाखेड़ा डिस्पेन्सरी में डाक्टर का पद दिनांक 21-10-80 से खाली है।

डाक्टर लगाने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(2) प्रसूति गृह की स्वीकृति दी जा चुकी है। शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

(3) 50 प्रतिशत राशि जन सहयोग से प्राप्त होने पर 50 प्रतिशत राशि मुख्य मंत्री अस्पताल विकास कोष से जिला कमेटी की सिफारिश पर देने का प्रावधान है।

श्री महावीर जी में केरोसिन की अवैध बिक्री

510. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (करौली) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री महावीर जी में 1 अप्रेल, 1980 को 10,000 लीटर केरोसिन तेल बिना पूर्व वैध आज्ञा के आया था और इसकी सूचना वहां के सरपंच ने उप जिलाधीश हिण्डौन को दी थी ?

(2) इस संबंध में क्या कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि तेल को बेचने के नियमन के लिए अधिकृत अधिकारी तहसीलदार हिण्डौन ने रोक लगा दी थी ?

(4) यदि हां, तो फिर किन अधिकारों का उपयोग करते हुए उप जिलाधीश ने इस तेल को बेचने के आदेश दिए ?

(5) यदि नहीं, तो उप जिलाधीश की इस कार्यवाही को अवैध मानते हुए जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा उप जिलाधीश के विरूद्ध आरोप पत्र देने की सिफारिश कार्मिक विभाग से क्यों की गई थी ?

(6) क्या सरकार यह मानती है कि उप जिलाधाश ने बिना अधिकार किसी पार्टी को अनुचित लाभ पहुंचा कर एक गंभीर अपराध नहीं किया ?

(7) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों ?

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। थोक विक्रेता, जिसके द्वारा तेल दिया गया, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही कर 500/–प्रतिभूति राशि जब्त की गई।

(3) जी नहीं।

(4) तहसीलदार हिण्डौन के तेल बेचने पर कोई रोक नहीं लगाई थी उप जिलाधीश हिण्डौन ने उपभोक्ताओं की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तेल बेचने के आदेश दिये थे।

(5) जी नहीं।

(6) उप जिलाधीश ने उपभोक्ताओं के हित में केरोसिन का वितरण कराया अतः किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के अपराध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) प्रश्न के भाग 5 व 6 के उत्तर के आधार पर उप जिलाधीश के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सभी किस्म के विषय खोलना

511. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान, जीव-शास्त्र, कॉमर्स, कृषि, डेयरी आदि विषयों को प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार की क्या नीति है?

(2) क्या सरकार शहरों में विद्यार्थियों के प्रवेश भार को कम करने के हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में, उपलब्ध सभी तरह के विषय खोलने के लिए तैयार है? यदि हां, तो इन विषयों को प्रारम्भ करने में विभाग क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

उत्तर

(1) विषय खोलते समय स्थान विशेष की आवश्यकता, वित्तीय साधन एवं सम्बन्धित विद्यालय में विषय पढ़ने वाले छात्रों को सम्भावित संख्या आदि का ध्यान रखा जाता है।

(2) आगामी वर्ष राज्य में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर 25 नये विषय खोलने का प्रावधान है। तद्हेतु विद्यालयों का चयन उपर्युक्त आधार पर किया जावेगा।

नगरपालिका चित्तौड़गढ़ में गरीब तबके के लोगों को आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराना

512. **श्री शोभराज मल** (चित्तौड़गढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चित्तौड़गढ़ नगरपालिका क्षेत्र में काफी आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 से पूर्व गरीब व कमजोर तबके के व्यक्तियों को सस्ती दर पर भू-खण्ड उपलब्ध कराने की योजना प्रवृत्त थी? यदि हां, तो क्या सरकार गरीब लोगों के हितार्थ उक्त योजना को पुनः लागू कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिर्फ 599 भू खण्ड खाली हैं।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी हां। समाज के गरीब व पिछड़े लोगों को भू खण्ड आवंटन सम्बन्धी योजना अब भी लागू है।

महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम एवं वाणिज्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने का मापदण्ड

513. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजकीय महाविद्यालयों में विधि पाठ्यक्रम तथा वाणिज्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं किस आधार पर खोली जाती हैं ? राजकीय महाविद्यालय टौंक में यह कक्षाएं कब तक प्रारम्भ कर दी जावेंगी ?

उत्तर

राजकीय महाविद्यालयों में विषय महाविद्यालयों की सापेक्ष आवश्यकताओं एवं वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए खोले जाते है। टौंक में वांछित विषय खोलने के सम्बन्ध में उपरोक्त आधार पर उपयुक्त अवसर पर विचार कर लिया जायगा।

राजकीय पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा क्रय किये गये मुद्रणालय का उपयोग

514. **श्री शिवसिंह** (वाड़ी) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजकीय पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा 11 लाख रुपये की प्रिंटिंग मशीन्स वर्ष 1977 में खरीदी गई थीं ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में इनका उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। मशीनों का उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि मण्डल इनका उपयोग अनार्थिक समझता है।

अजमेर में ठेले वालों को दुकानों हेतु भू–आवंटन

515. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि 31 वर्ष की आजादी के बाद भी अजमेर नगर परिषद् सीमा में नागरिक ठेलों पर धन्धा करते हैं ? यदि हां, तो सरकार इन्हें क्या कवंडसपुरा, सब्जी मण्डी, मदार गेट, स्टेशन रोड पर खड़े होने वाले ठेले वालों को नगर विकास न्यास द्वारा भू-आवंटन करके दुकानों में परिवर्तित कराना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

यह पूर्णतया: सही नहीं है। नगर विकास न्यास अजमेर के पास ठेले वालों को भू-खण्ड आवंटन की कोई योजना नहीं है।

जिला झालावाड़ व उदयपुर में कार्यरत चिकित्सा विभाग के मेल नर्स प्रथम श्रेणी के वेतन व अन्य दावों का भुगतान

516. **श्री यदुनाथसिंह** (नदबई) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या जिला झालावाड़ व उदयपुर में कार्यरत चिकित्सा विभाग के मेल नर्स प्रथम

(श्री यदुनाथसिंह)

श्रेणी के ऐसे कितने प्रकरण हैं जिनको माह फरवरी, 1980 से अब तक वेतन, यात्रा भत्ता व अन्य क्लेम्स का भुगतान अभी तक नहीं हो सका है ? यदि हैं, तो किस-किस का एवं कब-कब से कितना-कितना क्लेम ? कब तक उक्त अल्प वेतन भोगियों को बकाया का चुकारा कर दिया जायगा ? अभी तक चुकारा नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

जी नहीं।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शाहबाद क्षेत्र में आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्तियां

517. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 23 जनवरी, 1981 को सहायक निदेशक समाज कल्याण, कोटा द्वारा आदिवासी विकास परियोजना के अन्तर्गत शाहबाद क्षेत्र के लिए छात्रावास के अधीक्षक, अधीक्षिकाओं एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद हेतु साक्षात्कार आयोजित किया गया था ? यदि हां, तो क्या चाहे गये पदों पर नियुक्तियां करदी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भविष्य में इन पदों की पूर्ति हेतु विभाग ने अब कौन सी तिथि को और किस प्रणाली से पदों की पूर्ति करने का निश्चय किया है ?

उत्तर

(1) जी हां। साक्षात्कार दिनांक 23 व 24 जनवरी, 81 को लिये गये थे किन्तु पदों पर तदर्थ नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने के कारण साक्षात्कार किये गये व्यक्तियों में से किसी की नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) विकलांग व्यक्तियों तथा अनुसूचित एवं जन जाति के वृत्तिकाधारियों द्वारा तदर्थ रूप में भी पद भरे जाने की छूट राज्य सरकार द्वारा दी गई है। अतः अनुसूचित जाति एवं जन जाति के वृत्तिकाधारियों से दो पद छात्रावास अधीक्षकों के भरे जा चुके हैं। शेष पद प्रतिबन्ध हटाये जाने पर ही भरे जा सकेंगे।

जिला गंगानगर में आवासन मण्डल के माध्यम से रिहायशी भवन निर्माण की योजना

518. **श्री राधेश्याम** (गंगानगर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या गंगानगर में आवासन मण्डल द्वारा रिहायशी मकान बनाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने मकान बनाये गये हैं ?

(2) क्या सरकार इन मकानों को आवंटन करने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कितने प्लाट्स को कब तक आवंटित करेगी ?

(3) आवासन मण्डल के पास मकानों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या कितनी है ?

(आवासन मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। आवासन मण्डल द्वारा गंगानगर में आवासीय मकानों का निर्माण कार्य चालू है और अब तक 819 मकान आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये हैं।

(2) आवासन मण्डल द्वारा लाटरी नं. 1980-81 भाग-3 के माध्यम से गंगानगर शहर में 808 मकानों का आरक्षण किया जा रहा है। मकानों का आवंटन मकान पूरे होने पर किया जा सकेगा।

(3) गंगानगर शहर में आवासन मंडल में मकानों के आवंटन हेतु 1299 आवेदक पंजीकृत हैं।

जिला झालावाड़ में आवासन मण्डल द्वारा रिहायशी भवनों का निर्माण कराना

519. **श्री बालचन्द आर्य वीर** (डग) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में आवासन मण्डल द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला झालावाड़ में भवानी मण्डी कस्बा व्यापार और उद्योग का एक अच्छा केन्द्र है ?

(3) क्या सरकार का वहां की आबादी को देखते हुए आवासन मण्डल की ओर से निर्मित भवन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम प्रारम्भ कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1979-80 सामान्य पंजीकरण योजना झालावाड़ जिले में प्रारम्भ की गई थी लेकिन मात्र 44 प्रार्थना-पत्र पंजीकरण हेतु प्राप्त हुए थे जबकि आवासन मण्डल द्वारा मकानों का निर्माण कार्य 200 आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में आवासन मण्डल द्वारा झालावाड़ जिले में आवासन योजना प्रारम्भ करने का अभी कोई विचार नहीं है।

सी-स्कीम जयपुर के गन्दे नाले को आवृत कराना

520. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा के गत सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में स्वायत्त शासन मन्त्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सी-स्कीम के गन्दे नाले को आवृत्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायगा ?

(2) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इस कार्य के कब तक पूरे होने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) पिछले सत्र में यह आश्वासन दिया गया था सी-स्कीम जयपुर नाले का पाटने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

2807

(नगरीय विकास एवं नगर आयोजना मंत्री)

(2) साधारणतया कमर्शियल एरिया में नाला पाटा जा सकता है परन्तु यह नाला रिहायशी क्षेत्र में स्थित है। इसलिए इसका पाटा जाना सम्भव नहीं है फिर भी इस नाले की दीवार बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है यह कार्य वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर ही सम्भव हो सकेगा।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की पदोन्नति

521. **श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी** (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विज्ञान के अध्यापकों की भांति सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को भी सन् 1975 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है ? यदि हां, तो क्या सन् 1973 के बाद भी यह व्यवस्था चालू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या प्रतिनियुक्ति पर प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव में सरकार अनुभव के आधार पर सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पदोन्नति के संबंध में कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पुस्तकालयाध्यक्षों / सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाओं के संबंध में सरकार ने कोई सात सदस्यीय समिति गठित की थी एवं उस पर समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दे दी थी ? यदि हां, तो क्या उस समिति की सिफारिशों का लाभ सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को भी दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों की कोई वरिष्ठता सूची सरकार ने जारी की है ? यदि हां, तो कृपया उक्त सूची एवं उसके आधार का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों का उनके पदों पर स्थिरीकरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षित होकर राज्य सेवा में नियुक्त किये जाते हैं।

(2) राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम, 1971 के तहत अप्रशिक्षित सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों को पदोन्नति देने का प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां। समिति की अधिकांश सिफारिशों की क्रियान्विति को जाकर पुस्तकालयाध्यक्षों को लाभ दिया जा चुका है।

(4) राजस्थान शिक्षा क्षेत्र अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के तहत जिला शिक्षा अधिकारी एवं मण्डल स्तरों पर वरिष्ठता निर्धारण करने का प्रावधान है। पुस्तकालयाध्यक्ष (द्वितीय श्रेणियों) की अस्थाई सूचियां मण्डल अधिकारियों द्वारा कोटा उदयपुर रेन्ज जुलाई, 1970 तक जोधपुर बीकानेर रेन्ज जनवरी 1973 तक एवं जयपुर अजमेर रेन्ज को फरवरी, 73 तक प्रकाशित कर दी हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) लगभग समस्त सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के 1–9–76 (रिवाइज्ड न्यू पे स्केल) के स्थिरीकरण के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारियों / मण्डल अधिकारियों द्वारा निपटा दिये गये हैं।

281

द्वितीय वेतन शृंखला के पुस्तकालयाध्यक्षों की वरिष्ठता सूची

क्र०सं०	नाम व नियुक्ति स्थान	पिता का नाम	जन्म दिनांक	योग्यता	प्रथम नियुक्ति दिनांक	पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर कार्य	स्थायीकरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री ग्रार०एस० भार्गव डिविजनल लाइब्रेरी, कोटा	श्री रघुवरदयाल	27-9-30	बी०ए० 54 बी०लाई० 64	13-11-54	25-5-64	
2.	श्री कृष्णचन्द्र गुप्ता राजकीय उ.मा.वि., गुमानपुरा, कोटा	श्री जगन्नाथ	2-6-34	बी०ए० 65 ए०एम०ए० 68 बी०लाई० 67 सी०सी० 61	16-12-50	वरिष्ठता लाभ	18-7-68 29-9-69
3.	श्री मोहनलाल चोरडिया राजकीय उ.मा.वि., प्रतापगढ़ (चितौड़गढ़)	श्री मांगीलाल	4-3-35	बी०ए० 65 बी०लाई० 68	28-2-59	वरिष्ठता लाभ	18-7-68 27-10-69
4.	श्री पुरुषोत्तमलाल पुरोहित डिविजनल लाइब्रेरी, उदयपुर	श्री शंकरलाल	11-3-36	बी०ए० 62 एम०ए० 72 बी०लाई० 68	26-10-61	18-7-68	
5.	श्री गणपतिलाल परिहार डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, भीलवाड़ा	श्री महादेव	16-6-37	बी०काम० 68 बी०लाई० 70 सी०सी० 63	20-8-57	6-7-70	

क्रमांक	नाम व पदस्थापन्न स्थान	जन्म तिथि	योग्यता शैक्षणिक	योग्यता प्रशैक्षणिक	प्रथम नियुक्ति तिथि	पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति की तिथि	पु. अध्यक्ष के पद पर स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री सोहनराज अरविन्द उ.मा.वि. सराधना (अजमेर)	1-9-29	एम.ए. 1970	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1961	5-2-49	10-8-61	—
2.	श्री विशन शंकर नागर कल्याण उ.मा.वि. सीकर	21-11-30	बी.ए. 1952 एम.ए. 1968	बैचलर लाईब्रेरी साईंस 1970	10-1-53	17-10-61	—
3.	श्री जगजीत दुता रा.मा.वि. देवली (टौंक)	15-3-33	बी.ए. 1956	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1967	22-6-56	17-2-62	—
4.	श्री मोईनुद्दीन अहमद महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर	10-10-39	बी.ए. 1959	बैचलर ग्राफ लाइब्रेरी साईंस 1963	6-10-59	25-5-63	25-5-64
5.	श्री मोहनराय जिला पुस्तकालय, टौंक	9-3-28	एम.ए. 1968	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1964	9-4-49	8-5-64	8-5-64
6.	श्री सांवलराम गुप्ता महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर	10-7-32	बी.ए. 1963 एम.ए. 1967	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1964	2-2-56	25-5-64	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	श्री हिम्मतलाल सनाढ्य महाराजा पुस्तकालय, जयपुर	29-11-31	बी.ए. 1965	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1967	16-8-50	29-11-67	29-11-68 (स्थानान्तरण बीकानेर)
8.	श्रीमती विमला वर्मा कन्या एस.टी.सी., जयपुर	28-2-28	बी.ए. 1964	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1966	27-4-57	3-2-68	–
9.	श्री अमीर अली जिला पुस्तकालय, सीकर	10-7-26	बी.ए. 1962 एम.ए. 1972	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1965	25-11-44	3-8-68	3-8-69
10.	श्री मनमोहन शर्मा जिला पुस्तकालय, भरतपुर	5-1-40	बी.ए. 1966 एम.ए. 1970	बैचलर लाइब्रेरी साईंस 1969	6-1-58	30-5-69	30-5-70
11.	श्री मदनमोहन पारीक उ.मा.वि. भरतपुर	3-7-33	बी.ए. 1964	बैचलर इन ला. साईंस 1969	7-8-56	17-12-69	–
12.	श्री मदनदत्त शर्मा पो. उ.मा.वि., जयपुर	15-8-32	बी.ए. 1957	बैचलर इन ला. साईंस 1969	22-2-57	26-12-69	–
13.	श्री गोयलचन्द शर्मा उ.मा.वि., झुंझुनू	14-9-40	बी.ए. 1965	बैचलर इन ला. साईंस 1969	29-5-65	15-12-69	–
14.	श्री रामभरोसीलाल जिला पुस्तकालय, सवाई माधोपुर	4-4-38	बी.ए. 1958	बैचलर इन ला. साईंस 1969	6-8-58	2-3-70	–
15.	श्री सुमतीलाल जैन जिला पुस्तकालय, अलवर	2-12-46	बी.ए. 1968	बैचलर इन ला. साईंस 1970	14-10-70	14-10-70	–
16.	श्री धर्मशंकर चतुर्वेदी कन्या उ.मा.वि, ब्यावर	25-6-34	बी.ए. 1968	बैचलर इन ला. साईंस 1970	24-5-54	1-6-71	–

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	श्री बालसिंह वर्मा सावंन्त उ.मा.वि. अलवर	24-5-33	बी.ए. 1965	बैचलर इन लॉ. साईंस 1970	2-5-53	4-9-71	–
18.	श्री भगवतीलाल उ.मा.वि., करौली	17-12-32	बी.ए. 1963 एम.ए. 1967	बैचलर इन लॉ. साईंस 1970	28-6-54	11-9-71	–
19.	श्री मुसद्दीलाल टी.टी. कालेज, अजमेर	9-6-32	बी.ए. 1967	बैचलर इन ला. साईंस 1969	2-12-49	12-2-75	–
20.	श्री त्रिलोकीनाथ उपाध्यक्ष उ.मा.वि. मसूदा (अजमेर)	1-3-29	बी.ए. 1956	सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साईंस 1961	21-6-46	12-2-73	–

285

OFFICE OF THE DY. DIRECTOR OF EDUCATION J. B. RANGE BIKANER

Tentative Seniority List of Second Grade Librarian of Jodhpur, Bikaner, Range, Jodhpur

S. No.	Name and place of Posting	Father's Name	Date of Birth	Qualification Academic	Qualification Pro-fessional	Date of Aptt.	Date from which conti-neously work-ing on the post of Grade II	Date of confir-mation in IInd Grade	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Shri Asha Ram Saini P. C. B., HSS, Sujangarh.	Shri Poosa Ram	18-12-26	B.A. 54 M.A. 58	C.C. 1961 B.Ed. 68	8-9-44	1-2-56	—	—
2.	Shri L. N. Maru Sadul M. P. H. S. S., Bikaner	Shri Mangan Lal	18-11-27	B.A. 53 M.A. 67	C.C. 61 B.Lib. 65	8-9-48	1-2-56	1-2-57	(by DD SE BIK)
3.	Shri Hidayattula Khan Sumer Public Lib., Jodhpur	Shri Rahmattula Khan	21-4-20	M.A., LL.B. 44	B.Lib. 62	—	3-3-58	3-3-59	"
4.	Shri B. Raj Joshi	Shri Phoj Raj	7-2-31	B.A. 57	C.C. 61 B.Lib. 63	—	25-7-61	—	Left Deptt. in Sept., 64 but lien re-mained in J.B. Range.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Shri Virendra Kumar State Archives, Bikaner	Shri Ramdayal	2-2-36	B.A. 57	C.C. 61 B.Lib. 68	25-7-61	25-7-61	—	Overage appointment case already moved to D. E. Bikaner for Sanction.
6.	Shri Akhatar Hussain G. H. S. S., Barmer	Shri Jaffar Hussain	11-5-34	B.Sc. 58 M.A. 71	C.C. 61 B.Lib. 63	5-9-55	2-8-61	—	25-5-63 (As intimated by the H. M.) As per Screening Committee report of 11-5-72 he could not attend.
7.	Shri Chhagan Lal Kalla Govt. Girls H. S. S. Rajmahal	Shri Daulal	5-7-24	B.A. 56	B. Lib. 63	—	1-8-63		—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Shri Nand Kishore Sadul Public School, Bikaner	Shri Baxi Ram	5-1-32	B.A. 62 M.A. 68	C.C. 62 B.Lib. 64	3-7-56	19-9-64	19-9-64	By D. D.S.E. Bikaner
9.	Shri Amar Dutt Thanvi, G. H. S. Mahilabagh, Ju.	Shri Dwarka Das	21-4-36	B.A. 61 M.A. 63	B.Lib. 64	16-7-54	26-9-64	26-9-64	,,
10.	Shri Mohd. Ramjan G. H. S. S., Sojat City	Shri Amru Deen	3-1-25	B.A. 63	C.C. 61 B.Lib. 67	15-9-69	2-6-67	—	Screening Committee proposed his selection in next D. P. C.
11.	Shri M. M. Rajvanshi Distt. Library GNE	Sh. Ram Chandra	2-5-32	B.A. 66 M.A. 69	C.C. 61 B.Lib. 67	8-9-51	2-6-67	2-6-68	By D.D. S. E. Bikaner
12.	Smt. Rukhmani Devi Maharani Girls H. S. S. Bikaner	Shri Mathura P.A.	11-7-22	B.A. 66	C.C. 59 B.Lib. 68	1-9-43	12-7-68	12-7-69	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	Sh. Panna Lal Kiraroo T. T. College, Bikaner	Shri Harak Chand	17-11-24	B.A. 66 M.A. 70	B.Lib. 68	18-7-68	18-7-68	—	—
14.	Shri Bhagwati Prasad Distt. Library Churu Transferred to T. T. College, Ajmer	Shri Munilal	2-7-37	B.A. 62 M.A. 71	C.C. 61 B.Lib. 68	5-8-61	30-12-68	7-5-70	,,
15.	Shri Naxir Mohd. Library, Pali	Shri Nasir Mohd.	12-11-47	B.A. 68	B.Lib. 69	12-10-70	12-10-70	—	—
16.	Shri Mahesh Dutt Distt. Library, Sirohi	Shri Sri Ram	4-10-26	B.A. 49	B.Lib. 67	8-4-42	1-4-71	—	—
17.	Shri Suwal Ram Gupta Divisional Library, Bikaner	Shri Chiranji Lal	10-7-32	B.A. 63 M.A. 67	C.C. 61 B.Lib. 64	—	25-5-64	—	Seniority determined w.e.f. 21-8-71 dated of rejoining the Deptt.
18.	Sh. Sumer Mal Sharma Sumer Public Library, Ju.	Shri Mishri Lal	23-6-32	B.A. 67	C.C. 61 B.Lib. 71	15-10-51	8-9-71	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Shri Moti Singh Physical College, Jodhpur	Shri Ballo Singh	15-12-41	B.A. 62 M.A. 65	B.Lib. 70	23-8-65	11-10-71	—	—
20.	Shri Ram Dutt Joshi New G. H. S. S., Jodhpur	Shri Murlidhar	1-11-42	B.Com. 68	C.C. 66 B.Lib.71	28-10-61	12-10-71	—	—
21.	Shri Rikhab Raj Jojodia, H. Sc., Sujangarh	Shri Prem Raj	26-9-32	M.A. 69	C.C. 61	8-7-50	3-1-73	—	Order issued on 3-1-73. Hence Seniority count from the date of issuing the orders
22.	Shri Vijay Raj Mathur G. H. S. S., Nagaur	Shri Pukh Raj	15-6-34	B.A. 70	B.Lib. 72	9-10-50	3-1-73	—	,,
23.	Shri Nirmal Kumar R. T. C., Bikaner	Shri Labhu Ram	22-2-38	B.A. 69	B.Lib. 71	24-2-60	3-1-73	—	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	Shri Mool Chand Thanvi, Distt. Library, Jaisalmer	Shri Man Lal	10-6-42	M A. 71	B.Lib. 72	10-10-64	3-1-73	—	Order issued on 3-1-73 Hence seniority countfrom tne date issuing the orders.
25.	Sh Dinesh Chand Ojha R. T. C., Jaswantpura	Shri Shambhulal	16-6-48	B.A. 70	B.Lib. 72	3-1-73	3-1-73	—	"

Sd/–
Dy DIRECTOR OF EDUCATION,
JODHPUR.

नगर परिषद् क्षेत्र अजमेर में विद्युत की समुचित व्यवस्था

522. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगर परिषद् सीमा क्षेत्र अजमेर में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि हेतु वर्तमान में कुल कितनी मर्करी लाइट्स ट्यूब लाइट्स व वल्ब्स स्वीकृत हैं ?

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार स्वीकृत मर्करी लाइट्स, ट्यूब लाइट्स एवं बल्ब्स में से आधी भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं और इस अव्यवस्था के कारण नागरिक जीवन बहुत परेशान है ?

(3) क्या अजमेर नगर की बढ़ती हुई आबादी एवं नवनिर्मित बस्तियों को देखते हुए सरकार वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त मानती है या उसमें वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह भी सही है कि भाग (2) में उल्लिखित अव्यवस्था के अलावा अनुसूचित जातियों, जन जातियों एवं समाज के कमजोर तबकों की कई बस्तियों में बिजली के खम्भे बिलकुल नहीं पहुंचाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या वहां प्रकाश व्यवस्था का शीघ्र प्रबन्ध किया जायगा ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, सीमा क्षेत्र में करीब 350 मर्करी लाइट, 2240 ट्यूब लाइट व 6500 बल्ब प्रकाश व्यवस्था हेतु स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। वल्ब आदि फ्यूज होने की जानकारी होने पर उसे बदल दिया जाता है। पावर कट की वजह से आधे लाइट पाइन्ट बन्द रखे जाते हैं।

(3) नव निर्मित बस्तियों में लाइट लगी हुई हैं वे पर्याप्त हैं। अगर जनता की मांग होती है या आवश्यकता प्रतीत होती है तो नई लाइट लगाने का कार्य नगर परिषद् द्वारा किया जाता है।

(4) नगर की अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था की हुई है। कुछ बस्तियों के लिये राज्य विद्युत मण्डल को विद्युत व्यवस्था हेतु पोल्स लगाने के लिये लिखा जा चुका है।

जिला बांसवाड़ा में प्रदत्त खनन पट्टे

523. **श्री बहादुरसिंह** (दानपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1979-80 में जिला बांसवाड़ा में कितने खनन पट्टे दिये गये ? उनमें अनुसूचित जन जाति व अनुसूचित जाति के लोगों को कितने पट्टे स्वीकृत हुए ?

(2) क्या बांसवाड़ा में खनिज विकास के लिए पट्टाधारियों को अनुदान दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1979-80 में बांसवाड़ा जिले में निम्न प्रकार से खनन पट्टे स्वीकृत किये गये, उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को निम्न प्रकार से पट्टे स्वीकृत हुए हैं :–

(खनिज मन्त्री)

कुल स्वीकृत पट्टे		कुल पट्टों में से	
		अनु. जाति	अनु. जन जाति
प्रधान	2	–	–
अप्रधान	93	7	53

(2) किसी भी प्रकार के पट्टाधारी को अनुदान खनिज विभाग द्वारा नहीं दिया गया है क्योंकि इस प्रकार के अनुदान देने का इस विभाग के नियमों में कोई प्रावधान नहीं हैं। वर्ष 1980-81 में समाज कल्याण विभाग द्वारा 41 व्यक्तियों को 250 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से खनन उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं।

बस्सी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट स्थापित करना

524. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये कटिबद्ध है ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर राजधानी की सीमा के पुलिस थाना बस्सी के मुकदमों की सुनवाई मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के यहां होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी थाना क्षेत्र जयपुर घाट की गूनी के नीचे से ही प्रारम्भ होता है ? यदि हां, तो क्या यह उचित है कि जयपुर घाट की गूनी के नीचे के व्यक्ति 55 किलोमीटर दूर जाकर दौसा में न्याय प्राप्त करें ?

(4) क्या यह भी सही है कि बस्सी क्षेत्र में दीवानी मुकदमों की सुनवाई मुन्सिफ न्यायालय जयपुर में होती है और जिलाधीश व उपजिलाधीश का कार्यालय भी जयपुर में ही स्थित है ?

(5) क्या जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु सरकार का बस्सी में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां तक सम्भव है राज्य सरकार जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने का प्रयत्न करती है।

(2) जी हां। थाना बस्सी के केवल फौजदारी मुकदमों की सुनवाई मुन्सिफ न्यायालय दौसा में होती है।

(3) जी हां। बस्सी थाना क्षेत्र घाट की गुनी के नीचे से प्रारम्भ होता है। यह थाना सन् 1969 से ही फौजदारी मुकदमों के लिये दौसा न्यायिक क्षेत्र के अधीन चल रहा है क्योंकि बस्सी थाने के अन्य गांव दौसा के निकट हैं। घाट की गुनी अपेक्षाकृत दौसा से दूर है।

(4) जी हां।

(5) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं हैं। नया न्यायालय उच्च न्यायालय के परामर्श से उस क्षेत्र से उद्भुत प्रकरणों की संख्या, भौगोलिक स्थिति न्यायालय भवनों एवं लाकअप तथा आवासीय भवनों की उपलब्धि एवं आवागमन के साधनों को दृष्टिगत रख कर की जाती है।

जनवरी, 1981 में मानटाउन क्लब (सवाई-माधोपुर) में आयोजित कार्यक्रम

525. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 1 जनवरी, 1981 को नगरपालिका मण्डल मानटाउन सवाईमाधोपुर से जनता के मनोरन्जन के नाम पर कितना पैसा किस-किस मनोरंजन पार्टी को दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उस दिन मानटाउन क्लब में जनता के किसी व्यक्ति को क्लब के सदस्यों के अलावा नहीं जाने दिया गया ?

(3) क्या नगरपालिका मण्डल मानटाउन के रुपयों से रात्रिभोज, क्लब के सदस्यों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया एवं उसमें इन रुपयों से क्लब के काफी सदस्यों ने शराब का भी सेवन किया था ?

(4) क्या इस क्लब के रात्रिभोज में जिला स्तर के सभी अधिकारी मय जिलाधीश सवाईमाधोपुर सम्मिलित हुए थे ?

(5) क्या इस दिन मनोरंजन का कोई कार्यक्रम किसी भी पार्टी द्वारा नहीं किया गया और प्रशासक नगरपालिका मण्डल मानटाउन एवं अधिशाषी अधिकारी ने बिना जांच किये उक्त रुपयों का भुगतान कर दिया ? क्या सरकार इस तरह के गम्भीर घोटालों की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका मानटाउन द्वारा सचिव, मानटाउन रसद को 2000/–रु० मनोरंजन के कार्यक्रम हेतु दिए गए हैं।

(2) यह कार्यक्रम जनता के मनोरंजन हेतु था जिसमें मानटाउन के नागरिक भी उपस्थित थे।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। रात्रिभोज नहीं हुआ।

(5) अनियमित कार्यवाही की जांच करवाई जायगी।

परिशिष्ट—6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 499 का आरोप पत्र)

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप विवरण पत्र विरुद्ध श्री जलसिंह तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपवास (भरतपुर)

आरोप 1 एवं 2 से सम्बन्धित आरोप विवरण

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा सन् 1978 में परीक्षा केन्द्र रा० उ० मा० वि०, रूपवास (भरतपुर) पर केन्द्राधीक्षक श्री जलसिंह प्रधानाध्यापक, रा० उ० मा० वि० रूपवास के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में आयोजित सैकण्डरी स्कूल परीक्षा एवं हायर सैकण्डरी परीक्षाओं में केन्द्राधीक्षक श्री जलसिंह की पुत्री कुमारी अनुदेश सिंह नामांक 112002 ने सैकण्डरी स्कूल परीक्षा एवं पुत्र कुंवर गजराज सिंह नामांक 259993 ने हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1978 में बाह्य सहायता से अनियामततायें कीं :—

(क) केन्द्राधीक्षक श्री जलसिंह की पुत्री कुमारी अनुदेशसिंह नामांक 112002 को सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1978 अंग्रेजी अनिवार्य प्रथम प्रश्न पत्र के भाग (अ) में प्रश्न संख्या 2,3,4,8,9 10,12,13,14,16,17,18,19,23 24,27 व 28 के लिखे गए अथवा संशोधित उत्तरों में निम्न प्रकार की स्याही व भिन्न हस्तलेख होने के कारण अनियमितता के लिए दोषी पाया गया। उक्त अनियमितताओं की पुष्टि सम्बन्धित परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में की तथा परीक्षा की उत्तर पुस्तक भी जिसका प्रबल प्रमाण पाया गया।

(ख) उक्त कुमारी अनुदेश सिंह नामांक 112002 को सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 78 के इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के भाग (अ) में प्रश्न संख्या 9,15,18,21, 22 व 24 के उत्तरों में बाह्य सहायता से प्राप्त मुद्रित पत्रों से हुबहू नकल करने तथा इसी इतिहास द्वितीय पत्र के (ब) भाग की उत्तर पुस्तक में प्रश्न संख्या 2,6 व 10 के उत्तरों में बाह्य सहायता से प्राप्त मुद्रित पत्रों से हुबहू नकल करने के लिए दोषी पाया गया। उक्त अनियमितताओं की पुष्टि सम्बन्धित परीक्षक द्वारा की गयी थी।

(ग) केन्द्राधीक्षक श्री जलसिंह प्र० अ० के पुत्र कुंवर गजराजसिंह नामांक 259993 को हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1978 की अंग्रेजी अनिवार्य प्रश्न पत्र के भाग

(अ) के पृष्ठ–3 पर प्रश्न संख्या 19 व 21 के लिखे गए उत्तर प्रश्न संख्या 14,1,5 16 व 18 के उत्तरों में किये गये संशोधनों में प्रयुक्त भिन्न स्याही तथा भिन्न हस्तलेख से प्रमाणित अनियमितता के लिए दोषी पाया गया जिसकी पुष्टि सम्बन्धित परीक्षक ने की।

(2) उपरोक्त दोनों परीक्षार्थी (कुमारी अनुदेश सिंह नामांक 112002 सैकण्डरी स्कूल तथा कुंवर गजराज सिंह नामांक 259993 हायर सैकण्डरी परीक्षा) की अंग्रेजी अनिवार्य के भाग (अ) में भिन्न हस्तलेख व भिन्न स्याही से लिखे प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित वीक्षक, पर्यवेक्षक, आरक्षक व केन्द्राधीक्षक के हस्तलेख व स्पष्टीकरण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त किये। उक्त स्पष्टीकरणों में श्री गोपाल राम शर्मा, स० अध्यापक, रा० उ० मा० वि०, रूपवास (भरतपुर) (वीक्षक) ने सूचित किया कि शायद परीक्षा समाप्ति के बाद अपने पिता श्री जलसिंह (प्र० अ०) केन्द्राधीक्षक से मिलकर उक्त प्रश्नों के उत्तर लिखवाये गए हों और उत्तरों में संशोधन भी कर ाया गया हो।

(3) उक्त दोनों परीक्षार्थियों की अंग्रेजी (अनिवार्य) परीक्षाओं के भाग (अ) उत्तरों में परीक्षार्थियों के हस्तलेख से भिन्न हस्तलेख परीक्षा केन्द्र पर कार्यरत परीक्षा आयोजकों में से ही किसी व्यक्ति का हो सकता है।

ह०
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान–बीकानेर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र विरूद्ध श्री जलसिंह तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रूपवास (भरतपुर)।

आरोप संख्या–1

यह कि श्री जलसिंह तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय उ० मा० वि० रूपवास (भरतपुर) के पद पर रहते हुए वर्ष 1978 में आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा के केन्द्राध्यक्ष पर कार्य करते हुए अपने कर्त्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं निष्क्रियता बरतने के दोषी हैं। जैसा कि आरोप विवरण पत्र के बिन्दु 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है।

आरोप संख्या–2

यह कि उक्त श्री जलसिंह तत्कालीन प्र.अ., रा० उ० मा० वि० रूपवास (भरतपुर) द्वारा केन्द्राधीक्षक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा, 1978 के उक्त विद्यालय के केन्द्राधीक्षक के पद पर कार्य करते हुए अपने पुत्र कुंवर गजराज सिंह नामांक 259993 तथा अपनी पुत्री अनुदेशसिंह नामांक 112002 को उच्च माध्यमिक/माध्यमिक परीक्षा में सुनियोजित ढंग से नकल करवाने की सुविधा एवं नकल में सहयोग प्रदान किया गया। श्री जलसिंह अपने दायित्व एवं पद के दुरुपयोग तथा अपनी पद की गरिमा को धूमिल करने के दोषी हैं। जैसा कि आरोप विवरण पत्र के बिन्दु सं० 1, 2 एवं 3 से स्पष्ट होता है।

ह०
निदेशक,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न सं. 503 की सूची

भाग 1 की सूची [क]

क्र. सं. 1	नाम पंचायत 2	नाम डीलर 3	कब से कार्य कर रहे हैं। 4
1.	रलावता	ग्राम सेवा सहकारी समिति निहालपुरा	25-2-80
2.	निहालपुरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति निहालपुरा	25-2-80
3.	धनावढ़	नत्थू गोपाल सा० धनावड़	9-9-80
4.	बेजूपाड़	ग्राम सेवा सहकारी समिति बेजूपाड़ा	12-3-80
5.	नांगल, जामरवाड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति नांगल, जामरवाड़ा अस्थाई	16-6-80
6.	गुढा कटला	ग्राम सेवा सहकारी समिति कुढा कटला	4-3-80
7.	बडियालकला	ग्राम सेवा सहकारी समिति बडियालकला	12-3-80
8.	आभानेरी	ग्राम सेवा सहकारी समिति आभानेरी	25-2-80
9.	मूडधिरमा	ग्राम सेवा सहकारी समिति बडियालकलां	12-3-80
10.	गादरवाड़ा गूजरान	प्रभातीलाल ग्राम गादरवाड़ा	12-3-80
11.	हींगोटा	ग्राम सेवा सहकारी समिति बालाहेड़ा	10-3-80
12.	लोटवाड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति लोटवाड़ा	12-3-80
13.	श्यालावास कला	वेस्टर्न रेलवे कोआपरेटिव सोसायटी बांदीकुई।	25-2-80
14.	रेलवे कालोनी बांदीकुई	,, ,, ,,	25-2-80
15.	बसवा	ग्राम सेवा सहकारी समिति बसवा	25-2-80
16.	पण्डितपुरा	प्रहलाद नारायण शर्मा	23-2-80
17.	उनवड़ा गांव	मूलचन्द ग्राम बड़ागांव	3-3-80
18.	कोलवा	केदारसिंह सा० कोलवा	17-7-80
19.	गुल्लाना	छीतरमल शर्मा	7-3-80
20.	कोलाना	रघुनन्दन दड़याल खुर्द अस्थाई	21-6-80
21.	बांदीकुई(7-8)	रतनलाल जैन बांदीकुई	27-2-80

1	2	3	4
22.	पीचूपाड़ा खुर्द	ग्राम सेवा सहकारी समिति पीचूपाड़ा खुर्द	25-2-80
23.	बांदीकुई वार्ड 4–5–6	बृज बिहारी प्रकाश चन्द बांदीकुई	29-2-80
24.	गुढा आशिकपुरा	रतीराम गुढा आशिकपुरा	20-3-80
25.	करनावर	हनुमान सहाय शर्मा	7-4-80
26.	मानटंडा	ग्राम सेवा सहकारी समिति मानटंडा	10-3-80
27.	देलाड़ी	चौथमल पुत्र रामसहाय देलाड़ी	23-2-80
28.	बांदीकुई 1, 2, 3,	केदारनाथ अनिल कुमार	23-2-80
29.	भाभीरामपुरा	शिवदयाल शर्मा	7-4-80
30.	पुन्दरपाड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति खेरपुर	14-3-80
31.	गुडल्या	ग्राम सेवा सहकारी समिति गुडल्या	27-3-80
32.	भांवता/भांवती	,, ,, ,,	27-3-80
33.	प्रतापपुरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति श्यामसिंहपुरा	19-3-80
34.	गोडाला	भवानीसिंह ग्राम गोलाडा	25-3-80
35.	बडयाल खुर्द	रघुनन्दन गुप्ता बडयाल	25-2-80
36.	ढीगारया भीमा	खैरातीलाल मीणा	26-2-80
37.	बिवाई	ग्राम सेवा सहकारी समिति बिवाई	29-2-80
38.	मूही	पूनम चन्द शर्मा	25-2-80
39.	पीचूपाड़ाकला	ग्राम सेवा सहकारी समिति पीचूपाड़ा	15-2-80
40.	नन्देरा	ग्राम सेवा सहकारी समिति नन्देरा	6-3-80
41.	अनन्तवाड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति अनन्तवाड़ा	6-3-80
42.	बांदीकुई जागीर	ग्राम सेवा सहकारी समिति जागीर	6-3-80
43.	ऐचंडी	ग्राम सेवा सहकारी समिति ऐचंडी	6-3-80
44.	अरनियां	ग्राम सेवा सहकारी समिति अरनियां	6-3-80
45.	चांदेडा	रामगोपाल चांदेरा	30-10-80
46.	मोऊ खुर्द	रामफूल मीणा	11-11-80
47.	बालाहेड़ा	रामसहाय अलिपुर	19-3-80
48.	श्यालावास खुर्द	वेस्टर्न रेलवे को० सो० बांदीकुई	फरवरी से

भाग 1 की सूची (ख)

क्र० सं० 1	नाम डीलर 2	पता 3	कब से है 4
	करोसिन तेल के डीलर्स तहसील-बसवा एवं पंचायत समिति-बांदीकुई		
1.	श्री उमाशंकर विजय	सिकन्दरा रोड़ बांदीकुई	1.1.80
2.	श्री रामधन नवल किशोर मोदानी	माधोगंज बांदीकुई	1.1.80
3.	श्री मानक चंद अशोक कुमार	माधोगंज बांदीकुई	1.1.80
4.	मै० वेस्टर्न रेलवे सोसायटी	रेलवे [illegible] बांदीकुई	1.1.80
5.	मै० रघुनाथ प्रसाद अनन्तराम।	भुग्राम थाहेडा तहसील बसवा	1.1.80
	कपड़े के डीलर्स तहसील-बसवा एवं पंचायत समिति-बांदीकुई		
1.	दी बांदीकुई क्रय विक्रय सहकारी समिति बांदीकुई एवं उसने संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समितियां।	बांदीकुई	1.1.80
	हाई स्पीड डीजल आयल के डीलर्स तहसील बसवा एवं पंचायत समिति-बांदीकुई		
1.	मै० कपूर चन्द जैन (पैट्रोल डीजल पंम्प)	बांदीकुई	1.1.80
	लाइट डीजल आयल के डीलर्स तहसील बसवा एवं पंचायत समिति-बांदीकुई		
1.	मै. रघुनाथ प्रसाद अन्नतराम।	ग्राम भुथाहेडा तहसील बसवा	1.1.80

भाग 2 की सूची

क्र० सं० 1	नाम पंचायत 2	नाम डीलर जिसे बदला गया है मय पता 3	बदलने का कारण 4
1.	धनावड़	जगदीश ग्राम कालाखोह तहसील दौसा।	कोटा ब्लैक करने के कारण निलम्बित है।

(300)

1	2	3	4
2.	नागर जामरवाड़ा	हाकिमसिंह सा० नागल जामरवाड़ा	वितरण व्यवस्था में अनियमितता के कारण निलंबित है।
3.	कोलबा	रामजीलाल पुत्र रेवड़मल कोलबा	कार्य करने से मना कर दिया।
4.	गुल्लाना	ग्राम सेवा सहकारी समिति कोलाना	नोटिस देने के बावजूद कोटा लेने उपस्थित नहीं हुआ।
5.	कोलाना	ग्राम सेवा सहकारी समिति कोलाना	कार्य करने में असमर्थ है।
6.	गुढ़ा आशिकपुरा	राम किशोर कुढ़ा आशिकपुरा	देहान्त होने के कारण।
7.	करनावर	मनोहरलाल सा० करनावर	राज्य सेवा में चला गया।
8.	ढिगारिया	सेडूराम सा० ढिगारिया	पुनः कार्य करने के लिये आवेदन नहीं किया।
9.	मुही	ग्राम सेवा सहकारी समिति	पुनः कार्य करने के लिये आवेदन नहीं किया।
10.	चान्देरा	रामजीलाल गुप्ता सा० चान्देरा	स्वयं ने कार्य करने से असमर्थता व्यक्त की।
11.	बालाहेड़ा	ग्राम सेवा सहकारी समिति बालाहेड़ा	कार्य करने से मना कर दिया।
12.	मउ खुर्द	ग्राम सेवा सहकारी समिति मउ खुर्द	कार्य करने के लिये उपस्थित नहीं हुई।

परिशिष्ट—8

अतारांकित प्रश्न सं० 504 की तालिका

तालिका

न्यास द्वारा समय 2 पर समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को आगाह किया जाता है कि "चम्पा बाग" नामी भूमि एवं अन्य कृषि भूमियों के भू-खण्ड निवास हेतु क्रय नहीं करें, न ही विक्रय करें। क्योंकि चम्पा बाग नामी भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही न्यास में विचाराधीन है :—

क्र. सं.	समाचार पत्र का नाम	प्रकाशन की तिथि	राशि जो भुगतान की गई लगभग
1.	उदयपुर एक्सप्रेस	1.12.1973	120/-रु०
2.	जय राजस्थान	2.12.1973	110/-रु०
3.	प्लीडर दैनिक	4.12.1973	80/-रु०
4.	न्याय	3.1.1979	101.85
5.	जय राजस्थान	3.1.1979	101.00
6.	जय राजस्थान	6.3.1979	101.00
7.	उदयपुर एक्सप्रेस दैनिक	18.4.1980	126.00
8.	नवजीवन ,,	18.4.1980	46.80
9.	प्रातःकाल ,,	18.4.1980	46.80
10.	जय राजस्थान ,,	18.4.1980	144.00
11.	जय राजस्थान ,,	1.7.1980	144.00
12.	उदयपुर एक्सप्रेस	1.7.1980	126.00
13.	प्रातःकाल ,,	2.7.1980	78.00
14.	नवजीवन ,,	1.7.1980	78.00
15.	जय राजस्थान	8.8.1980	100.80
16.	उदयपुर एक्सप्रेस ,,	8.8.1980	88.20
17.	प्रातःकाल ,,	17.8.1980	195.00
18.	दैनिक नवजीवन	18.8.1980	195.00
19.	जनपद पर माइक पर बोल कर	18 8.1980	114.00
20.	यंग पावर	26.8.1980	105.08
21.	प्रातःकाल	20.9.1980	54.60
22.	नवजीवन	30.9.1980	54.60
23.	पुकार साप्ताहिक	27.10.180	124.80
		योग—रु.	2435.53

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 510 की सूची

नगर सुधार न्यास अजमेर के क्षेत्राधिकार में आने वाले भू–खण्डों तथा सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण कर किये गये अवैध निर्माण के मामले निम्न प्रकार हैं

क्र.सं.	क्षेत्राधिकार	नाम अतिक्रमी किस किस द्वारा	कबकब अतिक्रमण	कितनी कितनी	कार्यवाही जो की गई	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	जयपुर रोड घूघराघाटी	श्री भंवरलाल वगैरह पि० श्री जीतमल	2-6-80	4 कमरे 2 दुकानें	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	
2.	,,	श्री हेमराज पु० गंगाराम मालो	,,	3 कमरे आदि (नव निर्मित 1 कमरे को तोड़ा गया)	,,	–
3.	,,	मु० शुक्लीदेवी नेता प्रेमामाली	,,	2 कमरे आदि	,,	–
4.	,,	श्री सोजी पुत्र धन्नालाल माली	,,	1 कमरा व झोंपड़ी	,,	–
5.	,,	श्री गजेन्द्रप्रताप यज्ञदत्त जाट	,,	2 कमरे	,,	–
6.	,,	अमरचन्द गंगाराम माली	,,	1 कमरा	,,	–
7.	,,	मु० चमन पुत्री मांगीलाल	,,	1 कच्चा कमरा	,,	–
8.	,,	श्री कजोड़मल पूरणमल माली	,,	,,	,,	–
9.	,,	श्री रूपचन्द देवकरण खाती	,,	1 कमरा	,,	कमरा तोड़ा गया आंशिक
10.	,,	श्री रामेश्वर सिंह लादूराम राजपूत	,,	1 कमरा	,,	,,
11.	,,	गोपाल कृष्ण रामदयाल नाई	,,	2 कमरे	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
12.	जयपुर रोड घूंघराघाटी	श्री पुष्कर नारायण	2-6-80	1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	–
13.	,,	श्री सोहनलाल भैरूलाल बाह्मण	,,	1 कमरा	,,	–
14,	,,	श्री रामपाल गोपीलाल माली	,,	1 कमरा	,,	–
15.	,,	श्री गोपीलाल काना माली	,,	1 कमरा	,,	–
16.	,,	श्री हीरालाल भैरूसिंह दरोगा	,,	1 कमरा आदि	,,	–
17.	,,	चोथमल नानूराम लुहार	,,	2 कच्ची झोंपड़ी	,,	–
18.	,,	रामकिशन नाई	,,	2 कमरा	,,	–
19.	,,	मदनलाल पांचूलाल तेली	,,	1 कमरा	,,	–
20.	,,	जगदीशराय शर्मा हरिश्चन्द्र	,,	1 पक्का कमरा	,,	–
21.	,,	मुरारीलाल रतनलाल वर्मा	,,	2 कमरे	,,	–
22.	,,	विरदीचन्द उम्मेदमल धोबी	,,	1 कमरा	,,	–
23.	,,	नाहरसिंह राजपूत पुलिसमैन	,,	1 कमरा	,,	–
24.	,,	किशनलाल आईदान बाबा	,,	1 कमरा	,,	–
25.	,,	गनेशीलाल बुद्धालाल माली	12-12-80	1 कच्चा कमरा	,,	–
26.	,,	कृष्णकुमार मोहनलाल माली	,,	1 कच्चा कमरा	,,	स्वामित्व के अभाव में तोड़ दिया
27.	,,	शिवपाल सिंह	,,	2 झोंपड़ी	,,	–
28.	,,	सुखदेवसिंह भागीरथ सिंह	,,	2 झोंपड़ी	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
29,	जयपुर रोड व्ह्वराघाटी	मोहनलाल नाथूलाल माली	12.12.80	1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	स्वामित्व के अभाव में तोड़ दिया
30.	नागपुरी बोराज रोड	भंवरलाल, मोहनलाल, शिवभक्त खाती	30-8-80	2 कमरे रसोई	,,	–
31.	,,	जीवेनबाई बेवा सूरजमल माली	,,	1 कमरा रसोई	,,	–
32.	,,	रामेश्वर सिंह बुलेसिंह	,,	300 वर्ग गज नींव खुदाई	,,	–
33.	,,	पूरण सिंह मगनसिंह	,,	300 वर्ग गज काटों की बाड़	,,	–
34.	,,	बीरेन्द्रसिंह नाथूसिंह राजपूत	,,	300 वर्ग गज पत्थर की चार दीवार	,,	–
35.	,,	शकुन्तादेवी वेबा मंगलसिंह	,,	1 कमरा 1 झोंपड़ी	,,	–
36.	,,	श्री गोपालसिंह टी.टी. गंगाविशन	,,	500 वर्ग गज चारदीवार	,,	–
37.	,,	श्री भोलाराम जेठाराम बाम्बी	,,	1 कमरा झोंपड़ी	,,	–
38.	,,	हुकमा नन्दलाल बाम्बी	,,	300 वर्ग गज पत्थर की चार दीवारी	,,	–
39.	,,	पांचूलाल लादूलाल बाम्बी	,,	2 कमरे	,,	–
40.	,,	राजूराम बिरदाराम	,,	1 झोंपड़ी कमरा	,,	–
41.	,,	रामदयाल मिश्री लाल बांबी	,,	1 कच्ची झोंपड़ी	,,	–
42.	,,	मदनलाल नानूराम बांबी	,,	2 कमरे बिना पट्टी पोश	,,	–
43.	,,	सोहनलाल शिवराम बांबी	,,	2 झोंपड़ी आदि	,,	–

1	2	3	4	5	6	7
44.	नाजपुरी बोराव रोड	छोगालाल प्रभूलाल डोली	30-8-80	400 वर्ग गज का कब्जा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है अग्रिम कार्यवाही शेष है।	–
45.	,,	मोहनलाल मूला गूजर	,,	चारदीवारी व झोंपड़ी	,,	–
46.	,,	छोटूराम श्रीराम गूजर	,,	1 कमरा झोंपड़ी	,,	–
47.	,,	सूर्यसिंह रामगोपाल माली	,,	2 कमरा आदि	,,	–
48.	,,	विक्रमसिंह जगदीश सिकलीगर	,,	2 कमरा झोंपड़ी आदि	,,	–
49.	,,	हफीज उल्ला रहमूमोला	,,	1 कमरा 1 झोंपड़ी	,,	–
50.	,,	गुलाब पत्नि धन्नाराम	,,	1 झोंपड़ी कमरा	,,	–
51.	,,	नारायण सुवालाल	,,	2 कमरे	,,	–
52.	,,	चांद मोहम्मद लादू खां	,,	1 झोंपड़ी कमरा	,,	–
53.	,,	कमलेश कुमार भूदेव शर्मा	,,	2 कमरे पक्के	,,	–
54.	,,	ताराचन्द लक्ष्मण पि. रामाजी	,,	झोंपड़ी कमरा	,,	–
55.	,,	श्रवणलाल धन्नालाल	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
56.	,,	पारसगिरी अमरीगिरी गुसाई	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
57.	,,	मूला हरिकिशन पि. पांडुलाल	,,	1 कमरा झोंपड़ी	,,	–
58.	,,	पूसाराम हीरालाल डोवू	,,	100 वर्गगज पत्थरों की चार दीवारी	,,	–
						–
59.	नागमणी बारोज रोड़ अजमेर	श्री भगतसिंह प्रेस वाला	,,	300 वर्ग गज आहता व चारदीवारी	,,	–
						–

1	2	3	4	5	6	7
60.	नागमणी वारोज रोड अजमेर	श्री कैलाशचन्द्र पाउलाल माली	30-8-80	चारदीवारी 1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है अग्रिम कार्यवाही शेष है।	—
61.	,,	श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल	,,	चार दीवारी अहाता	,,	—
62.	कैलाशपुरी क्रिश्चयन गंज के पीछे	श्री एम.के. विलियम	6-6-80	एक कमरा	,,	—
63.	,,	श्रीमती सिलविया लावा मेसी	,,	1 कमरा	,,	—
64.	,,	श्री निक्सन जौन डेविड जोन	,,	1 कमरा	,,	—
65.	,,	श्री पारसमल रघुनाथ	,,	1 कमरा	,,	—
66.	,,	श्री सुशील कुमार बारफे	,,	300 वर्ग गज नींव खुदाई	,,	—
67.	,,	श्री एल० बेंजामिन	,,	1 कमरा	,,	—
68.	,,	श्री मोतीलाल चुन्नीलाल	,,	2 झोंपड़ी कमरा	,,	—
69.	,,	श्री सेमविल चैंनस	,,	1 कमरा	—	—
70.	,,	श्री क्रिस्टोफर लारेन्स	,,	1 कमरा	—	—
71.	,,	श्री विक्टोरिया एन हैरल्ड	,,	1 कमरा	,,	—
72.	,,	श्री पन्नालाल मोहनलाल	,,	200 वर्ग गज चार दीवारी	,,	—
73.	,,	श्री भंवरलाल माधोप्रसाद	,,	1 कमरा झोंपड़ी	,,	कमरा झोंपड़ी हटा दी गई
74.	,,	श्री मूलचन्द महादेव प्रसाद	,,	150 वर्ग गज चारदीवारी	,,	—
75.	,,	श्री बाबूलाल केलीराम	,,	1 कमरा	,,	—
76.	,,	श्री सुवालाल कहार	,,	1 झोंपड़ी	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
77.	केलाशपुरी क्रिश्चयन गंज के पीछे	श्री नोरतमल नाथ ढोली	6-6-80	1 झोंपड़ी	न्यास अविनियम की धारा 91 सी के नोटिस दिया गया है अग्रिम कार्यवाही शेष है।	झोपड़ी हटा दी गई
78.	,,	श्री अम्बालाल दौलतराम कहार	,,	2 झोंपड़ी	,,	–
79.	,,	श्री छीतर सिंह मूलसिंह	,,	1 कमरा	,,	–
80.	,,	श्री सेन्ट हैनरी जॅन हैनरी	,,	250 वर्गगज चार दीवारी	,,	–
81.	,,	श्री रामकिशोर	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
82.	,,	श्री कालूराम सुरजमल कहार	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
83.	,,	श्री कार्लविजन कर्नल ह्यूम	,,	300 वर्ग गज नींव	,,	–
84.	,,	श्री कन्हैयालाल रामचन्द्र कहार	,,	खुदाई चार दीवारी	,,	–
85.	,,	श्री ए०पी० दास प्रभूदास	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
86.	,,	श्री कुलदीप कुमार गोटसन	,,	200 वर्ग गज नींव खुदाई	,,	–
87.	,,	श्री ऐरिप नेलानन्द चैलानन्द	,,	150 वर्ग गज नींव खुदाई	,,	–
88.	,,	श्री ऐल्टिक पैट्रिक	,,	150 वर्ग गज नींव खुदाई	,,	–
89.	,,	श्रीमती ऐजनबाई पुनमचन्द	,,	1 झोंपड़ी	,,	–
90.	,,	श्री किशोरीलाल पन्नालाल	,,	1 कमरा झोंपड़ी	,,	–
91.	,,	श्री सुरजमल खोडेकर	7-6-69	प्लाट नं० 91 पर कब्जा	,,	न्यायालय में केस चल रहा है
92.	,,	श्री नारायण गोपी	27-7-78	1 कमरा	,,	–
93.	,,	श्री शंकर छीतर	,,	1 कमरा	,,	–

(307)

1	2	3	4	5	6	7
94.	केलाशपुरी क्रिश्चयन गंज के पीछे	श्री पीरु पुत्र भूराजी	6-9-78	1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी का नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	–
95.	,,	श्री हजारी	23-3-80	1 कमरा	,,	–
96.	,,	श्री बरामराम	,,	1 कमरा	,,	–
97.	,,	श्रीमती लक्ष्मीदेवी	,,	1 कमरा	,,	–
98.	,,	श्री वेवा हालू चीता	,,	कच्चा पान	,,	–
99.	,,	श्री सुरेश नारायण	1-3-80	प्लाट नं० 62 व 63 पर कब्जा	,,	–
100.	आना सागर सरक्युलर रोड	श्री सोहन मल्ला	21-3-80	2 कमरे	,,	–
101.	,,	श्री छीतर मल्ला	,,	2 कमरे	,,	–
102.	,,	श्री छोटूमल	21-6-79	2 कमरे	,,	–
103.	,,	श्री राजेन्द्र सिन्हा	,,	1 कमरा	,,	–
104.	,,	श्रीमती शिरोमणि पेट्रिक पत्नि जोन पेट्रिक	20-6-79	1 कमरा	,,	अवैध निर्माण तोड़ दिया गया, न्यायालय में मामला चल रहा है।
105.	,,	श्रीमती केली बाई पत्नि छीतर	21-6-79	1 कमरा	,,	–
106.	,,	श्री भंवरलाल मल्ला	4-11-80	1 कमरा	,,	अवैध निर्माण तोड़ दिया गया, न्यायालय में मामला चल रहा है।

309

1	2	3	4	5	6	7
107.	आना सागर सरक्यूलर रोड	श्री लादूसिंह	5-11-80	1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी को नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	अवैध निर्माण तोड़ दिया गया, न्यायालय में मामला चल रहा है।
108.	,,	श्री सिम्बल बैंजाइमिन	5-11-80	1 कमरा	,,	,,
109.	लोहागल रोड स्कीम नं 1 (राजभवन के सामने)	श्री कैलाश वायरमैन	15-2-79	1 कमरा	,,	भूमि न्यास के अधिकार में नहीं है किन्तु ये निर्माण बिना भू विभाजन स्वीकृत कराये गत चुनाव 79-80 के दौरान हुये थे
110.	,,	श्री युसुफलाल	15-2-79	1 कमरा	,,	,,
111.	,,	श्री सोजी	,,	1 कमरा	,,	,,
112.	,,	श्री रामकरण	,,	1 कमरा	,,	,,
113.	,,	श्री पुसा मोती	,,	1 कमरा	,,	,,
114.	,,	श्री सावरतन	,,	2 कमरे अहाता	,,	,,
115.	,,	श्री नारायण सिंह	,,	1 कमरा	,,	,,
116.	लोहा गल रोड स्कीम नं 2 राजभवन के सामने	श्री नारायण सिंह सावंतसिंह	15-2-79	1 कमरा	,,	,,
117.	,,	श्री जयनारायण	,,	1 कमरा	,,	,,
118.	,,	श्री रूपाबाई	,,	1 कमरा	,,	भूमि न्यास के अधिकार में नहीं है किन्तु यह निर्माण बिना भूमि विभाजन स्वीकृत कराये गत चुनाव 79-80 के दौरान हुये थे।

1	2	3	4	5	6	7
119.	लोहा गल रोड स्कीम नं 2 राजभवन के सामने	श्री घीसा माली	15-2-79	1 कमरा	न्यास अधिनियम की धारा 91 सी का नोटिस दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शेष है।	—
120.	,,	श्री केशरसिंह	,,	1 कमरा	,,	,,
121.	,,	श्री हेमाजी	,,	1 कमरा	,,	,,
122.	,,	श्री सान्डू	,,	1 कमरा	,,	,,
123.	,,	श्री मुरलीधर शर्मा	,,	लगभग 2000 वर्ग गज	,,	यह मामला न्यायालय में चल रहा है।
124.	अजय नगर	श्री पी.एन. रावत	11-3-80	1 कमरा	,,	,,
125.	भगवान गंज	श्री पूसालाल रामदास	13-3-80	1 कमरा	,,	,,
126.	माकड़वाली रोड	श्री अमरुद्दीन दिला	26-3-80	प्लाट न० 28 से 30	,,	मामला न्यायालय में चल रहा है।
		श्री ठाकुर मोतीलाल	26-3-80	600 गज पर कब्जा	,,	
127.	जे०एल०एन० अस्पताल के सामने	श्री कन्हैयालाल मिचुमल	26-3-80	अवैध केबिन	,,	नगर परिषद में नक्शा पास है मामला न्यायालय में चल रहा हैं।
128.	खाई लेण्ड योजना	श्री कानमल तोगनीवाल		दुकान न० 12	,,	मामला तकनीकी समिति में विचाराधीन है।

परिशिष्ट—10

अतारांकित प्रश्न संख्या 519 की सूची

जिला झालावाड़ में खोले गये विद्यालयों की सूची (1980–81)

माध्यमिक विद्यालय :—

1. सोजपुर पं० सं० खानपुर
2. दांता ,, पिडावा मु० सुनेल
3. जावर मांद ,, मनोहरथाना

उच्च प्राथमिक विद्यालय :—

1. खाताखेड़ी पं० स० मनोहर थाना
2. ढावलाभोज ,, पिड़ावा मु० सुनेल
3. करनवास ,, खानपुर

प्राथमिक विद्यालय :—

1. सनखेंडी पं० स० वकानी
2. गोरियाखेंडा पं० स० मनोहरथाना
3. नयापुरा ,, ,,
4. भयकड़ी ,, खानपुर
5. डूंगरपुर ,, ,,
6. छोपडिया चमारान पलेट पं० स० खानपुर

जिला झालावाड़ में खोले गये नये विषयों की सूचना (1980–81)

संस्कृत ऐच्छिक :—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रटलाई कक्षा 9
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रायपुर कक्षा 9

वाणिज्य वर्ग :—

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवानी मण्डी

कृषि वर्ग :—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खानपुर

विज्ञान वर्ग :—

1 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पिड़ावा

बूंदी जिले में सत्र 80-81 में खोले गये विद्यालयों की सूची :—

प्राथमिक विद्यालय :—

1. बलदेवपुरा
2. डागादेडी उतराना
3. फतेहगढ़
4. धारधडी
5. दूवडूगरी
6. टोडापाल
7. धीरपुर
8. प्रेमपुरा
9. गागौर
10. बानसी
11. गोरधनपुरा
12. चैनपुरिया
13. कराड का बरवा

उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. विजयगढ़
2. जवाहर नगर
3. शिशोला

माध्यमिक विद्यालय

1. थाना
2. अन्थडा
3. बागलगांक
4. समिति

बूंदी जिले में सत्र 80-81 में खोले गये नये विषय

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अजेता	वाणिज्य
2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गोठड़ा	वाणिज्य
3. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, तालेडा	वाणिज्य
4. राजकीय माध्यमिक बालिका विद्यालय, लाखेरी।	संस्कृत

314

कोटा जिले में खोले गये प्राथमिक विद्यालय

१-रिफ्यूजी कालोनी किसनगंज
२-बगलापुरा (छिपाबड़ोद)
३-रतनपुरा (अटरू)
४-बराबदी (अटरू)
5-श्योपुर (इटावा)
६-फेदपुरा (छबड़ा)
७-ढिबोली (सांगोद)
८-बिलोरा (शाहबाद)
९-रताई (कोटा)
१०-बिसलाई (छिपा बड़ोद)
११-भगवानपुरा (सुलतानपुरा)
१२-खोंडलीबासला (अटरू)
१३-अभयपुरा (इटावा)
१४-जालेड़ा (बारां)
१५-गुलाबपुरा (अन्ता)
१६-हथयाखेड़ी (चेचट)
१७-छत्रपुर (कोठा)
१८-जिकाडिया
१९-डडेडा
२०-जिला खेड़ी
२१-पडानिया (लाडपुरा)
२२-समझरपुरा (लाड्पुरा)
२३-डाडी (लाडपुरा)
२४-हिम्मतपुरा (पीपल्दा)
२५-डोली (पीपल्दा)
२६-इटावा
२७-बाजनटोरी (किशनगंज)
२८-अमदोद (शाहबाद)
२९-राधापुरा (किशनगंज)

३०–धोपेरा (बिलखेडा) किशनगंज
३१–सिरपाई (क)

कोटा जिले में खोले गये उच्च प्राथमिक विद्यालय

१–बोरखड़ी (लाडपुरा)
२–दीगोद (सांगोद)
३–इन्द्रा गांधी नगर ((नग. क्षेत्र)
४–पोपला (क) (सुलतानपुरा)

कोटा में खोले गये माध्यमिक विद्यालय

१–सुमेरगंज मण्डी (इटावा)
२–देवरी (शाहवाद)
३–छावनी पुरानी (नग. क्षेत्र)
४–फलिया (छवडा)
५–कमोलर (अटरू)
६–मोरपा (दीगोद)

कोटा जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में खोले गये विषयों की संख्या वाइज सूची :–

१–उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांगोद	कक्षा ९ में वाणिज्य
२–उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा	कक्षा ९ में वाणिज्य
३–उच्च माध्यमिक विद्यालय चेचट	कक्षा ९ में वाणिज्य, संस्कृत, भूगोल
४–उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा	कक्षा ११ में सिन्धी
५–उच्च माध्यमिक विद्यालय, आवा	कक्षा ११ में वाणिज्य
६–माध्यमिक विद्यालय, पाटनपोल	ऐच्छिक संस्कृत
७–माध्यमिक विद्यालय, बटाददा	संस्कृत
८–,, ,, छवडा	संस्कृत
९–,, ,, ,, रायथल	संस्कृत कक्षा १०
१०–,, ,, ,, कोयला	संस्कृत
११–,, ,, दीगोद	संस्कृत
१२–राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, टीप्टा	संस्कृत

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 522 के नोटिस

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक :– न्यास/अवैध/12/12447 दिनांक 6-2-80

निमित्त:–

श्री हेमराज पुत्र गंगाराम
जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने
अजमेर।

विषय:– आप द्वारा जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने अवैध निर्माण कार्य ख. न. 3395/1319 पर अतिक्रमण कर दो कमरों का करवाये जाने के सम्बन्ध में।

"नोटिस अन्तर्गत धारा 91 ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959"

इस कार्यालय के गिरदावर/भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता ने रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने ख. न. 3395/1319 पर अतिक्रमण करके दो कमरों का अवैध निर्माण कार्य करवा दिया गया है जो नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 72 व 73 के तहत पूर्णतया: अवैध है। अत: जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि निश्चित दिनांक 8-2-80 को उपस्थित होकर वह वजह जाहिर करें कि क्यों न आपका उक्त अवैध निर्माण न्यास द्वारा आपके खर्चे पर विध्वंस करने के आदेश दिये जायें तथा साथ ही आपके विरुद्ध दूसरी कानूनी कार्यवाही की जावे। नियत दिनांक तक कोई जवाब नहीं आने की सूरत में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश प्रदान कर दिये जावेंगे।

ह०
सचिव
नगर सुधार न्यास,
अजमेर।

(317)

कार्यालय नगर विकास न्यास, अजमेर

क्रमांक: न्यास/अवैध/1781 दिनांक 2-6-80

निमित्त:–

श्री हेमराज s/o गंगाराम माली
जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने
अजमेर।

विषय:– आप द्वारा दो कमरों का जयपुर रोड पर अजमेर में अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(आदेश अन्तर्गत धारा 203/90 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959)

इस कार्यालय के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता/पटवारी ने रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा दो कमरों का न्यास की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है।

अतः आपको उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत आदेश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होते ही आप तुरन्त अवैध निर्माण बन्द कर देवें। किये गये निर्माण कार्य को हटा कर व उक्त दिनांक 6-6-80 को मय सबूत के इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा न्यास आपके खर्चे से इसे नष्ट करेगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी। तथा इसके हर्जे खर्चे की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

ह०
सचिव/अधिशाषी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास,
अजमेर।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांकः– न्यास/अवैध/12/12442 दिनांक 6-2-80

निमित्तः–

श्री रूपचन्द खाती s/o रामकरण खाती
जयपुर रोड चूंगी चौकी के सामने
अजमेर।

विषयः– आप द्वारा जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने ख. न. 3395 पर अतिक्रमण कर एक कमरे का अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

"नोटिस अन्तर्गत धारा 91 ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959"

इस कार्यालय के गिरदावर/भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता ने रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा जयपुर रोड़ चूंगी चौकी के सामने ख. न. 3395 पर एक कमरे का अवैध निर्माण कार्य करवा लिया गया है जो नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 72 व 73 के तहत पूर्णतया अवैध है। अतः जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि निश्चित दिनांक 8-2-80 को उपस्थित होकर वह वजह जाहिर करें कि क्यों न आपका उक्त अवैध निर्माण न्यास द्वारा आपके खर्चे पर विध्वंस करने के आदेश दिये जायें तथा साथ ही आपके विरुद्ध दूसरी कानूनी कार्यवारी की जावे। नियत दिनांक तक कोई जवाब नहीं आने की सूरत में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश प्रदान कर दिये जावेंगे।

ह०
सचिव
नगर सुधार न्यास,
अजमेर।

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक:– न्यास/अवैध/12/12443 दिनांक 6-2-80

निमित्त:–

श्री रामेश्वर s/o लादूराम चौहान राजपूत
जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने
अजमेर।

विषय:– आप द्वारा जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने ख. न. 3395 पर एक कच्ची झोंपड़ी का अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

"नोटिस अन्तर्गत धारा 91 ए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959"

इस कार्यालय के गिरदावर/भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता ने रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने ख. न. 3395 पर एक कच्ची झोंपड़ी का अवैध निर्माण कार्य करवा लिया गया है जो नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 72 व 73 के तहत पूर्णतया अवैध है। अतः जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि निश्चित दिनांक 8-2-80 को उपस्थित होकर वह वजह जाहिर करें कि क्यों न आपका उक्त अवैध निर्माण न्यास द्वारा आपके खर्चे पर विध्वंस करने के आदेश दिये जाये तथा साथ ही आपके विरुद्ध दूसरी कानूनी कार्यवाही की जावे। नियत दिनांक तक कोई जवाब नहीं आने की सूरत में इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश प्रदान र दिये जावेंगे।

ह०
सचिव
नगर सुधार न्यास,
अजमेर।

कार्यालय नगर विकास न्यास, अजमेर

क्रमांक : न्यास/अवैध/1791 दिनांक 2-6-

निमित्त:–

श्री रूपचन्द s/o देवकरण खाती
जयपुर चुंगी चौकी के सामने,
अजमेर।

विषय :– आप द्वारा दो कमरों का जयपुर रोड पर अजमेर में अवैध निर्माण कार्य करवाये जानें के सम्बन्ध में।

(आदेश अन्तर्गत धारा 203/90 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959)

इस कार्यालय के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता/पटवारी नें रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा दो कमरों का न्यास की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है।

अत: आपको उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत आदेश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होते ही आप तुरन्त अवैध निर्माण बन्द कर देवें। किये गये निर्माण कार्य को हटा कर व उक्त दिनांक 6-6-80 को मय सबूत के इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा न्यास आपके खर्चे से इसे नष्ट करेगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी। तथा इसके हर्जे खर्चे की समस्त जिम्मेदारी आपको स्वयं की होगी।

ह०
सचिव/अधिशाषी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास, अजमेर

3.20

कार्यालय, नगर विकास न्यास, अजमेर

क्रमांक : न्याय/अवैध/1790 दिनांक 2-6-80

निमित्त :

श्री रामेश्वर S/o. लादूराम राजपूत
जयपुर चुंगी चौकी के सामने,
अजमेर ।

विषय :—आप द्वारा एक कच्ची झोंपड़ी का जयपुर रोड पर अजमेर में अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(आदेश अन्तर्गत धारा 203/90 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959)

इस कार्यालय के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता/पटवारी ने रिपोर्ट की है कि आपके द्वारा एक कच्ची झोंपड़ी का जयपुर रोड, अजमेर में न्यास की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है ।

अतः आपको उक्त अधिनियम की उक्त धाराओं के तहत आदेश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होते ही आप तुरन्त अवैध निर्माण बन्द कर देवें । किये गये निर्माण कार्य को हटा कर व उक्त दिनांक 6-6-80 को मय सबूत के इस कार्यालय में उपस्थित होवें अन्यथा न्याय आपके खर्चे से इसे नष्ट करेगा तथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में ली जावेगी । तथा इसके हर्जे खर्चे की समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी ।

ह०
सचिव/अधिशाषी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास, अजमेर

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक : न्याय/अवैध/1732 दिनांक 10-12-80

निमित्त :

श्री मोहनलाल
जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने,
अजमेर ।

विषय :—आप द्वारा न्यास के हस्तांतरित भूमि ख. नं. 3395 अजमेर में अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(आदेश अन्तर्गत धारा 91 सी राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959)

इस कार्यालय के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता ने रिपोर्ट की, आपके द्वारा एक कमरे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो नगर सुधार न्यास अधिनियम व उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम आदि के तहत पूर्णतया अवैध है ।

अतः आपको उक्त अधिनियम की धारा 91 सी के तहत आदेश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होते ही आप उक्त अवैध निर्माण कार्य को तुरन्त बन्द कर दें अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इस सम्बन्ध में आपको जो भी आपत्ति हो वह नियुक्त दिनांक 12-12-80 को कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करें । आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जावेगी ।

ह०
सचिव/अधिशाषी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास,
अजमेर ।

(323)

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

क्रमांक : न्याय/अवैध/		दिनांक

निमित्त :

श्री कृष्ण कुमार S/o. मोहनलाल माली
जयपुर रोड चुंगी चौकी के सामने,
अजमेर।

विषय :—आप द्वारा न्यास को हस्तांतरित भूमि खसरा नं० 3395 अजमेर में अवैध निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(आदेश अन्तर्गत धारा 91 सी राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959)

इस कार्यालय के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता ने रिपोर्ट की, आपके द्वारा एक कमरे का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो नगर सुधार न्यास अधिनियम व उसके अन्तर्गता बनाये गये नियम आदि के तहत पूर्णतया अवैध है।

अतः आपको उक्त अधिनियम की धारा 91 सी के तहत आदेश दिया जाता है कि इस सूचना के प्राप्त होते ही आप उक्त अवैध निर्माण कार्य को तुरन्त बन्द कर दें अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। इस सम्बन्ध में आपको जो भी आपत्ति हो वह नियुक्त दिनांक 12-10-80 को कार्यालय में उपस्थित होकर पेश करें। आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर यह समझा जावेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और आपके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जावेगी।

ह०
सचिव/अधिशासी अभियन्ता
नगर सुधार न्यास,
अजमेर।

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न सं० 523 की तालिका

क्र० सं०	नाम योजना जिसमें भूमि अवाप्त करने का प्रस्ताव पास हुआ.	भूमि अवाप्ति की कार्यवाही का स्तर	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	अनासागर विस्तार गृह निर्माण योजना, अजमेर	विज्ञप्ति धारा 52 (2) राजपत्र में दि० 17-1-80 भाग 6 (ख) में हुई धारा 52 (3) की सुनवाई विशेषाधिकारी के स्तर पर जारी है।	
2.	वैशाली गृह निर्माण योजना, अजमेर	सन् 1975 की बाढ़ के कारण इस योजना की भूमि अवाप्ति को संशोधित किया गया जिस पर राज्य सरकार से आवश्यक निर्देश एवं आदेश आदेश आने बकाया है।	
3.	अशोक मार्ग गृह निर्माण योजना, अजमेर	इस योजना में 8 भू-खण्डों की भूमि अवाप्ति से शेष है जिसकी अनिवार्य अवाप्ति 52(1) से की गई, लेकिन विशेषाधिकारी महोदय द्वारा कब्जा इसलिए नहीं लिया जा सका कि राज्य सरकार द्वारा अगली कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है।	
4.	धोला भाटा विस्तार गृह निर्माण योजना, अजमेर	धोला भाटा विस्तार योजना में आने वाली भूमि का कब्जा विशेषाधिकारी के माध्यम से 52(7) में सम्भलाया जा चुका है।	
5.	मालवीय नगर गृह निर्माण योजना, अजमेर (सरस्वती बालिका विद्यालय के पीछे)	धारा 32 की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा माह जून, 80 में जारी की गई भूमिधारियों, हितधारियों से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही आपसी वार्ता एवं धारा 52(2) के अन्तर्गत प्रारम्भ करने के लिए न्याय द्वारा कार्यवाही जारी है।	

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 524 की सूची

वर्ष 1977–78, 1978–79 एवं 1979–80 को विभिन्न स्रोतों से आय

मद	1977–78	1978–79	1979–80
भूमि विक्रय से आय	8,14,861.20	8 94,728.99	17,91,291.79
किराया आदि	1,99,317.70	2,00,950.05	1,51,720.74
बाजार से आय (घांस आदि)	3,795.00	1,913.25	3,410.00
अन्य प्राप्तियां	1,13,927.98	1,02,027.50	74,287.09
ब्याज	79,905.23	62,014.49	1,08,723.71
अस्थाई अग्रिम वसूली	68,876.75	1,61,355.28	78,637.64
अन्य जमा (डिपोजिट कार्य)	1,43,213.41	1,36,925.00	1,93,781.60
राज्य सरकार से ऋण प्राप्त	2,49,450.00	99,157.00	–
भण्डार सामग्री से आय	11,08,162.94	1,59,196.41	97,041.21
अनुदान	44,370.00	21,16,536.00	–
शहरी जमा राशि	75,927.68	74,026.76	54,403.57
आयकर राशि	11,480.00	19,329.00	14,837.00
बाढ़ सहायता ऋण की वसूली	71,899.93	60,465.49	37,983.00
योग	29,85,187.82	40,88,625.22	26,06,117.25

325

सूची

वर्ष 1977-78, 1978-79 व 1979-80 में विभिन्न मदों पर व्यय

मद	1977-78	1978-79	1979-80
सामान्य प्रशासन	3,69,149.49	4,34,461.36	4,21,408.00
कार्यालय खर्च	73,112.08	76,240.32	91,408.00
योजनाएं	8,44,115.49	12,30,537.01	10,17,991.00
जमा की वापसी	2,32,323.78	2,22,676.58	2,03,326.00
अस्थाई अग्रिम	1,97,161.08	7,47,000.46	6,86,264.00
जमा के अन्तर्गत विकास	55,108.53	46,072.25	22,326.00
कार्यालय भवन	11,861.16	11,147.45	77,044.00
ऋण का पुनः भुगतान	12,35,491.10	3,94,277.30	3,09,417.00
सर्वेक्षण व वर्कचार्ज लेबर	10.368.47	–	1 52,275.00
भण्डार सामग्री क्रय	1,039.00	50,473.52	1,50,419.00
औजार एवं मशीनरी	–	–	1,69,897.00
योग	30,29,730.28	32,12,886.25	32,31,775.00

सूची

आय 1–4–80 से 11–2–81

मद	व्यय	मद	व्यय
भूमि विक्रय	21,12,757	सामान्य प्रशासन	4,03,324.00
किराया	1,29,293	योजनाएं	13,23,505.00
बाजार से आय (घास बिक्री)	39,000	भूमि अवाप्ति	26,176.00
अन्य प्राप्तियां	1,01,125	वातावरण सुधार योजना	2,90,078.00
ब्याज	80,737	न्यास भवन एवं अधिकारियों के आवास गृह	5,892.00
बाढ़ सहायता के अन्तर्गत दिये गये ऋण की वसूली	45,781	जमा के अन्तर्गत विकास कार्य	43,144.00
अस्थाई अग्रिम	65,631	कार्यालय खर्च	81,213.00
जमानत व प्रतिभूतियां	2,13,284	ऋण का पुनः भुगतान	1,23,185.00
भण्डार से आय	1,24,113	भण्डार सामग्री खरीद	4,09,512.00
शहरी जमा बन्दी	34,150	अस्थाई अग्रिम	59,945.00
आयकर	25,507	जमा की वापसी	1,72,243.00
		औजार एवं मशीनरी क्रय	5,604.00
	29,36,278		28,43,821.00

परिशिष्ट—14

अतारांकित प्रश्न 525 का विवरण

List of open Land in the various parts of Ajmer City

Name of work 1	Area 2	Remarks 3
	Sq. yards.	
1. Site plan of open land of A. M. C. at Mali Mohalla, Ajmer.	140.28	
2. Site plan of open land of A. M. C. at Sibzi Mandi.	36.66	
3. Site plan of open land of Municipal Council near Diggi Chowk, Ajmer.	45.11	
4. Site plan showing Municipal land at Bhajanganj, Ajmer.	149.25	
5. Site plan showing the plots prepared to be alloted to the employees of Municipal Council, Ajmer (Raj.).	5403.33	
6. Layout plan for proposed lease or sale of plots of land situated at Shisha khan Diggi Bazar, Ajmer.	1107.33	
7. Site plan of land at Branch School Road, Ajmer.		Strips in front of the existing building along the road.
8. Site plan for proposed shops at Kala Bagh Road, Ajmer.	647.	
9. Revised plan for proposed shops near Govt. Godown at Parao, Ajmer.	932.55	
10. Sketch plan of open land at Chowdhar Mohalla, Ajmer.	25.25	
11. Site plan of open Chabutra at Chowk Thateran.		

329

1	2	3
12. Site plan of the new private Bus Stand at Bel Godown near Shitla Mata Temple Daulat Bagh Road (Kala Bagh Road), Ajmer.	2815.33	
13. Site plan of land near Piao at Cavendishpura, Ajmer.	236.00	
14. Site plan of Municipal land at Cavendishpura, Ajmer.	61.35	
15. Layout plan of proposed Hariian Basti behind Longia Hospital, Ajmer (Sr. Town Planner Drg. No. 16 of 1975).	6776.00	Encroachments have been made.
	18,575.72 Sq. Yards.	

Commissioner,
Municipal Council, Ajmer.

Sd/—
Executive Engineer,
Municipal Council, Ajmer.

परिशिष्ट—15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 150 की सूची)

सूची वनखण्ड पाल में किये गये अतिक्रमियों की वन मण्डल प्रतापगढ़

क्र.	नाम अतिक्रमणी	गांव	नाम वनखण्ड	क्षेत्र फल	वर्ष	बेदखल किया या नहीं	बेदखली के आदेश का दिनांक	बेदखली का दिनांक	वि. वि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री लवजी पि. रूपा	ठिटिया बागीडोरा	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	12-9-77		
2.	मानिला पि. लवजी मीणा	,,	,,	5 ,,	,,	,,	5-10-76	28-1-77	
3.	श्री इन्द्र पि. लबजी	,,	,,	5 बीघा	76	,,	6-10-76	28-1-77	
4.	श्री आगस्ती पि. लवजी	,,	,,	5 ,,	76	,,	5-10-76	28-1-77	
5.	श्री रूपा पि. लवजी	,,	,,	5 ,,	76	,,	12-9-77		
6.	श्री मोडा पि. हबजी	सकरी	,,	7 ,,	76	,,	5-10-76	10-8-77	
7.	श्री नाथु पि. ज्योति	गदोदिया	,,	7 ,,	76	,,	5-10-76	13-7-77	
8.	श्री आसू पि. हालिया	ठिटिया	,,	6 ,,	76	,,	12-9-76		
9.	श्री लवजी पि. सवा	वरोई	,,	6 ,,	76	,,	6-10-76	25-1-77	
10.	श्री नानजी पि. नाथीया	टिमरणा	,,	18½ ,,	76	,,	5-10-76	29-10-76	
11.	श्री खेमा पि. नाथीया	,,	,,	15 ,,	76	,,	5-10-76	29-10-76	
12.	श्री रामचन्द्र पि. मानीया	टिमरणा	,,	19 ,,	76	,,	5-10-76	23-10-80	
13.	श्री वेस्ता पि. वीरजी	,,	,,	15 ,,	76	,,	5-10-76	25-1-77	

331

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	श्री रामा पि. वीरजी	टिमरण	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	5-10-76	25-1-77
15.	श्री हीरा पि. हैलजी	,,	,,	4 ,,	76	,,	5-10-76	1-3-77
16.	श्री कोनिया पि. चौखा	,,	,,	6 ,,	76	,,	5-10-76	1-3-77
17.	श्री लालसिंह पि. चौखा	,,	,,	6 ,,	76	,,	5-10-76	23-10-80
18.	श्री विजयलाल पि. कल्ला	,,	,,	4 ,,	76	,,	9-11-76	7-4-77
19.	श्री हाऊजी पि. बोडा	,,	,,	8 ,,	76	,,	5-10-76	25-1-77
20.	श्री बोहडा पि. कमजी	,,	,,	7 ,,	76	,,	5-10-76	25-4-77
21.	श्री रामजी पि. बाला	,,	,,	7 ,,	76	,,	5-10-76	25-1-77
22.	श्री हकला पि. कालु	,,	,,	7 ,,	76	,,	5-10-76	6-4-77
23.	श्री हबला पि. कालु	,,	,,	8 ,,	76	,,	5-10-76	19-3-77
24.	श्री तेजा पि. हकली नकजी पि. हेमा, नात्था पि. डबला, गेवा पि. धन्ना, बाल्या पि. हेमा	,,	,,	20 ,,	76	,,	5-10-76	6-10-76
25.	श्री चम्पा पि. कचरा	बालडी	,,	6 ,,	76	,,	6-10-76	26-1-77
26.	श्री शोया पि. गोत्या	सनरणपुर	,,	10 ,,	76	,,	9-11-76	25-4-77
27.	श्री धीवर पि. बल्ला	टिमरवा	,,	25 ,,	76	,,	9-11-76	26-1-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	श्री मोती पि. धावरा	टिमरबा पाल	25 बीघा	76	बेदखल	9-11-76		25-4-77
29.	श्री ज्योति पि. माधा	सनारा-पुर	,, 5 ,,	76	,,	5-10-76		6-4-77
30.	श्री श्रवण पि. हालजी	मड-कोला	,, 5 बीघा	76	,,	5-10-76		25-10-80
31.	श्री चतरा पि. कालु	फालबा	,, 5 बीघा	76	,,	9-11-76		6-7-77
32.	श्री सनका पि. लालजी	फालवा	,, 5 ,,	76	,,	9-11-76		6-7-77
33.	श्री सोना पि. भीमा	माण्ड-कला	,, 20 ,,	76	,,	5-11-76		25-10-80
34.	श्री लीमजी पि. हेमा	काट-वाड	,, 20 ,,	76	,,	9-10-76		25-10-80
35.	श्री थावरा पि. लोमना	कार-वाऊ	,, 20 ,,	76	,,	9-10-76		25-10-80
36.	श्री शम्भू पि. ज्योति हीरा पि. मानिया नगजी पि.	,,	,, 20 ,,	76	,,	6-10-76		6-7-77
37.	श्री सोहन पि. मलजी	तेजपुर सोमा-वदी यामली	,, 30 ,,	76	,,	9-11-76		6-7-77
38.	श्री वागची पि. कालिया	पाल	,, 5½ ,,	76	,,	9-11-76		–
39.	श्री देवजी पि. केसूराम	पाल	,, 5½ ,,	76	,,	9-11-76		–
40.	श्री रामा मोगजी मोती पि. नवला	पीपला	,, 20 ,,	76	,,	9-11-76		27-10-80
41.	श्री केसु पि. दल्ला	मऊ-किला	,, 8 ,,	76	,,	6-10-76		9-5-77
42.	श्री लक्ष्मण पि. हकरा	,,	,, 5 ,,	76	,,	6-10-76		25-4-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. दल्ला पि. वेस्ता	मऊकिला पाल	7 बीघा	76	बेदखल			6-10-76	9-2-77
44. श्री देवा पि. शोभा	,,	,,	10 ,,	76	,,		6-10-76	25-4-77
45. श्री वालीया पि. हुरजी	,,	,,	6½ ,,	76	,,		6-10-76	27-1-77
46. श्री शम्भू पि. दीता	,,	,,	15 बिस्वा	76	,,		6-10-76	25-10-80
47. श्री मेरा पि. रामा	,,	,,	10 बीघा	76	,,		6-10-76	29-10-80
48. श्री नेपाल पि. नगजी	,,	,,	10 ,,	76	,,		6-10-76	11-7-77
49- श्री बाला पि. दल्ला	,,	,,	20 ,,	76	,,		6-10-76	29-7-77
50. श्री जगदीश पि. लिम्बा खगवा कत्था पि. नानजी, नानजी पि. सबजी, सवा पि. रागू भोला पि. सोमा भगजी पि. रागू	,,	,,	25 ,,	76	,,		6-10-76	27-1-77
51. श्री केवजी महु- वागजी पि. खेडा केवूराम पूलिया		,,	10½ ,,	76	,,		16-10-76	8-11-76
52. श्री बीलीया महू- बेलीया किला हरजी, भगवाना		,,	21½ ,,	76	नहीं		12-9-77	नहीं
53. श्री वीरजी पि. मोती	तलाया	,,	3½ ,,	76	बेदखल		29-10-76	25-1-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.	श्री हीरा पि. नागजी	तलाया पाल	5 बीघा	76	बेदखल	26-10-76		24-4-77
55.	श्री मोती पि. दीता	,, ,,	15 ,,	76	,,	29-10-76		11-7-77
56.	श्री वीरजी पि. भूरा	,, ,,	5 ,,	76	,,	28-10-76		25-1-77
57.	श्री वीरजी पि. हुक- रीया	भोगि- याश्राम्बा	,, 6 ,,	76	,,	28-10-76		7-4-77
58.	श्री लोजी पि. दल्ला	मुरीत लाई	,, 4 ,,	76	,,	28-10-76		25-4-77
59.	श्री हीरजी पि. हुलिया	धावड़ी घाटा	,, 4 ,,	76	,,	28-10-76		25-4-77
60.	श्री जाला पि. हकजी	भोगिया- श्राम्बा	,, 6 ,,	76	,,	28-10-76		25-1-77
61.	श्री प्रताप पि. नारुजी	,,	3½ ,,	76	,,	28-10-76		23-10-80
62.	श्री हकजी पि. होमजी	,, ,,	10 ,,	76	,,	28-10-76		–
63.	श्री कमा पि. लखजी	,, ,,	4 ,,	76	,,	29-10-76		29-10-76
64.	श्री मोगिया पि. हीरा	,, ,,	5 ,,	76	,,	29-10-76		7-4-77
65	श्री हेमा पि. हीरा	,, ,,	4 ,,	76	,,	29-10-76		1-3-77
66.	श्री नाथू पि. हरजी	,, ,,	8 ,,	76	,,	29-10-76		1-3-77
67.	श्री माणजी पि. धुलिया	मथुरा- तालाब	,, 8 ,,	76	,,	26-12-76		23-10-80
68.	श्री थावरा पि. नोलिया	,, ,,	9 ,,	76	नहीं	29-10-76		नहीं
69.	श्री कालू पि. नवला	,, ,,	7 ,,	76	बेदखल	26-12-76		16-10-80

335

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	श्री कालू पि. अमरा	मथुरा- तालाव पाल	5 बीघा	76	बेदखल	26-12-76		–
71.	श्री भगवाना पि. धावरा	,,	,, 10 ,,	76	,,	29-10-76		30-10-80
72.	श्री मसना पि. गांगजी	,,	,, 10 ,,	76	नहीं	29-10-76		नहीं
73.	श्री कमजी पि. जोती	पाल ,,	8 ,,	76	वेदखल	29-10-76		6-7-77
74.	श्री भोगा पि. कालु	काला- खेत ,,	10 ,,	76	,,	29-10-76		25-10-80
75.	श्री लवजी पि. कालु	,,	,, 9 ,,	76	,,	29-10-76		9-8-76
76.	श्री कालु पि. पूंजा	,,	,, 7 ,,	76	,,	29-10-76		25-4-77
77.	श्री बालजी पि. उका	तलाया ,,	8 ,,	76	,,	29-10-76		25-1-77
78.	श्री परथु पि. भुरा	,,	,, 5 ,,	76	,,	29-10-76		25-4-77
79.	श्री चम्पा पि. चौखा	,,	,, 9 ,,	76	,,	29-10-76		25-1-77
80.	श्री गोतम पि. हुकला	,,	,, 5 ,,	76	,,	29-10-76		25-4-77
81.	श्री शंकर पि. बालदी	वागवा ,,	7 ,,	76	,,	29-10-76		25-4-77
82.	श्री बालजी पि. बदजी	तलाया ,,	5 ,,	76	,,	15-12-76		22-2-77
83.	श्री कल्ला पि. थेवड़ा	खलेड ,,	5 ,,	76	,,	15-12-76		24-10-80
84.	श्री मनजी पि. जोती	,,	,, 10,,	76	,,	15-12-76		24-10-70
85.	श्री शोभा पि. रंगा	,,	,, 6 ,,	76	,,	15-12-76		9-7-77

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.	श्री खातू पि. खाना	खलैंड	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	9-7-77
87.	श्री मोती पि. सवा	खलैंड	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	9-7-77
88.	श्री धन्ना पि. मनजी	खलैंड	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	25-10-80
89.	श्री शम्भू पि. मनजी	खलैंड	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	24-10-80
90.	श्री नाथु पि. सवा	खलैंड	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	24-10-80
91.	श्री श्यामा पि. सवा	खलैंड	पाल	10 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	24-10-80
92.	श्री प्रताप पि. बदीया	खलैंड	पाल	6 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	9-7-77
93.	श्री कमजी पि. खातु	खलैंड	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	24-10-80
94.	श्री चन्दरा पि. भूरा	माण्डकला	पाल	6 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	5-7-77
95.	श्री मनसुख पि. कारू	माण्डकला	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	5-7-77
96.	श्री धुला पि. कातु	माण्डकला	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	6-7-77
97.	श्री पूना पि. सोमा	माण्डकला	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	6-7-77
98.	श्री सुखा पि. हवजी	माण्डकला	पाल	8 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	14-3-77
99.	श्री लाडजी पि. हीरा	,,	पाल	8 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	24-4-77
100.	श्री भूरा पि. हीरा	माण्डकला	पाल	5 बीघा	76	बेदखल	29-10-76	5-7-77
101.	श्री होमजी पि. पूना	खलैंड	पाल	4 बीघा	76	बेदखल	15-12-76	25-10-80

337

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102.	श्री नाथू पि. जीवा	खलैंड	पाल	4 बीघा	76	नहीं	15-12-76	नहीं
103.	श्री सोमा पि. गोमाना ग्राम्वा	भोगिया	पाल	3 बीघा	76	बेदखल	12-1-77	25-4-77
104.	श्री लखजी जीवराज पि. हमाली कमजी	,,	पाल	10 बीघा	76	बेदखल	12-1-77	25-4-77
105.	श्री पूनिया पि. मनजी थावरा इत्यादि	तलाया	पाल	4 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
106.	श्री लबजी पि. रूपा व ग्राम्बा अन्य तीन	कालिया	पाल	$2\frac{1}{2}$ बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
107.	श्री प्रताप पि. विजीया धन्ना पि. मनजी	खलैंड	पाल	3 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
108.	श्री होमजी पि. पूना केलिया	हकरा	पाल	5 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
109.	श्री खेमा पि. नथिया ग्राम्बा नगजी पि. नथिया	भोगिया	पाल	7 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
110.	श्री खातरा पि. हबजी	,,	पाल	11 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
111.	श्री हवजी पि. तेजीया	,,	पाल	2 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
112.	श्री गंगा पि. पेरा	खलैंड	पाल	4 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
113.	श्री ग्रम्बूडा पि. कल्ला	काला-खेत	पाल	6 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			
114.	श्री वेरता पि. रामा ग्राम्वा	भोग्या	पाल	3 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115.	श्री सोहन काला- बदिया पि. खेत मलजी, हीरा पि. जोती	पाल	40 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू					
116.	श्री जगदीश तला- पि. लीम्बा ईया	पाल	16 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू					
117.	श्री मावा नैदल पि. कलजी	पाल	20 बीघा	77 के बाद कार्यवाही चालू					
118.	श्री लीम्बा साग- पि. दल्ला वाड़ा	पाल	4 बीघा	77 के बाद कार्यवाही चालू					
119.	श्री लालसिंह ,, पि. रूपा रंगजी पि. धुला	पाल	2 बीघा	77 के बाद कार्यवाही चालू					
120.	श्री गौतम तला- पि. हकरा ईया वीरजी पि. मोती	पाल	4 बीघा	77 के बाद कार्यवाही चालू					
121.	श्री धीरजी ,, पि. मेघा परथू पि भूरा	पाल	4 बीघा	77 के बाद कार्यवाही चालू					
122.	श्री कनगुर तलाया पि० कलु	पाल	3 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।					
123.	श्री परथा खलैंड पि० फत्ता	पाल	3 बीघा	,,	,,	,,	,,		
124.	श्री भूरा तलाईया पि० हीरा	पाल	3 बीघा	,,	,,	,,	,,		
125.	श्री खेमजी खलैड पि० पुना	पाल	3 बीघा	,,	,,	,,	,,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	श्री जगदीश पि. फत्ता श्री शंकर, कमजी पि० अम्बा श्री रायजी, बालजी पि० खेमा	तलाया	पाल	33 बीघा	1978	से कार्यवाही चालू है		
127.	,, ,,	,, तलाया	पाल	35 बीघा	1978	,,	,, ,,	
128.	श्री बाहड़ा पि० जोरजी	तलाया	पाल	10 बीघा	1979	,,	,, ,,	
129.	श्री हलीया पि० नाथू अन्य तीन	मांडकला	पाल	20 बीघा	,,	,,	,, ,,	
130.	,, ,,	,, ,,	पाल	2 बीघा	,,	,,	,, ,,	
131.	श्री रंगा पि० शिवजी	खलैंड	पाल	2 बीघा	,,	,,	,, ,,	
132.	श्री चतरा पि. काना	–	पाल	3 बीघा	,,	,,	,, ,,	
133.	श्री कालु पि. हीरा	कालाखेत	पाल	8 बीघा	,,	,,	,, ,,	
134.	श्री पूना पि. सोना	खलैंड	पाल	7 बीघा	,,	,,	,, ,,	
135.	श्री होमजी मोंडा	बांसवाड़ा	पाल	7 बीघा	,,	,,	,, ,,	
136.	श्री वनजी पि. देवजी	रणा	पाल	40 बीघा	,,	,,	,, ,,	
137.	श्री विट्ठल पि. कनजी आम्वा	भोगीया	पाल	1½ बीघा	,,	,,	,, ,,	
138.	श्री रकमा पि. पदमा मीणा	फंगूतलाव	चिकलाड	10 बीघा	76	बेदखल नहीं हुआ	26-12-76	नहीं

345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
129.	श्री रामा पि. रंगा	फंगूतलाव	चिकलाड	4 बीघा	76	बेदखल हुआ	26-12-76	23-3-77
140.	श्री हीरा पि. गौतम	,,	,,	10 बीघा	76	,,	26-12-76	27-1-77
141.	श्री रतना पि० वक्ता पाचिया पि. कालु रूपा पि० बेंजामीणा	,,	,,	10 बीघा	76	,,	26-12-76	22-2-77
142.	श्री बल्ला पि. बीरमा	फूंगातलाय	चिकलाड	15 बीघा	76	बेदखल हुआ	26-12-76	1-2-77
143.	,, आलिया पि. वालीया	,,	,,	10 ,,	76	,,	,,	4-2-77
144.	,, होमजी पि. लखमा	,,	,,	10 ,,	76	,,	,,	20-7-77
145.	,, बावरीया पि. लखमा	,,	,,	5 ,,	76	,,	,,	20-7-77
146.	,, कालिया पि. लखमा	,,	,,	12 ,,	76	,,	,,	4-2-77
147.	,, रामा पि. बेला	,,	,,	8 ,,	76	,,	,,	27-1-77
148.	,, भेरा पि. लखमा	,,	,,	7 ,,	76	बेदखल नहीं हुआ	,,	नहीं
149.	,, उदा पि. गौतम	,,	,,	3 ,,	76	बेदखल हुआ	,,	27-1-77
150.	,, तेजा पि. लखमा	,,	,,	10 ,,	76	,,	,,	15-2-77
151.	,, हीरा पि. किशना	,,	,,	4½ ,,	76	बेदखल नहीं हुआ	,,	नहीं
152.	,, हीरीया पि. रतना	खोखरी	,,	4 ,,	76	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153.	" वजीया पि. लखमा	फू गातलाव	"	7 बीघा	76	वेदखले नहीं हुआ	26-12-76	नहीं
154.	" कसजी पि. देवा	कमडीखेडा	"	4 "	76	"	"	"
155.	" देवा पि. लिम्बा	आपलीकला	"	3 "	76	"	"	"
156.	" मोती पि. हुरजी	महुडीखेडा	"	1 "	76	"	"	"
157.	" मेरा पि. धुला	वोरदी	"	2½ "	76	"	"	"
158.	" पुरिया पि. धुला	"	"	4 "	76	"	27-12-76	"
159.	" कालु पि. नाथु	"	"	5 "	76	"	20-12-76	"
160.	" मेरिया पि. गोकल	"	"	5 "	76	"	"	"
161.	" जीवा पि. जोता	वोरदी	"	2 "	76	"	26-12-76	"
162.	" नाथू पि. पाच्या	"	"	5 "	76	"	"	"
163.	" वल्ला पि. हुरजी	"	"	2 "	76	"	"	"
164.	" ऊंकार पि. गोकल	"	"	4 "	76	"	"	"
165.	" धुला पि. मनजी	"	"	10 "	76	"	"	"
166.	" माल पि. गोकल	"	"	5 "	76	"	"	"
167.	" नाथू पि. भीमा	"	"	6 "	76	वेदखल हुआ	27-12-76	21-1-77
168.	" नारीया पि. खीना	"	"	4 "	76	वेदखल नहीं हुआ	29-10-76	नहीं

(342)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
169.	श्री लकुडा पि. दबीना	बोरदी	चिकलाड	4 बीघा	76	बेदखल नहीं हुआ	22-10-76	नहीं
170.	" रकबा पि. खेमा	चिकलाड़	"	5 "	76	"	27-12-76	"
171.	" रकबा पि. भगवाना	बोरदी	"	4 "	76	"	24-12-76	"
172.	" देवजी पि. खेमा	"	"	5 "	76	"	26-12-76	"
173.	" गौतम पि. तोलीया	चिकलाड़	"	4 "	76	"	27-12-76	"
174.	" धीरजी पि. गोकल	"	"	5 "	76	बेदखल हुआ	26-12-76	10-2-77
175.	" देवा पि. रकवा	"	"	4 "	76	बेदखल नहीं हुआ	27-12-76	नहीं
176.	" हीरा पि. काना	"	"	5 "	76	बेदखल हुआ	"	24-3-77
177.	" लालीया पि. रतना	"	"	1 "	76	बेदखल नहीं हुआ	26-12-76	नहीं
178.	श्री कासीवा पि० पाचिया	चिकलाड	चिकलाड	3 बीघा	76	बेदखल नहीं	27-12-76	नहीं
179.	श्री रोडा पि० चौखा	,,	,,	1 बीघा	,,	बेदखल हुआ	,,	24-3-77
180.	कालीया पि० बटला	फूंगातलाब	,,	6 बीघा	76 के बाद कार्यवाही चालू है			
181.	लकूडा पि० देवा	बौरदी	,,	3 ,,	,,	,,	,,	,,
182.	नारू पि० बजीया	खजूरी	,,	5 ,,	,,	,,	,,	,,
183.	जोखमा जोधा पि० बरदा	,,	,,	2 ,,	,,	,,	,,	,,
184.	श्री बिजीया पि० पाचिया आदि	पीपलीया	,,	7 ,,	,,	,,	,,	,,
185.	श्री जीवा पि० जैता	बौरदी	,,	2 ,,	,,	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
186.	श्री देवीलाल पि० पूरिया	भोजपुर	चिकलाड	6 बीघा	1977	के बाद कार्यवाही चालू है	27-12-76	24-3-77
187.	श्री नाथू पि० विटला	,,	,,	20 ,,	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
188.	श्री पूनियां पि० घरजी	कौचदिया	,,	38 ,,	,,	,,	,,	,,
189.	श्री मांजी पि० रजिया आदि नौ व्यक्ति	चिकलाड	,,	7 ,,	,,	,,	,,	,,
190.	श्री शम्भु बलीया	बोरियाघाट	,,	8 ,,	,,	,,	,,	,,
191.	श्री जोरीया पि० मेघा	भौजर	,,	50 ,,	,,	,,	,,	,,
192.	श्री माजीया पि० कीकीया	खुखरी	,,	5 ,,	,,	,,	,,	,,
193.	श्री भैरीया पि० कीकिया	,,	,,	5 ,,	,,	,,	,,	,,
194.	श्री हीरा पि० पन्ना	,,	,,	5 ,,	,,	,,	,,	,,
195.	,, बाला पि० तोलिया	वाबाकोट	,,	10 ,,	,,	,,	,,	,,
196.	,, बाघजी पि० कोदर नगजी पि० नागूजी सरदारा पि० बस्ता	करमाखेडा मैंवा	,,	30 ,,	76	–	15-7-76	–
197.	,, देलीया पि० रकवा	अनोपपुरा मैंवा	,,	7 ,,	76	–	15-7-76	–
198.	,, खातीया पि० हरजी सोनीया पि० रामा रामा पि० हरजी कालू पि० वीरजी चोखा पि० जोगला	,,	,,	18 ,, 4 ,,	76	–	,,	–

३५५

1	2	3	4	5	6	7	8	9
199.	श्री वक्ता पि० भैरा हरजी हकरीया नाथू खरता	अनोपपुरा	मैंवा	15 बीघा	76	–	9-4-76	–
200.	,, अकमा पि. बंस्ता	बावडी	,,	15 ,,	76	–	9-11-76	–
201.	,, सूखा पि. बंस्ता	,,	,,	15 ,,	76	–	,,	–
202.	,, घाबरा पि. भैरीया	आम्बा	,,	15 ,,	,,	–	,,	–
203.	,, धन्ना पि. हकरा	पंचरीया	,,	15 ,,	,,	बेदखल हुआ	,,	24-1-77
204.	,, धुला पि. हकरीया	पंडारीया	,,	15 ,,	,,	,,	,,	23-10-80
205.	,, धूना पि. नगजी	आम्बलीया	,,	20 ,,	,,	,,	,,	26-10-80
206.	,, कालीया पि. पूनिया	,,	,,	10 ,,	,,	,,	5-10-76	25-4-77
207.	,, कमजी पि. पूनिया	,,	,,	10 ,,	,,	,,	5-10-76	24-4-77
208.	,, सोमा पि. सोनीया	,,	,,	10 ,,	,,	,,	,,	24-1-77
209.	,, रकमा पि. धूलीया	,,	,,	10 ,,	,,	,,	9-11-76	12-3-77
210.	,, वीलिया पि. दल्ला	पण्डारिया	,,	15 ,,	,,	,,	,,	23-10-80
211.	,, गौतम पि. दल्ला	,,	,,	20 बीघा	,,	,,	,,	13-7-77
212.	,, केवरिया पि. पून्जा	माताउल्ला	,,	5 बीघा	,,	,,	8-10-76	25-4-77
213.	,, भाणजी पि. पून्जा	,,	,,	10 बीघा	,,	,,	5-10-76	25-4-77
214.	,, नगजी पि. पून्जा	,,	,,	10 बीघा	,,	,,	,,	7-8-77

345

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215.	श्री थावरा पि. पूलिया उल्ला	माता	मैंक्र	10 बीघा	76	बेदखल हुआ	5-10-76	19-2-77
216.	,, हालिया पि. दालिया	बावड़ी	,,	15 बीघा	,,	,,	,,	25-1-77
217.	,, फूलजी पि. देवीया	टान्डा	,,	15 बीघा	,,	,,	,,	13-8-77
218.	,, जोखा पि. वेलीया	,,	,,	15 बीघा	,,	,,	,,	3-7-77
219.	,, वस्ता पि. नगजी	सतरामपुर	,,	10 बीघा	,,	,,	16-10-76	4-7-77
220.	,, ज्योति पि. नगजी मोती पि. नगजी वूदी पि. कलजी	देवमगरा	,,	10 बीघा	,,	,,	5-10-76	9-2-77
221.	,, वीरा पि. हीरा	,,	,,	10 बीघा	,,	,,	9-11-76	9-2-77
222.	,, पताप पि. मलीया	सतरामपुरा	,,	60 बीघा	,,	,,	5-10-76	9-2-77
223.	,, भूरा पि. गेन्दा	,,	,,	10 बीघा	,,	बेदखल नहीं	26-12-76	नहीं
224.	,, हकरा पि. नोला	,,	,,	10 बीघा	,,	बेदखल हुआ	,,	27-10-80
225.	,, मोगा पि. दलजी	,,	,,	10 बीघा	,,	,,	,,	9-2-77
226.	,, पाचीया पि. लीकजा	,,	,,	15 बीघा	,,	बेदखल नहीं	,,	नहीं
227.	,, खेता पि. वागा	,,	,,	8 बीघा	,,	बेदखल हुआ	,,	6-1-77
228.	,, भेरा पि. गौतमा	बाम्बूवेला	,,	7 बीघा	,,	बेदखल नहीं	,,	नहीं
229.	,, मन्ना पि. भैरा	,,	,,	7 बीघा	,,	बेदखल हुआ	29-10-76	6-1-77
230.	,, तेजा पि. माणा	,,	,,	4 बीघा	,,	,,	26-10-76	24-11-76

1	2	3	4	5	6	7	8	9
231.	श्री लाला पि. चोखा	बाम्बूवेला	मैंवा	3 बीघा	76	वेदखल हुआ	29-10-76	6-1-77
232.	,, मानीया पि. कवरीया	,,	,,	2 बीघा	,,	,,	,,	,,
233.	,, रामा पि. चोखा	,,	,,	2 बीघा	,,	,,	,,	,,
234.	,, हुरजी पि. भगवाना	अनोपपुरा	,,	4 बीघा	,,	बेदखल नहीं	16-10-76	नहीं
235.	,, पेमा पि. हरजी)	मधुरा-तालाव	मैंवा	80½ बीघा	,,	,,	,,	नहीं
236.	,, मगजी पि. ऊदा)							
237.	,, रामा पि. परथा)							
238.	,, कारू पि. रामा)							
239.	,, बावरू पि. हरजी)							
240.	,, भगवाना पि. उदा)							
241.	,, अमरा पि. रामा)							
242.	,, बेसीया पि. देलीया)							
243.	,. मांगीया पि. दीता)							
244.	" कालीया पि. रामा)							
245.	" मोहनीया पि. नाथीया)							
246.	" भगवाना पि. लाला)							
247.	" ऊदीया पि. परथा)							
248.	" मांगीया पि. ऊदीया)							
249.	" गौतम पि. ऊदीया)							
250.	" केसीया पि. ऊदीया)							
251.	" कजोड़ पि. कालू)							
252.	" कानू पि. भीमा)							
253.	" बदीया पि. दीता)							
254.	" केशिया पि. नाथू)							
255.	" मालीया पि. रामा)							
256.	" भीमा पि. परथा)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
257.	श्री देवजी पि. केसु)	मोगाखेडा	मैंवा	10½ बीघा	76	वेदखल हुआ	16-10-76	8-11-76
258.	" वाकजी पि. पूनीया)							
259.	" केसीया पि. लीम्बा	भुतिया	"	4 बीघा	"	वेदखल नहीं	15-12-76	नहीं
260.	" कालू पि. रूपा	बाम्बूवेला	"	4 बीघा	"	"	"	नहीं
261.	" भैरा पि. गौतम	भूतिया	"	6 बीघा	"	"	29-10-76	"
262.	" भैरा पि. मैगा	"	"	7 बीघा	"	"	"	"
263.	" भेरीया पि. नाथु	"	"	5 बीघा	"	"	"	"
264.	" तोलीया पि. रामा	"	"	7 बीघा	"	"	"	"
265.	" वाबा पि. हरजी	"	"	5 बीघा	"	"	"	"
266.	" बगदीया पि. होमला	उटाखेडा	"	8 बीघा	"	"	12-9-77	नहीं
267.	" रामा पि. रकआ	"	"	5 बीघा	"	"	"	"
268.	" जीवणा पि. हालिया	माताउल्ला	"	10 बीघा	"	वेदवल हुआ	5-10-76	19-3-77
269.	" वागजी पि. कोदर	परतीपुरा	मैंवा	8 बीघा	1976 के बाद कार्यवाही चालू			
270.	" हकरा पि. रकआ	अनोपपुरा	"	5 बीघा	"	"	"	
271.	" नाथु पि. खातरा	"	"	9 बीघा	"	"	"	
272.	" वक्ता पि. भैरा	"	"	2 बीघा	"	"	"	

3487

1	2	3	4	5	6	7	8	9
273.	श्री वीरजी पि. आलीया	लाजफला	मेंवा	3½ बीघा	1976 के बाद कार्यवाही चालू			
274.	" कालु पि. वीरजी)	"	"	3 बीघा	"	"	"	"
275.	" रामा पि. हरजी)							
276.	" भागजी पि. दूधा नालजी पि. दूधा	धावडा घाट	"	3 बीघा	"	"	"	"
277.	" गोगा पि. आरबा	मगरा	मेंवा	2 बीघा	"	"	"	"
278.	" वागजी, लक्ष्मण पि. नोगिया	रावपुर	"	4 बीघा	1977	"	"	"
279.	" र बा पि. धन्ना	भुरी तलाई	"	1 बीघा	"	"	"	"
280.	" पतिया पि. नगजी	खमीरा	"	1 बीघा	"	"	"	"
281.	श्री कालु पि. वालिया	घाटोल	मेंवा	9 बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
282.	श्री काना पि. भोगजी	ठाकरा	मेंवा	1½ बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
283.	श्री धनजी पि. मोतीया	भुरीत-लाई	मेंवा	4 बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
284.	श्री राजिंग पि. मंगला	भुरीत-लाई	मेंवा	5 बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
285.	श्री नगजी पि. रंगा)	"	मेंवा	5½ बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			
286.	श्री वल्ला पि. दल्ला)							
287.	श्री मंगला पि. भोगजी	ठाकरा	मेंवा	4½ बीघा	1979 के बाद कार्यवाही चालू है।			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288.	श्री पूंजीया पि. नाथू	भुरीत-लाई	मेंवा	4 बीघा	1979	के बाद कार्यवाही चालू है।		
289.	श्री ऊंकार पि. देवजी	कोतवाल	मेहन्दी खेड़ा	6 बीघा	1976	बेदखल नहीं हुआ	28-10-76	इस समय अतिक्रमी माके पर काबिज नहीं है।
290.	श्री मानिया पि. मानिग	कोतवाल	,,	3 बीघा	1976	,,		
291.	श्री रूपा पि. लाल	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	
292.	श्री रतना पि. सरदारा	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
293.	श्री रतना पि. होमजी	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
294.	श्री दल्ला पि. मानिग	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
295.	श्री रूपा पि. देवजी	कोतवाल	,,	10 बीघा	1976	,,	,,	,,
296.	श्री धारिया पि. देवजी	कोतवाल	,,	10 बीघा	1976	,,	,,	,,
297.	श्री दीपा पि. पूंजा	कोतवाल	,,	15 बीघा	1976	,,	,,	,,
298.	श्री केशा पि. जोधा	कोतवाल	,,	10 बीघा	1976	,,	,,	,,
299.	श्री अर्जुन पि. नाथु	कोतवाल	,,	10 बीघा	1976	,,	,,	,,
300.	श्री ऊदा पि. वाजिगा	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
301.	श्री सोगला पि. हीरा	कोतवाल	,,	2 बीघा	1976	,,	,,	,,
302.	श्री जगजी पि. जोधा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
303.	श्री धीरीया पि. प्योरा	कोतवाल	,,	6 बीघा	1976	,,	,,	,,

(350)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304.	श्री काना पि. वजिगा	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	28-10-76	इस समय
305.	श्री लक्ष्मण पि. हीरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	अतिक्रमी मौके पर
306.	श्री शंकरीया पि. हीरा	कोतवाल	,,	2 बीघा	1976	,,	,,	काबिज नहीं है।
307.	श्री जीवणा पि. जोगला	कोतवाल	,,	7 बीघा	1976	,,	,,	,,
308.	श्री खेमला पि. जीवला	कोतवाल	,,	3 बीघा	1976	,,	,,	,,
309.	श्री हीरजी पि. वेस्ता	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
310.	श्री रामला पि. हेवला	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
311.	श्री पूंजा पि. डागा	कोतवाल	,,	3 बीघा	1976	,,	,,	,,
312.	श्री खेमला पि. जीवला	कोतवाल	,,	2 बीघा	1976	,,	,,	,,
313.	श्री रामला पि. कमजी	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
314.	श्री लालजी पि. भैरा	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
315.	श्री सरदारा पि. डागा	कोतवाल	,,	2 बीघा	1976	,,	,,	,,
316.	श्री कालीया पि. वोतीया	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
318.	श्री नारीया पि. डागा	कोतवाल	,,	3 बीघा	1976	,,	,,	,,
319.	श्री मंगला पि. नगजी	कोतवाल	,,	6 बीघा	1976	,,	,,	,,
320.	श्री रतना पि. पूंजा	कोतवाल	,,	3 बीघा	1976	,,	,,	,,

351

1	2	3	4	5	6	7	8	9
321.	श्री केशिया पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा	5 बीघा	1976	बेदखल	28-10-76	इस समय अतिक्रमी मौके पर काबिज है।
322.	श्री करणा पि. पूंजा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	
323.	श्री रकवा पि. पूंजा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	
324.	श्री पांचीया पि. रकवा	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
325.	श्री रुपला पि. रकवीया	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
326.	श्री नाथू पि. रकवीया	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
327.	श्री भोगजी पि. रकवीया	कोतवाल	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
328.	श्री कालीया पि. भेरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
329.	श्री हीरा पि. रतना	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
330.	श्री रमूज पि. कचरीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
331.	श्री गोतीया पि. कचरीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
332.	श्री उरजी पि. दितीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
333.	श्री लालू पि. भीमा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
334.	श्री अर्जुन पि. भीमा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
335.	श्री चोखा पि. भीमा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
336.	श्री खातिया पि. रतना	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
335.	श्री होमजी पि. हमेरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
336.	श्री रतना पि. होमला	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
337.	श्री नाथू पि. भीमा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
338.	श्री वागजी पि. भूरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
339.	श्री गिरधा-रिया पि. काना	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
340.	श्री गलीया पि. हमेरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
341.	श्री भेरीया पि. बदीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
342.	श्री गोमा पि. हेमला	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
343.	श्री मणीया पि. अणंदा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
344.	श्री रमूज पि. नूरा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
345.	श्री हीरा पि. मालीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
346.	श्री उदा पि. मोगीया	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
347.	श्री अर्जुन पि. भीमा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
348.	श्री वाजा पि. मेघा	कोतवाल	,,	5 बीघा	1967	,,	,,	,,
349.	श्री चोखला पि. कमजी	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
350.	श्री रामला पि. हेमला	कोतवाल	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
352.	श्री मानजी पि. रूपा	मेहन्दी-खेडा	मेहन्दी खेडा	4 बीघा	1976	बेदखल	28-10-76	इस समय
353.	श्री मालीया पि. रूपा	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	अतिक्रमी मौके पर काबिज़
354.	श्री गांगजी पि. परताडीया	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	नहीं है।
355.	श्री रकबा पि. होमला	,,	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
356.	श्री देवला पि. लाला	,,	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
357.	श्री फूलिया पि. नगला	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
358.	श्री नाथू पि. हकरीय	,,	,,	4 बीघा	1976	बेदखल नहीं हुआ	28-10-76	,,
359.	श्री शम्भुडा पि. कालिया	,,	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
360.	श्री काना पि. घुला)	,,	,,	14 बीघा	1976	,,	,,	,,
361.	श्री रूपजी पि. हीरा)							
362.	श्री नानका पि. लूना)							
363.	श्री कोदर पि. कालिया	,,	,,	3 बीघा	1976	,,	,,	,,
364.	श्री मंगला पि. विजीया	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	16-12-76	,,
365.	श्री भेरा पि. कचरीया	,,	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
366.	श्री घुला पि. कचरीया	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	28-10-76	,,
367.	श्री मेघा पि. चुनीया	,,	,,	5 बीघा	1976	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
368.	श्री नीवणा पि. पूंजा	मेहन्दी-खेडा	मेहन्दी-खेडा	$4\frac{3}{4}$ बीघा	1976	बेदखल	16-12-76	इस समय
369.	श्री मोखजी पि. जोखला	,,	,,	9 बीघा 14 बिस्वा	1976	,,	,,	अतिक्रमयों के परकाबिज
370.	श्री गंगा पि. दल्ला	,,	,,		1976	,,	,,	नहीं है।
371.	श्री ऊंकारिया पि. बागजी	,,	,,	12 बीघा	1976	,,	,,	,,
372.	श्री शंकरीया पि. ऊंकार	,,	,,	11 बीघा 12 बिस्वा	1976	,,	28-10-76	,,
373.	श्री कसाला पि. हवला)			$6\frac{1}{2}$ बीघा	1976			
374.	श्री केशा पि. हवला)	,,	,,	$18\frac{3}{4}$ बीघा	1976	,,	,,	,,
375.	श्री गोतीया पि. रूपा	,,	,	10 बीघा	1976	,,	,,	,,
376.	श्री गोतीया पि. सरदारा))	,,	,,	$11\frac{1}{2}$ बीघा	1976	,,	,,	,,
377.	श्री लखमा पि. जोदिया)							
378.	श्री केशा पि. जोधा	"	"	3 बीघा	1976	"	"	"
379.	श्री नाथू पि. बिजीया	"	"	1 बीघा	1976	"	16-12-76	"
380.	श्री खातीया पि. बिजीया	मंजागांव	"	3 बीघा	1976	"	28-10-76	"
381,	श्री लक्ष्मण बिजीया	"	"	3 बीघा	1976	"	"	"
382.	श्री रूपा पि. पूंजीया	"	"	2 बीघा	1976	"	"	"
383.	श्री धन्ना पि. पूंजीया	"	"	2 बीघा	1976	"	"	"

355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
384.	श्री मोती पि. पूंजा	पंजीय गांव	मेहन्दी खे	2 बीघा	1976	बेदखल नहीं	28-10-76		इस समय प्रतिक्रमी मौके परकाविज नहीं है।
385.	श्री केशीया पि. नानजी	"	"	2 बीघा	1976	"	"		
386.	श्री धीरीया पि. वेणीया	"	"	2½ बीघा	1976	"	"		
387.	रूपला पि. मोगजी	"	"	2½ बीघा	1976	"	"		"
388.	प्रताप पि. मोगजी	"	"	2½ बीघा	1976	"	"		"
389.	श्री छोकला पि. नगजी	"	"	2 बीघा	1976	"	"		"
390.	श्री मोती पि. पूंजा	मेहन्दी-खेडा	"	7 बीघा	1976	"	"		"
391.	श्री रामला पि. वनरिया	"	"	7 बीघा	1976	"	"		"
392.	श्री धन्ना पि. नाथू	"	"	2½ बीघा	1976	"	"		"
393.	श्री खातिया पि. वजीया	"	"	5 बीघा	1976	"	"		"
394.	श्री वादीया पि० रतना	"	"	7 बीघा	1976	"	"		"
395.	श्री लक्ष्मण पि. बिजिया	विजीया	"	5 बीघा	1976	"	"		"
396.	श्री केशीया पि. वेणीया	"	"	5 बीघा	1976	"	"		"
397.	श्री गोतमा पि. देवजी	"	"	5 बीघा	1976	"	"		"
398.	श्री पूंजा पि. हेमा	कोतवाल	"	5 बीघा	1976	"	"		"
399.	श्री देवला पि. हवला	कोतवाल	"	10 बीघा 9 विस्वा	1976	"	16-12-76		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9
400.	श्री कमजी पि. हवजी	मेहन्दी खेड़ा	मेहन्दी खेडा	5 बीघा	1976	बेदखल नहीं हुआ	28-10-76	इस समय अति-
401.	श्री लक्ष्मण पि. बागा	,,	,,	10 बीघा	1976	,,	,,	क्रमी मौके पर काबिज
402.	श्री थावरा पि. भेरा	,,	,,	2 बीघा	1976	,,	,,	नहीं है।
403.	श्री नाकूरा पि. नारजी	,,	,,	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
404.	श्री खलडा पि. मानिया	,,	,,	12 बीघा	1976	,,	,,	,,
405.	श्री चोखला पि. कमजी मीणा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा	सूचि क्रमांक 404 (405) से 450 तक दर्ज अतिक्रमणीयों द्वारा सामूहिक रूप से एक साथ विभागीय कार्य योजना द्वारा काटे गये कूप मेहन्दीखेडा में 1,2,3 में लगभग 916 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।				
406.	श्री रवका पि. बीजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
407.	श्री रूपा पि. पूरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
408.	श्री नाथु पि. मीमला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
409.	श्री अर्जुन पि. मीमला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
410.	श्री हरजी पि. मीमला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
411.	श्री ऊदीया पि. मोखीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
412.	श्री कागला पि. मोखीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
413.	श्री नूरा पि. मोखीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
414.	श्री खातीया पि. अमीरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
415.	श्री छगनीया पि. हेमता	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					

357

1	2	3	4	5	6	7	8	9
416. श्री छाया पि. महोडा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
417. श्री हीरा पि. माला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
418. श्री गोतमा पि. हेमा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
419. श्री दीता पि. दीपला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
420. श्री रामा पि. हेमता	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
421. श्री भेरा पि. बागजी	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
422. श्री गतीया पि. हमेरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
423. श्री रामजी पि. नारा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
424. श्री भेरा पि. वेमीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
425. श्री लालबी पि. भेरा	कोतवाल	मेहन्दीखेड़ा						
426. श्री हुसीया पि. काला	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
427. श्री कानीया पि. गोतीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
428. श्री वेस्ता पि. गोतीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
429. श्री सरदारा पि. डाया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
430. श्री नारा पि. डाया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						
431. श्री रमका पि. नारजी	कोतवाल	मेहन्दीखेडा						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
432.	श्री मानीया पि. ऊणदा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
433.	श्री भीमजी पि. अणदा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
434.	श्री देवला पि. अणदा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
434.	श्री मालीया पि. हमेरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
435.	श्री रमूज पि. कजरिया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
436.	श्री खेमा पि. जीवला मीणा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
437.	श्री रुकमणीया पि. मेघजी	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
438.	श्री केरा पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
439.	श्री रतना पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
440.	श्री रतना पि. पेजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
441.	श्री करमा पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
442.	श्री जीवला पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
443.	श्री मानिया पि. पूंजा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
444.	श्री गोतीया पि. कवरीया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
445.	श्री चौखला पि. भेरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
446.	श्री रमका पि. डाया	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
447.	श्री भगजी पि. पूरा	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
448.	श्री कानजी पि. देवजी	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
449.	श्री लक्ष्मण पि. देवजी	कोतवाल	मेहन्दीखेडा					
450.	श्री धीरा पि. प्यारा	कोतवाव	मेहन्दीखेडा					
451.	श्री डेलिया पि. जीवा	पटेलिया	जानागढ़	5 बीघा	1976	बेदखल नहीं	8-8-76	नहीं
452.	श्री नारिया पि. माणका	पटेलिया	जानागढ़	2 बीघा	1976	,,	,,	,,
453.	श्री ऊदा, देवा आदि एवं अन्य चार	नारदा	जानागढ़	20 बीघा	1976	,,	,,	,,
454.	श्री कचरिया पि. हवजी एवं अन्य तीन	पटेलिया	जानागढ़	20 बीघा	1976	,,	7-9-76	,,
455.	श्री पूंजा पि. लीबा	पटेलिया	जानगढ़	4 बीघा	1976	,,	28-10-76	,,
456.	श्री जोरूया पि. भरमार	पटेलिया	जानागड़	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
457.	श्री रमूज पि. पि. मेथ्या	पटेलिया	जानागढ़	4 बीघा	1976	,,	,,	,,
458.	श्री वाघजी पि. लामड़ा	दतियार	जानागढ़	2 बीघा	1976	,,	,,	,,
459.	श्री मालिया पि. गोबरीया एवं अन्य तीन	दतियार	जानागढ़	$5\frac{1}{2}$ बीघा	1976	,,	,,	,,
460.	श्री गेमातिया पि. पूलिया व अन्य तीन	दतियार	जानागढ़	$6\frac{1}{2}$ बीघा	1976	,,	26-4-77	,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461.	श्री जोतीया पि. नारीया	पटेलिया	जानागढ़	1 बीघा	1976	बेदखल नहीं	14-11-77	नहीं
462.	श्री पूजा पि. रामा अन्य एक	दतियार	जानागढ़	3½ बीघा	1976	,,	,,	,,
463.	श्री कचरू पि. रावजी व अन्य एक ओर	पटेलिया	जानागढ़	5 बीघा	1976	,,	,,	,,
464.	श्री पूंजीया पि. रामा मात्या पि. रामा	दतियार	जानगढ़	3½ बीघा	1976	,,	1977 से कार्यवाही चालू है।	
465.	श्री मालीया) पि. परथा)	दतियार	जानागढ़	4½ बीघा	1976	,,	1977 से कार्यवाही चालू है।	
466.	श्री रकवा) पि. नानू)							
467.	श्री नानका) पि. गोवर)							
468.	श्री भरमा पि. नारिया	पटेलिया	जानागढ़	2 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।			
469.	श्री कचरीया पि. मंगलीया	पटेलिया	जानागढ़	2 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।			
470.	श्री राजिग पि. पूंजिया	भणावतो का खेड़ा	जानागढ	18 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।			
471.	श्री हरजी पि. चौखा		,,		,,		,,	
472.	श्री हकरीया पि. भीमजी		,,		,,		,,	
473	श्री लालिया पि. गोतम		,,		,,		,,	
474.	श्री भेरीया पि. फूलिया		,,		,,		,,	
375.	श्री हवजी पि. रामा		,,		,,		,,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
476.	श्री मखना भगावतो बावजी	जानागढ़ का खेडा	18 बीघा			1977 से कार्यवाही चालू है		
477.	श्री रकबी पि. बावरी							
478.	श्री कुशाला पि. पूजिया							
479 से 501	—	वीरपुर	जीनागढ	41 बीघा)				
502 से 522	—	दतियार	,,	196½ बीघा)		वनखण्ड जानागढ़ में 195 अतिक्रमणियों द्वारा 597 बीघा वन भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है उसका सर्वे कराया जाकर अतिक्रमणीवार सूची बनाई जा रही है इसलिए अतिक्रमणी का नाम अंकित नहीं किया गया है। केवल ग्रामवार अतिक्रमणियों की संख्या व अतिक्रमण का क्षेत्रफल दर्ज किया गया है।		
523 से 559	—	पटेलिया	,,	28 बीघा)				
560 से 574	—	बेडा	,,	29½ बीघा)				
575 से 644	—	सोंडनी	,,	237 बीघा)				
645 से 650	—	छोटीघाटी खेडी व खालसा	,,	78 बीघा)				
651 से 655	—	रतनपुरिया	,,	16 बीघा)				
656	—	जानागढ़	,,	3 बीघा)				
657 से 673	—	गढा	,,	38 बीघा)				
				597 बीघा)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
674.	श्री जूला पि. शोभा	डूंगरपुर हाल तलाया		पाल	8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
675.	श्री कमजी पि. राव	,,		पाल	6 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
676.	श्री मनजी पि. शामु	,,		पाल	19 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
677.	श्री सवाडा पि. शामु	,,		पाल	1 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
678.	श्री सवजी पि. कमजी	हालमांहडकला		पाल	10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
279.	श्री जगदीश पि. लीम्बा	,,		पाल	15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
680.	श्री बालजी पि. चौखा	,,		पाल	1 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
681.	श्री फत्ता पि. रावजी	,,		पाल	15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
682.	श्री ग्रासमा पि. रामजी	,,		पाल	15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
683.	श्री मानिया पि. धुला	,,		पाल	25 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
684.	श्री जुजाडा पि. ग्रर्जुन	,,		पाल	16 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
685.	श्री वालजी पि. दलजी	,,		पाल	30 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
686	श्री सूरता पि. सवजी	,,		पाल	8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
687.	श्री हीराजी पि. दल्लाजी	,,		पाल	7 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
688.	श्री सेवा पि. कालु	,,		पाल	18 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
699.	श्री तौलीया पि. बीरीया	,,		पाल	8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700.	श्री मन्ना पि. पुरा	हाल मांडकला		पाल		5 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
701.	श्री जोरजी पि. भोगीया	,,		पाल		10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
702.	श्री वीरजी पि. नाथू	,,		पाल		8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
703	श्री ग्रादरा पि. लक्ष्मण	,,		पाल		8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
704.	श्री हुरजी पि. मानजी	,,		पाल		12 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
705.	श्री लक्ष्मण पि. मनजी	,,		पाल		9 बीघा	1977 से कार्ययासी चालू है।	
706.	श्री ग्रकमण पि. मानीया	,,		पाल		14 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
707.	श्री धुलिया पि. वीरजी	,,		पाल		10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
708.	श्री बदरीया पि. लादु	,,		पाल		11 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
709.	श्री दल्लाजी पि. वास्ता	,,		पाल		6 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
710.	श्री मलजी पि. वास्ता	,,		पाल		8 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू हैं।	
711.	श्री भूरा पि. धीराजी	,,		पाल		12 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
712.	श्री दलसूख पि. धीराजी	,,		पाल		10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
713.	श्री माना पि. धीरा	,,		पाल		10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
714.	श्री लालूडी पि. चौला	,,		पाल		15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	
715.	श्री जोखा पि. नाथू	,,		पाल		20 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
716.	श्री कालू पि. अमरा	,,	पाल		10 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
717.	श्री धीरजी पि. मन्ना	,,	पाल		12 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
718.	श्री वीरा पि. मन्ना	,,	पाल		13 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
719.	श्री कालू पि. नाथू	,,	पाल		15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
720.	श्री शोभा पि. नाथू	,,	पाल		20 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
721.	श्री लक्ष्मण पि. गेवा	,,	पाल		15 बीघा	1977 से कार्यवाही चालू है।		
722.	श्री वसना पि. लीम्बा	हाल मण्डकला	पाल		10 बीघा	1978 से कार्यवाही जारी है।		
723.	श्री फलजी पि. कालु	,,	,,		5 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
724.	श्री देवा पि. सोमा	,,	,,		7 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
725.	श्री कलजी पि. मानजी	,,	,,		8 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
726.	श्री भावजी पि. गोतम	,,	,,		10 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
727.	श्री. जोखा पि. मन्ना	,,	,,		10 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
728.	श्री हीरा पि. छोगा	,,	,,		10 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
729.	श्री कमजी पि. डूंगर	,,	,,		15 बीघा	,, से कार्यवाही जारी है।		
730.	श्री चौखा पि. जौरजी	,,	,,		20 बीघा	1978 से कार्यवाही जारी है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
731.	श्री मीगा पि. हरजी	हालमाण्डकला	पाल	25 बीघा	1979	से कार्यवाही जारी है।		
732.	श्री तांया पि. रावजी	,,	,,	20 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
733.	श्री चोखा पि. भावजी	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
734.	श्री मेवा पि. गला	,,	,,	12 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
735.	श्री सैया पि. बालजी	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
736.	श्री लीलू पि. बालजी	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
737.	श्री वन्ना पि. कालुजी	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
738.	श्री सोना पि. पुना	,,	,,	15 बीघा	1980	से कार्यवाही जारी है।		
739.	श्री भीवजी पि. हीरा	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
740.	श्री धनजी पि. कमजी	,,	,,	5 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
741.	श्री लालू पि. कमजी	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
742.	श्री कालु पि सोमा	,,	,,	20 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
743.	श्री नाकीया पि. हुरजी	,,	,,	22 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
744.	श्री हवला पि. भुरा	,,	,,	20 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
745.	श्री पुनिया पि. शम्भु	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
746.	श्री कोहरा पि. चौखा	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
747.	श्री शंकर पि. हैरजी	हालमाण्डकला	पाल	5 बीघा	1980	से कार्यवाही जारी है।		
748.	श्री भाणजी पि. माना	,,	,,	5 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
749.	श्री रतना पि. धुलीया	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
750.	श्री भगवाना पि. थावरा	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
751.	श्री कालु पि. नवला	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
752.	श्री भाणजी पि. धुलिया	,,	,,	15 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
753.	श्री रुमा पि. धुलिया	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
754.	श्री हुरजी पि. भैंरा	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
755.	श्री कालीया पि. गोतम	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
756.	श्री ज लमा पि. आलीया	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
757.	श्री भैंरा पि. हरकमा	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
758.	श्री कालु पि. अमरा	,,	,,	10 बीघा	,,	से कार्यवाही जारी है।		
759.	श्री जीवा पि. चोखा	बांसवाडा हाल वाबालेडा	,,	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
760.	श्री बागजी पि. हालू	,,	,,	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
761.	श्री भातरा पि. हीरा	,,	,,	12 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
762.	श्री कालू पि. धीरा	,,	,,	23 बीघा		कार्यवाही जारी है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
763.	श्री भूरा पि. धीरा हाल बावलेडा	बांसवाडा	पाल	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
764.	श्री तेजा पि. धीरा	,,	,,	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
765.	श्री हवजी पि. धीरा	,,	,,	10 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
766.	श्री सवजी पि. कमजी	,,	,,	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
767.	श्री गौतम पि. अनजी	,,	,,	20 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
768.	श्री नेजा पि. कादरा	,,	,,	5 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
769.	श्री हलीया पि. धीरा	,,	,,	5 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
770.	श्री कालु पि. गोकल)	ओरदी	चिकलाड	20 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
771.	श्री जीवा पि. जैता)							
772.	श्री धीरजी पि. गोकल)							
773.	श्री देवजी पि. लेमा	चिकलाड	,,	15 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
774.	श्री रकवा पि. खेमा	,,	,,	10 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
775.	श्री अमरीया पि. रतना	,,	,,	3 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
776.	श्री गौतम पि. तोलीया	,,	,,	5 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
777.	श्री वदीया पि. दीवा	,,	,,	4 बीघा		कार्यवाही जारी है,		
778.	श्री लालीया पि. रतना	,,	,,	2 बीघा		कार्यवाही जारी है।		
779.	श्री रोडीया पि. चोखा	,,	,,	5 बीघा		कार्यवाही जारी है।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
780.	श्री हुरजी पि. बेलीया	चिकलाड	चिकलाड	10 बीघा			कार्यवाही जारी है।	
781.	श्री मनजी पि. कसना	,,	,,	2 बीघा			कार्यवाही जारी है।	
782.	श्री होमला पि. कसना	,,	,,	5 बीघा			कार्यवाही जारी है।	
783.	श्री हमेरा पि. कसना	,,	,,	6 बीघा			कार्यवाही जारी है।	
784.	श्री काला पि. रेमा	,,	,,	5 बीघा			कार्यवाही जारी है।	
		योग		5762 बीघा				

नोट:– सूचि में दिया गया अतिक्रमण का क्षेत्रफल अन्दाजिया है। मौके की सर्वे कराई जा रही है। वास्तविक क्षेत्रफल की जानकारी सर्वे के पश्चात् ही हो सकेगी। सर्वे कार्य प्रगति पर है।